

Oriental insurance



ओरिएण्टल इश्योरेंस

वार्षिक प्रतिवेदन/Annual Report

2014-15



विषय-सूची

| | |
|--|-----|
| निदेशकगण और प्रबंधन..... | 2 |
| निदेशक मंडल..... | 3 |
| सूचना..... | 4 |
| शीर्ष प्रबंधन टीम..... | 5 |
| उप महानिदेशकों की टीम..... | 6 |
| क्षेत्रीय प्रभारियों की टीम..... | 7 |
| अध्यक्ष का वक्तव्य..... | 10 |
| निदेशक-मंडल का प्रतिवेदन..... | 14 |
| शीर्ष प्रबंधन टीम के आलेख..... | 64 |
| लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन..... | 138 |
| भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां..... | 144 |
| अग्नि बीमा राजस्व लेखा..... | 146 |
| मरीन बीमा राजस्व लेखा..... | 148 |
| विविध बीमा राजस्व लेखा..... | 150 |
| लाभ-हानि विवरणिका..... | 152 |
| तुलन पत्र..... | 156 |
| अनुसूचियां..... | 158 |
| लेखाकरण नीतियां और टिप्पणियां..... | 206 |
| गैर जीवन विश्लेषक अनुपात..... | 250 |
| वित्तीय विवरणिका पर प्रबंधन की रिपोर्ट..... | 267 |
| नकद प्रवाह विवरणिकाएं..... | 275 |
| तुलन पत्र के उद्धरण..... | 277 |

सम्बन्धित वित्तीय विवरणिका

| | |
|--|-----|
| भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां..... | 280 |
| लाभ-हानि विवरणिका..... | 282 |
| तुलन पत्र..... | 285 |
| लेखाकरण नीतियां और टिप्पणियां..... | 287 |
| नकद प्रवाह विवरणिकाएं..... | 336 |
| तुलन पत्र के उद्धरण..... | 339 |

अनुषंगी कम्पनी

| | |
|--|-----|
| निदेशकों का प्रतिवेदन..... | 342 |
| लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन..... | 359 |
| भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां..... | 363 |
| तुलन पत्र..... | 365 |
| लाभ-हानि विवरणिका..... | 367 |
| लेखाकरण नीतियां और टिप्पणियां..... | 369 |
| नकद प्रवाह विवरणिका..... | 378 |
| तुलन पत्र के उद्धरण..... | 380 |

CONTENT

| | |
|---|-----|
| Directors and Management..... | 2 |
| Board of Directors..... | 3 |
| Notice..... | 4 |
| Top Management Team..... | 5 |
| Team of Deputy General Managers..... | 6 |
| Team of Regional Incharges..... | 7 |
| Chairman's Statement..... | 10 |
| Report of the Board of Directors..... | 14 |
| Write-ups of the Top Management Team..... | 64 |
| Auditor's Report..... | 138 |
| Comments of the Comptroller & Auditors General of India..... | 144 |
| Fire Insurance Revenue Account..... | 146 |
| Marine Insurance Revenue Account..... | 148 |
| Miscellaneous Insurance Revenue Account..... | 150 |
| Profit & Loss Account..... | 152 |
| Balance Sheet..... | 156 |
| Schedules..... | 158 |
| Accounting Policies and Notes..... | 206 |
| Non Life Analytical Ratios..... | 250 |
| Management Report on Financial Statement..... | 267 |
| Cash Flow Statements..... | 275 |
| Balance Sheet Abstract..... | 277 |

CONSOLIDATED FINANCIAL

| | |
|---|-----|
| Comments of the Comptroller & Auditors General of India..... | 280 |
| Profit & Loss Account..... | 282 |
| Balance Sheet..... | 285 |
| Accounting Policies and Notes..... | 287 |
| Cash Flow Statements..... | 336 |
| Balance Sheet Abstract..... | 339 |

SUBSIDIARY COMPANY

| | |
|--|-----|
| Report of the Directors..... | 342 |
| Auditor's Report..... | 359 |
| Comments of the Comptroller & Auditor General of India..... | 363 |
| Balance Sheet..... | 365 |
| Profit & Loss Account..... | 367 |
| Accounting Policies and Notes..... | 369 |
| Cash Flow Statement..... | 378 |
| Balance Sheet Abstract..... | 380 |



अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

डॉ. ए.के. सक्सेना

निदेशकगण

जतिंदरबीर सिंह
डॉ. एन. श्रीनिवास राव
कौशल्या राय
विजय गर्ग
अमरदीप सिंह बाली
कुलदीप सिंह
सुजाय बनर्जी

महाप्रबंधक

नीरज कुमार
कुलदीप सिंह
के.के. राव
पी.के. भगत
सुजाय बनर्जी
पी. सेंथिलकुमार
बी.एन. प्रसाद
ए.के. मित्तल
के. रमादेवी

वित्तीय सलाहकार एवं सीएफओ

के. रमादेवी

महाप्रबंधक एवं केंद्रीय सतक्रता अधिकारी

राकेश कुमार

नियुक्त बीमांकिक

निखिल गुप्ता

उप महाप्रबंधक

वेद प्रकाश
ए सिन्हा
चन्द्रधर सिंह
एन. शशीधरन
पी. अय्यपन नैयर
अतुल जेरथ
थॉमस टी उम्मन
नीलू दुग्गल
अतुल सहाय
अखिलेश मिश्रा
अजीत कुमार
अनिल श्रीवास्तव
अजय गुप्ता

कम्पनी सचिव

रश्मि बाजपेयी

लेखा परीक्षक

मैसर्स एस. मान एंड कम्पनी
मैसर्स के.पी.एम.आर. एंड एसोशिएट्स

पंजीकृत कार्यालय:

ओरिएण्टल हाउस ए. 25/27, आसफ अली रोड, नई दिल्ली
-110 002
CIN No. : U66010DL1947GO1007158
www.orientalinsurance.org.in

CHAIRMAN-CUM MANAGING DIRECTOR

Dr. A.K. Saxena

DIRECTORS

Jatinderbir Singh
Dr. N. Srinivasa Rao
Kaushalya Roy
Vijay Garg
Amardeep Singh Bali
Kuldip Singh
Sujoy Banarji

GENERAL MANAGERS

Niraj Kumar
Kuldip Singh
K. K. Rao
P. K. Bhagat
Sujoy Banarji
P. Senthilkumar
B. N. Prasad
A. K. Mittal
K. Ramadevi

FINANCIAL ADVISOR & CFO

K. Ramadevi

GENERAL MANAGER & CVO

Rakesh Kumar

APPOINTED ACTUARY

Nikhil Gupta

DEPUTY GENERAL MANAGERS

Ved Prakash
A Sinha
Chakradhar Singh
N. Shashidharan
P. Ayyapan Nair
Atul Jerath
Thomas T Oommen
Neelu Duggal
Atul Sahai
Akhilesh Mishra
Ajit Kumar
Anil Srivastava
Ajay Gupta

COMPANY SECRETARY

Rashmi Bajpai

AUDITOR

M/S. S. Mann & Co.
M/S. K.P.M.R. & Associates

REGISTERED OFFICE :

'Oriental House' A-25/27, Asaf Ali Road, New Delhi - 110 002
CIN No. : U66010DL1947GO1007158
www.orientalinsurance.org.in



निदेशक मण्डल BOARD OF DIRECTORS



डा. ए. के. सक्सेना
अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक
Dr. A. K. Saxena
Chairman-cum Managing Director



जतिन्दरबीर सिंह
निदेशक
Jatinderbir Singh
Director



एन. श्रीनिवास राव
निदेशक
N. Srinivasa Rao
Director



कौशल्या राय
निदेशक
Kaushalya Roy
Director



विजय गर्ग
निदेशक
Vijay Garg
Director



अमरदीप सिंह बाली
निदेशक
Amardeep Singh Bali
Director



कुलदीप सिंह
निदेशक
Kuldip Singh
Director



सुजॉय बैनर्जी
निदेशक
Sujay Banarji
Director



सूचना

एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि ओरिएण्टल इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड की 67वीं वार्षिक आम बैठक कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय 'ओरिएण्टल हाउस' ए-25/27, आसफ अली रोड, नई दिल्ली-110002 में बुधवार, 19 अगस्त, 2015 को अपराह्न 2.00 बजे निम्नलिखित कार्यों को सम्पन्न करने हेतु आयोजित की जाएगी:

सामान्य कामकाज:

1. 31.03.2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए निदेशकों का प्रतिवेदन, परीक्षित लेखा और तत्सम्बंधी लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन प्राप्त करना, उस पर विचार करना और उसे अंगीकृत करना।
2. लाभांश की घोषणा करना।
3. वर्ष 2015-16 के लिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त किए गए लेखा परीक्षकों का पारिश्रमिक निर्धारित करने हेतु मण्डल को प्राधिकृत करना।

(बोर्ड के आदेश से)
(रश्मि बाजपेयी)
कंपनी सचिव
ACS 20332

तारीख: 13 अगस्त, 2015
स्थान: नई दिल्ली

NOTICE

Notice is hereby given that 67th Annual General Meeting of The Oriental Insurance Company Limited will be held at the Registered Office of the Company, at 'Oriental House', A-25/27, Asaf Ali Road, New Delhi-110 002 **on Wednesday, the 19th August, 2015 at 02.00 p.m.** to transact the following business:

ORDINARY BUSINESS:

1. To receive, consider and adopt the Directors' Report, the Audited Annual Accounts for the year ended 31.3.2015 and Auditors' Report thereon.
2. To declare a Dividend.
3. To authorise the Board of Directors to fix the remuneration of Auditors, to be appointed by the CAG, for the year 2015-16.

(By Order of the Board)
(Rashmi Bajpai)
Company Secretary
ACS 20332

Date : 13th August, 2015
Place : New Delhi



शीर्ष प्रबंधन टीम TOP MANAGEMENT TEAM



डा. ए. के. सक्सेना

अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक

Dr. A.K. Saxena

Chairman-cum Managing Director



कुलदीप सिंह
महाप्रबंधक

Kuldip Singh

General Manager



सुजॉय बैनर्जी
महाप्रबंधक

Sujay Banarji

General Manager



नीरज कुमार
महाप्रबंधक

Niraj Kumar

General Manager



के. के. राव
महाप्रबंधक

K.K. Rao

General Manager



पी.के. भगत
महाप्रबंधक

P. K. Bhagat

General Manager



पी. सेंथिल कुमार
महाप्रबंधक

P. Senthilkumar

General Manager



बी. एन. प्रसाद
महाप्रबंधक

B.N. Prasad

General Manager



ए. के. मित्रल
महाप्रबंधक

A.K. Mittal

General Manager



के. रमादेवी
महाप्रबंधक, एफए और सीएफओ

K. Ramadevi

General Manager,
FA & CFO



राकेश कुमार
महाप्रबंधक और सीवीओ

Rakesh Kumar

General Manager &
CVO



निखिल गुप्ता
नियुक्त एक्ट्युरी

Nikhil Gupta

Appointed Actuary



मुख्यालय में उप महाप्रबंधक दल

TEAM OF DEPUTY GENERAL MANAGERS AT HEAD OFFICE



वेद प्रकाश
Ved Prakash



ए. सिन्हा
A Sinha



चक्रधर सिंह
Chakradhar Singh



एन शशिधरन
N. Shashidharan



पी. अय्यपन नायर
P. Ayyapan Nair



अतुल जयरथ
Atul Jerath



थॉमस टी. उमन
Thomas T Oommen



नीलू दुग्गल
Neelu Duggal



अतुल सहाय
Atul Sahai



अखिलेश मिश्रा
Akhilesh Mishra



अजीत कुमार
Ajit Kumar



अनिल श्रीवास्तव
Anil Srivastava



अजय गुप्ता
Ajay Gupta



क्षेत्रीय प्रभारियों की टीम TEAM OF REGIONAL INCHARGES



एम वी प्रांजपे
डीजीएम एमआरओ-1
M V Paranjape
DGM MRO - 1



एम जॉनसन
डीजीएम एमआरओ-2
M Johnson
DGM MRO - 2



अनिल श्रीवास्तव
सीआरएम एमआरओ-3
Anil Srivastava
CRM MRO - 3



बलवंत सिंह
डीजीएम आरओ-अहमदाबाद
Balwant Singh
DGM RO - Ahmedabad



डॉ. एमएस कुमार
डीजीएम आरओ-इन्दौर
Dr. MS Kumar
DGM RO - Indore



वी रघुरमन
डीजीएम आरओ-पुणे
V Raghuraman
DGM RO - Pune



ओपी सिंह
सीआरएम आरओ-वदोदरा
OP Singh
CRM RO - Vadodara



महादेव मल्ला
सीआरएम आरओ-नागपुर
Mahadev Malla
CRM RO - Nagpur



आरके श्रीवास्तव
डीजीएम आरओ-रायपुर
RK Shrivastava
DGM RO - Raipur



जी ग्रोवर
डीजीएम एनआरओ-1
G Grover
DGM NRO - 1



जेएल आहुजा
सीआरएम आरओ-लखनऊ
JL Ahuja
CRM RO - Lucknow



इश कुमार मुन्जाल
सीआरएम आरओ-चंडीगढ़
Ish Kumar Munjal
CRM RO - Chandigarh



एमपी वर्मा
सीआरएम आरओ-जयपुर
MP Verma
CRM RO - Jaipur



पंकज खन्ना
सीआरएम आरओ-देहरादून
Pankaj Khanna
CRM RO - Dehradun



आरएस मदन
सीआरएम आरओ-अम्बाला
RS Madan
CRM RO - Ambala



सुरिन्द्र कोहली
सीआरएम एनआरओ-2
Surinder Kohli
CRM NRO - 2



बी बासुमतारी
सीआरएम आरओ-कोलकाता
B Basumatary
DGM RO - Kolkata



एके गोरलोसा
सीआरएम आरओ-गुवाहाटी
AK Gorlosa
CRM RO - Guwahati



राजीव जयसवाल
सीआरएम आरओ-पटना
Rajiv Jaiswal
CRM RO - Patna



आरपी बलाह
सीआरएम आरओ-भुवनेश्वर
RP Blah
CRM RO - Bhubaneshwar



जेएस कोहली
डीजीएम आरओ-चेन्नई
J.S. Kohli
DGM RO-Chennai



पीसी होता
सीआरएम आरओ-बैंगलोर
PC Hota
CRM RO - Bangalore



राहुल दुग्गल
सीआरएम आरओ-हैदराबाद
Rahul Duggal
DGM RO - Hyderabad



सीआर विजयन
डीजीएम आरओ-कोचीन
CR Vijayan
DGM RO - Cochin



के जोतिनाथन
सीआरएम आरओ-कोयम्बटूर
K Jothinathan
CRM RO - Coimbatore



एमडी निलकानी
सीआरएम आरओ-विशाखापटनम
MD Nilkani
CRM RO - Visakhapatnam



पीएस मुर्ती
सीआरएम आरओ-हुबली
PS Murthy
CRM RO - Hubli



एमके मित्रल
सीआरएम सीबीआरओ-दिल्ली
MK Mittal
CRM CBRO - Delhi



सी लता पूरनी
सीआरएम सीबीआरओ-चेन्नई
C Latha Poorni
CRM CBRO - Chennai



एन सुंदररामन
सीआरएम सीबीआरओ-मुंबई
N Sundararaman
CRM CBRO - Mumbai



राकेश कुमार
प्रधान ओएसटीसी-फरीदाबाद
Rakesh Kumar
Principal OSTC - Faridabad



ओपी पाण्डेय
डीजीएम ओएसटीसी-चेन्नई
OP Pandey
DGM OSTC - Chennai



डॉ. ए.के. सक्सेना
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

DR. A. K. SAXENA

CHAIRMAN-CUM-MANAGING DIRECTOR

प्रिय शेयरधारको

मैं आपकी कम्पनी की 67वीं वार्षिक आम बैठक में आपका स्वागत करता हूँ।

दिनांक 29 मई, 2015 को सीएसओ द्वारा जारी अनुमान के अनुसार, वित्त वर्ष 2014-15 में, बाजार की कीमतों पर जीडीपी में वृद्धि 6.9% की तुलना में 7.3% रही। यह वृद्धि कृषि की वृद्धि में वित्त वर्ष 2013-14 में 3.7% की तुलना में वित्त वर्ष 2014-15 में 0.2% की गिरावट के बावजूद हुई। निर्माण क्षेत्र में वृद्धि, जो वित्त वर्ष 2013-14 में 5.3% थी, में उल्लेखनीय बढ़ौतरी होकर वित्त वर्ष 2014-15 में 7.1% हो गई जबकि सेवा क्षेत्र की वृद्धि वित्त वर्ष 2013-14 में 9.1% से उल्लेखनीय रूप से बढ़कर वित्त वर्ष 2014-15 में 10.2% हो गई। सेवा क्षेत्र के भीतर, वित्तीय, रीयल एस्टेट और व्यावसायिक सेवाओं में वित्त वर्ष 2013-14 में 7.9% की तुलना में वृद्धि होकर वित्त वर्ष 2014-15 में 11.5% हो गई।

वित्त वर्ष 2014-15 के परिणाम दर्शाते हैं कि आपकी कम्पनी ने वर्ष 2013-14 में रु-7282.54 करोड़ की तुलना में रु-7561.93 करोड़ के निम्नांकित वैश्विक प्रीमियम और सकल

Dear Shareholders

I welcome you all to the 67th Annual General Meeting of your Company.

According to estimate released by CSO on 29th May, 2015, in the Financial Year 2014-15, GDP growth at market prices increased from 6.9% to 7.3%. This increase happened despite a decline in agriculture growth from 3.7% in Financial Year 2013-14 to 0.2% in Financial Year 2014-15. The manufacturing growth increased substantially from 5.3% in Financial Year 2013-14 to 7.1% in Financial Year 2014-15 while Services growth increased substantially to 10.2% in Financial Year 2014-15 from 9.1% in Financial Year 2013-14. Within services, financial, real estate, and professional services increased from 7.9% in FY 2013-14 to 11.5% in FY 2014-15.

The financial results of 2014-15 reflect that your Company has registered positive growth rate of 3.84% on gross basis and underwritten global premium of Rs.7561.93 crores as against Rs. 7282.54 crores in the year 2013-14. Our net premium was Rs.



आधार पर 3.84% की सकारात्मक वृद्धि दर दर्ज की है। हमारा निवल प्रीमियम वित्त वर्ष 2013-14 के रु- 6381.47 करोड़ की तुलना में की 1.42% वृद्धि दर्ज करते हुए वित्त वर्ष 2014-15 में रु- 6472.39 करोड़ था।




पॉलिसीधारकों की आय को ध्यान में रखते हुए चालू वर्ष का प्रचालनिक लाभ वर्ष 2013-14 के रु. 204.16 करोड़ की तुलना में रु. 91.84 करोड़ था।

इस वर्ष हमने पिछले वर्ष में रु. 660.73 करोड़ की तुलना में रु. करोड़ 617.34 का कर-पूर्व लाभ दर्ज किया। अंत में हमने वर्ष 2013-14 में रु. 460.29 करोड़ की तुलना में रु. 392.10 करोड़ का करोपरांत लाभ दर्ज किया।




प्रबंधन व्यय, जो वर्ष 2013-14 में रु. 1775.44 करोड़ था, इस वर्ष के दौरान रु. 2347.98 करोड़ रहा।




निवेशों की बिक्री पर लाभ वर्ष 2013-14 में रु. 900.91 करोड़ की तुलना में वर्ष 2014-15 में रु. 923.20 करोड़ था जबकि ब्याज, लाभांश और किराए से आय पिछले वर्ष के रु.1048.30

6472.39 crores in the year 2014-15 in comparison to Rs. 6381.47 crores in the year 2013-14, registering growth of 1.42 %.




The current year operating profit, after taking into account the policyholder's income, amounted to Rs 91.84 crores as compared to Rs. 204.16 crores in 2013-14.

This year we recorded a profit before tax of Rs. 617.34 crores as compared to Rs. 660.73 crores in the last year. We ended up with a profit after tax of Rs. 392.10 crores as compared to Rs. 460.29 crores in the year 2013-14.




The management expenses during the year amounted to Rs. 2347.98 crores as compared to Rs. 1775.44 crores in the year 2013-14.



Profit on sale of investments were Rs. 923.20 crores in the year 2014-15 as compared to Rs. 900.91 crores



करोड़ की तुलना में चालू वर्ष में रु. 1177.33 करोड़ थी।



हमारे नेपाल, दुबई और कुवैत के विदेशी प्रचालनों में इस वर्ष रु. 153.97 करोड़ का सकल प्रीमियम दर्ज किया गया और इन तीन विदेशी कार्यालयों द्वारा निवल परिणामों में वर्ष 2014-15 के दौरान का अधिशेष रु. 1.29 करोड़ था, जो वर्ष 2013-14 में रु. 8.03 करोड़ था।


दिनांक 31.3.2015 को ऋण शोधन मार्जिन 1.68 पर था। इस वर्ष बोर्ड ने भारत सरकार को रु. 110.00 करोड़ के लाभांश के भुगतान की सिफारिश की है।

विश्वविख्यात रेटिंग एजेंसी एएम बेस्ट ने भी हमारी रेटिंग "B++" (बहुत अच्छा) पर बरकरार रखी है। हमें सीआरआईएसआईएल और आईसीआरए द्वारा भी निरंतर उच्चतम रेटिंग प्रदान की जा रही है।

कम्पनी अपना नया और उन्नत वेब-पोर्टल लांच करेगी जो केंद्रीय बीमा एप्लीकेशन के साथ एकीकृत होगा जिनका लक्ष्य मुख्यतः रिटेल पॉलिसी धारकों, संभावित ग्राहकों, बीमा संबंधी बिचौलियों, जैसे एजेंटों, ब्रोकरों, सर्वेयरों, मोटर डीलरों, तृतीय पक्ष एडमिनिस्ट्रेटर्स, कानूनी सलाहकारों आदि की आवश्यकताओं की पूर्ति करना और व्यक्तिगत लाइनों के चुने हुए उत्पादों का ऑनलाइन बीमा और ओआईसीएल के सभी उत्पादों का नवीकरण सुगम होने के अतिरिक्त दावे प्रस्तुत किया जाना, शिकायतें दर्ज किया जाना और दावों तथा प्रस्तुत शिकायतों के समाधान की प्रगति की निगरानी ऑनलाइन सुगम होगी। ऑनलाइन खरीदी गई पॉलिसियों की संख्या में वृद्धि जारी रही जिसका कम्पनी द्वारा निम्नांकित समग्र प्रीमियम में योगदान रहा। दस्तावेजों को पुरालेखबद्ध करने और अनुरक्षित करने और साथ ही कारोबारी प्रचालनों के लिए इनकी आसानी से पुनः प्राप्ति के लिए भी, एक नई आईटी परियोजना उद्यम विषय-वस्तु प्रबंधन" हाथ में ली गई है जो हमारे केंद्रीय एप्लीकेशन और वेब पोर्टल के साथ विधिवत एकीकृत एक एंटरप्राइज वाइड डिप्लॉयमेंट होगा।

आने वाले वर्ष में, मूल्यों में प्रतिस्पर्ध को देखते हुए, हम दावों के अनुपातों और संयुक्त अनुपातों को नियंत्रित करने के

in 2013-14 whereas income from Interest, Dividend & Rent was recorded as Rs. 1177.33 crores during the current year in comparison to previous year's figure of Rs 1048.30 crores.



Our foreign operations of Nepal, Dubai and Kuwait registered gross premium of Rs. 153.97 crores this year and the net result by three foreign offices was a surplus of Rs. 1.29 crores in 2014-15 as compared surplus of Rs. 8.03 crores in 2013-14.

The Solvency margin as on 31.3.2015 stood at 1.68. This year the Board has recommended dividend payout of Rs. 110.00 crores to Government of India.

World renowned rating agency, A M BEST has also maintained our rating at "B++" (very good). We continue being consistently given the highest rating by CRISIL and ICRA also.

The Company will be launching its new and upgraded Web-portal duly integrated with the core insurance application targeting insurance needs mainly for retail policy holders, potential clients, insurance intermediaries such as agents, brokers, surveyors, motor dealers, third party administrators, legal counsels, etc. and facilitate online issuance of selected products of personal lines and renewal of all the products of OICL besides lodging claims, register complaints and monitor progress of claim settlements and grievances lodged. The number of policies purchased 'online' continued to increase contributing to overall premium underwritten by the Company. A new IT Project, 'Enterprise Content Management' has been undertaken for archiving, and maintaining the documents in electronic form as also their easy retrieval for supporting the business operations which will be an enterprise wide deployment duly integrated with our core application and the Web Portal.

In the year ahead, keeping in view the competition in pricing we would continue to take steps for



उद्देश्य से सतक निम्नांकन के साथ प्रभावी दावा प्रबंधन के लिए उपाय करते रहेंगे। हमारा फोकस कम्पनी के विकास और लाभप्रदता में वृद्धि करने पर रहेगा।

ग्रामीण जन तक पहुँच बनाने के अपने सामाजिक दायित्व को पूरा करने के लिए, हमने श्रेणी II, III और IV कस्बों में रिटेल कारोबार की जरूरत पूरी करने के लिए कारोबार केंद्र खोलकर भारत सरकार की समावेशी पहल में अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित की है। इससे हमें न्यूनतम लागत पर लाभप्रद रिटेल/ग्रामीण कारोबार हासिल करने में मदद मिलेगी।

हमारी कम्पनी के सुसंगठित, प्रशिक्षित और प्रतिबद्ध कार्यबल ने उभरते प्रतिस्पर्धी परिदृश्य में सभी चुनौतियां स्वीकार की हैं और इस प्रकार कम्पनी को छह दशक से अधिक के इसके यादगार सफर में और आगे ले जाने और शक्ति उत्तरोत्तर प्रगति करते हुए आगे बढ़ने में सहायता प्रदान की है।

हमें अपने ग्राहकों के आभारी हैं जो हमें दृढ़तापूर्वक समर्थन देते हैं और जिनका हमें कड़ी प्रतिस्पर्धा में निरंतर विश्वास हासिल है। हम अपने कारोबार और सेवा मानदंडों में सुधार के लिए निरंतर समर्थन के लिए अपने मध्यवर्तियों के भी आभारी हैं। हम सभी क्षेत्रों में समर्थन, मार्गदर्शन और प्रोत्साहन के लिए आईआरडीएआई, वित्त मंत्रालय, अपने निदेशकों, पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड – II के भी ऋणी हैं। वित्त वर्ष 2014-15 की वार्षिक रिपोर्ट आपके विचारार्थ रखी जाती है।

cautious underwriting as well as effective claims management so as to control the claims ratios and combined ratios. Our focus will be on increasing the growth & profitability of the Company.

To fulfill our social obligation of reaching out to the rural masses we have ensured maximum participation in Financial Inclusion initiatives of Government of India by opening Business Centers catering to retail business in tier II, III & IV towns. This will help us in getting profitable retail / rural business with minimum cost.

The well organized, trained and committed workforce of our Company has accepted all challenges in the emerging competitive scenario thus taking the Company further in its memorable journey of more than six decades and advancing further from strength to strength.

We are thankful to our customers who steadfastly support us and have continuous faith in us amidst severe competition. We are also thankful to our intermediaries for their continued support in improving our business and service standards. We are also indebted to IRDAI, Ministry of Finance, our Directors, Ex-officio Member, Audit Board – II for their support, guidance and encouragement in all areas. The Annual Report for the FY 2014-15 is placed for your consideration.



**कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 134 के अंतर्गत
द ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड
के निदेशक मंडल की रिपोर्ट**

सेवा में,

सदस्यगण,

आपके निदेशकों को कम्पनी के कारोबार पर पर अपनी सतासठवीं वार्षिक रिपोर्ट और 31 मार्च, 2015 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए लेखाओं को प्रस्तुत करने में हर्ष हो रहा है।

- कम्पनी का वित्तीय निष्पादन कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े निवल प्रीमियम का प्रतिशत हैं

**REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS OF
THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY
LIMITED
UNDER SECTION 134 OF THE COMPANIES ACT
2013**

To,

The Members,

Your Directors have pleasure in presenting their Sixty Seventh Annual Report on the business of the Company and the accounts for the Financial Year ended March 31, 2015.

1. Financial Performance of the Company

Figures in brackets are percentage to net premium

(Rs. in lacs)

| | अग्नि Fire | | मरीन Marine | | विविध Miscellaneous | | कुल Total | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2014-15 | 2013-14 | 2014-15 | 2013-14 | 2014-15 | 2013-14 | 2014-15 | 2013-14 |
| सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम: भारत में Gross Direct Premium: In India | 96162 | 98447 | 39793 | 45856 | 604841 | 568481 | 740796 | 712784 |
| भारत से बाहर Outside India | 5116 | 5531 | 2354 | 2434 | 7927 | 7505 | 15397 | 15470 |
| सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम कुल Gross Direct Premium Total | 101278 | 103978 | 42147 | 48290 | 612768 | 575986 | 756193 | 728254 |
| निवल प्रीमियम Net Premium | 50678 | 67326 | 29288 | 31102 | 567273 | 539719 | 647239 | 638147 |
| निवल से सकल अनुपात Ratio of Net to Gross | 50.63 % | 64.75% | 69.49% | 64.41% | 92.57% | 93.70% | 85.59% | 87.63% |
| निवेशों की बिक्री पर लाभ (शेयरधारक) Profit on Sale of Investments (Policy Holders") | 7924 (15.64%) | 8023 (11.92%) | 2985 (10.19%) | 3194 (10.27%) | 61027 (10.76%) | 59184 (10.97%) | 71936 (11.11%) | 70401 (11.03%) |



| | | | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| ब्याज / लाभांश / किराया (पॉलिसी धारक) Int./Div./ Rent (Policy Holders") | 10105 (19.94%) | 9335 (13.87%) | 3807 (13.00%) | 3717 (11.95%) | 77826 (13.72%) | 68867 (12.76%) | 91738 (14.17%) | 81919 (12.84%) |
| कमीशन और अन्य आय (निवल आय(+)/ निवल परिव्यय (-)) Commission and other income (Net Income(+)/ Net Outgo (-)) | -2383 (-4.70%) | -2157 (-3.20%) | -2746 (-9.37%) | -2963 (-9.53%) | -29503 (-5.20%) | -31050 (-5.76%) | -34632 (-5.35%) | -36170 (-5.67%) |
| एनपीए (प्रावधान (-)/ प्रतिलेखन (+)) NPA (Provision (-)/ Write back(+)) | 32 (0.04%) | -10 (-0.01%) | 12 (0.04%) | -4 (-0.01%) | 245 (0.04%) | -75 (-0.01%) | 289 (0.04%) | -89 (-0.01%) |
| शेयरों के मूल्य में ह्रास (-) / प्रतिलेखन(+) Diminution in value of shares (-)/ written back (+) | 20 (0.04%) | -59 (-0.09%) | 8 (0.02%) | -23 (-0.07%) | 153 (0.02%) | -433 (-0.08%) | 181 (0.03%) | -515 (-0.08%) |
| असमाप्त जोखिम आरक्षिति में वृद्धि (-)/ कमी(+) Increase (-)/ Decrease (+) in unexpired risks reserve | 8324 (16.42%) | -1282 (-1.90%) | 730 (2.49%) | -2552 (-8.20%) | -13777 (-2.43%) | -38916 (-7.21%) | -4723 (-0.73%) | -42750 (-6.70%) |
| किए गए निवल दावे Net Incurred claims | -42505 (-83.87%) | -55525 (-82.47%) | -12129 (-41.41%) | -16660 (-53.57%) | -471516 (-83.12%) | -438917 (-81.32%) | -526150 (-81.29%) | -511102 (-80.09%) |
| प्रबंधन के खर्चे Expenses of Management | -34469 (-68.02%) | -27522 (-40.88%) | -10163 (-34.70%) | -8821 (-28.36%) | -190166 (-33.52%) | -141201 (-26.16%) | -234798 (-36.27%) | -177544 (-27.82%) |
| परिशोधन व्यय Amortization expenses | -97 (-0.19%) | -96 (-0.14%) | -37 (-0.13%) | -38 (-0.12%) | -751 (-0.13%) | 709 (-0.13%) | -885 (-0.13%) | -843 (-0.13%) |
| बट्टे खाते डाला गया व्यय Investment Written off | -111 (-0.22%) | -118 (-0.19%) | -42 (-0.14%) | -47 (-0.15%) | -858 (-0.15%) | -873 (-0.16%) | -1011 (-0.16%) | -1038 (-0.16%) |



| | | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| निवल प्रचालनिक लाभ / (हानि) Net Operating Profit / (Loss) | -2482 (-4.90%) | -2085 (-3.09%) | 11713 (39.99%) | 6905 (22.21%) | -47 (-0.01%) | 15596 (2.90%) | 9184 (1.42%) | 20416 (3.21%) |
| ब्याज, लाभांश और किराया (शेयर धारक) Interest, Dividends & Rent (Shareholders") | | | | | | | 25995 | 22911 |
| निवेशों की बिक्री पर लाभ (शेयरधारक) Profit on sale of Investments (Shareholders") | | | | | | | 20384 | 19690 |
| अन्य आय / परिव्यय Other Income / Outgo | | | | | | | 6963 | 3056 |
| सीएसआर व्यय CSR Expenditure | | | | | | | -792 | 00 |
| कर पूर्व लाभ (+) / हानि (-) Profit (+) / Loss (-) before Tax | | | | | | | 61734 | 66073 |
| पूर्वावधि आय / व्यय Prior period Income / Expenses | | | | | | | 301 | -692 |
| स्रोत पर काटा गया आयकर और कर हेतु प्रावधान IT deducted at source and Provision for Tax | | | | | | | -22820 | -19980 |
| पूर्ववर्ती वर्षों के लिए प्रावधान Provision for Tax for earlier years | | | | | | | -5 | 628 |
| करोपरांत निवल लाभ / हानि Net Profit/ Loss after Tax | | | | | | | 39210 | 46029 |
| सामान्य आरक्षिति / आकस्मि आरक्षिति में अंतरण Transfer to General Reserve / Contingency Reserve | | | | | | | 26010 | 33393 |
| लाभांश के लिए प्रावधान Provision for Dividend | | | | | | | 11000 | 10800 |
| निगमित लाभांश कर Corporate Dividend Tax | | | | | | | 2200 | 1836 |

उपरोल्लिखित प्रतिशत निवल प्रीमियम पर सापेक्ष
Percentages mentioned above are to Net Premium.

(Rs. in lacs)

| विभाग | सकल प्रीमियम Gross Premium | | | निवल प्रीमियम Net Premium | | | किया गया दावा अनुपात Incurred Claim Ratio | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|---------|----------|------------------------------|---------|----------|--|-----------|-------------|-----------|
| | 2014-15 | 2013-14 | Growth % | 2014-15 | 2013-14 | Growth % | 2014-15 % | 2013-14 % | 2014-15 % | 2013-14 % |
| | | | | | | | सकल GROSS | | निवल NET | |
| अग्नि Fire | 1012.78 | 1039.78 | -2.60 | 506.78 | 673.26 | -24.73 | 95.81 | 94.10 | 83.87 | 82.47 |
| मरीन कार्गो Marine Cargo | 247.58 | 272.57 | -9.17 | 214.92 | 236.58 | -9.16 | 58.16 | 45.11 | 40.53 | 48.66 |



| | | | | | | | | | | |
|---|---------|---------|--------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| मरीन हल Marine Hull | 173.89 | 210.33 | -17.32 | 77.96 | 74.43 | 4.74 | 63.55 | 35.16 | 43.84 | 69.16 |
| मरीन कुल Marine Total | 421.47 | 482.90 | -12.72 | 292.88 | 311.02 | -5.83 | 60.38 | 40.77 | 41.41 | 53.57 |
| मोटर ओडी Motor OD | 1261.34 | 1198.20 | 5.27 | 1192.35 | 1136.61 | 4.90 | 49.86 | 49.42 | 50.29 | 46.05 |
| मोटर टीपी-नॉन पूल Motor TP- Non Pool | 1605.72 | 1383.63 | 16.05 | 1524.96 | 1313.32 | 16.12 | 102.29 | 98.89 | 87.97 | 79.79 |
| मोटर टीपी-डीआर पूल Motor TP D.R. Pool | 47.39 | 106.28 | -55.41 | 38.71 | 58.92 | -34.29 | 96.51 | 358.19 | 109.44 | 434.65 |
| मोटर कुल Motor Total | 2914.45 | 2688.11 | 8.42 | 2756.03 | 2508.85 | 9.85 | 81.39 | 83.42 | 73.97 | 73.91 |
| इंजीनियरिंग Engineering | 355.98 | 374.78 | -5.02 | 247.14 | 299.32 | -17.43 | 63.21 | 52.18 | 42.94 | 75.98 |
| कामगार कांप Workman Comp. | 80.25 | 81.65 | -1.72 | 75.73 | 77.46 | -2.23 | 18.32 | 20.16 | 18.12 | 21.55 |
| विमानन Aviation | 100.94 | 111.61 | -9.56 | 26.14 | 27.42 | -4.66 | 33.01 | 49.53 | 127.71 | 139.58 |
| व्यक्तिगत बीमा Pers. Accident | 149.37 | 142.41 | 4.89 | 132.24 | 128.37 | 3.02 | 60.29 | 78.38 | 57.66 | 76.07 |
| स्वास्थ्य Health | 2053.85 | 1898.75 | 8.17 | 1951.47 | 1796.12 | 8.65 | 116.38 | 106.63 | 116.27 | 104.56 |
| देनदारी Liability | 50.89 | 45.14 | 12.74 | 42.49 | 27.58 | 54.04 | 8.53 | 11.25 | 16.10 | 2.95 |
| अन्य विविध Other Misc. | 421.95 | 417.41 | 1.09 | 441.48 | 532.06 | -17.02 | 30.71 | 38.32 | 38.83 | 51.89 |
| कुल विविध Total Misc. | 6127.68 | 5759.86 | 6.39 | 5672.73 | 5397.19 | 5.11 | 85.83 | 83.53 | 83.12 | 81.32 |
| कुल Total | 7561.93 | 7282.54 | 3.84 | 6472.39 | 6381.47 | 1.42 | 85.75 | 82.20 | 81.29 | 80.09 |



2. वर्ष के दौरान कम्पनी का कामकाज

कारोबार में वृद्धि:

वर्ष 2013-14 में रु.7282.54 करोड़ की तुलना में रु.7561.93 करोड़ के सकल वैश्विक प्रीमियम और सकल आधार पर 3.84% की सकारात्मक वृद्धि दर दर्ज की है। कम्पनी ने निवल प्रीमियम पर भी वित्त वर्ष 2013-14 के रु. 6381.47 करोड़ की तुलना में की 1.42% वृद्धि प्राप्त की। मोटर, व्यक्तिगत दुर्घटना, स्वास्थ्य, देनदारी और अन्य विविध सेगमेंटों में सकल आधार पर क्रमशः 8.42%, 4.89%, 8.17%, 12.74% और 1.09% की वृद्धि दर्ज की जबकि कारोबारी सेगमेंटों में सकल आधार पर नकारात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई।

पुनः बीमा प्रचालन

सकल अनुपात (प्रतिधारण प्रतिशत) के निवल में पिछले अर्थ वर्ष के दौरान 87.63% की तुलना में कमी होकर यह 85.59% हुआ।

प्रचालनिक परिणाम

कम्पनी के समग्र प्रचालन निष्पादन के परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान रु.204.16 करोड़ की तुलना में समीक्षाधीन वर्ष के दौरान रु.91.84 करोड़ का प्रचालनिक लाभ हुआ। निवल व्यय अनुपात वर्ष 2013-14 के दौरान 80.09% से बढ़कर वर्ष 2014-15 में 81.29% हो गया।

प्रबंधन व्यय:

कुल प्रबंधन व्यय पिछले वर्ष के 1775.44 रु. करोड़ की तुलना में चालू वर्ष में रु. 2347.98 करोड़ थे।

समग्र निष्पादन

निवेशों की बिक्री से उत्सर्जित लाभों में रु. 22.29 करोड़ की वृद्धि हुई और प्रबंधन व्यय में रु. 572.54 करोड़ की वृद्धि हुई।

इसके साथ-साथ हामीदारी घाटों के परिणामस्वरूपक प्रचालनिक लाभ और निवेश आय दोनों को ध्यान में रखते हुए पिछले वर्ष के दौरान रु. 660.73 करोड़ के कर-पूर्व लाभ की तुलना में समीक्षाधीन वर्ष के दौरान रु. 617.34 करोड़ कर-पूर्व लाभ हुआ। करोपरांत लाभ पिछले वर्ष के दौरान रु. 460.29 करोड़ की तुलना में समीक्षाधीन वर्ष के दौरान रु. 392.10 करोड़ था।

ऋणशोधन मार्जिन:

बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999,

2. Company's working during the year

Growth of Business:

The Gross Premium Income increased to Rs. 7561.93 crores during 2014-15 as compared to Rs. 7282.54 crores during 2013-14 thereby recording a positive growth of 3.84%. The Company also achieved growth of 1.42% on Net premium. Motor, Personnel Accident, Health, Liability & Other Misc segments depicted growth of 8.42%, 4.89%, 8.17%, 12.74%, & 1.09% respectively on gross basis whereas other business segments recorded negative growth rate on gross basis.

Reinsurance Operations

The net to gross ratio (retention percentage) decreased to 85.59% as compared to 87.63% during last fiscal year,

Operating Results

The overall operating performance of the company has resulted in operating profit of Rs. 91.84 crores during the year under review as against Rs.204.16 crores during 2013-14. The net incurred claims ratio increased to 81.29% in 2014-15 from 80.09% during 2013-14.

Management Expenses:

Total Management Expenses for the current year were Rs. 2347.98 crores as against Rs. 1775.44 crores of previous year.

Overall Performance

The profits generated by sale of investments increased by Rs. 22.29 crores and the management expenses increased by Rs. 572.54 crores This coupled with underwriting losses resulted in profit before tax of Rs 617.34 crores during the year under review compared to profit before tax of Rs. 660.73 crores during the previous year, after taking into account both operating profit and investment income. The profit after tax was Rs. 392.10 crores during the year under review as compared to Rs. 460.29 crores during the previous year.

Solvency Margin:

The solvency margin ratio stood at 1.68 as on 31.3.2015 thereby complying with the



द्वारा यथा संशोधित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 64VA का अनुपालन करते हुए दिनांक 31.3.2015 को ऋणशोधन मार्जिन 1.68 पर था।

लाभांश

निदेशकों ने वर्ष 2014-15 के लिए 51.00% के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है जो 20 करोड़ इक्विटी शेयरों पर देय रु. 5.10 प्रति शेयर है। लाभांश का भुगतान पूरा करने के लिए रु. 110.00 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है और उस पर लाभांश वितरण कर के लिए रु. 22.00 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

आरक्षितियां

लाभ हानि विनियोजन लेखे के अनुसार करोपरान्त निवल लाभ में से रु. 260.10 करोड़ की राशि बैलेंस शीट में सामान्य आरक्षित लेखे/आकस्मिक आरक्षित लेखे में अंतरित की गई है जिससे हमारा निवल मूल्य पिछले वर्ष के दौरान रु. 2921.73 करोड़ से बढ़कर रु. 3181.83 करोड़ हो गया है।

विदेशी प्रचालन

नेपाल, दुबई, कुवैत और लंदन के रन-ऑफ खाते में कम्पनी के विदेशी प्रचालनों पर कुल मिलाकर पिछले वर्ष के दौरान रु. 154.70 करोड़ की तुलना में वर्ष 2014-15 के दौरान रु. 153.97 करोड़ का अर्जन हुआ। निवल प्रीमियम पिछले वर्ष के रु. 139.73 करोड़ की तुलना में रु. 155.79 करोड़ था और 64.9% के निवल व्यय दावा अनुपात के साथ इस वर्ष के दौरान निवल व्यय दावे रु. 101.04 करोड़ थे (गत वर्ष 79.10% पर रु.110.57 करोड़)। हमारे विदेशी प्रचालन अंतिम रूप से पिछले वर्ष के दौरान रु. 8.03 करोड़ की तुलना में रु. 1.29 करोड़ के निवल अधिशेष के रूप में परिणत हुए। कम्पनी को कतर में कार्यालय खोलने के लिए आईआरडीआई से भी अनुमोदन प्राप्त हुआ है और यह औपचारिकताओं का अनुपालन करने की प्रक्रिया में है।

कम्पनी की गतिविधियों की विस्तृत रिपोर्ट

कम्पनी के वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी अति महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर वर्ष 2014-15 के लिए अपनी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं और निगमित शासन पर रिपोर्ट के साथ-साथ उनकी रिपोर्ट निदेशकों की रिपोर्ट के भाग के रूप में संलग्न है।

3. 2015.16 के लिए योजनाएं

हमारी योजना वर्ष 2015.16 में लगभग 15% की वृद्धि करने

provisions of Sec 64VA of Insurance Act, 1938 as amended by the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999.

Dividend

The Directors have recommended final dividend of 51.00% for the year 2014-15 which is Rs. 5.10 per share payable on 20 crore equity shares. A sum of Rs.110.00 crores has been provided to meet the payment of Dividend and a further provision of Rs. 22.00 crores has been made for Dividend Distribution Tax thereon.

Reserves

The amount of Rs. 260.10 crores out of net profit after tax as per the Profit and Loss Appropriation Account is transferred to General Reserve Account / Contingency Reserve Account in the Balance Sheet thereby increasing our net worth to Rs.3181.83 crores from Rs.2921.73 crores last year

Foreign Operations

The Company's foreign operations in Nepal, Dubai, Kuwait and the Run-off account in London together yielded a Gross Direct Premium of Rs.153.97 crores during the year 2014-15 as against Rs 154.70 crores during the previous year. The Net Premium was at Rs 155.79 crores as against Rs.139.73 crores last year and the net Incurred Claims during this year in respect of foreign operations were Rs. 101.04 crores with a net Incurred Claims Ratio of 64.9 % (Rs. 110.57. crores at 79.10 %.for the last year). Our foreign operations had finally resulted in a net surplus of Rs. 1.29 crores as against Rs 8.03 .crores during the previous year. The Company has also received approval from IRDAI for opening office at Qatar and is in the process of complying with the formalities.

Detailed Report of Company's Activities

The Senior Executives of the Company are presenting their detailed report for the financial year 2014-15 on critical areas of operation and their reports together with the report on Corporate Governance are attached as part of the report of the Directors.



की है। अप्रैल 2015 तक 10.04% की वृद्धि दर दर्ज करते हुए पूर्णता रु. 817.32 करोड़ थी (अप्रैल 2013 तक तुलनात्मक राशि रु. 742.74 करोड़)। भारत सरकार के परियोजना वित्तपोषण समावेश में सक्रिय सहभागिता करने और रीटेल कारोबार को सुदृढ़ बनाने के लिए कम्पनी की योजना गैर-प्रतिनिधित्व वाले क्षेत्रों में 100 अन्य विस्तार काउंटर और माइक्रो ऑफिस खालने की है। हमारी बैंक बीमा (बैंकाशोरेंस) कारोबार में वृद्धि करने के लिए प्रतिबद्ध कार्यालय खोलने की भी योजना है। कम्पनी, विशेषकर स्वास्थ्य सेगमेंट में, अधिक दूरदर्शी और प्रभावी जोखिम अंकन अपनाने के लिए भी उपाय करती रहेगी। सामूहिक स्वास्थ्य नीतियों की प्रीमियम दरों को प्रभावित किए बिना व्यावहारिक तौर पर ब्रोकरों के साथ विनियोजन द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया जाएगा। गरीबी रेखा से जरा उपर के व्यक्तियों को बीमा कवर मुहैया कराने के उद्देश्य से बिना अधिक ताम-झाम वाली नई स्वास्थ्य पॉलिसियां आरंभ की जाएंगी और इनका विपणन किया जाएगा।

इससे न केवल उन लोगों को स्वास्थ्य बीमा कवर मिलेगा जिन्हें इसकी सबसे अधिक जरूरत है बल्कि स्वास्थ्य बीमा के विकास में भी वृद्धि होगी। भारत सरकार के परियोजना वित्तपोषण समावेश में सक्रिय भागीदारी और नई सरकार द्वारा आरंभ किए गए सम्पूर्ण वित्तीय समावेशन (SVS) के लिए एजेंटों की भर्ती द्वारा, ग्रामीण क्षेत्रों में कारोबारी निवेश में वृद्धि होगी। कम्पनी की चालू वित्त वर्ष में एचआरएमएस सामने लाने की भी योजना है।

4. कारोबार की प्रकृति में परिवर्तन, यदि कोई हो

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा कारोबार की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया।

5. जिस वित्त वर्ष से कम्पनी की वित्तीय विवरणिकाएं संबंधित हैं, उस वर्ष की समाप्ति और रिपोर्ट की तारीख के बीच कम्पनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले वेस परिवर्तन या प्रतिबद्धताएं, यदि कोई हों,

जैसा कि उपर उल्लेख किया गया है, कोई परिवर्तन नहीं हुए हैं

6. विनियामकों या न्यायालयों या न्यायाधिकरणों द्वारा कम्पनी के लाभकारी कारोबार वाले संस्थान के दर्ज और भविष्य में कम्पनी के प्रचालनों को प्रभावित करने वाले उल्लेखनीय और महत्वपूर्ण आदेशों का ब्यौरा

कोई नहीं

3. Plans for 2015-16

We plan to grow by around 15 % in the year 2015-16. The completion up to April 2015 was Rs. 817.32 crores (comparative amount of Rs. 742.74 crores upto April 2013) registering a growth rate of 10.04 %. The Company plans to open 100 more extension counters and micro offices in unrepresented areas for strengthening retail business & participating actively in Project Financial Inclusion of Government of India. We also plan to open dedicated offices for increasing the bancassurance business. The Company will also continue to take measures to adopt more prudent & effective underwriting especially in health segments. Health will be given a push by engaging with Brokers pragmatically without affecting the economics of premium rates of Group Health policies. New Health policies with no frills will be filed and marketed to provide cover to the persons just above poverty line. This will not only provide the Health cover to those who need the same the most but will also increase the growth of Health insurance. By active participation in Project Financial inclusion of Government of India and Fresh recruitment of agents for Sampurna Vittiya Samaveshan (SVS) launched by new Govt., the business penetration in rural areas will be increased further. The Company also plans to roll out HRMS in current financial year

4. Change in the nature of business, if any

There was no change in the nature of business carried on by the Company during the year under review.

5. Material changes and commitments, if any, affecting the financial position of the company which have occurred between the end of the financial year of the company to which the financial statements relate and the date of the report

No changes as aforesaid have taken place.

6. Details of significant and material orders passed by the regulators or courts or tribunals impacting the going concern status and company's operations in future

None



7. अनुषंगी/संयुक्त उद्यम/सहयोगी कम्पनियों का ब्यौरा कम्पनी के पूर्ण स्वामित्व वाली एक अनुषंगी कम्पनी है, जेसा कि नीचे ब्यौरा दिया गया है:

| क्र. सं. | अनुषंगी कम्पनी का नाम | कुल प्रदत्त शेयर पूंजी | द ओरिएण्टल इंड्योरेंस कम्पनी लिमिटेड की : धारिता |
|----------|--------------------------------------|------------------------|--|
| 1 | द इंडस्ट्रीयल क्रेडिट कम्पनी लिमिटेड | रु. 5 लाख | 100 % |

कम्पनी की दो संयुक्त उद्यम सहयोगी कम्पनियां हैं, जिनका ब्यौरा निम्नानुसार है:

| क्र. सं. | संयुक्त उद्यम सहयोगी कम्पनी का नाम | कुल प्रदत्त शेयर पूंजी | द ओरिएण्टल इंड्योरेंस कम्पनी लिमिटेड की : धारिता |
|----------|--|------------------------|--|
| 1 | हैल्थ इंड्योरेंस टीपीए ऑफ इंडिया लिमिटेड | रु. 20 करोड़ | 23.75 % |
| 2 | इंडिया इंटरनेशनल इंड्योरेंस प्रा. लि. सिंगापुर | 5 करोड़ सिंगापुर डॉलर | 20 % |

8. प्रत्येक अनुषंगी, सहयोगी और संयुक्त उद्यम कम्पनी के निष्पादन और वित्तीय स्थिति का ब्यौरा समेकित वित्तीय विवरणिका में शामिल है। अनुषंगी (ICC) में कोई कारोबार नहीं है और सहयोगी कम्पनी अर्थात हैल्थ टीपीए ऑफ इंडिया लि. (HITPA) में अभी कारोबार आरंभ किया जाना है। अन्य सहयोगी एक विदेशी कम्पनी है और इसे इस वर्ष सीएफएस में शामिल किए जाने से छूट प्राप्त है।

9. जमा राशियां

कम्पनी द्वारा समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोई जमा राशि स्वीकृत नहीं की गई।

10. सांविधिक लेखा परीक्षक

मैसर्स केपीएमआर एंड एसोशिएट्स, नई दिल्ली और मैसर्स मान एंड कम्पनी, नई दिल्ली को कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 139 के अंतर्गत भारत के

7. Details of Subsidiary/Joint Ventures/Associate Companies

The Company has one wholly owned subsidiary as detailed below:

| S. No. | Name of the Subsidiary | Total Paid up Share Capital | % Holding of the Oriental Insurance Company Limited |
|--------|---------------------------------------|-----------------------------|---|
| 1 | The Industrial Credit Company Limited | Rs 5 Lakhs | 100 % |

The Company has two associate companies, detailed below:

| S. No. | Name of the Joint Venture Associate Company | Total Paid up Share Capital | % Holding of the Oriental Insurance Company Limited |
|--------|--|-----------------------------|---|
| 1 | Health Insurance TPA of India Limited | Rs. 20 Crores | 23.75 % |
| 2 | India International Insurance Pte Ltd. Singapore | SGD 5 Crores | 20 % |

8. Performance and financial position of each of the subsidiaries, associates and joint venture companies included in the consolidated financial statement.

There is no business in the Subsidiary (ICC) and business has yet to start in the Associate Company viz. Health TPA of India Ltd. (HITPA). The other associate is a foreign Company and is exempt this year to be incorporated in CFS.

9. Deposits

No deposits were accepted by the Company during the year under review.

10. Statutory Auditors

M. /s. KPMR & Associates, New Delhi and M/s. S. Mann & Company, New Delhi were appointed



नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा वर्ष 2014-15 के लिए केंद्रीय सांविधिक लेखा परीक्षकों के तौर पर, और कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(4) के साथ पठनीय धारा 139 के अंतर्गत समेकित वित्तीय विवरणिकाओं के लेखा परीक्षकों के तौर पर भी, नियुक्त किया गया:

सभी प्रभागीय कार्यालयों में, वर्ष 2014-15 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की नियुक्ति की गई। हम अपने सभी लेखा परीक्षकों का उनके मूल्यवान सहयोग और मार्गदर्शन के लिए आभार प्रकट करते हैं।

11. लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

लेखापरीक्षकों की टिप्पणियां और उन पर हमारे उत्तर निम्नानुसार हैं:

1. बीमा व्यवसाय में लगे व्यक्तियों या निकायों से/को देय शेष, अंतरणकर्ता कम्पनियों में आरक्षित जमा, एजेंटों के शेष, छोटे कर्जदारों देनदारों, छोटे लेनदारों के शेष, कर्मचारी शेष और अग्रिम समाशोधन/अभिपुष्टि के लिए लंबित हैं। (टिप्पणी 26 का संदर्भ लें)। अभिपुष्टि/समाशोधन पर समायोजनों के परिणामी प्रभावों, यदि कोई हों, का आकलन नहीं किया जा सकता।

उत्तर: जिन अन्य निकायों/व्यक्तियों के साथ ओरिएण्टल कारोबारी सहभागिता के समझौते कर रही है, उनके साथ अनुसरण कार्रवाई के लिए, महाप्रबंधक के पर्यवेक्षण के अधीन एक उपयुक्त प्रणाली मौजूद है। शेषों की पुष्टि और रिकवरी के लिए अन्य कम्पनियों के साथ नियमित अनुसरण और सम्पन्न कार्रवाई की जाती है। एजेंटों, लेनदारों, देनदारों आदि से/को देय शेष राशियों के लिए प्रमाणपत्र भी प्राप्त किए जा रहे हैं। वसूलियों के लिए भी नियमित और अनुसरण कार्रवाई की जाती है। कर्मचारियों को/से शेष राशियों का समायोजन/वसूली वेतन के माध्यम से की जाती है।

2. कम्पनी द्वारा समय समय पर अनेक दावों का परित्याग किया गया है। इनमें से कतिपय संख्या में दावेदार विभिन्न मंचों पर मुकद्दमेबाजी में संलिप्त हैं। कम्पनी की लाभप्रदता पर वित्तीय प्रभाव, यदि कोई हो, अनिश्चित बने हुए हैं।

उत्तर: दावों के लिए प्रावधान उन सभी परिवादी दावों के मामलों में किए जाते हैं जिनमें कम्पनी के संबंधित

as Central Statutory Auditors for the year 2014-15 by the Comptroller and Auditor General of India under Sec 139 of the Companies Act 2013 and also as auditors of Consolidated Financial Statements under section 139 read with section 129(4) of the Companies Act, 2013:

At all the Divisional Offices, auditors were appointed for the year 2014-15 by the Comptroller and Auditor General of India. We convey our thanks to all our auditors for their valuable cooperation and guidance.

11. Auditors' Report

The comments by Auditors and our Replies thereto are as hereunder;

1. Balance due to/from persons or bodies carrying on Insurance business, Reserve Deposit with ceding companies, Agent balances, Sundry Debtors, Sundry Creditors, Employees balances and Advances are pending reconciliation/confirmation (**Refer Note 26**). Consequential effect, if any, of adjustments upon confirmation/reconciliation, is not ascertainable.

Reply: A proper system has been put in place, under the supervision of a General Manager, for follow up with other bodies/persons with whom Oriental is entering into business sharing arrangements. There is regular follow-up and liaison with other companies for confirmation and recovery of balances. Certificates are also being obtained from agents, debtors, creditors, etc., for balances due to/from. Regular and proper follow-up is also done for recoveries. Balances due to/from employees are adjusted/recovered through salary.

2. Various claims have been repudiated by the company from time to time. Out of these certain numbers of claimants have gone into litigations at various forums. Financial impact if any on the profitability of the company remains indeterminate.

Reply: Claim provisions are made in the books of the Company in all cases of litigated claims where the Company's dealing advocates are of



वकीलों का यह मत रहता है कि न्यायालय के निर्णय कम्पनी के विरुद्ध जाने की संभावना है। इस प्रकार, ऐसे परित्यागे गए दावों के वित्तीय प्रभावों को कम्पनी की लाभप्रदता में लेखे में लिया जाता है। कम्पनी ने इस मामले में अनुबंध I-लेखाकरण नीतियां और टिप्पणियां के बिंदु संख्या 5.1.ई पर एक लेखाकरण नीति भी निर्धारित की है।

3. पिछले पांच वर्षों के दौरान सेवारत कर्मचारियों से संबंधित उपदान की खाते में रु. 14856.73 लाख की अतिरिक्त देनदारी का परिशोधन किया जा चुका है और, जैसी कि आईआरडीएआई द्वारा अनुमति दी गई है, रु. 2971.35 लाख की 1६ देनदारी चाले वर्ष में राजस्व/लाभ-हानि लेखे में प्रभारित की गई है।

तथापि, आईसीएआई द्वारा कर्मचारी लाभों पर जारी लेखाकरण मानक (संशोधित) के अनुसार, सम्पूर्ण देनदारी को लाभ-हानि लेखे पर प्रभारित किया जाना अपेक्षित है। परिणामस्वरूप चालू वर्ष के लाभ में रु. 2971.35 करोड़ की कमी की गई है।

उत्तर: आईआरडीएआई के दिनांक 18/04/2011 के परिपत्र संख्या आईआरडीएआई/F&A/CIR/ACT/069/04/2011 के आधार पर वर्ष 2010-11 से आरंभ करके 5 वर्ष की अवधि के दौरान उपदान की सर्वधिकृत सीमाओं के खाते में रु.14856.73 लाख की अतिरिक्त देनदारी का परिशोधन किया गया। प्राधिकरण द्वारा पीएसयू बीमा कम्पनियों को यह विशेष व्यवस्था कम्पनी के ऋणशोधन मार्जिन और निष्पादन परिणामों पर बेजा दबाव का शमन करने के उद्देश्य से प्रदान की गई थी। रु. 2971.35 लाख की परिशोधन राशि की अंतिम किश्त वित्त वर्ष 2014-15 में लाभमें प्रभारित की गई।

4. पुनः उत्थान बीमा प्रीमियम की राशि बिना दर्ज रह गई है जिसका संबंधित प्रभाव लेखा पर किए गए दावों पर पड़ता है जिससे संबंधित मात्रा अनिश्चित बनी हुई है।

उत्तर: हमारे केंद्रीय बीमा एप्लीकेशन INLIAS में दावों के भुगतान के समय पुनःस्थापन प्रीमियम के स्वतः लेखाकरण के लिए प्रावधान शामिल है। ऐसे प्रीमियम स्वचालित रूप से संबंधित बीमा सेगमेंट में क्रेडिट कर लिए जाते हैं।

5. कम्पनी ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अधीन प्रकटीकरण की अपेक्षाओं

the opinion that the court judgements are likely to go against the Company. Hence, the financial impacts of such repudiated claims are factored into the profitability of the Company. Company has also laid down an accounting policy in this matter at point No. 5.1.e of 'Annexure I-Accounting Policies and Notes'.

3. Additional liability of Rs.14856.73 lacs on account of Gratuity relating to serving employees have been amortized over five years and 1/5th of the liability of Rs. 2971.35 lacs have been charged to Revenue/Profit & Loss account in the current year as permitted by IRDAI. However, in terms of Accounting Standard 15 (Revised) on Employees benefits issued by ICAI, entire liability is required to be charged to Profit & Loss account. Entire liability was required to be charged to Profit & Loss Account in the year of reckoning. As a result the current year profit has decreased by Rs.2971.35 lacs.

Reply: The amortization of the additional liability of Rs. 14856.73 lacs on account of enhanced limits of gratuity, were done over a 5-year period beginning with 2010-11 on the basis of IRDAI Circular No. IRDAI/F&A/CIR/ACT/069/04/2011 dt. 18/04/2011. This special dispensation was provided by the Authority to PSU insurance companies to mitigate the undue strain on the Solvency Margin and performance results of the companies. The last instalment of the amortization amount of Rs. 2971.35 lacs was charged to profit in the financial year 2014-15.

4. Amount of reinstatement insurance premium remains un-booked having corresponding effect on the claims incurred account for which quantum remains indeterminate.

Reply: INLIAS, our core insurance application, contains provision for automatic accounting of reinstatement premium at the time of payment of claims. Such premia are automatically credited to the premium account of the insurance segment concerned.

5. The company has not complied with the requirements of disclosure under the Micro,



का अनुपालन नहीं किया है।

उत्तर: कम्पनी ने ऐसे किसी भी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उपक्रम को देय किसी भी भुगतान में न तो चूक की है न ही विलंब किया है जिनसे यह आपूर्तियां अर्जित या सेवाएं प्राप्त करती रही है।

6. आकस्मिक देनदारी से संबंधित टिप्पणी संख्या जिसमें क्र.सं. (ई) के द्वारा रु. 5671.12 लाख की सांविधिक मांगों/देनदारियां उल्लिखित की गई हैं, जिसमें आकलन वर्ष 2005-06 और 2010-11 के लिए आयकर प्राधिकारियों द्वारा लगाई गई रु. 5634.08 लाख की जुर्माने की राशि शामिल है।

उत्तर: कम्पनी द्वारा निम्नलिखित कारणों से अपनी पुस्तिकाओं में कोई प्रावधान नहीं किया गया है:

क) कम्पनी ने सीआईटी (अपील) के समक्ष अपील दायर की है और केस जीतने के अच्छे आसार हैं।

ख) मामले को माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा विधि के उल्लेखनीय प्रश्न के रूप में स्वीकृत कर लिया गया है। आय कर के अनेक निर्णयों के अनुसार, एक बार मामले को उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकृत कर लेने के बाद, इस पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जा सकता।

ग) जुर्माना निवेशों की बिक्री/ऋणमुक्ति पर लाभ पद कर की छूट/रिफंड से संबंधित है। इस मामले में बीमा कम्पनियों के पक्ष में अनेक निर्णय हो चुके हैं, जिनमें न्यायालयों ने सीबीडीटी के परिपत्र संख्या 528 पर विश्वास करके यह निर्णय दिया है कि निवेशों की बिक्री/ऋणमुक्ति पर लाभ कर में प्रभावी नहीं है।

7. कतिपय सम्पत्तियों के स्वत्वाधिकार दस्तावेजों की अनुपलब्धता से संबंधित टिप्पणी संख्या 25

उत्तर: कम्पनी के पास सम्पत्तियों के शेयर सर्टिफिकेटों या बिक्री विलेखों या पंजीकरण विवरणों जैसे दस्तावेज हैं ताकि सम्पत्ति का स्वामित्व स्पष्टतया स्थापित किया जा सके।

8. अचल सम्पत्तियों सहित स्थायी परिसम्पत्तियों के अभिलेख पूर्ण नहीं हैं और/या कतिपय मामलों की अपेक्षानुसार अनुरक्षित नहीं किए गए

Small and Medium Enterprises Development Act 2006.

Reply: Company has not defaulted, nor has it delayed, any payment due to any micro, small and medium enterprise from which it has been procuring supplies or availing service.

6. Note No.1 regarding Contingent Liability wherein vide Sr. No. (e) statutory demands / liabilities of Rs 5671.12 Lacs is mentioned which includes a sum of Rs 5634.08 Lacs of penalty imposed by the Income Tax Authorities for the AY 2005-06 and 2010-11, for which no provision has been made by the company.

Reply: No provision has been made by the Company in its books for the following reasons:

a) the Company has gone on appeal before CIT (Appeals) and has fair chance of winning the case.

b) the matter has been admitted by the Honorable High Court of Delhi as a substantial question of law. As per various income-tax rulings, once an issue is admitted by the High Court as a question of law, no penalty can be imposed on the same.

c) the penalty pertains to exemption/refund of tax on profit on sale/redemption of investments. There have been various judgments in favor of General Insurance companies in this matter, where the Courts have relied on CBDT Circular No. 528 and held that profit on sale/redemption of investments is not chargeable to tax.

7. Note No.25 regarding non-availability of title documents of certain properties.

Reply: Company is in possession of documents like Share Certificates or Sale Deeds or registration particulars of properties, so that ownership of the property can be unequivocally established.

8. Fixed Assets including immovable properties records are not complete and/or not maintained as required in certain cases.



उत्तर: कम्पनी द्वारा परिसम्पत्ति रजिस्ट्रों का उपयुक्त लेखाकरण और अनुरक्षण सुनिश्चित करने के लिए एक स्थायी परिसम्पत्त मॉड्यूल विकसित किया जा रहा है।

9. कम्पनी की आंतरिक लेखा परीक्षा/समवर्ती लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षा की कवरेज और अनुपालनों के क्षेत्रों में उल्लेखनीय सुदृढीकरण अपेक्षित है।

उत्तर: कम्पनी के आंतरिक लेखा परीक्षा तंत्र को सुदृढ बनाने के उद्देश्य से, नए कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुपालन में मुख्यालय में सीए की योग्यता रखने वाले मुख्य प्रबंधक के स्तर के अधिकारी को मुख्यालय में आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग का प्रमुख नियुक्त किया गया है।

लेखा परीक्षाओं के बीच की समय सीमा को कम करने के लिए नियमित लेखा परीक्षाएं करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। लेखा परीक्षा की टिप्पणियों की तीव्र अनुपालन और कुशल मॉनीटरिंग के लिए हमारे केंद्रीय एप्लीकेशन INLIAS में एक सॉफ्टवेयर भी समाविष्ट किया गया है।

- 10. कम्पनी द्वारा आस्थगित कर परिसम्पत्तियों की अस्वीकृति से संबंधित टिप्पणी संख्या 42**

उत्तर: कम्पनी के पास वित्त वर्ष 2014-15 तक रु. 3373.98 करोड़ तक असमाविष्ट मूल्यहास और घाटों की अगले लाभ से पूर्ति है। 'आय पर कर के लिए लेखाकरण' पर लेखाकरण मानक 22 के अनुसार, किसी उद्यम द्वारा आस्थगित कर परिसम्पत्तियों की स्वीकृति केवल उस सीमा तक की जाती है कि विश्वसनीय साक्ष्यों द्वारा समर्थित वस्तुतः यह निश्चितता हो की पर्याप्त भावी कर-योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके सापेक्ष ऐसी आस्थगित कर परिसम्पत्तियां वसूल की जा सकती हैं। वस्तुतः निश्चितता संकल्पना देखते हुए, कम्पनी केवल चालू वर्ष में लाभ के आधार अपने लेखों में आस्थगित कर परिसम्पत्ति की स्वीकृति करने में न्यायोचित नहीं है।

- 11. रु. 1914 लाख के आय कर पर ब्याज की बुकिंग से संबंधित टिप्पणी संख्या 29(IV)**

उत्तर: कम्पनी को आकलन वर्ष 1978-79 के लिए आय कर विभाग से रु. 61.74 करोड़ के रिफंड के साथ-साथ रु. 19.14 करोड़ ब्याज प्राप्त हुआ है। जिसका उपयुक्त रूप से आय कर रिफंडों पर ब्याज शीर्ष के तहत लेखाकरण किया गया है।

Reply: A fixed asset software module is being developed by the Company to ensure proper accounting and maintaining of asset registers.

9. The Internal Audit / Concurrent Audit of company require substantial strengthening in the areas of audit coverage and compliances.

Reply: In order to strengthen the Internal Audit machinery of the Company, an officer of the rank of Chief Manager having CA qualification has been appointed at the head of the Internal Audit Dept at HO in compliance of the provisions of the new Companies Act, 2013. Efforts are also underway to reduce the time gap between audits by conducting frequent audits. A software has also been incorporated into INLIAS, our core insurance application, for speedy compliance and efficient monitoring of audit queries.

10. Note no. 42 pertaining to non recognition of Deferred Tax Asset by the company.

Reply: The Company has unabsorbed depreciation and carry forward of losses to the extent of Rs.3373.98 crores up to the FY 2014-15. As per AS 22 "Accounting for Taxes on Income", deferred tax assets can be recognized by an enterprise only to the extent that there is a virtual certainty, supported by convincing evidence, that sufficient future taxable income will be available against which such deferred tax assets can be realized. Considering the virtual certainty concept, Company is not justified in recognizing deferred tax asset in its accounts merely on the basis of profit in the current year.

11. Note no. 29(IV) regarding booking of interest on Income Tax of Rs. 1914 Lacs

Reply: Company received a refund of Rs. 61.74 crores from the income-tax department for the Assessment Year 1978-79 along with an interest of Rs. 19.14 crores, which was properly accounted under the head 'Interest on income-tax refunds'.

12. Note no. 27 pertaining to change in Accounting Policy of Depreciation/ Amortization.



12. मूल्यहास/ऋणमुक्ति की लेखाकरण नीति में परिवर्तन से संबंधित टिप्पणी संख्या 27

उत्तर: मूल्यहास/ऋणमुक्ति की लेखाकरण नीति में परिवर्तन की आवश्यकता नए कम्पनी अधिनियम की वजह से पड़ी। लेखाओं पर टिप्पणियों से संबंधित टिप्पणी संख्या 27(i) में ऐसे परिवर्तन के रु. 136.44 लाख के वित्तीय प्रभाव की सूचना दी गई है। संशोधित लेखाकरण नीति का उल्लेख अनुबंध-1 लेखाकरण नीतियां और टिप्पणियां में बिंदु संख्या 9.1 और 9.2 में भी किया गया है।

12क. वार्षिक रिटर्न के उद्घरण

फॉर्म संख्या MGT – 9 में वार्षिक रिटर्न के उद्घरण बोर्ड की रिपोर्ट के साथ संलग्न हैं।

13. उर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेश और विदेशी मुद्रा आय और परिव्यय

क) उर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेश

कम्पनी किसी निर्माण गतिविधि में नहीं लगी है और कम्पनी का कोई प्रचालन उर्जा संवेदी नहीं है। इसके अतिरिक्त, कम्पनी द्वारा कोई नई प्रौद्योगिकी समावेश नहीं की है। इसलिए उर्जा संरक्षण या प्रौद्योगिकी समावेशन के संबंध में कम्पनी (लेखा) नियमावली, 2014 के अधीन इस प्रकार किसी प्रकार के विवरण का अपेक्षित प्रकटीकरण नहीं किया जा रहा है।

ख) विदेशी मुद्रा आय और परिव्ययरू

वर्ष 2014-15 के लिए कम्पनी की विदेशी मुद्रा आय रु. 164.63 करोड़ है जबकि विदेशी मुद्रा में परिव्यय रु. 334.38 करोड़ रहा है।

14. निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर)

कम्पनी (निगमित सामाजिक दायित्व नीति) नियमावली, 2014 के नियम 9 अनुसार प्रकटीकरण निदेशकों की रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

15. निदेशक:

अ) निदेशक मंडल और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

निदेशक मंडल और इसकी समितियां

कम्पनी के निदेशक मंडल में बीमा, बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्रों के विशेषज्ञों का उत्तम मिश्रण शामिल है। दिनांक 31 मार्च, 2015 को कम्पनी के निदेशक

Reply: The change in accounting policy of depreciation/amortization has been necessitated due to the new Companies Act. The financial impact of Rs. 136.44 lacs of such a change has been reported in the 'Notes to Accounts'. Note No. 27(i). The revised accounting policy has also been mentioned in 'Annexure-I Accounting Policies and Notes' vide Point Nos. 9.1 and 9.2.

12a. Extract of the annual return

The extract of the annual return in Form No. MGT – 9 is annexed to the Board's report

13. Conservation of energy, technology absorption and foreign exchange earnings and outgo

A. Conservation of energy, technology absorption

The Company is not engaged in any manufacturing activity and the operations of the Company are no energy intensive. Further, no new technology has been absorbed by the Company. Hence no particulars required as such to be disclosed under the Companies (Accounts) Rules, 2014 as regards conservation of energy or technologies absorption are being given.

B. Foreign exchange earnings and Outgo:

The Company's foreign exchange earnings for the year 2014-15 are Rs. 164.63 crores whereas the outgo in foreign currency has been Rs. 334.38 crores.

14. Corporate Social Responsibility (CSR)

The disclosures as per Rule 9 of Companies (Corporate Social Responsibility Policy) Rules, 2014 are annexed to the Director's Report

15. Directors:

A) Board of Directors and Key Managerial Personnel

BOARD OF DIRECTORS & ITS COMMITTEES

The Board of Directors of the Company consists of a perfect blend of experts from



मंडल की संरचना निम्नानुसार है:

1. डॉ. ए.के. सक्सेना, अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक
2. श्री जतिंदरबीर सिंह, आईएएस, निदेशक
3. डॉ. एन. श्रीनिवास राव, निदेशक
4. श्रीमती कौशलया राय, निदेशक
5. श्री विजय गर्ग, निदेशक
6. श्री ए.एस. बाली, निदेशक
7. श्री कुलदीप सिंह, पूर्णकालिक निदेशक
8. श्री सुजाय बनर्जी, पूर्णकालिक निदेशक

निदेशकों की पिछली रिपोर्ट अर्थात् 15 मई, 2014 के बाद से बोर्ड की संरचना में निम्नलिखित परिवर्तन हुए हैं

1. श्री जतिंदरबीर सिंह, आईएएस, अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक, पंजाब एंड सिंध बैंक को 23 मार्च, 2015 से कम्पनी के बोर्ड में निदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया।
2. श्री एस.एल. बंसल, अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक, ओरिएण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स, सेवानिवृत्ति होने पर, दिनांक 30 सितंबर, 2014 से कम्पनी के निदेशक नहीं रहे।
3. कम्पनी के महाप्रबंधक श्री सुजाय बनर्जी को दिनांक 17 जुलाई, 2014 से कम्पनी के बोर्ड में पूर्णकालिक निदेशक नियुक्त किया गया।

बोर्ड की बैठकों का ब्यौरा:

वर्ष के दौरान, बोर्ड की बैठक छह (6) बार अर्थात् 24 अप्रैल, 2014, 15 मई, 2014, 12 अगस्त, 2014, 8 नवम्बर, 2014, 6 फरवरी, 2015 और 19 मार्च, 2015 को हुई। उक्त बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति का ब्यौरा निम्नानुसार है:

| निदेशक | उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकों की संख्या | बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित रहे |
|----------------------------|---|-------------------------------------|
| डॉ. ए.के. सक्सेना | 6 | 6 |
| श्री जतिंदरबीर सिंह, आईएएस | शून्य | शून्य |
| श्री एस.एल. बंसल | 3 | 2 |
| डॉ. एन. श्रीनिवास राव | 6 | 6 |

the fields of Insurance, Banking and finance sectors of the Company as on 31st March, 2015 is as under:

1. Dr. A. K. Saxena, Chairman-cum-Managing Director
2. Shri Jatinderbir Singh, IAS, Director
3. Dr. N. Srinivasa Rao, Director
4. Mrs. Kaushalya Roy, Director
5. Shri Vijay Garg, Director
6. Shri A. S. Bali, Director
7. Shri Kuldip Singh, Wholetime Director
8. Shri Sujay Banarji, Wholetime Director

The Board underwent the following changes in its composition since the date of last directors' report i.e. 15th May, 2014:

1. Shri Jatinderbir Singh, IAS, Chairman & Managing Director, Punjab & Sind Bank, was appointed as a Director on the Board of the Company w.e.f. 23rd March, 2015.
2. Shri S. L. Bansal, Chairman & Managing Director, Oriental bank of Commerce, on attaining superannuation, ceased to be Director of the Company w.e.f. 30th September, 2014.
3. Shri Sujay Banarji, General Manager of the Company, was appointed as a Whole-time Director on the Board of the Company w.e.f. 17th July, 2014

BOARD MEETING DETAILS:

During the year, the Board met Six (6) times viz. on 24th April, 2014, 15th May, 2014, 12th August, 2014, 8th November, 2014, 6th February, 2015 and 19th March, 2015. The attendance of the Directors at the said meetings is as below:

| Director | No. of Meetings held in his / her tenure | No. of Meetings attended |
|-----------------------------|--|--------------------------|
| Dr. A. K. Saxena | 6 | 6 |
| Shri Jatinderbir Singh, IAS | NIL | NIL |
| Shri S. L. Bansal | 3 | 2 |



| | | |
|---------------------|---|---|
| श्रीमती कौशल्या राय | 6 | 6 |
| श्री विजय गर्ग | 6 | 4 |
| श्री ए.एस. बाली | 6 | 5 |
| श्री कुलदीप सिंह | 6 | 6 |
| श्री सुजाय बनर्जी | 4 | 3 |

श्री वाई.पी. सभरवाल, परामर्शदाता बीमाकिक और श्री निखिल गुप्ता, नियुक्त बीमाकिक वर्ष के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकों में उपस्थित थे।

बोर्ड की बैठक, वित्त वर्ष 2014-15 के लिए लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणिकाओं के अनुमोदन के लिए, दिनांक 15 मई, 2015 को भी हुई।

लेखा परीक्षा समिति का ब्यौरा)

लेखा परीक्षा समिति, अन्य बातों के साथ-साथ, बोर्ड में प्रस्तुत किए जाने से पहले वित्तीय विवरणिकाओं और वित्तीय रिपोर्टिंग, आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य और संबंधित कार्य का पर्यवेक्षण करती है।

वर्ष के दौरान, समिति की बैठक छह (6) बार अर्थात् 24 अप्रैल, 2014, 15 मई, 2014, 12 अगस्त, 2014, 8 नवम्बर, 2014, 6 फरवरी, 2015 और 19 मार्च, 2015 को हुई। उक्त बैठकों में समिति के सदस्यों की उपस्थिति का ब्यौरा निम्नानुसार है:

| निदेशक | उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकों की संख्या | बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित रहे |
|-----------------------|---|-------------------------------------|
| डॉ. एन. श्रीनिवास राव | 4 | 4 |
| श्री एस.एल. बंसल | 2 | 1 |
| श्री विजय गर्ग | 4 | 2 |
| श्री ए.एस. बाली | 4 | 3 |
| श्री कुलदीप सिंह | 4 | 4 |

निवेश समिति का ब्यौरा:

निवेश समिति की संरचना आईआरडीएआई (निवेश) विनियमावली 2000 के यथा संशोधित प्रावधानों और आईआरडीएआई द्वारा समय समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार है। वर्ष के दौरान निवेश समिति की बैठक पांच (5) बार अर्थात् अप्रैल, 2014, मई, 2014, अगस्त, 2014, नवम्बर, 2014 और फरवरी, 2015 को हुई। उक्त बैठकों में समिति के सदस्यों की उपस्थिति का ब्यौरा निम्नानुसार है:

| | | |
|----------------------|---|---|
| Dr. N. Srinivasa Rao | 6 | 6 |
| Mrs. Kaushalya Roy | 6 | 6 |
| Shri Vijay Garg | 6 | 4 |
| Shri A. S. Bali | 6 | 5 |
| Shri Kuldip Singh | 6 | 6 |
| Shri Sujay Banarji | 4 | 3 |

Shri Y. P. Sabharwal, Consulting Actuary and Shri Nikhil Gupta, Appointed Actuary, were present in the Board meetings held during the year.

The Board also met on 15th May, 2015, for approval of Audited Financial Statements for the financial year 2014-15.

AUDIT COMMITTEE DETAILS:

The Audit Committee inter-alia oversees the financial statements and financial reporting before submission to the Board, Internal audit function and the related work.

During the year, the Committee met Six (6) times viz. on 24th April, 2014, 15th May, 2014, 12th August, 2014, 8th November, 2014, 6th February, 2015 and 19th March, 2015. The attendance of the Members of the Committee at the said meetings is as below:

| Director | No. of Meetings held in his / her tenure | No. of Meetings attended |
|----------------------|--|--------------------------|
| Dr. N. Srinivasa Rao | 4 | 4 |
| Shri S. L. Bansal | 2 | 1 |
| Shri Vijay Garg | 4 | 2 |
| Shri A. S. Bali | 4 | 3 |
| Shri Kuldip Singh | 4 | 4 |

INVESTMENT COMMITTEE DETAILS:

The composition of Investment Committee is in accordance with the provisions of the IRDAI (Investment) Regulations 2000 as amended and the Guidelines issued thereby by IRDAI from time to time. During the year, the



| निदेशक | उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकों की संख्या | बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित रहे |
|-----------------------|---|-------------------------------------|
| डॉ. ए.के. सक्सेना | 5 | 5 |
| श्री एस.एल. बंसल | 3 | 2 |
| डॉ. एन. श्रीनिवास राव | 5 | 4 |
| श्रीमती कौशल्या राय | 5 | 5 |
| श्री विजय गर्ग | 5 | 3 |
| श्री ए.एस. बाली | 5 | 4 |
| श्री ए.के. मित्तल | 5 | 5 |
| श्री एम.एन. शर्मा | 3 | 3 |
| श्रीमती के. रमादेवी | 2 | 2 |
| श्री निखिल गुप्ता | 2 | 2 |

अपील एवं स्मारक समिति का ब्यौरा:

कतिपय श्रेणियों के कर्मचारियों/मामलों के लिए अपीलीय प्राधिकरण और स्मारक के लिए प्राधिकरण के तौर पर बोर्ड की उप-समिति विहित की गई है। उप-समिति का गठन सामान्य बीमा (आचरण, अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1975 के संशोधन के परिणामस्वरूप किया गया था जिसे दिनांक 23.12.2004 को आयोजित बोर्ड की 351वीं बैठक में विधिवत अनुमोदित किया गया था। अब सामान्य बीमा (आचरण, अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1975 का स्थान ओरिएण्टल बीमा कम्पनी (आचरण, अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2014 ने ले लिया है जिसे दिनांक 24.04.2014 को आयोजित बोर्ड की 419वीं बैठक में विधिवत अनुमोदित किया गया था।

ओरिएण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री एस.एल. बंसल की अधिवार्षिता के परिणामस्वरूप उनकी बोर्ड से सेवानिवृत्ति उप-समिति की गठन प्रक्रिया वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित बैंक के नामित निदेशक की नियुक्ति तक रोक कर रखी गई।

वर्ष के दौरान उक्त समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

पारिश्रमिक समिति (सीएमडी की पीएलआई के लिए) का ब्यौरा

पारिश्रमिक समिति का गठन, वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग द्वारा दिनांक 20 जुलाई, 2007 के पत्र संदर्भ

Investment Committee met five (5) times viz. on 24th April, 2014, 15th May, 2014, 12th August, 2014, 8th November, 2014 and 6th February, 2015. The attendance of the Members of the Committee at the said meetings is as below:

| Director | No. of Meetings held in his / her tenure | No. of Meetings attended |
|----------------------|--|--------------------------|
| Dr. A. K. Saxena | 5 | 5 |
| Shri S. L. Bansal | 3 | 2 |
| Dr. N. Srinivasa Rao | 5 | 4 |
| Mrs. Kaushalya Roy | 5 | 5 |
| Shri Vijay Garg | 5 | 3 |
| Shri A. S. Bali | 5 | 4 |
| Shri A. K. Mittal | 5 | 5 |
| Shri M. N. Sarma | 3 | 3 |
| Mrs. K. Ramadevi | 2 | 2 |
| Shri Nikhil Gupta | 2 | 2 |

APPEAL & MEMORIAL COMMITTEE DETAILS:

The sub-committee of the Board has been prescribed as the Appellate Authority and the Authority for Memorial for certain categories of employees / cases. The Sub-committee was constituted consequent upon the amendment of General Insurance (Conduct, Discipline & Appeal) Rules, 1975 which was duly approved in the 351st Board Meeting held on 23.12.2004. The General Insurance (Conduct, Discipline & Appeal) Rules, 1975 is now replaced with The Oriental Insurance Company (Conduct, Discipline & Appeal) Rules, 2014 which were duly approved in the 419th Board Meeting held on 24/04/2014.

The constitution of Sub-Committee was kept in abeyance consequent to retirement of Shri S. L. Bansal, Chairman & Managing Director of The Oriental Bank of Commerce after attaining the age of superannuation, from the Board of the Company, till the time fresh appointment of Bank Nominee Director was notified by the Ministry of Finance.

No meeting of the said Committee was held during the year



संख्या F.No.S-11012/01/2007-Ins.III द्वारा दिए गए निदेश के अनुसार निष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन राशि (पीएलआई) के भुगतान के उद्देश्य से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए किया गया था।

मंत्रालय से मांगे गए स्पष्टीकरणों के उत्तरों के लंबित रहने की वजह से वर्ष 2014-15 में समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

जोखिम प्रबंधन समिति का ब्यौरा

जोखिम प्रबंधन समिति का गठन आईआरडीएआई द्वारा दिनांक 5 अगस्त, 2009 के परिपत्र संदर्भ संख्या IRDAI/F&A/CIR/025/2009-10 द्वारा जारी निगमित शासन संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया था। वर्ष के दौरान, जोखिम प्रबंधन समिति की बैठक चार (4) बार अर्थात् दिनांक 27 जून, 2014, 8 सितम्बर, 2014, 17 नवम्बर, 2014 और 28 जनवरी, 2015 को आयोजित की गई। उक्त बैठकों में समिति के सदस्यों की उपस्थिति का ब्यौरा निम्नानुसार है:

| निदेशक | उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकों की संख्या | बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित रहे |
|-----------------------|---|-------------------------------------|
| डॉ. ए.के. सक्सेना | 4 | 4 |
| डॉ. एन. श्रीनिवास राव | 4 | 2 |
| श्रीमती कौशल्या राय | 4 | 4 |
| श्री कुलदीप सिंह | 4 | 3 |

पॉलिसीधारक संरक्षण समिति का ब्यौरा

पॉलिसीधारक संरक्षण समिति का गठन आईआरडीएआई द्वारा दिनांक 5 अगस्त, 2009 के परिपत्र संदर्भ संख्या IRDAI/F&A/CIR/025/2009-10 द्वारा जारी निगमित शासन संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया था। वर्ष के दौरान, पॉलिसीधारक संरक्षण समिति की बैठक चार (4) बार अर्थात् दिनांक 27 जून, 2014, 8 सितम्बर, 2014, 17 नवम्बर, 2014 और 28 जनवरी, 2015 को आयोजित की गई। उक्त बैठकों में समिति के सदस्यों की उपस्थिति का ब्यौरा निम्नानुसार है:

REMUNERATION COMMITTEE (FOR CMD'S PLI) DETAILS

The Remuneration Committee was constituted to evaluate performance of the Chairman-cum-Managing Director, for payment of Performance Linked Incentive (PLI) as directed by The Department of Financial Services, Ministry of Finance, vide letter Ref. No. F.No.S-11012/01/2007-Ins.III dated 20th July, 2007.

No meeting of the Committee was held in the year 2014-15 due to pending replies to clarifications sought from Ministry

RISK MANAGEMENT COMMITTEE DETAILS

The Risk Management Committee was constituted in accordance with the guidelines on Corporate Governance issued by IRDAI vide its circular ref: IRDAI/F&A/CIR/025/2009-10 dated 5th August, 2009. During the year, the Risk Management Committee met four (4) times viz. on 27th June, 2014, 8th September, 2014, 17th November, 2014 and 28th January, 2015. The attendance of the Members of the Committee at the said meetings is as below:

| Director | No. of Meetings held in his / her tenure | No. of Meetings attended |
|----------------------|--|--------------------------|
| Dr. A. K. Saxena | 4 | 4 |
| Dr. N. Srinivasa Rao | 4 | 2 |
| Mrs. Kaushalya Roy | 4 | 4 |
| Shri Kuldip Singh | 4 | 3 |

POLICYHOLDER'S PROTECTION COMMITTEE DETAILS

The Policyholder's Protection Committee was constituted in accordance with the guidelines on Corporate Governance issued by IRDAI vide its circular ref: IRDAI/F&A/CIR/025/2009-10 dated 5th August, 2009. During the year, the Policyholder's Protection Committee met four (4) times viz. on 27th June, 2014, 8th September, 2014, 17th November, 2014 and 28th January, 2015. The attendance of the Members of the



| निदेशक | उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकों की संख्या | बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित रहे |
|-----------------------|---|-------------------------------------|
| डॉ. ए.के. सक्सेना | 4 | 4 |
| डॉ. एन. श्रीनिवास राव | 4 | 2 |
| श्रीमती कौशल्या राय | 4 | 4 |
| श्री कुलदीप सिंह | 4 | 3 |

नैतिक समिति का ब्यौरा

नैतिक समिति का गठन आईआरडीएआई द्वारा दिनांक 5 अगस्त, 2009 के परिपत्र संदर्भ संख्या IRDAI/F&A/CIR/025/2009-10 द्वारा जारी निगमित शासन संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया था।

वर्ष के दौरान समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई।

सूचना प्रौद्योगिकी समिति का ब्यौरा

इस समिति का गठन कम्पनी की आईटी संबंधी पहलों पर और अधिक ध्यान देने और साथ ही यह सुनिश्चित करने के लिए भी किया गया था कि आईटी संबंधी पहलें कारोबारी उद्देश्यों के समनुरूप हैं। वर्ष के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी समिति की बैठक दो (2) बार अर्थात् 1 मई, 2014 और 4 फरवरी, 2015 को आयोजित की गई। उक्त बैठकों में समिति के सदस्यों की उपस्थिति का ब्यौरा निम्नानुसार है:

| निदेशक | उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकों की संख्या | बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित रहे |
|-----------------------|---|-------------------------------------|
| डॉ. ए.के. सक्सेना | 2 | 2 |
| डॉ. एन. श्रीनिवास राव | 2 | 2 |
| श्री कुलदीप सिंह | 2 | 2 |
| श्री के.के. राव | 1 | 1 |
| श्री ए.के. मित्तल | 1 | 1 |
| श्री एम.एन. शर्मा | 1 | 1 |
| श्रीमती के. रमादेवी | 1 | 1 |

सम्पत्ति समीक्षा समिति का ब्यौरा

बोर्ड की सम्पत्ति समीक्षा समिति का गठन कम्पनी द्वारा धारित सम्पत्तियों के मामलों और अन्य सम्पदा संबंधी मामलों की समीक्षा के लिए वित्त मंत्रालय से प्राप्त

Committee at the said meetings is as below:

| Director | No. of Meetings held in his / her tenure | No. of Meetings attended |
|----------------------|--|--------------------------|
| Dr. A. K. Saxena | 4 | 4 |
| Dr. N. Srinivasa Rao | 4 | 2 |
| Mrs. Kaushalya Roy | 4 | 4 |
| Shri Kuldip Singh | 4 | 3 |

ETHICS COMMITTEE DETAILS

The Ethics Committee was constituted in accordance with the guidelines on Corporate Governance issued by IRDAI vide its circular ref: IRDAI/F&A/CIR/025/2009-10 dated 5th August, 2009.

No meeting of the Committee was held during the year.

IT COMMITTEE DETAILS

The Committee was constituted to lend more focus to the IT initiatives of the Company and also to ensure that the IT initiatives are in tune with the business objectives. During the year, the IT Committee met two (2) times viz. on 1st May, 2014 and 4th February, 2015. The attendance of the Members of the Committee at the said meetings is as below:

| Director | No. of Meetings held in his / her tenure | No. of Meetings attended |
|----------------------|--|--------------------------|
| Dr. A. K. Saxena | 2 | 2 |
| Dr. N. Srinivasa Rao | 2 | 2 |
| Shri Kuldip Singh | 2 | 2 |
| Shri K. K. Rao | 1 | 1 |
| Shri A. K. Mittal | 1 | 1 |
| Shri M. N. Sarma | 1 | 1 |
| Mrs. K. Ramadevi | 1 | 1 |

PROPERTY REVIEW COMMITTEE DETAILS

The Property Review Committee of the Board was constituted in terms of the directives received from Ministry of Finance to review the matters of properties held



निदेशों के अनुसार किया गया था। वर्ष के दौरान सम्पत्ति समीक्षा समिति की बैठक चार बार (4) अर्थात् दिनांक 27 जून, 2014, 8 सितम्बर, 2014, 17 नवम्बर, 2014 और 28 जनवरी, 2015 को हुई। उक्त बैठकों में समिति के सदस्यों की उपस्थिति का ब्यौरा निम्नानुसार है:

| निदेशक | उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकों की संख्या | बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित रहे |
|----------------------|---|-------------------------------------|
| Dr. A. K. Saxena | 4 | 4 |
| Dr. N. Srinivasa Rao | 4 | 2 |
| Mrs. Kaushalya Roy | 4 | 4 |
| Shri Kuldip Singh | 4 | 3 |

निगमित शासन समिति

बोर्ड की निगमित शासन समिति का गठन कम्पनी की सीएसआर नीति अनुमोदित करने और इसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए निगमित कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 27 फरवरी, 2014 की राजपत्र अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 129 (E) द्वारा अधिसूचित कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अनुसार किया गया था। निगमित शासन समिति बैठक पांच (5) बार अर्थात् दिनांक 12 अगस्त, 2014, 23 सितम्बर, 2014, 8 नवम्बर, 2014, 6 फरवरी, 2015 और 19 मार्च, 2015 को उक्त बैठकों में समिति के सदस्यों की उपस्थिति का ब्यौरा निम्नानुसार है:

| निदेशक | उनके कार्यकाल में आयोजित बैठकों की संख्या | बैठकों की संख्या जिनमें उपस्थित रहे |
|---------------------|---|-------------------------------------|
| श्रीमती कौशल्या राय | 5 | 5 |
| श्री एस.एल. बंसल | 2 | 1 |
| श्री ए.एस. बाली | 5 | 4 |
| श्री कुलदीप सिंह | 5 | 5 |

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

कम्पनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियमावली 2014 के नियम 8 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 203(1) के अनुसरण में, बोर्ड की दिनांक 12 अगस्त, 2014 को आयोजित बैठक में प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के रूप में निम्नलिखित की नियुक्ति की गई:

by the Company and other Estate related Matters. During the year, the Property Review Committee met four (4) times viz. on 27th June, 2014, 8th September, 2014, 17th November, 2014 and 28th January, 2015. The attendance of the Members of the Committee at the said meetings is as below:

| Director | No. of Meetings held in his / her tenure | No. of Meetings attended |
|----------------------|--|--------------------------|
| Dr. A. K. Saxena | 4 | 4 |
| Dr. N. Srinivasa Rao | 4 | 2 |
| Mrs. Kaushalya Roy | 4 | 4 |
| Shri Kuldip Singh | 4 | 3 |

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY COMMITTEE DETAILS

The Corporate Social Responsibility Committee of the Board was constituted in terms of the Section 135 of Companies Act 2013 notified vide Gazette notification no. G. S. R. 129 (E) dated 27th February, 2014 issued by Ministry of Corporate Affairs to approve the CSR Policy of the Company and ensure its implementation. During the year, the Corporate Social Responsibility Committee met five (5) times viz. on 12th August, 2014, 23rd September, 2014, 8th November, 2014, 6th February, 2015 and 19th March, 2015. The attendance of the Members of the Committee at the said meetings is as below:

| Director | No. of Meetings held in his / her tenure | No. of Meetings attended |
|--------------------|--|--------------------------|
| Mrs. Kaushalya Roy | 5 | 5 |
| Shri S. L. Bansal | 2 | 1 |
| Shri A. S. Bali | 5 | 4 |
| Shri Kuldip Singh | 5 | 5 |

KEY MANAGERIAL PERSONNEL

Pursuant to Section 203(1) of the Companies Act 2013 read with Rule 8 of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial personnel) Rule 2014, following were appointed as Key Managerial Personnel



1. श्री ए.के. सक्सेना, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशकए
2. श्रीमती रश्मि बाजपेयी, कम्पनी सचिव और
3. श्रीमती के. रमादेवी, मुख्य वित्तीय अधिकारी और महाप्रबंधक

ख) स्वतंत्र निदेशक ;निदेशकोंद्वारा घोषणा और पुनः नियुक्ति, यदि कोई हो

श्रीमती कौशलया रॉय, श्री विजय गर्ग और श्री ए.एस. बाली ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 की उप-धारा (6) में किए गए प्रावधान के अनुसार स्वतंत्रता के मापदंडों को पूरा करने से संबंधित घोषणा प्रस्तुत की है।

ग) औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन

दिनांक 19 मार्च, 2015 को आयोजित बोर्ड की बैठक में निदेशक मंडल को सूचित किया गया कि कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार, स्वतंत्र निदेशकों के निष्पादन का मूल्यांकन पूरे बोर्ड द्वारा किया जाएगा, सिवाय उन स्वतंत्र निदेशकों के, जिनका मूल्यांकन किया जा रहा हो। बोर्ड ने इस पर विचार करने और स्वतंत्र निदेशकों के मूल्यांकन के लिए तंत्र विकसित करने पर सहमति प्रदान की।

16. निदेशकों और कर्मचारियों के लिए सतक्रता तंत्र की स्थापना का ब्यौरा

व्हिसल ब्लोअर नीति कम्पनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

17. धारा 186 के अधीन ऋणों, गारंटियों या निवेशों के विवरण

कोई नहीं

18. संबंधित पक्षकारों के साथ करारों या समझौतों के विवरण:

फॉर्म एओसी.2 में उक्त ब्यौरा निदेशकों की रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

19. प्रबंधकीय पारिश्रमिक:

क) कम्पनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियमावली 2014 के नियम 5(2) के अनुसरण में यथोपेक्षित कम्पनी के प्रत्येक कर्मचारी का ब्यौरा

कोई नहीं

in the Board meeting held on 12th August, 2014

1. A. K. Saxena, CMD,
2. Mrs. Rashmi Bajpai, Company Secretary and
3. Mrs. K. Ramadevi, Chief Financial Officer & General Manager

B) Declaration by an Independent Director(s) and re- appointment, if any

Mrs. Kaushalya Roy, Shri Vijay Garg & Shri A. S. Bali, have furnished declaration of meeting the criteria of independence as provided in sub-section (6) of Section 149 of the Companies Act, 2013.

C) Formal Annual Evaluation

In the Board Meeting held on 19th March, 2015, the Board of Directors were informed that as per the provisions of Companies Act, 2013, the performance evaluation of Independent directors shall be done by the entire Board, excluding the Director being evaluated. Board agreed to look into the same and devise the mechanism for performance evaluation of Independent Directors.

16. Details Of Establishment of Vigil Mechanism For Directors And Employees

The whistle blower policy is available on the Company"s website.

17. Particulars of loans, guarantees or investments under section 186

None

18. Particulars of contracts or arrangements with related parties:

The details in Form AOC -2 are annexed to the Director"s Report.

19. Managerial Remuneration:

A) Details of the every employee of the Company as required pursuant to rule 5(2) of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014



ख) कोई भी निदेशक जिस कम्पनी से कोई कमीशन प्राप्त होता है और जो कम्पनी का प्रबंध निदेशक या पूर्णकालिक निदेशक है, उक्त कम्पनी की किसी भी धारित कम्पनी या अनुषंगी कम्पनी से कोई पारिश्रमिक या कमीशन प्राप्त करेगा, बशर्ते इसका प्रकटीकरण कम्पनी द्वारा बोर्ड की रिपोर्ट में किया गया हो।

कोई नहीं

ग) (i) सीएमडी और पूर्णकालिक निदेशकों को अदा किए गए पारिश्रमिक का ब्यौरा नीचे दिए गए अनुसार है:

None

B) Any director who is in receipt of any commission from the company and who is a Managing Director or Whole-time Director of the Company shall receive any remuneration or commission from any Holding Company or Subsidiary Company of such Company subject to its disclosure by the Company in the Board's Report.

None

C) (i) The details of remuneration paid to CMD & Whole-time directors is as given hereunder;

(Amount in ₹)

| निदेशकों का वेतन DIRECTOR'S SALARY (अप्रैल'14 से मार्च'15) (April'14 to Mar'15) | | | | | |
|--|------------------------------|--|----------------|---|--------------|
| क्र.सं. S.No. | एस.आर. संख्या S.R. No. | नाम NAME | वेतन SALARY | भविष्य निधि/पेंशन अंशदान PF/PENSION Cont. | कुल TOTAL |
| 1 | 012360 | श्री ए.के. सक्सेना Sh. A.K. Saxena | 1980321 | 95331 | 2075652 |
| 2 | 013366 | श्री कुलदीप सिंह Sh. Kuldip Singh | 1518950 | 72120 | 1591070 |
| 3 | 013331 | श्री सुजाय बनर्जी Sh. Sujay Banarji | 1045238 | 50988 | 1096226 |
| | कुल Total | | 4544509 | 218439 | 4762948 |

(ii) निष्पादन के मापदंडों के साथ साथ नियत घटक और निष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन राशियों का ब्यौरा:

शून्य

(iii) स्टॉक विकल्प का ब्यौरा, यदि कोई हो, और क्या ये किसी छूट पर जारी किया गया है और साथ ही वह अवधि जिसमें यह उपार्जित हुआ हो और जिसमें यह प्रयोज्य हुआ हो।

शून्य

(ii) Details of fixed component and performance linked incentives along with the performance criteria;

NIL

(iii) Stock option details, if any, and whether the same has been issued at a discount as well as the period over which accrued and over which exercisable.

NIL



20. सचिवायली लेखा परीक्षा रिपोर्ट

कम्पनी की पहली सचिवालयी लेखा परीक्षा मैसर्स जयंत गुप्ता एंड एसोशिएट्स, पेशेवर कम्पनी सचिवों द्वारा की गई थी। इनकी रिपोर्ट बोर्ड की रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

सूचित किया गया है कि वर्ष के दौरान कम्पनी ने, अपनी ओर से दिन प्रतिदिन प्रचालनिक व्ययों के माध्यम से, अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कम्पनी, इंडस्ट्रीयल क्रेडिट कम्पनी लिमिटेड को अप्रत्याभूत ऋण प्रदान किए हैं, क्योंकि अनुषंगी कम्पनी कोई कारोबार नहीं कर रही है। इसके अतिरिक्त इन संबंधित पक्षकरा संव्यवहारों को निदेशक मंडल और इसकी समितियों द्वारा अनुमोदित किया जाना था।

कम्पनी का उत्तर:

अपेक्षित अनुमोदन दिनांक 15 मई, 2015 को आयोजित बोर्ड की बैठक में लिया गया था।

21. जोखिम प्रबंधन नीति

कम्पनी की जोखिम प्रबंधन नीति दिनांक 19 अप्रैल, 2012 को आयोजित बोर्ड की 401वीं बैठक में अनुमोदित की गई थी।

22. आईआरडीएआई पंजीकरण का नवीकरण

मार्च, 2015 में संसद के दोनों सदनों द्वारा बीमा संशोधन विधेयक पारित किए जाने से, आईआरडीएआई द्वारा लाइसेंस के नवीकरण का वार्षिक प्रमाण पत्र जारी करने की अपेक्षा समाप्त कर दी गई।

23. निदेशकों के दायित्व संबंधी विवरण

हम पुष्टि करते हैं कि

(क) वार्षिक लेखों को तैयार करने में, महत्वपूर्ण विचलनों से संबंधित उपयुक्त स्पष्टीकरण के साथ साथ प्रयोज्य लेखाकरण मानदंडों का अनुसरण किया गया था।

(ख) निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियां चुनी हैं और उन्हें सतत रूप से लागू किया और ऐसे निर्णय तथा अनुमान लगाए जो कि उचित और न्यायसंगत थे ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के कामकाज की स्थिति और वित्त वर्ष की समाप्ति पर कंपनी के कामकाज को लेकर और उस अवधि में लाभ हानि की एक यथार्थ और निष्पक्ष स्थिति प्रस्तुत की जा सके।

20. Secretarial Audit Report

The 1st Secretarial Audit of the Company was conducted by M/s. Jayant Gupta & Associates, Practicing Company Secretaries. Their report is annexed to the Board's report.

It has been reported that during the year the Company has provided unsecured loans to Industrial Credit Company Limited, a wholly owned subsidiary company, by way of day to day operational expenses borne for and on their behalf as the subsidiary company is not transacting any business. Further these related party transactions were to be approved by the Board of Directors and its Committees.

Reply of the Company:

The requisite approval was taken in the Board Meeting held on 15th May, 2015

21. Risk Management policy

The Risk Management Policy of the Company was approved in the 401st Board Meeting held on 19th April, 2012.

22. Renewal of IRDAI Registration

With the passing of Insurance Amendment Bill by both the houses of parliament in March, 2015, the requirement of issuing Annual Certificate of Renewal of License by IRDAI was done away with.

23. Directors' Responsibility Statement

We confirm that

(a) in the preparation of the annual accounts, the applicable accounting standards had been followed along with proper explanation relating to material departures;

(b) the directors had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the company at the end of the financial year and of the profit and loss of the company for that period;



- (ग) निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की अभिरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताएं रोकने और अभिज्ञात करने के उद्देश्य से इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त लेखांकन रिकॉर्ड रखने के संबंध में उपयुक्त और समीचीन ध्यान रखा है।
- (घ) निदेशकों ने सुनाम-प्रतिष्ठान आधार पर वार्षिक लेखे तैयार किए थे और
- (ङ) निदेशकों ने कम्पनी द्वारा अपनाई जानी वाली आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणालियां निर्धारित की हैं और ये आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावी रूप से काम कर रहे हैं।

24. आभारोक्तियां

निदेशक मंडल भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग (बीमा प्रभाग), भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई), प्रधान वाणिज्यिक लेखा परीक्षा निदेशक और पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा मंडल, बीमा परिषद के शासी निकाय (जीबीआईसी) और भारतीय सामान्य बीमाकार सार्वजनिक क्षेत्र संघ (जीआईपीएसए) और अन्य सरकारी और विनियामक एजेंसियों का वर्ष भर कम्पनी को मुहैया कराए गए मूल्यवान मार्गदर्शन और सतत समर्थन के लिए आभार प्रकट करता है।

निदेशक मंडल अपने मूल्यवान ग्राहकों, बैंकों, एजेंटों, सर्वेयरों, स्ट्रेकधारकों और समग्र रूप से जनता के भी आभारी है, जिन्होंने कम्पनी को परश्रय दिया और कम्पनी में अपना विश्वास रखा।

निदेशक मंडल कम्पनी के समग्र विकास और वृद्धि में प्रत्येक कर्मचारी द्वारा प्रदर्शित प्रतिबद्धता, समावेशन की भावना और समर्पण के लिए अपनी सराहना रिकॉर्ड में रखता है और आने वाले वर्ष में निगमित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उनके सतत समर्थन और पूरे हृदय से सहयोग की आशा करता है।

कृते और निदेशक मंडल की ओर से

डॉ. ए.के. सक्सेना
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 15 मई, 2015

- (c) the directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of this Act for safeguarding the assets of the company and for preventing and detecting fraud and other irregularities;
- (d) the directors had prepared the annual accounts on a going concern basis; and
- (e) the directors had devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

24. Acknowledgements

The Board of Directors thanks Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services (Insurance Division), Insurance Regulatory & Development Authority of India (IRDAI), the Principal Director of Commercial Audit and Ex-officio Member, Audit Board – II, Governing Body of Insurance Council (GBIC) and General Insurers' Public Sector Association of India (GIPSA) and other government and regulatory agencies for their valuable guidelines and continuous support provided to the company throughout the year.

The Board of Directors are also grateful to the valued customers. Bankers, agents, surveyors, stakeholders and public at large for the patronage and confidence reposed in the Company.

The Board of Directors places on record their appreciation for the commitment. Sense of involvement and dedication exhibited by each staff member in the overall development and growth of the Company and look forward to the continued support and whole hearted cooperation for the realization of the corporate goals in the year ahead.

For and on behalf of the Board of Directors

DR. A. K. SAXENA
CHIARMAN-CUM-MANAGING DIRECTOR

Place: New Delhi
Date: 15th May, 2015



फॉर्म संख्या एओसी-2

FORM NO. AOC-2

(अधिनियम की धारा 134 की उप-धारा (3) के खंड और कम्पनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 8(2) के अनुसरण में)

(Pursuant to clause (h) of sub-section (3) of section 134 of the Act and Rule 8(2) of the Companies (Accounts) Rules, 2014)

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप-धारा (1) में संदर्भित संबंधित पक्षकारों के साथ कम्पनी द्वारा की गई संविदाओं/करारों के ब्यौरे के प्रकटीकरण के लिए प्रपत्र जिसमें इस अधिनियम के तीसरे परंतुक के अंतर्गत कतिपय दूरी रखकर किए जाने वाले धारित संव्यवहार शामिल हैं जो संविदाएं या समझौते या संव्यवहार निश्चित दूरी रखकर (आर्म्स लैथ बेसिस पर) नहीं की गई हैं, उनका ब्यौरा: वित्त वर्ष 01.04.2014 से 31.03.2015 तक जो संविदाएं या समझौते या संव्यवहार निश्चित दूरी रखकर (आर्म्स लैथ बेसिस पर) नहीं की गई हैं, उनका ब्यौरा: शून्य

Form for disclosure of particulars of contracts/ arrangements entered into by the company with related parties referred to in sub-section (1) of section 188 of the Companies Act, 2013 including certain arms length transactions under third proviso thereto

Details of contracts or arrangements or transactions not at arm"s length basis:

Details of contracts or arrangements or transactions not at arm"s length basis for the financial year 01/04/2014 to 31/03/2015: **NIL**

| संबंधित पक्ष का (के) नाम Name(s) of the related party | संबंध की प्रकृति Nature of relationship | संव्यवहारों की अवधि Duration of the transactions | मुख्य शर्तें Salient terms | ऐसी संविदाओं या समझौतों या संव्यवहारों के लिए औचित्य Justification for entering into such contracts or arrangements or transactions | बोर्ड द्वारा अनुमोदन, यदि कोई हो, की तारीख (तारीखें) Date(s) of approval by the Board, if any | अग्रिम के रूप में अदा की गई राशि Amount paid as advances | वे तारीखें जिन पर आम बैठक में विशेष संकल्प पारित किए गए थे, जैसा कि धारा 188 के प्रथम परन्तुक के अधीन अपेक्षित है Date on which the special resolution was passed in general meeting as required under first proviso to section 188 |
|--|--|---|-------------------------------|--|--|---|--|
| संविदा की प्रकृति Nature of Contract | | | | | | | |
| लागू नहीं N.A. | लागू नहीं N.A. | लागू नहीं N.A. | लागू नहीं N.A. | लागू नहीं N.A. | लागू नहीं N.A. | लागू नहीं NIL | लागू नहीं N.A. |

1. Details of material contracts or arrangement or transactions at arm"s length basis:

1. जो महत्वपूर्ण संविदाएं या समझौते या संव्यवहार निश्चित दूरी रखकर (आर्म्स लैथ बेसिस पर) किए गए हैं, उनका ब्यौरा:

Details of material contracts or arrangement or transactions at arm"s length basis for the financial year 01/04/2014 to 31/03/2015:

वित्त वर्ष 01.04.2014 से 31.03.2015 तक जो महत्वपूर्ण संविदाएं या समझौते या संव्यवहार निश्चित दूरी रखकर (आर्म्स लैथ बेसिस पर) किए गए हैं, उनका ब्यौरा:



| संबंधित पक्ष का (के) नाम Name(s) of the related party | संबंध की प्रकृति Nature of relationship | संव्यवहारों की अवधि Duration of the transactions | संविदाओं या समझौतों या संव्यवहारों की मूल्य, यदि कोई हो, सहित मुख्य शर्तें Salient terms of the contracts or arrangements or transactions including the value, if any | बोर्ड द्वारा अनुमोदन, यदि कोई हो, की तारीख (तारीखें) Date(s) of approval by the Board, if any | राशि ;लाख रूपए में Amount (in INR Lacs) |
|--|--|--|--|--|--|
| संविदा की प्रकृति Nature of Contract | | | | | |
| इक्विटी लिखत में निवेश Investment in Equity Instrument | | | | | |
| द इंडस्ट्रीयल क्रेडिट कम्पनी लिमिटेड The Industrial Credit Company Limited | अनुषंगी Subsidiary | लागू नहीं Not Applicable | लागू नहीं Not Applicable | टिप्पणी संख्या 1 देखें Refer Note No. 1 | 5.00 |
| हेल्थ इश्योरेंस टीपीए ऑफ इंडिया लिमिटेड Health Insurance TPA of India Ltd. | सहयोगी Associates | लागू नहीं Not Applicable | लागू नहीं Not Applicable | टिप्पणी संख्या 2 देखें Refer Note No. 2 | 475.00 |
| इंडिया इंटरनेशनल इश्योरेंस पीटीई लिमिटेड India International Insurance Pte. Ltd | सहयोगी Associates | लागू नहीं Not Applicable | लागू नहीं Not Applicable | टिप्पणी संख्या 3 देखें Refer Note No. 3 | 391.10 |
| दिया गया अग्रिम Advances given | | | | | |
| द इंडस्ट्रीयल क्रेडिट कम्पनी लिमिटेड The Industrial Credit Company Limited | अनुषंगी Subsidiary | 31 मार्च, 2015 तक Upto 31 st March, 2015 | अप्रत्याभूत Unsecured | टिप्पणी संख्या 4 देखें Refer Note No. 4 | 5.83 |
| प्राप्त लाभांश Dividend Received | | | | | |
| इंडिया इंटरनेशनल इश्योरेंस पीटीई लिमिटेड India International Insurance Pte. Ltd | सहयोगी Associates | लागू नहीं Not Applicable | लागू नहीं Not Applicable | लागू नहीं Not Applicable | 356.80 |

**टिप्पणी:**

1. द इंडस्ट्रीयल क्रेडिट कम्पनी लिमिटेड – जीआईबीएनए –1972 के प्रभाव से द ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड की अनुषंगी कम्पनी है।
2. हेल्थ इंश्योरेंस टीपीए ऑफ इंडिया लिमिटेड – दिनांक 11 अप्रैल 2013 को आयोजित बोर्ड की 411वीं बैठक में निवेश के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया।
3. इंडिया इंटरनेशनल इंश्योरेंस पीटीई लिमिटेड, सिंगापुर – मूल निवेश दिनांक 8 जनवरी, 1988 को किया गया और इसके बाद बोनस शेयर और अधिकार जारी किए गए।
4. कम्पनी ने दिनांक 15 जुलाई, 2015 को आयोजित बैठक में बोर्ड का अनुमोदन मांगा।

ह.

डॉ. ए.के. सक्सेना

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

Note:

1. The Industrial Credit Company Limited- is a subsidiary of The Oriental Insurance Company Limited by virtue of GIBNA-1972.
2. Health Insurance TPA of India Ltd- In Principle approval for investment was given at the 411th Board Meeting held on 11th April 2013.
3. India International Insurance Pte., Singapore- Original investment was made on 8th January, 1988 and was followed by Bonus shares and Rights issue
4. The Company sought approval of the Board in its Meeting held on 15th May, 2015.

-Sd/-

Dr. A. K. Saxena

Chairman-cum Managing Director



फॉर्म संख्या एमजीटी.9

FORM NO. MGT-9

वार्षिक रिटर्न का उद्घरण

EXTRACT OF ANNUAL RETURN

दिनांक 31 मार्च, 2015 को समाप्त वित्त वर्ष के अनुसार

[कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 92(3) और कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 12(1)2,
as on the financial year ended on 31st March, 2015

[Pursuant to section 92(3) of the Companies Act 2013 and rule 12(1) of the
Companies (Management and Administration) Rules, 2014]

| I. पंजीकरण और अन्य विवरण: REGISTRATION AND OTHER DETAILS: | | | |
|--|--|----------------------|---|
| i) | सीआईएन: CIN :- | | U66010DL1947GOI007158 |
| ii) | पंजीकरण की तारीख Registration Date | | 12/9/1947 |
| iii) | कम्पनी का नाम Name Of The Company | | द ओरिएण्टल इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED |
| iv) | कम्पनी की श्रेणी/उप-श्रेणी Category/Sub-Category of The Company | | सरकारी कम्पनी Government Company |
| v) | पंजीकृत कार्यालय का पता और सम्पर्क विवरण Address of the Registered office and contact details | | “ओरिएण्टल हाउस” ए-25 / 27 आसफ अली रोड, दिल्ली.110002, टेलीफोन / फैक्स: 011-23287204, वेबसाइट: WWW.ORIENTALINSURANCE.ORG "ORIENTAL HOUSE", A-25/27 ASAF ALI ROAD,DELHI-110002, TEL/FAX: 011-23287204, WEB:WWW. ORIENTALINSURANCE.ORG |
| vi) | क्या सूचीबद्ध कम्पनी है Whether listed company | हां / नहीं Yes/No | नहीं NO |
| vii) | पंजीयक और अंतरण अभिकर्ता, यदि कोई हो, का नाम, पता और सम्पर्क विवरण Name , Address and Contact details of Registrar and Transfer Agent, if any | | लागू नहीं N/A |



| II. कम्पनी की प्रमुख कारोबारी गतिविधियां PRINCIPAL BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY | | | |
|--|---|--|---|
| कम्पनी की कुल टर्नओवर में 10% या इससे अधिक का योगदान देने वाली सभी कारोबारी गतिविधियों का उल्लेख किया जाएगा:- All the business activities contributing 10% or more of the total turnover of the company shall be stated:- | | | |
| क्र.सं. Sl No. | मुख्य उत्पादों/सेवाओं का नाम और विवरण Name and Description of main products/services | उत्पाद/सेवा का एनआईसी कोड NIC Code of the Product/service | कम्पनी के कुल टर्नओवर में % % to total turnover of the company |
| 1 | गैर-जीवन बीमा NON-LIFE INSURANCE | 6512 | 100% |
| 2 | | | |
| 3 | | | |

| III. धारित, अनुषंगी और सहयोगी कम्पनियों का विवरण- PARTICULARS OF HOLDING, SUBSIDIARY AND ASSOCIATE COMPANIES- | | | | | |
|--|--|--------------------------|--|---------------------------------------|-------------------------------------|
| क्र.सं. S. No. | कम्पनी का नाम और पता Name and Address of The Company | सीआईएन/जीएलएन CIN/GLN | धारित / अनुषंगी / सहयोगी Holding/ Subsidiary/ Associate | धारित शेयरों का % % of Shares Held | प्रयोज्य धारा Applicable Section |
| 1 | द इंडस्ट्रीयल क्रेडिट कम्पनी लिमिटेड पता: "ओरिएण्टल हाउस" ए-25/27 आसफ अली रोड, दिल्ली.110002 THE INDUSTRIAL CREDIT COMPANY LIMITED REGD ADDRESS "ORIENTAL HOUSE" , A-25/27 ASAF ALI ROAD, DELHI-110002 | U65921DL1930GOI000216 | अनुषंगी SUBSIDIARY | 100% | धारा 2(87) SEC 2(87) |
| 2 | इंडिया इंटरनेशनल इश्योरेंस पीटीई लिमिटेड, सिंगापुर INDIA INTERNATIONAL INSURANCE PTE. LTD., SINGAPORE | | सहयोगी ASSOCIATE | 20% | धारा 2(6) SEC 2(6) |
| 3 | हैल्थ इश्योरेंस टीपीए ऑफ इंडिया लिमिटेड HEALTH INSURANCE TPA OF INDIA | U85100DL2013PLC256581 | सहयोगी ASSOCIATE | 23.75% | धारा 2(6) SEC 2(6) |



| IV. शेयर धारिता पद्धति SHARE HOLDING PATTERN | | | | | | | | | |
|--|---|----------------------|--------------|-------------------------------------|---|----------------------|--------------|-------------------------------------|--|
| (कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी का ब्यौरा) (Equity Share Capital Breakup as percentage of Total Equity) | | | | | | | | | |
| i) श्रेणी-वार शेयर धारिता i) Category-wise Share Holding | | | | | | | | | |
| शेयरधारकों की श्रेणी Category of Shareholders | वर्ष के प्रारंभ में धारित शेयरों की संख्या No. of Shares held at the beginning of the year | | | | वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या No. of shares held at the end of the year | | | | वर्ष के दौरान परिवर्तन% %Change during the year |
| | डीमेट Demat | वास्तविक physical | कुल Total | कुल शेयरों का % % of Total Share | डीमेट Demat | वास्तविक physical | कुल Total | कुल शेयरों का % % of Total Share | |
| क. प्रमोटर A. Promoters | | | | | | | | | |
| (1) भारतीय (1) Indian | | | | | | | | | |
| क) एकल / एचयूएफ a) Individual/HUF | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| ख) केंद्रीय सरकार b) Central Govt. | | 150000000 | 150000000 | 100 | | 200000000 | 200000000 | 100 | 0 |
| ग) राज्य सरकार (सरकारें) c) State Govt(s) | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| घ) निगमित निकाय d) Bodies Corp. | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| ङ) बैंक / वित्तीय संस्थान e) Banks/ FI | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| च) कोई अन्य f) Any Other | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| उप-योग (क)(1):- Sub-total (A) (1):- | | 150000000 | 150000000 | 100 | | 200000000 | 200000000 | 100 | 0 |
| (2) विदेशी (2) Foreign | | | | | | | | | |



| | | | | | | | | | |
|---|-----------|-----------|---|-----|--|-----------|-----------|-----|---|
| क) एनआरआई. एकल a) NRIs- Individuals | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| ख) अन्य—एकल b) Other-Individuals | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| ग) निगमित निकाय c) Bodies Corp. | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| घ) बैंक / वित्तीय संस्थान d) Banks/FI | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| ङ) कोई अन्य e) Any Other.. | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| उप-योग (क)(2):- Sub-total (A) (2):- | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| प्रमोटरों की कुल शेयरधारिता Total Shareholding of Promoter | | | | | | | | | |
| क = (क) (1)+(A)(2) A= (A) (1)+(A)(2) | 150000000 | 150000000 | | 100 | | 200000000 | 200000000 | 100 | 0 |
| ख. सार्वजनिक शेयरधारिता B. Public Shareholding | | | | | | | | | |
| 1. संस्थाएं 1. Institutions | | | | | | | | | |
| क) म्युचुअल फंड a) Mutual Funds | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| ख) बैंक / वित्तीय संस्थान b) Banks/FI | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| ग) केंद्रीय सरकार c) Central Govt | | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| घ) राज्य सरकार (सरकारें) d) State Govt(s) | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| ङ) उद्यम पूंजी निधियां e) Venture Capital Funds | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |
| च) बीमा कम्पनियां f) Insurance Companies | | | | 0 | | | | 0 | 0 |
| छ) एफआईआई g) FII's | | | | 0 | | | | 0 | 0 |



| | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ज) विदेशी उद्यम पूंजी निधियां h) Foreign Venture Capital Funds | | | | 0 | | | | 0 | 0 |
| झ) अन्य (विनिर्दिष्ट करें) i) Others (Specify) | | | | 0 | | | | 0 | 0 |
| उप-योग (ख) (1):- Sub-total (B) (1):- | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. गैर-संस्थाएं | | | | | | | | | |
| क) निगमित निकाय a) Bodies Corp. | | | | | | | | | |
| i) भारतीय i) Indian | | | 0 | | | | 0 | | 0 |
| ii) पारसमुद्री ii) Overseas | | | 0 | | | | 0 | | 0 |
| ख) व्यक्तिगत b) Individuals | | | | | | | | | |
| प) रु. 1 लाख तक की सांकेतिक शेयर पूंजी धारित करने वाले एकल शेयरधारक i) Individual Shareholders holding nominal share capital upto Rs. 1 Lakh | | | | 0 | | | | 0 | |
| ii) रु. 1 लाख से अधिक सांकेतिक शेयर पूंजी धारित करने वाले एकल शेयरधारक ii) Individual Shareholders holding nominal share capital in excess of Rs. 1 Lakh | | | | | | | | | |
| ग) अन्य (विनिर्दिष्ट करें) c) Others (specify) | | | | | | | | | |
| उप-योग(ख)(2):- Sub-total (B) (2):- | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| कुल सार्वजनिक शेयरधारिता Total Public Shareholding | | | | | | | | | |



| | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|-----------|-----|---|-----------|-----------|-----|---|
| ख=(ख)(1)+(ख)(2) | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ग. जीडीआर और एडीआर के लिए कस्टोडियनों द्वारा धारित शेयर C. SHARES HELD BY CUSTODIAN FOR GDRs & ADRs | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| कुल योग (ख+ख+ग)* | | 150000000 | 150000000 | 100 | 0 | 200000000 | 200000000 | 100 | 0 |
| * वर्ष के दौरान, रु.10/- प्रत्येक के पूर्ण प्रदत्त 5,00,00,000 बोनस शेयर, जिनका कुल योग रु. 50 करोड़ है, जारी और आवंटित किए गए। * During the year, 5,00,00,000 fully paid bonus shares of Rs. 10/- each aggregating to Rs. 50 crores were issued and allotted. | | | | | | | | | |
| ii) प्रमोटरों की शेयरधारिता ii) Shareholding of Promoters | | | | | | | | | |

| क्र. सं. SI No. | शेयरधारकों की श्रेणी Shareholders Name | वर्ष के प्रारंभ में धारित शेयरों की संख्या Shareholding at the beginning of the year | | | वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या Shareholding at the end of the year | | | वर्ष के दौरान परिवर्तन % % change in shareholding during the year | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|
| | | शेयरों की संख्या No. of Shares | कम्पनी के कुल शेयरों का % % of total Shares of the company | कुल शेयरों में से प्रतिभूत/ ऋणग्रस्त शेयरों का % % of shares Pledged/ encumbered to total shares | शेयरों की संख्या No. of Shares | कम्पनी के कुल शेयरों का % % of total Shares of the company | कुल शेयरों में से प्रतिभूत/ ऋणग्रस्त शेयरों का % % of shares Pledged/ encumbered to total shares | | |
| 1 | भारत के राष्ट्रपति PRESIDENT OF INDIA | 150000000 | 100 | 0 | 200000000 | 100 | 0 | 0 | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| | Total | 150000000 | 100 | 0 | 200000000 | 100 | 0 | 0 | |
| iii) प्रमोटरों की शेयरधारिता में परिवर्तन iii) Change in Promoters' Shareholding | | | | | | | | | |



| क्र. सं. SI No. | | वर्ष की शुरुआत में शेयरधारिता Shareholding at the beginning of the year | | वर्ष के दौरान संचित शेयरधारिता Cumulative Shareholding during the year | |
|--------------------|--|--|---|---|---|
| | | शेयरों की संख्या No. of Shares | कम्पनी के कुल शेयरों का % % of Total shares of the company | शेयरों की संख्या No. of Shares | कम्पनी के कुल शेयरों का % % of Total shares of the company |
| | वर्ष की शुरुआत में At the beginning of the year | 150000000 | 100 | 200000000 | 100 |
| | दिनांक 12 अगस्त, 2015 को आवंटित बोनस शेयरों की वजह से वर्ष के दौरान प्रमोटरों की शेयरधारिता में वृद्धि Increase in Promoters Shareholding during the year due to Bonus shares allotted on 12th August, 2015 | 50000000 | 100 | | |
| | वर्ष के अंत में At the End of the year | 200000000 | 100 | 200000000 | 100 |

iv) शीर्ष दस शेयरधारकों की शेयरधारिता पद्धति (निदेशकों, प्रमोटरों और जीडीआर और एडीआर के धारकों को छोड़कर):

iv) Shareholding Pattern of top ten Shareholders (Other than Directors, Promoters and Holders of GDRs and ADRs):

| क्र. सं. SI No. | | वर्ष की शुरुआत में शेयरधारिता Shareholding at the beginning of the year | | वर्ष के दौरान संचित शेयरधारिता Cumulative Shareholding during the year | |
|--------------------|---|--|---|---|---|
| | | शेयरों की संख्या No. of Shares | कम्पनी के कुल शेयरों का % % of total shares of the company | शेयरों की संख्या No. of Shares | कम्पनी के कुल शेयरों का % % of total shares of the company |
| | शीर्ष 10 शेयरधारकों में से प्रत्येक के लिए For Each of the TOP 10 Shareholders | | | | |
| 1 | नाम Name | | | | |
| | वर्ष की शुरुआत में At the beginning of the year | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | वृद्धि/कमी के कारणों (अर्थात् आवंटन/अंतरण/बोनस/स्वैट इक्विटी आदि) को विनिर्दिष्ट करते हुए वर्ष के दौरान तारीख वार वृद्धि/कमी: Date wise Increase/Decrease in Share holding during the year specifying the reasons for increase/decrease(e.g. allotment/transfer/bonus/sweat equity etc): | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | वर्ष के अंत में (या पृथक्करण की तारीख पर, यदि पृथक्करण वर्ष के दौरान हुआ हो) At the End of the year (Or on the date of seperation, if seperated during the year) | 0 | 0 | 0 | 0 |



| क्र. सं. SI No. | वर्ष की शुरुआत में शेयरधारिता वर्ष के दौरान संचित शेयरधारिता Shareholding at the beginning of the year Cumulative Shareholding during the year | | | | |
|--------------------|--|-----------------------------------|--|-----------------------------------|--|
| | शीर्ष 10 शेयरधारकों में से प्रत्येक के लिए For Each of the TOP 10 Shareholders | शेयरों की संख्या No. of Shares | कम्पनी के कुल शेयरों का % %of total shares of the company | शेयरों की संख्या No. of Shares | कम्पनी के कुल शेयरों का % %of total shares of the company |
| 1 | नाम Name | | | | |
| | वर्ष की शुरुआत में At the beginning of the year | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | वृद्धि/कमी के कारणों (अर्थात् आवंटन/ अंतरण/ बोनस/ स्वेट इक्विटी आदि) को विनिर्दिष्ट करते हुए वर्ष के दौरान तारीख वार वृद्धि/कमी: Date wise Increase/Decrease in Share holding during the year specifying the reasons for increase/decrease(e.g. allotment/transfer/bonus/sweat equity etc): | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | वर्ष के अंत में (या पृथक्करण की तारीख पर, यदि पृथक्करण वर्ष के दौरान हुआ हो) At the End of the year (Or on the date of seperation, if seperated during the year) | 0 | 0 | 0 | 0 |

v) निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों ;केएमपीडू की शेयरधारिता

v) Shareholding of Directors and Key Managerial Personnel:

| प्रत्येक निदेशक और केएमपी के लिए For Each of the Directors and KMP | वर्ष की शुरुआत में शेयरधारिता Shareholding at the beginning of the year | | वर्ष के दौरान संचित शेयरधारिता Cumulative Shareholding during the year | |
|--|--|---|---|---|
| | शेयरों की संख्या No. of shares | कम्पनी के कुल शेयरों का % % of total shares of the company | शेयरों की संख्या No. of shares | कम्पनी के कुल शेयरों का % % of total shares of the company |
| वर्ष की शुरुआत में At the beginning of the year | 0 | 0 | 0 | 0 |
| वृद्धि/कमी के कारणों ;अर्थात् आवंटन/ अंतरण/बोनस/ स्वेट इक्विटी आदि को विनिर्दिष्ट करते हुए वर्ष के दौरान तारीख वार वृद्धि/कमी: Date wise Increase / Decrease in Share holding during the year specifying the reasons for increase / decrease (e.g. allotment / transfer / bonus/ sweat equity etc): | 0 | 0 | 0 | 0 |
| वर्ष के अंत में At the End of the year | 0 | 0 | 0 | 0 |



| प्रत्येक निदेशक और केएमपी के लिए For Each of the Directors and KMP | वर्ष की शुरुआत में शेयरधारिता Shareholding at the beginning of the year | | वर्ष के दौरान संचित शेयरधारिता Cumulative Shareholding during the year | |
|--|--|---|---|---|
| | शेयरों की संख्या No. of shares | कम्पनी के कुल शेयरों का % % of total shares of the company | शेयरों की संख्या No. of shares | कम्पनी के कुल शेयरों का % % of total shares of the company |
| वर्ष की शुरुआत में At the beginning of the year | | 0 | | 0 |
| वृद्धि/कमी के कारणों (अर्थात् आवंटन/ अंतरण/बोनस/स्वैट इक्विटी आदि) को विनिर्दिष्ट करते हुए वर्ष के दौरान तारीख वार वृद्धि/कमी: Date wise Increase / Decrease in Share holding during the year specifying the reasons for increase / decrease (e.g. allotment / transfer / bonus/ sweat equity etc): | 0 | 0 | 0 | 0 |
| वर्ष के अंत में At the End of the year | | 0 | | 0 |

| V. ऋणग्रस्तता INDEBTEDNESS | | | | | |
|---|---|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|---|
| बकाया/उपचित किंतु भुगतान के लिए अदेय ब्याज सहित कम्पनी की ऋणग्रस्तता Indebtedness of the Company including interest outstanding/ accrued but not due for payment | | | | | |
| | जमा राशियों को छोड़कर प्रत्याभूत ऋण Secured Loans excluding deposits | अप्रत्याभूत ऋण Unsecured Loans | जमा राशियां Deposits | कुल ऋणग्रस्तता Total Indebtedness | |
| वित्त वर्ष के प्रारम्भ में ऋणग्रस्तता Indebtedness at the beginning of the financial year | | | | | |
| i) मूल धनराशि i) Principal Amount | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| ii) देय किंतु अदा न किया गया ब्याज ii) Interest due but not paid | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| iii) उपचित किंतु अदेय ब्याज iii) Interest accrued but not due | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| कुल (i+ii+iii) Total (i+ii+iii) | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| वित्त वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन Change in indebtedness during the financial year | | | | | |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| * जमा * Addition | 0 | 0 | 0 | 0 |
| * घटा * Reduction | 0 | 0 | 0 | 0 |
| निवल परिवर्तन Net Change | 0 | 0 | 0 | 0 |
| वित्त वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता Indebtedness at the end of the financial year | | | | |
| i) मूल धनराशि i) Principal Amount | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ii) देय किंतु अदा न किया गया ब्याज ii) Interest due but not paid | 0 | 0 | 0 | 0 |
| iii) उपचित किंतु अदेय ब्याज iii) Interest accrued but not due | 0 | 0 | 0 | 0 |
| कुल (i+ii+iii) Total (i+ii+iii) | 0 | 0 | 0 | 0 |

| VI. निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक REMUNERATION OF DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL | | | | | |
|---|---|--|-------------------------------------|--|--------------|
| क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों और/या प्रबंधक का पारिश्रमिकरू A. Remuneration to Managing Director, Whole-time Directors and/or Manager: | | | | | |
| SI No. | पारिश्रमिक का विवरण Particulars of Remuneration | प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/प्रबंधक का नाम Name of MD/WTD/Manager | | | Total Amount |
| | | 1 | 2 | 3 | |
| | | डॉ. ए. के. सक्सेना Dr A. K SAXENA | श्री कुलदीप सिंह Sh KULDIP SINGH | श्री सुजाय बनर्जी SH. SUJAY BANARJI | |
| 1 | सकल वेतन Gross salary | | | | |
| | (क) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन (a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income Tax Act 1961 | 2075652 | 1591070 | 1096226 | 4762948 |
| | (ख) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(2)के अधीन पूर्वापेक्षाओं का मूल्य (b) Value of perquisites u/s 17(2) of the Income Tax Act 1961 | 175594 | 141537 | 158231 | 475362 |
| | (ग) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(3) के अधीन वेतन के बदले लाभ (c) Profits in lieu of salary u/s 17(3) of the Income Tax Act 1961 | | | | 0 |
| 2 | स्टॉक विकल्प Stock Option | | | | 0 |
| 3 | स्वैट इक्विटी Sweat Equity | | | | 0 |



| | | | | | |
|---|--|---------|---------|---------|---------|
| 4 | कमीशन Commission | | | | |
| | —लाभ के % के तौर पर - as % of Profit | | | | 0 |
| | —अन्य, विनिर्दिष्ट करें - others, specify | | | | 0 |
| 5 | अन्य, कृपया विनिर्दिष्ट करें Others, please specify | | | | 0 |
| | Total (A) | 2251246 | 1732607 | 1254457 | 5238310 |
| | Ceiling as per the Act | | | | |

ख. अन्य निदेशकों का पारिश्रमिक

B. Remuneration to Other Directors:

| क्र.सं. SI No. | पारिश्रमिक का विवरण Particulars of Remuneration | प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/प्रबंधक का नाम Name of MD/WTD/Manager | | | कुल राशि Total Amount |
|-------------------|---|--|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | |
| 1. | स्वतंत्र निदेशक Independent Directors | SMT. KAUSHALYA ROY | SH VIJAY GARG | SH AMARDEEP SINGH BALI | |
| | *बोर्ड की समितियों की बैठक में उपस्थित होने के लिए शुल्क *Fee for attending Board committee meetings | 168000 | 65000 | 80000 | 313000 |
| | *कमीशन *Commission | | | | 0 |
| | *अन्य, कृपया विनिर्दिष्ट करें *Others, please specify | | | | 0 |
| | कुल (1) Total (1) | 168000 | 65000 | 80000 | 313000 |
| 2. | अन्य गैर-कार्यपालक निदेशक Other Non-Executive Directors | SH SHYAM LAL BANSAL | DR. N. SRINIVASA RAO | SH JATINDERBIR SINGH | |
| | *बोर्ड की समितियों की बैठक में उपस्थित होने के लिए शुल्क *Fee for attending Board committee meetings | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *कमीशन *Commission | | | | 0 |
| | *अन्य, कृपया विनिर्दिष्ट करें *Others, please specify | | | | 0 |
| | कुल (2) Total (2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | कुल (ख)=(1+2) Total (B)=(1+2) | 168000 | 65000 | 80000 | 313000 |
| | कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक Total Managerial Remuneration | | | | 5551310 |
| | अधिनियम के अनुसार सीमा Ceiling as per the Act | | | | |



ग. प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/प्रबंधक से अन्य प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को पारिश्रमिक
C. Remuneration to Key Managerial Personnel other than MD/Manager/WTD

| क्र. सं. Sl. No. | पारिश्रमिक का विवरण Particulars of Remuneration | प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक Key Managerial Personnel | | | |
|---------------------|--|--|-------------------------------------|-------------------------------|--------------|
| | | सीईओ CEO | कम्पनी सचिव COMPANY SECRETARY | मुख्य वित्त अधिकारी CFO | कुल Total |
| 1 | सकल वेतन Gross Salary | | | | |
| | (क) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन (a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income-tax Act, 1961 | | 1217270 | 1405171 | 2622441 |
| | (ख) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(2) के अधीन पूर्वापेक्षाओं का मूल्य (b) Value of perquisites u/s 17(2) of the Income -tax Act, 1961 | | 38306 | 122843 | 161149 |
| | (ग) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(3) के अधीन पूर्वापेक्षाओं का मूल्य (c) Profits in lieu of salary u/s 17(3) of the Income Tax Act 1961 | | | | 0 |
| 2 | स्टॉक विकल्प Stock Option | | | | 0 |
| 3 | स्वैट इक्विटी Sweat Equity | | | | 0 |
| 4 | कमीशन Commission | | | | |
| | —लाभ के % के तौर पर - as % of Profit | | | | 0 |
| | —अन्य, विनिर्दिष्ट करें - others, specify | | | | 0 |
| 5 | अन्य, कृपया विनिर्दिष्ट करें | | | | 0 |
| | कुल Total | 0 | 1255576 | 1528014 | 2783590 |



अधिकारियों की शास्तियां/दंड/कम्पाउंड:

PENALTIES/ PUNISHMENT/ COMPOUNDING OF OFFENCES:

| प्रकार Type | कम्पनी अधिनियम की धारा Section of the Companies Act | संक्षिप्त विवरण Brief Description | लगाई गई शास्तियों/ दंड/ कम्पाउंड शुल्क का ब्यौरा Details of Penalty/ Punishment/ Compounding fee imposed | प्राधिकरण [आरडी/ एनसीएलटी/ न्यायालय] Authority [RD/ NCLT/COURT] | की गई अपील, यदि कोई हो (ब्यौरा दें) Appeal made if any (give Details) |
|--|---|---|--|---|--|
| क. कम्पनी A. COMPANY | | | | | |
| शास्ति Penalty | | कम्पनी अधिनियम के अधीन कोई शास्ति नहीं लगाई गई No Penalty imposed under Companies Act | | | |
| दंड Punishment | | | | | |
| जब्ती Compounding | | | | | |
| ख. निदेशक B. DIRECTORS | | | | | |
| शास्ति Penalty | | कम्पनी अधिनियम के अधीन कोई शास्ति नहीं लगाई गई No Penalty imposed under Companies Act | | | |
| दंड Punishment | | | | | |
| जब्ती Compounding | | | | | |
| ग. अन्य चूककर्ता अधिकारी C. OTHER OFFICERS IN DEFAULT | | | | | |
| शास्ति Penalty | | No Penalty imposed under Companies Act | | | |
| दंड Punishment | | | | | |
| शास्ति Compounding | | | | | |



अनुबंध

बोर्ड की रिपोर्ट में शामिल किए जाने के लिए सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट

1. कम्पनी की सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूपरेखा जिसमें आरंभ की जाने के लिए प्रस्तावित परियोजनाओं या कार्यक्रमों का अवलोकन और सीएसआर नीति और परियोजनाओं या कार्यक्रमों के वेब लिंक में संदर्भ शामिल है।

कम्पनी की सीएसआर नीति को बोर्ड की सीएसआर उप समिति द्वारा दिनांक 23 सितंबर, 2014 को आयोजित अपनी बैठक में तथा निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 25 सितंबर, 2014 के परिपत्र संकल्प संख्या ट.8६2014 द्वारा अनुमोदित किया गया था।

सीएसआर नीति कम्पनी के विजन के अनुरूप है और इसमें बड़े पैमाने पर समाज और उन लोगों के लाभों पर ध्यान केन्द्रित किया गया है जिन्हें विशेष सहायता की आवश्यकता है।

सीएसआर नीति का फोकस सीएसआर संबंधी पहलों पर है जो ओरिएण्टल इंश्योरेंस के लिए सामुदायिक साख सृजित करती हैं और कम्पनी की सकारात्मक और सामाजिक दृष्टिकोण उत्तरदायी छवि निर्मित करने में सहायता करते हैं।

नीति में जिन क्षेत्रों पर जोर दिया गया है वे कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची टप् के अनुपालन में हैं। सभी प्रस्तावित परियोजनाएं कम्पनी अधिनियम की अनुसूची टप् पर भी आधारित हैं।

सीएसआर नीति में प्रचालनिक कार्यविधियों के लिए दिशानिर्देश प्रख्यापित किए गए हैं। सीएसआर रणनीति और वार्षिक कार्रवाई योजना सीएसआर नीति के आधार पर तैयार की गई हैं।

सीएसआर रणनीति दस्तावेज और वार्षिक कार्रवाई योजना को सीएसआर समिति द्वारा दिनांक 23 सितंबर, 2014 को आयोजित अपनी 2सरी बैठक में भी अनुमोदित किया गया था।

कम्पनी ने अपने वेब पोर्टल के होम पेज "www.orientalinsurance.org.in" पर 'सीएसआर' के अधीन एक वेब लिंक सृजित किया है।

ANNEXURE

ANNUAL REPORT ON CSR ACTIVITIES TO BE INCLUDED IN THE BOARD'S REPORT

1. A brief outline of the Company's CSR Policy including overview of projects or programs proposed to be undertaken and a reference in the web-link to the CSR Policy and projects or programs.

The CSR Policy of the Company was approved by the CSR Sub committee of the Board in its meeting held on 23rd September, 2014 and Board of Directors vide circular resolution no. B-8/2014 dated 25th September, 2014.

The CSR Policy is in alignment with the Vision of the Company and focuses on the benefits of society at large and those who need special assistance.

The CSR Policy focuses on CSR Initiatives which create a community goodwill for ORIENTAL INSURANCE and help to build a positive and socially responsible image of the Company.

The Thrust Area selected in the Policy are in compliance with the Schedule VII of the Company's Act, 2013. All the project proposed are also based on the Schedule VII of the Company's Act.

The guidelines for operational modalities have been spelt out in the CSR Policy. The CSR Strategy and Annual Action Plan are worked out based on the CSR Policy.

CSR Strategy document and Annual Action Plan was also approved by CSR Sub-Committee on 2nd CSR Committee Meeting held on 23rd September, 2014.

The Company created a web link under 'CSR' head on the company's web portal home page "www.orientalinsurance.org.in"

2. The composition of the CSR Committee.

The CSR Committee, a sub-committee of



2. सीएसआर समिति की संरचना

निदेशक मंडल की एक उप-समिति, सीएसआर समिति का गठन कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 में निहित दिशानिर्देशों के अनुसार दिनांक 24 अप्रैल, 2014 को आयोजित निदेशक मंडल की 419वीं बैठक में किया गया था, जिनमें निम्न शामिल हैं:

| क्र.सं. | समिति का गठन | समिति के सदस्यों के नाम |
|---------|-------------------|--------------------------------------|
| 1. | पदेन निदेशक | सुश्री कौशल्या रॉय, समिति की अध्यक्ष |
| 2. | पदेन निदेशक | श्री एस बाली, सदस्य |
| 3. | निदेशक * | श्री एस.एल. बंसल, सदस्य |
| 4. | पूर्णकालिक निदेशक | श्री कुलदीप सिंह, सदस्य |

डॉ. ए.के. सक्सेना, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, डॉ. एन. श्रीनिवास राव, निदेशक, श्री विजय गर्ग, निदेशक और श्री नीरज कुमार और महाप्रबंधक (सीएसआर) इस समिति के स्थायी आमंत्रित सदस्य हैं। श्री एस एल बंसल अधिवाषिता की आयु होने के बाद दिनांक 30.09.2014 को कम्पनी के बोर्ड में निदेशक के रूप में अपने कार्यकाल की समाप्ति के परिणामस्वरूप समिति के सदस्य नहीं रहे।

3. पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए कम्पनी का औसत निवल लाभ

| | 2011-12 (लाख रु. में) (Rs. In lacs) | 2012-13 (लाख रु. में) (Rs. In lacs) | 2013-14 (लाख रु. में) (Rs. In lacs) | TOTAL (लाख रु. में) (Rs. In lacs) |
|---|---|---|---|---|
| | 36634 | 79474 | 66073 | 182181 |
| घटाएं: पारसमुद्रीय प्रचालनों से लाभ Less : Profit from overseas operations | 1475 | 4906 | 6311 | 12692 |
| घटाएं: (वित्तीय वर्ष 2011-12 के वित्त वर्ष 2013-14 के लिए) पहले से ही सीएसआर में लगी कंपनियों से लाभांश आय Less : Dividend income from Companies already engaged in CSR (For FY's 2011-12 to 2013-14) | | | | 50635 |
| अंतिम परिणाम FINAL RESULT | | | | 118854 |
| तीन वर्ष का कुल परिणाम Total result of three FY's | | | | 118854 |
| तीन वर्ष का औसत परिणाम Average Result of Three FY's | | | | 39618 |
| पिछले तीन वर्षों का औसतन दो % Two % of Average result of last three years | | | | 792 |

the Board of Directors was formed in Board Meeting No. 419th held on 24th April, 2014 as per guidelines in Section 135 of Companies Act, 2013 consisting of the following :

| S. No. | Constitution of the Committee | Name of the Committee member |
|--------|-------------------------------|--|
| 1. | Non-Officio Director | Ms. Kaushalya Roy, Chairman of the Committee |
| 2. | Non-Officio Director | Sh. AS Bali, Member |
| 3. | Director * | Sh. S L Bansal, Member |
| 4. | Whole time Director | Sh. Kuldip Singh, Member |

Dr. A.K. Saxena, Chairman-cum-Managing Director, Dr. N. Srinivasa Rao, Director, Sh. Vijay Garg, Director and Sh. Niraj Kumar and General Manager (CSR) are permanent invitees to the Committee.

* Shri S L Bansal ceased to be a Committee member consequent to ending of his term as Directors' of Company's Board on 30.09.2014 after attaining age of superannuation.

3. Average net profit of the company for last three financial years.



4. निर्धारित सीएसआर व्यय (उपयुक्त मद 3 में दिए अनुसार राशि का दो प्रतिशत)
वित्त वर्ष 2014.15 के लिए सीएसआर संस्वीकृत बजट रु. 7.92 करोड़ था।

5. चालू वर्ष के दौरान सीएसआर खर्च का ब्यौरा
क. वित्त वर्ष के लिए खर्च की जाने वाली कुल राशि:
रु. 7.92 करोड़

ख. खर्च न की गई राशि, यदि कोई हो: रु. 691 लाख की कुल अनुमोदित राशि में से रु. 231.50 लाख की राशि 31.03.2015 तक खर्च नहीं की जा सकी क्योंकि प्रस्ताव प्रक्रियाधीन थे। रु. 701 लाख की राशि किसी विनिर्दिष्ट प्रस्ताव के लिए आवंटित नहीं की गई।

ग. वित्तीय वर्ष के दौरान जिस तरीके से राशि खर्च की गई उसका ब्यौरा नीचे दिया गया है:

4. Prescribed CSR expenditure (two per cent of the amount as in item 3 above)
Rs. 7.92 crores was the sanctioned CSR Budget for the Financial Year 2014-15.

5. Details of CSR spent during the financial year.

a. Total amount to be spent for the financial year: Rs. 7.92 crores
b. Amount unspent, if any: Out of total approved amount of Rs. 691 lakhs an amount of Rs. 231.50 lakhs could not be spent till 31.03.2015 as the proposals were under process. An amount of Rs.101 lakhs was not allocated for any specific proposal.

c. Manner in which the amount spent during the financial year is detailed below :

| क्र. सं. S. No | चिह्नित की गई सीएसआर परियोजना या गतिविधि CSR Project or activity identified | वह सेक्टर जिसमें परियोजना आती है Sector in which the Project is covered. | परियोजना या कार्यक्रम 1. स्थानीय क्षेत्र या अन्य 2. वह राज्य और जिला विनिर्दिष्ट करें जिसमें परियोजनाएं या कार्यक्रम हाथ में लिए गए Projects or programs 1. Local area or other 2. Specify the State and district where projects or programs was undertaken | राशि परिव्यय (बजट) परियोजना या कार्यक्रमवा (लाख में) Amount outlay (budget) project or programs wise (in lacs) | परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर खर्च की गई राशि उप-शीर्षः 1. परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर प्रत्यक्ष व्यय 2. उपरी खर्च(लाख में) Amount spent on the projects or programs sub-heads: 1. Direct expenditure on projects or programs 2. Overheads (in lacs) | प्रतिवेदन अवधि तक संचित व्यय Cumulative expenditure upto to the reporting period | खर्च की गई राशि: प्रत्यक्ष या कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से (लाख में) Amount spent: Direct or through implementing agency (in lacs) |
|----------------------|---|---|--|--|---|---|--|
| 1. | शैक्षणिक दौरे Educational Trips | | Delhi State | 10 | 7.50 | 7.50 | 7.50 |
| 2. | स्वच्छ विद्यालय अभियान में योगदान Contribution to Swacch Vidyalaya Campaign | | | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 3. | जम्मू क मीर के बाढ़ पीड़ितों के लिए योगदान Contribution to J & K Flood Victims | | Jammu | 100 | 100 | 100 | 100 |



| | | | | | | | |
|-----|--|--|-----------------|-----|-------|-------|-------|
| 4. | आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री राहत निधि में, हुद हुद तूफान योगदान Contribution to Andhra Pradesh CM Relief Fund, HUD HUD Cyclone | | Andhra Pradesh | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5. | असम और मेघालय राहत निधि में योगदान Contribution to Assam and Meghalaya Relief Fund | | Assam Meghalaya | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 6. | स्वच्छ गंगा निधि Clean Ganga Fund | | | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 7. | *वृद्धाश्रमों में योगदान *Contribution to old Age homes | | Delhi | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | *कुड़ाघरों के लिए योगदान *Contribution to Garbage bins | | Delhi | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | पीएमजेडीवाई में योगदान – बीमा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना Contribution to PMJDY- Holding of Insurance Awareness Program | | | 50 | 2 | 2 | 2 |
| 10. | *एनआईए पुणे में योगदान *Contribution to NIAPune | | Maharashtra | 106 | 0 | 0 | 0 |
| | कुल TOTAL | | | 691 | 459.5 | 459.5 | 459.5 |

कार्यान्वयन एजेंसी का ब्यौरा दें: लागू नहीं

Give details of implementing agency: Not Applicable

* - प्रस्ताव बोर्ड की सीएसआर समिति द्वारा अनुमोदित हैं और प्रक्रियाधीन हैं।

* - Proposals are approved by the CSR Committee of the Board and are under process.



6. कम्पनी के पिछले तीन वित्तीय वर्षों के औसत निवल लाभ का दो प्रतिशत या इसके भाग को खर्च करने में विफल रहने की स्थिति में, कम्पनी अपने बोर्ड प्रतिवेदन में राशि खर्च न करने कारण प्रस्तुत करेगी।

चूंकि यह कार्यान्वयन का पहला वर्ष है, अतः सीएसआर समिति ने रु. 691 लाख की राशि के प्रस्ताव अनुमोदित किए, जिसमें से रु. लाख 459.50 खर्च किए गए। रु. लाख की राशि 101 अनावंटित रही। सीएसआर समिति ने दिनांक 19.03.2015 को आयोजित अपनी बैठक में खर्च न की गई राशि को आगे ले जाए जाने और अनावंटित राशि को अगले वित्तीय वर्ष में ले जाने का निदेश दिया (रु. 231.50 लाख + 101 लाख = कुल रु. 332.50 लाख)

7. सीएसआर समिति का उत्तरदायित्व कथन कि सीएसआर नीति का कार्यान्वयन और मॉनीटरिंग सीएसआर के उद्देश्यों और कम्पनी की नीति के अनुपालन में है।

सीएसआर समिति उल्लेख करती है कि सीएसआर नीति का कार्यान्वयन और मॉनीटरिंग सीएसआर के उद्देश्यों और कम्पनी की नीति के अनुपालन में है।

(मुख्य कार्यकारी अधिकारी या प्रबंध निदेशक या निदेशक)
(अध्यक्ष सीएसआर समिति)

(अधिनियम की धारा 380 की उप-धारा (i) के खंड (घ)
में विनिर्दिष्ट व्यक्ति) (जहां कहीं लागू हो)

6. In case the company has failed to spend the two percent of the average net profit of the last three financial years or any part thereof, the company shall provide the reasons for not spending the amount in its Board report.

This being the first year of implementation the CSR Committee approved proposals amounting to Rs. 691 lacs, out of which Rs./ 459.50 lacs was spent. An amount of Rs. 101 lacs remained unallocated. The CSR Committee in its meeting held on 19.03.2015 directed to carry forward the unspent and unallocated amount to next Financial Year.

(amounting to Rs. 231.50 lakhs+101 lakhs = total Rs. 332.50 lakhs)

7. A responsibility statement of the CSR Committee that the implementation and monitoring of CSR Policy, is in compliance with CSR Objectives and Policy of the Company.

The CSR Committee states that the implementation and monitoring of CSR Policy, is in compliance with CSR Objectives and Policy of the Company.

(Chief Executive-Officer or Managing Director or Director)

(Chairman CSR"Committee)
(Person specified under clause(d) of sub-section(i) of section 380 of the Act)
(Wherever applicable)



**जयंत गुप्ता एंड एसोशिएट्स
कम्पनी सचिव
फार्म संख्या एमआर-3**

सचिवालयी लेखा परीक्षा प्रतिवेदन; दिनांक 31 मार्च, 2015को समाप्त वित्त वर्ष के लिए) खकम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) औरकम्पनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम संख्या 9 के अनुसरण में

सेवा में,
सदस्यगण
दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड
ए-25/27, आसफ अली रोड
नई दिल्ली 110002

मैंने दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड (जिसे यहां इसके बाद "कम्पनी"/"ओआईसीएल" कहा गया है) द्वारा उत्तम निगमित परिपाटियों के अनुपालन और प्रयोज्य सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन की सचिवालयी लेखा परीक्षा की है। सचिवालयी लेखा परीक्षा ऐसे तरीके से की गई जिससे हमें निगमित आचरणों/सांविधिक अनुपालनों के लिए औचित्यपूर्ण आधार और उन पर मेरा मत व्यक्त करने का औचित्यपूर्ण आधार मुहैया हुआ।

दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड की बहियों, पत्रों, कार्युत्त पुस्तिकाओं, प्रपत्रों, और प्रस्तुत की गई विवरणियों तथा कम्पनी द्वारा अनुरक्षित अन्य अभिलेखों के अपने सत्यापन के आधार पर और सचिवालयी लेखा परीक्षा के दौरान कम्पनी, इसके अधिकारियों, एजेंटों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा मुहैया कराई गई सूचना के आधार पर भी, मैं एतद्वारा रिपोर्ट करता हूँ कि मेरे मतानुसार, कम्पनी ने दिनांक 31 मार्च, 2015 को समाप्त वित्त वर्ष को आच्छादित करने वाली लेखा परीक्षा अवधि के दौरान यहां नीचे दिए गए सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन करता है और यह भी कि कम्पनी में यहां इसके पश्चात प्रतिवेदन की सीमा, तरीके और अध्यक्षीन समीचीन बोर्ड-प्रक्रियाएं और अनुपालन-व्यवस्था मौजूद हैरू

1. मैंने निम्न के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 31 मार्च, 2015 को समाप्त अवधि के लिए ओआईसीएल बहियों, पत्रों, कार्युत्त पुस्तिकाओं, प्रपत्रों, और प्रस्तुत की गई विवरणियों तथा कम्पनी द्वारा अनुरक्षित अन्य अभिलेखों की जांच की है:

**JAYANT GUPTA & ASSOCIATES
COMPANY SECRETARIES
FORM NO. MR-3**

Secretarial Audit Report (For the Financial Year ended 31st March, 2015)

[Pursuant to Section 204(1) of the Companies Act, 2013 and Rule No. 9 of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014]

To,
**The Members
The Oriental Insurance Company Limited
A-25/27, Asaf Ali Road
New Delhi 110002**

I have conducted the secretarial audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by The Oriental Insurance Company Limited (hereinafter called "the Company" / "OICL"). Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing my opinion thereon.

Based on my verification of The Oriental Insurance Company Limited's books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Company and also the information provided by the Company, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of secretarial audit, I hereby report that in my opinion, the Company has, during the audit period covering the Financial Year ended on 31st March, 2015, complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Company has proper Board-processes and compliance-mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

1. I have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by OICL for the period ended on 31st March, 2015 according to the provisions of:



- I. कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और इसके अधीन बनाए गए नियम
- II. विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा तक इसके अधीन बनाए गए नियम और विनियम
- III. सामान्य बीमा कारोबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972य बीमा अधिनियम, 1938 और भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999और इनके अधीन बनाए गए नियम

इसके अतिरिक्त, एक असूचीबद्ध कम्पनी होने के नाते, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992, प्रतिभूति संविदाएं (विनियम) अधिनियम, 1956, और निक्षेपागार अधिनियम, 1996 के अधीन निर्धारित विनियम और दिशानिर्देश कम्पनी पर लागू नहीं होते।

मैंने निम्नलिखित प्रयोज्य खंडों के अनुपालन की जांच भी की ह:

- i) भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवालयी मानक।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कम्पनी ने निम्नलिखित अवलोकनों के अध्यक्षीन उपरोल्लिखित अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि का अनुपालन किया है:

1. ओआईसीएल बीमा क्षेत्र की एक सरकारी कम्पनी है और यह आईआरडीएआई और ऐसी प्रयोज्य विधियों द्वारा भी भासित होती है। सामान्य बीमा कारोबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 की धारा 16(स)(घ) और 16(स)(ड.) के प्रावधानों और कम्पनी के संगम अनुच्छेदों के प्रावधानों के अंतर्गत, केंद्रीय सरकार के पास कम्पनी के निदेशक मंडल की संरचना पर निर्णय करने की एकमात्र भाक्ति अर्थात् निदेशक मंडल की नियुक्ति और इसे हटाने की भाक्ति है। समीक्षाधीन अवधि के दौरान बोर्ड की संरचना निम्नानुसार थी:

- I. The Companies Act, 2013 (the Act) and the Rules made thereunder;
- II. Foreign Exchange Management Act, 1999 and the Rules and Regulations made thereunder to the extent of Overseas Direct Investment;
- III. General Insurance Business (Nationalisation) Act, 1972; the Insurance Act, 1938 and the Insurance Regulatory and Development Authority of India Act, 1999 and the Rules and Regulations made thereunder.

Further, being an Unlisted Company, the regulations and guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992, The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 and The Depositories Act, 1996 are not applicable on the Company.

I have also examined compliance with the applicable clauses of the following:

- i) Secretarial Standards issued by The Institute of Company Secretaries of India.

During the period under review the Company has complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards, etc. mentioned above subject to the following observations:

1. The OICL is a Government Company in the Insurance Sector and is also governed by IRDAI and similar applicable laws. Under the provisions of Sections 16(l)(d) and 16(l)(e) of the General Insurance Business (Nationalisation) Act, 1972 and the Articles of Association of the Company, the Central Government has the sole power to decide upon the composition of the Board of Directors of the Company, i.e. power to appoint and remove Directors on the Board. The composition of the Board during the period under review was as under:



| क्र. सं. Sr. No. | व्यक्ति का नाम ” Name Of Person** | नियुक्ति की तारीख Date of Appointment | समाप्ति की तारीख Date of cessation | नामांकन और आधिकारिक क्षमता Designation & Official Capacity |
|------------------|---|---------------------------------------|------------------------------------|--|
| 1 | डॉ अजित कुमार सक्सेना Dr Ajit Kumar Saxena | 12/06/2012 | | अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (कार्यकारी निदेशक) Chairman Cum Managing Director (Executive Director) |
| 2 | श्री जतिंदरबीर सिंह Mr. Jatindirbir Singh | 23/03/2015 | | निदेशक; गैर-कार्यकारी नामांकित निदेशक Director (Non-Executive Nominee Director) |
| 3 | श्री कुलदीप सिंह Mr Kuldip Singh | 17/10/2013 | | पूर्ण कालिक निदेशक (कार्यकारी निदेशक) Whole Time Director (Executive Director) |
| 4 | डॉ. श्रीनिवास राव नागार्जुन Dr Srinivasa Rao Nagarjuna | 18/07/2013 | | निदेशक (गैर-कार्यकारी नामांकित निदेशक) Director (Non-Executive Nominee Director) |
| 5 | श्री श्याम लाल बन्सल Mr Shyam Lai Bansal | 13/12/2012 | 30/09/2014 | निदेशक (गैर-कार्यकारी नामांकित निदेशक) Director (Non-Executive Nominee Director) |
| 6 | सुश्री कौशल्या रॉय* Ms. Kaushalya Roy* | 19/12/2012 | | अंशकालिक पदेन निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) Part Time Ex- Officio Director (Independent Director) |
| 7 | श्री विजय कुमार गर्ग* Mr. Vijay Kumar Garg* | 19/02/2013 | | अंशकालिक पदेन निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) Part Time Ex- Officio Director (Independent Director) |
| 8 | श्री अमरदीप सिंह बाली* Mr. Amardeep Singh Bali* | 11/07/2013 | | अंशकालिक पदेन निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) Part Time Ex- Officio Director (Independent Director) |
| 9 | श्री सुजय बनर्जी Mr. Sujay Banarji | 17/07/2014 | | पूर्ण कालिक निदेशक (कार्यकारी निदेशक) Whole Time Director (Executive Director) |

*अंशकालिक पदेन निदेशकों के रूप में नियुक्त निदेशकों को स्वतंत्र निदेशक माना जाता है।

*अंशकालिक पदेन निदेशकों के रूप में नियुक्त निदेशकों को निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशक माना जाता है क्योंकि वे किसी भी सरकारी निकाय या उपक्रम में कोई पद या नियुक्ति धारित नहीं करते।

*The directors appointed as 'part time non officiating directors' are regarded as Independent

*The directors appointed as 'part time non of ficiating directors' are regarded as Independent Director on the Board as they do not hold any position or employment with any Government body or undertaking.



2. समीक्षाधीन अवधि के दौरान कम्पनी ने, अपनी ओर से दिन प्रतिदिन प्रचालनिक व्ययों के माध्यम से, अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कम्पनी, इंडस्ट्रीयल क्रेडिट कम्पनी लिमिटेड को अप्रत्याभूत ऋण प्रदान किए हैं, क्योंकि अनुषंगी कम्पनी कोई कारोबार नहीं कर रही है। इसके अतिरिक्त इन संबंधित पक्षकरा संव्यवहारों को निदेशक मंडल और इसकी समितियों द्वारा अनुमोदित किया जाना था। इसके अतिरिक्त, इन संबंधित पक्षकार संव्यवहारों को कम्पनी के बोर्ड और इसकी समितियों द्वारा अनुमोदित किया जाना था।

3. मैं आगे रिपोर्ट करता हूँ कि:

क. कम्पनी के निदेशक मंडल की विधिवत संरचना कार्यकारी निदेशकों, गैर-कार्यकारी निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों के उपयुक्त संतुलन सहित की गई है।

ख. निदेशक मंडल की संरचना में समीक्षाधीन अवधि में हुए परिवर्तन अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन करते हुए किए गए थे।

ग. बोर्ड की बैठकों को निर्धारित करने के लिए, सभी निदेशकों को सात दिन अग्रिम रूप से कार्यसूची और कार्यसूची पर विस्तृत टिप्पणियां देने के लिए पर्याप्त सूचना प्रदान की गई है और बैठक से पूर्व कार्यसूची की मदों पर आगे सूचना और स्पष्टीकरण मांगने और हासिल करने के लिए और बैठक में सार्थक भागीदारी के लिए प्रणाली विद्यमान है।

घ. बहुमत से लिए गए निर्णयों को कार्यान्वित किया जाता है जबकि असहमत सदस्यों के मदों को रख कर कार्यवृत्त के भाग के रूप में अभिलेखबद्ध कर लिया जाता है।

मैं आगे रिपोर्ट करता हूँ कि कम्पनी में प्रयोज्य विधियों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों का अनुपालन और इसकी निगरानी सुनिश्चित करने के लिए कम्पनी के आकार और प्रचालनों के अनुरूप पर्याप्त प्रणालियां और प्रक्रियाएं विद्यमान हैं। तथापि, समीक्षाधीन अवधि के दौरान, कम्पनी के निदेशक मंडल को कम्पनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियमावली, 2013 के नियम 13 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अंतर्गत आने वाली धोखाधड़ी का एक दृष्टांत सूचित किया गया था जिस पर बोर्ड द्वारा उपयुक्त कार्यवाई

2. *During the year under review, the Company has provided unsecured loans to Industrial Credit Company Limited, a wholly owned subsidiary company, by way of day to day operational expenses borne for and on their behalf as the subsidiary company is not transacting any business. Further, these related party transactions were to be approved the Board of the Company and its committees.*

3. I further report that:

a. The Board of Directors of the Company is duly constituted with proper balance of Executive Directors, Non-Executive Directors and Independent Directors.

b. The changes in the composition of the Board of Directors that took place during the period under review were carried out in compliance with the provisions of the Act.

c. Adequate notice is given to all directors to schedule the Board Meetings, agenda and detailed notes on agenda were sent at least seven days in advance, and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

d. Majority decision is carried through while the dissenting members' views are captured and recorded as part of the minutes.

I further report that there are adequate systems and processes in the company commensurate with the size and operations of the Company to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines. However, during the period under review, an instance of fraud covered under Section 143 of the Companies Act, 2013 read with Rule 13 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2013 was reported to the Board of Directors of the Company, which has been suitably acted upon by the Board.

I further report that the Company has, in my



की जा चुकी

मैं आगे रिपोर्ट करता हूँ कि कम्पनी ने मेरे मतानुसार और उपरोल्लिखित अवलोकनों के अध्यक्षीन, लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कम्पनी अधिनियम, 1956 और अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों निम्न के संबंध में निगमित कार्य मंत्रालय द्वारा यथा अधिसूचित कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और कम्पनी के ज्ञापन और संगम अनुच्छेदों के प्रावधानों का अनुपालन किया है:

- क. विभिन्न सांविधिक रजिस्ट्रों और दस्तावेजों का अनुरक्षण और इनमें आवश्यक प्रविष्टियां करना;
- ख. सदस्यों के रजिस्ट्रों का क्लोजर;
- ग. कम्पनी रजिस्ट्रार और केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित प्रपत्र, विवरणियां और संकल्प;
- घ. कम्पनी द्वारा अपने सदस्यों, लेखा परीक्षकों और कम्पनी रजिस्ट्रार द्वारा दस्तावेजों का शोधन;
- ङ. बोर्ड की बैठकें और निदेशकों की समितियों की बैठकें;
- च. बोर्ड की बैठकें और निदेशकों की समितियों की बैठकें जिनमें परिचालन द्वारा संकल्पों को पारित किया जाना शामिल है;
- छ. वार्षिक आम सभा का आयोजन;
- ज. आम सभा और बोर्ड और इसकी समितियों की बैठकों की कार्यवाहियों का कार्यवृत्त अभिलेखबद्ध करना;
- झ. जहां कहीं अपेक्षित हो, सदस्यों, निदेशक मंडल, निदेशकों की समितियों और सरकारी प्राधिकरणों के अनुपोदन प्राप्त करना;
- ड. निदेशक मंडल/निदेशकों की समिति (समितियों का गठन, प्रबंध निदेशक और पूर्णकालिक निदेशकों सहित निदेशकों की नियुक्ति, सेवानिवृत्ति और पुनः नियुक्ति);
- ट. प्रबंध निदेशक और पूर्णकालिक निदेशकों सहित निदेशकों को पारिश्रमिक का भुगतान;
- ठ. लेखा परीक्षकों और लागत लेखा परीक्षकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक;
- ड. कम्पनी के शेयरों का अंतरण और शेयर प्रमाणपत्रों का निर्गमन और डिस्पेच;

opinion and subject to the above mentioned observations, during the audit period complied with the provisions of the Companies Act, 1956 and the Rules made under that Act and the provisions of Companies Act, 2013 as notified by Ministry of Corporate Affairs and the Memorandum and Articles of Association of the Company, with regard to:

- a) maintenance of various statutory registers and documents and making necessary entries therein;
- b) closure of the Register of Members;
- c) forms, returns, documents and resolutions required to be filed with the Registrar of Companies and the Central Government;
- d) service of documents by the Company on its Members, Auditors and the Registrar of Companies;
- e) notice of Board meetings and Committee meetings of Directors;
- f) the meetings of Directors and Committees of Directors including passing of resolutions by circulation;
- g) holding of Annual General Meeting;
- h) recording minutes of proceedings of General Meetings and of the Board and its Committee meetings;
- i) obtaining approvals of the Members, the Board of Directors, the Committees of Directors and the government authorities, wherever required;
- j) constitution of the Board of Directors / Committee(s) of Directors, appointment, retirement and reappointment of Directors including the Managing Director and Whole-time Directors;
- k) payment of remuneration to Directors including the Managing Director and Whole-time Directors,



- ढ. लाभाशों की घोषणा और भुगतान;
- ण. जहां कहीं लागू हो, उधार और प्रभारों का पंजीकरण, संशोधन और परितुष्टि;
- त. कम्पनी की निधियों में निवेश जिसमें अन्योँ के निवेश और अन्योँ का ःरण भी शामिल हैं;
- थ. बीमा अधिनियम, 1938, आईआरडीएआई विनियम 2002 और कम्पनी अधिनियम, 2013 की संबंधित धाराओँ द्वारा यथोपेक्षित लेखों के परिपत्र और सूचना;
- द. निदेशकोँ का प्रतिवेदन;
- ध. संविदाएं, सामान्य मुहर, पंजीकृत कार्यालय और कम्पनी के नाम का प्रकाशनय और
- न. सामान्य तौर पर, अधिनियम और इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के सभी प्रयोज्य प्रावधान।

जयंत गुप्ता एंड एसोशिएट्स

स्थान: नई दिल्ली

दिनांक: 14 मई, 2015

- l) appointment and remuneration of Auditors and Cost Auditors;
- m) transfers of the Company's shares and issue and dispatch of certificates of shares;
- n) declaration and payment of dividends;
- o) borrowings and registration, modification and satisfaction of charges wherever applicable;
- p) investment of the Company's funds including investments and loans to others;
- q) form of accounts and information required by the Insurance Act, 1938, IRDAI Regulations 2002 and the relevant sections of Companies Act, 2013;
- r) Directors' report;
- s) contracts, common seal, registered office and publication of name of the Company; and
- t) Generally, all other applicable provisions of the Act and the Rules made under the Act.


For Jayant Gupta and Associates

Place: New Delhi

Date : 14th May, 2015



शीर्ष प्रबंधन टीम
के आलेख
Write-ups of the
**TOP
MANAGEMENT
TEAM**





कुलदीप सिंह

KULDIP SINGH

निदेशक और महाप्रबंधक *DIRECTOR & GENERAL MANAGER*

विपणन

वित्त वर्ष 2014-15 में, कम्पनी ने 3.93% की वृद्धि का साक्षी बनते हुए भारतीय बाजार से रु.7407.96 करोड़ का प्रीमियम अर्जित किया। वर्ष 2014-15 स्वास्थ्य/आरएसबीवाई में और अग्नि/सम्पत्ति में भी आक्रामक मूल्य-निर्धारण की वजह से एक कठिन वर्ष रहा है। ओरिएण्टल में हमने निरंतर मूल्य-निर्धारण में अनुशासन बनाए रखा और परिणामस्वरूप वृद्धि दर के कम होने के बावजूद सजग जोखिम अंकन की वजह से परिणाम बेहतर लाभप्रदता के रूप में रहा। एक बार फिर कम्पनी ने रु.617.34 करोड़ का प्रभावशाली सकल लाभ दर्ज किया, जो कि कम्पनी का एक और सफल वर्ष रहा। ये परिणाम समस्त ओरिएण्टल परिवार के सभी स्तरों पर, विशेषकर वितरण माध्यमों के स्तरों पर संयुक्त सतत कठिन प्रयासों का नतीजा हैं।

वितरण चैनल

हमारे वितरण चैनल नामतः विपणन अधिकारी, विकास अधिकारी, प्रत्यक्ष एजेंट, ब्रोकर और बैंकाश्योरेंस भागीदार निरंतर इस वर्ष में अच्छा निष्पादन करते रहे और वृद्धि दर्शाते रहे। चैनल-वार निष्पादन ब्यौरा निम्नानुसार है:

MARKETING

In the financial year 2014-15, the Company has generated a Premium of **Rs.7407.96 crores** from Indian market witnessing a Growth of **3.93%**. Year 2014-15 has been a tough year due to aggressive pricing in Health /RSBY segment and also in Fire / Property. We at Oriental continued to maintain discipline in the pricing and as a result even though the growth was lower due to cautious underwriting resulted in better profitability. Once again company recorded an impressive Gross Profit of Rs.617.34 crore, another successful year for the Company. The results are the outcome of joint continuous strenuous work of entire Oriental family at all levels especially the distribution channels.

Distribution Channels

Our various distribution channels namely marketing officers, development officers, direct agents, brokers and bancassurance partners continued to perform well in this year and showed growth. The detailed channel wise performance is as under:



केवल भारतीय प्रचालन

| चैनल | 2013-14 | 2014-15 | GR% |
|--------------------------------|---------|---------|-------|
| प्रत्यक्ष कारोबार | 1260.19 | 1228.37 | -2.53 |
| एओ(डी)/एएम (डी) | 1036.41 | 1080.47 | 4.25 |
| विकास अधिकारी (विपणन) | 1619 | 1670.16 | 3.16 |
| प्रत्यक्ष एजेंट | 1497.24 | 1639.03 | 9.47 |
| ब्रोकर | 974.1 | 1007.20 | 3.40 |
| बैंकों के साथ सहयोग व्यवस्थाएं | 256.96 | 274.73 | 6.92 |
| मोटर सहयोग व्यवस्थाएं | 483.94 | 507.99 | 4.97 |
| कुल | 7127.84 | 7407.95 | 3.93 |

ग्रामीण क्षेत्र - सामाजिक क्षेत्र बीमा:

कम्पनी ग्रामीण और सामाजिक क्षेत्र के प्रति अपने सांविधिक दायित्वों को लगातार पूरा करती रही और दायित्वों से अधिक कार्य किया। वर्ष 2014-15 में कुल प्रीमियम में ग्रामीण प्रीमियम का योगदान 12.40% था जो 7% की सांविधिक अपेक्षा से कहीं अधिक था।

सामाजिक क्षेत्र में, कम्पनी ने 92.40 लाख की न्यूनतम अपेक्षा से कहीं अधिक 382.82 लाख जीवनो को बीमा संरक्षण प्रदान किया। समीक्षाधीन अवधि के दौरान, इस क्षेत्र के निष्पादन का ब्यौरा निम्नानुसार है:

| | 2013-14 | 2014-15 |
|--|------------|------------|
| 1. कुल कल प्रीमियम जोखिम अंकन (करोड़ रुपए में) | 7127.84 | 7407.95 |
| 2. ग्रामीण क्षेत्रों में बीमाकित पॉलिसियां (संख्या में) | 2373688 | 2469750 |
| 3. ग्रामीण क्षेत्रों में बीमाकित प्रीमियम (करोड़ रुपए में) | 830.15 | 918.53 |
| 4. ग्रामीण कारोबार का : | 11.65 | 12.40 |
| 5. क्या ग्रामीण क्षेत्र का निर्धारण पूरा हुआ (हां/नहीं) | हां | हां |
| 6. सामाजिक क्षेत्र में बीमा दायरे में लाए गए जीवनो की संख्या | 1.67 करोड़ | 3.82 करोड़ |
| 7. क्या सामाजिक क्षेत्र का निर्धारण पूरा हुआ (हां/नहीं) | हां | हां |

संगठनात्मक संरचना:

न केवल समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बल्कि बीमा संरक्षण में वृद्धि करने के लिए भी असेवित

Indian operations only

(Rs. In crore)

| Channel | 2013-14 | 2014-15 | GR% |
|-----------------------|---------|---------|-------|
| Direct Business | 1260.19 | 1228.37 | -2.53 |
| AO(D)/AM (D) | 1036.41 | 1080.47 | 4.25 |
| Dev. Officers (Mktg.) | 1619 | 1670.16 | 3.16 |
| Direct Agents | 1497.24 | 1639.03 | 9.47 |
| Brokers | 974.1 | 1007.20 | 3.40 |
| Bank Tie-ups | 256.96 | 274.73 | 6.92 |
| Motor Tie Ups | 483.94 | 507.99 | 4.97 |
| TOTAL | 7127.84 | 7407.95 | 3.93 |

Rural Sector- Social Sector Insurance:

The Company continues to fulfill and surpass its statutory obligations towards the rural and social sector. In the year 2014-15, the contribution of rural premium to the total was 12.40% well above the statutory requirement of 7%.

In the social sector, the company provided insurance protection to **382.82 lakh** lives much above minimum requirement of 92.40 lakhs. During the period under review, the details of performance of this sector are as under:

| | 2013-14 | 2014-15 |
|--|------------|------------|
| 1. Total Gross Premium Underwritten (Rs. In crore) | 7127.84 | 7407.95 |
| 2. Policies u/w in rural areas (in no.) | 2373688 | 2469750 |
| 3. Gross Premium u/w in rural areas (Rs. In crore) | 830.15 | 918.53 |
| 4. % age of Rural Business | 11.65 | 12.40 |
| 5. Whether Rural Sector Stipulation met (Yes/no) | Yes | YES |
| 6. No. of lives covered in Social Sector | 1.67 crore | 3.82 crore |
| 7. Whether Social Sector stipulation met (Yes/no) | Yes | YES |

Organization Structure:

30 Business centres were opened at the unserved semi urban and rural locations to meet not only the obligation to the society but also to increase



अर्धशहरी और ग्रामीण स्थानों पर 30 कारोबार केंद्र खोले गए। इससे, कार्यालयों की कुल संख्या बढ़कर 1915 हो गई है, जिसमें 30 क्षेत्रीय कार्यालय, 350 प्रभागीय कार्यालय, 497 शाखा कार्यालय और 968 एक व्यक्ति कार्यालयों के अतिरिक्त 25 सेवा केंद्र और 38 तृतीय पक्षकार हब शामिल हैं, और ये सभी भारत की जनता का बीमा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत 50000 एजेंटों के प्रतिबद्ध कार्यबल की देख-रेख 23 एजेंसी कोचों, 321 एजेंसी प्रबंधकों और 1014 विकास अधिकारियों द्वारा की जा रही है। इन्हें प्रेरित करने के लिए नवीन प्रोत्साहन योजनाएं निरूपित की गई हैं।

संचार:

कॉल सेंटर ने अपने कामकाज का तीसरा सफल साल पूरा कर लिया है। कॉल सेंटर से सम्पर्क करने वाले ग्राहकों की औसत संख्या प्रतिमाह लगभग 28000 है। कॉल सेंटर का निष्पादन बहुत अच्छा रहा है। कॉल सेंटर ग्राहकों और कम्पनी के बीच एक महत्वपूर्ण सम्पर्क की भूमिका निभा रहा है।

प्रचार

वर्ष 2014-15 के दौरान, हमने न केवल महानगरों में बल्कि छोटे शहरों में भी काफी प्रचार किया। कम्पनी की ब्रांड इमेज में सुधार करना और अपनी उपस्थिति बाजार में महसूस कराना प्रचार विभाग का महत्वपूर्ण लक्ष्य रहा है। वर्ष 2014-15 के दौरान हमने स्थानीय स्तरों पर प्रचार गतिविधियां चलाने के लिए सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को पर्याप्त बजट आवंटित किए। निदेशक मंडल ने क्षेत्रीय प्रमुखों के लिए वित्तीय प्राधिकार में उर्ध्वगामी संशोधन को अनुमोदित कर दिया है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचार बढ़ाने के लिए, प्रत्येक क्षेत्रीय प्रमुख को अतिरिक्त वित्तीय प्राधिकार दिया गया है। हमने गांवों और छोटे कस्बों में अनेक गतिविधियों को प्रोत्साहित किया है जैसे ग्रामीण मेलों में भागीदारी, वॉल पेंटिंग, स्वास्थ्य शिविर आदि। मोबाइल कार्यालय के लिए 3 वैनो की खरीद को भी संस्वीकृत किया जा चुका है।

तकनीकी विपणन विभाग - अग्नि और अभियांत्रिकी

सम्पत्ति बीमा बाजार, जो काफी समय से नरमी का रुख अपनाए हुए है, इस वर्ष के दौरान भी भारी छूटें प्रदान करने में इसी रुख को अपनाए रहा। जहां बाजार मूल्य-निर्धारण प्रणाली में मनमाने ढंग से भावों में कमी करता रहा है, वहीं हमने अभी भी बाजार की बाध्यताओं पर विचार करने के साथ साथ ग्राहक की दावा अनाश्रयता, जोखिम संभावना के आधार

insurance penetration. With this, the total number of offices has raised to 1915, with 30 Regional Offices, **350** Divisional Offices, **497** Branch Offices and **968** One Man Offices in addition to **25** Service Centers and **38** Third Party Hubs, all dedicated to the insuring public of India.

A committed work force of 50000+ agents working in various offices is being looked after by **23** Agency Coaches, **321** Agency Managers and **1014** Development Officers. Innovative incentive schemes have been formulated to motivate them.

Communication:

Call Centre has completed third successful year of its functioning. The average number of customers approaching the call center is around 28000 per month. The Performance of the Call Center has been very good. The Call Centre is playing a vital role as a link between customers and the company.

Publicity

In the year 2014-15, we made substantial publicity not only in the metro cities but also in smaller towns. Improving brand image of the company and making our presence felt in the market has been an important goal of Publicity department. In 2014-15 we allotted sufficient budget to all Regional Offices for undertaking publicity activities at local levels. The Board of Directors has approved upward revision of Financial Authority for Regional Heads. Further to increase the publicity in rural areas, additional financial authority has been given to each Regional Head. We have encouraged various activities in villages and big towns such as participation in rural melas, wall paintings, health camps etc. Purchase of 3 vans for mobile office was also sanctioned.

TECHNO MARKETING DEPARTMENT - FIRE & ENGINEERING

The Market on Property Insurance which adopted a softening trend for quite some time now, continued to follow the similar approach in offering heavy discounts during this year also. While the market has fallen back arbitrarily on pricing mechanism, we still adopted a careful approach while granting discounts depending upon the risk perception, claim exposure of client clubbed with consideration



पर छूटें प्रदान करते हुए सतर्क रुख अपनाया हुआ है। इस बीच, प्रतिस्पर्धी धार देने के लिए, हमने छूट संस्वीकृत करने का प्राधिकार अपने क्षेत्रीय कार्यालयों में विकेंद्रीकृत किया है।

छूटों में कटौती करने और बाजार में जोखिमों के मूल्य-निर्धारण में सुधार करने के उद्देश्य से, हमारे विनियामक आईआरडीएआई ने वित्त वर्ष के अंत में सबसे पहले अग्नि जोखिमों की चुनी हुई श्रेणियों पर बर्निंग कॉस्ट कार्यान्वित करने एक पहल शुरू की है, जिसके दायरे में चरणबद्ध तरीके से बाद में अन्य विभागों को लाया जाना अभिप्रेत है। हालांकि इस पर बाजार के व्यवहार के बारे में आने वाले समय में जानकारी हो सकेगी।

कायान्तरण की इस प्रक्रिया के तहत, वर्ष के दौरान बीमांकित अग्नि प्रीमियम रु.1012.78 करोड़बनता है जिसमें की 2.60: नकारात्मक वृद्धि दर रही है। जहां तक अभियांत्रिकी विभाग का संबंध है, देश में बीमा के लिए अनेक नई परियोजनाएं आने की वजह से समूचा बीमा उद्योग दबाव से जूझ रहा है। इस प्रकार इंजीनियरिंग सेगमेंट के लिए प्रीमियम रु. 355.98 करोड़ पर टिक गया जिसमें 5.02% की नकारात्मक वृद्धि रही जबकि उद्योग की वृद्धि भी (-) 5.71% पर जूझ रही थी।

हमारे सम्पत्ति विभाग ने कम्पनी के कुल प्रीमियम में 18.10% का योगदान दिया और जब पीएसयू कम्पनियों से औसत से, बल्कि यहां तक उद्योग स्तरीय उत्पाद के मिश्रित प्रीमियमों से भी इसकी तुलना की जाए तो यह सर्वश्रेष्ठ है।

सकल आधार पर अग्नि आईसीआर 95.81% पर उच्चतर है जिसका प्रमुख कारण दो बड़े दावों की रिपोर्टिंग के साथ-साथ देश के समक्ष आई आंध्र प्रदेश में हुद हुद तूफान और जम्मू कश्मीर में बाढ़ जैसी आपदा की घटनाएं भी रहीं। तथापि, निवल आधार पर यह तुलनात्मक रूप से 83.87% के निम्नतर स्तर पर है। अभियांत्रिकी विभाग के तहत, इसका आईसीआर सकल आधार पर औचित्यपूर्ण 63.21% है और निवल आधार पर केवल 42.94% पर काफी पुरसुकून है।

इसके अतिरिक्त, दावों के समाधान में तेजी लाने के उद्देश्य से हमारे आरओ को अनेक निदेश जारी किए गए। इसमें सर्वेयरों की तत्परता से नियुक्ति, बड़ी हानियों के स्थानों पर डीओ/आरओ द्वारा दौरा किया जाना, बीमांकन और दावा दस्तावेजों की शीघ्र प्रस्तुति सर्वे रिपोर्ट की समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण प्राप्ति, सर्वेयरों के निष्पादन की समीक्षा, उपयुक्त दावा प्रावधानों का अनुरक्षण आदि शामिल है।

of market compulsions. Meanwhile, in order to give a competitive edge, we decentralized discount sanctioning authority with our Regional Offices.

In order to curtail discounts and improve pricing of risks in the market, our regulator IRDAI at the end of the financial year came up with an initiative to implement Burning Cost rates on selected categories of Fire risks, at the first instance with intent to cover the other portfolios subsequently in a phased manner. The market behavior on this, however, shall be known in the times to come.

Under this process of metamorphosis, the Fire premium underwritten during the year amounts to Rs.1012.78 cr with a negative growth rate of 2.60%. So far as Engineering portfolio is concerned, the entire Insurance Industry had been reeling under pressure with not many new projects coming up in the country viz-a-viz for insurance. Thus the premium for Engineering segment settled at Rs.355.98 cr. with a negative growth of 5.02% with Industry growth also tottering at (-) 5.71%.

Our Property portfolio contributes 18.10% of Company's total premium and this share is at its best when compared to the average of PSU companies and even the Industry level product mix premiums.

Fire ICR on Gross basis is higher at 95.81% primarily owing to reporting of couple of major claims, alongside the impact of catastrophic events experienced by the country viz. Hud Hud cyclone in AP and floods in J&K. However, on Net basis it is comparatively at a lower level of 83.87%. Under Engineering Portfolio, its ICR on Gross basis is reasonable at 63.21% and quite comfortable on Net basis at 42.94% only.

Further, various directives have been issued to our ROs in order to speed up timely settlement of claims. This includes prompt deputation of surveyors, visitation by DO/RO officials to sites of large losses, expeditious submission of underwriting & claim documents, timely & qualitative receipt of survey report, review of surveyors' performance, maintenance of proper claim provisions etc.



सुजाय बैनर्जी

निदेशक एवं महाप्रबंधक **DIRECTOR & GENERAL MANAGER**

SUJAY BANARJI

पुनर्बीमा

पुनर्बीमा एक महत्वपूर्ण जोखिम प्रबंधन उपकरण है जिसका लक्ष्य एक बीमा कम्पनी को स्वचालित दृढ़ता मुहैया कराने है जिससे यह कम्पनी का वित्तीय स्थायित्व मुहैया कराने और कम्पनी का समग्र संरक्षण सुनिश्चित करने के अतिरिक्त एक वैश्विक विस्तार प्राप्त करके अपने जोखिमों का बीमांकन और प्रभावी प्रबंधन कर सके। बीमा की तरह, पुनर्बीमा भी जोखिम अंतरण का एक सुव्यवस्थित तरीका होता है। यह बीमाकर्ता को बड़ी संख्या में जोखिमों पर आपदाकारी हानियों और विशिष्ट जोखिमों पर बड़ी हानियों के प्रति संरक्षित करता है।

पुनर्बीमा किसी बीमा कम्पनी के लिए शॉक ऑब्जर्वर के रूप में काम करता है। प्रभावी पुनर्बीमा व्यवस्था कम्पनी को इसके प्रतिद्वन्द्विता की सीमा से भी अधिक हानियों का भुगतान करने में सक्षम बनाती है और जहां तक संभव हो उतनी स्वचालित क्षमता उपलब्ध कराती है ताकि प्रत्यक्ष विपणन टीम चुनौतीपूर्ण बाजार परिस्थितियों में कारोबार को स्वीकृत करने और अपने वृद्धि संबंधी लक्ष्यों को पूरा करने की स्थिति में हो। साथ ही, पुनर्बीमा कम्पनी को तकनीकी विशेषज्ञता से भी सुसज्जित करता है।

हमारे पुनर्बीमा कार्यक्रम का लक्ष्य न्यूनतम परिव्यय पर अधिकतम सुरक्षा सुनिश्चित करना और आनुपातिक और गैर-आनुपातिक

REINSURANCE

Reinsurance as one of the important Risks Management tools aims at providing automatic capacity to an Insurance Company thereby enabling it to underwrite and manage its risks effectively, by achieving a global spread, besides providing financial stability and ensuring overall protection of Company's Balance Sheet. Like insurance, reinsurance is a methodical way of Risk Transfer. It protects insurers against large losses on particular risks and catastrophic losses on a large number of risks.

Reinsurance acts as a shock absorber for an Insurance Company. An effective Reinsurance arrangement enables a Company to pay losses even beyond its retention and provides as much automatic capacity as is possible so that the direct marketing team is in a position to accept business in challenging market conditions and achieve its growth targets. At the same time, Reinsurance also equips the Company with technical expertise.

The aim of our Reinsurance Programme is to ensure maximum protection at minimum outgo and to



संधियों के उपयुक्त मिश्रण के जरिए स्वचालित पुनर्बीमा सुविधा कराना है जिससे हमारे अपने देश और विदेशों में कारोबारी अवसरों को तेजी से विस्तार करने का सर्वोत्तम उपयोग सुगम हो सके।

स्वचालित क्षमता आनुपातिक संधियों द्वारा मुहैया कराई जा रही है जिसका लक्ष्य, कम्पनी की पूंजी पर दबाव डाले बिना, कम्पनी के निवल प्रतिधारण की सीमा से परे के जोखिमों का संरक्षण करना है। कम्पनी के निवल पर अनाश्रयताओं के संचय के जोखिम का शमन किसी एकल जोखिम की हानि से उत्पन्न होने वाली भारी हानियों या किसी एक आपदा की घटना से उत्पन्न होने वाली एक से अधिक हानियों को कवर करने के लिए हानि संरक्षण से अधिक का क्रय करके किया जाता है।

वर्ष 2014-15 में भारतीय बीमा बाजार सितंबर में जम्मू-कश्मीर की बाढ़ और अक्टूबर में हुदहुद तूफान द्वारा प्रभावित हुआ। इन आपदाओं की वजह से हमारी कैट एक्सएल संधि प्रभावित हुई है।

हमारी रिस्क एक्सएल 2014-15 संधि कुछ बड़ी जोखिम हानियों द्वारा भी प्रभावित हुई है। जहां उपरोल्लिखित जोखिम और आपदा हानियों की वजह से हमारी अग्नि और अभियांत्रिकी अधिशेष संधियों के नकारात्मक परिणाम रहे, वहीं हमारी मरीन कार्गो और विविध दुर्घटना अधिशेष संधियां पुनर्बीमाकारों को अच्छा सकारात्मक संतुलन प्रदान करती रहीं।

कम्पनी एक धीमी मगर स्थिर गति से आगे बढ़ रही है। हमारे प्रत्यक्ष प्रीमियम अभी भी दबाव में बने हुए हैं किंतु यह "लाभप्रदता सहित वृद्धि" के हमारे लक्ष्य को हासिल करने के उद्देश्य से स्व-विनियमन के माध्यम से पर्याप्त मूल्य-निर्धारण प्रणाली के लिए हमारे कठोर प्रयासों का नतीजा है। विनियामक ने भी रेटिंग की "बर्निंग कॉस्ट" पद्धति आरंभ करके जोखिमों के मूल्य-निर्धारण में सुधार की प्रक्रिया आरंभ करने की आवश्यकता महसूस की है जिसके परिणाम भारतीय बीमा बाजार को वित्त वर्ष 2015-16 की दूसरी छमाही के दौरान दिखाई देने की आशा है।

कम्पनी द्वारा जोखिमों के मूल्य-निर्धारण में सुधार और दावों पर नियंत्रण के उपायों के लिए विवेकपूर्ण जोखिम अंकन की दिशा में पिछले कुछ वर्षों में आरंभ किए गए उपाय अभी भी जारी हैं। सुपरिभाषित मानपदों के भीतर अध्यवसाय सहित अपनी वृद्धि के लक्ष्यों को हासिल करने के टीम ओरिएण्टी के प्रयासों की वजह से आने वाले समय में कम्पनी के लिए सकारात्मक जोखिम अंकन परिणाम सामने आने की आशा है।

provide automatic reinsurance facility through a proper mix of Proportional and Non-Proportional Treaties thereby facilitating best use of the rapidly expanding business opportunities in our own country and overseas.

Automatic capacity is being provided by Proportional Treaties which aim to protect the Risks which are beyond Company's Net Retention, without putting strain on Company's Capital. The risk of accumulation of exposures on Company's Net is mitigated by purchasing Excess of loss protection to cover huge losses arising out of a single risk loss or multiple losses arising out of a Cat Event.

In 2014-15, the Indian Insurance market had been hit by two major catastrophes viz Jammu and Kashmir floods in September and Hud-Hud Cyclone in October. Our Cat XL treaty has been affected due to these Cat events.

Our Risk XL 2014-15 Treaty has also been affected by a few major risk losses. Whilst our Fire and Engineering Surplus Treaties have gone into negative results due to above mentioned Risk and Cat losses, our Marine Cargo and Miscellaneous Accident Surplus Treaties continue to give a good positive balance to the Reinsurers.

The Company has been growing at a moderate yet steady pace. Our direct premium still continues to be under stress but it is the result of our striving hard for an adequate pricing through self regulation so as to achieve our target of "Growth with Profitability". The Regulator has also felt the need to initiate process of correction in pricing of risks by way of introduction of "Burning Cost" methodology of rating, the results of which are expected to be seen by Indian Insurance market during second half of financial year 2015-16.

The initiatives that were introduced by the Company in the last few years towards prudent underwriting for improvement in pricing of the risks and the controlling measures on claims still continue. Team Oriental's continuous endeavor for achieving its growth targets diligently within the well-defined parameters are expected to reap positive underwriting results for the Company, in the times to come.

Our Company's Reinsurance Programme for 2015-



वर्ष 2015.16 के लिए कम्पनी का पुनर्बीमा कार्यक्रम अलग-अलग विभागों के अपेक्षाओं के अनुरूप अत्यंत आवश्यक स्वचालित सुविधा मुहैया कराने के लिए तैयार किया गया है। इसकी सीमाएं समाप्ति जैसी ही हैं। तथापि, देनदारी विभाग, जिसमें वृद्धि हो रही है और साथ ही अभियांत्रिक वार्षिक पॉलिसियों, समूह व्यक्तिगत दुर्घटना और संधमारी बीमा पॉलिसियों में भी अतिरिक्त क्षमताएं सृजित की गई हैं। आपदा मॉडलों के आधार पर, हमारी कम्पनी के भूकम्प कवर की सीमाओं में भी संवर्धन हुआ है।

हमारी संधियों पर जम्मू कश्मीर की बाढ़ और हुद-हुद तूफान के प्रभाव के बावजूद, ओरिएण्टल की सभी आनुपातिक और गैर आनुपातिक संधियों को आईआरएडीएआई के विनियमों के दायरे के भीतर वित्तीय रूप से ठोस प्रतिभूतियों के साथ रखा गया है।

विविध

कम्पनी का विविध विभाग विविध प्रकार की पॉलिसियों की संभलाई करता है जिन्हें कॉरपोरेट के साथ साथ अलग अलग व्यक्तियों दोनों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तैयार किया गया है। विभाग अनेक वर्षों से निरंतर लाभ प्रदान करता रहा है। वर्ष 2014-15 के दौरान विविध में बीमांकित कारोबारी सेगमेंट और इसके निष्पान का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है।

| वर्ष 2014.15 | सकल प्रीमियम (करोड़ में) | सकल उपगत दावा अनुपात (%) | निवल उपगत दावा अनुपात (%) |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| देनदारी | 50.89 | 8.53 | 16.10 |
| कर्मचारी लाभ | 80.25 | 18.32 | 18.12 |
| व्यक्तिगत दुर्घटना | 149.37 | 60.29 | 57.66 |
| अन्य विविध (आरआईडी सहित) | 421.95 | 30.71 | 38.83 |

कम्पनी अधिनियम में हुए परिवर्तनों की वजह से, जो कम्पनी के निदेशक मंडल पर अधिक उत्तरदायित्व आयद करते हैं, देनदारी कारोबार भारतीय बीमा बाजार में, विशेषकर निदेशकों और अधिकारियों की देनदारी पॉलिसी जैसी लाइनों में तेजी से बढ़ रहा है।

जैसा कि आश्वासन दिया गया था, वर्ष के दौरान विभाग नई

16 has been designed to provide the much needed automatic capacity in line with the requirements of individual portfolios. The limits are generally the same as expiring. However, additional capacities have been created in Liability portfolio which is growing steadily as also in Engineering Annual policies, Group Personal Accident and Burglary Insurance policies. Based on results of Catastrophic Models, there has also been enhancement in limits of our Company's Earthquake cover.

Despite the impact of J & K Flood and Hud-Hud Cyclone losses on our Treaties, all the Proportional and Non Proportional Treaties of Oriental have successfully been placed with financially sound Securities within the ambit of IRDAI Regulations.

MISCELLANEOUS

The Miscellaneous department of the Company handles the widest variety of policies which are tailored to suit the requirements of both the corporate as well as individuals. The department has given continuous profits over many years. A brief snap shot of the business segments underwritten in Miscellaneous and their performance during the year 2014-15 is given below.

| Year 2014-15 | Gross Premium (in crores) | Gross Incurred Claims Ratio (%) | Net Incurred Claims Ratio (%) |
|----------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| LIABILITY | 50.89 | 8.53 | 16.10 |
| EMPLOYER'S LIABILITY | 80.25 | 18.32 | 18.12 |
| PERSONAL ACCIDENT | 149.37 | 60.29 | 57.66 |
| OTHER MISC (including RID) | 421.95 | 30.71 | 38.83 |

Liability business is fast growing in the INDIAN INSURANCE market particularly lines like Director's & Officer's liability policy, due to changes in the Companies Act which imposes greater responsibility on the Board of Directors of the Company.

During the year, as promised, the department was able to modify and get the Regulator's approval for the



ज्यूलर्स ब्लॉक बीमा पॉलिसी के साथ साथ कर्मचारी क्षतिपूर्ति बीमा पॉलिसी में चिकित्सा खर्च विस्तार के लिए कवर के लिए विनियामक का अनुमोदन पाने में सफल रहा। इन दोनों उत्पादों की बड़ी मांग है और हमें उन्नत वृद्धि के लिए इसका लाभ उठाने की उम्मीद है।

वर्ष के दौरान विभाग ने हमारी ओर से लाभप्रद प्रीमियम पर संवर्धित स्व-प्रतिधारण में मदद करने और मात्रा में वृद्धि करने के लिए भी कतिपय सेगमेंटों/कतिपय पॉलिसियों में जोखिम अंकन क्षमताओं की समीक्षा और वृद्धि भी की है।

विभाग का कारोबार चालू वर्ष के दौरान लाभप्रद मार्ग पर चलता रहेगा और कम्पनी की लाभप्रदता में वृद्धि के लक्ष्य में सहायक होगा।

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य बीमा हमारी कम्पनी के बड़े विभागों में से एक है। हाल के वर्षों में, इसी वृद्धि के लिहाज से इसमें उल्लेखनीय संभावना देखी गई है। स्वास्थ्य विभाग हमारा सतत वृद्धि संचालक रहा है और यह बीमा संरक्षण के नए नए क्षेत्र भी मुहैया कराता है। बढ़ती जागरूकता के साथ और विभिन्न जन योजनाओं की शुरुआत की सरकारी पहलों और अपनी जतना को कवरेज प्रदान करने के लिए राज्य स्तर की अनेक पॉलिसियों से भी, स्वास्थ्य कारोबार आने वाले वर्षों में कई गुणा बढ़ने के मार्ग पर प्रशस्त है।

वर्ष 2014-15 में ओरिएण्टल का स्वास्थ्य प्रीमियम रु. 1,98,753 लाख था। हमने जीवन 71,76,000 कवर करते हुए 12,94,700 पॉलिसियां जारी की हैं। खुदरा, समूह, बैंकशोरेंस और आरएसबीवाई सेगमेंट में स्थिर वृद्धि रही है। वर्ष 2014-15 के दौरान स्वास्थ्य विभाग का प्रदर्शन निम्नानुसार था।

| स्वास्थ्य कारोबार 2014-15 (आरएसबीवाई के अतिरिक्त) | | | |
|---|---------------------------------------|--|---------------|
| सकल प्रीमियम (लाख रुपए में) | निवल प्रीमियम (लाख रुपए में) | उपगत दावे निवल (लाख रुपए में) | आईसीआर (%) |
| 198753 | 188818 | 203128 | 107.17% |

वर्ष 2014-15 में, विभाग में विवेकपूर्ण जोखिम अंकन और परिव्यय पर नियंत्रण द्वारा लाभप्रदता पर जोर दिया गया है। हमारे पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित जोखिम अंकन पॉलिसी विद्यमान है, कारोबार का अंकन अधिक विवेकपूर्ण तरीके से किया जाता है जो हमारी जोखिम अंकन नीति के अनुरूप है।

new Jewelers Block Insurance Policy as well as cover for Medical Expenses Extension with the Employee Compensation Insurance Policy. Both these products are in great demand and we hope to capitalize on the same for improved growth .

During the year the department has also reviewed and increased underwriting capacities in certain segments/certain policies to help increased self retention of profitable premium at our end and also increase the volume growth.

The business of the department will continue to be guided along profitable lines during the current Financial Year and align with the Company's objective of growth with profitability.

HEALTH

Health Insurance business is one of the major portfolios of our Company. In recent years, it has shown tremendous potential in terms of its growth. The health business has been our constant growth driver and it also offers newer areas for insurance penetration. With increasing awareness and also government initiatives in introduction of various mass schemes and many State level policies for coverage of its population, health business is on its way to grow many folds in the coming years.

In 2014-15, Oriental's Health Insurance premium was Rs. 1,98,753 lakhs. We have issued 12,94,700 policies covering 71,76,000 lives. There has been a steady growth in Retail, Group, Bancassurance and RSBY segment. The performance of the Health portfolio is as under for the year 2014-15.

| HEALTH BUSINESS 2014-15 (EXCLUDING RSBY) | | | |
|--|-------------------------------------|---|---------|
| Gross Premium (Rs. In Lakhs) | Net Premium (Rs. In Lakhs) | Claims Incurred Net (Rs. In Lakhs) | ICR (%) |
| 198753 | 188818 | 203128 | 107.17% |

In the year 2014-15, emphasis was given on profitability of the portfolio by prudent underwriting and control on the outgo. We have Board approved underwriting policy in place, business is written more prudently, conforming to our underwriting policy. We have proper division of authority for acceptance



जोखिम की स्वीकृति और जोखिम के मूल्यनिर्धारण के लिए हमारे पास उपयुक्त प्रभाग है। समूह उत्पादों पर ध्यानपूर्वक मॉनीटरिंग की जाती है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान कड़ी प्रतिस्पर्धा की वजह से बाजार के प्रत्यक्षतः अव्यवहार्य स्तर पर प्रचलित होने के बावजूद, हमने अपनी आईसीआर और संयुक्त लागतें बरकरार रखी हैं। दावों के परिव्यय पर अंकुश लगाने के लिए प्रणाली में विभिन्न पद्धतियां आरंभ की गई हैं। जिनमें एमआईएस का विश्लेषण, ६ गोखाघड़ी के विभिन्न सतक्रता बिंदुओं की पहचान करना और फिर तदनुसार प्रदत्त दावों का विश्लेषण किया जाना शामिल है। एमआईएस का विश्लेषण प्रदत्त दावों के आंकड़ों में प्रवृत्ति और स्वरूप की जांच करने के लिए किया गया है। डीओ और आरओ की स्थानीय स्वास्थ्य टीमों को अनुपूरित करने के लिए प्रमुख केंद्रों में स्वास्थ्य समीक्षा टीमों की पुनर्संरचना/सुदृढीकरण किया गया है और इन्होंने लागतों को नियंत्रित रखने और टीपीए के निष्पादन पर निरंतर नजर रखने में उल्लेखनीय योगदान दिया।

स्वास्थ्य विनियमों की भावना के अनुरूप, हमने सभी टीपीए के साथ सेवा स्तर के करार किए हैं। इन एसएलए में टीपीए की शुल्क संरचना सहित निष्पादन और डिलीवरी तंत्र के सभी मानदंड परिभाषित किए गए हैं। ऐसे दिशानिर्देशों से वास्तव में विभिन्न प्रक्रियाओं के कूटकरण के साथ साथ टीपीए के सापेक्ष प्रचालनों/आवेदनों की एकरूपता सुनिश्चित करने में भी सहायता मिली है। आईआरडीएआई विनियमावली 2013 के अनुसार, दावों के संसाधन के लिए बिंदुवार विस्तृत सूचना देते हुए दावा दिशानिर्देश भी टीपीए को दिए गए हैं।

स्वास्थ्य विभाग द्वारा अधिमान्य प्रदाता नेटवर्क संकल्पना—पीपीएन का सुदृढीकरण भी किया गया है। इस वर्ष पीपीएन में पुणे और जयपुर 2 नए शहर जोड़े गए हैं, जहां दावा परिव्यय को नियंत्रित करने के लिए 112 परिभाषित सर्जिकल प्रक्रियाओं के लिए 2 वर्ष के लिए पहले से तय की गई दरें नियत की गई हैं। गैर-समूहबद्ध प्रक्रियाओं के लिए भी हम अस्पतालों से उनकी प्रभारों की अनुसूची पर छूट मांगते रहे हैं। दिल्ली/एनसीआर में, अस्पतालों की दरों और पेनलीकरण के संशोधन की शुरुआत की गई है और यह प्रक्रियाधीन है। अस्पतालों के संशोधन और पेनलीकरण के लिए अप्रयुक्त आंकड़े भी अस्पतालों और टीपीए से मांगे गए हैं ताकि कुछ खास अस्पतालों में रोगियों की आमद पर अंकुश लगाया जा सके और पीपीएन गतिविधि के निष्पादन का विश्लेषण भी किया जा सके।

स्वास्थ्य विभाग के निरंतर कठोर श्रम और समर्पण से, दावा अपलोड इस वर्ष 99.3% सफल रहे हैं जो गत वर्ष में इसकी अपेक्षा बहुत कम थे। जोखिम अंकन कार्यालय और टीपीए कार्यालय

of risk and pricing of risk. Group products rating is monitored keenly. Despite the market apparently operating at an unviable level over the last few years due to intense competition, we have maintained our ICR and combined costs. Different methods have been introduced in the system to check the claims' outgo, which includes, analysis of MIS, identifying various triggers for fraud and then analyzing the paid claims files accordingly. MIS have been analyzed to check the patterns and trends in the paid claims data. Health review teams have been constituted / strengthened across major centers to supplement the efforts of local health teams of DOs & ROs and they significantly contributed in containing the costs and keeping constant vigil on the performance of TPAs.

In conformity to the spirit of Health Regulations, we have entered into Service Level Agreement with all the TPAs. These SLAs define all the parameters of performance and delivery mechanism including the fee structure of TPAs. Such guidelines have really helped codifying the various processes as well as in ensuring uniformity of operations / applications viz a viz TPAs. Claims guidelines containing point wise detailed information for processing of claims has also been given to the TPAs, as per IRDAI Health Regulations, 2013.

Preferred Provider Network concept-PPN has also been strengthened by the Health Department. This year 2 new cities have been included in the PPN-Pune and Jaipur, where pre-negotiated rates have been fixed for 2 years for defined 112 surgical procedures for controlling claims outgo. For non-packaged procedures also we have been seeking discounts from the hospitals on their Schedule of Charges. In Delhi/NCR, revision of rates and empanelment of hospitals has also been initiated and under process. Utilization data for revision and empanelment of hospitals has also been called from hospitals and TPAs to check the footfall of patients in particular hospitals and also to analyze the performance of PPN activity.

With the continuous hard work and dedication of Health Department, claims upload has been made 99.3% successful this year as compared to much lower uploads in the previous years. Data flow has been made smooth from both underwriting office and TPA office. This year we are planning to link our bank



धनों से आंकड़ों के प्रवाह को सुचारु बनाया गया है। इस वर्ष हम अपने बैंक खातों को टीपीए द्वारा संसाधित दावों से लिंक करने की योजना बना रहे हैं ताकि हमारे केंद्रीय एप्लीकेशन का टीपीए प्रणाली के एप्लीकेशन के साथ पूर्ण सटीक समय एकीकरण सुनिश्चित किया जा सके।

चिकित्सा स्फीति प्रत्येक वर्ष लगभग 18% की दर से बढ़ रही है। हम अभी भी 2010 की दरों के अनुसार प्रीमियम प्रभारित कर रहे हैं, जिसका परिणाम उच्चतर आईसीआर के रूप में हुआ है। चालू वर्ष में, हम अपनी व्यक्तिगत मेडीक्लेम पॉलिसी का संशोधन करने और "हॉस्पिटल कैश" के तौर पर नए स्वास्थ्य उत्पाद के लिए अनुमोदन पाने में भी सक्षम रहे हैं। हैप्पी फ़ैमिली फ्लोटर की दरें भी आने वाले महीनों में संशोधित की जाएंगी। इन सबका मिलाकर हमारी आईसीआर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

धारणीय वृद्धि और बेहतर कारोबारी व्यवहार्यता दर्शाने के लिए अंकुश लगाए गए हैं। अंतिम पर कम नहीं, स्वास्थ्य बीमा के क्षेत्र में हमारे प्रयासों की मान्यता के रूप में, हमें वर्ष 2014-15 के लिए सर्वोत्तम स्वास्थ्य बीमा कम्पनी हेतु आउटलुक एवार्ड प्राप्त हुआ है।

विपणन - वैकल्पिक चैनल

वितरण चैनल

बैंकाश्योरेंस का निष्पादन

बैंकाश्योरेंस का निष्पादन संतोषजनक रहा है और इस चैनल से कुल योगदान रु. 274.73 करोड़ था और न केवल मौजूदा सहयोग व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने बल्कि नई सहयोग व्यवस्थाएं आरंभ करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। इस अवधि के दौरान बाजार के समसामयिक उत्पादों के अनुरूप बनाने के लिए मौजूदा बैंकाश्योरेंस उत्पाद का स्तरान्वयन और संशोधन करने के उपाय भी किए गए। एक बार आईआरडीएआई में आवेदन किए जाने और इसके अनुमोदित हो जाने पर, यह कम्पनी के लिए अतिरिक्त राजस्व लेकर आएगा।

एजेंसी बल (प्रत्यक्ष एजेंटों, एजीएनआई और एओ (डी)/एएम(डी) के अंतर्गत एजेंटों और विकास विपणन) का निष्पादन

इस चैनल (प्रत्यक्ष एजेंटों, एजीएनआई और एओ (डी)/एएम(डी) के अंतर्गत एजेंटों और विकास विपणन) का कुल प्रीमियम में योगदान 54: था जो रु. 4034 करोड़ बनता है। मुख्यालय द्वारा आरंभ किए गए एजेंसी भर्ती अभियान पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए प्रचालनिक कार्यालयों ने 4000 नए एजेंटों की भर्ती की। एजेंटों के लिए विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं की शुरुआत और प्रेरक बैठकों से उन्हें अपने निष्पादन और बाजार

accounts with TPA processed claims to ensure full real time integration of our core application with that of TPA system.

Medical Inflation is increasing approximately 18% every year. We are still charging premium as per 2010 rates, which has resulted in higher ICR. In the current year, we have been able to revise our Individual Medclaim Policy and also got approval for a new Health Product as "Hospital Cash". The rates of Happy Family Floater will also be revised in the coming months. These all together will have positive effect on our ICR.

Checks have been put in place to show sustainable growth and better business viability. Last but not the least, as a recognition of our efforts in the field of Health Insurance we have been awarded with Outlook Award for Best Health Insurance Company for 2014-15.

MARKETING - ALTERNATE CHANNELS

Distribution Channels

Performance of Banc assurance

The performance of Bancassurance channel has been satisfactory and the total contribution from this channel was 274.73 Crores and efforts were made to not only strengthen the existing tie ups but also bring in the fold of the company new tie ups. Initiatives were also taken during this period to upgrade and revise the existing Bancassurance product to align with the contemporary products in the market. Once filed and approved by the IRDAI, it will bring in additional revenue to the company.

Performance of the Agency force (Direct Agents, AGNI & Agents under AO (D)/ AM(D) & Development Marketing)

The contribution from this channel (Direct Agents, AGNI & Agents under AO (D)/ AM(D) & Development Marketing) to the total premium was 54% amounting to Rs.4034 Crores. Responding positively to the agency recruitment drive launched by Head Office, the operating offices recruited 4000 new agents. Introduction of various incentive schemes for the agents and motivational meetings have helped them to improve their performance and brand image of the company in the market. The functioning of various incentive schemes and clubs namely CMD and GM



में कम्पनी की ब्रांड इमेज में सुधार लाने में मदद मिली है। वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान विभिन्न प्रोत्साहक स्कीमों और क्लबों नामतः सीएमडी और जीएम क्लब का कामकाज असाधारण था। सीएमडी क्लब के 141 सदस्य एजेंटों और जीएम क्लब के 209 सदस्य एजेंटों ने प्रति एजेंट रु. 1.29 करोड़ के औसत प्रीमियम सहित रु. 451 करोड़ का योगदान दिया। क्लब के सदस्य एजेंटों के असाधारण प्रदर्शन को देखते हुए, हमने इनकी प्रोत्साहन योजना में संशोधन किया है जिससे उनके निष्पादन को और बढ़ावा मिलेगा।

कारोबार केंद्रों का निष्पादन

968 कारोबार केंद्रों ने की 22% वृद्धि दर सहित रु. 521 करोड़ का प्रीमियम पूरा किया। वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान 30 नए कारोबार केंद्र खोले गए। बीसी प्रभारियों को बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहनों की नई योजना कार्यान्वित की गई है। कारोबार केंद्रों की स्तर-वार संख्या और प्रीमियम निष्पादन निम्नानुसार है

| स्तर | संख्या | कुल | | | |
|------|--------|---------|---------|-------|-------|
| | | 2014-15 | 2013-14 | ACCR. | GR% |
| I | 115 | 12042 | 10609 | 1433 | 13.51 |
| II | 107 | 8414 | 7757 | 656 | 8.46 |
| III | 353 | 18480 | 14532 | 3948 | 27.16 |
| IV | 375 | 10939 | 7614 | 3325 | 43.67 |
| V | 9 | 1026 | 871 | 155 | 17.76 |
| VI | 9 | 1170 | 1222 | -52 | -4.29 |
| | 968 | 52070 | 42606 | 9465 | 22.21 |

ब्रोकरों और ब्रोकरों के विशेषज्ञ कार्यालयों का निष्पादन

कम्पनी ने ब्रोकरों के माध्यम से रु. 1007 करोड़ का प्रीमियम अर्जित किया जिसका कुल प्रीमियम में 13.60% योगदान रहा। मुंबई और बंगलौर स्थित ब्रोकर डिवीजनों ने रु. 214 करोड़ का प्रीमियम पूरा किया। इन विशेषज्ञ कार्यालयों की केंद्रित वृद्धि को देखते हुए, एक कारोबारी रणनीति के तौर पर, हमने 3 अन्य केंद्रों के प्रचालनों का स्तरोन्नयन करने का निर्णय लिया जिसके लिए संभावना अध्ययन किया जा रहा है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान ब्रोकरों के साथ नियमित बैठकें और इस कारोबार स्रोत के साथ अन्य संबंध निर्माण कवायदें की गईं।

निगमित कारोबार प्रकोष्ठों का निष्पादन

06 प्रभागीय कार्यालयों को निगमित कारोबार प्रकोष्ठों के

club was exceptional during the FY 2013-14. 141 CMD club member agents and 209 GM club member agents contributed Rs.451 Crores with an average premium of Rs.1.29 Crores per agent. Looking to the exceptional performance of club member agents, we have revised their incentive scheme which will give a further impetus to their performance.

Performance of the BCs

968 Business centres completed a premium of Rs.521 Crores with a Growth rate of 22%. 30 new Business centres were opened during the FY 2014-15. A new scheme of incentives has been implemented this year to encourage BC incharges to perform better. The tier wise number and premium performance of BCs is as under

| TIER | No | TOTAL | | | |
|------|-----|---------|---------|-------|-------|
| | | 2014-15 | 2013-14 | ACCR. | GR% |
| I | 115 | 12042 | 10609 | 1433 | 13.51 |
| II | 107 | 8414 | 7757 | 656 | 8.46 |
| III | 353 | 18480 | 14532 | 3948 | 27.16 |
| IV | 375 | 10939 | 7614 | 3325 | 43.67 |
| V | 9 | 1026 | 871 | 155 | 17.76 |
| VI | 9 | 1170 | 1222 | -52 | -4.29 |
| | 968 | 52070 | 42606 | 9465 | 22.21 |

Performance of Brokers and Broker specialized offices

The company procured a premium of Rs.1007 Crs through the Brokers' channel contributing 13.60% of total premium. Brokers Divisions at Mumbai & Bangalore completed a premium of Rs.214 Crs.. Looking to the focused growth of these specialized offices as a business strategy we have decided to upscale the operations to 3 more centres for which potential study is being carried out. Regular meetings with brokers & other relationship building exercises were carried out with this business source during the year under review.

Performance of CBUs

06 Divisional offices have been designated as Corporate business units and they contributed a premium of Rs.274 Crores with a growth rate of 25.45% in 2014-15. The dedicated relationship teams at CBUs continue to



रूप में नामित किया है और इन्होंने वर्ष 2014-15 के दौरान 25.45% की वृद्धि दर से रु. 274 करोड़ के प्रीमियम का योगदान दिया। सीबीयू में प्रतिबद्ध संबंध टीमों अपने प्रयासों को निगमित ग्राहकों पर केंद्रित करती रहीं।

वैकल्पिक चैनल, पोर्टल और ऑनलाइन बिक्री

हमने ग्राम स्तरीय उद्यमियों (वीएलई) के जरिए कम्पनी के विभिन्न उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री के लिए कॉमन सर्विस सेंटर स्पेशल पर्पज व्हीकल (एससी-एसपीवी) के साथ एक समझौता ज्ञापन किया है। सीएससी पोर्टल पर ऑनलाइन पॉलिसियां जारी करने के लिए हमारे आईएनएलआईएस एप्लीकेशन को एकीकृत किया जा रहा है। इस स्रोत से कारोबार अप्रैल से आरंभ होने की संभावना है।

हमारी कम्पनी का वेब पोर्टल निरंतर "बीमा ऑनलाइन – कहीं भी कभी भी" के आश्वासनों को पूरा करते हुए कम्पनी के ग्राहकों और एजेंटों को कुशल ऑनलाइन सेवाएं मुहैया करा रहा है। हमने वेब पोर्टल के जरिए 142425 पॉलिसियों से रु. 44.26 करोड़ से अधिक का प्रीमियम अर्जित किया।

सीएससी

हमने ग्राम स्तरीय उद्यमियों (वीएलई) के जरिए कम्पनी के विभिन्न उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री के लिए कॉमन सर्विस सेंटर स्पेशल पर्पज व्हीकल (एससी-एसपीवी) के साथ एक समझौता ज्ञापन किया है।

focus their efforts on corporate clients.

Alternative channels, portal and online selling.

We have entered into an MOU with Common Service Centre Special Purpose Vehicle (CSC-SPV) for online sale of various products of the company through their Village Level Entrepreneurs (VLEs). Our INLIAS application is being integrated for issuance of online policies at CSC Portal. The business from this source is likely to start from April onwards.

Web portal of the company continue to provide efficient service to the customers and agents of the company fulfilling the promises of "Insurance Online – any place any time". We have generated a premium of more than 44.26 crores with 142425 policies through Web portal.

CSC

We have entered into an MOU with Common Service Centre Special Purpose Vehicle (CSC-PSV) for online sale of various products of the company through their Village Level Entrepreneurs (VLEs)



नीरज कुमार
महाप्रबंधक

NIRAJ KUMAR
GENERAL MANAGER

प्रशिक्षण

किसी भी संगठन की प्रशिक्षण गतिविधि का अंतिम लक्ष्य और उद्देश्य कर्मचारियों को प्रतिस्पर्धी, निष्ठावान और अपेक्षित कार्य कौशल के साथ सुपरिचित बनाना है ताकि संगठन के लक्ष्य हासिल किए जा सकें। इस मूल दर्शन को दिमाग में रखकर और निगमित दृष्टि दस्तावेज (2011-2016) में यथा निर्धारित प्रशिक्षण के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, निगमित प्रशिक्षण विभाग निरंतर नवीन और प्रगतिशील प्रशिक्षण आरंभ करने पर फोकस करता रहा है जो संगठन की वर्तमान और भावी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें।

प्रशिक्षण के विभिन्न क्षेत्रों में एक्सपोजर पाने के उद्देश्य से, हम चार स्तरीय प्रशिक्षण प्रणाली के अनुसार अपने अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करते हैं, जिनमें शामिल हैं:-

1. ओरिएण्टल कर्मचारी प्रशिक्षण महाविद्यालय, फरीदाबाद और चेन्नई।
2. 24 क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र जिसके दायरे में 30 क्षेत्रीय कार्यालय आते हैं।
3. राष्ट्रीय बीमा अकादमी, पुणे।

TRAINING

The ultimate aim & objective of training activity of any organization is to make the employees competitive, loyal & well acquainted with the required job skills so as to achieve Organizational Goals. With this basic philosophy in mind and taking into account the objective of training as laid down in the Corporate Vision Document (2011-2016), the Corporate Training Department has been constantly focusing on introducing new and innovative training programmes catering to the present and future training needs of the organisation.

In order to get the exposure in different areas of training, we impart training to our officers/employees as per the four tier training system consisting of :-

1. Oriental Staff Training College Faridabad and Chennai.
2. 24 Regional Training Centers covering 30 Regional Offices.
3. National Insurance Academy, Pune.



4. अन्य व्यावसायिक संस्थान जैसे भारतीय बीमांकिक संस्थान, भारतीय बीमा संस्थान, आईसीडब्ल्यूए, भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज, हैदराबाद, फिक्की, स्कोप, आईएसएबीएस, आईएसटीए, वाईएमसीए आदि।

1(क) ओएसटीसी फरीदाबाद

ओएसटीसी में प्रशिक्षण कार्यक्रम इस तरीके से तैयार और नियोजित किए जाते हैं कि अधिकारियों के कौशल संबंधी अंतर का समाधान किया जा सकता है ताकि उन्हें और कुशलता से अपने कार्य निष्पादित करने के लिए अपेक्षित ज्ञान और आवश्यक कौशलों से युक्त किया जा सके और वे अपने प्रतिस्पर्धियों से आगे रहें। ओएसटीसी ने प्रबंधन विकास, मूल समावेश प्रशिक्षण, फाउंडेशन प्रशिक्षण, ओरिएंटेशन प्रशिक्षण, तकनीकी प्रशिक्षण, पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, परिवर्ती प्रशिक्षण, संकाय विकास कार्यक्रम और प्रोन्नति पूर्व प्रशिक्षण। प्रशिक्षण के अतिरिक्त, ओएसटीसी कम्पनी का संसाधन और ज्ञान केंद्र भी है। ओएसटीसी के प्रशिक्षण गतिविधियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

वर्ष के दौरान ओएसटीसी द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम/सेमीनार/कार्यशालाएं

4. Other Professional Institutes like Institute of Actuaries of India, Insurance Institute of India, ICWA, Administrative Staff College of India, Hyderabad, FICCI, SCOPE, ISABS, ISTM, YMCA etc.

1(A) OSTC FARIDABAD

The training programmes at OSTC are designed & planned in such a manner that the skills gap of officers can be addressed so that they can be equipped with necessary skills and knowledge required to perform their job more efficiently and enable them to remain ahead of their competitors. OSTC has conducted regular training programmes on Management Development, Basic Induction Training, Foundation Training, Orientation Training, Technical training, Refresher Courses, Transitional Training, Faculty development programmes and pre promotional training. Apart from training, the OSTC is also a resource & knowledge hub of the Company. Details of the training activities of OSTC are as under:-

Training Programmes/ Seminars/ Workshops conducted by OSTC during 2014-15

| प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या No. of Training Programmes | उपस्थित अधिकारियों की संख्या No. of Officers attended | कार्यशालाओं/सेमीनारों की संख्या No. of workshops/ Seminars | उपस्थित अधिकारियों की संख्या No. of Officers attended |
|---|--|---|--|
| 35 | 1161 | 9 | 347 |

ओएसटीसी 2014.15 में प्रशिक्षित अधिकारियों का श्रेणी-वार ब्यौरा

Category-wise detail of officers trained in OSTC 2014-15

| | कुल Total | अनु. जाति SC | अनु. जन जाति ST | अन्य पिछड़े वर्ग OBC | सामान्य General | महिला Female | शारीरिक रूप से निःशक्त Physically Challenged |
|---|--------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-----------------|---|
| प्रशिक्षित अधिकारियों की संख्या No. of officers trained | 1161 | 204 | 59 | 203 | 695 | 198 | 2 |
| सेमीनारों / कार्यशालाओं में उपस्थित अधिकारियों की संख्या No. of officers attended Seminars/ Workshop | 347 | 66 | 29 | 62 | 190 | 60 | 0 |
| कुल Total | 1508 | 270 | 88 | 265 | 885 | 258 | 2 |



1.(ख) ओएसटीसी, चेन्नई

ओएसटीसी चेन्नई ने पिछले वर्ष कार्य करना आरंभ किया और यह दक्षिणी क्षेत्रों में नियुक्त अधिकारियों की प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इसने 11 सत्रों के जरिए 207 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया।

2. क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र

क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र श्रेणी II, III, IV और अंशतः स्तर I संवर्गों के कर्मचारियों के लिए नियमित प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन करते हैं। पहली बार, इन क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्रों ने सीधी भर्ती अधिकारी परीक्षा के लिए उपस्थित होने वाले एससी/एसटी/ओबीसी अभ्यर्थियों का भर्ती-पूर्व प्रशिक्षण आरंभ किया। निम्नलिखित आंकड़ों में वर्ष 2014-15 की प्रशिक्षण गतिविधियों के आंकड़ों का सारांश दिया गया है:-

| आयोजित सत्रों की संख्या NO. OF SESSIONS CONDUCTED | भागीदारों की संख्या TOTAL NO. OF PARTICIPANTS | पुरुष MALE | महिला FEMALE | एससी SC | एसटी ST | ओबीसी OBC | सामान्य GEN |
|--|--|---------------|-----------------|------------|------------|--------------|----------------|
| 345 | 7164 | 5856 | 1308 | 1733 | 559 | 1162 | 3710 |

3. राष्ट्रीय बीमा अकादमी

एनआईए बीमा शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान के क्षेत्र में एक प्रमुख संस्थान है। वर्ष 2014-15 के दौरान एनआईए में 80 सत्रों के माध्यम से कम्पनी के 508 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया। एनआईए द्वारा आयोजित सेवानिवृत्त कार्यकारी अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण का उपयोग कम्पनी द्वारा स्तर ट से स्तर टप् के अधिकारियों के लिए किया जाता है।

4. अन्य व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रशिक्षण

प्रशिक्षण की प्रभावोत्पादकता में वृद्धि करने के लिए, निगमित प्रशिक्षण विभाग निरंतर प्रगतिशील प्रशिक्षण कार्यक्रमों की खोज करता है जो उपर्युक्त कार्यक्रमों के अनुपूरक होते हैं। परिणामस्वरूप, कतिपय विशेषज्ञ प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए निम्नलिखित संस्थाओं को शामिल किया गया।

-भारतीय प्रायोगिक व्यवहार विज्ञान सोसायटी (ISABS): ISABS द्वारा अपनी विभिन्न व्यवहार विज्ञान प्रयोगशालाओं द्वारा 23 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाता है।

वाईएमसीए, शिक्षण केंद्र में पीए/पीएस प्रशिक्षण:

वाईएमसीए द्वारा 30 आशुलिपिकों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

1(B) OSTC, Chennai

OSTC Chennai started functioning last year and caters to the training needs of the officers posted in the Southern Regions. It trained 207 officers through 11 sessions.

2. REGIONAL TRAINING CENTRES

Regional Training Centers conduct regular training sessions for the employees in Class II, III, IV and partly Scale I cadres. For the first time, the RTCs initiated Pre-recruitment Training for SC / ST / OBC candidates appearing for the Direct Recruit Officers Examination. Following data summarizes the training activities in 2014-15:-

3. NATIONAL INSURANCE ACADEMY

NIA is a premier institute in the field of insurance education, training and research. **508** officers of the Company were trained in NIA through **80** sessions during 2014-15. The training for Retiring Executives conducted by NIA is utilized by the Company for the officers from Scale IV to Scale VII.

4. TRAININGS AT OTHER PROFESSIONAL TRAINING INSTITUTES

To increase the effectiveness of training, Corporate Training Department constantly searches for innovative training programmes which are complimentary to the above programmes. As a result, the following institutes were roped in for conducting certain specialized trainings.

- **Indian Society for Applied Behavioral Science (ISABS):** 23 officers were trained by ISABS under its various behavioral Science labs.
- **PA's/PS's training at YMCA, Education Centre:** 30 Stenographers were imparted training by YMCA.



सचिवालयी प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान (ISTM): सीपीआईओ/पीआईओ के लिए अभिप्रेत आरटीआई पर 05 अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

विभिन्न व्यावसायिक संस्थानों ने 62 सत्रों में कम्पनी के 165 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया।

वर्ष 2014-15 के दौरान प्रशिक्षित कर्मचारियों का समेकित ब्यौरा निम्नानुसार है:-

- Institute of Secretariat Training & Management (ISTM): 05 Officers were imparted a special training on RTI meant for CPIOs/PIOs.

Various Professional Institutes trained 165 officers of the Company in 62 sessions.

The consolidated details of the employees trained during 2014-15 are as follows:-

| केंद्र Centers | प्रशिक्षित अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या No. of Officers/ Employees Trained |
|--|---|
| एनआईए NIA | 508 |
| ओएसटीसी फरीदाबाद OSTC Faridabad | 1508 |
| ओएसटीसी चेन्नई OSTC Chennai | 207 |
| आरटीसी RTCs | 7164 |
| अन्य व्यावसायिक संस्थान Other Professional Institutes | 165 |
| कुल Total | 9552 |

ग्राहक सेवा

ओआईसी की ग्राहक शिकायत संवेदनशीलता:

ओरिएण्टल इश्योरेंस अपने ग्राहकों की शिकायतों और परिवेदनाओं के प्रति संवेदी है। यह इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि हमने लगातार दूसरे वर्ष 98% परिवेदनाओं का निपटान किया और केवल 0.45% विचाराधीनता सहित 99.55% निपटान हासिल किया जिसका सारांश निम्नानुसार है:

| 31.03.2014 के अनुसार ओ/एस O/s as on 31.03.2014 | 2014-15 के दौरान सूचित Reported during 2014-15 | 2014.15 के दौरान निपटान Disposed during 2014-15 | 31.03.2015 के अनुसार ओ/एस O/s as on 31.03.2015 | % निपटान अनुपात % age disposal ratio |
|--|--|---|--|--|
| 21 | 2438 | 2448 | 11 | 99.55% |

कुशलता मानदंडों को निम्नानुसार रेखांकित किया गया है:

- 31 मार्च 2015 के अंत में 22 आरओ ने शून्य विचाराधीनता अर्जित की।

CUSTOMER SERVICE

Consumer grievance sensitivity of OIC:

Oriental Insurance is sensitive towards the complaints and grievances of its customer. This is evident from the fact that for the second year in a row we surpassed the target of 98% disposal of grievances and achieved 99.55% disposal with a pendency of 0.45% only summarized as under:


The efficiency parameters are highlighted below:

- 22 RO"s achieved zero pendency of grievances at the end of 31st March 2015.



- ओआईसी की परिवेदना समाधान प्रणाली इस प्रकार की है कि एक एक परिवेदना की निष्पक्ष सुनवाई की जाती है। दावों से संबंधित परिवेदनाओं के मामले में, एक-एक दावे की समीक्षा उच्च प्राधिकारी द्वारा की जाती है।
- कम्पनी की परिवेदना संवेदनशीलता और परिवेदनाओं की संभलाई की प्रभावोत्पादकता और गुणवत्ता का निर्णय इस तथ्य से किया जा सकता है कि दावों से संबंधित सूचित कुल परिवेदनाओं में से, 32% को पूर्णतया स्वीकृत किया गया और ओआईसी ने विलंबों या गलत इनकार के मामले में ग्राहक के पक्ष में समाधान किया। 8% प्रतिशत परिवेदनाओं को बीमित को संदेह लाभ प्रदान करते हुए आंशिक :प से स्वीकृत किया गया
- 59% परिवेदनाएं या तो पॉलीसी के स्कोप से परे पाई गईं या औचित्यपूर्ण नहीं पाई गईं। यह तथ्य दर्शाता है कि पहली बार में हमारी दावा संभलाई प्रणाली निष्पक्ष है और कोई नाजायज कटौती या अस्वीकरण नहीं किया जाता है।


ओआईसी की दावों से संबंधित शिकायतें



- स्वास्थ्य बीमा से संबंधित परिवेदनाओं पर हैदराबाद में क्षेत्रीय परिवेदना केंद्रीय अधिकारियों और टीपीए के साथ एक सेमिनार आयोजित किया गया ताकि स्वास्थ्य संबंधी परिवेदनाओं का प्रभावी ःप से प्रबंधन करने के लिए बेहतर समझ और संयुक्त रणनीति तैयार की जा सके।
- परिवेदनाओं की संभलाई और निपटान में टीपीए के निष्पादन के मूल्यांकन के लिए इनके साथ टीपीए के साथ तिमाही बैठकें आयोजित की जाती हैं।
- हमारे परिवेदना पोर्टल को नियमित ःप से अद्यतन किया जाता है और ग्राहक-मैत्रिक बनाया जाता है। हमारा राष्ट्रीय कॉल सेंटर परिवेदनाओं सहित सभी मुद्दों पर ग्राहकों की कॉल का तत्परता से उत्तर देता है।
- ओआईसी की परिवेदना निवारण प्रणाली ग्राहकों

- The Grievance Resolution System of OIC is such that each and every grievance gets a fair hearing. In case of claim related grievances, each and every claim is reviewed by a higher authority
- The grievance sensitivity of the company and the effectiveness and quality of grievance handling can be judged from the fact that of the total grievances reported relating to claims, 32% were fully accepted and OIC gave the resolution in favour of the customer in case of delays or wrong denials. 8% grievances were partially accepted giving the benefit of doubt to the insured.
- 59% grievances were found to be either beyond the scope of the policy or not reasonable. This goes to show that at the first place our claims handling is fair and no undue deductions or repudiations are made

CLAIM RELATED COMPLAINTS OF OIC



- A seminar on Health Insurance related grievances was held at Hyderabad with the Regional Grievance Nodal Officers and TPAs for better understanding and to create a joint strategy to effectively manage health related grievances.
- Quarterly meeting are held with the TPAs to assess their performance in the handling and disposal of grievances.
- Our Grievance Portal is regularly updated and made customer friendly. Our national Call Centre diligently answers to the call of the customer on all issues including grievances.
- The Grievance Redressal Machinery of OIC is



की आवश्यकताओं के प्रति प्रभावी, कार्यकुशल और प्रतिक्रियावादी है(जिसमें ये सुनिश्चित करने के लिए सभी स्तरों पर समय और प्रयास लगाए जाते हैं कि पीड़ित ग्राहक वांछित और संरक्षित महसूस करे।

उत्पाद विकास

वर्ष 2014-15 के दौरान गतिविधियों के उल्लेखनीय क्षेत्रों में से एक नए उत्पाद विकसित करना और इसके पुनःमूल्य निर्धारण सहित मौजूदा उत्पादों का संशोधन करना है। इस अवधि के दौरान किए गए प्रयासों के उल्लेखनीय परिणाम सामने आए हैं, और प्रस्तुत किए गए तीन में से दो उत्पादों को विनियामक द्वारा स्वीकृत किया गया है। ये हैं व्यक्तिगत मेडिकलेम पॉलीसी और ओरिएण्टल हैप्पी कैश पॉलीसी। हैप्पी फैमिली फ्लोटर 2015 (मौजूदा एचएफएफ नीति का संशोधित संस्करण) भी प्रस्तुत किया गया है और इसके अनुमोदन की प्रतीक्षा है। यह एक चुनौती रहा है, क्योंकि हमारा फोकस बाजार वृद्धि की प्रक्रिया को अनुपूरित करने के उद्देश्य से मूल्य प्रतिस्पर्धात्मकता अनुरक्षित करने के साथ साथ उत्पाद के गुणों को उन्नत बनाने पर रहा है।

विभाग का प्रारंभिक फोकस स्वास्थ्य उत्पादों पर है क्योंकि ये उत्पाद कम्पनी के वित्तीय परिणामों में उल्लेखनीय योगदान दे रहे हैं और यह अवस्था तब प्राप्त हुई जब प्रीमियम संशोधन अपेक्षित था। मौजूदा बाजार अपेक्षाओं की वजह से उत्पाद विशेषताओं का स्तरोन्नयन करने की भी आवश्यकता थी। वर्तमान में हम उच्च निवल मूल्य व्यक्तियों (एचएनआई) के लिए वैश्वित स्वास्थ्य उत्पाद विकसित करने, बैंकाशोरेंस स्वास्थ्य पॉलिसियों के संशोधन, घरेलू और दुकानदारों के पैकेज उत्पाद विकसित करने पर फोकस कर रहे हैं।

जोखिम प्रबंधन

विभाग में जोखिम प्रबंधन गतिविधियों के गतिशील माध्यम को जारी रखते हुए, निम्नलिखित दो महत्वपूर्ण लक्ष्य हासिल किए गए हैं।

1. धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन रूपरेखा का कार्यान्वयन
2. ईआरएम (उद्यम जोखिम प्रबंधन) कार्यान्वयन आरंभ करना

धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन रूपरेखा

जैसा कि बोर्ड द्वारा अनुमोदित धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन नीति में परिकल्पित किया गया है, प्रबंधन रूपरेखा का कार्यान्वयन किया गया है। विभिन्न विभागों से प्राप्त सुझावों के आधार पर धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन मनुअल संकलित किया गया है।

effective, efficient and responsive to the needs of the customers; putting in time and effort at all levels to ensure that an aggrieved customer feels wanted and cared for.

PRODUCT DEVELOPMENT

One of the significant areas of activity during 2014-15 has been devising new products and modification of existing products including its repricing. The efforts put in this period has brought significant results, with two of the three products filed being approved by the Regulator. These are Individual Mediclaim Policy and Oriental Happy Cash Policy . Happy Family Floater 2015 (revised version of existing HFF Policy) has also been filed and is awaiting approval. It has been a challenge, as focus was to improve the product features while maintaining price competitiveness so as to supplement the process of market growth.

Initial focus of the department is on the Health products as these are the ones contributing significantly to Company's financial results and the stage was reached when premium revision was required. The product features also needed an upgrade due to existing market requirements. Presently we are focusing on devising a Global Health product for High Net worth individuals (HNIs), revision of Bancassurance health policies, Householders" and Shopkeepers" Package products.

RISK MANAGEMENT

While continuing with the vibrant mode of risk management activities in the department, following two important milestones have been achieved-

1. Implementation of Fraud Risk Management Framework
2. Initiation of ERM (Enterprise Risk Management) implementation

Fraud Risk Management Framework

As envisaged in the Board approved Fraud Risk Management Policy the management framework has been implemented. Fraud Risk Management Manual has been compiled on the basis of inputs received from various departments. A Fraud Cases



धोखाधड़ी के जोखिम से संबंधित सभी मुद्दों पर ध्यान देने के लिए एक धोखाधड़ी मामलों की समीक्षा समिति गठित की गई है।

उद्यम जोखिम प्रबंधन

ईआरएम कार्यान्वयन के लिए परामर्शदाता नियोजित करने के मामले को इस वित्त वर्ष में मैसर्स पीडब्ल्यूसी के सेवाएं विनियोजित करके अंतिम रूप दिया गया। ये राष्ट्रीय बीमा और साथ ही यूनाइटेड बीमा के लिए साझे परामर्शदाता निकाय के रूप में काम करेंगे। कार्यान्वयन का प्रथम चरण 8 अप्रैल 2015 को परियोजना आरंभ होने की बैठक से शुरू हुआ जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, महाप्रबंधकों, उपमहाप्रबंधकों और मुख्यालयों के मुख्य प्रबंधकों ने भाग लिया।

ईआरएम रूपरेखा और इसका कार्यान्वयन पांच चरणों में किया जाएगा, जो छह महीने में पूरा किया जाना निर्धारित है। इनमें परियोजना आरंभ होने के समय की बैठकें, जोखिम पहचान, जोखिम आकलन और प्राथमिकता, जोखिम शमन, ईआरएम पॉलिसियां विकसित करना और सूचना देना शामिल होगा।

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व

ओरिएण्टल इंश्योरेंस ने निगमित कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 27 फरवरी 2014 की अधिसूचना संख्या जीएसआर 129(E) द्वारा अधिसूचित अनुसूची VII और इसके संशोधनों के तहत सूचीबद्ध प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार सीएसआर गतिविधियां आरंभ की हैं। तदनुसार वित्त वर्ष 2014-15 में सीएसआर समिति (कम्पनी के निदेशक मंडल की उप-समिति) का गठन किया गया। बोर्ड की सीएसआर उप-समिति और निदेशक मंडल ने दिनांक 23 सितंबर, 2014 को सीएसआर नीति अनुमोदित की है। वित्त वर्ष 2014-15 के लिए सीएसआर गतिविधियों के लिए रु. 7.92 करोड़ आवंटित किए गए।

कम्पनी ने अपनी सीएसआर गतिविधियां कम्पनी के स्थापना दिवस, दिनांक 12 सितंबर, 2014 को दिल्ली सरकार, महिला एवं बाल कल्याण विभाग द्वारा चलाए जा रहे अनाथालयों में रहने वाले बच्चों के लिए आजाद हिंद ग्राम की शैक्षणिक यात्रा आयोजित करके आरंभ की। कम्पनी ने प्रधान मंत्री के 'स्वच्छ भारत अभियान' और 'स्वच्छ गंगा अभियान' में भी योगदान दिया। कम्पनी ने जम्मू कश्मीर की बाढ़, हुद हुद तूफान, असम और मेघालय की बाढ़ों के लिए निधियों का योगदान दिया। कम्पनी ने नई दिल्ली में वृद्धाश्रमों की दैनिक अवसंरचना संबंधी आवश्यकताएं मुहैया कराईं।

Review Committee has been formed to look into all issues related to fraud risk

Enterprise Risk Management

The matter of engaging consultant for ERM implementation was concluded in this financial year by engaging services of M/S PwC. They would be working as common consultant for National Insurance and United India Insurance as well. First phase of implementation has begun with the project launch meeting on 8th April 2015 which was attended by CMD, GMs, DGMs and Chief Managers of Head Office.

ERM framework and its implementation would be done in five phases, scheduled to be completed within six months. These will include project kick-off meetings, Risk Identification, Risk Assessment & Prioritization, Risk Mitigation, Developing ERM policies and reporting

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

ORIENTAL INSURANCE has undertaken CSR Activities in accordance with Section 135 of Companies Act, 2013 for thrust areas listed under Schedule VII notified by Gazette Notification no. G.S.R. 129(E) dated 27th February, 2014, issued by Ministry of Corporate Affairs and amendments thereof. Accordingly, The CSR Committee (a Sub-Committee of the Board of Directors of the Company) was constituted in the Financial Year 2014-15. The CSR Sub-Committee of the Board and Board of Directors has approved the CSR Policy of the Company on 23rd September, 2014. Budget of Rs. 7.92 crores was allocated for CSR activities for the FY 2014-15.

The Company started its CSR initiatives on 12th September, 2014, the Founder's day of the Company, by organizing an Educational Trip at Azad Hind Gram for the children living in orphanages run by the Delhi Government, Department of Women and Child Development. The Company also contributed to PM's initiative of 'Swachh Bharat Abhiyan' & 'Clean Ganga Mission'. The Company contributed funds for relief and rehabilitation of victims of J & K Floods, Hud Hud Cyclone, Assam and Meghalaya Floods. The Company provided daily infrastructure requirements of Old Age homes in New Delhi.



के.के. राव

महाप्रबंधक

K. K. RAO

GENERAL MANAGER

भारत के अनेक बड़े औद्योगिक और वाणिज्यिक समूह मुंबई स्थित मुख्यालय से प्रचालन कर रहे हैं। जहां यह सूची बहुत बड़ी है, इनमें से प्रमुख औद्योगिक घराने हैं टाटा, अम्बानी, रुइया आदि। इस प्रकार बीमा कारोबार, विशेषकर सामान्य बीमा का उल्लेखनीय भाग मुंबई से संचालित किया जाता है। निम्नलिखित सारणी में सामान्य बीमा कम्पनियों के बाजार के रूप में मुंबई को महत्ता दी गई है।

Many large industrial and commercial groups in India operate with Mumbai as Headquarters. While the list is very big, prominent among these industrial houses are the Tatas, Ambanis, Ruias etc. Thus substantial portion of insurance business, particularly General Insurance, is transacted from Mumbai. The following table gives the importance to Mumbai as a market for General Insurance Cos.

| पीएसयू कम्पनियां | आरओ की संख्या | अखिल भारतीय प्रीमियम | मुम्बई का प्रीमियम | % |
|------------------|---------------|----------------------|--------------------|----|
| राष्ट्रीय | 3 | 11257 | 1726 | 15 |
| न्यू इंडिया | 7 | 13209 | 3674 | 28 |
| युनाइटेड इंडिया | 3 | 10692 | 1336 | 13 |
| ओरिएण्टल | 4 | 7408 | 1345 | 18 |

| PSU Cos. | No. of Ros. | Premium All India | Premium of Mumbai | % |
|--------------|-------------|-------------------|-------------------|----|
| National | 3 | 11257 | 1726 | 15 |
| New India | 7 | 13209 | 3674 | 28 |
| United India | 3 | 10692 | 1336 | 13 |
| Oriental | 4 | 7408 | 1345 | 18 |

एक बाजार के तौर पर मुंबई की महत्ता को देखते हुए और बाजार की मांगों पर तत्पर और तुरंत प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए, ओरिएण्टल ने वर्ष 2013 में महाप्रबंधक और 2 अधिकारियों की नियुक्ति के साथ महाप्रबंधक का एक कार्यालय खोला है। जुलाई 2014 में अतिरिक्त अधिकारियों की नियुक्ति करके महाप्रबंधक कार्यालय का सुदृढ़ीकरण

In view of the importance of Mumbai as a market and to ensure more prompt and immediate response to the market demands, Oriental has opened a General Manager's Office in the year 2013 with a posting of GM and 2 Officers. In July 2014, GM Office strength was augmented with posting of additional officers (present strength is 6). After this



किया गया (वर्तमान क्षमता 6 है)। इसके बाद मुंबई के 4 क्षेत्रीय कार्यालयों से संबंधित निम्नानंकन और दावों का निर्णय महाप्रबंध के कार्यालय द्वारा किया जा रहा है।

वर्ष 2015.16 के लिए मुंबई में कार्यालयों से संबंधित लक्ष्य 20% की वृद्धि दर सहित रु. 1577 करोड़ है। इसके लिए प्रमुख रूप से फोकस मुंबई में मोटर बीमा गठबंधन कारोबार विकसित करने और साथ ही रीटेल मार्केटिंग के लिए संख्याएं विकसित करने और मजबूत एजेंसी बल को पोषित करने पर भी रहेगा।

all decisions of underwriting and claims pertaining to 4 Regional Offices of Mumbai are being attended to by GM Office.

The target for Offices in Mumbai is Rs. 1577 Crs. For 2015-16 with growth rate of 20 %. The main focus would be on developing Motor tie-up business in Mumbai and also develop numbers & nurturing strong agency force for retail marketing.



पी.के. भगत
महाप्रबंधक

P. K. BHAGAT
GENERAL MANAGER

सम्पदा एवं स्थापना विभाग

कम्पनी के स्वामित्व वाली सम्पत्ति का प्रबंधन

कम्पनी के स्वामित्व वाले सभी परिसरों की साज-सज्जा और इनका सभी आवश्यक सुख-सुविधाओं के साथ आधुनिकीकरण करने के लिए कठोर प्रयास किए जा रहे हैं। दिल्ली और देश के अन्य स्थानों पर स्थित कम्पनी के स्वामित्व वाले सभी फ्लैटों का अनुरक्षण सर्वोत्तम मानदंडों के अनुरूप किया जा रहा है ताकि अधिभोगियों की पूर्ण संतुष्टि की जा सके और सम्पत्तियों की ईष्टतम उपयोगिता हासिल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, कानूनी मुद्दों का कठोरतत्पूर्वक दिन-प्रतिदिन आधार पर अनुसरण किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कम्पनी के हितों का पूर्ण संरक्षण किया जा सके। सम्पदा विभाग ने स्वामित्व के अभिलेखों को सुरक्षित तरीके से रख-रखाव करने के लिए कम्पनी के स्वामित्व वाली सम्पत्तियों के शीर्ष विलेखों का डिजिलटाइजेशन किया है।

कम्पनी के परिसरों का नवीकरण

हमारे सम्पदा विभाग का प्रयास देश भर में अपने सभी कार्यालयों का नवीकरण और आधुनिकीकरण करने का रहा है। इस दिशा

ESTATE & ESTABLISHMENT DEPARTMENT

Management of Company Owned Property

Rigorous efforts are being made to facelift all our Company Owned Premises and modernize them with all necessary amenities. All Company Owned Flats at Delhi and other locations in the Country have been maintained to the best of standards to ensure full occupant satisfaction and efforts are being made to have optimum utilization of the properties. In addition to this, legal issues are being rigorously followed up on day-to-day basis to ensure that the interest of the Company is fully protected. Estate Department has digitalized the Title Deeds of Company Owned Properties to ensure safe upkeep of ownership records.

Renovation of Office Premises

It has been the Endeavour of our Estate Department to renovate and modernize all its offices across the Country. In this direction, we have renovated the newly acquired premises at Aggarwal House, Asaf Ali Road, New Delhi; part of the premises situated on Ground Floor, Oriental House, Head Office, New



में, हमने अग्रवाल हाउस, आसफ अली रोड, नई दिल्ली स्थित नए अधिग्रहीत परिसर(भूतल, आरिएण्टल हाउस मुख्यालय, नई दिल्ली के भाग और एमआरओ ।।, मुंबई के साथ साथ मुंबई स्थित महाप्रबंधक के कार्यालय का नवीकरण किया है।

कम्पनी द्वारा सम्पत्ति की खरीद

गत वर्ष के दौरान की गई पहलों की निरंतरता में, हमारे सभी कार्यालयों को स्थान मुहैया कराने और विभिन्न संवर्गों के कर्मचारियों को उपयुक्त आवास उपलब्ध कराने के लिए देश के सभी भागों में आवासीय सम्पत्तियों के साथ-साथ वाणिज्यिक सम्पत्तियों की खरीद के लिए इस वित्त वर्ष के दौरान अत्यधिक प्रयास किए गए हैं। इस दिशा में, कम्पनी राज्य निकायों या सरकारी कम्पनियों से निम्नलिखित सम्पत्तियों को खरीदने में सफल रही है:-

- छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड से नया रायपुर में 3 अतिरिक्त नए मकानों की खरीद।
- एनबीसीसी ग्रीन व्यू एपार्टमेंट्स, सेक्टर 37डी, गुडगांव में एनबीसीसी से टाइप डी के 5 आवासीय फ्लैटों की खरीद।
- एनबीसीसी से एनबीसीसी सेंटर, फेज I, ओखला, नई दिल्ली में 13,318 वर्ग फुट वाणिज्यिक स्थल और 31 कवर्ड कार पार्किंग की खरीद।
- एनबीसीसी सेंटर, लाल कोठी स्कीम, जयपुर में एनबीसीसी से 9,180 वर्ग फुट वाणिज्यिक स्थल की खरीद
- एनबीसीसी प्लाजा, करेलीबाग, वडोदरा में 2356 वर्ग फुट वाणिज्यिक स्थल और 2 कवर्ड पार्किंग की खरीद
- आरओ चेन्नई, सीबीआरओ और आरटीसी चेन्नई को स्थान मुहैया कराने के लिए सैफ गेम्स विपेज वाणिज्यिक स्थल - I, कोयम्बेडु, चेन्नई में तमिलनाडु हाउसिंग बोर्ड से 20,000 वर्ग फुट वाणिज्यिक स्थल और 25 आरक्षित कार पार्किंग की बुकिंग
- किदवई नगर (ईस्ट), नई दिल्ली में एनबीसीसी से 45,000 वर्ग फुट वाणिज्यिक स्थल और 125 कवर्ड पार्किंग की खरीद

कार्यालय परिसर - लीज मामले

हमारा प्रयास पूरे भारत में सम्पदा कार्यशालाएं आरंभ करके सम्पदा विभाग के अधिकारियों को संवेदी बनाने का है, इस प्रयास ने लाभ प्रदान करना आरंभ कर दिया है और लीज मामलों के नवीकरण में उल्लेखनीय सुधार रहा है। अधिकांश लीज करारों का नवीकरण समाप्ति से पहले समय रहते किया जा रहा है जिसका परिणाम भाड़े के व्यय में हुई बचत के

Delhi and the premises of MRO II, Mumbai as well as newly set up GM's Office at Mumbai.

Purchase of Property by the Company

In continuation of the initiatives taken during previous years, enormous efforts have been made during this fiscal to purchase Commercial as well as Residential Properties in all parts of the Country to house our Offices and provide suitable accommodation to employees of various cadres. In this direction, the Company has been able to purchase the following properties from State Bodies or Govt. Companies:-

- Purchase of additional 3 No. Independent Houses at Naya Raipur from Chhattisgarh Housing Board
- Purchase of 5 No. Type D Residential Flats from NBCC in NBCC Green View Apartments, Sector 37D, Gurgaon
- Purchase of Commercial Space of 13,318 sq.ft. & 31 Covered Car Parkings from NBCC in NBCC Centre, Phase I, Okhla, New Delhi
- Purchase of Commercial Space of 9,180 sq.ft. from NBCC in NBCC Centre, Lal Kothi Scheme, Jaipur
- Purchase of Commercial Space of 2356 sq.ft. & 2 Covered Car Parkings in NBCC Plaza, Karelibaug, Vadodara
- Booking of 20,000 sq. ft. of Commercial Space & 25 Reserved Car Parkings from Tamil Nadu Housing Board at SAF Games Village Commercial Site - I, Koyambedu, Chennai to house RO Chennai, CBRO & RTC Chennai.
- Purchase of additional 45,000 sq.ft. Commercial Space & 125 Covered Car Parkings from NBCC in Kidwai Nagar (East), New Delhi.

Office Premises - Lease Matters

Our efforts to sensitize officers in Estate Dept. all over India by conducting Estate Workshops have started paying dividends and there has been remarkable improvement in renewal of Lease Matters. Most of the Lease Agreements are being renewed in time



रूप में हुआ है।

हमारे कर्मचारियों के साथ-साथ ग्राहकों को बेहतर सुख-सुविधाएं मुहैया कराने और भाड़े के व्यय को न्यूनतम करने के लिए, 31 मामलों में शिफ्टिंग की अनुमति दी गई और 3 परिसर वापस किए गए।

राजभाषा कार्यान्वयन

हमारी कंपनी भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुसार दैनिक कार्यालयीन कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। हमने वर्ष के दौरान भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन में राजभाषा अधिनियम की धारा 3 (3) का पूर्ण रूप से पालन करने के साथ ही हिंदी में मूल पत्राचार के मामले में उल्लेखनीय प्रगति की है। हम अपने सभी कॉरपोरेट और व्यक्तिगत ग्राहकों की बीमा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उनकी भाषा में संवाद करने के लिए सदैव प्रतिबद्ध हैं। कर्मियों को हिंदी भाषा, आशुलिपि व टंकण प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से कंपनी ने "मानक बीमा शब्दावली" का प्रकाशन किया है। कंपनी के प्रधान कार्यालय स्तर से गृह पत्रिका 'ओरिएण्टल संवाद' का भी त्रैमासिक प्रकाशन किया जा रहा है।

वर्ष 2014-15 के दौरान सचिव (राजभाषा), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय ने हमारी कंपनी के प्रधान कार्यालय का निरीक्षण किया।

कंपनी के विभिन्न कार्यालयों में 15 से 29 सितंबर 2014 के दौरान हिंदी पखवाड़ा व 15 सितंबर 2014 को हिंदी दिवस का आयोजन किया गया। हिंदी पखवाड़े के दौरान आयोजित की गई विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताओं में कर्मियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया व पुरस्कार प्राप्त किए।

सूचना का अधिकार

ओरिएण्टल इंश्योरेंस काफी पहले वर्ष 2009 में आरटीआई मामलों के विकेंद्रीकरण में अग्रणी निकायों में से है। परिणामस्वरूप, आरटीआई आवेदनों के साथ साथ उन पर प्रथम अपीलें भी मुख्यालय और देश भर में विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों दोनों में प्राप्त किए जाते हैं। हमारे मुख्यालय और प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में पृथक-पृथक केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) और प्रथम अपीलीय प्राधिकारी हैं। आरटीआई मामलों पर तत्परता से कार्रवाई की जाती है और इनका निपटान सांविधिक समय के भीतर तेजी से किया जाता है।

before expiry, resulting in savings in rental outgo.

To provide better amenities to our employees as well as customers and minimize the rental outgo, shifting was allowed in 31 cases and 3 premises were surrendered.

OFFICIAL LANGUAGE IMPLEMENTATION

It has been Company's continuous endeavor to encourage the use of Hindi in day-to-day office work in accordance with the Official Language policy of the Government of India. In the field of original correspondence in Hindi and compliance of section 3 (3) of the Official Language Act of Government of India, we have made a notable progress during the year. We, in the Company, are committed to meet the insurance requirements of all our corporate and individual clients through their own language. In coordination with Department of Science and Technical terminology, Ministry of Human Resource Development, Government of India, Company has published the "Standard Insurance Glossary". A house magazine "Oriental Samvaad" is also being published quarterly at Head Office level.

During the year 2014-15, Secretary (OL), Official Language Department, Ministry of Home Affairs inspected our Company's Head office.

During 15-29 September, 2014 "Hindi Fortnight" and on 15th September, 2014 "Hindi Day" was organized in all the Offices of the Company. Large number of employees participated and won prizes in various Hindi Competitions organized during the Fortnight.

RIGHT TO INFORMATION

Oriental Insurance was one of the pioneers of decentralizing the RTI matters, way back in the year 2009. As a result, RTI Applications as well as First Appeals thereon are received both at Head Office and various Regional Offices across the length and breadth of the country. We have separate Central Public Information Officers (CPIOs) and First Appellate Authorities (FAAs) for Head Office and each of our Regional Offices. RTI matters are promptly attended to and expeditiously disposed of within the statutory time.



सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 (1) (ख) द्वारा यथोपेक्षित अनियार्य प्रकटीकरण किए गए हैं और सूचना कम्पनी की वेबसाइट पर रखी गई है। इसी प्रकार, आरटीआई विभाग के संबंध में सांख्यिकीय आंकड़ों को केंद्रीय सूचना आयोग की वेबसाइट पर तिमाही आधार पर नियमित रूप से अपलोड किया जाता है।

समस्त भारत में हमारे विभिन्न कार्यालयों द्वारा प्राप्त और कार्रवाई किए गए आरटीआई आवेदनों और प्रथम अपीलों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

| | आवेदन | अपीलें |
|---|-------|--------|
| कम्पनी द्वारा प्राप्त कुल आवेदन/अपीलें (01.04.2014 से 31.03.2015) | 2141 | 278 |
| कम्पनी द्वारा निपटाए गए कुल आवेदन/अपीलें (01.04.2014 से 31.03.2015) | 2002 | 255 |

आवेदन/अपीलें प्राप्त करने के अतिरिक्त, मुख्याल और क्षेत्रीय कार्यालयों के आरटीआई विभागों के अधिकारी भी केंद्रीय सतक्रता आयोग द्वारा की गई विभिन्न सुनवाइयों में उपस्थित हो रहे हैं। सीआईसी के सभी आदेशों के साथ साथ समय समय पर इनके द्वारा जारी विभिन्न निदेशों का अक्षरशः अनुपालन किया जा रहा है।

हमने वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग के निदेशों के अनुसार आरटीआई आवेदनों/अपीलों की ऑनलाइन फाइलिंग के लिए अपनी प्रणाली का एकीकरण किया है।

Mandatory disclosures as required by Sec. 4 (1) (b) of the Right to Information Act 2005 have been made and information put on the website of the company. Likewise, statistical data with respect to the RTI Department is being regularly uploaded on quarterly basis on the website of the Central Information Commission.

Details of RTI Applications and First Appeals received and dealt with by our various Offices all over India is as under:

| | Applications | Appeals |
|---|--------------|---------|
| Total Applications/ Appeals received by the Company (01/04/2014 to 31/03/2015) | 2141 | 278 |
| Total Applications/ Appeals disposed of by the Company (01/04/2014 to 31/03/2015) | 2002 | 255 |

Apart from receiving Applications/Appeals, Officials of RTI Department at Head Office and Regional Offices, are also attending various Hearings held by Central Information Commission. All the orders of the CIC as well as various directives issued by it from time to time are being complied with in letter and spirit.

We have integrated our system for online filing of RTI applications/appeals as per directions of Ministry of Finance, Department of Financial Services.



पी. सेंथिलकुमार
महाप्रबंधक

P. SENTHILKUMAR
GENERAL MANAGER

मानव संसाधन:

मानव संसाधन विभाग निरंतर ईष्टतम एचआर हस्ताक्षेप के साथ प्रशासनिक कुशलताओं में सुधार के लिए निरंतर प्रयासरत है। विभाग ने प्रचालनिक कार्यालयों में कमी को पूरा करने के लिए भर्ती में सुदृढ़ गतिविधियां जारी रखीं। निष्पादन मूल्यांकन प्रबंधन प्रणाली और प्रोन्नति नीति में प्रासंगिक परिवर्तन करके कार्य बल के प्रोत्साहन स्तरों में सुधार लाने के लिए विश्वसनीय प्रयास किए जा रहे हैं। एचआर प्रभाव को निर्धारित करने के लिए विभागीय समीक्षाओं और कार्यान्वयन विधानों से सुनिश्चित होता है कि सभी प्रासंगिक प्रक्रियाओं, नीतियों और परिपाटियों का अनुपालन किया जा रहा है।

मानव संसाधन विभाग (श्रेणी I प्रकोष्ठ):

प्रोन्नति कार्रवाई 2014-15 में अगस्त, 14 के महीने में श्रेणी I संवर्ग में स्केल V तक के लिए प्रोन्नति आदेश जारी किए गए थे। घोषित प्रोन्नतियों की संख्या निम्नानुसार थी:

| जिस संवर्ग में प्रोन्नति हुई | घोषित प्रोन्नतियों की संख्या |
|------------------------------|------------------------------|
| स्केल I से स्केल II | 173 |
| स्केल II से स्केल III | 96 |
| स्केल III से स्केल IV | 38 |
| स्केल IV से स्केल V | 17 |

स्केल VI से VII स्केल के संवर्ग में प्रोन्नतियों की प्रक्रिया समय

HUMAN RESOURCES:

Human Resource Department continued its efforts to improve organizational efficiencies with optimum HR intervention. The Department continued robust activities of recruitment to meet the shortfall in the Operational Offices. Sincere efforts are being made to improve the motivational levels of the work force by making relevant changes in the performance appraisal management system and promotion policy. The Department reviews and implements legislations to determine HR impact and ensure that all relevant procedures, policies and practices are in compliance.

HR DEPTT. (CLASS I CELL):

In the Promotion Exercise 2014-15 Promotion Orders were released in the month of August"14, up to Scale V in Class I Cadre. The number of promotions declared were as under :

| The cadre to which promoted | No. of Promotions declared |
|-----------------------------|----------------------------|
| Scale I to Scale II | 173 |
| Scale II to Scale III | 96 |
| Scale III to Scale IV | 38 |
| Scale IV to Scale V | 17 |



पर पूरी की गई है और प्रोन्नत अधिकारियों ने प्रोन्नति के संवर्ग में दिनांक 15.06.2014 तक अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

प्रोन्नति प्रक्रिया 2015-16 आरंभ की जा चुकी है और ऑनलाइन परीक्षा मई 2015 में आयोजित होनी प्रस्तावित है।

सीडीए प्रकोष्ठ:

सीवीसी के दिशानिर्देशों में उल्लेख किया गया है कि जांच कार्यवाहियों को अधिमानतः जांच/प्रस्तुतकर्ता अधिकारी की नियुक्ति की तारीख से 6 महीने के भीतर पूरी की जानी चाहिए।

सीडीए मामलों के तीव्र निपटान के लिए, वर्ष 2014-15 के दौरान जांच/प्रस्तुतकर्ता अधिकारियों का विभागीय पेनल सृजित किया गया था। प्रत्येक क्षेत्रीय अधिकारी ने अपने क्षेत्रीय कार्यालय के अधीन 5 अधिकारियों को जांच/प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के रूप में पेनल में शामिल करने के लिए पहलों की गईं। पेनल में शामिल किए गए सभी अधिकारियों को जोन के आधार पर प्रशिक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया गया। उत्तरी जोन के क्षेत्रीय अधिकारियों के लिए दिनांक 22.08.2014 से 23.08.2014 तक दिल्ली में दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। इसी प्रकार, पश्चिमी जोन के क्षेत्रीय अधिकारियों के लिए दिनांक 11.09.2014 से 12.09.2014 तक पंचगनी, पुणे में दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई।

इसके अतिरिक्त, जांच कार्यवाहियां समय पर पूरी की जानी सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ कठोर अनुसरण कार्रवाई की गई। की गई पहलों के परिणामस्वरूप, दिनांक 31.03.2015 को केवल चार सतक्रता मामले छह महीने से अधिक समय से जांच स्तर पर लंबित थे।

उपरोल्लिखित 4 मामलों में से, 1 मामला माननीय न्यायालय द्वारा दिए गए स्थगनादेश की वजह से लंबित है। शेष 3 मामलों में या तो मामला सीबीआई जांच के परिणामस्वरूप, उत्पन्न हुआ या इसमें संयुक्त जांच चल रही है जिसमें एक से अधिक प्रभारी अधिकारी और भारी संख्या में दस्तावेज और गवाह शामिल हैं।

अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति के कर्मचारियों के कल्याण संबंधी मामलों पर संक्षिप्त विवरण:

अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति कल्याण के लिए, भारत सरकार की नीति के अनुसार, कम्पनी में मुख्यालय में यह सुनिश्चित करने के लिए एक अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति प्रकोष्ठ काम कर रहा है कि आरक्षण नीति संबंधी नियमों और विनियमों का अनुपालन किया जा रहा है। अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति में मुख्यालय में तैनात एक मुख्य सम्पक्र अधिकारी, सम्पक्र अधिकारी और

Promotions to the cadre of Scale VI & Scale VII have been completed in time and the promoted officers joined in promoted cadre by 15.06.2014.

The Promotion Exercise 2015-16 has been initiated and the Online Test is proposed to be conducted in May 2015.

CDA CELL :

CVC guidelines states that Enquiry Proceedings should preferably be completed within 6 months from the date of appointment of Enquiry / Presenting Officer.

For speedy disposal of CDA cases, initiatives were taken to create in-house panel of Enquiry / Presenting Officers during 2014-15. Each Regional Office nominated 5 officers under their respective Regional Office to empanel as Enquiry / Presenting Officer. It was decided to impart training to all empanelled Officers on Zonal Basis. Two days workshop was organized for North Zone Regional Offices from 22.08.2014 to 23.08.2014 at Delhi. Similarly, two days workshop was organized for West Zone Regional Offices from 11.09.2014 to 12.09.2014 at Panchgani, Pune. Further, rigorous follow up was done with Regional Offices to ensure timely completion of enquiry proceedings. As a result of the initiatives taken, only four Vigilance cases were pending at Enquiry stage for more than six months as on 31.03.2015.

Out of the above stated 4 cases, 1 case is pending due to stay order granted by the Hon"ble Court. In remaining 3 cases, either the case arose out of CBI investigation or there is composite enquiry involving more than one charged officials and large volume of documents and witnesses.

Brief on Welfare matters for SC/ST Employees:

For welfare of SC/ST, in accordance with the policy of the Government of India, a SC/ST cell is functioning in the Company at HO to ensure that the Rules and Regulation on Reservation Policy are implemented. The SC/ST Cell has Chief Liaison Officer, Liaison Officer and Addl. Liaison Officer posted at Head Office. A Liaison Officer is also posted in each



अतिरिक्त सम्पन्न अधिकारी है। एक सम्पन्न अधिकारी हमारे प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में भी तैनात है जो क्षेत्रीय स्तर पर आरक्षण नीति का कार्यान्वयन और उनकी परिवेदनाओं का तत्परता से निवारण भी सुनिश्चित करता है। मुख्यालय स्थित अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति प्रकोष्ठ अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति कर्मचारियों के संबंध में सांख्यिकीय आंकड़ों की जांच करके इनका समेकन करता है। सम्पन्न अधिकारी, जहां कहीं आवश्यक हो, क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा अनुरक्षित रोस्टर की जांच और सुधार करता है ताकि आरक्षण नीति और डीओपीटी द्वारा समय समय पर जारी दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनु. जनजातियों का उपयुक्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके। अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति प्रकोष्ठ कम्पनी ओर क्षेत्रीय कार्यालयों को प्रासंगिक सूचना मुहैया कराता है। मुख्यालय स्थित अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति प्रकोष्ठ अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति कर्मचारियों की परिवेदनाओं के निराकरण का ध्यान रखता है ताकि अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति कर्मचारियों के काम-काज के लिए सोहार्द्रपूर्ण संबंध और स्वस्थ माहौल मुहैया कराया जा सके। यह प्रकोष्ठ राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, अनु. जनजाति आयोग और आरक्षण नीति के कार्यान्वयन पर संसदीय समिति के साथ समन्वय भी करता है और अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति कर्मचारियों/कल्याण संघों द्वारा उठाई गई सभी आपत्तियों/परिवेदनाओं के समाधान के लिए सभी संबंधित आंकड़े/समर्थन प्रदान करता है।

मंत्रालय द्वारा रोस्टरों का निरीक्षण

वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय ने दिनांक 15.04.2015 को ओरिएण्टल इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड में आरक्षण नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा की है और निरीक्षण किए जाने पर हमारे रोस्टर संतोषजनक पाए गए।

बैठकें

कम्पनी में "संरचित बैठक योजना" विद्यमान है जिसमें प्रबंधन सेवा मामलों और कल्याण संबंधी मुद्दों पर चर्चा करने और मुद्दों के समाधान के लिए कर्मचारियों के प्रतिनिधि निकायों के साथ आवधिक रूप से बैठकें करता है।

प्रशिक्षण

कम्पनी ने अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए भर्ती-पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए और 636 अभ्यर्थियों ने इनका लाभ उठाया।

प्रोन्नति प्रक्रिया 2015-16 के दौरान, विभिन्न स्तरों के अधिकारियों को ऑन-लाइन परीक्षा में शामिल होने के लिए प्रोन्नति-पूर्व प्रशिक्षण प्रदान किया गया। अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति के जिन अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया उनकी संख्या निम्नानुसार है:-

of our Regional Offices to ensure implementation of Reservation Policy at Region level and also prompt disposal of their grievances. SC/ST Cell at HO scrutinizes and consolidates the statistical data with regards to SC/ST Employees. The Liaison Officer examines and rectifies, wherever necessary, the roster maintained by Regional Offices for ensuring proper representation to SCs/STs as provided by Reservation Policy and guidelines issued from time to time by DOPT. The SC/ST Cell provides relevant information to the Company and Regional Offices. The SC/ST Cell at HO takes care of redressal of grievances of SC/ST Employees in order to have cordial relations and healthy environment for working of SC/ST Employees. It also co-ordinates with the National Commission for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and the Parliamentary Committee on the implementation of Reservation Policy and to provide all necessary data/support for resolving all the queries/grievances raised by SC/ST Employees/Welfare Associations.

Rosters Inspection by the Ministry

Deptt. of Financial Services, Ministry of Finance has Reviewed the Implementation of Reservation Policy in the Oriental Insurance Company Ltd. on 15/04/2015 and on inspection our Rosters were found satisfactory.

Meetings

The Company has in place "Structured Meetings Scheme" in which the Management meets various representative bodies of employees periodically in order to discuss and resolve issues on service matters and welfare issues.

Trainings

Company organized Pre-Recruitment Training programs for the SC/ST/OBC candidates and 636 candidates availed the benefit from the same.

During promotion exercise 2015-16, the officers in various Scales were imparted pre-promotion training to equip them to appear in On-Line Test. The number of SC/ST officers scale-wise who were imparted training is as under:-



स्केल I से स्केल II : 348
स्केल II से स्केल III : 106
स्केल III से स्केल IV : 122
स्केल IV से स्केल V : 44

Scale I to II : 348
Scale II to III : 106
Scale III to IV : 122
Scale IV to V : 44

अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों के कर्मचारियों के कौशल को उन्नत बनाने के उद्देश्य से, इन्हें विभिन्न विभागीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों के साथ साथ प्रख्यात एजेंसियों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में भी नामित किया गया। ओएसटीसी, फरीदाबाद में जिन अधिकारियों को प्रशिक्षण हेतु नामित किया गया, उनका ब्यौरा निम्नानुसार है:-

In order to upgrade their skills, SC/ST/OBC employees were nominated to various in-house training programs as well as programs conducted by renowned agencies. The number of Officers who were nominated for training at OSTC, Faridabad are as follows:-

| | कुल Total | अनु. जाति SC | अनु. जन जाति ST | अन्य पिछड़े वर्ग OBC | सामान्य General | महिला Female | शारीरिक रूप से निःशक्त Physically Challenged |
|---|--------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------|-----------------|---|
| प्रशिक्षित अधिकारियों की संख्या No. of officers trained | 1161 | 204 | 59 | 203 | 695 | 198 | 2 |
| सेमिनारों/कार्यशालाओं में उपस्थित अधिकारियों की संख्या No. of officers attended Seminars/ Workshop | 347 | 66 | 29 | 62 | 190 | 60 | 0 |
| कुल Total | 1508 | 270 | 88 | 265 | 885 | 258 | 2 |

नियमानुसार रोस्टर तैयार किया जाना सुनिश्चित करने के लिए, आरओ के सम्पन्न अधिकारियों और कार्मिक विभाग के संबंधित अधिकारियों के लिए आरक्षण रोस्टरों के संबंध में जोन-वार प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था की गई। कम्पनी ने ये रोस्टर वेबसाइट पर डाले हैं।

Zone-wise training programs were arranged on Reservation Rosters for ROs" Liaison Officers and dealing officers of Personnel Deptt., posted in Regional Offices to ensure preparation of Rosters, as per rules. The company has placed Rosters" on the website.

कम्पनी में अनुसूचित जाति/अनु. जनजाति प्रतिनिधित्व का श्रेणीवार प्रतिनिधित्व निम्नानुसार है:

Class-wise SC/ST representation in the Company is as under:

| श्रेणी | कुल | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति |
|-------------|-------|---------------|-----------------|
| श्रेणी -I | 5285 | 1161 | 344 |
| श्रेणी -II | 1413 | 163 | 44 |
| श्रेणी -III | 6028 | 1413 | 509 |
| श्रेणी -IV | 1848 | 875 | 136 |
| कुल | 14574 | 3612 | 1033 |

| Class | Total | SC | ST |
|-----------|-------|------|------|
| Class-I | 5285 | 1161 | 344 |
| Class-II | 1413 | 163 | 44 |
| Class-III | 6028 | 1413 | 509 |
| Class-IV | 1848 | 875 | 136 |
| TOTAL | 14574 | 3612 | 1033 |

सीधी भर्ती

कम्पनी ग्राहक सेवा के उन्नत स्तर अनुरक्षित करने के लिए

DIRECT RECRUITMENT

The Company has formulated the Recruitment plans consistent with the approved policy and



कार्यालयों को प्रतिभावान अधिकारियों और कर्मचारियों से सुसज्जित करने के लिए इच्छुक है और अनुमोदित नीति के अनुरूप भर्ती योजनाएं निरूपित की हैं। भर्ती की सतत प्रक्रिया से चल रही कटौती और सेवानिवृत्ति की वजह से उत्पन्न मानवशक्ति की कमियों को पूरा किया जाएगा और कम्पनी की विस्तार योजनाएं भी पूरी होंगी। प्रशासनिक अधिकारियों के लिए भर्ती कार्रवाई 2012-13 स्केल-1 के 177 अधिकारियों की भर्ती से पूरी की गई जिनमें 95 सामान्य और विभिन्न शाखाओं में 82 विशेषज्ञ अधिकारी शामिल हैं।

प्रोन्नतियां

कम्पनी ने निष्पादन मूल्यांकन प्रणाली में सुधार के उपाय किए हैं और वर्ष 2014-15 श्रेणी III और IV के लिए निष्पादन मूल्यांकनों के कार्यान्वयन का प्रथम वर्ष था। श्रेणी III से श्रेणी I में प्रोन्नति प्रक्रिया समय सारणी के अनुसार आयोजित की गई और 100 कर्मचारियों को श्रेणी I में प्रोन्नत किया गया। श्रेणी III में 69 कर्मचारियों को वरिष्ठ सहायकों और 99 को सहायकों के रूप में प्रोन्नत किया गया।

नियमित प्रक्रिया के अतिरिक्त 72 अभ्यर्थियों को सहायकों के संवर्ग में प्रोन्नति की एक बार की प्रक्रिया के तहत प्रोन्नत किया गया।

मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एचआरएमएस)

हमने मानव संसाधन संबंधी सभी गतिविधियों को स्वचालित करने के लिए एक ठोस मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली की एक महत्वाकांक्षी परियोजना आरंभ की है।

वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान, बड़ी संख्या में प्रतिपूर्ति/अग्रिम मॉड्यूल (स्थानीय वाहन, त्यौहार अग्रिम, आवासीय चिकित्सा अनुदान, निदेशकों की चिकित्सकीय खर्चों की प्रतिपूर्ति, टेलीफोन खर्चों की प्रतिपूर्ति, मोबाइल उपकरण की लागत, समाचार पत्र प्रतिपूर्ति और वाहन अग्रिम) और ओआईईडब्ल्यूएस मॉड्यूल आरंभ किए गए और सभी मॉड्यूलों का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन किया गया। आवासीय ऋण मॉड्यूल को साइन ऑफ किया जा चुका है और यह आरंभ किए जाने के लिए तैयार है। कुछ अन्य प्रमुख मॉड्यूल जैसे अनुपस्थिति प्रबंधन, एलटीएस, टीई बिल, प्रशिक्षण, भविष्य निधि, परिवहन योजना 9A(V) और विभिन्न वाहन अनुरक्षण प्रतिपूर्तियां प्रयोक्ता स्वीकृति परीक्षण की समाप्ति की अग्रिम अवस्था में हैं। फिलहाल हमारा जोर ग्लोबल पेट्रोल की परीक्षण और इसे आरंभ करने पर है, जिसमें कम्पनी के सभी कर्मचारियों के वेतनों को मुख्यालय में संसाधित किया जाएगा।

strives to equip the offices with talented officers and staff to maintain improved levels of Customer Service. The continuous process of recruitment will make good the manpower shortages caused due to ongoing attrition and retirement and also meet the Company's expansion plans. The Recruitment Exercise 2012-13 for Administrative officers concluded with induction of 177 Scale – I officers which included 95 Generalists and 82 Specialists in various streams.

PROMOTIONS

The Company has made efforts to improve Performance Appraisal System and the year 2014-15 was the first year of implementation of Disclosures of Performance Appraisal for Class III and IV. Promotional Exercise from Class III to Class I was conducted as per Schedule and 100 employees were promoted to Class-I. Within Class III 69 employees were promoted as Senior Assistants and 99 as Assistant.

Apart from the regular exercise 72 candidates were promoted under One Time Exercise for Promotion to the cadre of Assistants.

HUMAN RESOURCE MANAGEMENT SYSTEM (HRMS)

We have embarked upon an ambitious Project of a robust Human Resources Management System to automate all the HR related activities. During the Financial Year 2014-15, a number of Reimbursement/Advance Modules (Local Conveyance, Festival Advance, Natural Calamity Advance, Briefcase Reimbursement, Domiciliary Medical Grant, Directors Medical Expenses Reimbursement, Telephone Expenses Reimbursement, Cost of Mobile instrument, Newspaper Reimbursements & Vehicle Advance) and OIEWS Modules were rolled out and all the modules were successfully implemented. Housing Loan module has been signed off and is ready for roll out. Some other major modules like Absence Management, LTS, TE Bills, Training, Provident Fund, Conveyance Scheme 9A(V) & various Vehicle maintenance reimbursements are in the advanced stage of completion of user acceptance testing. Presently our major thrust is



एक बार एचआरएमएस के सभी मॉड्यूल कार्यान्वित होने पर, यह प्रणाली प्रबंधन को अत्यंत मूल्यवान सूचना मुहैया कराएगी और मानवशक्ति को अन्य कामों से निवृत्त करके त्वरित निर्णयन प्रक्रिया को सुगम बनाएगी।

पेंशन विभाग:

वर्ष में पेंशन योजना आरंभ किए जाने से, एक पृथक विभाग पेंशन निधि का प्रबंधन कर रहा है जिसका आकार वित्त वर्ष 2014-15 की समाप्ति पर रु. 2080.43 करोड़ था। दिनांक 31 मार्च 2015 तक पेंशन का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या 9942 है और पेंशनधारकों की संख्या 7672 है।

वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान, हमने पेंशन की 350 और पारिवारिक पेंशन की 170 फाइलें संसाधित की हैं जिनका समवर्ती लेखापरीक्षकों द्वारा नियमित रूप से लेखा परीक्षण किया जाता है।

हमने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को दायरे में लेते हुए चारों मंडलों में पेंशन कार्यशालाएं सफलतापूर्वक आयोजित की हैं जिनमें विषय से संबंधित अधिकारियों को संवेदी बनाया गया ताकि "मिशन 30 दिन" के लक्ष्यों को हासिल किया जा सके। हमारी परिपाटी रही है कि सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की क्षेत्रवार सूची एक महीना अग्रिम रूप से भेजी जाए।

भारतीय जीवन बीमा निगम से ली गई समूह अधिवाषिता महंगाई संबद्ध पॉलिसी (जीएसडीएलके) ने रु. 6.42 करोड़ ब्याज अर्जित किया है। यह सुविधा भविष्य में भी जारी रहेगी।

नई पेंशन योजना:

नई पेंशन योजना (एनपीएस), जो एक अंशदायी लाभ योजना है, 1 जनवरी, 2004 को या इसके बाद सेवा में आने वाले कर्मचारियों के लिए आरंभ की गई, कानूनी मुद्दों की वजह से पूर्णतया लागू नहीं की जा सकी। तथापि, सदस्यों द्वारा किए जा रहे अंशदान को कम्पनी के निवेश पोर्टफोलियो पर अर्जित औसत के आधार पर गणना किए गए ब्याज सहित एक अलग निधि में रखा जा रहा है। इस योजना के अधीन संचित कुल निधि 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार रु.32.00 करोड़ है। एक बार कानूनी मुद्दे समाप्त हो जाने पर, संचित निधि को पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) को अंतरित कर दिया जाएगा।

आवासीय ऋण विभाग:

कम्पनी में, सभी कर्मचारियों को छत मुहैया कराने के अभियान के भाग के रूप में, अपने कर्मचारियों को सब्सिडी-प्राप्त दरों

on testing and rolling out of Global Payroll, where the processing of the salaries for all the employees of the Company shall happen at Head Office. Once all the modules of HRMS are implemented, this system will provide the information of immense value to the Management and facilitate quick decision making besides relieving manpower for other assignments.

PENSION DEPARTMENT :

Since the introduction of the pension scheme in the year 1995, a separate department is managing the pension fund which has a size of Rs.2080.43 crores at the end of F.Y.-2014-15. The total number of employees who have opted for pension as on 31 March 2015 is 9942 and that of pensioners is 7672.

During the financial year 2014-15, we have processed 350 pension and 170 family pension files which are regularly audited by concurrent auditors.

We have successfully conducted pension workshops in all the four zones covering all Regional Offices sensitizing the officers dealing with the subject so as to accomplish "Mission 30 days' target and this has proved fruitful. We have a practice of sending the region wise list of retiring employees a month in advance.

The Group Superannuation Dearness Linked Policy(GSDLK) taken from LIC has yielded an interest of Rs.6.42cr. This facility will continue in future as well.

NEW PENSION SCHEME :

The New Pension Scheme (NPS), which is a contributory benefit scheme, started for employees joining on or after Jan 1, 2004 could not be implemented in toto because of legal issues. However, contributions made by the members are being retained in a separate fund together with interest calculated on the basis of average yield on investment portfolio of the Company. The total fund accumulated under this scheme as on Mar 31, 2015 is Rs.32.00cr. Once the legal issues are over, the accumulated fund will be transferred to the Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA).



पर आवासीय ऋण मुहैया कराने के लिए एक पृथक आवासीय ऋण विभाग है।

आवासीय ऋण की संस्वीकृति की शक्ति क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर विकेंद्रित की जा चुकी है और अपने कर्मचारियों को ऋण संस्वीकृत करने के लिए मुख्यालय द्वारा इनहें अलग औचित्यपूर्ण बजट मुहैया कराया गया है। तथापि, मुख्यालय इन पर नियंत्रण रखता है और इन्हें आवश्यक सलाह प्रदान करता रहता है। कम्पनी के अधिकांश कर्मचारी कम्पनी की आवासीय ऋण योजना से लाभान्वित हुए हैं।

वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान, कर्मचारियों को संस्वीकृत कुल योजना ऋण रु. 6.65 करोड़ था। इसी अवधि के दौरान कर्मचारियों से योजना ऋण के तौर पर रु. 7.67 करोड़ वसूल किए गए और इन पर रु. 3.71 करोड़ ब्याज अर्जित किया गया।

HOUSING LOAN DEPARTMENT:

The Company has a separate Housing Loan Department for the sanction of Housing Loan to its employees at subsidized rates, with the mission to provide a roof to all employees. The sanction of Housing Loan has been decentralized to the Regional Office level and separate rationalized budget is provided to them by Head Office for the sanction of loan to its employees. However, the Head Office has control over them and keeps on providing them with the necessary advices. Most of the employees in the Company have availed the benefit of Company's Housing Loan Scheme.

During the F.Y.2014-15, total Scheme Loan sanctioned to the employees was for Rs.6.65 Crs. During the same period, Rs.7.67 Crores was recovered as Scheme Loan from the employees and an interest of Rs.3.71 Crores was earned on the same.



बी.एन.प्रसाद
महाप्रबंधक

B. N. PRASAD
GENERAL MANAGER

मोटर

इस वर्ष हमारा निष्पादन

वर्ष 2014-15 इस बात का साक्षी रहा कि मोटर पोर्टफोलियो पिछले छह वर्ष की प्रवृत्ति को बनाए रखते हुए लाभकारी घटक बना रहा। कमपनी का मोटर ओडी अनुपात 50.29% की निवल आईसीआर सहित कदाचित उद्योग में न्यूनतम रहा। यहां तक कि 92.02% पर टीपी निवल आईसीआर को भी काफी कम माना जा सकता है।

इस वर्ष मोटर प्रीमियम का योगदान रु. 2914.45 करोड़ था, जिसमें से मोटर ओडी प्रीमियम का योगदान रु.1261.34 करोड़ और मोटर टीपी प्रीमियम का योगदान रु.1653.11 करोड़ था। मोटर कारोबार की हिस्सेदारी में पिछले वर्ष की तुलना में 1.5% वृद्धि हुई क्योंकि मोटर प्रीमियम ने कम्पनी के कुल प्रीमियम में 38.54% का योगदान दिया।

सामान्य बीमा, विशेषकर मोटर पोर्टफोलियो में समीक्षाधीन वर्ष के दौरान भीषण प्रतिस्पर्धा देखने को मिली। स्थापित कम्पनियों के साथ-साथ नए खिलाड़ियों ने अपनी बाजार हिस्सेदारी में सुधार करने के लिए स्वस्थ और रुग्ण सभी युक्तियां अपनाईं। गतिशील बाजार के साथ कदम मिलाने के लिए हमारी रेटिंग पद्धति पर दबाव बना। हमने प्रतिस्पर्धा के प्रति सजग रूप से

MOTOR

Our Performance this year

Year 2014-15, witnessed that Motor Portfolio for the company continued to be a profitable segment maintaining the trend for last six years. Motor OD ratio of the Company is perhaps the lowest in the Industry with Net ICR of 50.29%. Even the TP Net ICR at 92.02% can be considered as quite low.

Contribution of Motor premium this year was Rs.2914.45 crores, out of which Motor OD premium contributed Rs. 1261.34 crores and Motor TP premium, Rs. 1653.11 crores. The share of Motor Business grew by 1.5% as compared to last year as Motor premium contributed 38.54% to the total premium of the company.

General Insurance particularly Motor Portfolio witnessed fierce competition during the year in review. Established as well as new players tried all tricks healthy and unhealthy to improve their market share. To keep pace with the dynamic market our rating pattern was put to stress. We followed a cautiously aggressive approach towards



आक्रामक रुख अपनाया।

तथापि, निजी के साथ साथ सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों ने ऐसी दरों पर करोबार बुक किया जिन्हें वित्तीय दृष्टि से व्यवहार्य नहीं माना जा सकता, और जिनका अनुसरण हम नहीं करते।

हमने 8.42% की समग्र वृद्धि दर सहित रु. 226.34 करोड़ की अभिवृद्धि हासिल की। भारतीय प्रचालन में मोटर ओडी की वृद्धि दर 4.80% थी। मोटर टीपी की वृद्धि दर 11.33% थी। लाभप्रदता की अपनी रणनीति पर से अपना ध्यान हटाए बिना हम वर्ष के दौरान मूल्य की दृष्टि से प्रतिस्पर्धी बने रहे। हानि नियंत्रण और विवेकपूर्ण निम्नांकन के लिहाज से हमारे प्रयासों का परिणाम मोटर ओडी के लिए 91.08% और मोटर टीपी के लिए 124.39% के निवल संयुक्त अनुपात के रूप में रहा। इससे मोटर पोर्टफोलियो में न्यायोचित वृद्धि और लाभप्रदता का हमारा उद्देश्य स्पष्टतया परिलक्षित होता है।

इस वर्ष हमारे विदेशी प्रचालनों ने मोटर पोर्टफोलियो में 6.66% की वृद्धि दर सहित संवर्धित निष्पादन दर्शाया और प्रीमियम रु. 49.48 करोड़ से बढ़कर रु. 52.75 करोड़ हो गया।

हमने अखिल भारतीय स्तर पर विनिर्माताओं और वित्त संस्थाओं के साथ मोटर सहयोगों के साथ साथ स्थानीय स्तर पर डीलरों और वित्त संस्थाओं के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने के अपने प्रयास जारी रखे। 9 अग्रणी ऑटोमोबाइल निर्माता और अखिल भारत में 2 अग्रणी वित्तीय संस्थाएं मोटर पोर्टफोलियो को विकसित करने में हमारी यात्रा में हमारे साझेदार रहे हैं। हमने इस वित्त वर्ष में एस्कॉर्ट ट्रेक्टर्स एवं यामाहा मोटर्स के साथ विनिर्माता स्तर के सहयोग से अपने मोटर सहयोग में एक इजाफा किया है। अब हमारे साथ 3198 मोटर डीलर प्रचालन कर रहे हैं।

ग्राहक आधार

एक सर्वेक्षण दर्शाता है कि वर्ष 2014-15 में मोटर पॉलिसीधारकों की संख्या में 213484 की वृद्धि होकर यह 7906441 से 8120125 हो गई। हमने टीपी स्टैंडएलोन पॉलिसीधारकों के अपने आधार में 6.23% वृद्धि की जबकि वाणिज्यिक वाहन सेगमेंट के ग्राहक आधार में 19949 पॉलिसियों की गिरावट आई।

टीपी दावे

वित्त वर्ष के दौरान तिरुणेलवेली और तिरुचिरापल्ली में दो नए टीपी हब संस्वीकृत किए गए जिससे टीपी हबों की कुल संख्या बढ़कर 40 हो गई। टीपी हब कम्पनी के कुल 145234 टीपी दावों में से 70359 टीपी दावों अर्थात कुल टीपी दावों के 48%

the competition. However, Private as well as public sector companies booked business at rates which cannot be termed as financially viable which we did not follow.

We achieved an accretion of Rs.226.34 Crores, with an overall growth rate of 8.42%. The growth rate in Motor OD in Indian operation was 4.80%. The Motor TP growth rate was 11.33%. Without losing focus on our strategy of profitability we were price competitive during the year. Our efforts in terms of loss control measures and prudent underwriting resulted in the net combined ratio for Motor OD at 91.08% and Motor TP at 124.39%. This clearly projects that we achieved our objective of reasonable growth and profitability in Motor Portfolio.

Our foreign operations this year has shown improved performance in Motor Portfolio with growth rate of 6.66% and premium increasing from Rs.49.48 Crores to Rs.52.75 Crores.

We continued our efforts to strengthen the motor tie-ups with manufacturers and financiers on all India level, as also our relationship with dealers and financiers at local level. 9 leading automobile manufacturers and 2 leading all India financiers are our partners in our Journey to develop Motor Portfolio. We made an addition to our motor tie-up portfolio with a Manufacturer level tie up with Escorts Tractors & Yamaha Motors Two wheelers in this financial year. 3198 motor dealers are now operating with us.

Customer Base

An analysis shows that number of Motor Policy holders increased in 2014-15 by 213484 from 7906441 to 8120125. We increased our base of TP stand alone Policyholders by 6.23% while customer base of commercial vehicle segment declined by 19949 Policies.

TP Claims

During the financial year two new TP Hubs were sanctioned at Tirunelveli and Tiruchirapalli taking the total number of TP Hubs to 40. TP Hubs handle 70359 TP claims out of the Company's 145234 TP Claims i.e. 48% of the total TP claims.



की संभलाई करते हैं।

वित्त वर्ष 2014-15 में, 70025 नए मोटर टीपी दावों की सूचना दी गई। हमने 81558 टीपी दावों का समाधान किया जिससे बकाया दावों की कुल संख्या 156767 से घटकर 145234 रह गई। टीपी दावों का समाधान अनुपात 36.19% है।

कम्पनी ने देश भर में आयोजित लोक अदालतों में सक्रिय भागीदारी की जिनमें उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय की लोक अदालतें भी शामिल हैं। 12308 मामलों में न्यायालय से बाहर समझौता हुआ जिनमें से 8646 मामलों का समाधान दिनांक 6 दिसंबर 2014 को आयोजित राष्ट्रीय मैगा लोक अदालत में एक ही दिन किया गया।

नए विपणन माध्यमों का विकास

मोटर पॉलिसियां हमारे वेब पोर्टल के माध्यम से बेची गई कुल पॉलिसियों में निरंतर सर्वाधिक योगदान देती रही है।

प्रौद्योगिकी के उपयोग में एक कदम आगे

प्रौद्योगिकी के उपयोग में एक कदम आगे की ओर हमने अपने एक निर्माता स्तर के सहयोग को वेब एकीकृत मॉडल पर चालित किया है। अन्य सहयोग व्यवस्थाएं भी इसी मॉडल अनुसरण करने जा रही हैं जिससे हमारे सेवा स्तर, विशेष तौर पर डीलरशिप बिंदु पर ग्राहकों को पॉलिसी की डिलीवरी तीव्र होनी अवश्वंभावी है।

ग्रामीण बीमा

ग्रामीण बीमा विभाग के पास से 40 अधिक उत्पाद हैं जो लगभग गरीब के साथ साथ असंगठित क्षेत्र के ग्रामीणों की सभी संभावित बीमा योग्य आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। चालू वित्त वर्ष 2014-2015 के दौरान हमने आरएसबीवाई प्रीमियम सहित रु.168.97 करोड़ का प्रीमियम अर्जित किया है। कम्पनी के ग्रामीण बीमा विभाग (आरएसबीवाई सहित) ने रु.30.02 करोड़ का लाभ दर्शाया है। उपचित दावा अनुपात 63.25% है।

आरएसबीवाई एक सरकारी प्रायोजित स्वास्थ्य बीमा योजना है जो बीपीएल परिवारों के असंगठित क्षेत्रों के कामगारों के लिए अभिप्रेत है। यह एक नकदी रहित अस्पताल-दाखिला पॉलिसी है और इस योजना के तहत 2 राज्यों के 35 जिलों में जीवन यापन करने वाले 15442444 बीपीएल व्यक्तियों को कवर किया गया है।

In the FY 2014-15, 70025 new Motor TP claims were reported. We disposed 81558 TP claims thereby bringing down the total number of outstanding claims from 156767 to 145234. The TP Claims settlement ratio is 36.19%.

The Company actively participated in Lok Adalats held all over the country, including the Lok Adalats at the High Courts and the Supreme Court. 12308 cases were settled out of court with 8646 claims settled on a single day at the National Mega Lok Adalat on 6th December 2014.

Developing New Marketing Channels

Motor policies continue to contribute the maximum to total policies sold online through our web portal.

A step forward in use of technology

We have moved one of our manufacturer level tie up to web integrated model. Other tie ups are also in the pipeline to follow this model which is bound to enhance our service levels particularly faster policy delivery to the customers at dealerships points.

RURAL INSURANCE

Rural insurance department has more than 40 products catering to almost all possible insurable needs of rural, poor as well as unorganized sector. During the current financial year 2014-2015 we have procured a premium of Rs 168.97 Crores including the RSBY premium. The Rural Insurance Department (excluding RSBY) of the company showed a profit of Rs 30.02 Crores. The incurred claim ratio is 63.25%.

RSBY is a Govt. sponsored health insurance scheme meant for unorganized sector workers belonging to BPL family. This is a cashless hospitalization policy and under this scheme 15442444 BPL lives through 35 districts of 2 states have been covered.



| लोकप्रिय ग्रामीण बीमा योजनाओं का निष्पादन Performance of Popular Rural Insurance Schemes | | | | | | | |
|---|--|------------------------------------|--|---|--|---|--------------------------------|
| वित्त वर्ष 2014.15 Financial Year 2014-15 | | | | | | | |
| पॉलिसी का नाम Name of Policy | पॉलिसियों की संख्या No. of Policies | कवर की गई संख्या Number Covered | प्रीमियम (लाख रूपए में) Premium (Rs. in lacs) | सूचित दावों की संख्या No. of claims reported | समाधान किए गए दावों की संख्या No. of claims settled | उपगत दावे (लाख रूपए में) Incurred claims (Rs. in lacs) | दावा प्रतिशत Claims Ratio % |
| जनता व्यक्तिगत दुर्घटना Janta Personal Accident | 75054 | 6851448 | 2091.00 | 2482 | 2711 | 1543.06 | 74.00 |
| ग्रामीण व्यक्तिगत दुर्घटना Gramin Personal Accident | 10229 | 65763 | 2.70 | 10 | 12 | (-1.46400) | -54.00 |
| राज राजेश्वरी Raj Rajeshwari | 1496 | 3664 | 1.03 | 1 | 5 | (-1.39600) | -136.00 |
| भाग्यश्री Bhagyashree | 926 | 2069 | 0.31 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| पशुधन Cattle | 83978 | 280401 | 5252.41 | 15469 | 15071 | 3233.59 | 61.56 |
| कृषि पंपसेट Agri-Pumpset | 4457 | 0 | 83.49 | 42 | 46 | 1.26 | 2.00 |
| किसान पैकेज पॉलिसी Kisan Package Policy | 108037 | 18498 | 2399.48 | 2127 | 2371 | 1560.18 | 65.00 |
| यूएचआईएस UHS | 46117 | 436025 | 529.28 | 9773 | 9753 | 716.16 | 135.00 |
| अन्य (ग्रामीण बीमा) OTHERS(Rural Insurance) | 51532 | 2887988 | 1248.77 | 4171 | 4130 | 291.20 | 23.32 |
| आरएसबीवाई RSBY | 35 | 15442444 | 5289.35 | - | - | 22840.55 | 431.82 |
| कुल TOTAL | 381861 | 26192757 | 16897.82 | 34075 | 34099 | 30183.13 | 178.62 |



लोकप्रिय ग्रामीण बीमा योजनाओं का निष्पादन
Performance of Popular Rural Insurance Schemes

वित्त वर्ष 2013-14

Financial Year 2013-14

| पॉलिसी का नाम Name of Policy | पॉलिसियों की संख्या No. of Policies | कवर की गई संख्या Number Covered | प्रीमियम (लाख रूपए में) Premium (Rs. in lacs) | सूचित दावों की संख्या No. of claims reported | समाधान किए गए दावों की संख्या No. of claims settled | उपगत दावे (लाख रूपए में) Incurred claims (Rs. in lacs) | दावा प्रतिशत Claims Ratio % |
|---|--|--|---|--|---|---|--------------------------------------|
| जनता व्यक्तिगत दुर्घटना Janta Personal Accident | 90387 | 6523191 | 2223.56 | 2888 | 2978 | 1913.70 | 86.06 |
| ग्रामीण व्यक्तिगत दुर्घटना Gramin Personal Accident | 10384 | 75022 | 3.14 | 8 | 8 | 1.03 | 32.74 |
| राज राजेश्वरी Raj Rajeshwari | 303 | 2331 | 0.93 | 3 | 12 | 0.36 | 38.76 |
| भाग्यश्री Bhagyashree | 225 | 1061 | 0.16 | 2 | 3 | 0.08 | 48.92 |
| पशुधन Cattle | 90756 | 271768 | 6153.52 | 15705 | 15180 | 3304.69 | 53.70 |
| कृषि पंपसेट Agri-Pumpset | 6245 | 0 | 110.77 | 56 | 61 | 1.16 | 1.04 |
| किसान पैकेज पॉलिसी Kisan Package Policy | 136680 | 24368 | 2989.92 | 2570 | 2684 | 1808.44 | 60.48 |
| यूएचआईएस UHS | 54370 | 513833 | 741.51 | 11608 | 11705 | 760.43 | 102.55 |
| अन्य (ग्रामीण बीमा) OTHERS(Rural Insurance) | 35639 | 0 | 1072.71 | 5637 | 5869 | 358.95 | 33.46 |
| आरएसबीवाई RSBY | 41 | 4862406 families | 17036.88 | - | - | 17907.28 | 105.11 |
| कुल TOTAL | 425030 | 7411574 | 30333.09 | 38477 | 38500 | 26056.10 | 85.90 |



| लोकप्रिय ग्रामीण बीमा योजनाओं का निष्पादन Performance of Popular Rural Insurance Schemes | | | | | | | |
|---|--|------------------------------------|--|---|--|---|--------------------------------|
| वित्त वर्ष 2012-13 Financial Year 2012-13 | | | | | | | |
| पॉलिसी का नाम Name of Policy | पॉलिसियों की संख्या No. of Policies | कवर की गई संख्या Number Covered | प्रीमियम (लाख रूपए में) Premium (Rs. in lacs) | सूचित दावों की संख्या No. of claims reported | समाधान किए गए दावों की संख्या No. of claims settled | उपगत दावे (लाख रूपए में) Incurred claims (Rs. in lacs) | दावा प्रतिशत Claims Ratio % |
| जनता व्यक्तिगत दुर्घटना Janta Personal Accident | 109735 | 7897770 | 2682.09 | 3078 | 2982 | 2310.31 | 86.12 |
| ग्रामीण व्यक्तिगत दुर्घटना Gramin Personal Accident | 16616 | 69433 | 3.22 | 5 | 98 | 4.65 | 155.27 |
| राज राजेश्वरी Raj Rajeshwari | 537 | 13563 | 3.43 | 20 | 14 | 3.58 | 110.19 |
| भाग्यश्री Bhagyashree | 401 | 1383 | 0.20 | 2 | 4 | 0.03 | 0.00 |
| पशुधन Cattle | 75843 | 219755 | 4352.12 | 13244 | 14587 | 2844.74 | 65.37 |
| कृषि पंपसेट Agri-Pumpset | 6063 | 0 | 116.79 | 7 | 162 | 1.14 | 0.00 |
| किसान पैकेज पॉलिसी Kisan Package Policy | 156661 | 0 | 3232.36 | 3682 | 3303 | 1932.42 | 59.77 |
| यूएचआईएस UHS | 61956 | 397428 | 591.96 | 9036 | 11432 | 703.82 | 118.92 |
| अन्य (ग्रामीण बीमा) OTHERS(Rural Insurance) | 37481 | 0 | 808.00 | 6599 | 5905 | 175.00 | 5.01 |
| आरएसबीवाई RSBY | 44 | 4194240 | 13626.83 | - | - | 11789.00 | 86.51 |
| कुल TOTAL | 465337 | 12793572 | 25417 | 35673 | 38487 | 19764.69 | 77.75 |



लोकप्रिय ग्रामीण बीमा योजनाओं का निष्पादन
Performance of Popular Rural Insurance Schemes

वित्त वर्ष 2011-12

Financial Year 2011-12

| पॉलिसी का नाम Name of Policy | पॉलिसियों की संख्या No. of Policies | कवर की गई संख्या Number Covered | प्रीमियम (लाख रूपए में) Premium (Rs. in lacs) | सूचित दावों की संख्या No. of claims reported | समाधान किए गए दावों की संख्या No. fo claims settled | उपगत दावे (लाख रूपए में) Incurred claims (Rs. in lacs) | दावा प्रतिशत Claims Ratio % |
|---|--|--|---|--|---|---|--------------------------------------|
| जनता व्यक्तिगत दुर्घटना Janta Personal Accident | 178712 | 29204813 | 4231.44 | 7454 | 9029 | 2451.17 | 57.93 |
| ग्रामीण व्यक्तिगत दुर्घटना Gramin Personal Accident | 8129 | 235 | 8.96 | 136 | 127 | 2.32 | 25.89 |
| राज राजेश्वरी Raj Rajeshwari | 2711 | 3400 | 2.38 | 65 | 95 | 2.25 | 94.54 |
| भाग्यश्री Bhagyashree | 384 | 2336 | 2.32 | 8 | 14 | 0.00 | 0.00 |
| पशुधन Cattle | 116293 | 645536 | 4335.80 | 30747 | 34583 | 2334.45 | 53.84 |
| कृषि पंपसेट Agri-Pumpset | 225 | 5991 | 129.61 | 178 | 50 | 10.71 | 8.27 |
| किसान पैकेज पॉलिसी Kisan Package Policy | 3542 | 185598 | 3841.16 | 2786 | 2743 | 2091.94 | 54.46 |
| यूएचआईएस UHS | 64830 | 417159 | 1195.58 | 9430 | 8407 | 1430.05 | 119.61 |
| अन्य (ग्रामीण बीमा) OTHERS(Rural Insurance) | - | 48,92,492 Families | 17606.71 | 0 | - | 14845.29 | 84.32 |
| आरएसबीवाई RSBY | 10379 | 714456 | 858.59 | 7787 | 8048 | 361.19 | 42.07 |
| कुल TOTAL | 385204 | 31179524 | 32212.55 | 58590 | 63096 | 23529.37 | 73.04 |



| लोकप्रिय ग्रामीण बीमा योजनाओं का निष्पादन Performance of Popular Rural Insurance Schemes | | | | | | | |
|---|--|------------------------------------|--|---|--|---|--------------------------------|
| वित्त वर्ष 2010-11 Financial Year 2010-11 | | | | | | | |
| पॉलिसी का नाम Name of Policy | पॉलिसियों की संख्या No. of Policies | कवर की गई संख्या Number Covered | प्रीमियम (लाख रूपए में) Premium (Rs. in lacs) | सूचित दावों की संख्या No. of claims reported | समाधान किए गए दावों की संख्या No. of claims settled | उपगत दावे (लाख रूपए में) Incurred claims (Rs. in lacs) | दावा प्रतिशत Claims Ratio % |
| जनता व्यक्तिगत दुर्घटना Janta Personal Accident | 424743 | 28246628 | 4092.61 | 7209 | 6452 | 6852 | 167.43 |
| ग्रामीण व्यक्तिगत दुर्घटना Gramin Personal Accident | 13281 | 17220 | 657.58 | 249 | 188 | 515 | 78.35 |
| राज राजेश्वरी Raj Rajeshwari | 6930 | 7642 | 5.35 | 146 | 124 | 25 | 459.44 |
| भाग्यश्री Bhagyashree | 2140 | 5035 | 5.00 | 18 | 12 | 1 | 29.50 |
| पशुधन Cattle | 192459 | 634082 | 4258.87 | 30201 | 25577 | 3511 | 82.44 |
| कृषि पंपसेट Agri-Pumpset | 11722 | 5546 | 119.98 | 125 | 136 | 33 | 27.62 |
| किसान पैकेज पॉलिसी Kisan Package Policy | 103984 | 185576 | 3840.70 | 2658 | 2050 | 2620 | 68.21 |
| यूएचआईएस UHS | 109979 | 558785 | 1601.48 | 10643 | 9358 | 1937 | 120.97 |
| अन्य (ग्रामीण बीमा) OTHERS(Rural Insurance) | - | 4829739 families) | 16087.00 | - | - | 8232 | 51.17 |
| आरएसबीवाई RSBY | 22187 | 291618 | 262.74 | 2383 | 2241 | 38 | 14.48 |
| कुल TOTAL | 887425 | 29952132 | 30931.31 | 53632 | 46138 | 23764 | 76.83 |



ए.के. मित्तल
महाप्रबंधक

A. K. MITTAL
GENERAL MANAGER

निवेश विभाग

आर्थिक मंदी की वजह से गत वर्ष निम्नतम बिंदु तक पहुँच गया था। वैश्विक आर्थिक अस्थिरता के दौर के परिणामस्वरूप पूंजी का बहिर्प्रवाह और विनिमय दर पर दबाव उत्पन्न हुआ, किंतु मजबूत नीतिगत उपायों से मुद्रा में स्थिरता आई, विदेशी मुद्रा आरक्षितियों में सुधार हुआ और चालू खाता घाटा (CAD) कम हुआ। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (CSO) द्वारा जारी अग्रिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2015 और 2016 के दौरान जीडीपी की वृद्धि 8.1%–8.5% रहने का अनुमान है। जहां वैश्विक वातावरण चुनौतीपूर्ण बना हुआ है वहीं भारत में नीतिगत कार्रवाई जारी रहेगी जो विकास को नई उँचाईयों तक ले जाएगी। वैश्विक वृद्धि दर वर्ष 2015 के दौरान 3.5% और 2016 के दौरान 3.8% रहने का अनुमान है।

मुद्रास्फीति की दर अप्रैल 2014 में 8.79% से घटकर मार्च 2015 में 5.17% हो गई। मुद्रास्फीति कम होने में मुख्य योगदान कच्चे तेल, वस्तुओं और खाद्य मदों की कीमतों में आई गिरावट थी।

भारतीय रिजर्व बैंक ने अर्थव्यवस्था में दबाव को नियंत्रित करने के प्रयास में रेपो दर को दिसंबर 2014 तक 8.00% पर रखा और मुद्रास्फीति कम होने पर इसने रेपो दर को चरणबद्ध तरीके से कम करके 7.50% कर दिया।

INVESTMENT DEPARTMENT

The Economic slowdown bottomed out last year. A spell of global financial turbulence caused capital outflows and pressure on the exchange rate, but strong policy measures stabilised the currency, improved forex reserves and narrowed down the Current Account Deficit (CAD). The growth of GDP is estimated at 8.1%-8.5% during 2015 and 2016 respectively according to advanced estimates released by Central Statistics Office (CSO). While Global environment remain challenging policy action in India would continue to drive the growth to new highs. The Global growth is pegged at 3.5% during 2015 and 3.8% during 2016.

Inflation decreased from 8.79% in April 2014 to 5.17% March in 2015. The main factors contributing to lower inflation were fall in the prices of Crude, commodities and food items.

RBI in its pursuit to control the inflationary pressure in the economy kept the repo rate at 8.00% till December 2014 and on inflation easing it reduced the repo rates in a phased manner to 7.50%.



इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में बेमौसम बरसात के बावजूद, आने वाले वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान ब्याज दर परिदृश्य में नरमी का रुख आने के आसार हैं।

वर्ष 2014-15 में भारत के इक्विटी बाजारों में तेजी रही जिसमें सेंसेक्स और निफ्टी ने 12 महीने में क्रमशः 24.55 प्रतिशत और 26.33 प्रतिशत का रिटर्न दिया। तेजी का यह चक्र कम से कम 3-5 वर्ष तक जारी रहने की आशा है और केंद्रीय सरकार द्वारा किए जा रहे निवेश-हितैषी उपायों की वजह से बाजार की दिशा सकारात्मक रहने की संभावना है।

इक्विटी बाजार की तेजी का लाभ उठाते हुए, आपकी कम्पनी निवेशों की बिक्री से (जिसमें म्युचुअल फंडों के मोचन से प्राप्त आय शामिल है जो रु. 35.62 करोड़ बनती है) रु. 923.21 करोड़ का लाभ अर्जित करने में सफल रही, जो गत वर्ष रु. 900.90 करोड़ (जिसमें म्युचुअल फंडों के मोचन से प्राप्त आय शामिल है जो रु. 27.45 करोड़ बनती है) था। यह सुनिश्चित करने के लिए, कि कम्पनी के इक्विटी पोर्टफोलियो का बही मूल्य अक्षुण्ण बना रहे, आपकी कम्पनी ने अल्पमूल्यांकित इक्विटी स्टॉकों की रु. 239.27 करोड़ (गत वर्ष रु. 403.01 करोड़) की मूल्य खरीद की।

परिणामस्वरूप इक्विटी पोर्टफोलियो का बही मूल्य 31 मार्च, 2014 को रु. 2178.47 करोड़ की तुलना में बढ़ कर 31 मार्च, 2015 को रु. 2189.60 करोड़ हो गया।

आपकी कम्पनी ने वर्ष 2014-15 में भारत सरकार के विनिवेश कार्यक्रम में सक्रिय भागीदार की है और भविष्य में भी भागीदारी करने की आशा है।

वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान, आपकी कम्पनी के निवेश विभाग ने ब्याज और लाभांश से गत वर्ष के रु. 986.24 करोड़ की तुलना में रु. 1094.57 करोड़ की आय अर्जित की।

नियत आय निवेशों के लिए हमारा निवेश का दर्शन हमारे समस्त उत्पादों पर ईष्टतम जोखिम/समायोजित आय डिलीवर करे के उद्देश्य से संचालित होता है।

बहरहाल, दरों में कटौती, मुद्रास्फीति में कमी और नकदी की स्थितियों को देखते हुए, भारतीय बांड बाजार में वित्त वर्ष 2014-15 की दूसरी छमाही (H2) में अर्जन की शार्प ईजिंग देखी गई। इसके कारण रहे कच्चे तेल की कीमतों में कमी जिससे चालू खाते का घाटा (CAD) कम करने में सहायता मिली, मुद्रा स्फीति (डब्ल्यूपीआई और सीपीआई दोनों) में तेज आधुनिकीकरण और भारतीय जी सेक्शन तथा निगमित बांडों की मजबूत एफआईआई मांग।

Keeping these facts in mind, despite unseasonal rains in the first quarter of the current financial year, the interest rate scenario is expected to be soft during the coming financial year 2015-16.

In 2014-15 Equity markets in India had a bull run with Sensex and Nifty giving 12 month return of 24.55 per cent and 26.33 per cent respectively. The Bull Run cycle is expected to continue for at least 3-5 years and the direction of the market is likely to be positive due to investor friendly measures being taken by the Central Government.

Taking advantage of the Equity market rally, your company was able to make a profit of Rs.923.21 crores from Sale of Investments (including income from redemption of Mutual Funds amounting to Rs 35.62cr) during the year as against Rs.900.90 crores (including income from redemption of Mutual Funds amounting to Rs 27.45cr) in previous year. In order to ensure that the Book Value of the Equity Portfolio of the company is kept intact, your company did value buying of Rs.239.27 crores (previous year Rs.403.01 crores) of undervalued equity stocks. As a result, the Book Value of the Equity Portfolio went up to Rs.2189.60 Crores as on 31st March, 2015 from Rs.2178.47 crores as on 31st March, 2014.

Your Company has actively participated in the Government of India divestment programme in 2014-15 and expects to further participate in future, as well.

During the fiscal 2014-15, the Investment Department of your company achieved an Income from Interest & Dividend amounting to Rs.1094.57 crores as against Rs.986.24 crores in previous year.

Our investment philosophy for fixed income investments flows from the objective to deliver optimal risk-adjusted returns across our products.

However in view of rate cuts, easing inflation and liquidity conditions the Indian bond market saw a sharp easing of yields in H2 of FY 2014-15. The reasons contributing were sharp fall in crude oil prices which helped in reduction of Current Account Deficit (CAD), sharp moderation in Inflation (both WPI and CPI) and lower than market consensus and strong FII demand for Indian G-Sec and Corporate Bonds.



भारतीय बांड से अर्जन वैश्विक अर्जनों की तुलना में अत्यंत आकर्षक थे खास तौर पर यह देखते हुए कि भारतीय रुपया उभरते बाजारों के बीच सर्वाधिक टिकाऊ मुद्राओं में से एक था। ऐसा सुधारते चालू और वित्तीय घाटे की वजह से हुआ (जिसे कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से आई कमी की वजह से प्रोत्साहन मिला)।

बाजार की स्थितियां वित्त वर्ष के दौरान कम क्रेडिट फैलाव की वजह से कठोर रहीं (बहरहाल आपकी कम्पनी अपने सम्पूर्ण कार्यक्षेत्र में उच्च क्रेडिट गुणवत्ता वाले पोर्टफोलियो बनाए रख पाईं।

वित्त वर्ष 2014-15 के लिए 10 वर्षों का औसत बेंचमार्क (जी-सेक्शन) अर्जन था 8.47% (वार्षिक रूप से) और वर्ष के दौरान आपकी कम्पनी का औसत निधियों पर अर्जन, जो गत वर्ष 8.92% था (निवेशों की बिक्री/मोचन पर लाभ/हानि पर विचार किए बिना), वर्ष के दौरान 9.12% था। तथापि, निवेशों की बिक्री/मोचन पर लाभ/हानि को ध्यान में रखते हुए, समग्र अर्जन गत वर्ष में 17.08% की तुलना में चालू वर्ष के 16.82% दौरान रहा।

निवेश पोर्टफोलियो का बाजार मूल्य और लागत आधारित बही मूल्य (सावधि ऋणों सहित) नीचे दिया गया है।

(करोड़ रु. में)

| | वित्त वर्ष 2014-15 | वित्त वर्ष 2013-14 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| कुल निवेश का बाजार मूल्य (सावधि ऋणों सहित) | 22205.64 | 20087.32 |
| कुल निवेश का लागत आधारित बही मूल्य (सावधि ऋणों सहित) | 12476.50 | 11517.21 |

इसके अतिरिक्त, वर्ष के दौरान आपकी कम्पनी ने सीडीआर/बीआईएफआर द्वारा अनुमोदित योजनाओं के तहत 6 कम्पनियों के सावधि ऋणों/डिबेंचरों/अधिमान्य पूंजी की पुनर्संचरना भी की। इसके अतिरिक्त, 3 कम्पनियों के लिए एक बारगी समधान (OTS) किया गया। वर्ष 2014-15 के दौरान, आपकी कम्पनी ने अपने पोर्टफोलियो का योजितकरण करने के उद्देश्य से इक्विटी पोर्टफोलियो की छंटवाई की प्रक्रिया जारी रखी, जिसके परिणामस्वरूप आपकी कम्पनी चालू वित्त वर्ष के दौरान 31 कम्पनियों से बाहर निकल गई।

मरीन और विमानन

मरीन और विमानन कारोबार श्रृंखला प्रकृतिवश पूंजी संवेदी होती है। वर्ष के दौरान, निर्माण क्षेत्र में निवेश में कमी और धीमी आर्थिक

Indian Bond yields were very attractive compared to Global yields especially considering that the INR was one of the most stable currencies among emerging markets. This was due to improving current and fiscal deficit (boosted by sharp correction on crude oil prices).

The market conditions during the fiscal 2014-15 were tough on account of lower credit spreads; however your Company managed to maintain high credit quality portfolios across the board.

The average 10 year benchmark (G-Sec) yield for FY 2014-15 was 8.47% (annualised) and the yield on mean funds of your company was at 9.12% during the year against 8.92% in the previous year (without considering the profit/loss on Sale/redemption of investments). However, taking into account the profit/loss on Sale/redemption of investments, the overall yield was at 16.82 % during the current year as against 17.08% in the previous year.

The Market Value and Cost based Book Value of Investment Portfolio (including Term Loans) are given hereunder.

| | (Rs. In Crores) | |
|---|-----------------|------------|
| | FY 2014-15 | FY 2013-14 |
| Market Value of Total Investments (including Term Loans) | 22205.64 | 20087.32 |
| Cost based Book Value of Total Investment Portfolio (including Term Loans). | 12476.50 | 11517.21 |

Apart from this, during the year your company also restructured Term Loans/Debentures/Preference Capital of 6 companies under CDR/BIFR approved Schemes. Besides, One Time settlement (OTS) was done for 3 companies. During the year 2014-15, your company continued the exercise of pruning of Equity Portfolio with a view to rationalise its Portfolio. As a result of which, your company exited from 31 companies in the current Financial Year.

MARINE & AVIATION

Marine & Aviation line of business is capital intensive in nature. During the year, the market continued



गतिविधियों की वजह से बाजार में मंदी बनी रही। इसके अतिरिक्त, अति-क्षमता की वजह से, प्रीमियम दरों में और गिरावट आई। इन स्थितियों में, हमने मरीन हल और कार्गो पोर्टफोलियो में तीसरा स्थान बनाए रखा और विमानन पोर्टफोलियो में आंशिक तौर पर खिसक कर दूसरे स्थान पर आ गए।

सतक्र निम्नांकन परिपाटियों और अपनाए गए उपायों ओर प्रभावी दावा प्रबंधन से, मरीन कार्गो, हल और विमानन पोर्टफोलियो के मामले में निवल आधार पर उपगत दावा अनुपातों में उल्लेखनीय सुधार हासिल किए गए।

वर्ष 2014-15 के दौरान, मरीन कार्गो और हल पोर्टफोलियो ने क्रमशः रु. 95.27 करोड़ और रु. 21.84 करोड़ का प्रभावशाली निवल प्रचालनिक परिणाम दर्ज किया।

विमानन पोर्टफोलियो में, (-) रु. 21.58 करोड़ का निवल प्रचालनिक परिणाम मुख्यतः बहाली क्षमता में लिखित पॉलिसियों के तहत अधिक बड़े दावों के उपगत होने की वजह से है।

सर्विस वर्टिकल सेंटर

पर्यवेक्षण प्रकोष्ठ की स्थापना दावों के तत्परतापूर्ण, मानकीकृत और झंझट-मुक्त समाधान के लिए देश भर में 25 सर्विस वर्टिकल सेंटरों (SVC) की प्रभावपूर्ण तरीके से निगरानी, मूल्यांकन, मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण करने के उद्देश्य से की गई है। इस विभाग का लक्ष्य एक अत्यंत प्रतिस्पर्धी बाजार में एक प्रमुख कम्पनी के रूप में प्रभावपूर्ण दावा समाधान प्रणाली प्रक्षेपित करना है। विभाग ने अपने अग्रसक्रिय उपायों से सुनिश्चित किया है कि मोटर ओडी दावों की संभलाई करते हुए भी एसवीसी में दावा समधान अनुपात 93% से अधिक है। ऐसे दावों की सर्विसिंग के लिए औसत निपटान समय (TAT) में वर्ष दर वर्ष सुधार होता जा रहा है। विभाग देश भर में और अधिक संख्या में एसवीसी आरंभ करने और जिन एसवीओ के समग्र पोर्टफोलियो में गैर-मोटर दावों की सर्विसिंग अभी तक आरंभ नहीं की गई है उनमें भी इसे आरंभ करने की परिकल्पना कर रहा है।

विदेशी प्रचालन

हमारे विदेशी बाजार में नेपाल, कुवैत और दुबई में कार्यालय हैं। हमने वर्ष 2013-14 में रु.154.68 करोड़ की तुलना में 13.44% वृद्धि दर्ज करते हुए वर्ष 2014-15 में रु.175.48 करोड़ रुपए का सकल प्रीमियम पूरा किया है।

इस वर्ष दुबई और नेपाल के प्रचालनिक परिणाम संतोषजनक थे जबकि कुवैत में पिछले वर्ष के संचित घाटों की वजह से

to be depressed due to lack of investment & low economic activity in manufacturing sector. Moreover, due to over-capacity, the premium rates slide down further. Under these conditions, we continued to maintain the number three position in the market for Marine Hull and Cargo portfolios and marginally descended to number two position in case of Aviation portfolio.

With judicious underwriting practices & measures adopted and effective claims management, significant improvements were achieved in incurred claims ratios on net basis in case of Marine Cargo, Hull & Aviation portfolios.

During the year 2014-15, Marine Cargo & Hull portfolios posted an impressive Net Operating Result of Rs. 95.27 Cr and Rs. 21.84 Cr, respectively.

In Aviation portfolio, the Net Operating Result of (-) Rs. 21.58 Cr is mainly due to incurring of more large claims under policies written within the retention capacity.

SERVICE VERTICAL CENTRES

Supervision Cell has been formed to effectively monitor, evaluate, guide and supervise 25 Service Vertical Centres (SVC) across the country for prompt, standardized and hassle-free servicing of claims. The aim of the department is to project effective claims servicing as a key differentiator in a highly competitive market. The department, through its proactive initiatives, has ensured that the SVCs have over 93% Claims Settlement Ratio while handling motor OD claims. The average turn-around-time (TAT) for servicing such claims has been improving year on year. The department envisions rolling out more SVCs across the country and also including servicing of non-motor claims in the overall portfolio of those SVCs where the same are yet to roll out.

FOREIGN OPERATIONS

We have our offices in Nepal, Kuwait and Dubai in the foreign market. We have completed a gross premium of Rs 175.48 Crores in the year 2014-15 against Rs154.68 crores in the year 2013-14 registering a growth of 13.44%. This year operating results of Dubai and Nepal were satisfactory even as



कुछ असफलताएं रहीं।

हमने नेपाल में अपने कर्मचारियों के लिए चालू वर्ष में परिलब्धियों को संशोधित किया है और उनके गैर-केंद्रीय लाभों का संशोधन प्रक्रियाधीन है। हमने कतर में एक स्थानीय विनियामक सहित एक शाखा की स्थापना का आवेदन प्रस्तुत किया है और हमें शीघ्र ही लाइसेंस मिलने की आशा है। हमने नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी की शेयर पूंजी में अभिदान करके इसकी स्थापना में भागीदारी कै। दुबई में विपणन संसाधनों में विस्तार किया गया है और हमें अगले वित्त वर्ष में अपने प्रीमियम में उल्लेखनीय वृद्धि होने की आशा है। नेपाल में कुछ विपणन अधिकारियों की भर्ती और कार्यालयों के स्तरोन्नयन के परिणामस्वरूप हमें प्रोत्साहन मिलेगा। हमें कुवैत में अगले वर्ष में स्थिति में बदलाव आने और काफी बेहतर परिणाम दर्शाने की आशा है।

हमारे विदेशी प्रचालनों का विस्तृत निष्पादन निम्नानुसार है:-

Kuwait suffered some setback due to accumulated losses of previous years.

We revised the wages for the employees in Nepal in the current year and revision of their non-core benefits is under process. We have filed our application for setting up of a branch in Qatar with a local regulator and we hope to get the license soon. We participated in the formation of Nepal Reinsurance Company by subscribing to its share capital. The marketing resources in Dubai have been augmented and we hope to increase our premium substantially in the next financial year. The operations in Nepal will also receive a boost as a result of recruitment of a few marketing officers and upgrading of offices. We hope to turn around the position in Kuwait in next year and show much better results.

The detailed performance of our Foreign operations is as under:-

| Account Head | नेपाल Nepal | | दुबई Dubai | | कुवैत Kuwait | | Total | |
|---|----------------|-------|---------------|-------|-----------------|--------|-------------|-------|
| | राशि Amt | % | राशि Amt | % | राशि Amt | % | राशि Amt | % |
| सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम (आरआईए सहित) Gross Direct Premium (incl. RIA) | 36.93 | - | 98.64 | - | 39.91 | - | 175.48 | - |
| प्रीमियम (निवल) Premium (Net) | 32.59 | 88.2% | 89.27 | 90.5% | 33.93 | 85.0% | 155.79 | 88.8% |
| कमीशन (निवल) Commission (Net) | 1.16 | 3.6% | 27.26 | 30.5% | 10.16 | 29.9% | 38.58 | 24.8% |
| उपगम दावे (निवल) Incurred Claims (Net) | 18.02 | 55.3% | 35.28 | 39.5% | 47.74 | 140.7% | 101.04 | 64.9% |
| आरक्षित दबाव Reserve Strain | 1.56 | 4.8% | 7.21 | 8.1% | -0.8 | -2.4% | 7.97 | 5.1% |
| एम.ई. M.E. | 6.85 | 21.0% | 8.43 | 9.4% | 2.41 | 7.1% | 17.69 | 11.4% |
| निम्नांकित अधिशेष/कमी U/w Surplus/Deficit | 5.0000 | 15.3% | 11.0900 | 12.4% | -25.58 | -75.4% | -9.49 | -6.1% |
| ब्याज और अन्य आय Interest & Other Inc. | 7.43 | 22.8% | 4.99 | 5.6% | -1.64 | -4.8% | 10.78 | 6.9% |
| निवल अधिशेष (+)/ Net Surplus(+)/Deficit(-) | 12.4300 | 38.1% | 16.0800 | 18.0% | -27.22 | -80.2% | 1.29 | 0.8% |



आयकर संबंधी मामले

विभाग द्वारा वित्त वर्ष 2012-13 तक का आयकर आकलन पूरा किया जा चुका है। वर्ष के दौरान, आपकी कम्पनी को आकलन वर्ष 1978-79 के लिए रु. 61.74 करोड़ का रिफंड आदेश प्राप्त हुआ। हमें विभाग द्वारा आय कर अधिनियम की धारा 13(1)(C) के अधीन वित्त वर्ष 1992-93 के लिए लगाए गए रु. 44 लाख के जुर्माने के विरुद्ध भी एक अनुकूल आदेश प्राप्त हुआ है।

INCOME TAX MATTERS

The income tax assessment until AY 2012-13 has been completed by the Department. During the year, your company has received a refund order amounting to Rs. 61.74 crores for AY 1978-79. We have also received a favourable order against a penalty levied on us by the Department u/s Section 13(1)(C) of the interest tax for AY 1992-93 for Rs 44 lakhs.



के. रमादेवी/ K. RAMADEVI

सहायक प्रबंधक, मुख्य वित्तीय अधिकारी और वित्तीय सलाहकार
GENERAL MANAGER, CHIEF FINANCIAL OFFICER & FINANCIAL ADVISOR

लेखे

वित्त वर्ष 2014-15 के लिए, रु. 279.40 करोड़ की अभिवृद्धि के साथ 3.84% वृद्धि दर दर्शाते हुए सकल आधार पर कुल रु. 7561.93 करोड़ (गत वर्ष में रु. 7282.53 करोड़) का कुल प्रीमियम अर्जित किया गया। निवल प्रतिधारण वर्ष 2013-14 में 82.48% की तुलना में 0.29% की कमी दर्शाते हुए वर्ष के दौरान 82.19% था। निवल आईसीआर गत वर्ष में 85.84% से 3.95% घटकर चालू वर्ष में 81.89% रह गई है।

स्वास्थ्य, मोटर ओडी/टीपी और अग्नि सेगमेंटों का समग्र सकल प्रीमियम में योगदान गत वर्ष में 77.26% की तुलना में चालू वर्ष में 79.09% रहा। जोखिम अंकन हानि वर्ष 2013-14 में रु. 1289.92 करोड़ की तुलना में रु. 242.21 करोड़ वृद्धि होकर वर्ष 2014-15 में रु. 1532.13 करोड़ हो गई।

वर्ष 2014-15 के लिए निवल कमीशन अनुपात निवल प्रीमियम का 5.37% रहा, जो गत वर्ष में 5.60% था।

प्रस्तावित वेतन संशोधन के कारण उच्चतर प्रावधान किए जाने और एएस-15 की बाध्यताओं की वजह से प्रबंधन व्यय रु. 1775.43 करोड़ (प्रत्यक्ष प्रीमियम का 24.38%) से बढ़कर रु. 2347.98 करोड़ (प्रत्यक्ष प्रीमियम का 31.05%) हो चुका है।

ACCOUNTS

For the financial year 2014-15, a total premium of Rs. 7561.93 Crores (Rs.7282.53 Crores in the previous year) on Gross basis was procured, showing a growth of 3.84% with an accretion of Rs. 279.40 crores. The net retention was 82.19% during the year as against 82.48% in the year 2013-14, showing a decrease of 0.29%. The net ICR has reduced by 3.95% from 85.84% in the previous year to 81.89% in the current year.

Health, Motor OD/TP and Fire segment contributed 79.09% to the overall gross premium in the year, as against 77.26% in the previous year. The underwriting loss increased by Rs. 242.21 Crores from Rs. 1289.92 in 2013-14 to Rs. 1532.13 Crores in 2014-15.

The net commission ratio for the year 2014-15 stood at 5.37% of net premium, as against 5.60% in the previous year.

The management expenses have increased from Rs. 1775.43 Crores (24.38% of Direct Premium) to



चालू वित्त वर्ष के निवेश आय में रु. 151.34 करोड़ की वृद्धि हुई है, जिसका विवरण निम्नानुसार है:

(रु. करोड़ में)

| विवरण | 2014-15 | 2013-14 |
|--------------------------|---------|---------|
| ब्याज, लाभांश और किराया | 1177.34 | 1048.31 |
| निवेशों की बिक्री पर लाभ | 923.21 | 900.90 |
| कुल | 2100.55 | 1949.21 |

प्रचालनिक लाभ वित्त वर्ष 2013-14 में रु. 204.16 करोड़ की तुलना में चालू वित्त वर्ष में रु. 91.83 करोड़ था। पिछले पांच वर्षों के लिए अग्नि, मरीन और विविध सेगमेंटों के अधीन कम्पनी के प्रचालनिक परिणाम (आईआरडीएआई के विनियमों के अनुसार) नीचे दिए गए ब्योरे के अनुसार हैं:

(रु. करोड़ में)

| वर्ष | अग्नि | मरीन | विविध | कुल |
|---------|--------|--------|---------|---------|
| 2010-11 | -21.58 | -21.09 | -199.51 | -242.18 |
| 2011-12 | -64.47 | 9.31 | 71.23 | 16.07 |
| 2012-13 | 114.35 | 35.35 | 254.71 | 404.41 |
| 2013-14 | -20.85 | 69.05 | 155.96 | 204.16 |
| 2014-15 | -24.82 | 117.12 | -0.47 | 91.83 |

कुल मिलाकर, हमने रु. 617.34 करोड़ (गत वर्ष रु. 660.73 करोड़) का कर-पूर्व लाभ और रु. 392.10 करोड़ (गत वर्ष रु. 460.29 करोड़) का कर-पश्चात लाभ दर्ज किया है। संयुक्त अनुपात वित्त वर्ष 2013-14 में 121.66% की तुलना में बढ़कर चालू वर्ष में 123.84% हो चुका है जिसका प्रमुख कारण एस- के अधीन सेवानिवृत्ति लाभों में वृद्धि और प्रस्तावित वेतन संशोधन है।

सक्रिय रूप से कारोबार किए गए इक्विटी शेयरों और म्यूचुअल फंडों के पोर्टफोलियो में वृद्धि को दर्शाने वाला उचित मूल्य परिवर्तन लेखा दिनांक 31.03.2014 को रु. 8570.11 करोड़ की तुलना में दिनांक 31.03.2015 को रु. 9729.14 करोड़ पर था।

हम ऋण शोधन क्षमता मार्जिन पर आईआरडीएआई के संशोधित विनियमों का अनुपालन कर रहे हैं और यह दिनांक 31.03.2014 को 1.64 की तुलना में दिनांक 31.03.2015 को 1.68 था।

कम्पनी की सामान्य आरक्षित निधियां दिनांक 31.03.2014 को रु. 2771.74 करोड़ की तुलना में दिनांक 31.03.2015 को 2981.83 करोड़ हैं। कम्पनी ने वर्ष के दौरान रु. 50.00 करोड़ के बोनस शेयर जारी किए हैं।

Rs. 2347.98 Crores (31.05% of Direct Premium) due to higher provisioning towards proposed wage revision and AS-15 obligations.

The investment income for the current financial year increased by Rs.151.34Crores, as detailed below:

(Rs. in Crs)

| Particulars | 2014-15 | 2013-14 |
|-------------------------------|---------|---------|
| Interest, Dividend and Rent | 1177.34 | 1048.31 |
| Profit on sale of investments | 923.21 | 900.90 |
| Total | 2100.55 | 1949.21 |

The operating profit was Rs. 91.83 Crores during the financial year as against Rs. 204.16 Crores in the year 2013-14. The operating results of the Company (as per IRDAI Regulations) under the Fire, Marine and Miscellaneous segments for the past five years are as detailed below:

(Rs. in Crs)

| Year | Fire | Marine | Miscellaneous | Total |
|---------|--------|--------|---------------|---------|
| 2010-11 | -21.58 | -21.09 | -199.51 | -242.18 |
| 2011-12 | -64.47 | 9.31 | 71.23 | 16.07 |
| 2012-13 | 114.35 | 35.35 | 254.71 | 404.41 |
| 2013-14 | -20.85 | 69.05 | 155.96 | 204.16 |
| 2014-15 | -24.82 | 117.12 | -0.47 | 91.83 |

Overall, we have recorded a profit before tax of Rs. 617.34 Crores (previous year Rs. 660.73 Crores) and a profit after tax of Rs. 392.10 Crores (previous year Rs. 460.29 Crores). The combined ratio has increased from 121.66% in the FY 2013-14 to 123.84% in the current financial year mainly due to increase in provisions under AS-15 towards retirement benefits and proposed wage revision.

The fair value change account representing appreciation in the portfolio of actively traded equity shares and mutual funds stood at Rs. 9729.14 Crores as on 31.03.2015, as against Rs.8570.11 Crores as on 31.03.2014.

We are complying with the revised IRDAI regulations on Solvency Margin and it stands at 1.68 as on 31.03.2015, as against 1.64 as on 31.03.2014.

The General Reserves of the Company are Rs. 2981.83 Crores as on 31-03-2015 as against Rs. 2771.74 Crores as on 31.03.2014. The Company has



कम्पनी के निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2013-14 के लिए रु. 108.00 करोड़ (संवर्धित पूंजी का 72%) की तुलना में वित्त वर्ष 2014-15 के लिए रु. 110.00 करोड़ (55%) के लाभांश का प्रस्ताव किया है।

सूचना प्रौद्योगिकी

आईटी अवसंरचना और सुरक्षा

ओआईसीएल पारम्परिक रूप से सार्वजनिक क्षेत्र की गैर-जीवन बीमा कम्पनियों में आईटी कार्यान्वयन के लिहाज से बाजार का अगुआ रहा है। आईटी ढांचे में और वृद्धि करने और इसे सुचारु बनाने के उद्देश्य से हमने मौजूदा आईटी अवसंरचना में बड़ा स्तरोन्नयन आरंभ किया है। डेटा सेंटर और डिजास्टर रिकवरी साइटों पर मौजूदा अवसंरचना को मजबूत बनाने और इसे नया रूप देने के लिए नवोन्नत प्रौद्योगिकी सहित टेक्नोलॉजी रिक्रेश आरंभ किया गया है जिसमें सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्किंग और सिंक्रोरिटी डिवाइस, बैकअप डिवाइस, ईएमएस, एंटी वायरस, एक्टिव डायरेक्ट्री, ई-मेल, परिसम्पत्ति प्रबंधन, हेल्पडेस्क आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, हमारे इन्वेस्टमेंट एप्लीकेशन और वेब पोर्टल के लिए डिजास्टर रिकवरी सुविधा भी सृजित की जा रही है।

आईटी एप्लीकेशन

हमारी केंद्रीय बीमा एप्लीकेशन हमारा प्रमुख कार्यान्वयन बनी हुई है और इसे हाल ही में ओरेकल 11g से अपग्रेड किया गया है। कोर एप्लीकेशन में ऑनलाइन एक्सेस को 500+ मोटर डीलरों तक एक्सटेंड किया गया है जिससे डीलर आउटलेटों पर पॉलिसियां ऑनलाइन जारी किया जाना संभव हो सका है। कुछ बड़े ऑटोमोबाइल विनिर्माताओं (OEMs) और चुनींदा ब्रोकरों के लिए वेब सेवाओं के जरिए सिस्टम लेवल इंटीग्रेशन का कार्यान्वयन किया गया है। इसी प्रकार, स्वास्थ्य संबंधी डेटा अपलोड करने के लिए तृतीय पक्ष प्रशासकों (TPAs) को ऑनलाइन एक्सेस प्रदान की गई है। चुने हुए ग्राहकों के लिए मरीन सर्टिफिकेट जेनरेट करने के लिए भी ऑनलाइन एक्सेस चालू की गई है। इसके अतिरिक्त, देश के दूर दराज के कोनों तक भी पॉलिसियां ऑनलाइन जारी करने के लिए कोर एप्लीकेशन को सीएससी पोर्टल (कॉमन सर्विस सेंटर) के साथ इंटीग्रेट किया गया है। आईएनएलआईएस से जेनरेट किए गए पॉलिसी शैड्यूल्स में बार कोड और क्यूआर कोड का कार्यान्वयन किया गया है।

मौजूदा वेब पोर्टल, जिसे 2009 में लांच किया गया था, को शीघ्र ही एक नए वेब पोर्टल से बदला जा रहा है जिससे न

issued bonus shares of Rs.50.00 Crores during the year.

The Board of Directors of the Company has proposed a dividend of Rs. 110.00 crores (55% on increased capital) for the Financial Year 2014-15 as against Rs. 108.00 crores (72%) for the Financial Year 2013-14.

INFORMATION TECHNOLOGY

IT Infrastructure And Security

OICL has traditionally been the market leader in IT implementation among the PSU Non-Life Insurance Companies. In order to further enhance and streamline the IT setup we have embarked upon a major upgrade of the existing IT infrastructure. The "Technology Refresh" has been undertaken to consolidate and refresh the existing infrastructure at Data Centre and Disaster Recovery sites with state of the art technology which includes Servers, Storage, Networking and security devices, Backup devices, EMS, Anti Virus , Active Directory, E-Mail, Asset Management, Helpdesk, etc. Further, Disaster Recovery facility is being created for our Investment Application and the Web Portal.

IT Applications

Our core insurance application continues to be the flagship implementation and the same has recently been upgraded to Oracle 11g. Online access to the core application has been extended to 500+ Motor Dealers enabling online issuance of policies at the Dealer outlets. System level integration through web services has been implemented for a few major automobile manufacturers (OEMs) and selected Brokers. Similarly, online access has been extended to Third Party Administrators (TPAs) for upload of health related data. Online access has also been enabled for generation of Marine Certificates to selected customers. Further, the Core application has been integrated with the CSC Portal (Common Service Centre) for online issuance of policies even in the remote corners of the country. Bar code and QR codes have been implemented in the policy schedules generated from INLIAS.

The existing Web Portal which was launched in 2009 is shortly being replaced by a new Web Portal



केवल ऑनलाइन ट्रांजेक्शनों की बढ़ती हुई मांग पूरी होगी बल्कि यह विभिन्न स्टेकधारकों को ऑनलाइन सेवाएं मुहैया कराने के लिए प्रमुख चैनल होगा।

हमारे एचआर प्रचालनों को भी एचआरएमएस द्वारा सेवा प्रदान की जा रही है, जिसने समस्त संगठन में अपने लाइव ऑपरेशन आरंभ कर दिए हैं। कुछ बचे हुए मॉड्यूल्स को भी जल्द ही चालू किया जा रहा है।

नई पहलें

दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में पुरालेखबद्ध और अनुरक्षित करने के साथ साथ कारोबारी प्रचालनों को समर्थन प्रदान करने के लिए इनका आसानी से रिट्रीवल करने के लिए भी, एक नई आईटी परियोजना, 'एंटरप्राइज कन्टेंट मैनेजमेंट' आरंभ की गई है। ये एक एंटरप्राइज वाइड डिप्लॉयमेंट होगी और इसे हमारे कोर एप्लीकेशन और वेब पोर्टल के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए डेटा वेयरहाउसिंग के साथ साथ बिजनेस इंटेलीजेंस (DW/BI) और ग्राहक संबंध प्रबंधन (CRM) परियोजनाएं भी प्रस्तावित की जा रही हैं और इन्हें शीघ्रतापूर्वक डिप्लॉय कर दिया जाएगा।

आंतरिक लेखा परीक्षा

मुख्यालय का आंतरिक लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण विभाग (IAID) क्षेत्रीय केंद्रों में काम कर रहे अपने 25 लेखा परीक्षा प्रकोष्ठों द्वारा उपलब्ध कराए गए फीडबैक की सहायता से प्रबंधन को विभिन्न स्थानों पर स्थित अपने प्रचालनिक कार्यालयों की कार्यप्रणाली पर सुचना मुहैया कराने में सक्षम रहा है।

वर्ष 2014-15 में, आईएडी ने 30 क्षेत्रीय कार्यालयों, 347 मंडल कार्यालयों, 495 शाखा कार्यालयों और 392 व्यापारिक केंद्रों की नियमित लेखा परीक्षा संचालित की। इसके अतिरिक्त, इसने सेवा केंद्रों और टीपी हबों की लेखा परीक्षा की। समझौता ज्ञापना के अधीन किए गए अवसंरचनात्मक भुगतानों – इनकी स्थिति और अनुपालन और कम्पनी के अतिथि गृहों – अनुरक्षण, आवंटन और अतिथि गृहों में ठहरने के लिए कम्पनी के नियमों के अनुपालन पर विशेष लेखा परीक्षा की। इसने सभी सेवानिवृत्त/मृत कर्मचारियों के लिए पेंशन/पारिवारिक पेंशन के भुगतानों की संगामी लेखा परीक्षा भी की।

वर्ष के दौरान, मुख्यालय के कार्मिक, ओएसटीसी, सम्पदा, स्थापना, आरआईडी, लेखा, निवेश प्रचालन, पुनर्बीमा संधि और स्वास्थ्य विभागों की लेखा परीक्षा भी की गई।

वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान, लंबित लेखा परीक्षा बिंदुओं

which will not only cater to the increased demand of online transactions but will be the primary channel for delivery of online services to various stakeholders.

Our HR operations are also being serviced by HRMS, which has started its live operations across the organization. Some of the remaining modules are also being rolled out very shortly.

NEW INITIATIVES

A new IT Project, 'Enterprise Content Management' has been undertaken for archiving, and maintaining the documents in electronic form as also their easy retrieval for supporting the business operations. This will be an enterprise wide deployment and will be integrated with our core application and the Web Portal. Going ahead Data Warehousing coupled with Business Intelligence (DW/BI) and Customer Relationship Management (CRM) projects are also proposed and the same shall be deployed at the earliest.

INTERNAL AUDIT

The Internal Audit & Inspection Department (IAID) at Head Office with the help of the feedback made available by its 25 Audit Cells functioning at Regional Centers has been able to provide information to the Management on the functioning of its operational offices situated at various places.

In the year 2014-15, IAD conducted Regular Audit of 30 Regional Offices, 347 Divisional Offices, 495 Branch Offices and 392 Business Centres. In addition, it carried out audit of Service Centers and TP Hubs. Special Audit was carried out on Infrastructure payments made under MOUs - their status and compliance and on Company owned Guest Houses - Critical analysis of Maintenance, allotment and adherence of company's rules for stay in the Guest Houses. It has also conducted concurrent audit of Pension/family pension payments for all retiring/deceased employees.

During the year, audits of Personnel, OSTC, Estate, Establishment, RID, Accounts, Investment Operations, Reinsurance Treaty and Health departments of Head Office were also conducted.



को क्लियर करने के लिए विशेष प्रयास किए गए। दिनांक 01.04.2014 की स्थिति के अनुसार 15995 बिंदु लंबित थे, वर्ष के दौरान 15229 बिंदु जुड़ गए, जिनमें से 15672 बिंदुओं का समाधान किया जा चुका है।

दिनांक 01.04.2014 की स्थिति के अनुसार, 486 सीएजी पैरा लंबित थे। वर्ष के दौरान 110 नए पैरा जुड़ गए। दिनांक 31.03.2015 तक 434 पैराओं के संबंध में सीएजी को उत्तर प्रस्तुत किए गए जिनमें से 48 पैरा सीएजी द्वारा समाप्त/समाशोधित किए जा चुके हैं और 386 पैरा सीएजी के पास उनके अंतिम निर्णय के लिए लंबित हैं।

फाइल एंड यूज के संबंध में आईआरडीएआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, क्षेत्रों की डी-टैरिफ जोखिम अंकन लेखा परीक्षा तिमाही आधार पर की गई है और इसके निष्कर्ष बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किए जा चुके हैं।

During the Financial Year 2014-15, special efforts were made to clear the pending audit points. As on 01.04.2014 there were 15995 points pending and during the year 15229 were added, out of which 15672 points have been settled.

As on 01.04.2014, 486 CAG paras were pending. During the year 110 new paras were added. Replies in respect of 434 paras were submitted to CAG upto 31.03.2015 out of which 48 paras have been settled/dropped by CAG and 386 paras are pending with CAG for their final decision.

As per IRDAI guidelines on File and Use, de-tariff underwriting audit of the Regions has been conducted on quarterly basis and the findings were placed before the Board.



राकेश कुमार

महाप्रबंधक एवं मुख्य
सतक्रता अधिकारी

RAKESH KUMAR

GENERAL MANAGER & CHIEF
VIGILANCE OFFICER

पिछले वर्ष हमने कहा था सतक्रता किसी भी संगठन का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यकलाप होता है। यह सभी संबंधित लोगों के लिए नैतिकता और मूल्यों की संस्कृति अनुरक्षित रखने के स्पष्ट संदेश के साथ सुशासन सुनिश्चित करता है।

हमने सतक्रता प्रक्रिया को और मजबूत करके बहुत से अन्य संदेहास्पद क्षेत्रों को सुचारु बनाया है। हम सतक्रता विभाग में रोटेशन नीति का कठोरतापूर्वक अनुसरण कर रहे हैं। 11 सतक्रता अधिकारियों को रोटेट करके नए अधिकारियों की नियुक्ति करके इन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया गया। यह निष्पादन में सकारात्मकता को परिलक्षित करता है।

प्रशिक्षण

विभाग ने क्षेत्रीय कार्यालयों में सीवीओ के दौरे के माध्यम से निवारक सतक्रता का संदेश भी प्रसारित किया। इस वर्ष हम अपना ध्यान मंडल कार्यालयों और शाखाओं की ओर भी आकर्षित करने में सफल रहे। क्षेत्रीय कार्यालयों का दौरा करते समय, 18 मंडलों और 7 शाखाओं का दौरा भी किया गया और इस बात पर जोर दिया गया कि कर्मचारियों को अपने कर्तव्यों का निर्वहन सर्वाधिक कुशल, ईमानदार और पारदर्शी तरीके से करने की आवश्यकता है।

Last Year we said "Vigilance is a very important function for any organization. It ensures good governance with a clear message to all concerned to maintain a culture of ethics and values"

We further consolidated vigilance process and streamlined many more grey areas. We are strictly following the rotation policy in vigilance department. 11 Vigilance Officers were rotated and new officers were posted and trained. This reflects positively in the performance.

TRAINING

The Department also spread the message of preventive vigilance through the visit of CVO to Regional Offices. This year we were able to draw our attention at Divisional Offices and Branches also. While visiting Regional Offices, also visited 18 Divisions and 7 Branches and emphasized that employees need to perform their duties in the most efficient, honest and transparent manner.



कर्मचारियों के साथ बातचीत

(i) ओरिएण्टल स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज, फरीदाबाद में बैठक:

| | |
|---------------------|-----|
| सम्बोधित समूह | 7 |
| भागीदारों की संख्या | 174 |

(ii)

| | |
|---|-----|
| ओरिएण्टल दिवस और सतक्रता सप्ताह पर बैठक | 2 |
| सम्बोधित व्यक्तियों की संख्या | 430 |

(iii) क्षेत्रीय कार्यालयों में बैठकें

| | |
|--------------------------------|------|
| क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या | 17 |
| सम्बोधित कर्मचारियों की संख्या | 1450 |

इस भावना को नीचे तक ले जाने के लिए, सतक्रता विभाग ने सतक्रता सप्ताह के दौरान हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में निबंध लेखन प्रतियोगिता आयोजित की।

| | |
|--|-----|
| भागीदार क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या | 25 |
| भागीदारों की संख्या | 142 |
| पुरस्कारों की संख्या | 30 |

पुरस्कार विजेता प्रविष्टियों का प्रकाशन विभागी पत्रिका में किया गया।

सतक्रता विभाग कम्पनी के कार्यालयों का औचक निरीक्षण करता है और इस प्रक्रिया में कर्मचारियों को पासवर्ड साझा करने जैसी सामान्य चूकों के बारे में भी शिक्षित किया गया और उन्हें बेहतर जोखिम अंकन करने, प्रत्यक्ष कारोबार को संरक्षित करने, वित्तीय विवेक का उपयोग करने, लाभप्रदता में सुधार लाने और देनदारियों को कम करने के लिए संवेदी बनाया गया।

वित्त वर्ष 2014-15 के लिए सतक्रता विभाग का निष्पादन निम्नानुसार है:

| सतक्रता एक नजर में | | |
|--------------------|---|----|
| 1 | 01.04.2014 को मामलों की संख्या | 55 |
| 2 | 01.04.2014 से 31.03.2015 की अवधि के दौरान पंजीकृत मामले | 68 |
| 3 | 01.04.2014 से 31.03.2015 2015 की अवधि के दौरान निपटाए गए मामलों की संख्या जिनमें आरडीए (बड़ी और छोटी दोनों) की सिफारिश की गई। | 69 |
| 4 | 31.03.2015 को अंतिम शेष | 54 |

विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों या शिकायतों के आधार

Interaction with Employees

(i) Meeting at Oriental Staff Training College, Faridabad:

| | |
|---------------------|-----|
| Group addressed | 7 |
| No. of Participants | 174 |

(ii)

| | |
|--|-----|
| Meeting on Oriental day and Vigilance Week | 2 |
| No. of Persons addressed | 430 |

(iii) Meeting at Regional Offices

| | |
|--------------------------|------|
| Regional Offices covered | 17 |
| Employees addressed | 1450 |

To take this spirit down the line, Vigilance department conducted essay writing competition during the vigilance week in both Hindi and English

| | |
|-------------------------------------|-----|
| No. of Regional Office Participated | 25 |
| No. of Participants | 142 |
| No. of Prizes | 30 |

The prize winning entries were published in house magazine.

Vigilance Department carries out surprise Inspection of Company Offices and in the process also educated the employees about common pitfalls like sharing of pass words and sensitizing them for better underwriting, preserving the direct business, financial prudence, to improve profitability and reducing liabilities.

The performance of Vigilance Department for the period 2014-15 is as under :

| Vigilance at A Glance | | |
|-----------------------|---|----|
| 1 | No. of cases as on 01.04.2014 | 55 |
| 2 | Cases Registered during the period 01.04.2014 to 31.03.2015 | 68 |
| 3 | Cases disposed during the period 01.04.2014 to 31.03.2015 where RDA (Both Major & Minor is recommended) | 69 |
| 4 | Closing Balance as on 31.03.2015 | 54 |



पर की गई जांच

| | |
|--|----|
| 01.04.2014 से 31.03.2015 की अवधि के दौरान जांच | 56 |
| तदनुसार बड़ी और छोटी आरडीए आरंभ की गई | |
| आरडीए बड़ी | 26 |
| आरडीए छोटी | 10 |

औचक निरीक्षण के साथ साथ जांचों के आधार पर अनेक निवारक उपाय किए गए।

| | 2013-14 | 2014-15 |
|---------------|---------|---------|
| औचक निरीक्षण | 179 | 296 |
| पंजीकृत मामले | 3 | 6 |

सभी औचक निरीक्षणों की रिपोर्टें अनुपालन और प्रचालनिक सुधार हेतु संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को भेजी गई।

बाहरी एजेंसियों के साथ सम्पर्क

ज्ञान का पारस्परिक विनिमय, जहां सीबीआई के अधिकारियों ने ओरिएण्टल स्टाफ कॉलेज में ओआईसीएल के सतक्रता अधिकारियों को प्रशिक्षित किया, वहीं सीवीओ और मुख्य प्रबंधक ने सीबीआई अकादमी में नियमित अंतराल पर प्रशिक्षण प्रदान किया है। इसी प्रकार सीवीसी के संसाधनों को भी सतक्रता अधिकारियों के ज्ञान में सुधार हेतु उपयोग किया गया है।

अंत में, हम सतक्रता मामलों को तीव्रतापूर्वक निर्धारित समय में समाप्त करने का प्रस्ताव करते हैं, जैसा कि सीवीसी द्वारा समय समय पर प्रस्तावित किया जा चुका है।

Investigation based on our analysis of data or complaint received from different sources

| | |
|---|----|
| Investigation conducted during 01.04.2014 to 31.03.2015 | 56 |
| Accordingly RDA Major and minor were initiated | |
| RDA Major | 26 |
| RDA Minor | 10 |

On the basis of Surprise Inspection as well as Investigations many preventive steps were taken.

| | 2013-14 | 2014-15 |
|---------------------|---------|---------|
| Surprise Inspection | 179 | 296 |
| Cases Registered | 3 | 6 |

The reports for all the surprise inspection were sent to concerned Regional Offices for compliance and administrative improvement.

Liaison with outside agencies

Mutual Exchange of knowledge, while CBI Official have trained OICL Vigilance Officers at Oriental Staff Training College, CVO and Chief Manager have imparted training at CBI Academy at regular interval. Similarly CVC resources have been used for improving the knowledge of Vigilance Officers.

To conclude, we propose speedy closure of vigilance cases in stipulated time line as proposed by CVC time to time.



निखिल गुप्ता
नियुक्त बीमांकिक

NIKHIL GUPTA
APPOINTED ACTUARY

बीमांकिकों की भूमिका अपने कौशल को नए बीमा उत्पाद तैयार करने, संभावित हानियों का पूर्वानुमान लगाने, प्रीमियम दरें तय करने, बीमाकर्ता की अपने पॉलिसीधारकों के प्रति देनदारी की गणना करने, कम्पनी की पूंजीगत स्थिति का आकलन करने और पॉलिसीधारकों का संरक्षण सुनिश्चित करने जैसे कार्यों में लागू करने की होती है।

सामान्य बीमा में नियुक्त बीमांकिक की भूमिका पिछले कुछ वर्षों के दौरान वैश्विक रूप से उल्लेखनीय रूप से बढ़ती हुई है। भारत में बीमा सेक्टर के खुलने के बाद, भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने भी सभी सामान्य बीमा कम्पनियों की ऋणशोधन क्षमता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रकटीकरणों और प्रतिवेदन पर अपनी अपेक्षाओं में वृद्धि की है।

विनियमों में हाल ही में हुए परिवर्तनों की वजह से सभी बीमा कम्पनियों के लिए एक पूर्णकालिक बीमांकिक नियुक्त करना अनिवार्य हो गया है जिसके अनुसरण में मेरी नियुक्ति 1 अगस्त, 2014 को की गई। मौजूदा अवसंरचना के अधीन, मेरे साथ साथ, हमारे पास एक वरिष्ठ परामर्शदाता बीमांकिक और चार बीमांकिक विद्यार्थियों की मजबूत और कुशल टीम है।

मूल्य निर्धारण

ओरिएण्टल इंश्योरेंस का नए उत्पादों और मौजूदा उत्पादों में

The role of Actuaries is to apply their skills to tasks such as designing new insurance products, forecasting expected losses, setting premium rates, calculating the liabilities of an insurer to its policyholders, assessing the capital position of the company and ensuring policyholder protection.

Appointed Actuary's role in General Insurance has increased significantly over the last few years globally. Following the opening up of Insurance sector in India, the Indian regulator, Insurance Regulatory and Development Authority of India (IRDAI) has also increased their requirements on disclosures and reporting to ensure the solvency of all general insurance companies.

Recent changes in regulations mandated all Insurance companies to have a full time appointed actuary pursuant to which I was appointed on August 1, 2014. Under the current structure, along with me, we have a senior consulting actuary and a strong skilled team of four actuarial students.

PRICING

Oriental Insurance's pricing approach to new



संशोधन के प्रति मूल्य निर्धारण संबंधी दृष्टिकोण सामान्यतया प्रज्वलन लागत अर्थात बर्निंग कॉस्ट की गणना करने पर आधारित होता है जिसमें विगत दावा आवृत्तियां और दावों की सर्विसिंग संबंधी अनुभव का उपयोग किया जाता है। इसके बाद इसका रुख आर्थिक मुद्रास्फीति और दावा समाधान पद्धतियों में किसी भी परिवर्तन को समाहित करने की ओर होता है। फिर इस प्रकार प्राप्त हुई दरों में प्रबंधन व्यय, लाभ भारण और विभिन्न पक्षकारों को देय कोई अन्य शुल्क जोड़े जाते हैं ताकि हमारे उत्पादों के लिए विपणन प्रीमियम का निष्कर्ष निकाला जा सके।

बहरहाल भारतीय बीमा कारोबार में कड़ी बाजार प्रतिस्पर्धा की वजह से, उत्पाद को वित्तीय तौर पर व्यवहार्य और विपणन योग्य बनाए रखने के लिए कुछ रणनीतिक प्रबंधन निर्णय लिए जाते हैं।

फरवरी, 2013 में नए स्वास्थ्य बीमा दिशानिर्देश जारी किए गए जिसके बाद पिछले एक वर्ष में नए स्वास्थ्य उत्पादों को विकसित करने और तदनुसार मौजूदा पॉलिसियों का संशोधन करने पर काफी काम किया गया है।

यह वर्ष उत्पाद अनुमोदनों की दृष्टि से शानदार रहा है। 7 वर्ष बाद, ओरिएण्टल इंश्योरेंस आईआरडीएआई से उत्पादों को अनुमोदित करा सका है। हमने पिछले 10 महीनों में 5 उत्पाद फाइल किए हैं और 4 अनुमोदन हासिल करने में सफल रहे हैं जबकि एक पर परिणाम लंबित है।

आईआरडीएआई द्वारा अनुमोदित उत्पादों का ब्योरा निम्नानुसार है:

1. व्यक्तिगत मेडीकलेम पॉलिसी के मूल्य निर्धारण का संशोधन
2. ज्यूलर्स ब्लॉक पॉलिसी के मूल्य निर्धारण का संशोधन
3. हॉस्पिटल कैश कवर नई पॉलिसी आरंभ की गई
4. डब्ल्यूसी पॉलिसी के नए कवर पर चिकित्सा विस्तार आरंभ किया गया

हैप्पी फैमिली फ्लोटर पॉलिसी के मूल्य निर्धारण के संशोधन पर परिणाम लंबित है।

आरक्षित-निर्धारण (रिजर्विंग)

रिजर्विंग जोखिम किसी बीमा कम्पनी के समक्ष आने वाला सबसे बड़ा जोखिम होता है क्योंकि इसमें दावा आवृत्तियों और दावों की कठिनाई दोनों में अनिश्चितता रहती है। नियुक्त बीमाकिक को आरक्षितियों के लिए एक पर्याप्त प्रावधान की गणना करने की आवश्यकता होती है जिसकी समीक्षा आवधिक रूप से की जाए और अनुभव के मुताबिक जिसका समायोजन किया जाए।

हम प्रत्येक कारोबार श्रृंखला के विशिष्ट पहलुओं को ध्यान में रखते

products and revision in existing products is generally based on calculating the burning cost using historical claim frequencies and claim severities experience. These are then trended to incorporate the economic inflation and any changes in claim settlement patterns. Trended rates are then loaded for management expenses, profit loading and other fee payable to different parties to arrive at a market premium for our products.

However due to stiff market competition in Indian insurance business, some strategic management decisions have to be made to keep the product financially viable and marketable.

New health insurance guidelines were issued in February 2013 following which there has been a significant amount of work done in last one year on developing new health products and revising existing policies accordingly.

This year has been a marvelous year in terms of product approvals. After 7 years, Oriental Insurance has been able to get products approved from IRDAI. We filed 5 products in last 10 months and have been able to secure 4 approvals with results pending on one.

The products approved by IRDAI are as follows:

1. Individual Mediclaim Policy Revision in Pricing
2. Jewelers Block Policy Revision in Pricing
3. Hospital Cash Cover New Policy introduced
4. Medical Extension on WC policy New cover introduced

Result is pending for Happy Family Floater policy revision in pricing.

RESERVING

Reserving risk is one of the biggest risk an insurance company faces more because of uncertainty both in terms of frequency and severity of claims. Appointed actuary needs to calculate an adequate provision for reserves which can be reviewed periodically and adjusted as per experience.

We decide on the level of reserves to be held



हुए प्रत्येक श्रृंखला के लिए रखी गई आरक्षितियों का स्तर तय करते हैं। जोखिम की प्रकृति के आधार पर, हम किसी कारोबार श्रृंखला विशेष के लिए अंतिम हानि लागत का अनुमान लगाते हैं और आरक्षितियों की गणना करने के लिए आदिनांक तक किए गए किसी भी भुगतान और प्रावधान की कटौती करते हैं, जो हमारे मतानुसार ऐसे किसी भी दावों के संबंध में किए गए किसी भी दावे का भुगतान करने के लिए पर्याप्त हो जिन्हें उपगत तो किया जा चुका हो किंतु अभी तक कम्पनी को जिसकी सूचना न दी गई हो।

हम बीमाकिक मॉडलों का उपयोग करके आरक्षितियों की पर्याप्तता सुनिश्चित करते हैं। हम प्रत्येक तिमाही के अंत में अपनी आरक्षितियों की पूर्ण समीक्षा करते हैं और तदनुसार किसी भी कमी/निस्तारण के लिए इसे समायोजित करते हैं।

पूंजी प्रतिरूपण

ऋण शोधन पूंजी व्यवस्था की दिशा में पहले कदम के तौर पर, आईआरडीएआई ने सभी बीमाकर्ताओं को अपने दिशानिर्देशों में निर्धारित किए अनुसार आर्थिक पूंजी की गणना करने की सलाह दी।

आर्थिक पूंजी को किसी भी दिए गए जोखिम सहनशीलता स्तर पर, किसी विशिष्ट कालखंड के दौरान, संभावित हानियों को संरक्षित करने के लिए पर्याप्त अधिशेष के रूप में परिभाषित किया जाता है।

इसके अनुपालन में हमने वर्षवार आधार पर आर्थिक पूंजी आकलन किया है और आईआरडीएआई को निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया है। इस मामले में हमारी कम्पनी की स्थिति निरंतर आश्वासक बनी हुई है और समय के साथ-साथ इसमें सुधार हो रहा है।

परिसम्पत्ति देनदारी प्रबंधन

निवेश विभाग परिसम्पत्ति देनदारी की स्थिति की निगरानी करता है ताकि परिसम्पत्तियों से मिलने वाले प्रतिफल का देनदारियों के संबंध में राशि और समय द्वारा मेल करने के लिए निवेश संबंधी निर्णय लिए जा सकें। कम्पनी का परिसम्पत्ति देनदारी मिलान काफी ठोस है और भविष्य में इसकी देनदारियों को पूरा करने के लिए इसमें समय के साथ साथ सुधार हो रहा है।

परिसम्पत्ति देनदारी प्रबंधन की समीक्षा तिमाही आधार पर की जाती है और परिणामों को प्रबंधन के साथ साझा करके आईआरडीएआई को निर्धारित प्रारूप में भेजा जाता है।

वित्तीय स्थिति प्रतिवेदन

वित्तीय स्थिति प्रतिवेदन का उद्देश्य मूल्यांकन की तारीख की स्थिति के अनुसार बीमाकर्ता द्वारा चलाए जा रहे सम्पूर्ण सामान्य बीमा कारोबार की जांच करना और ऋणशोधन क्षमता की

for each line of business separately taking into consideration the specific aspects of each line. Depending on the nature of risk, we estimate an ultimate loss cost for a particular line of business and deduct any payments and provisions made till date to arrive at reserves which should be sufficient in our opinion to pay any claims in respect of claims which have been incurred but not yet reported to the company.

We ensure the adequacy of reserves by use of actuarial models. We undertake a full review of our reserves at the end of every quarter and adjust for any shortfall/ release accordingly.

CAPITAL MODELLING

As a first step towards Solvency Capital regime, IRDAI advised all the Insurers to work out Economic Capital, as prescribed in their guidelines.

Economic Capital can be defined as sufficient surplus to cover potential losses, at a given risk tolerance level, over a specified time horizon.

In compliance to this, Economic Capital assessment is done by us on yearly basis and submitted to IRDAI in the prescribed format. Our company's position on this front is consistently comfortable and improving over time.

ASSET LIABILITY MANAGEMENT

Investment department monitors the asset liability position to make investment decisions to match the returns from assets by amount and time in relation to liabilities. The company's asset liability matching is quite robust and improving over time to meet its liabilities in future.

Asset liability Management is reviewed on quarterly basis and results are shared with management and sent to IRDAI in prescribed formats.

FINANCIAL CONDITION REPORT

The objective of Financial Condition Report is to investigate the entire general insurance business carried on by the insurer as on the date of valuation and to report the strengths and weaknesses in terms of the risk the insurer carry with respect to meeting solvency requirements, profitability, morbidity,



अपेक्षाओं, लाभप्रदता, रुग्णता, नकदी, ऋण, खर्च, निवेश प्रतिफल, परिसम्पत्ति—देनदारी प्रबंधन के लिहाज से बीमाकर्ता के जोखिमों और बीमा कारोबार के अन्य विशिष्ट जोखिमों की दृष्टि से कम्पनी की ताकतों और कमजोरियों की सूचना देना होता है।

वित्तीय स्थिति प्रतिवेदन के कार्यक्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है ताकि इसमें कम्पनी की वित्तीय क्षमता सही मायने में परिलक्षित हो सके और सभी संभावित आर्थिक परिदृश्यों में कम्पनी ऋण शोधन क्षमता का आकलन भी हो सके।

कार्यपालक प्रतिवेदन बोर्ड को समीक्षा हेतु प्रस्तुत किया जाता है और वार्षिक तौर पर आईआरडीएआई को प्रस्तुत किया जाता है।

liquidity, credit, expense, investment return, asset-liability management and other insurance business specific risks.

Financial condition report has increased substantially in its scope to give a true reflection of the company's financial strength and also to assess the solvency of the company in all possible economic scenarios.

The executive report is presented to the board for review and submitted to IRDAI annually.



रश्मि बाजपेयी
कम्पनी सचिव

RASHMI BAJPAI
COMPANY SECRETARY

निगमित शासन

1. शासन संहिता पर कम्पनी का दर्शन

'ओरिएण्टल' में हम विश्वास रखते हैं कि उत्तम निगमित शासन परिपाटियां कम्पनी के चहुँमुखी विकास के लिए सर्वोत्तम संघटक होती हैं जिनसे न केवल शेयरधारकों का मूल्य अधिकतम होता है बल्कि संगठन का टिकाऊ और दीर्घकालिक विकास भी होता है। निदेशक मंडल निगमित शासन के उच्चतम मानदंड हासिल करने के लिए नैतिक मूल्यों और उच्च नैतिक मापदंडों में विश्वास रखता है।

कम्पनी ने आईआरडीएआई द्वारा दिनांक 5 अगस्त, 2009 के परिपत्र संदर्भ संख्या IRDAI/F&A/CIR/025/2009-10 और दिनांक 29 जनवरी, 2010 के परिपत्र संदर्भ संख्या IRDAI/F&I/CIR/F&A/014/01/2010 द्वारा इसके संशोधन द्वारा जारी निगमित शासन संबंधी दिशानिर्देशों को अंगीकृत किया है।

कम्पनी न केवल निगमित शासन की सांविधिक अपेक्षाओं का अनुपालन करती है बल्कि स्वैच्छिक रूप से निगमित शासन की सर्वोत्तम परिपाटियों का आग्रहपूर्वक अनुसरण करने का प्रयास भी करती है ताकि इसके स्टेकधारकों अर्थात् शेयरधारकों, सरकार और समग्र रूप से जनता के हितों को सर्वोत्तम संभव तरीके से पूरा किया जा सके।

CORPORATE GOVERNANCE

1. COMPANY'S PHILOSOPHY ON CODE OF GOVERNANCE

We at 'Oriental' believe that good Corporate Governance practices are the best ingredients for all round development of the Company which would not only maximize the shareholders value but would also have sustained and long lasting development of the organization. The Board of Directors believes in ethical values and high moral standards in achieving the highest standards of Corporate Governance.

The Company has adopted Guidelines on Corporate Governance issued by IRDAI vide its circular ref: IRDAI/F&A/CIR/025/2009-10 dated 5th August, 2009 and amendment to the same vide Circular ref: IRDAI/F&I/CIR/F&A/014/01/2010 dated 29th January, 2010.

The Company not only complies with statutory requirements of Corporate Governance but shall also earnestly attempts to follow voluntarily the best practices of Corporate Governance in order to serve the interests of its stakeholders i.e. Shareholders, Customers, Government and Public at large, in best possible manner.

In view of the notification of Companies Act, 2013, the



कम्पनी अधिनियम, 2013 की अधिसूचना के दृष्टिगत, कम्पनी ने यह सुनिश्चित करने के लिए, कि सभी प्रयोज्य प्रावधानों को अनुपालन हो, अपना अनुपालन मैनुअल तैयार किया है। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 203 के अनुसार, कम्पनी की पहली सचिवालयी लेखा परीक्षा मैसर्स जयंत गुप्ता एंड एसोशिएट्स, व्यावसायिक कम्पनी सचिवों द्वारा किया गया। इनका प्रतिवेदन बोर्ड के पतिवेदन के साथ संलग्न है।

2. निदेशक मंडल

कम्पनी की 100% प्रदत्त शेयर पूंजी केंद्रीय सरकार द्वारा धारित की जाती है और कम्पनी के बोर्ड में निदेशकों की नियुक्ति केंद्रीय सरकार द्वारा की जाती है। वर्तमान में, बोर्ड में अध्यक्ष एवं प्रबंधन निदेशक और सात निदेशक शामिल हैं।

2.1 निदेशकों का विवरण

निदेशकों के विवरण संलग्न हैं।

3. बोर्ड और समितियों की बैठकें

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, निदेशक मंडल/बोर्ड की समितियों की बैठकें निम्न विवरणानुसार आयोजित की गईं:

| बोर्ड की बैठकें BOARD MEETING | लेखा परीक्षा समिति AUDIT COMMITTEE | निवेश समिति INVESTMENT COMMITTEE | सीएसआर समिति CSR COMMITTEE | जोखिम प्रबंधन समिति RISK MANAGEMENT COMMITTEE | पॉलिसीधारक संरक्षण समिति POLICYHOLDER'S PROTECTION COMMITTEE | सम्पत्ति समीक्षा समिति PROPERTY REVIEW COMMITTEE | सूचना प्रौद्योगिकी समिति IT COMMITTEE |
|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--|---|---|--|
| छह SIX | चार FOUR | पांच FIVE | पांच FIVE | चार FOUR | चार FOUR | चार FOUR | दो TWO |
| 24.04.2014 | | 24.04.2014 | | | | | 01.05.2014 |
| 15.05.2014 | 15.05.2014 | 15.05.2014 | | 27.06.2014 | 27.06.2014 | 27.06.2014 | |
| 12.08.2014 | 12.08.2014 | 12.08.2014 | 12.08.2014 | | | | |
| | | | | 08.09.2014 | 08.09.2014 | 08.09.2014 | |
| 08.11.2014 | 08.11.2014 | 08.11.2014 | 08.11.2014 | 23.09.2014 | | | |
| | | | | 17.11.2014 | 17.11.2014 | 17.11.2014 | |
| | | | | 28.01.2015 | 28.01.2015 | 28.01.2015 | |
| | | | | | | | 04.02.2015 |
| 06.02.2015 | 06.02.2015 | 06.02.2015 | 06.02.2015 | | | | |
| 19.03.2015 | | | 19.03.2015 | | | | |

Company has prepared its compliance manual to ensure that all the applicable provisions are complied with. In accordance with section 203 of the Companies Act, 2013, the 1st Secretarial Audit of the Company was conducted by M/s. Jayant Gupta & Associates, Practicing Company Secretaries. Their report is annexed to the Board's report.

2. BOARD OF DIRECTORS

The 100% paid-up share capital of the Company is held by the Central Government and the Directors on the Board of the Company are appointed by the Central Government. Presently, the Board comprises of the Chairman-cum-Managing Director and seven Directors.

2.1 PARTICULARS OF DIRECTORS

The particulars of Directors are annexed:

3. BOARD AND COMMITTEE MEETINGS

During the year under review, the Meetings of the Board of Directors / Committee of the Board were held as detailed below:



4. निदेशकों की समिति (वित्त वर्ष 2014-15)

4.1 बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति में सदस्यों के रूप में इस समय निम्नलिखित निदेशक शामिल हैं:

1. डॉ. एन. श्रीनिवास राव, निदेशक (बीमा डिवीजन), वित्त मंत्रालय,
2. श्री विजय गर्ग, अंशकालिक पदेन निदेशक,
3. श्री ए.एस. बाली, अंशकालिक पदेन निदेशक, और
4. श्री कुलदीप सिंह, पूर्णकालिक निदेशक एवं महाप्रबंधक

लेखा परीक्षा समिति के कार्यों में तिमाही, छमाही और वार्षिक वित्तीय विवरणिकाओं की समीक्षा, आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों का अनुपालन, कम्पनी द्वारा अपनाई गई प्रणालियों और प्रक्रियाओं की समीक्षा और समय समय पर कम्पनी अधिनियम के अधीन सौंपे गए ऐसे अतिरिक्त कार्य शामिल हैं।

4.2 बोर्ड की निवेश समिति

समिति में सदस्यों के रूप में इस समय निम्नलिखित निदेशक शामिल हैं:

1. डॉ. ए.के. सक्सेना, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
2. डॉ. एन. श्रीनिवास राव, निदेशक (बीमा डिवीजन), वित्त मंत्रालय
3. श्रीमती कौशल्या राय, अंशकालिक पदेन निदेशक,
4. श्री विजय गर्ग, अंशकालिक पदेन निदेशक,
5. श्री ए.एस. बाली, अंशकालिक पदेन निदेशक,
6. श्री ए.के. मित्तल, महाप्रबंधक, और
7. श्रीमती के. रमादेवी, मुख्य वित्त अधिकारी और महाप्रबंधक
8. श्री निखिल गुप्ता, नियुक्त बीमांकिक

निवेश समिति के प्रमुख कार्य बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित निवेश नीति का कार्यान्वयन करना और समय समय पर निवेश के प्रस्तावों को अनापत्ति देना है।

4. COMMITTEES OF DIRECTORS (FY 2014-15)

4.1 Audit Committee of the Board

The Audit Committee of the Board presently consists of the following Directors as Members:

1. Dr. N. Srinivasa Rao, Director (Insurance Division) Ministry of Finance,
2. Shri Vijay Garg, Part-time Non-Officio Director,
3. Shri A. S. Bali, Part-time Non-Officio Director, and
4. Shri Kuldip Singh, Whole Time Director & General Manager

The functions of Audit Committee includes review of quarterly, half yearly and annual financial statements, compliance of internal control systems, review of systems and procedures followed by the Company and such additional functions as may be assigned under the Company's Act from time to time.

4.2 Investment Committee of the Board

The Investment Committee of the Board presently consists of following as its Members:

1. Dr. A. K. Saxena, CMD,
2. Dr. N. Srinivasa Rao, Director (Insurance Division) Ministry of Finance
3. Mrs. Kaushalya Roy, Part-time Non-Officio Director,
4. Shri Vijay Garg, Part-time Non-Officio Director,
5. Shri A. S. Bali, Part-time Non-Officio Director,
6. Shri A. K. Mittal, General Manager, and
7. Mrs. K. Ramadevi, Chief Financial Officer & General Manager
8. Shri Nikhil Gupta, Appointed Actuary

The main functions of the Investment Committee are to implement the Investment Policy as approved by the Board and clear the



4.3 बोर्ड की अपील एवं स्मारक समिति

ओरिएण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री एस.एल. बंसल की अधिवार्षिता के परिणामस्वरूप उनकी बोर्ड से सेवानिवृत्ति उप-समिति की गठन प्रक्रिया वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित बैंक के नामित निदेशक की नियुक्ति तक निलंबित रखी गई।

कतिपय श्रेणियों के कर्मचारियों/मामलों के लिए अपीलीय प्राधिकरण और स्मारक के लिए प्राधिकरण के तौर पर बोर्ड की उप-समिति विहित की गई है। उप-समिति का गठन सामान्य बीमा (आचरण, अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1975 के संशोधन के परिणामस्वरूप किया गया था जिसे दिनांक 23.12.2004 को आयोजित बोर्ड की 351वीं बैठक में विधिवत अनुमोदित किया गया था। अब सामान्य बीमा (आचरण, अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1975 का स्थान ओरिएण्टल बीमा कम्पनी (आचरण, अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2014 ने ले लिया है जिसे दिनांक 24.04.2014 को आयोजित बोर्ड की 419वीं बैठक में विधिवत अनुमोदित किया गया था।

4.4 बोर्ड की पारिश्रमिक समिति

बोर्ड की पारिश्रमिक समिति में सदस्यों के रूप में इस समय निम्नलिखित निदेशक शामिल हैं:

1. डॉ. एन. श्रीनिवास राव, निदेशक (बीमा डिवीजन), वित्त मंत्रालय,
2. श्रीमती कौशल्या राय, अंशकालिक पदेन निदेशक,
3. श्री विजय गर्ग, अंशकालिक पदेन निदेशक, और
4. श्री ए.एस. बाली, अंशकालिक पदेन निदेशक

पारिश्रमिक समिति का गठन, वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग द्वारा दिनांक 20 जुलाई, 2007 के पत्र संदर्भ संख्या F.No.S-11012/01/2007-Ins.III द्वारा दिए गए निदेश के अनुसार निष्पादन संबद्ध प्रोत्साहन राशि (पीएलआई)के भुगतान के उद्देश्य से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए किया गया था।

4.5 बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति

बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति में सदस्यों के रूप में इस समय निम्नलिखित निदेशक शामिल हैं:

1. डॉ. ए.के. सक्सेना, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,

Investment proposal from time to time.

4.3 Appeal and Memorial Committee of the Board

The constitution of Sub-Committee was suspended consequent to retirement of Shri S. L. Bansal, Chairman & Managing Director of The Oriental Bank of Commerce after attaining the age of superannuation, from the Board of the Company, till the time fresh appointment of Bank Nominee Director was notified by the Ministry of Finance.

The sub-committee of the Board has been prescribed as the Appellate Authority and the Authority for Memorial for certain categories of employees / cases. The Sub-committee was constituted consequent upon the amendment of General Insurance (Conduct, Discipline & Appeal) Rules, 1975 which was duly approved in the 351st Board Meeting held on 23.12.2004. The General Insurance (Conduct, Discipline & Appeal) Rules, 1975 is now replaced with The Oriental Insurance Company (Conduct, Discipline & Appeal) Rules, 2014 duly approved in the 419th Board Meeting held on 24/04/2014.

4.4 Remuneration Committee of the Board

The Remuneration Committee of the Board presently consists of the following Directors as Members:

1. Dr. N. Srinivasa Rao, Director (Insurance Division) Ministry of Finance
2. Mrs. Kaushalya Roy, Part-time Non-Officio Director,
3. Shri Vijay Garg, Part-time Non-Officio Director, and
4. Shri A. S. Bali, Part-time Non-Officio Director

The Remuneration Committee was constituted to evaluate performance of the Chairman-cum-Managing Director, for payment of Performance Linked Incentive (PLI) as directed by The Department of Financial Services, Ministry of Finance, vide letter Ref. No. F.No.S-11012/01/2007-Ins.III dated 20th July, 2007.



2. डॉ. एन. श्रीनिवास राव, निदेशक (बीमा डिवीजन), वित्त मंत्रालय,
3. श्रीमती कौशल्या राय, अंशकालिक पदेन निदेशक, और
4. श्री कुलदीप सिंह, पूर्णकालिक निदेशक एवं महाप्रबंधक जोखिम प्रबंधन समिति का गठन आईआरडीएआई द्वारा दिनांक 5 अगस्त, 2009 के परिपत्र संदर्भ संख्या IRDAI/F&A/CIR/025/2009-10 द्वारा जारी निगमित शासन संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया था।

4.6 बोर्ड की पॉलिसीधारक संरक्षण समिति

बोर्ड की पॉलिसीधारक संरक्षण समिति में सदस्यों के रूप में इस समय निम्नलिखित निदेशक शामिल हैं:

1. डॉ. ए.के. सक्सेना, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
2. डॉ. एन. श्रीनिवास राव, निदेशक (बीमा डिवीजन), वित्त मंत्रालय,
3. श्रीमती कौशल्या राय, अंशकालिक पदेन निदेशक, और
4. श्री कुलदीप सिंह, पूर्णकालिक निदेशक एवं महाप्रबंधक

पॉलिसीधारक संरक्षण समिति का गठन आईआरडीएआई द्वारा दिनांक 5 अगस्त, 2009 के परिपत्र संदर्भ संख्या IRDAI/F&A/CIR/025/2009-10 द्वारा जारी निगमित शासन संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया था।

4.7 बोर्ड की नैतिक समिति

बोर्ड की नैतिक समिति में सदस्यों के रूप में इस समय निम्नलिखित निदेशक शामिल हैं:

1. डॉ. ए.के. सक्सेना, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
2. डॉ. एन. श्रीनिवास राव, निदेशक (बीमा डिवीजन), वित्त मंत्रालय
3. श्रीमती कौशल्या राय, अंशकालिक पदेन निदेशक,
4. श्री विजय गर्ग, अंशकालिक पदेन निदेशक, और
5. श्री ए.एस. बाली, अंशकालिक पदेन निदेशक

नैतिक समिति का गठन आईआरडीएआई द्वारा दिनांक 5

4.5 Risk Management Committee of the Board

The Risk Management Committee of the Board presently consists of the following Directors as Members:

1. Dr. A. K. Saxena, CMD,,
2. Dr. N. Srinivasa Rao, Director (Insurance Division) Ministry of Finance
3. Mrs. Kaushalya Roy, Part-time Non-Officio Director, and
4. Shri Kuldip Singh, Whole Time Director & General Manager

The Risk Management Committee was constituted in accordance with the guidelines on Corporate Governance issued by IRDAI vide its circular ref: IRDAI/F&A/CIR/025/2009-10 dated 5th August, 2009.

4.6 Policyholder's Protection Committee of the Board

The Policyholder's Protection Committee of the Board presently consists of the following Directors as Members:

1. Dr. A. K. Saxena, CMD,,
2. Dr. N. Srinivasa Rao, Director (Insurance Division) Ministry of Finance
3. Mrs. Kaushalya Roy, Part-time Non-Officio Director,
4. Shri Kuldip Singh, Whole Time Director & General Manager

The Policyholder's Protection Committee was constituted in accordance with the guidelines on Corporate Governance issued by IRDAI vide its circular ref: IRDAI/F&A/CIR/025/2009-10 dated 5th August, 2009.

4.7 Ethics Committee of the Board

The Ethics Committee of the Board presently consists of the following Directors as Members:

1. Dr. A. K. Saxena, CMD,
2. Dr. N. Srinivasa Rao, Director (Insurance



अगस्त, 2009 के परिपत्र संदर्भ संख्या /F&A/CIR/025/2009-10 द्वारा जारी निगमित शासन संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया था।

4.8 बोर्ड की सूचना प्रौद्योगिकी समिति

बोर्ड की सूचना प्रौद्योगिकी समिति में सदस्यों के रूप में इस समय निम्नलिखित निदेशक शामिल हैं:

1. डॉ. ए.के. सक्सेना, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
2. डॉ. एन. श्रीनिवास राव, निदेशक (बीमा डिवीजन), वित्त मंत्रालय,
3. श्री कुलदीप सिंह, पूर्णकालिक निदेशक एवं महाप्रबंधक, और
4. श्री के. रमादेवी, महाप्रबंधक

समिति का गठन कम्पनी की आईटी संबंधी पहलों पर और अधिक ध्यान देने और साथ ही यह सुनिश्चित करने के लिए भी किया गया था कि आईटी संबंधी पहलें कारोबारी उद्देश्यों के समनुरूप हैं।

4.9 बोर्ड की सम्पत्ति समीक्षा समिति

बोर्ड की सम्पत्ति समीक्षा समिति का गठन वित्त मंत्रालय से प्राप्त निदेशों के अनुसार किया गया था और इस समय निम्नलिखित निदेशक सदस्यों के रूप में शामिल हैं:

1. डॉ. ए.के. सक्सेना, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
2. डॉ. एन. श्रीनिवास राव, निदेशक (बीमा डिवीजन), वित्त मंत्रालय,
3. श्रीमती कौशल्या राय, अंशकालिक पदेन निदेशक, और
4. श्री कुलदीप सिंह, पूर्णकालिक निदेशक एवं महाप्रबंधक

बोर्ड की सम्पत्ति समीक्षा समिति का गठन कम्पनी द्वारा धारित सम्पत्तियों के मामलों और अन्य सम्पदा संबंधी मामलों की समीक्षा के लिए किया गया था।

4.10 निगमित शासन समिति

बोर्ड की निगमित शासन समिति का गठन कम्पनी की सीएसआर नीति अनुमोदित करने और इसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए निगमित कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 27 फरवरी, 2014 की राजपत्र अधिसूचना संख्या

Division) Ministry of Finance

3. Mrs. Kaushalya Roy, Part-time Non-Officio Director,
4. Shri Vijay Garg, Part-time Non-Officio Director, and
5. Shri A. S. Bali, Part-time Non-Officio Director

The Ethics Committee was constituted in accordance with the guidelines on Corporate Governance issued by IRDAI vide its circular ref: IRDAI/F&A/CIR/025/2009-10 dated 5th August, 2009.

4.8 IT Committee of the Board

The IT Committee of the Board presently consists of the following Directors as Members:

1. Dr. A. K. Saxena, CMD,
2. Dr. N. Srinivasa Rao, Director (Insurance Division) Ministry of Finance
3. Shri Kuldip Singh, Whole Time Director & General Manager,
4. Mrs. K. Ramadevi, General Manager, and

The Committee was constituted to lend more focus to the IT initiatives of the Company and also to ensure that the IT initiatives are in tune with the business objectives.

4.9 Property Review Committee of the Board

The Property Review Committee of the Board was constituted in terms of the directives received from Ministry of Finance and presently consists of the following Directors as Members:

1. Dr. A. K. Saxena, CMD,
2. Dr. N. Srinivasa Rao, Director (Insurance Division) Ministry of Finance
3. Mrs. Kaushalya Roy, Part-time Non-Officio Director, and
4. Shri Kuldip Singh, Whole Time Director & General Manager

The Committee was constituted to review the



जी.एस.आर. 129 (E) द्वारा अधिसूचित कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 135 के अनुसार किया गया था:

1. श्रीमती कौशल्या राय, अंशकालिक पदेन निदेशक,
2. श्री ए.एस. बाली, अंशकालिक पदेन निदेशक, दक
3. श्री कुलदीप सिंह, पूर्णकालिक निदेशक एवं महाप्रबंधक

समिति का गठन कम्पनी की सीएसआर नीति अनुमोदित करने और इसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए किया गया था।

5. निदेशकों का पारिश्रमिक

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को भारत सरकार द्वारा यथा निर्धारित वेतन/पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है और कार्यकारी निदेशकों को उनके वेतनमान के अनुसार वेतन/पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है। अंशकालिक पदेन निदेशकों को उनके द्वारा बैठकों में उपस्थिति के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार बैठक शुल्क का भुगतान किया जाता है। अध्यक्ष एवं प्रबंधन निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों, बैंक निदेशक और भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले नामित सदस्यों को कोई बैठक शुल्क देय नहीं है।

6. प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

कम्पनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियमावली 2014 के नियम 8 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 203(1) के अनुसरण में, बोर्ड की दिनांक 12 अगस्त, 2014 को आयोजित बैठक में प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के रूप में निम्नलिखित की नियुक्ति की गई:

1. डॉ. ए.के. सक्सेना, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
2. श्रीमती रश्मि बाजपेयी, कम्पनी सचिव, और
3. श्रीमती के. रमादेवी, मुख्य वित्तीय अधिकारी और महाप्रबंधक

7. व्हिसल ब्लोअर नीति

कम्पनी की व्हिसल ब्लोअर नीति का मसौदा आईआरडीएआई द्वारा दिनांक 5 अगस्त, 2009 के परिपत्र संदर्भ संख्या IRDAI/F&A/CIR/025/2009-10 द्वारा जारी निगमित शासन संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार किया गया

matters of properties held by the Company and other Estate related Matters

4.10 Corporate Social Responsibility Committee

The Corporate Social Responsibility Committee of the Board was constituted in terms of the Section 135 of Companies Act 2013 notified vide Gazette notification no. G. S. R. 129 (E) dated 27th February, 2014 issued by Ministry of Corporate Affairs:

1. Mrs. Kaushalya Roy, Part-time Non-Officio Director,
2. Shri A. S. Bali, Part-time Non-Officio Director, and
3. Shri Kuldip Singh, Whole-time Director & General Manager

The Committee was constituted to approve the CSR Policy of the Company and ensure its implementation.

5. Remuneration of Directors

The Chairman & Managing Director is paid salary / remuneration as fixed by the Government of India and the Executive Directors are paid salary / remuneration as per their scale of pay. The Part-time Non-Officio directors were paid sitting fee in accordance with guidelines issued by ministry of finance for the Meetings attended by them. No sitting fees is payable to CMD, Whole-time Directors, Bank-Director and nominees representing Government of India.

6. Key Managerial Personnel

Pursuant to Section 203(1) of the Companies Act 2013 read with Rule 8 of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial personnel) Rule 2014, following were appointed as Key Managerial Personnel in the Board meeting held on 12th August, 2014

1. A. K. Saxena, CMD,
2. Mrs. Rashmi Bajpai, Company Secretary and
3. Mrs. K. Ramadevi, Chief Financial Officer & General Manager



था और इसे बोर्ड द्वारा दिनांक 9 फरवरी, 2010 को आयोजित 386वीं बैठक में अनुमोदित किया गया।

व्हिसल ब्लोअर नीति की अवधिक समीक्षा को बोर्ड द्वारा दिनांक 12 अगस्त, 2014 को आयोजित बैठक में अनुमोदित किया गया।

8. सामान्य निकाय की बैठक

कम्पनी की पिछली तीन वार्षिक आम सभा की बैठकें कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय A-25/27, आसफ अली रोड़, नई दिल्ली में निम्नलिखित तारीखों को आयोजित की गईं:

8 सितंबर, 2014

25 जून, 2013

21 सितंबर, 2012

शनिगमित शासन दिशानिर्देशों के अनुपालन हेतु प्रमाणपत्र मैं, रश्मि बाजपेयी, एतद्वारा प्रमाणित करती हूँ कि मेरी जानकारी और सूचना की सीमा तक, कम्पनी ने समय समय पर यथा संशोधित बीमा कम्पनियों के लिए निगमित शासन संबंधी दिशानिर्देशों का अनुपालन किया है और इस संबंध में कोई भी तथ्य गुप्त अथवा अवरुद्ध नहीं रखा गया है।

ह—

रश्मि बाजपेयी
कम्पनी सचिव

7. Whistle Blower Policy

The Whistle Blower Policy of the Company was drafted in accordance with the guidelines on Corporate Governance issued by IRDAI vide its circular ref: IRDAI/F&A/CIR/025/2009-10 dated 5th August, 2009 and got approved by the Board in its 386th Meeting held on 9th February, 2010.

The periodic review of Whistle Blower Policy was approved by the Board in its Meeting held on 12th August, 2014.

8. General Body Meeting

The last three Annual General Body Meetings of the Company were held at the Registered Office of the Company, at A-25/27, Asaf Ali Road, New Delhi on the following dates:

8th September, 2014

25th June, 2013

21st September, 2012

'CERTIFICATION FOR COMPLIANCE OF THE CORPORATE GOVERNANCE GUIDELINES'

I, RASHMI BAJPAI hereby certify that up to the extent of my knowledge and information, the Company has complied with the corporate governance guidelines for Insurance Companies as amended from time to time and nothing has been concealed or suppressed.

Sd/-

RASHMI BAJPAI
COMPANY SECRETARY



निदेशकों का विवरण (आदिनांक तक)

PARTICULARS OF DIRECTORS (AS ON DATE)

| क्र. स. S. No. | निदेशक का नाम Name Of The Director | योग्यता Qualification | निदेशक की श्रेणी Category Of Directorship | ओआईसीएल में समितियों की सदस्यता Membership of Committees in OICL | निदेशकता Directorship |
|----------------|---|---|--|---|---|
| 1 | डॉ. ए.के. सक्सेना Dr. A. K. Saxena | एम.वी. एससी, एलएलबी, AIII M. V. Sc., L.L.B, AIII | Chairman cum Managing Director | 01. निवेश समिति 01- Investment Committee 02. नैतिकता समिति 02- Ethics Committee 03. जोखिम प्रबंधन समिति 03- Risk Management Committee 04. पॉलिसीधारक संरक्षण समिति 04- Policyholder's Protection Committee 05. सम्पत्ति समीक्षा समिति 05- Property Review Committee 06. सूचना प्रौद्योगिकी समिति 06- IT Committee | इंडिया इंटरनेशनल इंश्योरेंस पीटीई लिमिटेड सिंगापुर – अध्यक्ष जीआईसी हाउसिंग फायनेंस कम्पनी लिमिटेड हेल्थ इंश्योरेंस टीपीए ऑफ इंडिया शासी मंडल सदस्य राष्ट्रीय बीमा अकादमी, पुणे India International Insurance Pte Ltd., Singapore - Chairman GIC Housing Finance Company Limited Health Insurance TPA of India Ltd. Governing Board Member National Insurance Academy, Pune |
| 2 | श्री जतिंदबीर सिंह, आईएएस Shri Jatinderbir Singh, IAS | एमए (अंग्रेजी), एमबीए MA (English), MBA | अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, पंजाब एंड सिंध बैंक Chairman cum Managing Director, Punjab & Sind Bank | 01. निवेश समिति 01- Investment Committee 02. लेखा परीक्षा समिति 02- Audit Committee 03. अपील एवं स्मारक समिति 03- Appeal & Memorial Committee 04. पारिश्रमिक समिति 04- Remuneration Committee 05. नैतिकता समिति 05- Ethics Committee 06. सीएसआर समिति 06- CSR Committee | पंजाब एंड सिंध बैंक Punjab & Sind Bank |



| क्र. स. No. | निदेशक का नाम Name Of The Director | योग्यता Qualification | निदेशक की श्रेणी Category Of Directorship | ओआईसीएल में समितियों की सदस्यता Membership of Committees in OICL | निदेशकता Directorship |
|-------------|--|--|---|---|---|
| 3 | डॉ. एन श्रीनिवास राव Dr. N. Srinivasa Rao | बी.कॉमए एमए (अर्थशास्त्र), पीएचडी B.Com, MA (Eco.), Ph.D | सरकारी नामित निदेशक Government Nominee Director | 01. निवेश समिति 01- Investment Committee 02. लेखा परीक्षा समिति 02- Audit Committee 02. जोखिम प्रबंधन समिति 03- Risk Management Committee 03. पॉलिसीधारक संरक्षण समिति 04- Polcyholder's Protection Committee 04. सम्पत्ति समीक्षा समिति 05- Property Review Committee 05. सूचना प्रौद्योगिकी समिति 06- IT Committee 06. पारिश्रमिक समिति 07- Remuneration Committee 07. नैतिकता समिति 08- Ethics Committee | इंडियन बैंक Indian Bank |
| 4 | श्रीमती कौशलया राय Mrs. Kaushalya Roy | बीए BA | अंशकालिक पदेन निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) Part Time Non Officio Director (Independent Director) | 01. निवेश समिति 01- Investment Committee 02. जोखिम प्रबंधन समिति 02- Risk Management Committee 03. पॉलिसीधारक संरक्षण समिति 03- Polcyholder's Protection Committee 04. सम्पत्ति समीक्षा समिति 04- Property Review Committee 05. पारिश्रमिक समिति 05- Remuneration Committee 06- Ethics Committee 06. नैतिकता समिति 07- CSR Committee | बीयूआरसीएच कंसल्टेंसी प्रा.लि. BURCH Consultancy Pvt. Ltd. |



| क्र. स. No. | निदेशक का नाम Name Of The Director | योग्यता Qualification | निदेशक की श्रेणी Category Of Directorship | ओआईसीएल में समितियों की सदस्यता Membership of Committees in OICL | निदेशकता Directorship |
|-------------|--|--|---|--|--|
| 5 | श्री विजय गर्ग Shri Vijay Garg | बी.कॉम. एलएलबी(ए), पीजीडीडी, एफसीए B.Com, LLB (A), PGDD, FCA | अंशकालिक पदेन निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) Part Time Non Officio Director (Independent Director) | 01. निवेश समिति 01- Investment Committee 02. लेखा परीक्षा समिति 02- Audit Committee 03. पारिश्रमिक समिति 03- Remuneration Committee 04. नैतिकता समिति 04-Ethics Committee | प्रोएलाइंस एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड Proalliance Advisors Private Limited |
| 6 | श्री अमरदीप सिंह बाली Shri Amardeep Singh Bali | एमबीए, एमएस (फायनेंस) MBA, MS (Finance) | अंशकालिक पदेन निदेशक (स्वतंत्र निदेशक) Part Time Non Officio Director (Independent Director) | 01. निवेश समिति 01- Investment Committee 02. लेखा परीक्षा समिति 02- Audit Committee 03. पारिश्रमिक समिति 03- Remuneration Committee 04. नैतिकता समिति 04- Ethics Committee 05. सीएसआर समिति 05- CSR Committee | फोर कंसल्टेंट्स प्रा. लि. Fore Consultants Pvt. Ltd. एस्सार पोर्ट्स लिमिटेड Essar Ports Limited एस्सार बल्क टर्मिनल (सलाया) लिमिटेड Essar Bulk Terminal (Salaya) Limited एस्सार बल्क टर्मिनल Essar Bulk Terminal Limited वाडीनार ऑयल टर्मिनल लिमिटेड Vadinar Oil Terminal Limited एस्सार ड्रेडजिंग लिमिटेड (DOA- 21/07/2014, DOC- 25/09/2014) Essar Dredging Limited (DOA- 21/07/2014, DOC- 25/09/2014) एस्सार विजाग टर्मिनल्स लिमिटेड Essar Vizag Terminals Limited |



| क्र. स. No. | निदेशक का नाम Name Of The Director | योग्यता Qualification | निदेशक की श्रेणी Category Of Directorship | ओआईसीएल में समितियों की सदस्यता Membership of Committees in OICL | निदेशकता Directorship |
|-------------|---|---|--|--|--|
| | | | | | एस्सार बल्क टर्मिनल पैराडिप लिमिटेड Essar Bulk Terminal Paradip Limited एस्सार पैराडिप टर्मिनल्स लिमिटेड Essar Paradip Terminals Limited वाडीनार पोर्ट्स एंड टर्मिनल्स लिमिटेड Vadinar Ports & Terminals Limited पैट्रो टैंकजेज इंडिया लिमिटेडअ PetroTankages India Limited |
| 7 | श्री कुलदीप सिंह Shri Kuldip Singh | बी.एससी. (Ag. Hons.), PGDSEM, LIII B.Sc. (Ag. Hons.), PGDSEM, LIII | पूर्णकालिक निदेशक Whole Time Director | 01. लेखा परीक्षा समिति 01- Audit Committee 02. जोखिम प्रबंधन समिति 02- Risk Committee 03. पॉलिसीधारक संरक्षण समिति 03- Policyholder's Protection Committee 04. सम्पत्ति समीक्षा समिति 04- Property Committee 05. सूचना प्रौद्योगिकी समिति 05- IT Committee 06. सीएसआर समिति 06- CSR Committee | द इंडस्ट्रीय क्रेडिट कम्पनी लिमिटेड एग्रीकल्चर इंडियोरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड The Industrial Credit Company Limited Agriculture Insurance Company of India Limited |
| 8 | श्री सुजाय बनर्जी Shri Sujay Banarji | एमएए AIII MA, AIII | पूर्णकालिक निदेशक Whole Time Director | | एंग्लो-फ्रेंच ड्रग्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड Anglo-French Drugs & Industries Limited |



| क्र. स. S. No. | निदेशक का नाम Name Of The Director | योग्यता Qualification | निदेशक की श्रेणी Category Of Directorship | ओआईसीएल में समितियों की सदस्यता Membership of Committees in OICL | निदेशकता Directorship |
|--|--|-----------------------------------|--|--|---|
| Past (Since the last Annual Report) | | | | | |
| 1 | श्री एस.एल. बंसल (दिनांक 13.12.2012 को नियुक्त हुए और दिनांक 30.9.2015 को अधिवार्षिता की आयु होने पर निदेशक नहीं रहे) Shri S. L. Bansal (Appointed on 13.12.2012 and ceased to be Director on 30.9.2015 on attaining the age of superannuation) | एम. कॉम, CAIIB M.Com, CAIIB | अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, द ओरिएण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स (स्वतंत्र निदेशक) Chairman cum Managing Director of The Oriental Bank Of Commerce (Independent Director) | 01. निवेश समिति 01- Investment Committee 02. लेखा परीक्षा समिति 02- Audit Committee 03. अपील एवं स्मारक समिति 03- Appeal & Memorial Committee 04. पारिश्रमिक समिति 04- Remuneration Committee 05. नैतिकता समिति 05- Ethics Committee 06. सीएसआर समिति 06- CSR Committee | अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, द ओरिएण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स केनरा, एचएसबीसी, ओरिएण्टल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड Chairman & Managing Director, Oriental Bank of Commerce Canara, HSBC, Oriental Bank of Commerce Life Insurance Co. Ltd. |



मंडल बैठक की झलकियां GLIMPSES FROM BOARD MEETING





निगमित संकल्प कथन
प्रचालन क्षेत्रों में सबसे सम्मानित
एवं वांछनीय
साधारण बीमाकर्ता बनना

**CORPORATE VISION
STATEMENT
TO BE THE MOST RESPECTED
&
PREFERRED NON-LIFE
INSURER IN THE
MARKETS WE OPERATE**



द ओरिएण्टल इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड के सदस्यों को स्वतंत्र लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन

पृथक (स्टैंडएलोन) वित्तीय विवरणिकाओं पर प्रतिवेदन

हमने द ओरिएण्टल इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड की पृथक वित्तीय विवरणियों की लेखा परीक्षा की है, जिनमें दिनांक 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र, लाभ हानि लेखा, राजस्व लेखे और इस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरण, और उल्लेखनीय लेखाकरण नीतियों का सारांश और अन्य व्याख्यात्मक सूचना शामिल है। इन वित्तीय विवरणिकाओं में हमारे द्वारा लेखा परीक्षित मुख्यालय की विवरणियां, और एक ओएसटीसी, 30 क्षेत्रीय कार्यालयों, 350 मंडल कार्यालयों जिनमें 968 कारोबार केंद्र शामिल हैं, 497 शाखाओं, एक विदेशी शाखा और दो विदेशी एजेंसियों की उनके अपने अपने लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षित विवरणिकाएं शामिल हैं। इनमें एक विदेशी रन ऑफ एजेंसी की लेखा परीक्षा न की गई और प्रबंधन द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित विवरणी और लेखाकरण नीति संख्या 4.2 और 5.1(क) में इंगित की गई प्राप्त सीमा तक पुनर्बीमा अनुबंध की विवरणियां भी शामिल हैं।

पृथक वित्तीय विवरणिकाओं के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व
कम्पनी का निदेशक मंडल कम्पनी (लेखे) नियमावली, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अधीन लेखा मानकों सहित भारत में सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार कम्पनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और नकद प्रवाहों का सत्य और न्यायोचित अवलोकन देने वाली इन पृथक वित्तीय विवरणिकाओं को तैयार करने के संबंध में समय समय पर यथा संशोधित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5), बीमा अधिनियम, 1938, आईआरडीएआई विनियमावली, 2002 में उल्लिखित मामलों के लिए उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में कम्पनी की परिसम्पत्तियों के संरक्षण के लिए और धोखाधड़ियों तथा अन्य अनियमितताओं के निवारण और पहचान करने (समीचीन लेखाकरण नीतियों के चयन और इन्हें लागू करने (ऐसे निर्णय और प्राक्कलन करने जो कि औचित्यपूर्ण और विवेकपूर्ण हों) और पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों का आरेखन, कार्यान्वयन और अनुरक्षण करने के लिए, जो लेखाकरण अभिलेखों की सटीकता और सक्षमता को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से काम कर रही हों, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखाकरण अभिलेखों का अनुरक्षण भी शामिल है, जो सत्य और न्यायोचित अवलोकन प्रदान करने वाली वित्तीय विवरणिकाओं की तैयारी और प्रस्तुतिकरण के

**INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT
TO THE MEMBERS OF THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED**

Report on the Standalone Financial Statements

We have audited the accompanying standalone financial statements of THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED, which comprise the Balance Sheet as at 31st March, 2015, Profit and Loss Account, Revenue Accounts, & the Cash Flow Statement for the year then ended, and a summary of the significant accounting policies and other explanatory information. In these financial statements are the returns of Head Office audited by us, 30 Regional Offices, one OSTC, 350 Div. Offices including 968 Business Centres, 497 Branches, One Foreign Branch and Two Foreign agencies, all audited by their respective Auditors. Also included is the un-audited return of one Foreign Run off agency duly certified by the Management and reinsurance treaty returns to the extent received as indicated in Accounting Policy No. 4.2, & 5.1(a).

Management's Responsibility for the Standalone Financial Statements

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in Section 134(5) of the Companies Act, 2013, The Insurance Act, 1938, IRDAI Regulations 2002, as amended from time to time with respect to the preparation of these standalone financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Company in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and



लिए प्रासंगिक हों और किसी उल्लेखनीय मिथ्या कथन से मुक्त हों, चाहे वह धोखे की वजह से हो या त्रुटि की वजह से हुआ हो।

लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर इन पृथक वित्तीय विवरणिकाओं पर एक मत व्यक्त करना है।

हमने समय समय पर यथा संशोधित बीमा अधिनियम, 1938 और आईआरडीएआई विनियमावली, 2002 के साथ साथ कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133, और ऐसे लेखाकरण तथा लेखा परीक्षा मानकों का ध्यान रखा है जिन्हें अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में शामिल किया जाना अपेक्षित है।

हमने अपनी लेखा परीक्षा अधिनियम की धारा 143(10) के अधीन विनिर्दिष्ट लेखा परीक्षा संबंधी मानकों के अनुसार की है। इन मानकों में अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं और योजना का अनुपालन करें और यह औचित्यपूर्ण आश्वस्त प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा निष्पादित करें कि क्या ये वित्तीय विवरणिकाएं महत्वपूर्ण मिथ्या कथन से मुक्त हैं।

एक लेखा परीक्षा में वित्तीय विवरणिकाओं में निहित राशि और प्रकटीकरणों के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रियाएं निष्पादित करना शामिल होता है। चुनी गई प्रक्रियाएं लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिनमें वित्तीय विवरणिकाओं में उल्लेखनीय मिथ्या कथन का आकलन किया जाना शामिल है, चाहे वह धोखे की वजह से हो या त्रुटि की वजह से हुआ हो। वे जोखिम आकलन करते समय, लेखा परीक्षक कम्पनी की सत्य और न्यायोचित अवलोकन देने वाली वित्तीय विवरणिकाओं की तैयारी से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर विचार करता है ताकि ऐसी लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं तैयार की जा सकें जो उन परिस्थितियों में समीचीन हों। एक लेखा परीक्षा में कम्पनी के निदेशकों द्वारा प्रयुक्त लेखाकरण नीतियों की उपयुक्तता तथा तैयार किए गए लेखाकरण प्रावधानों के औचित्य का मूल्यांकन करने के साथ साथ वित्तीय विवरणिकाओं के समग्र प्रस्तुतिकरण का मूल्यांकन किया जाना भी शामिल होता है।

हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किया गया लेखा परीक्षा साक्ष्य पृथक वित्तीय विवरणिकाओं पर हमारे लेखा परीक्षा मत के लिए आधार मुहैया कराने के लिए पर्याप्त और समीचीन है।

completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these standalone financial statements based on our audit.

We have taken into account the provisions of The Insurance Act 1938, the IRDAI Regulations, 2002 as amended from time to time as well as section 133 of the Companies Act, 2013, the accounting and auditing standards and matters which are required to be included in the audit report under the provisions of the Act and the Rules made there under.

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing specified under Section 143(10) of the Act. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amount and the disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal financial control relevant to the Company's preparation of the financial statements that give a true and Fair view in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. An audit also includes evaluating the appropriateness of the accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by the Company's Directors, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the standalone financial statements.



मत

हमारे मत में और हमारी सर्वोत्तम सूचना में और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपरोल्लिखित पृथक वित्तीय विवरणिकाएं समय समय पर यथा संशोधित बीमा अधिनियम, 1938 और आईआरडीएआई विनियमावली, 2002 के साथ साथ कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 द्वारा अपेक्षित दिनांक 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार कम्पनी की हालत के बारे में सूचना इस प्रकार अपेक्षित तरीके से और भारत में सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुरूप प्रदान करती हैं

- क) दिनांक 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार कम्पनी की स्थिति के तुलन पत्र के मामले में।
- ख) दिनांक 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए मरीन के मामले में लाभ और अग्नि व विविध राजस्व लेखे के मामले में हानि के राजस्व लेखों के मामले में।
- ग) उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ के लिए लाभ हानि लेखे के मामले में।
- घ) उक्त तारीख को समाप्त वर्ष के नकद प्रवाहों के लिए लिए नकद प्रवाह विवरणिका के मामले में।

महत्वपूर्ण मामले

हम निम्नलिखित मामलों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं

- i) बीमा कारोबार कर रहे व्यक्तियों या निकायों को/से देय शेष, सीडिंग कम्पनियों में आरक्षित जमा, एजेंटों के शेष, छोटे देनदारों के शेष, कर्मचारियों के शेष और अग्रिमों पर समाशोधन/पुष्टि लंबित है। (टिप्पणी 26 का संदर्भ लें)। पुष्टि/समाशोधन के बाद समायोजन के परिणामी प्रभाव, यदि कोई हो, का आकलन नहीं किया जा सकता।
- ii) कम्पनी द्वारा समय समय पर अनेक दावों का परित्याग किया गया है। इनमें से कतिपय संख्या में दावेदार विभिन्न मंचों पर मुकद्दमेंबाजी में चले गए हैं। कम्पनी की लाभप्रदता पर वित्तीय प्रभाव, यदि कोई हो, अनिर्धारित बना हुआ है।
- iii) सेवारत कर्मचारियों से संबंधित ग्रेच्युटी के लेखे पर रु.14856.73 लाख की अतिरिक्त देनदारी को परिशोधित किया गया है और रु. 2971.35 लाख की देनदारी का 1/5वां भाग आईआरडीएआई द्वारा दी गई अनुमति के अनुसार राजस्व/लाभ हानि लेखे में प्रभारित किया गया

Opinion

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid standalone financial statements give the information required by The Insurance Act 1938, the IRDAI Regulations, 2002, as amended from time to time, as well as Section 133 of The Companies Act, 2013 in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the Company as at 31st March, 2015

- a) In the case of Balance Sheet of the state of affairs of the company as at 31st March 2015.
- b) In the case of Revenue Accounts of the loss in case of Fire & Miscellaneous Revenue Account and profit in case of Marine, for the year ended 31st March 2015.
- c) In the case of Profit & Loss account of the profit for the year ended on that date.
- d) In the case of Cash Flow statement of the Cash Flows for the year ended on that date.

Emphasis of Matters

We draw attention to the following matters

- i) Balance due to/from persons or bodies carrying on Insurance business, Reserve Deposit with ceding companies, Agent balances, Sundry Debtors, Sundry Creditors, Employees balances and Advances are pending reconciliation/confirmation (Refer Note 26). Consequential effect, if any, of adjustments upon confirmation/reconciliation, is not ascertainable.
- ii) Various claims have been repudiated by the company from time to time. Out of these certain numbers of claimants have gone into litigations at various forums. Financial impact if any on the profitability of the company remains indeterminate.
- iii) Additional liability of Rs.14856.73 lacs on account of Gratuity relating to serving employees have been amortized over five years and 1/5th of the liability of Rs. 2971.35 lacs have been charged to Revenue/Profit & Loss account



- है। तथापि, आईसीएआई द्वारा जारी कर्मचारियों के लाभों पर लेखाकरण मानक 15 (संशोधित) के अनुसार, समस्त देनदारी को गणना के वर्ष के लाभ हानि लेखे में प्रभारित किया जाना अपेक्षित है। परिणामस्वरूप चालू वर्ष के लाभ में रु. 2971.35 लाख की कमी हुई है।
- iv) पुनःस्थापन बीमा प्रीमियम की राशि बहियों में दर्ज हुए बिना रह गई है जिसका समवर्ती प्रभाव दावों पर उपगत राशि पर पड़ता है जिसके लिए यह मात्रा अनिर्धारित रह गई है।
- v) कम्पनी ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अंतर्गत प्रकीटकरण की अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं किया है।
- vi) सदस्य लेखा परीखा बोर्ड, सीएजी के निदेशों, उप-निदेशों और अतिरिक्त उप-निदेशों पर हमारी टिप्पणियां इस रिपोर्ट के साथ अनुबंध (i) से (iv) के रूप में संलग्न हैं।
- vii) आकस्मिक देनदारियों से संबंधित टिप्पणी संख्या 1 जिसमें क्र. सं. (ड.) पर रु. 5671.12 लाख की सांविधिक मांगों/ देनदारियों का उल्लेख किया गया है जिसमें आय कर प्राधिकारियों द्वारा आकलन वर्ष 2005-06 और 2010-11 के लिए लगाए गए जुर्माने की राशि रु. 5634.08 लाख शामिल है, जिसके लिए कम्पनी द्वारा कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
- viii) कतिपय सम्पत्तियों के स्वामित्व दस्तावेजों की अनुपलब्धता से संबंधित टिप्पणी संख्या 25
- ix) अचल सम्पत्तियों सहित स्थायी परिसम्पत्तियों के अभिलेख पूर्ण नहीं हैं और/या अनुरक्षित नहीं किए गए हैं जैसा कि कतिपय मामलों में अपेक्षित है।
- x) कम्पनी की आंतरिक लेखा परीक्षा/संगामी लेखा परीक्षा को लेखा परीक्षा के कवरेज और अनुपालनों के क्षेत्रों में काफी सुदृढीकरण की आवश्यकता है।
- xi) कम्पनी द्वारा आस्थगित कर परिसम्पत्तियों की अस्वीकृति से संबंधित टिप्पणी संख्या 42
- xii) आय कर पर रु. 1914 लाख के ब्याज की बुकिंग से संबंधित टिप्पणी संख्या 29(IV)
- xiii) मूल्यहास/ऋण शोधन क्षमता की लेखाकरण नीति में
- in the current year as permitted by IRDAI. However, in terms of Accounting Standard 15 (Revised) on Employees benefits issued by ICAI, entire liability is required to be charged to Profit & Loss account. Entire liability was required to be charged to Profit & Loss Account in the year of reckoning. As a result the current year profit has decreased by Rs.2971.35 lacs.
- iv) Amount of reinstatement insurance premium remains un-booked having corresponding effect on the claims incurred account for which quantum remains indeterminate.
- v) The company has not complied with the requirements of disclosure under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act 2006.
- vi) Our comments on Directions, Sub-directions and Additional Sub- Directions of the Member Audit Board, CAG are annexed to this report vide Annexure (i) to (iv).
- vii) Note No.1 regarding Contingent Liability wherein vide Sr. No. (e) statutory demands / liabilities of Rs 5671.12 Lacs is mentioned which includes a sum of Rs 5634.08 Lacs of penalty imposed by the Income Tax Authorities for the AY 2005-06 and 2010-11, for which no provision has been made by the company.
- viii) Note No.25 regarding non-availability of title documents of certain properties.
- ix) Fixed Assets including immovable properties records are not complete and/or not maintained as required in certain cases.
- x) The Internal Audit / Concurrent Audit of company require substantial strengthening in the areas of audit coverage and compliances.
- xi) Note no. 42 pertaining to non recognition of Deferred Tax Asset by the company.
- xii) Note no. 29(IV) regarding booking of interest on Income Tax of Rs. 1914 Lacs.
- xiii) Note no. 27 pertaining to change in Accounting Policy of Depreciation/ Amortization.



परिवर्तन से संबंधित टिप्पणी संख्या 27

अन्य मामले

हमने क्षेत्रीय कार्यालयों, एक ओएसटीसी, मंडल कार्यालयों जिनमें कारोबार केंद्र, शाखाएं, एक विदेशी शाखा और दो विदेशी एजेंसियां शामिल हैं, की वित्तीय विवरणिकाओं/सूचना की लेखा परीक्षा नहीं की है जिसमें दिनांक 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार रु. 8367 लाख की कुल परिसम्पत्तियां (WDV) और रु. 756192 लाख का सकल राजस्व परिलक्षित होते हैं। इन शाखाओं की वित्तीय विवरणिकाओं/सूचना की लेखा परीक्षा शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है जिनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई हैं, और हमारे मत में जहां तक यह इन शाखाओं के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटीकरणों से संबंधित है, एकमात्र ऐसे शाखा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

इस मामले में हमारा मत संशोधित नहीं है।

अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर प्रतिवेदन

जैसा कि अधिनियम की धारा 143 (3) द्वारा अपेक्षित है, हम सूचित करते हैं कि:

- हमने वह सब सूचना और स्पष्टीकरण मांगे हैं और प्राप्त किए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजनों हेतु आवश्यक थे।
- हमारे मत में, विधि द्वारा यथोपेक्षित उपयुक्त लेखा पुस्तिकाएं कम्पनी द्वारा रखी गई हैं जहां तक उन पुस्तिकाओं की हमारी जांच से प्रतीत होता है और हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजनों हेतु उपयुक्त विवरणियां उन कार्यालयों से प्राप्त हुई हैं जहां हमने दौरा नहीं किया है।
- शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा अधिनियम की धारा 143 (8) के अंतर्गत लेखा परीक्षित कम्पनी के कार्यालयों के लेखों पर प्रतिवेदन हमें भेजे गए हैं और हमने इस प्रतिवेदन को तैयार करते समय इनका उपयुक्त रूप से इस्तेमाल किया है।
- इस प्रतिवेदन में जिन तुलन पत्र, लाभ हानि लेखे, राजस्व लेखों और नकद प्रवाह विवरणिका का उपयोग किया गया है वे उन कार्यालयों से प्राप्त लेखा पुस्तिकाओं और विवरणियों के अनुरूप हैं जिनका दौरा हमने नहीं किया है।
- हमारे मतानुसार, उपर्युक्त पृथक वित्तीय विवरणिकाएं

Other Matter

We did not audit the financial statements/information of 30 Regional offices, One OSTC, 350 Divisional offices including 968 Business Centres, 497 Branches, One Foreign Branch and Two Foreign Agencies whose financial statements/financial information reflect total assets(WDV) of Rs. 8367. Lacs as at 31st March, 2015 and total Gross revenues of Rs.756192 Lacs. The financial statements/information of these branches have been audited by the branch auditors whose reports have been furnished to

us, and our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of these branches, is based solely on the report of such branch auditors.

Our opinion is not modified in respect of this matter.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

As required by Section 143 (3) of the Act, we report that:

- We have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit.
- In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as it appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from the offices not visited by us.
- The reports on the accounts of the offices of the Company audited under Section 143 (8) of the Act by branch auditors have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report.
- The Balance Sheet, the Profit and Loss Account, Revenue Accounts and the Cash Flow Statement dealt with by this Report are in agreement with the books of accounts and with the returns received from the offices not visited by us.
- In our opinion, the aforesaid standalone



कम्पनी (लेखे) नियमावली, 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 का अनुपालन करती हैं।

- (f) दिनांक 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार निदेशक मंडल द्वारा रिकॉर्ड में लिए गए निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदनों के आधार पर, कोई भी निदेशक 31 मार्च, 2015 की स्थिति के अनुसार अधिनियम की धारा 164 (2) के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए अयोग्य नहीं है।
- (h) जहां तक कम्पनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों का संबंध है, हमारे मतानुसार और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:
- ऐसा कोई मुकद्दमा लंबित नहीं है जिसका प्रभाव कम्पनी की पृथक वित्तीय स्थिति पर पड़े।
 - कम्पनी की व्युत्पन्न संविदाओं सहित दीर्घावधिक संविदाओं पर कोई महत्वपूर्ण अनुमान्य हानि नहीं थी।
 - ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे निवेशक शिक्षण एवं संरक्षण निधि में अंतरित किया जाना अपेक्षित हो।

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

केपीएमआर एंड एसोसिएट्स

चार्टर्ड एकाउंटेंट

एफआरएन सं. 02504N

सदस्यता संख्या 081750

एस.मान एंड कंपनी

चार्टर्ड एकाउंटेंट

एफआरएन सं. 000075N

सदस्यता संख्या 080500

हस्ताक्षर की जगह: नई दिल्ली

रिपोर्ट की तारीख: 15 मई, 2015

financial statements comply with the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014.

- (f) On the basis of the written representations received from the directors as on 31st March, 2015 taken on record by the Board of Directors, none of the directors is disqualified as on 31st March, 2015 from being appointed as a director in terms of Section 164 (2) of the Act.
- (h) With respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:
- There were no pending litigations which would impact the standalone financial position of the company.
 - The company did not have any material foreseeable losses on long-term contracts including derivative contracts.
 - There were no amounts which were required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund .

CHARTERED ACCOUNTANTS

KPMR & ASSOCIATES

CA S.M. Yamin Qureshi

Designation - Partner

Membership No. 081750

Firm Registration No. 02504N

S. MANN & CO.

CA Subhash Mann

Designation Partner

Membership No. 080500

Firm Registration No. 000075N

Place of Signature : New Delhi

Date of Report : 15th May, 2015



दिनांक 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए द ओरिएण्टल इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड की वित्तीय विवरणिकाओं पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (8) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (बीमा कम्पनियों की वित्तीय विवरणिका और लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की तैयारी) विनियमावली, 2002 और कम्पनी अधिनियम, 2013 के साथ पठित बीमा अधिनियम, 1938 के अधीन निर्धारित किए गए वित्तीय प्रतिवेदन प्रारूप के अनुसार दिनांक 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए द ओरिएण्टल इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड की वित्तीय विवरणिकाओं को तैयार करना कम्पनी के प्रबंधन का दायित्व है। अधिनियम की धारा 139(5) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा 143(10) के अधीन निर्धारित लेखा परीक्षण पर मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत वित्तीय विवरणिकाओं पर मत व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। यह कार्य उनके द्वारा दिनांक 15 मई 2015 के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के द्वारा किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143(6)(क) के अंतर्गत दिनांक 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए द ओरिएण्टल इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड की वित्तीय विवरणिकाओं की अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। यह अनुपूरक लेखा परीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षक के कार्यशील दस्तावेजों तक पहुँच के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और यह मुख्यतः सांविधिक लेखा परीक्षकों और कम्पनी कार्मिकों की जांचों और कुछ लेखाकरण अभिलेखों की चुनी हुई जांच तक सीमित है। अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर, मेरी जानकारी में ऐसा कुछ उल्लेखनीय नहीं आया है जिससे सांविधिक लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन पर या इसके अनुपूरण में कोई टिप्पणी उत्पन्न होती हो।

कृते और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
की ओर से

(सुपर्ण देव)

प्रधान वाणिज्यिक लेखापरीक्षा निदेशक
एवं पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड- II
नई दिल्ली

स्थान: नई दिल्ली

तारीख: 15.07.2015



COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6)(b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2015.

The preparation of financial statements of The Oriental Insurance Company Limited for the year ended 31 March 2015 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Insurance Act, 1938 read with the Insurance Regulatory and Development Authority (Preparation of Financial Statement and Auditor's Report of Insurance Companies) Regulations, 2002 and the Companies Act, 2013 is the responsibility of the management of the company. The statutory auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India under Section 139(5) of the Act are responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 15 May 2015.

I, on the behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit under section 143(6)(a) of the Act of the financial statements of The Oriental Insurance Company Limited for the year ended 31 March 2015. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records. On the basis of my audit nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to statutory auditors' report.

**For and on behalf of the
Comptroller and Auditor General of India**

**(Suparna Deb)
Principal Director of Commercial Audit
& Ex-officio Member, Audit Board-II,
New Delhi**

**Place: New Delhi
Date: 15.07.2015**



बीमाकर्ता का नामरू द ओरिएण्टल इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड

पंजीकरण संख्या और आईआरडीआई में नवीकरण की तारीख: 556 दिनांक 25.02.2014

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए अग्नि बीमा राजस्व लेखा

NAME OF INSURER: THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED

REGISTRATION NO. AND DATE OF RENEWAL WITH IRDAI: 556 DATED 25.02.2014

FIRE INSURANCE REVENUE ACCOUNT FOR YEAR ENDED 31ST MARCH 2015

(₹ in '000')

| विवरण Particulars | अनुसूची Schedule | 31.03.15 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.15 | 31.03.15 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.14 |
|---|---------------------|--|--|
| 1. अर्जित राजस्व (निवल) 1. Premium earned (Net) | 1 | 5900214 | 6604357 |
| 2. निवेशों की बिक्री/शोधन पर लाभ/हानि 2. Profit/Loss on sale/redemption of Investments | | 792421 | 802272 |
| 3. अन्य – विनिमय पर लाभ/(हानि) 3. Others - Profit/(Loss) on exchange | | 23983 | (9467) |
| 4. ब्याज, लाभांश और किराया – सकल 4. Interest, Dividend & Rent - Gross | | 1010554 | 933537 |
| कुल (क) Total (A) | | 7727172 | 8330699 |
| 1. उपगत दावे (निवल) 1. Claims Incurred (Net) | 2 | 4250553 | 5552520 |
| 2. कमीशन 2. Commission | 3 | 262331 | 206235 |
| 3. बीमा कारोबार से संबंधित प्रचालनिक खर्चे 3. Operating Expenses related to Insurance Business | 4 | 3446802 | 2752146 |
| 4. अन्य 4. Others | | | |
| क) मानक परिसम्पत्तियों/एनपीए के लिए प्रावधान a) Provision for Standard Assets/NPA | | (3184) | 1021 |
| ख) शेयरों के मूल्य में ह्रास के लिए प्रावधान b) Provision for Diminution in Value of Shares | | (1982) | 5863 |
| ग) ऋण शोधन व्यय c) Amortization Expenses | | 9749 | 9616 |
| घ) बट्टे खाते डाला गया निवेश (निवल) d) Investment Written Off (Net) | | 11139 | 11828 |
| ड़) प्रीमियम की कमी e) Premium deficiency | | 0 | 0 |
| कुल (ख) Total (B) | | 7975408 | 8539230 |



| | | | |
|---|----|-----------------|-----------------|
| अग्नि कारोबार से प्रचालनिक लाभ / (हानि) ग = (क - ख) Operating Profit/(Loss) from fire business C = (A - B) | | (248236) | (208531) |
| विनियोजन Appropriations | | | |
| शेयरधारकों के खाते में अंतरण Transfer to shareholders' Account | | (248236) | (208531) |
| आपदा आरक्षिति में अंतरण Transfer to Catastrophe Reserve | | NIL | NIL |
| सामान्य आरक्षिति में अंतरण Transfer to General Reserve | | NIL | NIL |
| कुल (ग) Total (C) | | (248236) | (208531) |
| उल्लेखनीय लेखाकरण नीतियां और लेखाओं पर टिप्पणियां Significant Accounting Policies and Notes to Accounts | 16 | | |
| उपर संदर्भित अनुसूचियां तुलन पत्र का अभिन्न अंग हैं The Schedules referred to above form integral part of the Balance Sheet | | | |

हमारी संलग्न लेखा परीक्षक रिपोर्ट के अनुसार
As per our auditors report attached

कृते केपीएमआर एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन सं. 02504N
For KPMR & Associates
Chartered Accountants
FRN No. 02504N

कृते एस.मान एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन सं.000075N
For S.MANN & CO.
Chartered Accountants
FRN No.000075N

(डॉ. ए.के. सक्सेना)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
DR. A.K. SAXENA
Chairman-cum-Managing Director

सी.ए. एस.एम.वाई कुरैशी
भागीदार
सदस्यता संख्या 081750
CA. S.M.Y. Qureshi
Partner
M. No. 081750

सी.ए. सुभाष मान
भागीदार
सदस्यता संख्या 080500
CA. Subhash Mann
Partner
M. No. 080500

एन. श्रीनिवास राव
निदेशक
N. Srinivasa Rao
Director

कुलदीप सिंह
निदेशक
Kuldip Singh
Director

के. रमादेवी
महाप्रबंधक एवं मुख्य वित्तीय
अधिकारी
K.Ramadevi
GM & Chief Financial Officer

रश्मि बाजपेयी
कंपनी सचिव
Rashmi Bajpai
Company Secretary

सुजय बनर्जी
निदेशक
Sujay Banarji
Director

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 15.05.2015

Place: New Delhi
Dated: 15.05.2015



बीमाकर्ता का नाम: द ओरिएण्टल इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड

पंजीकरण संख्या और आईआरडीएआई में नवीकरण की तारीख: 556 दिनांक 25.02.2014

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए मरीन बीमा राजस्व लेखा

NAME OF INSURER: THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED

REGISTRATION NO. AND DATE OF RENEWAL WITH IRDAI: 556 DATED 25.02.2014

MARINE INSURANCE REVENUE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2015

(₹ in '000')

| विवरण Particulars | अनुसूची Schedule | 31.03.15 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.15 | 31.03.15 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.14 |
|--|---------------------|--|--|
| 1. अर्जित राजस्व (निवल) 1. Premium earned (Net) | 1 | 3001854 | 2855003 |
| 2. निवेशों की बिक्री/शोधन पर लाभ/हानि 2. Profit/Loss on sale/redemption of Investments | | 298512 | 319420 |
| 3. अन्य – विनिमय पर लाभ/(हानि) 3. Others - Profit/(Loss) on exchange | | 339 | (11405) |
| 4. ब्याज, लाभांश और किराया – सकल 4. Interest, Dividend & Rent - Gross | | 380684 | 371682 |
| कुल (क) Total (A) | | 3681389 | 3534700 |
| 1. उपगत दावे (निवल) 1. Claims Incurred (Net) | 2 | 1212855 | 1665981 |
| 2. कमीशन 2. Commission | 3 | 274977 | 284883 |
| 3. बीमा कारोबार से संबंधित प्रचालनिक खर्च 3. Operating Expenses related to Insurance Business | 4 | 1016348 | 882087 |
| 4. अन्य 4. Others | | | |
| क) मानक परिसम्पत्तियों/एनपीए के लिए प्रावधान a) Provision for Standard Assets/NPA | | (1200) | 407 |
| ख) शेयरों के मूल्य में ह्रास के लिए प्रावधान b) Provision for Diminution in Value of Shares | | (747) | 2334 |
| ग) ऋण शोधन व्यय c) Amortization Expenses | | 3673 | 3829 |
| घ) बट्टे खाते डाला गया निवेश (निवल) d) Investment Written Off (Net) | | 4196 | 4709 |
| ङ) प्रीमियम की कमी e) Premium deficiency | | 0 | 0 |
| कुल (ख) Total (B) | | 2510102 | 2844230 |



| | | | |
|---|----|---------|--------|
| मरीन कारोबार से प्रचालनिक लाभ / (हानि) ग = (क - ख) Operating Profit/(Loss) from fire business C = (A - B) | | 1171286 | 690470 |
| विनियोजन Appropriations | | | |
| शेयरधारकों के खाते में अंतरण Transfer to shareholders' Account | | 1171286 | 690470 |
| आपदा आरक्षिति में अंतरण Transfer to Catastrophe Reserve | | NIL | NIL |
| सामान्य आरक्षिति में अंतरण Transfer to other reserves | | NIL | NIL |
| कुल (ग) Total(C) | | 1171286 | 690470 |
| उल्लेखनीय लेखाकरण नीतियां और लेखाओं पर टिप्पणियां Significant Accounting Policies and Notes to Accounts | 16 | | |
| उपर संदर्भित अनुसूचियां तुलन पत्र का अभिन्न अंग हैं The Schedules referred to above form integral part of the Balance Sheet | | | |

हमारी संलग्न लेखा परीक्षक रिपोर्ट के अनुसार
As per our auditors report attached

कृते केपीएमआर एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन सं. 02504N
For KPMR & Associates
Chartered Accountants
FRN No. 02504N

कृते एस.मान एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन सं.000075N
For S.MANN & CO.
Chartered Accountants
FRN No.000075N

(डॉ. ए.के. सक्सेना)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
DR. A.K. SAXENA
Chairman-cum-Managing Director

सी.ए. एस.एम.वाई कुरैशी
भागीदार
सदस्यता संख्या 081750
CA. S.M.Y. Qureshi
Partner
M. No. 081750

सी.ए. सुभाष मान
भागीदार
सदस्यता संख्या 080500
CA. Subhash Mann
Partner
M. No. 080500

एन. श्रीनिवास राव
निदेशक
N. Srinivasa Rao
Director

कुलदीप सिंह
निदेशक
Kuldip Singh
Director

के. रमादेवी
महाप्रबंधक एवं मुख्य वित्तीय
अधिकारी
K.Ramadevi
GM & Chief Financial Officer

रश्मि बाजपेयी
कंपनी सचिव
Rashmi Bajpai
Company Secretary

सुजय बनर्जी
निदेशक
Sujay Banarji
Director

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 15.05.2015

Place: New Delhi
Dated: 15.05.2015



बीमाकर्ता का नाम: द ओरिएण्टल इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड

पंजीकरण संख्या और आईआरडीएआई में नवीकरण की तारीख: 556 दिनांक 25.02.2014

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए विविध बीमा राजस्व लेखा

NAME OF INSURER: THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED

REGISTRATION NO. AND DATE OF RENEWAL WITH IRDAI: 556 DATED 25.02.2014

MISCELLANEOUS INSURANCE REVENUE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2015

(₹ in '000')

| विवरण Particulars | अनुसूची Schedule | 31.03.15 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.15 | 31.03.15 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.14 |
|--|---------------------|--|--|
| 1. अर्जित राजस्व (निवल) 1. Premium earned (Net) | 1 | 55349582 | 50080323 |
| 2. निवेशों की बिक्री/शोधन पर लाभ/हानि 2. Profit/Loss on sale/redemption of Investments | | 6102709 | 5918374 |
| 3. अन्य – विनिमय पर लाभ/(हानि) 3. Others - Profit/(Loss) on exchange | | (9476) | (21685) |
| 4. ब्याज, लाभांश और किराया – सकल 4. Interest, Dividend & Rent - Gross | | 7782626 | 6886717 |
| कुल (क) Total (A) | | 69225441 | 62863729 |
| 1. उपगत दावे (निवल) 1. Claims Incurred (Net) | 2 | 47151628 | 43891701 |
| 2. कमीशन 2. Commission | 3 | 2940861 | 3083301 |
| 3. बीमा कारोबार से संबंधित प्रचालनिक खर्च 3. Operating Expenses related to Insurance Business | 4 | 19016615 | 14120077 |
| 4. अन्य 4. Others | | | |
| क) मानक परिसम्पत्तियों/एनपीए के लिए प्रावधान a) Provision for Standard Assets/NPA | | (24524) | 7534 |
| ख) शेयरों के मूल्य में ह्रास के लिए प्रावधान b) Provision for Diminution in Value of Shares | | (15266) | 43253 |
| ग) ऋण शोधन व्यय c) Amortization Expenses | | 75080 | 70937 |
| घ) बट्टे खाते डाला गया निवेश (निवल) d) Investment Written Off (Net) | | 85784 | 87255 |
| ङ) प्रीमियम की कमी e) Premium deficiency | | 0 | 0 |
| कुल (ख) Total (B) | | 69230178 | 61304058 |



| | | | |
|---|----|--------|---------|
| मरीन कारोबार से प्रचालनिक लाभ / (हानि) ग = (क - ख) Operating Profit/(Loss) from fire business C = (A - B) | | (4737) | 1559671 |
| विनियोजन Appropriations | | | |
| शेयरधारकों के खाते में अंतरण Transfer to shareholders' Account | | (4737) | 1559671 |
| आपदा आरक्षिति में अंतरण Transfer to Catastrophe Reserve | | NIL | NIL |
| सामान्य आरक्षिति में अंतरण Transfer to other reserves | | NIL | NIL |
| कुल (ग) Total(C) | | (4737) | 1559671 |
| उल्लेखनीय लेखाकरण नीतियां और लेखाओं पर टिप्पणियां Significant Accounting Policies and Notes to Accounts | 16 | | |
| उपर संदर्भित अनुसूचियां तुलन पत्र का अभिन्न अंग हैं The Schedules referred to above form integral part of the Balance Sheet | | | |

हमारी संलग्न लेखा परीक्षक रिपोर्ट के अनुसार
As per our auditors report attached

कृते केपीएमआर एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट
एफआरएन सं. 02504N
For KPMR & Associates
Chartered Accountants
FRN No. 02504N

कृते एस.मान एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट
एफआरएन सं.000075N
For S.MANN & CO.
Chartered Accountants
FRN No.000075N

(डॉ. ए.के. सक्सेना)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
DR. A.K. SAXENA
Chairman-cum-Managing Director

सी.ए. एस.एम.वाई कुरैशी
भागीदार
सदस्यता संख्या 081750
CA. S.M.Y. Qureshi
Partner
M. No. 081750

सी.ए. सुभाष मान
भागीदार
सदस्यता संख्या 080500
CA. Subhash Mann
Partner
M. No. 080500

एन. श्रीनिवास राव
निदेशक
N. Srinivasa Rao
Director

कुलदीप सिंह
निदेशक
Kuldip Singh
Director

के. रमादेवी
महाप्रबंधक एवं मुख्य वित्तीय
अधिकारी
K.Ramadevi
GM & Chief Financial Officer

रश्मि बाजपेयी
कंपनी सचिव
Rashmi Bajpai
Company Secretary

सुजय बनर्जी
निदेशक
Sujay Banarji
Director

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 15.05.2015

Place: New Delhi
Dated: 15.05.2015



बीमाकर्ता का नाम: द ओरिएण्टल इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड

पंजीकरण संख्या और आईआरडीएआई में नवीकरण की तारीख: 556 दिनांक 25.02.2014

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि खाता

NAME OF INSURER: THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED

REGISTRATION NO. AND DATE OF RENEWAL WITH IRDAI: 556 DATED 25.02.2014

PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2015

(₹ in '000')

| क्र.सं. S.No. | विवरण Particulars | 31.03.15 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.15 | 31.03.14 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.14 |
|------------------|---|--|--|
| 1 | प्रचालन लाभ/(हानि) OPERATING PROFIT /(LOSS) | | |
| | (क) अग्नि बीमा (a) Fire Insurance | (248236) | (208531) |
| | (ख) मैरीन बीमा (b) Marine Insurance | 1171286 | 690470 |
| | (ग) विविध बीमा (c) Miscellaneous Insurance | (4737) | 1559671 |
| 2 | निवेशों से आय INCOME FROM INVESTMENTS | | |
| | (क) ब्याज, लाभांश व किराया—सकल (a) Interest, Dividend & Rent - Gross | 2599542 | 2291116 |
| | (ख) निवेशों की बिक्री/शोधन पर लाभ (b) Profit on sale/redemption of investment | 2038418 | 1968962 |
| | घटाएं: निवेशों की बिक्री/शोधन में हानि Less: Loss on sale/redemption of investment | 0 | 0 |
| 3 | अन्य आय OTHER INCOME | | |
| | स्थायी परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ/(हानि) Profit/(Loss) on sale of fixed assets | (3276) | 9965 |
| | विविध आय Miscellaneous Income | 66244 | 27943 |
| | बट्टे खाते डाला गया पुराना/अदावी शेष Old/Unclaimed Balance Written Back | 68180 | 45443 |
| | विनिमय लाभ/(हानि) Exchange Gain/(Loss) | (161625) | 148381 |
| | आयकर रिफंड पर ब्याज Interest on income-tax refunds | 226050 | 292790 |
| | कुल (क) TOTAL (A) | 5751846 | 6826210 |



| क्र.सं. S.No. | विवरण Particulars | 31.03.15 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.15 | 31.03.14 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.14 |
|------------------|---|--|--|
| 4 | प्रावधान (कराधान के अतिरिक्त) PROVISIONS (Other than taxation) | | |
| | (क) निवेशों के मूल्य में कमी के लिए (a) For diminution in the value of investments | (5099) | 14390 |
| | (ख) अशोध्य और संदिग्ध ऋणों/निवेशों के लिए (b) For bad and doubtful debts\Investment | (606723) | 148386 |
| | (ग) परिशोधन व्यय (c) Amortisation Expenses | 25078 | 23599 |
| 5 | अन्य व्यय OTHER EXPENSES | | |
| | क) बीमा व्यवसाय से संबंधित व्ययों के अतिरिक्त अन्य लाभ a) Expenses other than those relating to Insurance Business | 0 | 0 |
| | ख) बट्टे खाते डाले गए पुराने/अशोध्य शेष b) Old/Irrecoverable balances written off | 406 | 1016 |
| | ग) मानक परिसंपत्तियों/एनपीए के प्रावधान c) Provision on Standard Assets/NPA | (8191) | 2507 |
| | घ) बट्टे खाते डाले गए निवेश (निवल) d) Investments written off (Net) | 28654 | 29028 |
| | ङ) सीएसआर व्यय e) CSR Expendiure | 79200 | 0 |
| | च) भुगतान किए गए आय कर पर ब्याज f) Interest on income-tax paid | 65148 | 0 |
| | कुल (ख) TOTAL (B) | (421527) | 218926 |



| क्र.सं. S.No. | विवरण Particulars | 31.03.15 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.15 | 31.03.14 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.14 |
|------------------|--|--|--|
| | कर पूर्व लाभ Profit Before Tax | 6173373 | 6607284 |
| | जोड़ें / (घटाए): पूर्व अवधि आय Add/(Less): Prior Period Income | 1208 | 2948 |
| | जोड़ें / (घटाए): पूर्व अवधि व्यय Add/(Less): Prior Period Expenses | 28926 | (72127) |
| | जोड़ें / (घटाए): अनुषंगी लाभ कर के लिए प्रावधान Add/(Less): Provision for Fringe Benefit Tax | 0 | 0 |
| | जोड़ें / (घटाए): कराधान के लिए प्रावधान – चालू वर्ष Add/(Less): Provision for taxation - Current Year | (2282028) | (1998005) |
| | जोड़ें / (घटाए): आस्थगित कराधान के लिए प्रावधान Add/(Less): Provision for Deferred Taxation | 0 | 0 |
| | जोड़ें / (घटाए): पूर्व वर्षों के लिए कर का प्रावधान Add/(Less): Provision for tax in respect of earlier years | (527) | 62774 |
| | कर पश्चात लाभ Profit after Tax | 3920952 | 4602873 |
| | विनियोजन APPROPRIATIONS | | |
| | (क) वर्ष के प्रारंभ में शेष (a) Balance at the beginning of the year | 0 | 0 |
| | (ख) वर्ष के दौरान भुगतान किए गए अंतरिम लाभांश (b) Interim dividends paid during the year | 0 | 0 |
| | (ग) प्रस्तावित अंतिम लाभांश (c) Proposed final dividend | (1100000) | (1080000) |
| | (घ) लाभांश वितरण कर (d) Dividend distribution tax | (219972) | (183546) |
| | (ङ) आरक्षितियों / अन्य खातों में अंतरणरू (e) Transfer to reserves/ other accounts: | | |
| | (i) सामान्य आरक्षितियां (i) General Reserves | 2600980 | 3339327 |
| | (ii) असमाप्त जोखिमों के लिए आकस्मिक आरक्षिति (ii) Contingency Reserve for Unexpired Risks | 0 | 0 |



| क्र.सं. S.No. | विवरण Particulars | 31.03.15 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.15 | 31.03.14 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.14 |
|--|---|--|--|
| | पिछले वर्ष से अग्रेनीत लाभ/हानि का शेष Balance of profit/loss brought forward from last year | 0 | 0 |
| | तुलन पत्र में अग्रेनीत शेष Balance carried forward to Balance Sheet | 0 | 0 |
| | मूल/विरलित आय प्रति शेयर (ईपीएस) रूप में Basic/Diluted Earning Per Share (EPS) in Rs. | 19.60 | 30.69 |
| उल्लेखनीय लेखांकन नीतियां और लेखाओं के लिए नोट – अनुसूची 16 Significant Accounting Policies and Notes to Accounts - Schedule 16 | | | |
| उपर्युक्त संदर्भित अनुसूचियां तुलन:पत्र का अभिन्न अंग हैं The Schedules referred to above form integral part of the Balance Sheet | | | |

हमारी संलग्न लेखा परीक्षक रिपोर्ट के अनुसार
As per our auditors report attached

कृते केपीएमआर एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट
एफआरएन सं. 02504N
For KPMR & Associates
Chartered Accountants
FRN No. 02504N

कृते एस.मान एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट
एफआरएन सं.000075N
For S.MANN & CO.
Chartered Accountants
FRN No.000075N

(डॉ. ए.के. सक्सेना)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
DR. A.K. SAXENA
Chairman-cum-Managing Director

सी.ए. एस.एम.वाई कुरैशी
भागीदार
सदस्यता संख्या 081750
CA. S.M.Y. Qureshi
Partner
M. No. 081750

सी.ए. सुभाष मान
भागीदार
सदस्यता संख्या 080500
CA. Subhash Mann
Partner
M. No. 080500

एन. श्रीनिवास राव
निदेशक
N. Srinivasa Rao
Director

कुलदीप सिंह
निदेशक
Kuldip Singh
Director

के. रमादेवी
महाप्रबंधक एवं मुख्य वित्तीय
अधिकारी
K.Ramadevi
GM & Chief Financial Officer

रश्मि बाजपेयी
कंपनी सचिव
Rashmi Bajpai
Company Secretary

सुजय बनर्जी
निदेशक
Sujay Banarji
Director

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 15.05.2015

Place: New Delhi
Dated: 15.05.2015



बीमाकर्ता का नाम: द ओरिएण्टल इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड

पंजीकरण संख्या और आईआरडीएआई में नवीकरण की तारीख: 556 दिनांक 25.02.2014

31 मार्च 2015 को बैलेंस शीट

NAME OF INSURER: THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED

REGISTRATION NO. AND DATE OF RENEWAL WITH IRDAI: 556 DATED 25.02.2014

BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2015

(₹ in '000')

| PARTICULARS | Schedule | As at 31.03.2015 | As at 31.03.2014 |
|--|----------|---------------------|---------------------|
| निधियों के स्रोत SOURCES OF FUNDS | | | |
| शेयर पूंजी SHARE CAPITAL | 5 | 2000000 | 1500000 |
| आरक्षित एवं अधिशेष RESERVES AND SURPLUS | 6 | 29818347 | 27717367 |
| आस्थगित कर देयता Deferred Tax Liability | | 0 | 0 |
| उचित मूल्य परिवर्तन लेखा FAIR VALUE CHANGE ACCOUNT | | 97291378 | 85701136 |
| उधार BORROWINGS | 7 | 0 | 0 |
| कुल TOTAL | | 129109725 | 114918503 |
| निधियों का अनुप्रयोग APPLICATION OF FUNDS | | | |
| निवेश INVESTMENTS | 8 & 8A | 206594242 | 187670628 |
| ऋण LOANS | 9 | 1896127 | 2042990 |
| स्थायी परिसंपत्तियां FIXED ASSETS | 10 | 956732 | 898005 |
| चालू पूंजीगत कार्य Capital Work In Progress | 10 | 623563 | 403996 |
| आस्थगित कर परिसंपत्तियां Deferred Tax Assets | | 0 | 0 |
| चालू परिसंपत्तियां: CURRENT ASSETS: | | | |
| नकद एवं बैंक शेष Cash and Bank Balances | 11 | 24269975 | 22269889 |
| अग्रिम व अन्य परिसंपत्तियां Advances and Other Assets | 12 | 28508003 | 25794950 |
| उप-जोड़ (क) Sub-Total (A) | | 52777978 | 48064839 |



| | | | |
|--|----|------------------|------------------|
| चालू देयताएं CURRENT LIABILITIES | 13 | 88119596 | 81528318 |
| प्रावधान PROVISIONS | 14 | 45619321 | 42930773 |
| उप-जोड (ख) Sub-Total (B) | | 133738917 | 124459091 |
| निवल चालू परिसंपत्तियां = (क-ख) NET CURRENT ASSETS = (A-B) | | (80960939) | (76394252) |
| विविध व्यय MISCELLANEOUS EXPENDITURE | | | |
| (जिनको बट्टे खाते डाला गया या समायोजित नहीं किया गया) (to the extent not written off or adjusted) | 15 | 0 | 297135 |
| लाभ व हानि खाते में नामे शेष DEBIT BALANCE IN PROFIT AND LOSS ACCOUNT | | 0 | 0 |
| कुल TOTAL | | 129109725 | 114918502 |
| उल्लेखनीय लेखांकन नीतियां और लेखाओं के लिए नोट Significant Accounting Policies and Notes to Accounts | 16 | | |
| उपर्युक्त संदर्भित अनुसूचियां तुलन:पत्र का अभिन्न अंग हैं The Schedules referred to above form integral part of the Balance Sheet | | | |

हमारी संलग्न लेखा परीक्षक रिपोर्ट के अनुसार
As per our auditors report attached

कृते केपीएमआर एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन सं. 02504N
For KPMR & Associates
Chartered Accountants
FRN No. 02504N

कृते एस.मान एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन सं.000075N
For S.MANN & CO.
Chartered Accountants
FRN No.000075N

(डॉ. ए.के. सक्सेना)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
DR. A.K. SAXENA
Chairman-cum-Managing Director

सी.ए. एस.एम.वाई कुरेशी
भागीदार
सदस्यता संख्या 081750
CA. S.M.Y. Qureshi
Partner
M. No. 081750

सी.ए. सुभाष मान
भागीदार
सदस्यता संख्या 080500
CA. Subhash Mann
Partner
M. No. 080500

एन. श्रीनिवास राव
निदेशक
N. Srinivasa Rao
Director

कुलदीप सिंह
निदेशक
Kuldip Singh
Director

के. रमादेवी
महाप्रबंधक एवं मुख्य वित्तीय
अधिकारी
K.Ramadevi
GM & Chief Financial Officer

रश्मि बाजपेयी
कंपनी सचिव
Rashmi Bajpai
Company Secretary

सुजय बनर्जी
निदेशक
Sujay Banarji
Director

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 15.05.2015

Place: New Delhi
Dated: 15.05.2015



अनुसूची-1
31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए अर्जित प्रीमियम (निवल)
SCHEDULE -1
PREMIUM EARNED (NET) FOR THE YEAR ENDED 31.03.2015

(₹ in '000')

| विवरण Particulars | अग्नि FIRE | | सरीस MARINE | | | विविध MISCELLANEOUS | | कुल योग GRAND TOTAL | |
|--|--|--|--|--|---|---|---|---|---|
| | 31.03.2015 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2015 | 31.03.2014 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2014 | 31.03.2015 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2015 | 31.03.2014 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2014 | 31.03.2015 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2015 | 31.03.2014 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2014 | 31.03.2015 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2015 | 31.03.2014 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2014 | 31.03.2015 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2015 |
| प्रत्यक्ष कारोबारसे प्रीमियम Premium from direct business | 10127767 | 10397762 | 2475789 | 1738904 | 2725721 | 2103298 | 61276819 | 57598613 | 75619279 |
| जोड़ें: स्वीकृत पुनर्बीमा पर प्रीमियम Add: Premium on reinsurance accepted | 1283153 | 1419352 | 17279 | 254662 | 1682 | 219746 | 1579150 | 2906299 | 3134244 |
| घटाएँ: स्वीकृत पुनर्बीमा पर प्रीमियम Less: Premium on reinsurance ceded | 6343128 | 5084479 | 343888 | 1213963 | 361561 | 1578701 | 6128673 | 6533044 | 14029652 |
| निवल प्रीमियम Net Premium | 5067792 | 6732635 | 2149180 | 779603 | 2365842 | 744343 | 56727296 | 53971868 | 64723871 |
| असमाप्त जोखिमों के लिए आरक्षित परिवर्तन के लिए समायोजन Adjustment for changes in reserve for unexpired risk. | -832422 | 128278 | -108331 | 35260 | 67412 | 187770 | 1377714 | 3891545 | 472221 |
| कुल अर्जित प्रीमियम (निवल) Total Premium Earned (Net) | 5900214 | 6604357 | 2257511 | 744343 | 2298430 | 556573 | 55349582 | 50080323 | 64251650 |
| भारतमें प्रभावी कारोबार से प्रीमियम आय Premium Income from business effected In India | 4428972 | 6021385 | 1927759 | 731448 | 2186146 | 615405 | 56019642 | 52958107 | 63107821 |
| भारत से बाहर Outside India | 638820 | 711250 | 221421 | 48155 | 179696 | 128938 | 707654 | 1013761 | 1616050 |
| निवल प्रीमियम Net Premium | 5067792 | 6732635 | 2149180 | 779603 | 2365842 | 744343 | 56727296 | 53971868 | 64723871 |
| | | | | | | | | | 63814688 |

MISCELLANEOUS PREMIUM EARNED (NET) FOR THE YEAR ENDED 31.03.2015

(₹ in '000')

| विवरण Particulars | मोटर MOTOR | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------------------|--------------------|---------------------------------|---|-----------|----------------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------|
| | ओडी OD | टीपी- नॉनपूल TP - Non Pool | टीपीपूल TP POOL | टीपीडीआर पूल TP D.R. POOL | कुल TOTAL | ओडी OD | टीपी- नॉनपूल TP - Non Pool | टीपीपूल TP POOL | टीपीडीआर पूल TP D.R. POOL | कुल TOTAL |
| | 31.03.2015 को समाप्तवर्ष Year Ended 31.03.2015 | | | | 31.03.2014 को समाप्तवर्ष Year Ended 31.03.2014 | | | | | |
| प्रत्यक्ष कारोबारसेप्रीमियम Premium from direct business | 12613383 | 16057225 | 0 | 473928 | 29144536 | 11981994 | 13836326 | 0 | 1062801 | 26881121 |
| जोड़ें: स्वीकृत पुनर्बीमा पर प्रीमियम Add: Premium on reinsurance accepted | 2357 | 527 | 0 | 292358 | 295242 | 10456 | 315 | 0 | 376687 | 387458 |
| घटाएँ: स्वीकृत पुनर्बीमा पर प्रीमियम Less: Premium on reinsurance ceded | 692207 | 808116 | 0 | 379142 | 1879465 | 626317 | 703475 | 0 | 850248 | 2180040 |
| निवल प्रीमियम Net Premium | 11923533 | 15249636 | 0 | 387144 | 27560313 | 11366133 | 13133166 | 0 | 589240 | 25088539 |
| असमाप्त जोखिमों के लिए आरक्षित परिवर्तन के लिए समायोजन Adjustment for changes in reserve for unexpired risk. | 278700 | 1058235 | 0 | -101048 | 1235887 | 224936 | 1400398 | 0 | -54670 | 1570664 |
| कुल अर्जित प्रीमियम (निवल) Total Premium Earned (Net) | 11644833 | 14191401 | 0 | 488192 | 26324426 | 11141197 | 11732768 | 0 | 643910 | 23517875 |
| भारतमें प्रभावी कारोबार से प्रीमियम आय Premium Income from business effected In India | 11508208 | 15167308 | 0 | 387144 | 27062660 | 10997671 | 13018536 | 0 | 589240 | 24605447 |
| भारत से बाहर Outside India | 415325 | 82328 | 0 | 0 | 497653 | 368462 | 114630 | 0 | 0 | 483092 |
| निवल प्रीमियम Net Premium | 11923533 | 15249636 | 0 | 387144 | 27560313 | 11366133 | 13133166 | 0 | 589240 | 25088539 |





| विवरण Particulars | आभियांत्रिकी ENGINEERING | | विमानन AVIATION | | कामगार क्षतिपूर्ति WORKMEN'S COMPENSATION | | व्यक्तिगत दुर्घटना PERSONAL ACCIDENT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31.03.2015 को समाप्तवर्ष 31.03.2015 Year Ended | 31.03.2014 को समाप्तवर्ष 31.03.2014 Year Ended | 31.03.2015 को समाप्तवर्ष 31.03.2015 Year Ended | 31.03.2014 को समाप्तवर्ष 31.03.2014 Year Ended | 31.03.2015 को समाप्तवर्ष 31.03.2015 Year Ended | 31.03.2014 को समाप्तवर्ष 31.03.2014 Year Ended | 31.03.2015 को समाप्तवर्ष 31.03.2015 Year Ended | 31.03.2014 को समाप्तवर्ष 31.03.2014 Year Ended |
| प्रत्यक्ष कारोबारसे प्रीमियम Premium from direct business | 3559777 | 3747776 | 1009390 | 1116104 | 802456 | 816460 | 1493671 | 1424127 |
| जोड़ें: स्वीकृत पुनर्बीमा पर प्रीमियम Add: Premium on reinsurance accepted | 289469 | 552935 | 253283 | 236137 | 0 | 0 | 768 | 51305 |
| घटायें: स्वीकृत पुनर्बीमा पर प्रीमियम Less: Premium on reinsurance ceded | 1377827 | 1307468 | 1001260 | 1078072 | 45116 | 41876 | 171998 | 191742 |
| निवल प्रीमियम Net Premium | 2471419 | 2993243 | 261413 | 274169 | 757340 | 774584 | 1322441 | 1283690 |
| परिवर्तन के लिए समायोजन Adjustment for changes in | | | | | | | | |
| असमाप्त जोखिमों के लिए आरक्षित reserve for unexpired risk. | -260912 | -29215 | -6378 | -119093 | -8622 | 19758 | 19376 | -86552 |
| कुल अर्जित प्रीमियम (निवल) Total Premium Earned (Net) | 2732331 | 3022458 | 267791 | 393262 | 765962 | 754826 | 1303065 | 1370242 |
| भारतमें प्रभावी कारोबार से प्रीमियम आय Premium Income from business effected In India | 2549377 | 2900229 | 137060 | 15830 | 703957 | 742519 | 1309003 | 1217261 |
| भारत में In India | | | | | | | | |
| भारत से बाहर Outside India | -77958 | 93014 | 124353 | 258339 | 53383 | 32065 | 13438 | 66429 |
| निवल प्रीमियम Net Premium | 2471419 | 2993243 | 261413 | 274169 | 757340 | 774584 | 1322441 | 1283690 |



(₹ in '000')

| विवरण Particulars | स्वास्थ्य HEALTH | | देयता LIABILITY | | अन्य विविध OTHER MISC. | | कुल TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 31.03.2015 को समाप्तवर्ष Year Ended 31.03.2015 | 31.03.2014 को समाप्तवर्ष Year Ended 31.03.2014 | 31.03.2015 को समाप्तवर्ष Year Ended 31.03.2015 | 31.03.2014 को समाप्तवर्ष Year Ended 31.03.2014 | 31.03.2015 को समाप्तवर्ष Year Ended 31.03.2015 | 31.03.2014 को समाप्तवर्ष Year Ended 31.03.2014 | 31.03.2015 को समाप्तवर्ष Year Ended 31.03.2015 | 31.03.2014 को समाप्तवर्ष Year Ended 31.03.2014 |
| प्रत्यक्ष कारोबारसे प्रीमियम Premium from direct business | 20538525 | 18987515 | 508926 | 451380 | 4219538 | 4174129 | 61276819 | 57598613 |
| जोड़ें: स्वीकृत पुनर्बीमा पर प्रीमियम Add: Premium on reinsurance accepted | 2358 | 2 | 490 | 508 | 737541 | 1677954 | 1579150 | 2906299 |
| घटाएँ: स्वीकृत पुनर्बीमा पर प्रीमियम Less: Premium on reinsurance ceded | 1026201 | 1026272 | 84566 | 176077 | 542240 | 531497 | 6128673 | 6533044 |
| निवल प्रीमियम Net Premium | 19514682 | 17961245 | 424850 | 275811 | 4414839 | 5320586 | 56727296 | 53971868 |
| परिवर्तन के लिए समायोजन Adjustment for changes in | | | | | | | | |
| असमाप्त जोखिमों के लिए आरक्षित reserve for unexpired risk. | 776719 | 1662406 | 74520 | -36738 | -452874 | 910315 | 1377714 | 3891545 |
| कुल अर्जित प्रीमियम (निवल) Total Premium Earned (Net) | 18737963 | 16298839 | 350330 | 312549 | 4867713 | 4410271 | 55349582 | 50080323 |
| भारतमें प्रभावी कारोबार से प्रीमियम आय Premium Income from business effected in India | 19500808 | 17951323 | 398876 | 255927 | 4357901 | 5269571 | 56019642 | 52958107 |
| भारत में In India | | | | | | | | |
| भारत से बाहर Outside India | 13874 | 9922 | 25974 | 19884 | 56938 | 51015 | 707654 | 1013761 |
| निवल प्रीमियम Net Premium | 19514682 | 17961245 | 424850 | 275811 | 4414839 | 5320586 | 56727296 | 53971868 |



अनुसूची-2
31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए उपगत दावे (निवल)
SCHEDULE -2
CLAIMS INCURRED (NET) FOR THE YEAR ENDED 31.03.2015

| विवरण Particulars | अग्नि FIRE | | मरीन MARINE | | | | विविध MISCELLANEOUS | | कुल योग GRAND TOTAL | |
|---|--|--|--|------------------------|--|-----------------------------|--|--|--|--|
| | 31.03.2015 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2015 | 31.03.2014 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2014 | 31.03.2015 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2015 | | 31.03.2014 को समाप्त वर्ष Year Ended 31.03.2014 | | 31.03.2015 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2015 | 31.03.2014 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2014 | 31.03.2015 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2015 | 31.03.2014 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.2014 |
| | | | मरीन कार्गो Marine Cargo | मरीन हल Marine Hull | कुल TOTAL | मरीन कार्गो Marine Cargo | | | | |
| चुक्ता दावे Claims Paid | | | | | | | | | | |
| प्रत्यक्ष Direct | 6708657 | 5896340 | 1897982 | 595541 | 2493523 | 1439571 | 1132161 | 47286449 | 56488629 | 51111407 |
| जोड़ें: स्वीकृतपुनर्बीमा Add: Reinsurance Accepted | 846788 | 1070634 | 16958 | 214092 | 231050 | 10740 | 188942 | 1040654 | 2118492 | 3541455 |
| घटाएं: अस्थपितपुनर्बीमा Less: Reinsurance Ceded | 2647518 | 2099978 | 617646 | 457339 | 1074985 | 186678 | 744114 | 4086238 | 7808741 | 9849178 |
| निवल चुक्ता दावे Net Claims paid | 4907927 | 4866996 | 1297294 | 352294 | 1649588 | 1263633 | 576989 | 44240866 | 50798381 | 44803684 |
| जोड़ें: चालूवर्ष की समाप्ति पर बकाया दावे ADD: Claims Outstanding at the end of Current Year | | | | | | | | | | |
| प्रत्यक्ष Direct | 19497603 | 16502831 | 1628460 | 4951697 | 6580157 | 2086467 | 4442249 | 73921750 | 99999510 | 91645251 |
| जोड़ें: स्वीकृतपुनर्बीमा Add: Reinsurance Accepted | 1888574 | 2275373 | 65007 | 451592 | 516599 | 68631 | 465082 | 2434548 | 4839721 | 5385308 |
| घटाएं: अस्थपित पुनर्बीमा Less: Reinsurance Ceded | 14051818 | 10786471 | 661099 | 4520983 | 5182082 | 696320 | 4014702 | 12959195 | 32193095 | 26201078 |
| चालूवर्ष की समाप्ति पर बकाया निवल दावे Net Claims Outstanding at the end of Current Year | 7334359 | 7991733 | 1032368 | 882306 | 1914676 | 1458778 | 892629 | 63397102 | 72646136 | 70829480 |



| विवरण Particulars | अग्नि FIRE | | मरीन MARINE | | | | विविध MISCELLANEOUS | | कुल योग GRAND TOTAL | |
|--|---|---|---|------------------------|---|-----------------------------|---|---|---|---|
| | 31.03.2015 को समाप्तवर्ष Year ended 31.03.2015 | 31.03.2014 को समाप्तवर्ष Year ended 31.03.2014 | 31.03.2015 को समाप्तवर्ष Year Ended 31.03.2015 | | 31.03.2014 को समाप्तवर्ष Year Ended 31.03.2014 | | 31.03.2015 को समाप्तवर्ष Year ended 31.03.2015 | 31.03.2014 को समाप्तवर्ष Year ended 31.03.2014 | 31.03.2015 को समाप्तवर्ष Year ended 31.03.2015 | 31.03.2014 को समाप्तवर्ष Year ended 31.03.2014 |
| | | | मरीन कार्गो Marine Cargo | मरीन हल Marine Hull | कुल TOTAL | मरीन कार्गो Marine Cargo | | | | |
| घटाएं: गतवर्ष की समाप्ति पर बकाया दावे LESS: Claims Outstanding at the end of Prev. Year | | | | | | | | | | |
| प्रत्यक्ष Direct | 16502831 | 12614599 | 2086467 | 4442249 | 4834887 | 7131471 | 68613704 | 91645251 | 82893605 | |
| जोड़ें: स्वीकृतपुनर्बीमा Add: Reinsurance Accepted | 2275373 | 1325526 | 68631 | 465082 | 423548 | 465748 | 2576222 | 5385308 | 2604808 | |
| घटाएं: अश्यापितपुनर्बीमा Less: Reinsurance Ceded | 10786471 | 6633916 | 696507 | 4014515 | 4303600 | 5071171 | 10703585 | 26201078 | 20975449 | |
| गतवर्ष की समाप्ति पर बकाया दावे Net Claims Outstanding as at the end of the Previous Year | 7991733 | 7306209 | 1458591 | 892816 | 954835 | 2526048 | 60486341 | 70829481 | 64522964 | |
| निवल उपगत दावे Net Claims Incurred | | | | | | | | | | |
| प्रत्यक्ष Direct | 9703429 | 9784572 | 1439975 | 1104989 | 739523 | 1968977 | 52594495 | 64842888 | 59863053 | |
| जोड़ें: स्वीकृतपुनर्बीमा Add: Reinsurance accepted | 459989 | 2020481 | 13334 | 200602 | 230476 | 267647 | 898981 | 1572906 | 6321955 | |
| घटाएं: अश्यापितपुनर्बीमा Less: Reinsurance Ceded | 5912865 | 6252533 | 582238 | 963807 | 455216 | 570643 | 6341848 | 13800758 | 15074807 | |
| निवल उपगत दावे NET CLAIMS INCURRED | 4250553 | 5552520 | 871071 | 341784 | 514783 | 1665981 | 47151628 | 52615036 | 5110201 | |



CLAIMS INCURRED (NET) FOR THE PERIOD ENDED 31.03.2015

(₹ in '000')

| विवरण Particulars | मोटर MOTOR | | | | | | | | | |
|--|---|-------------------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------|---|-------------------------------------|--------------------|------------------------------------|--------------|
| | ओडी OD | टीपी- नॉनपूल TP - Non Pool | टीपीपूल TP POOL | टीपीडीआर पूल TP D.R. POOL | कुल TOTAL | ओडी OD | टीपी- नॉनपूल TP - Non Pool | टीपीपूल TP POOL | टीपीडीआर पूल TP D.R. POOL | कुल TOTAL |
| | 31.03.2015 को समाप्तवर्ष Year Ended 31.03.2015 | | | | | 31.03.2014 को समाप्तवर्ष Year Ended 31.03.2014 | | | | |
| चुकता दावे Claims Paid | | | | | | | | | | |
| प्रत्यक्ष Direct | 6297003 | 7531831 | 4996394 | 194809 | 19020037 | 5910928 | 6320955 | 5391580 | 49516 | 17672979 |
| जोड़ें: स्वीकृत पुनर्बीमा Add: Reinsurance Accepted | 111 | 0 | 0 | 338240 | 338351 | 13872 | 0 | 0 | 1068558 | 1082429 |
| घटाएं: अथर्पित पुनर्बीमा Less: Reinsurance Ceded | 366436 | 957513 | 0 | 355941 | 1679890 | 781849 | 885527 | 0 | 2295708 | 3963083 |
| निवल चुकता दावे Net Claims paid | 5930679 | 6574318 | 4996394 | 177107 | 17678499 | 5142951 | 5435429 | 5391580 | -1177634 | 14792325 |
| जोड़ें: चालू वर्ष की समाप्ति पर बकाया दावे ADD: Claims Outstanding at the end of Current Year | | | | | | | | | | |
| प्रत्यक्ष Direct | 3603284 | 32403654 | 19939758 | 5294081 | 61240777 | 3610659 | 23510736 | 24386565 | 5031502 | 56539462 |
| जोड़ें: स्वीकृत पुनर्बीमा Add: Reinsurance Accepted | 25284 | 0 | 0 | 0 | 25284 | 22312 | 0 | 0 | 0 | 22312 |
| घटाएं: अथर्पित पुनर्बीमा Less: Reinsurance Ceded | 285342 | 8262416 | 0 | 35328 | 8583085 | 355213 | 6210781 | 0 | 19328 | 6585321 |
| चालू वर्ष की समाप्ति पर बकाया निवल दावे Net Claims Outstanding Current Year | 3343226 | 24141238 | 19939758 | 5258753 | 52682975 | 3277759 | 17299955 | 24386565 | 5012174 | 49976454 |
| घटाएं: गत वर्ष की समाप्ति पर बकाया दावे LESS: Claims Outstanding at the end of Prev. Year | | | | | | | | | | |



| | | | | | | | | | | |
|--|---------|----------|----------|---------|----------|---------|----------|----------|----------|----------|
| प्रत्यक्ष Direct | 3610659 | 23510736 | 24386565 | 5031502 | 56539462 | 3600007 | 17101256 | 30765541 | 1274144 | 51789144 |
| जोड़ें: स्वीकृत पुनर्बीमा Add: Reinsurance Accepted | 22312 | 0 | 0 | 0 | 22312 | 21060 | 0 | -1254751 | 0 | -281886 |
| घटाएं: अस्थिरित पुनर्बीमा Less: Reinsurance Ceded | 355213 | 6210781 | 0 | 19328 | 6585321 | 434878 | 4844587 | 0 | 747 | 5280212 |
| गत वर्ष की समाप्ति पर निवल बकाया दावे Net Claims Outstanding Previous Year | 3277759 | 17299955 | 24386565 | 5012174 | 49976454 | 3186189 | 12256669 | 29510789 | 1273397 | 46227045 |
| निवल उपगत दावे Net Claims Incurred | 6289628 | 16424750 | 549587 | 457388 | 23721352 | 5921580 | 12730435 | -987396 | 3806873 | 21471493 |
| प्रत्यक्ष Direct | 3082 | 0 | 0 | 338240 | 341322 | 15124 | 0 | 1254751 | 1068558 | 2338433 |
| जोड़ें: स्वीकृत पुनर्बीमा Add: Reinsurance accepted | 296565 | 3009148 | 0 | 371942 | 3677654 | 702183 | 2251720 | 0 | 2314288 | 5268192 |
| घटाएं: अस्थिरित पुनर्बीमा Less: Reinsurance Ceded | 5996145 | 13415602 | 549587 | 423686 | 20385020 | 5234521 | 10478715 | 267356 | 2561143 | 18541734 |
| कुल उपगत दावे TOTAL CLAIMS INCURRED | 5729829 | 6415341 | 4996394 | 177107 | 17318671 | 4716554 | 5312472 | 5391580 | -1177634 | 14242971 |
| दावेदारों को चुकता दावे Claims paid to claimants | 200850 | 158977 | 0 | 0 | 359827 | 426397 | 122957 | 0 | 0 | 549354 |
| भारत में In India | 5930679 | 6574318 | 4996394 | 177107 | 17678499 | 5142951 | 5435429 | 5391580 | -1177634 | 14792325 |
| भारत से बाहर Outside India | | | | | | | | | | |
| कुल चुकता दावे Total Claims Paid | | | | | | | | | | |



| विवरण Particulars | अभियांत्रिकी ENGINEERING | | कामगार क्षतिपूर्ति WORKMEN'S COMPENSATION | | विमानन AVIATION | | व्यक्तिगत दुर्घटना PERSONAL ACCIDENT | |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|
| | वर्ष समाप्त Year Ended 31.03.15 | वर्ष समाप्त Year Ended 31.03.14 | वर्ष समाप्त Year Ended 31.03.15 | वर्ष समाप्त Year Ended 31.03.14 | वर्ष समाप्त Year Ended 31.03.15 | वर्ष समाप्त Year Ended 31.03.14 | वर्ष समाप्त Year Ended 31.03.15 | वर्ष समाप्त Year Ended 31.03.14 |
| चुक्ता दावे Claims Paid | | | | | | | | |
| प्रत्यक्ष Direct | 1562339 | 1950975 | 176637 | 166434 | 635978 | 500104 | 932438 | 1089710 |
| जोड़ें: स्वीकृत पुनर्बीमा Add: Reinsurance Accepted | -131948 | 227666 | 0 | 0 | 217127 | 144531 | 758 | 50652 |
| घटाएं: अभ्यर्पित पुनर्बीमा Less: Reinsurance Ceded | 327895 | 676592 | 14884 | 14792 | 423375 | 334152 | 155705 | 153832 |
| निवल चुक्ता दावे Net Claims paid | 1102496 | 1502049 | 161753 | 151642 | 429731 | 310483 | 777491 | 986530 |
| जोड़ें: चालू वर्ष की समाप्ति पर बकाया दावे ADD: Claims Outstanding at the end of Current Year | | | | | | | | |
| प्रत्यक्ष Direct | 4281147 | 3593243 | 288054 | 317693 | 735667 | 1038477 | 812293 | 844236 |
| जोड़ें: स्वीकृत पुनर्बीमा Add: Reinsurance Accepted | 1085171 | 1193163 | 0 | 0 | 324888 | 276009 | 49 | 1443 |
| घटाएं: अभ्यर्पित पुनर्बीमा Less: Reinsurance Ceded | 1903777 | 1282626 | 23875 | 28991 | 620239 | 778288 | 161012 | 179379 |
| चालू वर्ष की समाप्ति पर बकाया निवल दावे Net Claims Outstanding Current Year | 3462541 | 3503781 | 264180 | 288702 | 440316 | 536199 | 651330 | 666301 |
| घटाएं: गत वर्ष की समाप्ति पर बकाया दावे LESS: Claims Outstanding at the end of Prev. Year | | | | | | | | |
| प्रत्यक्ष Direct | 3593243 | 3588700 | 317693 | 319502 | 1038477 | 985774 | 844236 | 817695 |
| जोड़ें: स्वीकृत पुनर्बीमा Add: Reinsurance Accepted | 1193163 | 522507 | 0 | 0 | 276009 | 224316 | 1443 | 4703 |



| | | | | | | | |
|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| घटाएँ: अस्थपित पुनर्बीमा Less: Reinsurance Ceded | 1379717 | 28991 | 46055 | 778288 | 746092 | 179379 | 146094 |
| गत वर्ष की समाप्ति पर निवल बकाया दावे Net Claims Outstanding Previous Year | 2731490 | 288702 | 273446 | 536199 | 463998 | 666301 | 676304 |
| निवल उपगत दावे Net Claims Incurred | | | | | | | |
| प्रत्यक्ष Direct | 1955519 | 146998 | 164626 | 333167 | 552807 | 900495 | 1116252 |
| जोड़ें: स्वीकृत पुनर्बीमा Add: Reinsurance accepted | 898322 | 0 | 0 | 266007 | 196223 | -636 | 47392 |
| घटाएँ: अस्थपित पुनर्बीमा Less: Reinsurance Ceded | 579501 | 9767 | -2272 | 265326 | 366347 | 137338 | 187117 |
| कुल उपगत दावे TOTAL CLAIMS INCURRED | 2274340 | 137231 | 166898 | 333848 | 382684 | 762520 | 976527 |
| दावेदारों को चुकता दावे Claims paid to claimants | | | | | | | |
| भारत में In India | 1440868 | 146492 | 139581 | 278299 | 116896 | 773949 | 932883 |
| भारत से बाहर Outside India | 61181 | 15261 | 12061 | 151432 | 193588 | 3542 | 53647 |
| कुल चुकता दावे Total Claims Paid | 1502049 | 161753 | 151642 | 429731 | 310483 | 777491 | 986530 |



(₹ in '000')

| विवरण Particulars | स्वास्थ्य HEALTH | | देनदारी LIABILITY | | अन्य विविध OTHER MISCELLANEOUS | | कुल TOTAL | |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | वर्ष समाप्त Year Ended 31.03.15 | वर्ष समाप्त Year Ended 31.03.14 | वर्ष समाप्त Year Ended 31.03.15 | वर्ष समाप्त Year Ended 31.03.14 | वर्ष समाप्त Year Ended 31.03.15 | वर्ष समाप्त Year Ended 31.03.14 | वर्ष समाप्त Year Ended 31.03.15 | वर्ष समाप्त Year Ended 31.03.14 |
| घटाएं: अस्थित पुनर्बीमा Less: Reinsurance Ceded | 23323353 | 19938772 | 58167 | 72210 | 1577500 | 1252151 | 47286449 | 42643335 |
| गत वर्ष की समाप्ति पर निवल बकाया दावे Net Claims Outstanding Previous Year | 100 | 0 | 0 | 0 | 616265 | 765861 | 1040654 | 2271139 |
| निवल उपगत दावे Net Claims Incurred | 1207847 | 1522252 | 13815 | 30928 | 262826 | 122778 | 4086238 | 6818408 |
| प्रत्यक्ष Direct | 22115606 | 18416519 | 44352 | 41282 | 1930939 | 1895235 | 44240866 | 38096066 |
| जोड़ें: स्वीकृत पुनर्बीमा Add: Reinsurance accepted | 2851673 | 2272145 | 1141021 | 1155786 | 2571119 | 2852659 | 73921750 | 68613704 |
| घटाएं: अस्थित पुनर्बीमा Less: Reinsurance Ceded | 21 | 21 | 593 | 574 | 998543 | 1082699 | 2434548 | 2576222 |
| कुल उपगत दावे TOTAL CLAIMS INCURRED | 148228 | 142289 | 944562 | 983377 | 574418 | 723313 | 12959195 | 10703585 |
| दावेदारों को चुकता दावे Claims paid to claimants | 2703466 | 2129877 | 197052 | 172983 | 2995243 | 3212045 | 63397102 | 60486341 |
| भारत में In India | 2272145 | 1964203 | 1155786 | 1177228 | 2852659 | 2505289 | 68613704 | 63147535 |
| भारत से बाहर Outside India | 21 | 21 | 574 | 8743 | 1082699 | 335130 | 2576222 | 813534 |
| कुल चुकता दावे Total Claims Paid | 142289 | 198225 | 983377 | 979837 | 723313 | 494129 | 10703585 | 9270362 |
| प्रत्यक्ष Direct | 2129877 | 1765999 | 172983 | 206134 | 3212045 | 2346291 | 60486341 | 54690707 |
| जोड़ें: स्वीकृत पुनर्बीमा Add: Reinsurance Accepted | 23902880 | 20246714 | 43402 | 50767 | 1295960 | 1599521 | 52594495 | 48109504 |
| घटाएं: अस्थित पुनर्बीमा Less: Reinsurance Ceded | 100 | 0 | 18 | -8169 | 532110 | 1513430 | 898981 | 4033827 |



| | | | | | | | | |
|---|----------|----------|--------|-------|---------|---------|----------|----------|
| गत वर्ष की समाप्ति पर निवल बकाया दावे Net Claims Outstanding Previous Year | 1213786 | 1466316 | -25000 | 34468 | 113931 | 351962 | 6341848 | 8251631 |
| निवल उपगत दावे Net Claims Incurred | 22689195 | 18780398 | 68421 | 8130 | 1714138 | 2760989 | 47151628 | 43891701 |
| प्रत्यक्ष Direct | 23902880 | 20246714 | 43402 | 50767 | 1295960 | 1599521 | 52594495 | 48109504 |
| जोड़े: स्वीकृत पुनर्बीमा Add: Reinsurance accepted | 100 | 0 | 18 | -8169 | 532110 | 1513430 | 898981 | 4033827 |
| घटाएं: अभ्यर्पित पुनर्बीमा Less: Reinsurance Ceded | 1213786 | 1466316 | -25000 | 34468 | 113931 | 351962 | 6341848 | 8251631 |
| कुल उपगत दावे TOTAL CLAIMS INCURRED | 22689195 | 18780398 | 68421 | 8130 | 1714138 | 2760989 | 47151628 | 43891701 |
| दावेदारों को चुकता दावे Claims paid to claimants | | | | | | | | |
| भारत में In India | 22102934 | 18403172 | 44228 | 41258 | 1915686 | 1918675 | 44026374 | 37236305 |
| भारत से बाहर Outside India | 12672 | 13347 | 124 | 24 | 13378 | -23441 | 212616 | 859761 |
| कुल चुकता दावे Total Claims Paid | 22115606 | 18416519 | 44352 | 41282 | 1929064 | 1895235 | 44238991 | 38096066 |



अनुसूची-3

31.03.2015 को समाप्त वर्ष के लिए उपगत कमीशन ;निवलद्ध

SCHEDULE -3

COMMISSION INCURRED (NET) FOR THE YEAR ENDED 31.03.2015

(₹ in '000')

| विवरण Particulars | अग्नि FIRE | | मरीन MARINE | | | | विविध MISCELLANEOUS | | कुल योग GRAND TOTAL | |
|--|---|---|--|-------------|--|-----------------|---|---|---|---|
| | वर्ष समाप्ति Year ended 31.03.2015 | वर्ष समाप्ति Year ended 31.03.2014 | वर्ष समाप्ति 31.03.2015 Year Ended 31.03.2015 | | वर्ष समाप्ति 31.03.2014 Year Ended 31.03.2014 | | वर्ष समाप्ति Year ended 31.03.2015 | वर्ष समाप्ति Year ended 31.03.2014 | वर्ष समाप्ति Year ended 31.03.2015 | वर्ष समाप्ति Year ended 31.03.2014 |
| | | | Marine Cargo | Marine Hull | TOTAL | Marine Cargo | Marine Hull | TOTAL | | |
| चुक्ता कमीशन Commission paid | | | | | | | | | | |
| प्रत्यक्ष Direct | 730544 | 762025 | 319225 | 29157 | 348382 | 361348 | 29098 | 390446 | 3389088 | 4677349 |
| जोड़ें: स्वीकृत पुनर्बीमा Add: Re-insurance Accepted | 284527 | 261153 | 5003 | 47816 | 52819 | 491 | 54188 | 54679 | 546384 | 862216 |
| घटाएं: अस्पष्टित पुनर्बीमा Less: Re-Insurance Ceded | 752740 | 816943 | 42250 | 83974 | 126224 | 58833 | 101409 | 160242 | 852171 | 1670806 |
| निवल कमीशन Net commission | 262331 | 206235 | 281978 | (7001) | 274977 | 303006 | (18123) | 284883 | 3083301 | 3478169 |
| | | | | | | | | | | 1829356 |
| | | | | | | | | | | 3574419 |

31.03.2015 को समाप्त वर्ष के लिए विविध उपगत कमीशन (निवल)
MISCELLANEOUS COMMISSION INCURRED (NET) FOR THE YEAR ENDED 31.03.2015

(₹ in '000')

| विवरण Particulars | मोटोर MOTOR | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------|---------------------|--|-----------|-------------------------------|-------------------------|--------------|
| | ओडी OD | टीपी-नॉन पूल TP - Non Pool | टीपी पूल TP Pool | कुल TOTAL | ओडी OD | टीपी-नॉन पूल TP - Non Pool | वर्ष समाप्ति TP Pool | कुल TOTAL |
| | वर्ष समाप्ति 31.03.2015 Year Ended 31.03.2015 | | | वर्ष समाप्ति 31.03.2015 Year Ended 31.03.2014 | | | | |
| चुकता कमीशन Commission paid | 1147169 | 17365 | 0 | 1164534 | 1118525 | 26500 | 0 | 1145025 |
| प्रत्यक्ष Direct | 378 | 36 | 0 | 414 | 3733 | 0 | 0 | 3733 |
| जोड़ें: स्वीकृत पुनर्बीमा Add: On Re-insurance Accepted | 100333 | 43468 | 0 | 143801 | 92458 | 42230 | 0 | 134688 |
| घटाएँ: अस्थिरित पुनर्बीमा Less: On Re-insurance Ceded | 1047214 | (26067) | 0 | 1021147 | 1029800 | (15730) | 0 | 1014070 |
| निवल कमीशन Net commission | | | | | | | | |





(₹ in '000')

| विवरण Particulars | अभियांत्रिकी ENGINEERING | | कामगार क्षतिपूर्ति WORKMEN'S COMPENSATION | | विमानन AVIATION | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | वर्ष समाप्ति Year Ended 31.03.2015 | वर्ष समाप्ति Year Ended 31.03.2014 | वर्ष समाप्ति Year Ended 31.03.2015 | वर्ष समाप्ति Year Ended 31.03.2014 | वर्ष समाप्ति Year Ended 31.03.2015 | वर्ष समाप्ति Year Ended 31.03.2014 |
| चुक्ता कमीशन Commission paid | | | | | | |
| प्रत्यक्ष Direct | 201629 | 232091 | 88032 | 82929 | 8974 | 6977 |
| जोड़ें: स्वीकृत पुनर्बीमा Add: On Re-insurance Accepted | (3886) | 251170 | 0 | 0 | 30963 | 40407 |
| घटाएँ: अस्थिपित्त पुनर्बीमा Less: On Re-Insurance Ceded | 249458 | 292102 | 7784 | 6603 | 29007 | 140290 |
| निवल कमीशन Net commission | (51715) | 191159 | 80248 | 76326 | 10930 | (92906) |

(₹ in '000')

| विवरण Particulars | अभियांत्रिकी PERSONAL ACCIDENT | | कामगार क्षतिपूर्ति HEALTH | | विमानन LIABILITY | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | वर्ष समाप्ति Year Ended 31.03.2015 | वर्ष समाप्ति Year Ended 31.03.2014 | वर्ष समाप्ति Year Ended 31.03.2015 | वर्ष समाप्ति Year Ended 31.03.2014 | वर्ष समाप्ति Year Ended 31.03.2015 | वर्ष समाप्ति Year Ended 31.03.2014 |
| चुक्ता कमीशन Commission paid | | | | | | |
| प्रत्यक्ष Direct | 139255 | 124914 | 1390046 | 1215531 | 70966 | 59193 |
| जोड़ें: स्वीकृत पुनर्बीमा Add: On Re-insurance Accepted | 219 | 23 | 260 | 0 | 125 | 99 |
| घटाएँ: अस्थिपित्त पुनर्बीमा Less: On Re-Insurance Ceded | 33869 | 41617 | 153930 | 153941 | 7599 | 25434 |
| निवल कमीशन Net commission | 105605 | 83320 | 1236376 | 1061590 | 63492 | 33858 |

(₹ in '000')



| विवरण Particulars | अन्य OTHER | | कुल TOTAL | |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | वर्ष समाप्ति Year Ended 31.03.2015 | वर्ष समाप्ति Year Ended 31.03.2014 | वर्ष समाप्ति Year Ended 31.03.2015 | वर्ष समाप्ति Year Ended 31.03.2014 |
| चुक्ता कमीशन Commission paid | | | | |
| प्रत्यक्ष Direct | 534987 | 522428 | 3598423 | 3389088 |
| जोड़े: स्वीकृत पुनर्बीमा Add: On Re-insurance Accepted | 106185 | 250952 | 134280 | 546384 |
| घटारं: अस्थपित पुनर्बीमा Less: On Re-Insurance Ceded | 166394 | 57496 | 791842 | 852171 |
| निवल कमीशन Net commission | 474778 | 715884 | 2940861 | 3083301 |



अनुसूची 3।

दि ओरिएण्टल इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड
3103032015 को समाप्त वर्ष के लिए एजेंटों के कमीशन और ब्रोकरेज की अनुसूची
(केवल सकल)

SCHEDULE 3A

THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED
SCHEDULE OF AGENTS COMMISSION AND BROKERAGE FOR THE YEAR ENDED 31.03.2015
(GROSS ONLY)

| विवरण PARTICULARS | अग्नि Fire | मरीन कार्गो M. Cargo | मरीन हल M. Hull | मोटर ओडी Motor OD | मोटर टीपी (डी.आर. पूल को छोड़कर) Motor TP (Excl D.R. Pool) | मोटर टीपी (डी.आर. पूल) Motor TP (D.R. Pool) | मोटर टीपी (जीआईसी पूल) Motor TP (GIC Pool) | (₹ in '000') |
|--|---------------|-------------------------|--------------------|----------------------|--|--|--|--------------|
| एजेंट Agents | 549550 | 220075 | 7685 | 1068197 | 17365 | 0 | 0 | 100707 |
| ब्रोकर Brokers | 180993 | 99150 | 21473 | 78972 | 0 | 0 | 0 | 100921 |
| निगमित एजेंसी Corporate Agency | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| प्रेषण व्यवस्थाएं Referral arrangements | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| अन्य, यदि कोई हो Others, if any | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| कुल रूपएं Total Rs. | 730543 | 319225 | 29158 | 1147169 | 17365 | 0 | 0 | 201628 |

दि ओरिएण्टल इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड
31.03.2015 को समाप्त वर्ष के लिए एजेंटों के कमीशन और ब्रोकरेज की अनुसूची
(केवल सकल)

THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED
SCHEDULE OF AGENTS COMMISSION AND BROKERAGE FOR THE YEAR ENDED 31.03.2015
(GROSS ONLY)

| विवरण PARTICULARS | विमानन Aviation | कामगार क्षतिपूर्ति W.C. | देनदारी Liability | देनदारी Health | स्वास्थ्य P.A. | अन्य विविध Other Misc. | कुल TOTAL |
|--|--------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|----------------|
| एजेंट Agents | 478 | 82092 | 45969 | 1065531 | 112421 | 437414 | 3707484 |
| ब्रोकर Brokers | 8498 | 5939 | 24997 | 324515 | 26834 | 97573 | 969865 |
| निगमित एजेंसी Corporate Agency | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| प्रेषण व्यवस्थाएं Referral arrangements | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| अन्य, यदि कोई हो Others, if any | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| कुल रूपएं Total Rs. | 8976 | 88031 | 70966 | 1390046 | 139255 | 534987 | 4677349 |

टिप्पणी: कुल योग टीबी के भाग क (खाता संख्या 1201ए1204ए1205 दक 1206दक अनुसार संबंधित आंकाओं के मेल खाने चाहिए।
Note: The totals should agree with the corresponding figures as per Part A of TB (a/c nos. 1201,1204,1205 and 1206)





अनुसूची 31

दि ओरिएण्टल इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड

31.03.2014 को समाप्त वर्ष के लिए एजेंटों के कमीशन और ब्रोकरेज की अनुसूची

;केवल सकलरू

SCHEDULE 3A

THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED

SCHEDULE OF AGENTS COMMISSION AND BROKERAGE FOR THE YEAR ENDED 31.03.2014

(GROSS ONLY)

| विवरण PARTICULARS | अग्नि Fire | सरीन कार्गो M. Cargo | सरीन हल M. Hull | मोटर ओडी Motor OD | मोटर टीपी (डी. आर. पूल को छोड़कर) Motor TP (Excl D.R. Pool) | मोटर टीपी (डी. आर. पूल) Motor TP(D.R. Pool) | अभियांत्रिकी Engineering Engineering |
|--|---------------|-------------------------|--------------------|----------------------|---|--|--|
| एजेंट Agents | 479981 | 233633 | 8184 | 1042168 | 26500 | 0 | 120498 |
| ब्रोकर Brokers | 186177 | 127305 | 19815 | 76356 | 0 | 0 | 111593 |
| निगमित एजेंसी Corporate Agency | 95867 | 410 | 1099 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| प्रेषण व्यवस्थाएँ Referral arrangements | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| अन्य, यदि कोई हो Others, if any | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| कुल रूपए Total Rs. | 762025 | 361348 | 29098 | 1118524 | 26500 | 0 | 232091 |

(₹ in '000')

दि ओरिएण्टल इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड
31.03.2014 को समाप्त वर्ष के लिए एजेंटों के कमीशन और ब्रोकरेज की अनुसूची
,केवल सकल

THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED
SCHEDULE OF AGENTS COMMISSION AND BROKERAGE FOR THE YEAR ENDED 31.03.2014
(GROSS ONLY)

(₹ in '000')

| विवरण PARTICULARS | विमानन Aviation | कामगार क्षतिपूर्ति W.C. | देनदारी Liability | देनदारी Health | स्वास्थ्य P.A. | अन्य विविध Other Misc. | कुल TOTAL |
|--|--------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|----------------|
| एजेंट Agents | 510 | 77640 | 40332 | 871410 | 106582 | 327002 | 3334440 |
| ब्रोकर Brokers | 6467 | 5290 | 18861 | 269166 | 18332 | 91110 | 930472 |
| निगमित एजेंसी Corporate Agency | 0 | 0 | 0 | 74955 | 0 | 104315 | 276646 |
| प्रेषण व्यवस्थाएं Referral arrangements | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| अन्य, यदि कोई हो Others, if any | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| कुल रूपएं Total Rs. | 6977 | 82930 | 59193 | 1215531 | 124914 | 522427 | 4541558 |





अनुसूची 3।
दि ओरिएण्टल इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड
31०3२०13 को समाप्त वर्ष के लिए एजेंटों के कमीशन और ब्रोकरेज की अनुसूची
(केवल सकल)

SCHEDULE 3A
THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED
SCHEDULE OF AGENTS COMMISSION AND BROKERAGE FOR THE YEAR ENDED 31.03.2013
(GROSS ONLY)

| विवरण PARTICULARS | अग्नि Fire | मरीन कार्गो M. Cargo | मरीन हल M. Hull | मोटर ओडी Motor OD | मोटर टीपी (डी. आर. पूल को छोड़कर) Motor TP (Excl D.R. Pool) | मोटर टीपी (डी. आर. पूल) Motor TP(D.R. Pool) | अभियांत्रिकी Engineering Engineering |
|--|---------------|-------------------------|--------------------|----------------------|---|--|--|
| एजेंट Agents | 480552 | 226391 | 8469 | 1189288 | 37741 | 0 | 122836 |
| ब्रोकर Brokers | 144123 | 116671 | 17065 | 48584 | 0 | 0 | 113895 |
| निगमित एजेंसी Corporate Agency | 16651 | 347 | 152 | 1360 | 0 | 0 | 566 |
| प्रेषण व्यवस्थाएं Referral arrangements | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| अन्य, यदि कोई हो Others, if any | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| कुल रूपएं Total Rs. | 641326 | 343409 | 25686 | 1239232 | 37741 | 0 | 237297 |

दि ओरिएण्टल इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड
31.03.2013 को समाप्त वर्ष के लिए एजेंटों के कमीशन और ब्रोकरेज की अनुसूची
(केवल सकल)

THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED
SCHEDULE OF AGENTS COMMISSION AND BROKERAGE FOR THE YEAR ENDED 31.03.2013
(GROSS ONLY)

| विवरण PARTICULARS | विमानन Aviation | कामगार क्षतिपूर्ति W.C. | दैनदारी Liability | दैनदारी Health | स्वास्थ्य P.A. | अन्य विविध Other Misc. | कुल TOTAL |
|--|--------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------------|----------------|
| एजेंट Agents | 579 | 72875 | 34800 | 825479 | 97291 | 390770 | 3487071 |
| ब्रोकर Brokers | 5802 | 6178 | 18771 | 213922 | 23432 | 91842 | 800285 |
| निगमित एजेंसी Corporate Agency | 0 | 2 | 27 | 14930 | 470 | 14741 | 49246 |
| प्रेषण व्यवस्थाएं Referral arrangements | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| अन्य, यदि कोई हो Others, if any | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| कुल रूपएं Total Rs. | 6381 | 79055 | 53598 | 1054331 | 121193 | 497353 | 4336602 |

(₹ in '000')





अनुसूची . 4

31.03.2015 को समाप्त वर्ष के लिए बीमा करोबार से संबंधित प्रचालनिक खर्च

SCHEDULE - 4

OPERATING EXPENSES RELATED TO INSURANCE BUSINESS FOR THE YEAR ENDED 31.03.2015

(₹ in '000')

| Particulars | वर्ष समाप्ति 31.03.2015 YEAR ENDED 31.03.2015 | | वर्ष समाप्ति 31.03.2014 YEAR ENDED 31.03.2014 | |
|--|--|----------------|--|----------------|
| | राशि AMOUNT | राशि AMOUNT | राशि AMOUNT | राशि AMOUNT |
| कर्मचारी पारिश्रमिक और कल्याण लाभ Employees remuneration & Welfare Benefits | | 19261243 | | 13972919 |
| यात्रा, परिवहन और वाहन परिचालन खर्च Travel, Conveyance and Vehicle Running Expenses | | 383448 | | 426516 |
| प्रशिक्षण Training | | 50883 | | 53819 |
| किराया, दरें और कर Rent, Rates & Taxes | | 637807 | | 630569 |
| मरम्मत Repairs | | 119625 | | 115017 |
| मुद्रण और लेखन सामग्री Printing & Stationery | | 176251 | | 190875 |
| संचार Communication | | 159902 | | 183951 |
| विधिक और व्यावसायिक खर्च Legal & Professional Expenses | | 55685 | | 76181 |
| लेखापरीक्षक शुल्क, खर्चे आदि Auditors' fees, expenses etc. | | | | |
| (क) लेखा परीक्षक के रूप में (a) as auditor | | 38440 | | 35694 |
| (क) सलाहकर के रूप में या किसी अन्य क्षमता में, निम्न के संबंध में (b) as adviser or in any other capacity, in respect of | | | | |
| i) कराधान मामले i) taxation matters | | 0 | | 0 |
| ii) बीमा मामले ii) insurance matters | | 119 | | 174 |
| iii) प्रबंधन सेवाएं iii) management services | | 159 | | 27 |
| (ग) किसी अन्य क्षमता में (c) in any other capacity | | 466 | | 78 |
| विज्ञापन और प्रचार Advertisement & Publicity | | 123885 | | 68229 |
| ब्याज और बैंक प्रभार Interest & Bank Charges | | 17882 | | 16226 |
| अन्य Others | | | | |



| Particulars | वर्ष समाप्ति 31.03.2015 YEAR ENDED 31.03.2015 | | वर्ष समाप्ति 31.03.2014 YEAR ENDED 31.03.2014 | |
|---|--|----------------|--|-----------------|
| | राशि AMOUNT | राशि AMOUNT | राशि AMOUNT | राशि AMOUNT |
| क) विद्युत प्रभार a) Electricity Charges | 135387 | | 129411 | |
| ख) बीमा और कम्पनी अधिनियम आदि के अधीन शुल्क b) Fee under Insurance & Company Act etc. | 51863 | | 90305 | |
| क) एलपीए अभिदान c) LPA Subscription | 0 | | 0 | |
| घ) पॉलिसी स्टाम्प खर्च d) Policy Stamps Expenses | 32105 | | 30538 | |
| ङ) अन्य e) Others | 702719 | 922073 | 573133 | 823386 |
| मूल्य ह्रास Depreciation | | 187309 | | 287581 |
| सेवा कर खाता # Service Tax A/c # | | 88493 | | 101507 |
| आउटसोर्सिंग/अवसंरचना खर्च Outsourcing/Infrastructure Expenses | | 1256095 | | 771561 |
| बीमा कारोबार से संबंधित कुल प्रचालनिक खर्च TOTAL OPERATING EXPENSES RELATING TO INSURANCE BUSINESS | | 23479765 | 823386 | 17754310 |

#आईआरडीएआई के दिनांक 05/10/2012 के मास्टर परिपत्र संख्या आईआरडीएआई/एफएंडआई/सीआईआर/एफएंडए/231/10/2012 के अनुसार एक नई पंक्ति सृजित की गई है।

A new line item created as per IRDAI Master Circular No. IRDAI/F&I/CIR/F&A/231/10/2012 dt. 05/10/2012



अनुसूची -5
31.03.2015 को शेयर पूंजी
SCHEDULE - 5
SHARE CAPITAL AS AT 31.03.2015

(₹ in '000')

| Sl.No. | Particulars | 31.03.2015 को As at 31.03.2015 | 31.03.2014 को As at 31.03.2014 |
|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | प्राधिकृत पूंजी Authorised Capital | | |
| | रु. 10 प्रत्येक के 20,00,00,000 इक्विटी शेयर 20,00,00,000 Equity Shares of Rs 10 each | 2000000 | 2000000 |
| 2 | जारी पूंजी Issued Capital | | |
| | रु. 10 प्रत्येक के 20,00,00,000 इक्विटी शेयर 20,00,00,000 Equity Shares of Rs 10 each | 2000000 | 1500000 |
| 3 | अभिदत्त पूंजी Subscribed Capital | | |
| | रु. 10 प्रत्येक के 20,00,00,000 इक्विटी शेयर 20,00,00,000 Equity Shares of Rs 10 each | 2000000 | 1500000 |
| 4 | ब्ससमक दक च्यक.नच ब्यपजंस Called and Paid-up Capital | | |
| | रु. 10 प्रत्येक के 20,00,00,000 इक्विटी शेयर 20,00,00,000 Equity Shares of Rs 10 each | 2000000 | 1500000 |
| 5 | घटाएं: अदत्त मांगें Less: Calls Unpaid | 0 | 0 |
| | जोड़ें: जब्त इक्विटी शेयर (मूल रूप से प्रदत्त राशि) Add: Equity Shares Forfeited (Amount Originally Paid up) | 0 | 0 |
| | घटाएं: प्रारंभिक व्यय Less: Preliminary Expenses | 0 | 0 |
| | जोखिम अंकन या शेयरों के अंशदान पर कमीशन या ब्रोकरेज Expenses including commision or brokerage on underwriting or subscription of shares | | |
| | कुल Total | 2000000 | 1500000 |
| <p>टिप्पणी: वित्त वर्ष 2014-15 की दूसरी तिमाही के दौरान रु. 10 प्रत्येक 5,00,00,000 बोनस शेयर जिनका कुल योग रु. 50 करोड़ है, सामान्य आरक्षित खाते में नामे डालकर शेयरधारक (भारत सरकार) को जारी किए गए हैं। Note: During the second quarter of FY 2014-15, 5,00,00,000 bonus shares of Rs.10 each, aggregating Rs.50 crores, have been issued to the shareholder (Govt. of India) by debiting General Reserve Account.</p> | | | |



अनुसूची -5ए
31.03.2015 को शेयरधारिता का स्वरूप
(धन द्वारा यथा प्रमाणित)
SCHEDULE - 5A
PATTERN OF SHAREHOLDING AS AT 31.03.2015
 [As certified by the Management]

(₹ in '000')

| शेयरधारक Shareholder | 31.03.2015 को As at 31.03.2015 | | 31.03.2014 को As at 31.03.2014 | |
|-------------------------|-----------------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|
| | Number of Shares | % of Holding | Number of Shares | % of Holding |
| प्रमोटर Promoters | | | | |
| भारतीय Indian | 200000000 | 100% | 150000000 | 100% |
| विदेशी Foreign | 0 | 0 | 0 | 0 |
| अन्य Others | 0 | 0 | 0 | 0 |
| कुल Total | 200000000 | 100% | 150000000 | 100% |

टिप्पणी: वित्त वर्ष 2014-15 की दूसरी तिमाही के दौरान रु. 10 प्रत्येक 5,00,00,000 बोनस शेयर जिनका कुल योग रु. 50 करोड़ है, सामान्य आरक्षित खाते में नामे डालकर शेयरधारक (भारत सरकार) को जारी किए गए हैं।

Note: During the second quarter of FY 2014-15, 5,00,00,000 bonus shares of Rs.10 each, aggregating Rs.50 crores, have been issued to the shareholder (Govt. of India) by debiting General Reserve Account.



अनुसूची-6: 31.03.2015 को आरक्षितियों और अधिहोष
SCHEDULE - 6: RESERVES AND SURPLUS AS AT 31.03.2015

(₹ in '000')

| क्र. सं. Sl.No. | विवरण Particulars | 31.03.2015 को As at 31.03.2015 | 31.03.2014 को As at 31.03.2014 |
|--------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | पूंजी आरक्षित Capital Reserve | 2565 | 2565 |
| 2 | पूंजी शोधन आरक्षित Capital Redemption Reserve | | |
| 3 | शेयर पूंजी Share Premium | | |
| 4 | सामान्य आरक्षित General Reserves | 29815782 | 27714802 |
| | घटाएं: लाभ हानि खाते में नामे होष Less: Debit Balance in Profit & Loss Account | | |
| | घटाएं: पुनः क्रय के लिए प्रयुक्त राशि Less: Amount Utilised for Buy-Back | | |
| | आपदा आरक्षित Catastrophe Reserve | | |
| 5 | असमाप्त जोखिमों के लिए आकस्मिक आरक्षित Contingency Reserve for Unexpired Risks | 0 | 0 |
| 6 | लाभ हानि खाते में लाभ का शेष Balance of Profit in Profit & Loss Account | 0 | 0 |
| 7 | कुल Total | 29818347 | 27717367 |

अनुसूची-7: 31.03.2015 को उधार
SCHEDULE - 7: BORROWINGS AS AT 31.03.2015

(₹ in '000')

| क्र. सं. Sl.No. | विवरण Particulars | 31.03.2015 को As at 31.03.2015 | 31.03.2014 को As at 31.03.2014 |
|--------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | डिबेंचर / बंधपत्र Debentures / Bonds | 0 | 0 |
| 2 | बैंक Banks | 0 | 0 |
| 3 | वित्तीय संस्थाएं Financial Institutions | 0 | 0 |
| 4 | अन्य (विनिर्दिष्ट किया जाना है) Others (to be specified) | 0 | 0 |
| | कुल Total | 0 | 0 |



अनुसूची-8
31.03.2015 को निवेश
SCHEDULE - 8
INVESTMENTS AS AT 31.03.2015

(₹ in '000')

| क्र. सं. Sl.No. | विवरण Particulars | 31.03.2015 को As at 31.03.2015 | 31.03.2014 को As at 31.03.2014 |
|--------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | दीर्घावधिक निवेश Long Term Investments | | |
| 1 | सरकारी प्रतिभूतियां और सरकार द्वारा गारंटीकृत बांड जिसमें राजकोष बिल भी शामिल हैं Government Securities and Government Guaranteed Bonds including Treasury Bills | 42462962 | 39214858 |
| 2 | अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां Other Approved Securities | | |
| | क) बांड/डिबेंचर जहां ब्याज केंद्रीय/राज्य सरकारों द्वारा गारंटीकृत है a) Bonds/Debentures where interest is guaranteed by Central/State Govt. | 17951 | 233885 |
| | ख) भारत सरकार के पास विशेष जमा राशियां b) Special Deposits with Government of India. | 0 | 0 |
| 3 | अन्य निवेश Other Investments | | |
| | क) शेयर a) Shares | | |
| | (कक) इक्विटी (aa) Equity | 102912793 | 95232858 |
| | (खख) अधिमान्य शेयर (bb) Preference shares | 74820 | 69323 |
| | ख) म्युचुअल फंड b) Mutual Funds | 0 | 0 |
| | ग) व्युत्पन्न निवेश c) Derivative Instruments | 0 | 0 |
| | घ) डिबेंचर/बांड d) Debentures / Bonds | 22895867 | 17375456 |
| | ङ) अन्य प्रतिभूतियां e) Other Securities | 0 | 0 |
| | च) अनुषंगी कम्पनियां f) Subsidiaries | 0 | 0 |
| | छ) निवेश सम्पत्तियां – रीयल एस्टेट g) Investment Properties - Real Estate | 0 | 0 |



| क्र. सं. Sl.No. | विवरण Particulars | 31.03.2015 को As at 31.03.2015 | 31.03.2014 को As at 31.03.2014 |
|--------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 4 | अवसंरचना और सामाजिक क्षेत्र में निवेश Investment in Infrastructure & Social Sector | | |
| | क) बांड / डिबेंचर जहां ब्याज गारंटीकृत है a) Bonds/Debentures where interest is guaranteed | 0 | 0 |
| | ख) बांड / डिबेंचर (अन्य) b) Debentures / Bonds(others) | 13172198 | 12760143 |
| | ग) इक्विटी c) Equity | 14130483 | 11252584 |
| 5 | अनुमोदित निवेशों के अतिरिक्त Other than Approved Investments | | |
| | क) डिबेंचर a) Debentures | 474869 | 758188 |
| | ख) बांड / डिबेंचर जहां ब्याज गारंटीकृत है b) Bonds/Debentures where interest is guaranteed | 0 | 3980 |
| | ग) इक्विटी c) Equity | 2069601 | 981263 |
| | घ) अधिमान्य शेयर d) Preference Shares | 23769 | 38353 |
| | ङ) म्युचुअल फंड e) Mutual Funds | 0 | 0 |
| | च) अनुषंगी कम्पनियां f) Subsidiaries | 500 | 500 |
| | छ) उद्यम पूंजी निधि g) Venture Capital Fund | 675857 | 669514 |
| | अल्पाधिक निवेश Short Term Investments | | |
| 1 | सरकारी प्रतिभूतियां और सरकार द्वारा गारंटीकृत बांड जिनमें राजकोष बिल भी शामिल हैं Government Securities and Government Guaranteed Bonds including Treasury Bills | 2124101 | 1796167 |
| 2 | अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां Other Approved Securities | | |
| | क) बांड / डिबेंचर जहां ब्याज गारंटीकृत है a) Bonds/Debentures where interest is guaranteed | 19914 | 0 |
| | ख) भारत सरकार के पास विशेष जमा राशियां b) Special Deposits with Government of India. | 0 | 0 |
| 3 | अन्य निवेश Other Investments | | |
| | क) शेयर a) Shares | | |



| क्र. सं. Sl.No. | विवरण Particulars | 31.03.2015 को As at 31.03.2015 | 31.03.2014 को As at 31.03.2014 |
|--------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | (कक) इक्विटी (aa) Equity | 0 | 0 |
| | (खख) अधिमान्य शेयर (bb) Preference shares | 0 | 0 |
| | ख) म्युचुअल फंड b) Mutual Funds | 787135 | 1360192 |
| | ग) व्युत्पन्न निवेश c) Derivative Instruments | 0 | 0 |
| | घ) डिबेंचर / बांड d) Debentures / Bonds | 2398206 | 5207117 |
| | ङ) अन्य प्रतिभूतियां e) Other Securities | 0 | 0 |
| | च) अनुषंगी कम्पनियां f) Subsidiaries | 0 | 0 |
| | छ) निवेश सम्पत्तियां – रीयल एस्टेट g) Investment Properties - Real Estate | 0 | 0 |
| 4 | अवसंरचना और सामाजिक क्षेत्र में निवेश Investment in Infrastructure & Social Sector | | |
| | क) बांड / डिबेंचर जहां ब्याज गारंटीकृत है a) Bonds/Debentures where interest is guaranteed | 0 | 0 |
| | ख) बांड / डिबेंचर (अन्य) b) Debentures / Bonds(others) | 2187590 | 615733 |
| 5 | अनुमोदित निवेशों के अतिरिक्त Other than Approved Investments | | |
| | क) डिबेंचर a) Debentures | 165000 | 100000 |
| | ख) बांड / डिबेंचर जहां ब्याज गारंटीकृत है b) Bonds/Debentures where interest is guaranteed | 0 | 0 |
| | ग) इक्विटी c) Equity | 0 | 0 |
| | घ) अधिमान्य शेयर d) Preference Shares | 626 | 514 |
| | ङ) म्युचुअल फंड e) Mutual Funds | 0 | 0 |
| | च) अनुषंगी कम्पनियां f) Subsidiaries | 0 | 0 |
| | छ) उद्यम पूंजी निधि g) Venture Capital Fund | 0 | 0 |



| क्र. सं. Sl.No. | विवरण Particulars | 31.03.2015 को As at 31.03.2015 | 31.03.2014 को As at 31.03.2014 |
|--------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | अल्पाधिक निवेश Short Term Investments | 206594242 | 187670628 |
| | निवेश Investments | | |
| 1 | भारत में In India | 206461085 | 187537470 |
| 2 | भारत से बाहर Outside India | 133157 | 133158 |
| | कुल Total | 206594242 | 187670628 |

अनुसूची-8क
निवेश - 31.03.2015 को पॉलिसीधारकों के निवेश
SCHEDULE - 8A
INVESTMENTS - POLICYHOLDERS
INVESTMENTS AS AT 31.03.2015

(₹ in '000')

| क्र. सं. Sl.No. | विवरण Particulars | 31.03.2015 को As at 31.03.2015 | 31.03.2014 को As at 31.03.2014 |
|--------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | दीर्घावधिक निवेश Long Term Investments | | |
| 1 | सरकारी प्रतिभूतियां और सरकार द्वारा गारंटीकृत बांड जिसमें राजकोष बिल भी शामिल हैं Government Securities and Government Guaranteed Bonds including Treasury Bills | 33087140 | 30642490 |
| 2 | अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां Other Approved Securities | | |
| | क) बांड/डिबेंचर जहां ब्याज केंद्रीय/राज्य सरकारों द्वारा गारंटीकृत है a) Bonds/Debentures where interest is guaranteed by Central/State Govt. | 13987 | 182758 |
| | ख) भारत सरकार के पास विशेष जमा राशियां b) Special Deposits with Government of India. | 0 | 0 |
| 3 | अन्य निवेश Other Investments | | |
| | क) शेयर a) Shares | | |
| | (कक) इक्विटी (aa) Equity | 80189648 | 74414955 |
| | (खख) अधिमान्य शेयर (bb) Preference shares | 58300 | 54169 |



| क्र. सं. Sl.No. | विवरण Particulars | 31.03.2015 को As at 31.03.2015 | 31.03.2014 को As at 31.03.2014 |
|--------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | ख) म्युचुअल फंड b) Mutual Funds | 0 | 0 |
| | ग) व्युत्पन्न निवेश c) Derivative Instruments | 0 | 0 |
| | घ) डिबेंचर/बांड d) Debentures / Bonds | 17840460 | 13577181 |
| | ङ) अन्य प्रतिभूतियां e) Other Securities | 0 | 0 |
| | च) अनुषंगी कम्पनियां f) Subsidiaries | 0 | 0 |
| | छ) निवेश सम्पत्तियां – रीयल एस्टेट g) Investment Properties - Real Estate | 0 | 0 |
| 4 | अवसंरचना और सामाजिक क्षेत्र में निवेश Investment in Infrastructure & Social Sector | | |
| | क) बांड/डिबेंचर जहां ब्याज गारंटीकृत है a) Bonds/Debentures where interest is guaranteed | 0 | 0 |
| | ख) बांड/डिबेंचर (अन्य) b) Debentures / Bonds(others) | 10263777 | 9970776 |
| | ग) इक्विटी c) Equity | 11010472 | 8792769 |
| 5 | अनुमोदित निवेशों के अतिरिक्त Other than Approved Investments | | |
| | क) डिबेंचर a) Debentures | 370018 | 592448 |
| | ख) बांड/डिबेंचर जहां ब्याज गारंटीकृत है b) Bonds/Debentures where interest is guaranteed | 0 | 3110 |
| | ग) इक्विटी c) Equity | 1612633 | 766759 |
| | घ) अधिमान्य शेयर d) Preference Shares | 18521 | 29969 |
| | ङ) म्युचुअल फंड e) Mutual Funds | 0 | 0 |
| | च) अनुषंगी कम्पनियां f) Subsidiaries | 390 | 391 |
| | छ) उद्यम पूंजी निधि g) Venture Capital Fund | 526628 | 523158 |



| क्र. सं. Sl.No. | विवरण Particulars | 31.03.2015 को As at 31.03.2015 | 31.03.2014 को As at 31.03.2014 |
|--------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | अल्पाधिक निवेश Short Term Investments | | |
| 1 | सरकारी प्रतिभूतियां और सरकार द्वारा गारंटीकृत बांड जिनमें राजकोष बिल भी शामिल हैं Government Securities and Government Guaranteed Bonds including Treasury Bills | 1655099 | 1403525 |
| 2 | अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां Other Approved Securities | | |
| | क) बांड / डिबेंचर जहां ब्याज गारंटीकृत है a) Bonds/Debentures where interest is guaranteed | 15517 | 0 |
| | ख) भारत सरकार के पास विशेष जमा राशियां b) Special Deposits with Government of India. | 0 | 0 |
| 3 | अन्य निवेश Other Investments | | |
| | क) शेयर a) Shares | | |
| | (कक) इक्विटी (aa) Equity | 0 | 0 |
| | (खख) अधिमान्य शेयर (bb) Preference shares | 0 | 0 |
| | ख) म्युचुअल फंड b) Mutual Funds | 613336 | 1062854 |
| | ग) व्युत्पन्न निवेश c) Derivative Instruments | 0 | 0 |
| | घ) डिबेंचर / बांड d) Debentures / Bonds | 1868682 | 4068841 |
| | ङ) अन्य प्रतिभूतियां e) Other Securities | 0 | 0 |
| | च) अनुषंगी कम्पनियां f) Subsidiaries | 0 | 0 |
| | छ) निवेश सम्पत्तियां – रीयल एस्टेट g) Investment Properties - Real Estate | | 0 |
| 4 | अवसंरचना और सामाजिक क्षेत्र में निवेश Investment in Infrastructure & Social Sector | | |
| | क) बांड / डिबेंचर जहां ब्याज गारंटीकृत है a) Bonds/Debentures where interest is guaranteed | 0 | 0 |
| | ख) बांड / डिबेंचर (अन्य) b) Debentures / Bonds(others) | 1704570 | 481134 |
| 5 | अनुमोदित निवेशों के अतिरिक्त Other than Approved Investments | | |



| क्र. सं. Sl.No. | विवरण Particulars | 31.03.2015 को As at 31.03.2015 | 31.03.2014 को As at 31.03.2014 |
|--------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | क) डिबेंचर a) Debentures | 128568 | 78140 |
| | ख) बांड / डिबेंचर जहां ब्याज गारंटीकृत है b) Bonds/Debentures where interest is guaranteed | 0 | 0 |
| | ग) इक्विटी c) Equity | 0 | 0 |
| | घ) अधिमान्य शेयर d) Preference Shares | 488 | 402 |
| | ङ) म्युचुअल फंड e) Mutual Funds | 0 | 0 |
| | च) अनुषंगी कम्पनियां f) Subsidiaries | 0 | 0 |
| | छ) उद्यम पूंजी निधि g) Venture Capital Fund | 0 | 0 |
| | कुल निवेश Total Investments | 160978233 | 146645829 |
| | निवेश Investments | | |
| 1 | भारत में In India | 160874477 | 146541779 |
| 2 | भारत से बाहर Outside India | 103756 | 104050 |
| | कुल Total | 160978233 | 146645829 |

टिप्पणियां:

- सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों/म्युचुअलफंडों के अतिरिक्त कम्पनी के निवेश की कुलराशि रु. 680245.55/- लाख है और तत्संबंधी बाजार मूल्य रु. 676461.05/- लाख है।
- डिबेंचरों में निवेश के सापेक्ष रु. 1260.99/- लाख के प्रावधान को अनुसूची 14 में अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान के तहत समूहबद्ध किया गया है।
- डिबेंचरों में निवेश के सापेक्ष रु. 1281.61/- लाख के प्रावधान को अनुसूची 14 में मानक परिसम्पत्तियों के लिए प्रावधान के तहत समूहबद्ध किया गया है।
- गारंटीकृत ब्याज वाले डिबेंचरों में निवेश के सापेक्ष रु. शून्य लाख के प्रावधान को अनुसूची 14 में अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान के तहत समूहबद्ध किया गया है।

Notes:

- Aggregate amount of company's Investments other than listed Equity Shares/Mutual Funds is Rs 680245.55/- lacs and Market Value thereof is Rs 676461.05/- lacs.
- Provision of Rs.1260.99/- lacs against Investment in debenture is grouped under Provision for Bad & Doubtful Debts in Schedule 14.
- Provision of Rs 1281.61/- lacs against Investment in debenture is grouped under Provisions on Standard Assets in Schedule 14.
- Provision of Rs. nil/- lacs against Investment in debenture/bond where intt is guaranteed is grouped under Provision for Bad & Doubtful Debts in Schedule 14.
- Provision of Rs. 0.69/- lacs against Investment in debenture/bond where intt is guaranteed



- v गारंटीकृत ब्याज वाले डिबेंचरों में निवेश के सापेक्ष रु. 0.69/- लाख के प्रावधानको अनुसूची 14 में मानक परिसम्पत्तियों के लिए प्रावधान के तहत समूहबद्ध किया गया है।
- vi इक्विटी में निवेश के सापेक्ष रु. 476.56/- लाख के प्रावधान को अनुसूची 14 में शेयरों के मूल्यह्रास के लिए प्रावधान के तहत समूहबद्ध किया गया है।
- vii उद्यम पूंजी में निवेश के सापेक्ष रु. 699.54/- लाख के प्रावधान को अनुसूची 14 में शेयरों के मूल्यह्रास के लिए प्रावधान के तहत समूहबद्ध किया गया है।
- viii अनषंगी कम्पनियों में निवेश के सापेक्ष रु. 3.90/- लाख के प्रावधानको अनुसूची 14 में शेयरों के मूल्यह्रास के लिए प्रावधान के तहत समूहबद्ध किया गया है।
- ix अधिमान्य शेयरों में निवेश के सापेक्ष रु. 61.23/- लाख के प्रावधान को अनुसूची 14 में शेयरों के मूल्यह्रास के लिए प्रावधान के तहत समूहबद्ध किया गया है।
- x अपनी सहयोगी कम्पनियों नामतः इंडिया इंटरनेशनल इंश्योरेंस पीटीई लिमिटेड और हैल्थ इंश्योरेंस टीपीए ऑफ इंडिया में कम्पनीका निवेश क्रमशः रु. 304.74 लाख और रु. 370.12 लाख है और इसे दीर्घावधिक निवेश इक्विटी शेयरों के तहत समूहबद्ध किया गया है।
- grouped under Provision on Standard Assets in Schedule 14.
- vi Provision of Rs.476.56/- lacs against investment in equity is grouped under Provision for Diminution in value of shares in Schedule 14.
- vii Provision of Rs 699.54/- lacs against investment in Venture Capital is grouped under Provisions for Diminution in value of shares in Schedule 14.
- viii Provision of Rs.3.90/- lacs against investment in subsidiaries is grouped under Provisions for Diminution in value of shares in Schedule 14.
- ix Provision of Rs.61.23/- lacs against investment in Pref. Shares is grouped under Provisions for Diminution in value of shares in Schedule 14.
- x Amount of company's Investment in Associate viz India International Insurance PTE Ltd is 304.74 lacs and Health Insurance TPA of india is 370.12 lacs and is grouped under Long Term Investments Shares - Equity



अनुसूची-8क
निवेश - 31.03.2015 को पॉलिसीधारकों के निवेश
SCHEDULE - 8B INVESTMENTS - SHAREHOLDERS
INVESTMENTS AS AT 31.03.2015

| क्र. सं. Sl.No. | विवरण Particulars | 31.03.2015 को As at 31.03.2015 (Rs. '000) | 31.03.2014 को As at 31.03.2014 (Rs. '000) |
|--------------------|--|--|--|
| | दीर्घवधिक निवेश Long Term Investments | | |
| 1 | सरकारी प्रतिभूतियां और सरकार द्वारा गारंटीकृत बांड जिसमें राजकोष बिल भी शामिल हैं Government Securities and Government Guaranteed Bonds including Treasury Bills | 9375822 | 8572368 |
| 2 | अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां Other Approved Securities | | |
| | क) बांड / डिबेंचर जहां ब्याज केंद्रीय / राज्य सरकारों द्वारा गारंटीकृत है a) Bonds/Debentures where interest is guaranteed by Central/State Govt. | 3964 | 51127 |
| | ख) भारत सरकार के पास विशेष जमा राशियां b) Special Deposits with Government of India. | 0 | 0 |
| 3 | अन्य निवेश Other Investments | | |
| | क) शेयर a) Shares | | |
| | (कक) इक्विटी (aa) Equity | 22723145 | 20817903 |
| | (खख) अधिमान्य शेयर (bb) Preference shares | 16520 | 15154 |
| | ख) म्युचुअल फंड b) Mutual Funds | 0 | 0 |
| | ग) व्युत्पन्न निवेश c) Derivative Instruments | 0 | 0 |
| | घ) डिबेंचर / बांड d) Debentures / Bonds | 5055407 | 3798275 |
| | ड) अन्य प्रतिभूतियां e) Other Securities | 0 | 0 |
| | च) अनुषंगी कम्पनियां f) Subsidiaries | 0 | 0 |
| | छ) निवेश सम्पत्तियां - रीयल एस्टेट g) Investment Properties - Real Estate | 0 | 0 |
| 4 | अवसंरचना और सामाजिक क्षेत्र में निवेश Investment in Infrastructure & Social Sector | | |
| | क) बांड / डिबेंचर जहां ब्याज गारंटीकृत है a) Bonds/Debentures where interest is guaranteed | 0 | 0 |



| क्र. सं. Sl.No. | विवरण Particulars | 31.03.2015 को As at 31.03.2015 | 31.03.2014 को As at 31.03.2014 |
|--------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | ख) बांड / डिबेंचर (अन्य) b) Debentures / Bonds(others) | 2908421 | 2789367 |
| | ग) इक्विटी c) Equity | 3120011 | 2459815 |
| 5 | अनुमोदित निवेशों के अतिरिक्त Other than Approved Investments | | |
| | क) डिबेंचर a) Debentures | 104851 | 165740 |
| | ख) बांड / डिबेंचर जहां ब्याज गारंटीकृत है b) Bonds/Debentures where interest is guaranteed | 0 | 870 |
| | ग) इक्विटी c) Equity | 456968 | 214504 |
| | घ) अधिमान्य शेयर d) Preference Shares | 5248 | 8384 |
| | ङ) म्युचुअल फंड e) Mutual Funds | 0 | 0 |
| | च) अनुषंगी कम्पनियां f) Subsidiaries | 110 | 109 |
| | छ) उद्यम पूंजी निधि g) Venture Capital Fund | 149229 | 146356 |
| | अल्पाधिक निवेश Short Term Investments | | |
| 1 | सरकारी प्रतिभूतियां और सरकार द्वारा गारंटीकृत बांड जिसमें राजकोष बिल भी शामिल हैं Government Securities and Government Guaranteed Bonds including Treasury Bills | 469002 | 392642 |
| 2 | अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां Other Approved Securities | | |
| | क) बांड / डिबेंचर जहां ब्याज केंद्रीय / राज्य सरकारों द्वारा गारंटीकृत है a) Bonds/Debentures where interest is guaranteed by Central/State Govt. | 4397 | 0 |
| | ख) भारत सरकार के पास विशेष जमा राशियां b) Special Deposits with Government of India. | 0 | 0 |
| 3 | अन्य निवेश Other Investments | | |
| | क) शेयर a) Shares | | |
| | (कक) इक्विटी (aa) Equity | 0 | 0 |
| | (खख) अधिमान्य शेयर (bb) Preference shares | 0 | 0 |



| क्र. सं. Sl.No. | विवरण Particulars | 31.03.2015 को As at 31.03.2015 | 31.03.2014 को As at 31.03.2014 |
|--------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | ख) म्युचुअल फंड b) Mutual Funds | 173799 | 297338 |
| | ग) व्युत्पन्न निवेश c) Derivative Instruments | 0 | 0 |
| | घ) डिबेंचर/ बांड d) Debentures / Bonds | 529524 | 1138276 |
| | ङ) अन्य प्रतिभूतियां e) Other Securities | 0 | 0 |
| | च) अनुषंगी कम्पनियां f) Subsidiaries | 0 | 0 |
| | छ) निवेश सम्पत्तियां दृ रीयल एस्टेट g) Investment Properties - Real Estate | | 0 |
| 4 | अवसंरचना और सामाजिक क्षेत्र में निवेश Investment in Infrastructure & Social Sector | | |
| | क) बांड/ डिबेंचर जहां ब्याज गारंटीकृत है a) Bonds/Debentures where interest is guaranteed | 0 | 0 |
| | ख) बांड/ डिबेंचर (अन्य) b) Debentures / Bonds(others) | 483020 | 134599 |
| 5 | अनुमोदित निवेशों के अतिरिक्त Other than Approved Investments | | |
| | क) डिबेंचर a) Debentures | 36432 | 21860 |
| | ख) बांड/ डिबेंचर जहां ब्याज गारंटीकृत है b) Bonds/Debentures where interest is guaranteed | 0 | 0 |
| | ग) इक्विटी c) Equity | 0 | 0 |
| | घ) अधिमान्य शेयर d) Preference Shares | 138 | 112 |
| | ङ) म्युचुअल फंड e) Mutual Funds | 0 | 0 |
| | च) अनुषंगी कम्पनियां f) Subsidiaries | 0 | 0 |
| | छ) उद्यम पूंजी निधि g) Venture Capital Fund | 0 | 0 |
| | कुल निवेश Total Investments | 45616009 | 41024799 |
| | निवेश Investments | | |
| 1 | भारत में In India | 45586608 | 40995691 |



| क्र. सं. Sl.No. | विवरण Particulars | 31.03.2015 को As at 31.03.2015 | 31.03.2014 को As at 31.03.2014 |
|--------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 2 | भारत से बाहर Outside India | 29401 | 29108 |
| | कुल Total | 45616009 | 41024799 |

टिप्पणियां:

- i सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों/म्युचुअल फंडों के अतिरिक्त कम्पनी के निवेश की कुल राशि रु. 192759.52/- लाख है और तत्संबंधी बाजार मूल्य रु. 191687.11/- लाख है।
- ii डिबेंचरों में निवेश के सापेक्ष रु. 357.32/- लाख के प्रावधान को अनुसूची 14 में अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान के तहत समूहबद्ध किया गया है।
- iii डिबेंचरों में निवेश के सापेक्ष रु. 363.17/- लाख के प्रावधान को अनुसूची 14 में मानक परिसम्पत्तियों के लिए प्रावधान के तहत समूहबद्ध किया गया है।
- iv गारंटीकृत ब्याज वाले डिबेंचरों में निवेश के सापेक्ष रु. शून्य लाख के प्रावधान को अनुसूची 14 में अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान के तहत समूहबद्ध किया गया है।
- v गारंटीकृत ब्याज वाले डिबेंचरों में निवेश के सापेक्ष रु. 0.19/- लाख के प्रावधान को अनुसूची 14 में मानक परिसम्पत्तियों के लिए प्रावधान के तहत समूहबद्ध किया गया है।
- vi इक्विटी में निवेश के सापेक्ष रु. 135.04/- लाख के प्रावधान को अनुसूची 14 में शेयरों के मूल्यहास के लिए प्रावधान के तहत समूहबद्ध किया गया है।
- vii उद्यम पूंजी में निवेश के सापेक्ष रु. 198.23/- लाख के प्रावधान को अनुसूची 14 में शेयरों के मूल्यहास के लिए प्रावधान के तहत समूहबद्ध किया गया है।
- viii अनुषंगी कम्पनियों में निवेश के सापेक्ष रु. 1.10/- लाख के प्रावधान को अनुसूची 14 में शेयरों के मूल्यहास के लिए प्रावधान के तहत समूहबद्ध किया गया है।
- ix अधिमान्य शेयरों में निवेश के सापेक्ष रु. 17.35/- लाख के प्रावधान को अनुसूची 14 में शेयरों के मूल्यहास के लिए प्रावधान के तहत समूहबद्ध किया गया है।
- x अपनी सहयोगी कम्पनियों नामतः इंडिया इंटरनेशनल इंश्योरेंस पीटीई लिमिटेड और हेल्थ इंश्योरेंस टीपीए ऑफ इंडिया में कम्पनी का निवेश क्रमशः रु. 86.36लाख और रु. 104.88लाख है और इसे दीर्घावधिक निवेश इक्विटी शेयरों के तहत समूहबद्ध किया गया है।

Notes:

- i Aggregate amount of company's Investments other than listed Equity Shares/Mutual Funds is Rs 192759.52/- lacs and Market Value thereof is Rs 191687.11/- lacs.
- ii Provision of Rs.357.32/- lacs against Investment in debenture is grouped under Provision for Bad & Doubtful Debts in Schedule 14.
- iii Provision of Rs 363.17/- lacs against Investment in debenture is grouped under Provisions on Standard Assets in Schedule 14.
- iv Provision of Rs. nil/- lacs against Investment in debenture/bond where intt is guaranteed is grouped under Provision for Bad & Doubtful Debts in Schedule 14.
- v Provision of Rs. 0.19/- lacs against Investment in debenture/bond where intt is guaranteed grouped under Provision on Standard Assets in Schedule 14.
- vi Provision of Rs.135.04/- lacs against investment in equity is grouped under Provision for Diminution in value of shares in Schedule 14.
- vii Provision of Rs 198.23/- lacs against investment in Venture Capital is grouped under Provisions for Diminution in value of shares in Schedule 14.
- viii Provision of Rs.1.10/- lacs against investment in subsidiaries is grouped under Provisions for Diminution in value of shares in Schedule 14.
- ix Provision of Rs.17.35/- lacs against investment in Pref. Shares is grouped under Provisions for Diminution in value of shares in Schedule 14.
- X Amount of company's Investment in Associate viz India International Insurance PTE Ltd is 86.36 lacs and Health Insurance TPA of india is 104.88 lacs and is grouped under Long Term Investments Shares - Equity



अनुसूची-9
31.03.2015 को ऋण
SCHEDULE - 9
LOANS AS AT 31.03.2015

(₹ in '000')

| विवरण Particulars | 31.03.2015 को As at 31.03.2015 | 31.03.2014 को As at 31.03.2014 |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| प्रतिभूति-वार वर्गीकरण Security-Wise Classification | | |
| प्रत्याभूत Secured | | |
| (क) सम्पत्तिबंधक रखनेपर (a) On Mortgage of Property | | |
| (i) भारतमें (i) In India | 0 | 0 |
| (ii) भारत से बाहर (ii) Outside India | 0 | 0 |
| (ख) शेयरों, बांडों, सरकारीप्रतिभूतियोंपर (b) On Shares, Bonds, Government Securities | 0 | 0 |
| (ग) अन्य (i) कर्मचारियोंकोआवसीय ऋण (c) Others (i) Housing Loans to Staff | 1015448 | 927012 |
| (ii) राज्य सरकारोंकोआवासव्यवस्थाऔर एफएफई के लिए सावधि ऋण और ऋण, राज्य सरकारों द्वारागारंटीकृत (ii) Term Loans and loans to state govts for housing & FFE, guaranteed by State Govts. | 816179 | 1051479 |
| अप्रत्याभूत (सावधि ऋण, अंतरिम ऋण, जमाराशि प्रमाणपत्र, वाणिज्यिकदस्तावेज) Unsecured (Term loans, Bridge loans, Certificate of deposit, Commercial paper) | 64499 | 64499 |
| कुल Total | 1896127 | 2042990 |
| उधारकर्ता-वारवर्गीकरण Borrower-Wise Classification | | |
| (क) केंद्रीय और राज्य सरकारें (a) Central and State Governments | 474906 | 566122 |
| (ख) बैंकऔरवित्तीय संस्थान (b) Banks and Financial Institutions | 0 | 0 |
| (ग) अनुषंगीकम्पनियां (c) Subsidiaries | 0 | 0 |
| (घ) कम्पनियां (d) Companies | 405772 | 425389 |
| (ङ) पॉलिसियों के सापेक्ष ऋण (e) Loan against policies | 0 | 0 |
| (च) अन्य (i) कर्मचारी (f) Others (i) Staff | 1015448 | 1051479 |



| विवरण Particulars | 31.03.2015 को As at 31.03.2015 | 31.03.2014 को As at 31.03.2014 |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| (ii) वाणिज्यमदस्तावेज (ii) Commercial Papers | 0 | 0 |
| कुल Total | 1896127 | 2042990 |
| निष्पादन-वारवर्गीकरण Performance-Wise Classification | | |
| (क) मानक के रूपमेंवर्गीकृत ऋण (a) Loans classified as standard | | |
| (क) भारतमें (a) In India | 1503685 | 1624344 |
| (ख) भारतसेबाहर (b) Outside India | 0 | 0 |
| (ख) प्रावधान घटातेहुए गैर-निष्पादन ऋण (b) Non-Performing loans less provisions | | |
| (क) भारत में (a) In India | 90577 | 64930 |
| (ख) भारत से बाहर (b) Outside India | 0 | 0 |
| प्रावधान Provision | 301864 | 353716 |
| कुल Total | 1896127 | 2042990 |
| परिपक्वता-वार वर्गीकरण Maturity-Wise Classification | | |
| (क) अल्पावधिक (a) Short-Term | 60013 | 68999 |
| (ख) दीर्घावधिक (b) Long-Term | 1836113 | 1973991 |
| कुल Total | 1896127 | 2042990 |

टिप्पणियां:

- परिसम्पत्तियों को गिरवी रखने के सापेक्ष रु. 2373.64 लाख के प्रावधान को अनुसूची.14 में अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों से संबंधित प्रावधान के तहत समूहबद्ध किया गया है।
- अप्रत्याभूत ऋणों के सापेक्ष रु. 644.99 लाख के प्रावधान को अनुसूची.14 में अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों से संबंधित प्रावधान के तहत समूहबद्ध किया गया है।
- मानक परिसम्पत्तियों के सापेक्ष रु. 19.97 लाख के प्रावधानको अनुसूची.14 में अशोध्य एवंसंदिग्ध ऋणों से संबंधित प्रावधान के तहत समूहबद्ध किया गया है।

Notes:

- Provision for Rs.2373.64Lacs against hypothecation of assets is grouped under Provision for bad and doubtful debts in Schedule-14
- Provision for Rs 644.99 Lacs against unsecured loans is grouped under Provision for bad and doubtful debts in Schedule-14
- Provision for Rs 19.97 Lacs against standard assets is grouped under Provision on standard assets in Schedule-14

अनुसूची-10
31.03.2015 को स्थायी परिसम्पत्तियों की अनुसूची
SCHEDULE - 10
SCHEDULE OF FIXED ASSETS AS AT 31.03.2015

(₹ in '000')

| विवरण Particulars | लागत/सकल ब्लॉक COST/GROSS BLOCK | | | मूल्यहास आरक्षित DEPRECIATION RESERVE | | | निवल ब्लॉक NET BLOCK | |
|--|------------------------------------|---|--------------------------------------|--|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | प्रारंभिक शेष Opening Balance | अवधि के दौरान वृद्धि Additions during the period | अवधि के अंतिम शेष Closing Balance | प्रारंभिक शेष Opening Balance | अवधि के दौरान वृद्धि Additions during the period | अवधि के अंतिम शेष Closing Balance | 31.03.2015 को As at 31.03.2015 | 31.03.2014 को As at 31.03.2014 |
| मूर्त परिसम्पत्तियां Tangible Assets | | | | | | | | |
| पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि Land Freehold | 1109 | 0 | 1109 | 0 | 0 | 0 | 1109 | 1109 |
| पट्टे पर ली गई सम्पत्ति Leasehold Property | 123639 | 1031 | 115917 | 94329 | 1021 | 94912 | 21005 | 29310 |
| पूर्ण स्वामित्व वाली सम्पत्ति Freehold Property | 530743 | 30982 | 617927 | 339009 | 3970 | 341794 | 276133 | 191734 |
| फर्नीचर और फिटिंग्स Furniture & Fittings | 435706 | 9022 | 443204 | 359979 | 17241 | 373602 | 69602 | 75727 |
| सूचना प्रौद्योगिकी उपस्कर Information & Technology Equipment | 1478696 | 38187 | 1367999 | 1390884 | 29481 | 1296309 | 71690 | 87812 |
| वाहन Vehicles | 670196 | 129460 | 695325 | 333256 | 58964 | 322788 | 372537 | 336940 |
| कार्यालय उपस्कर Office Equipment | 177238 | 3527 | 173833 | 136690 | 23657 | 150983 | 22850 | 40548 |





| विवरण Particulars | लागत/सकल ब्लॉक COST/GROSS BLOCK | | मूल्यहास आरक्षिति DEPRECIATION RESERVE | | | | निवल ब्लॉक NET BLOCK | | |
|---|-------------------------------------|--|---|---------------------------------|-------------------------------------|---|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | प्रारंभिक शेष Opening Balance | अवधि के दौरान वृद्धि Additions during the period | अवधि के दौरान की गई कटौतियाँ और समायोजन Deductions and Adjustments made in the period | अंतिम शेष Closing Balance | प्रारंभिक शेष Opening Balance | अवधि के दौरान की गई कटौतियाँ और समायोजन Deductions and Adjustments made in the period | अंतिम शेष Closing Balance | 31.03.2015 को As at 31.03.2015 | 31.03.2014 को As at 31.03.2014 |
| अन्य Others | 406911 | 14735 | 3663 | 417983 | 304683 | 30772 | 338075 | 79908 | 102228 |
| कुल स्थायी परिसम्पत्तियाँ Total Fixed Assets | 3824238 | 226944 | 217885 | 3833297 | 2958830 | 165106 | 2918463 | 914834 | 865408 |
| अमूर्त परिसम्पत्तियाँ (सॉफ्टवेयर) Intangible Assets (Software) | 375214 | 38479 | 6976 | 406717 | 342617 | 22201 | 364818 | 41899 | 32597 |
| उप योग Sub Total | 4199452 | 265423 | 224861 | 4240015 | 3301447 | 187307 | 3283281 | 956732 | 898005 |
| चल रहे पूंजी कार्य Capital Work in Progress | 403996 | 309781 | 90215 | 623562 | 0 | 0 | 0 | 623563 | 403996 |
| कुल Total | 4603448 | 575204 | 315076 | 4863577 | 3301447 | 187307 | 3283281 | 1580295 | 1302001 |



अनुसूची -11
31.03.2015 को नकद और बैंक शेष
SCHEDULE - 11
CASH & BANK BALANCES AS AT 31.03.2015

(₹ in '000')

| विवरण Particulars | 31.03.2015 को As at 31.03.2015 | 31.03.2014 को As at 31.03.2014 |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| नकद (चैकों, ड्राफ्टों और स्टाम्पों सहित) Cash (including cheques, drafts and stamps) | 890850 | 1410117 |
| बैंक शेष Bank Balances | | |
| (क) जमा खाते (a) Deposit Accounts | | |
| (कक) अल्पावधिक (12 महीने के भीतर देय) (aa) Short-term (due within 12 months) | 18061509 | 15566941 |
| (खख) अन्य (bb) others | 0 | 0 |
| (ख) चालू खाते (b) Current Accounts | 5317616 | 5292831 |
| (ग) अन्य (c) Others | 0 | 0 |
| मांग और अल्पावधिक सूचना पर धनराशि Money at Call and Short Notice | | |
| (क) बैंकों के साथ (a) With Banks | 0 | 0 |
| (ख) अन्य संस्थानों के साथ (b) With other Institutions | 0 | 0 |
| अन्य Others | 0 | 0 |
| कुल TOTAL | 24269975 | 22269889 |
| उपर्युक्त 2 और 3 में शामिल किए गए गैर अनुसूचित बैंकों में शेष Balance with non-scheduled banks included in 2 and 3 above | 0 | 0 |
| नकद और बैंक शेष Cash & Bank Balances | | |
| भारत में In India | 21898203 | 20194040 |
| भारत से बाहर Outside India | 2371772 | 2075849 |
| कुल TOTAL | 24269975 | 22269889 |



अनुसूची-12
31.03.2015 को अग्रिम और अन्य परिसम्पत्तियां
SCHEDULE - 12
ADVANCES AND OTHER ASSETS AS AT 31.03.2015

(₹ in '000')

| विवरण Particulars | 31.03.2015 को As at 31.03.2015 | 31.03.2014 को As at 31.03.2014 |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| अग्रिम Advances | | |
| अभ्यर्पित कम्पनियों के पास जमा राशियां Reserve deposits with ceding companies | 157625 | 190459 |
| निवेशों के लिए आवेदन राशि Application money for investments | 0 | 0 |
| पूर्व-भुगतान Prepayments | 42996 | 4365 |
| निदेशकों/अधिकारियों को अग्रिम Advances to Directors/Officers | 467711 | 455867 |
| चुकता अग्रिम कर और स्रोत पर कर की कर्ताती (कराधान संबंधी प्रावधान को घटाते हुए)/कर विभाग से वसूली योग्य राशि Advance tax paid and taxes deducted at source, (Net of Provision for Taxation)/Amount Recoverable from Tax Deptt. | 3057626 | 1849154 |
| अन्य Others | 209055 | 149068 |
| कुल (क) Total (A) | 3935013 | 2648913 |
| निवेशों पर उपचित आय Income accrued on investments | 3829027 | 3344607 |
| बकाया प्रीमियम Outstanding Premiums | 568087 | 1152690 |
| एजेंटों के शेष Agents' Balances | 0 | 0 |
| विदेशी एजेंसियों के शेष Foreign Agencies' Balances | 153588 | 138898 |
| बीमा कारोबार करने वाले अन्य निकायों (पुनर्बीमाकर्ताओं सहित) से देय Due from other entities carrying on insurance business (including reinsurers) | 15451938 | 14106902 |
| अनुषंगी कम्पनियों/धारक कम्पनी से देय Due from subsidiaries/holding company | 583 | 544 |
| भारतीय रिजर्व बैंक में जमा राशि, [बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 7 के अनुसरण में]* Deposit with Reserve Bank of India, [Pursuant to section 7 of Insurance Act, 1938]* | 171107 | 171192 |
| अन्य रु Others # | 4398660 | 4231204 |



| विवरण Particulars | 31.03.2015 को As at 31.03.2015 | 31.03.2014 को As at 31.03.2014 |
|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| कुल (ख) Total (B) | 24572990 | 23146037 |
| कुल (क + ख) Total (A + B) | 28508003 | 25794950 |

* बीमा अधिनियम 1938 की धारा 7 अनुसार केन्द्रीय सरकार की 6.01% प्रतिभूति 2028 एचडीएफसी बैंक में जमा हैं।

अन्य में 'सेवा कर अप्रयुक्त क्रेडिट' शामिल है

* 6.01% Central Government Security 2028 deposited with HDFC Bank in accordance with Sec. 7 of Insurance Act, 1938.

Others include "Service Tax Unutilized Credit"

अनुसूची -13: 31.03.2015 को चालू देयताएं
SCHEDULE - 13: CURRENT LIABILITIES AS AT 31.03.2015

(₹ in lacs)

| विवरण Particulars | 31.03.2015 को As at 31.03.2015 | 31.03.2014 को As at 31.03.2014 |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | (Rs. '000) | (Rs. '000) |
| एजेंटों के शेष (निवल) Agents Balances (Net) | 362390 | 319251 |
| अन्य बीमा कम्पनियों को देय शेष Balances due to other insurance companies | 205343 | 79321 |
| अभ्यर्पित पुनर्बीमा पर धारित जमा राशियां Deposits held on reinsurance ceded | 1155668 | 460846 |
| अग्रिम रूप से प्राप्त प्रीमियम Premium received in advance | 1612940 | 831667 |
| अनावंटित प्रीमियम Unallocated Premium | 0 | 0 |
| छोटे लेनदार Sundry Creditors | 11095926 | 8256464 |
| अनुषंगी कम्पनियों/धारक कम्पनी को देय Due to subsidiaries/holding company | 0 | 0 |
| बकाया दावे Claims Outstanding | 72646137 | 70829480 |
| अधिकारियों/निदेशकों को देय Due to Officers / Directors | 0 | 0 |
| पॉलिसीधारकों को देय Due to Policy Holders | 496969 | 471962 |
| नई पेंशन योजना पर देयता Liability on New Pension Scheme | 320050 | 202615 |
| अन्य Others | 224173 | 76712 |
| कुल Total | 88119596 | 81528318 |



अनुसूची-14

31.03.2015 को प्रावधान

SCHEDULE - 14

PROVISIONS AS AT 31.03.2015

(₹ in '000')

| विवरण Particulars | 31.03.2015 को As at 31.03.2015 | 31.03.2014 को As at 31.03.2014 |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| असमाप्त जोखिम के लिए आरक्षिति Reserve for Unexpired Risk | 32751739 | 32279521 |
| कराधान के लिए (चुकता अग्रिम कर और स्रोत पर कर को घटाते हुए) For taxation (less advance tax paid and tax deducted at source) | 0 | 0 |
| प्रस्तावित लाभांशों के लिए For proposed dividends | 1100000 | 1080000 |
| लाभांश वितरण कर के लिए For dividend distribution tax | 219982 | 183546 |
| अन्य Others | | |
| (क) छुट्टी नकदीकरण/एलटीसी/बीमारी अवकाश हेतु प्रावधान (a) Provision for Leave Encashment/ LTS/Sick Leave | 5375075 | 4893859 |
| (ख) परिलब्धि संशोधन के लिए प्रावधान (b) Provision for Wage revision | 3814306 | 1464306 |
| (ग) अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान (c) Provision for Bad & Doubtful Debts | 2032364 | 2693115 |
| (घ) मानक परिसम्पत्तियों के लिए प्रावधान (d) Provision for Standard Assets | 166561 | 149632 |
| (ङ) शेयरों के मूल्य में ह्रास के लिए प्रावधान (e) Provision for Diminution in Value of Shares | 159294 | 182388 |
| (च) ब्याज उचंत (f) Interest Suspense | 0 | 4406 |
| प्रीमियम में कमी के लिए आरक्षिति Reserve for Premium Deficiency | 0 | 0 |
| कुल Total | 45619321 | 42930773 |



अनुसूची-15

31.03.2015 को विविध व्यय

(जिन्हें बट्टे खाते नहीं डाला गया या समायोजित नहीं किया गया है)

SCHEDULE - 15

MISCELLANEOUS EXPENDITURE AS AT 31.03.2015

(TO THE EXTENT NOT WRITTEN OFF OR ADJUSTED)

(₹ in '000')

| क्र. सं. S.No. | विवरण Particulars | 31.03.2015 को As at 31.03.2015 | 31.03.2014 को As at 31.03.2014 |
|-------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | शेयरों/डिबेंचरों को जारी करने में अनुमत्त छूट Discount Allowed in issue of shares/debentures | 0 | 0 |
| 2 | अन्य Others | | |
| | क) उपदान का परिशोधन a) Amortisation of Gratuity | 0 | 297135 |
| | कुल Total | 0 | 297135 |



अनुबंध-I लेखाकरण नीतियां और टिप्पणियां

क. महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

1. लेखाकरण अभिसमय:

तुलन पत्र, लाभ हानि लेखा और राजस्व लेखे कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 की उप धाराओं (1) और (1)(क) के प्रावधानों के साथ पठित बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 11(1) के प्रावधानों के अनुसार, और बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 के प्रावधानों के अनुसार तैयार किए गए हैं। उक्त विवरणिकाएं एक सुनाम प्रतिष्ठान के रूप में ऐतिहासिक लागत अभिसमय पर और लेखाकरण पर उपचयिक आधार पर तैयार की गई हैं। इस कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 और बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (वित्तीय विवरणिकाओं और बीमा कम्पनियों के लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन की तैयारी) विनियम, 2002 और आईआरडीएआई द्वारा जारी मास्टर परिपत्र में संदर्भित लेखाकरण मानकों का, भारत में सामान्य बीमा उद्योग में प्रचलित परिपाटियों के अनुरूप और प्रयोज्य सीमा तक, अन्यथा अन्यत्र किए गए उल्लेख को छोड़कर, अनुपालन करती हैं।

2. शेयरधारकों और पॉलिसीधारकों की निधियां:

शेयरधारकों की निधि में शेयर पूंजी, सामान्य आरक्षित और पूंजी आरक्षित सम्मिलित हैं। पॉलिसीधारकों की निधि में तकनीकी आरक्षितियां और बकाया दावों के लिए प्रावधान शामिल हैं।

3. विदेशी मुद्रा संव्यवहार/परिवर्तन:

3.1 लेखाकरण मानक 11 विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तनों के प्रभाव (संशोधित 2003) के अनुसार, विदेशी शाखाओं/एजेंसियों को "एकीकृत विदेशी प्रचालनों" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

3.2 विदेशी मुद्राओं में अर्जित निवेशों और स्थायी परिसम्पत्तियों के मूल्य को अर्जन की तारीख को मुद्रा दरों पर परिवर्तित/स्थानांतरित किया जाता है।

3.3 विदेशी मुद्राओं व्यक्त देनदारियों और अन्य सभी परिसम्पत्तियों के मूल्य को वर्ष के अंत में क्रय बोली दर पर परिवर्तित/स्थानांतरित किया

THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED ANNEXURE-I ACCOUNTING POLICIES AND NOTES

A. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. Accounting Convention:

The Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Revenue Accounts are drawn up in accordance with the provisions of Section 11(1) of the Insurance Act, 1938 read with the provisions of sub-sections (1) and (1)(a) of the Section 129 of the Companies Act, 2013, and as per the provisions of Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999. The said statements are prepared on historical cost convention as a going concern and on accrual basis of accounting. They comply with the accounting standards referred to in section 133 of The Companies Act, 2013 and The Insurance Regulatory and Development Authority (Preparation of Financial Statements and Auditor's Report of Insurance Companies) Regulations, 2002 and Master Circular 2012 issued by IRDAI, to the extent applicable and conform to practices prevailing in the General Insurance Industry in India except as otherwise stated.

2. Shareholders' and Policyholders' Fund:

The Shareholders' Fund comprises of Share Capital, General Reserve and Capital Reserve. The Policyholders' Fund comprises of Technical Reserves and Provision for Outstanding Claims.

3. Foreign Currency Transactions / Conversion:

3.1 As per Accounting Standard 11 "the effects of changes in foreign exchange rates (revised 2003), Foreign branches/agencies are classified as "Integral Foreign Operations".

3.2 Value of fixed assets and investments acquired in foreign currencies, is converted/ translated at the exchange rates on the date of acquisition.

3.3 Value of all other assets and liabilities



जाता है।

3.4 विदेशी मुद्राओं में व्यक्त विदेशी शाखाओं और एजेंसियों की आय और व्यय मदों को वित्त वर्ष के दौरान चार तिमाही दरों के औसत विनिमय दर पर परिवर्तित/स्थानांतरित किया जाता है, जो दैनिक समाप्ति खरीद बोली दरों की औसत दर हैं।

3.5 पुनर्बीमा कारोबार और निवेशों से संबंधित राजस्व संव्यवहारों को वित्त वर्ष की उस तिमाही विशेष में सभी कारोबारी दिनों के लिए दैनिक समाप्ति खरीद बोली दरों की औसत दर पर परिवर्तित/स्थानांतरित किया जाता है।

3.6 विदेशी मुद्रा संव्यवहारों के परिवर्तन पर विनिमय लाभ/हानि को आय/व्यय के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

4. राजस्व स्वीकृति:

4.1 पुनर्बीमा के निवल प्रीमियमों को, प्रत्येक संबंधित राजस्व लेखे में जोखिमों की अवधारणा के आधार पर अभिलेखबद्ध किया जाता है। असमाप्त जोखिमों के लिए आरक्षित उसके प्रतिशत पर आधारित है, जो अग्नि, मरीन कार्गो और विविध कारोबार के मामले में 50% और मरीन हल कारोबार के मामले में 100% है।

4.2 31 मार्च तक प्राप्त सीमा तक बीमा कम्पनियों से प्राप्त पुनर्बीमा विवरणियों (बकाया दावों के लिए अनुमानित देनदारी के संबंध में लेखाकरण नीति 5.1क(ii) के अध्याधीन) और संबंधित लेखाकरण वर्ष के लेखों को अंतिम रूप दिए जाने तक प्राप्त सरकारी निकायों और भारतीय बीमाकर्ताओं से प्राप्त विवरणियों को वर्ष के लेखों में समाविष्ट किया जाता है। पुनर्बीमा घटाव प्रचालनिक कार्यालयों से प्राप्त किए अनुसार परामर्शों/विवरणियों के आधार पर किए जाते हैं। जहां कहीं पूर्ण ब्योरा उपलब्ध नहीं होता, पुनर्बीमा स्वीकृतियां/घटाव उपलब्ध सूचना पर आधारित अनुमानों पर किए जाते हैं।

4.3 लाभांश को घोषणा के वर्ष में आय के रूप में लेखांकित किया जाता है। लाभांश/शेयरों

expressed in foreign currencies, is converted/translated at the year-end closing purchase bid rate.

3.4 Items of income and expenditure of foreign branches and agencies expressed in foreign currencies are converted/translated at the mean exchange rate of four quarterly rates during the financial year, which are the average of daily closing purchase bid rates.

3.5 Revenue transactions relating to reinsurance business and investments are converted/ translated at the average exchange rate of daily closing purchase bid rates for all the trading days in that particular quarter of the financial year.

3.6 Exchange Gain/Loss on conversion of foreign currency transactions is recognized as income/expense.

4. Revenue Recognition:

4.1 Premiums are recorded, net of reinsurances, based on assumption of risks in each related Revenue account. Reserve for Unexpired Risks is based on a percentage thereof, being 50 % in case of Fire, Marine Cargo and Miscellaneous business and 100% in case of Marine Hull business.

4.2 The reinsurance returns from Foreign Insurance companies to the extent received upto 31st March (subject to Accounting Policy 5.1a(ii) in respect of Estimated liability for outstanding claims) and returns from Indian Insurers and Government Bodies received upto finalisation of accounts of the relevant accounting year are incorporated in the accounts of the year. Reinsurance cessions are made on the basis of advices/returns as received from the Operating Offices. Wherever full particulars are not available, reinsurance acceptances/cessions are made on estimates based



पर ब्याज/आपत्ति के अधीन डिबेंचरों/लंबित डिलीवरी को उगाहे जाने पर लेखांकित किया जाता है। अंतरिम लाभांश को वहां लेखांकित किया जाता है जहां अनुज्ञा-पत्र दिनांक 31 मार्च या इससे पहले के होते हैं।

- 4.4 निवेशों की बिक्री/शोधन पर लाभ/हानि की गणना बिक्री/शोधन से पहले के दिन की समाप्ति पर औसत लागत को लेते हुए की जाती है।
- 4.5 निवेशों की बिक्री/शोधन पर लाभ/हानि, निष्क्रिय परिसम्पत्तियों के लिए प्रावधान, शेरों के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान, ऋण प्रतिभूतियों का ऋणशोधन और ब्याज के जरिए आय, लाभांश और किराए को वर्ष के शुरुआत के अनुसार पॉलिसीधारकों की निधि और शेरधारकों की निधि के आधार पर राजस्व लेखों और लाभ हानि लेखों के बीच आवंटित किया जाता है।
- 4.6 ऋणों, बंधपत्रों और डिबेंचरों के संबंध में ब्याज की आय को आईआरडीएआई द्वारा दिनांक जारी 24 जनवरी 2007 के परिपत्र संख्या 32/2/एफएंडए/परिपत्र/169/जन. 2006-07 द्वारा किए गए आय स्वीकृति, परिसम्पत्ति वर्गीकरण और प्रावधान प्रक्रिया के लिए विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार स्वीकृत किया जाता है।
- 4.7 बीमा संविदाओं के नवीकरण/नई संविदाओं के अर्जन से संबंधित अर्जन आय को उस वर्ष में प्रभारित किया जाता है जिसमें ये उपगत हुई हों।

5. बकाया दावे:

- 5.1.क वर्ष में बकाया दावों के लिए अनुमानित देनदारी, अंतिम रूप दिए जाने की तारीख तक प्राप्त सर्वे रिपोर्टों, ग्राहकों द्वारा मुहैया कराई गई सूचना, लीडरों की सलाहों और अन्य स्रोतों, गत अनुभव और अन्य प्रयोज्य विधियों पर आधारित होती हैं। प्राक्कलनों की निरंतर समीक्षा की जाती है और तदनुसार प्रावधान किए जाते हैं। तथापि, अंतिम

on available information.

- 4.3 Dividend is accounted for as income in the year of declaration. Dividend/ interest on shares/ debentures under objection/ pending delivery is accounted for on realization. Interim dividend is accounted where the warrants are dated 31st March or earlier.

- 4.4 Profit/Loss on sale/redemption of investments is computed by taking the average cost as at the close of the preceding day of sale/redemption.

- 4.5 Profit/loss on sale/redemption of investments, provisions for non performing assets, provision for diminution in value of shares, amortization of premium on debt securities and income by way of Interest, Dividend and Rent are allocated between Revenue accounts and Profit & Loss account on the basis of Policyholders' Fund and Shareholders' Fund as at the beginning of the year.

- 4.6 Interest income in respect of loans, bonds and debentures is recognized as per the prudential norms for income recognition, asset classification and provisioning issued by IRDAI vide circular no. 32/2/F&A/circular/169/Jan/2006-07 dated 24th January 2007.

- 4.7 The acquisition cost relating to acquisition of new/renewal of insurance contracts is charged in the year in which they are incurred.

5. Outstanding Claims:

- 5.1.a Estimated liability for outstanding claims at the year end are based on survey reports, information provided by clients, advices of Leaders and other sources upto the date of finalization, past experience and other applicable laws. The estimates are continually reviewed



देनदारी, प्रावधान की गई राशि से अधिक या कम हो सकती है, जिसके लिए किए गए किसी भी समायोजन को उन अवधियों में परिलक्षित किया जाएगा जिसमें वे ज्ञात हुई हों। बकाया दावों के लिए अनुमानित देनदारी में शामिल हैं:

- (i) प्रत्यक्ष कारोबार के संबंध में, वर्ष के अंत तक प्राप्त दावों की सूचनाएं
 - (ii) पुनर्बीमा स्वीकृतियों के संबंध में, लेखों को अंतिम रूप दिए जाने की तारीख तक अनुवर्ती वर्ष की विभिन्न तारीखों को प्राप्त परामर्श के आधार पर, और जहां परामर्श प्राप्त न हुए हों, वहां अनुमानित आधार पर।
- 5.1.ख मोटर टीपी दावों के बकाया दावों के लिए प्रावधान मामला-दर-मामला आधार पर किया जाता है। वास्तविक समाशोधनों में प्रवृत्तियों पर भी विचार किया जाता है और बीमांकिक के प्रमाणीकरण के आधार पर, परिणामी कमी, यदि कोई हो, के लिए मुख्यालय में प्रावधान किया जाता है।
- 5.1.ग मोटर तृतीय पक्ष दावों के संबंध में जहां कम्पनी की देनदारी स्थापित करने के लिए पॉलिसी विवरणों के बिना न्यायालय के सम्मन दे दिए जाते हैं, ऐसे मामलों में निम्नानुसार प्रावधान किया जाता है:
- i) जहां ऐसे दावे 1 वर्ष से अधिक समय से बकाया हों, वहां अनुमानित देनदारी का 100%
 - ii) जहां वर्ष के दौरान न्यायालय के सम्मन कम्पनी में दे दिए जाते हैं, अनुमानित देनदारी का 1/3 भाग
- 5.1.घ उपगत मगर सूचित न किए गए दावों (आईबीएनआर) के लिए प्रावधान और उपगत मगर पर्याप्त रूप से सूचित न किए गए दावों (आईबीएनईआर) के लिए प्रावधान बीमांकिक के मूल्यांकन के अनुसार किए जाते हैं।
- 5.1.ङ कम्पनी द्वारा परित्यागे गए किंतु दावेदारों द्वारा न्यायालयों/लोकपाल/माध्यस्थ आदि

and provisions made accordingly. However, the final liability may be in excess of, or less than, the amount provided, for which any adjustments will be reflected in the periods in which they become known. Estimated liability for outstanding claims include:

- (i) In respect of direct business, claims intimations received up to the year end.
- (ii) In respect of reinsurance acceptances, advices received as of different dates of subsequent year upto the date of finalization of accounts and on estimation basis wherever advices are not received.

5.1. b Provision for outstanding Motor TP claims is made at the Operating Offices on a case-to-case basis. Trends in actual settlement are also considered and based on Actuarial Certification, consequent shortfall, if any, is provided at Head Office.

5.1. c In respect of Motor Third Party claims where court summons have been served on the company without adequate policy particulars to establish liability of the company, provision is made as under:

- i) 100% of estimated liability where such claims are outstanding for more than 1 year
- ii) 1/3rd of the estimated liability for all such claims where court summons have been served in the company during the year.

5.1. d Provisions for claims incurred but not reported (IBNR) and provisions for claims incurred but not enough reported (IBNER) are made as per actuarial valuation.



के समक्ष परिवादित दावों के लिए प्रावधान उन मामलों में किए गए हैं जिनमें प्रबंधन का मत हो कि फ़ैसले कम्पनी के विरुद्ध जाने की संभावना है।

6. प्रतिफल/दावा वसूलियां

दावागत प्रतिफल/वसूलियों के निपटान को उगाही होने पर लेखे में डाला जाता है और दावों के नामे डाल दिया जाता है।

7. प्रबंधन के खर्चे - प्रभाजन:

पॉलिसी स्टाम्पों से अन्य प्रबंधन के खर्चों को, अग्नि और विविध कारोबार दोनों में से प्रत्येक को 100% और मरीन कारोबार को 75% भारिता देते हुए, सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम जमा स्वीकृत पुनर्बीमा प्रीमियम के आधार पर राजस्व लेखों में प्रभाजित किया जाता है। पॉलिसी स्टाम्पों से संबंधित खर्चों को सीधे संबंधित राजस्व खातों में ले जाया जाता है। निवेशों यथा सुरक्षित कस्टडी, ब्याज और लाभांश आदि के एकत्रण पर बैंक प्रभारों से संबंधित खर्चों को वर्ष की शुरुआत में पॉलिसीधारकों की निधि और शेयरधारकों की निधि के आधार पर राजस्व लेखों और लाभ हानि लेखे के बीच प्रभाजित किया जाता है।

8. स्थायी परिसम्पत्तियां:

8.1 भवन सम्पत्तियों (अर्जित सम्पत्ति अधिकारों के लिए कोऑपरेटिव सोसायटियों में शेयरों की लागत सहित) को "पट्टाधारित सम्पत्ति/पूर्णस्वामित्व वाले भवन" शीर्ष के अधीन शामिल किया जाता है।

8.2 स्थायी परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन लागत में से मूल्यहास घटाकर किया जाता है। लागत में अर्जन की लागत और परिसम्पत्तियों के अर्जन के लिए किए गए अन्य प्रत्यक्ष व्यय को शामिल किया जाता है।

8.3 अर्जित किंतु प्रयोग में न लाई गई परिसम्पत्ति को "चल रहे पूंजीगत कार्य" के अधीन प्रमाणित किया जाता है।

9. नियत परिसम्पत्तियों/अमूर्त परिसम्पत्तियों पर मूल्यहास/ऋणशोधन:

5.1. e Provisions for claims repudiated by the company but contested by the claimants in courts/ombudsman/arbitration etc. have been made where the management is of the opinion that the awards are likely to go against the company.

6. Salvage and claim Recoveries

Disposal of salvage / recoveries under claims, are accounted for on realization and credited to claims.

7. Expenses of Management-Apportionment:

Expenses of Management other than policy stamps are apportioned to the Revenue Accounts on the basis of the gross direct premium plus reinsurance premium accepted giving weightage of 100% each for Fire and Miscellaneous business and 75% for Marine business. Expenses relating to Policy Stamps are directly taken to respective Revenue Accounts. Expenses relating to investments such as, safe custody, bank charges on collection of interest and dividend etc. are apportioned between Revenue Accounts and Profit and Loss Account on the basis of Policy Holders' Fund and Shareholders' Fund as at the beginning of the year.

8. Fixed Assets:

8.1 House Properties (inclusive of cost of shares in Co-operative societies for property rights acquired) are included under the head "Leasehold property/Freehold Buildings".

8.2 Fixed assets are valued at cost less depreciation. Cost includes cost of acquisition and other direct expenditure incurred for acquisition of assets.

8.3 Assets acquired but not put to use are classified under "Capital Work in Progress".

9. Depreciation/Amortization on Fixed



9.1 मूल्यह्रास का प्रावधान कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 123 के अंतर्गत अनुसूची II में यथा निर्धारित उपयोगी जीवन के आधार पर किया जाता है। दिनांक को मौजूदा परिसम्पत्तियों की वहन लागत और इसके बाद अनुवर्ती क्रयों की लागत का मूल्यह्रास परिसम्पत्तियों के उपयोगी जीवनकाल पर किया जाता है जिसमें कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुसार सरल रेखा पद्धति द्वारा अवशिष्ट मूल्य को छोड़ दिया जाता है।

9.2 अमूर्त परिसम्पत्तियों को उनके अर्जन की लागत पर लेखांकित किया जाता है और लेखाकरण मानक एएस 26 के संदर्भ सहित कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुसार 3 वित्त वर्षों के अनुमानित उपयोगी जीवनकाल पर परिशोधित किया जाता है।

9क. 1 जहां कम्पनी पट्टाधारी हो:

वे पट्टे जहाँ पट्टाधारी प्रभावी रूप से पट्टे की शर्त पर स्वामित्व के सभी जोखिमों और लाभों को उल्लेखनीय रूप से धारित करता है, प्रचालनिक पट्टों के रूप में वर्गीकृत किए जाते हैं। प्रचालनिक पट्टा भुगतानों को पट्टे की अवधि के दौरान सरल रेखा आधार पर लाभ हानि लेखे में खर्च के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

9क. 2 जहां कम्पनी पट्टाकार हो:

प्रचालनिक पट्टों के अध्यक्षीन परिसम्पत्तियों को स्थायी परिसम्पत्तियों में शामिल किया जाता है। पट्टा आय को करार में विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुसार लाभ हानि लेखे में स्वीकृत किया जाता है। मूल्यह्रास सहित लागतों को लाभ हानि लेखों में खर्च के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

10. निवेश:

10.1 लागत में अर्जन पर प्रीमियम, दलाली जैसे खर्चे, अंतरण स्टाम्पें, अंतरण प्रभार आदि शामिल होते हैं, और यह इन पर प्राप्त प्रोत्साहन राशि/शुल्क, यदि कोई हो, से निवल होती है।

Assets/Intangible Assets:

9.1 Depreciation is provided on the basis of useful life as prescribed in Schedule II under section 123 of The Companies Act, 2013. The carrying cost of existing assets on 01.04.2014 and of subsequent purchases thereafter is depreciated over the useful life of the assets leaving a residual value by Straight Line method as per The Companies Act 2013.

9.2 Intangible Assets are accounted for at their cost of acquisition and amortized over the estimated useful life of 3 financial years in accordance with The Companies Act, 2013 with reference to AS 26.

9A. 1 Where the Company is the lessee:

Leases where the lessor effectively retains substantially all the risks and benefits of ownership of the leased term, are classified as operating leases. Operating lease payments are recognized as an expense in the Profit & Loss Account on a straight line basis over the lease term.

9A.2 Where the Company is the lessor:

Assets subject to operating leases are included in fixed assets. Lease income is recognized in the P & L Account as per the terms specified in the agreement. Costs, including depreciation are recognized as an expense in the Profit & Loss Account.

10. Investments:

10.1 The cost includes premium on acquisition, expenses like brokerage, transfer stamps, transfer charges etc., and is net of incentive/fee, if any, received thereon.

10.2 Short Term Money Market instruments such as certificates of



- 10.2 जमा राशि के प्रमाणपत्रों और वाणिज्यिक दस्तावेजों जैसे अल्पावधिक राशि बाजार विलेख, जिन पर संविदा के समय सहमत दरों पर छूट दी जाती है, को छूटप्राप्त मूल्य पर लेखांकित किया जाता है।
- 10.3 सरकारी प्रतिभूतियों और प्रतिदेय अधिमान्य शेयरों सहित ऋण प्रतिभूतियों में निवेश को “परिपक्वता पर धारि” माना जाता है और इसका मूल्यांकन लागत पर किया जाता है और प्रतिभूतियों पर प्रदत्त प्रीमियम को परिपक्वता की अवशिष्ट अवधि पर परिशोधित किया जाता है।
- 10.4 इक्विटी शेयरों के संबंध में निवेश पोर्टफोलियो को सक्रिय रूप से कारोबार किए जाने वाले, कम कारोबार किए जाने वाले और असूचीबद्ध के रूप में पृथक-पृथक किया जाता है।
- 10.4.1 भारत में सक्रिय रूप से कारोबार किए गए इक्विटी शेयरों का मूल्य निर्धारण मार्च महीने में एनएसई में व्यक्त अंतिम मूल्य पर किया गया है जिसका चयन प्रमुख एक्सचेंज के तौर पर किया गया है और यदि ऐसी प्रतिभूति प्रमुख एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं है/कारोबार नहीं किया जाता है, तो इसका मूल्य-निर्धारण मार्च महीने में बीएसई में व्यक्त अंतिम मूल्य पर किया गया है जिसका चयन द्वितीयक एक्सचेंज के तौर पर किया गया। अतृप्त लाभ/हानि को उचित मूल्य परिवर्तन लेखे में लेखांकित किया जाता है।
- 10.4.2 भारत से बाहर निगमित कम्पनियों में धारित इक्विटी शेयरों सहित कम कारोबार किए जाने वाले/असूचीबद्ध इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है। तथापि, ऐसे निवेशों के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान किया जाता है जब विश्लेषित मूल्य लागत से कम पड़ता हो। विश्लेषित मूल्य के नकारात्मक होने की स्थिति में, बही मूल्य के समतुल्य राशि के लिए प्रावधान किया जाता है।
- 10.5 अधिमान्य शेयरों के मामले में, जहां ऋण

deposit and commercial papers, which are discounted at the time of contract at the agreed rates, are accounted at the discounted value.

10.3 Investments in debt securities including Government securities and redeemable preference shares are considered as “held to maturity” and are valued at cost and the premium paid on securities is amortized over the residual period of maturity.

10.4 Investment Portfolio in respect of Equity Shares is segregated into actively traded, thinly traded and unlisted.

10.4.1 Actively traded equity shares in India, are valued at the last quoted closing price at NSE in the month of March which is selected as the Primary Exchange and in case such security is not listed/not traded on the Primary Exchange, the same will be valued at the last quoted closing price at BSE in the month of March which is selected as the Secondary Exchange. The unrealized gain/losses are accounted in Fair Value Change Account.”

10.4.2 Investment in thinly traded/unlisted equity shares including held in Companies incorporated outside India are valued at cost. However, provision is made for diminution in value of such investments when the break-up value falls below the cost. In case the break-up value is negative, provision is made for an amount equivalent to the book value.

10.5 In case of Preference Shares, where redemption proceeds are due for



शोधन आगम तीन वर्ष से अधिक समय से देय हैं, देय राशि के लिए प्रावधान किया जाता है।

10.6 क्षति

इक्विटी और अधिमान्य शेयरों में क्षति की स्वीकृति तब की जाती है, जहां कम्पनियों को बिल्कुल पिछले तीन वर्ष से निरंतर हानि हो रही हो और जिनकी पूंजी अंशतः/पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गई हो या जहां बिल्कुल पिछले तीन वर्षों के लिए वार्षिक लेखे उपलब्ध न हों। ऐसी कम्पनियों में शेयरों के निवेश का मूल्यांकन निम्नानुसार किया जाता है।

10.6.1 इक्विटी शेयर:

सक्रिय रूप से कारोबार किए जाने वाले शेयरों के मामले में, अंतिम उद्धृत अंतिम मूल्य पर (उपर्युक्त लेखाकरण नीति 10.4.1 के अनुसार), या बही मूल्य पर, जो भी कम हो।

ख) कम कारोबार किए जाने वाले/असूचीबद्ध इक्विटी शेयरों के मामले में, जहां विश्लेषित मूल्य नकारात्मक हो या पिछले तीन वर्षों के लिए वार्षिक लेखे उपलब्ध न हों, अधिकतम पिछले तीन वर्षों से के अंतिम वार्षिक लेखों के अनुसार विश्लेषित मूल्य पर, प्रति कम्पनी रु.1/- के सांकेतिक मूल्य पर मूल्यांकन किया जाता है।

10.6.2 अधिमान्य शेयर:

क) यदि किसी कम्पनी के इक्विटी शेयरों में सक्रिय रूप से कारोबार हो रहा हो, तो इसके अधिमान्य शेयरों को उस मूल्य तक अंकित किया जाता है जो इसके बही मूल्य वाले इक्विटी शेयर के बाजार मूल्य के समान अनुपात में हो।

ख) यदि कम्पनी के इक्विटी शेयरों में कम कारोबार हो रहा हो/असूचीबद्ध हों, तो इसके अधिमान्य शेयरों को उस मूल्य

more than three years, provision is made for the amount due.

10.6 Impairment

Impairment is recognized in equity and preference shares, where the companies have been making losses continuously for the three immediately preceding years and whose capital is impaired partially/ fully or where the annual accounts for the three immediately preceding years are not available. Investments in shares of such companies are valued as under:

10.6.1 Equity Shares:

In the case of actively traded equity shares, at the last quoted closing price(as per Accounting Policy 10.4.1 above),or book value whichever is lower.

b) In case of thinly traded/unlisted equity shares, at the break-up value as per latest annual accounts of the company not earlier than the three immediately preceding years.- Where the break-up value is negative or where the annual accounts are not available for the three immediately preceding years, to a nominal value of Re 1/- per company.

10.6.2 Preference shares:

a) If the equity shares of a company are actively traded, its preference shares are written down to a value which is in the same proportion as the market value of the equity share bears to its face value.

b) If the equity shares of a Company are unlisted/thinly



तक अंकित किया जाता है जो इसके बही मूल्य वाले इक्विटी शेयर के बाजार मूल्य के समान अनुपात में हो; जहां विश्लेषित मूल्य नकारात्मक हो या पिछले तीन वर्षों के लिए वार्षिक लेखे उपलब्ध न हों, अधिकतम पिछले तीन वर्षों से के अंतिम वार्षिक लेखों के अनुसार विश्लेषित मूल्य पर, प्रति कम्पनी रु.1/- के सांकेतिक मूल्य पर मूल्यांकन किया जाता है।

- 10.6.3 क्षति हानि, जिसका प्रावधान लेखाकरण नीति संख्या 10.6 के रूप में किया गया है, दिनांक 01/04/2000 के बाद, केवल तभी लिखित और राजस्व/लाभ-हानि लेखे में केवल तभी स्वीकृत की जाती है जब संचित हानियां पूरी तरह समाप्त हो चुकी हों और पूंजी नवीनतम उपलब्ध प्रकाशित खातों के अनुसार पूरी तरह बहाल हो चुकी हो। तथापि, जहां अधिमान्य शेयरों के परिशोधन आगम तीन वर्ष से अधिक समय से देय हों, ऐसे मामलों में क्षति हानि का व्युत्क्रमण इक्विटी और अधिमान्य दोनो शेयरों में नहीं किया जाता।
- 10.7 म्युचुअल निधियों में निवेश का मूल्यांकन निवल परिसम्पत्ति मूल्य (एनएवी) पर किया जाता है और अप्राप्त लाभों/हानियों को "अचित मूल्य परिवर्तन लेखे" में लेखांकित किया जाता है।
- 10.8 उद्यम पूंजी निधि की यूनिटों में निवेशों का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है। तथापि यदि अंतिम निवल परिसम्पत्ति मूल्य (पिछले 18 महीनों के दौरान उपलब्ध) लागत से कम हो, तो मूल्य में कमी के लिए प्रावधान लागत और निवल परिसम्पत्ति मूल्य के बीच के अंतर की सीमा तक किया जाता है। पहले से स्वीकृत हानि की सीमा तक एनएवी में कोई भी विनियोजन राजस्व में ले जाया जाता है।
- 10.9 मानक/निष्क्रिय ऋणों/जमा राशियों/ डिबेंचरों के लिए प्रावधान आईआरडीएआई द्वारा जारी आय स्वीकृति, परिसम्पत्ति

traded, its preference shares are written down to a value, which is in the same proportion as the break-up value of equity share bears to its face value; where the break up value of equity share is negative or where the annual accounts are not available for the three immediately preceding years, to a nominal value of Re 1/- per company.

- 10.6.3** Impairment loss, provided in terms of accounting policy NO 10.6, after 01/04/2000, is written back and recognized in Revenue / Profit and Loss Account only in case the accumulated losses are fully wiped out and capital fully restored as per the latest available published accounts. However, reversal of impairment loss is not recognized for both equity and preference shares in cases where the redemption proceeds of preference shares are due for more than three years.
- 10.7** Investments in units of Mutual Funds are valued at Net Asset Value (NAV) and the unrealized gains/losses are accounted in "Fair Value Change Account".
- 10.8** Investments in units of Venture Capital Fund is valued at cost. However in case the latest Net Asset Value (available during last 18 months) is below Cost, the provision is made for diminution in the Value of Investment to the extent of difference between Cost and Net Asset Value. Any appreciation in the NAV to the extent of loss earlier recognized is taken to revenue.
- 10.9** Provisions for standard/non-



वर्गीकरण और प्रावधान प्रक्रिया से संबंधित विवेकपूर्ण मानदंडों/आरबीआई के संबंधित दिशानिर्देशों के आधार पर किया जाता है।

11. कर्मचारी लाभ:

- 11.1 कर्मचारियों को ग्रेच्युटि और पेंशन लाभों के लिए देनदारी का निर्धारण वर्षांत में बीमांकिक के मूल्यांकन के अनुसार उपचय आधार पर किया जाता है और इसे एक अनुमोदित निधि द्वारा शासित किया जाता है।
- 11.2 छुट्टी नकदीकरण और अन्य परिभाषित कर्मचारी लाभों के लिए प्रावधान वर्षांत में बीमांकिक के मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।
- 11.3 कम्पनी पूर्वनिर्धारित दरों पर भविष्य निधि में नियत अंशदान एक पृथक ट्रस्ट में करती है, जो निधियों को अनुमेय प्रतिभूतियों में निविष्ट करता है। अवधि के लिए निधि में अंशदान को खर्च के रूप में स्वीकृत किया जाता है और लाभ हानि लेखे में लेखांकित किया जाता है कम्पनी की देनदारी ऐसे नियत अंशदान तक सीमित है।

12. कराधान:

कर खर्चे (कर बचत) चालू वर्ष, पूर्ववर्ती वर्ष के कर और आस्थगित कर का सकल होते हैं। इनको लाभ हानि लेखे में प्रभारित (या नामे डाला) किया जाता है।

- 12.1 **चालू वर्ष प्रभार:** कराधान के लिए प्रावधान में शामिल है:

- क) आयकर अधिनियम 1961 के अधीन यथा निर्धारित कम्पनी के आकलनीय लाभों पर कराधान के लिए प्रावधान
- ख) सम्पत्ति कर अधिनियम 1957 के अधीन यथा निर्धारित सम्पत्ति कर का प्रावधान

- 1.2 **पूर्ववर्ती वर्ष प्रभार:** प्रावधानों को, अस्वीकृति या किसी अन्य कारण से अपील के अधीन मामलों के लिए, समीचीन

performing loans/deposits/debentures are made on the basis of prudential norms for income recognition, asset classification and provisioning issued by IRDAI / related RBI Guidelines

11.1 Employees' Benefits:

- 11.1 The liability for gratuity and pension benefits to employees is determined on accrual basis as per the actuarial valuation at the year end and is administered through an approved fund.
- 11.2 Provisions for leave encashment and other defined employee benefits are made on the basis of actuarial valuation at the year end.
- 11.3 The Company pays fixed contribution to Provident Fund at predetermined rates to a separate trust, which invests the funds in permitted securities. The contribution to the fund for the period is recognized as expense and is charged to the Profit & Loss Account. The obligation of the Company is limited to such fixed contribution.

12. Taxation:

Tax expense (tax saving) is the aggregate of current year tax, earlier year tax and deferred tax. These are charged (or credited) to the Profit and Loss Account.

12.1 Current year charge: The provision for taxation includes:

- a) Provision for taxation on assessable profits of the company as determined under Income Tax Act 1961.
- b) Provision of Wealth Tax as determined under the Wealth Tax Act, 1957.

- 1.2 **Earlier year charge:** Provisions are recorded,



समझे गए अनुसार अभिलेखबद्ध किया जाता है।

- 1.3 **आस्थगित कर:** कम्पनी वित्तीय विवरणिकाओं में मदों की स्वीकृति और अपने चालू आय कर प्रावधानों का प्राक्कलन करने के परिणामस्वरूप होने वाले कालांतों के कर प्रभाव के आधार पर देनदारी की पद्धति का उपयोग करते हुए आस्थगित कर के लिए प्रावधान करती है। अस्थायी कालांतरों से उत्पन्न होने वाली आस्थगित कर परिसम्पत्तियों को उस सीमा तक स्वीकृत किया जाता है जहां तक यह औचित्यपूर्ण निश्चितता हो कि परिसम्पत्तियों को भविष्य में प्राप्त किया जा सकता है।

13. अदावी जमा शेष:

ऐसे चेकों को छोड़कर जो सांविधिक भुगतानों, एमएसीटी दावों या प्रीमियम के रिफंड, दावों के भुगतान या अन्य देयताओं के लिए पॉलिसीधारकों को जारी किए गए हों, जारी करने की तारीख से 3 वर्षों से अधिक समय से दावा न किए गए गतावधि चेकों को प्रतिलेखित किया जाता है। अन्य पुराने जमा शेषों, जो 3 वर्षों से अधिक समय से अदावी हों, मामला दर मामला आधार पर प्रतिलेखित किया जाता है। पॉलिसीधारकों से संबंधित अदावी चेकों को "पॉलिसीधारकों के देयता खाते" में अंतरित कर दिया जाता है।

as considered appropriate, for matters under appeal due to disallowances or for other reasons.

- 1.3 **Deferred Tax:** The Company provides for deferred tax using the liability method, based on the tax effect of timing differences resulting from the recognition of items in the financial statements and in estimating its current income tax provision. Deferred Tax Assets arising from temporary timing differences are recognized to the extent there is reasonable certainty that the assets can be realised in future.-

13. Unclaimed Credit Balances:

Stale cheques unclaimed for more than 3 years from the date of issue, except those related to Statutory Payments, MACT Claims or issued to policyholders towards refund of premium, claims payment or other dues, are written back. Other old credit balances unclaimed for more than 3 years are written back on case to case basis. Unclaimed Cheques related to policyholders' dues are transferred to "Policyholders' Dues Account".



ख. खातों का भाग बनाने वाली टिप्पणियां

आईआरडीएआई द्वारा अपेक्षित विवरणों का प्रकटन

B. NOTES FORMING PART OF ACCOUNTS

Disclosures of particulars as required by IRDAI.

(₹ in lacs)

| क्र.सं. Sl. No. | विवरण Particulars | 31.03.2015 को As at 31.03.2015 | 31.03.2014 को As at 31.03.2014 |
|-----------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. | आकस्मिक देयताएं Contingent Liabilities | | |
| क | आंशिक चुकता निवेश a. Partly Paid Investments | 2292.67 | 1912.69 |
| ख | जोखिम अंकन प्रतिबद्धता बकाया b Underwriting Commitment Outstanding | NIL | NIL |
| ग | ऐसे दावों के अतिरिक्त अन्य दावे जिन्हें पॉलिसियों के अंतर्गत ऋण नहीं माना गया c Claims, other than those under policies, not acknowledged as Debt | 175.15 | 153.40 |
| घ | कंपनी द्वारा या उसकी ओर से दी गई गारंटी d Guarantee given by or on behalf of the Company | NIL | NIL |
| ङ | विवादास्पद सांविधिक मांग/देनदारी, जिनके लिए प्रावधान नहीं किया गया है e Statutory demands/ liabilities, in dispute, not provided for | 5671.12# | 35554.48* |
| च | उस सीमा तक पुनर्बीमा दायित्व जिसके लिए लेखा में प्रावधान नहीं किया गया f Reinsurance obligations to the extent not provided for in Accounts | NIL | NIL |
| छ | अन्य g Others | 118.01 | 132.15 |

* 35554.48 लाख रुपए में नई दिल्ली में आयकर प्राधिकारियों द्वारा दंड के रूप में लगाए गए 17388.50 लाख रुपए और 18128.94 लाख रुपए (क्रमशः आकलन वर्ष 2005-06 और 2010-11 के लिए) जम्मू में सेवा कर प्राधिकरण द्वारा सेवा कर के लिए वसूले गए ब्याज के 4.90 लाख रुपए, हैदराबाद में आयकर प्राधिकारियों द्वारा एमएसीटी ब्याज पर टीडीएस के लिए वसूले गए 23.14 लाख रुपए और उच्च न्यायालय, हैदराबाद में पूर्व कर्मचारी द्वारा दायर मुकदमें (2013-14) के लिए 9 लाख रुपए शामिल हैं।

* Rs.35554.48 lacs comprises of Rs. 17388.50lacs and Rs. 18128.94 lacs, being Penalty (for the AYs 2005-06 and 2004-05 respectively) imposed by Income Tax Authorities in New Delhi ,Rs.4.90 lacs being interest on Service tax 2007-08 levied by Service tax Authority in Jammu, Rs.23.14 lacs towards TDS on MACT interest levied by Income tax Authorities in Hyderabad and Rs.9 lacs towards case filed by ex-employee in the High Court,Hyderabad (2013-14).

5671.12 लाख रुपए में नई दिल्ली में आयकर प्राधिकारियों द्वारा दंड के रूप में लगाए गए 5628.48 लाख रुपए और 5.60 लाख रुपए (क्रमशः आकलन वर्ष 2005-06 और 2010-11 के लिए) जम्मू में सेवा कर प्राधिकरण द्वारा सेवा कर के लिए वसूले गए ब्याज के 4.90 लाख रुपए, हैदराबाद में आयकर प्राधिकारियों द्वारा एमएसीटी ब्याज पर टीडीएस के लिए वसूले गए 23.14 लाख रुपए और उच्च न्यायालय, हैदराबाद में पूर्व कर्मचारी द्वारा दायर मुकदमें (2013-14) के लिए 9 लाख रुपए शामिल हैं।



Rs.5671.12 lacs comprises of Rs.5628.48 lacs and Rs.5.60 lacs, being Penalty (for A.Ys 2005-06 and 2010-11 respectively) imposed by Income Tax Authorities in New Delhi, Rs.4.90 lacs being interest on Service tax 2007-08 levied by Service tax Authority in Jammu, Rs.23.14 lacs towards TDS on MACT interest levied by Income tax Authorities in Hyderabad and Rs.9 lacs towards case filed by ex-employee in the High Court, Hyderabad (2013-14).

(₹ in lacs)

| 2. | भारत में तथा भारत से बाहर कंपनी की परिसंपत्तियों पर ऋण भार Encumbrances to assets of the Company in and outside India | 31.03.2015 को | 31.03.2014 को |
|----|---|----------------------------|----------------------------|
| | | As at 31.03.2015 | As at 31.03.2014 |
| | क. न्यायालय के आदेशों से सील हुए बैंक खाते a. Bank Accounts frozen as per Court Orders | 60.78lacs | 49.36 lacs |
| | ख. सरकार की ओर से पर्यावरण राहत कोष के अंतर्गत रोकरी गई जमा राशियां b. Deposits held under Environment Relief fund on behalf of the Government | NIL | NIL |

(₹ in lacs)

| 3. | ऋणों, निवेशों एवं स्थायी परिसंपत्तियों के वचनबद्धताएं एवं बकाया (लाख रुपए में) Commitments made and outstanding for loans, investments and Fixed Assets(Rs. In lacs) | 31.03.2015 को | 31.03.2014 को |
|----|--|----------------------------|----------------------------|
| | | As at 31.03.2015 | As at 31.03.2014 |
| | क. ऋण a. Loans | 1.80 | 1.80 |
| | ख. आंशिक चुकता शेयर b. Partly Paid Shares | 15.13 | 15.13 |
| | ग. अग्रिम घटाते हुए पूंजी प्रतिबद्धताएं c. Capital Commitments Net of Advances | 25388.10 | 5408.30 |

(₹ in lacs)

| 4. | पुनर्बीमा घटाते हुए चुकता दावे Claims less Reinsurance, paid to | 31.03.2015 को | 31.03.2014 को |
|----|---|--|--|
| | | As at 31.03.2015 (लाख रुपए में) | As at 31.03.2014 (लाख रुपए में) |
| | क. भारत में दावेदार a. Claimants in India | 498875.11 | 429833.99 |
| | ख. भारत से बाहर दावेदार b. Claimants outside India | 9108.70 | 18202.85 |
| | ग. कुल c. Total | 507983.81 | 448036.84 |



5. जिन दावों के भुगतान को चार वर्ष से अधिक का समय हो गया है उन दावों के मामले में दावा देनदारियों के निर्धारण के लिए बीमांकिक अनुमान

जहां दावा भुगतान की अवधि चार वर्ष से अधिक हो गई है वहां कंपनी ने कोई पॉलिसी जारी नहीं की है।

5. Actuarial assumptions for the determination of claim liabilities in the case of claims where the claim payment period exceed four years.

The Company has not issued any policy where claim payment period exceeds four years.

6. दावों की अवधि (आईबीएनआर को छोड़कर प्रत्यक्ष)

क) भारत के भीतर

6. Ageing of claims (Direct excluding IBNR)

a) Within India

(₹ in lacs)

| व्यवसाय का वर्ग Class of Business | वर्ष Year | बकाया दावे Claims outstanding for | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------|--|----------------|--------------------------------------|----------------|------------------|----------------|
| | | छह माह से ज्यादा More than six months | | छह माह से कम Less than six months | | कुल Total | |
| | | संख्या Number | राशि Amount | संख्या Number | राशि Amount | संख्या Number | राशि Amount |
| अग्नि Fire | As at 31.3.2015 | 1983 | 137813.20 | 1628 | 53217.45 | 3611 | 191030.65 |
| | As at 31.3.2014 | 1936 | 124529.42 | 1478 | 36147.65 | 3414 | 160677.07 |
| मरीन Marine | As at 31.3.2015 | 1878 | 30487.59 | 2327 | 31898.89 | 4205 | 62386.48 |
| | As at 31.3.2014 | 1942 | 51687.22 | 1966 | 9179.76 | 3908 | 60866.98 |
| विविध Misc | As at 31.3.2015 | 164263 | 319195.79 | 86959 | 150620.80 | 251222 | 469816.59 |
| | As at 31.3.2014 | 220383 | 343384.35 | 103039 | 96481.74 | 323422 | 439866.09 |
| कुल Total | As at 31.3.2015 | 168124 | 487496.58 | 90914 | 235737.14 | 259038 | 723233.72 |
| | As at 31.3.2014 | 224261 | 519600.99 | 106483 | 141809.15 | 330744 | 661410.15 |

ख) भारत से बाहर

b) Outside India

(₹ in lacs)

| व्यवसाय का वर्ग Class of Business | वर्ष Year | बकाया दावे Claims outstanding for | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------|--|----------------|--------------------------------------|----------------|------------------|----------------|
| | | छह माह से ज्यादा More than six months | | छह माह से कम Less than six months | | कुल Total | |
| | | संख्या Number | राशि Amount | संख्या Number | राशि Amount | संख्या Number | राशि Amount |
| अग्नि Fire | As at 31.3.2015 | 42 | 2013.67 | 40 | 325.27 | 82 | 2338.94 |
| | As at 31.3.2014 | 67 | 292.53 | 52 | 2126.85 | 119 | 2419.38 |
| मरीन Marine | As at 31.3.2015 | 57 | 318.07 | 75 | 218.54 | 132 | 536.61 |
| | As at 31.3.2014 | 79 | 212.97 | 60 | 228.82 | 139 | 441.79 |
| विविध Misc | As at 31.3.2015 | 2488 | 4503.80 | 1339 | 1776.63 | 3827 | 6280.43 |
| | As at 31.3.2014 | 1566 | 1736.58 | 2774 | 6298.04 | 4340 | 8034.62 |
| कुल Total | As at 31.3.2015 | 2587 | 6835.54 | 1454 | 2320.44 | 4041 | 9155.98 |
| | As at 31.3.2014 | 1712 | 2242.08 | 2886 | 8653.71 | 4598 | 10895.79 |



ग) कुल
c) Total

(₹ in lacs)

| व्यवसाय का वर्ग Class of Business | वर्ष Year | बकाया दावे Claims outstanding for | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------|--|----------------|--------------------------------------|----------------|------------------|----------------|
| | | छह माह से ज्यादा More than six months | | छह माह से कम Less than six months | | कुल Total | |
| | | संख्या Number | राशि Amount | संख्या Number | राशि Amount | संख्या Number | राशि Amount |
| अग्नि Fire | As at 31.3.2015 | 2025 | 139826.87 | 1668 | 53542.72 | 3693 | 193369.59 |
| | As at 31.3.2014 | 2003 | 124821.95 | 1530 | 38274.50 | 3533 | 163096.45 |
| मरीन Marine | As at 31.3.2015 | 1935 | 30805.66 | 2402 | 32117.43 | 4337 | 62923.09 |
| | As at 31.3.2014 | 2021 | 51900.19 | 2026 | 9408.58 | 4047 | 61308.78 |
| विविध Misc | As at 31.3.2015 | 166751 | 323699.59 | 88298 | 152397.43 | 255049 | 476097.02 |
| | As at 31.3.2014 | 221949 | 345120.93 | 105813 | 102779.78 | 327762 | 447900.71 |
| कुल Total | As at 31.3.2015 | 170711 | 494332.12 | 92368 | 238057.58 | 263079 | 732359.70 |
| | As at 31.3.2014 | 225973 | 521843.07 | 109369 | 150462.86 | 335342 | 672305.94 |

(₹ in lacs)

| 7. | पुनर्बीमा जोखिम अंकन घटाते हुए प्रीमियम Premium less Reinsurance underwritten from | 31.03.2015 (लाख रूपए में) As at 31.03.2015 (Rs. In Lacs) | 31.03.2014 (लाख रूपए में) As at 31.03.2014 (Rs. In Lacs) |
|--|---|---|---|
| | | क. भारत में कारोबार a. Business in India | 631078.21 |
| ख. भारत से बाहर कारोबार b. Business outside India | 16160.50 | 20336.45 | |
| ग. कुल c. Total | 647238.71 | 638146.88 | |

8. क्या बाह्य प्रमाणों पर विश्वास किया गया है अथवा नहीं, इस तथ्य सहित आधार और उसके प्रमाणन के साथ श्रेणीवार विभिन्न जोखिम प्रणाली के आधार पर प्रीमियम आय की मात्रा स्वीकृत की जाती है:

प्रत्येक संबंधित राजस्व लेखा में जोखिमों के अनुमान के आधार पर पुनर्बीमा को घटाते हुए प्रीमियमों को स्वीकृत किया जाता है और असमाप्त जोखिमों के लिए राजस्व उसकी प्रतिशतता पर आधारित होता है, जो कि बीमा अधिनियम, 1938 के अनुसार अग्नि, मैरीन कार्गो और विविध व्यवसाय के मामले में 50 प्रतिशत और मैरीन हल व्यवसाय के मामले में 100 प्रतिशत होता है।

8. Extent of premium income recognized, based on varying risk pattern, category wise, with basis and certification thereof, including whether reliance has been placed on external evidence:

Premiums are recognized, net of reinsurance, based on assumption of risks in each related Revenue account and Reserve for Unexpired Risks is based on a percentage thereof, being 50% in case of Fire, Marine Cargo and Miscellaneous business and 100% in case of Marine Hull business as per Insurance Act, 1938.



(₹ in lacs)

| 9. | निवेशों के संबंध में अनुबंधों का मूल्य Value of contracts in relation to investments for | 31.03.2015 | 31.03.2014 |
|----|---|------------------------------------|------------------------------------|
| | | (लाख रूपए में) As at 31.03.2015 | (लाख रूपए में) As at 31.03.2014 |
| | क. खरीद जहां आपूर्ति लंबित है a. Purchases where deliveries are pending | शून्य NIL | शून्य NIL |
| | ख. बिक्री, जहां भुगतान अतिदेय है b. Sales where payments are overdue | शून्य NIL | शून्य NIL |

(₹ in lacs)

| 10. | उचित मूल्य आधार पर मूल्यांकित इक्विटी शेयरों/म्यूचुअल फंडों की इकाइयों की ऐतिहासिक लागत Historical cost of Equity Shares/ Units of Mutual Funds valued on Fair Value Basis | 31.03.2015 | 31.03.2014 |
|-----|---|------------------------------------|------------------------------------|
| | | (लाख रूपए में) As at 31.03.2015 | (लाख रूपए में) As at 31.03.2014 |
| | | 218379.10 | 223086.92 |

11. प्रबंधकीय पारिश्रमिक की गणना

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के प्रावधानों के अनुसार, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों और निदेशकों को अदा किए जाने वाले पारिश्रमिक की गणना धारा 198 में निर्धारित तरीके से की जाती है और यह कंपनी के निवल लाभों के 11 प्रतिशत से अधिक नहीं होती। गत वर्ष तक, कंपनी को सरकारी कंपनी होने की वजह से कंपनी अधिनियम की धारा 620 के अंतर्गत दिनांक 31 जनवरी 1978 की अधिसूचना जीएसआर 235 के द्वारा छूट प्राप्त थी।

11. Computation of managerial remuneration

As per provisions of section 197 of the Companies Act, 2013, remuneration paid to Key Managerial Personnel and directors has been computed in the manner laid down in Section 198 and does not exceed 11% of the net profits of the Company. Till previous year, the company being a Government Company was exempted vide notification GSR 235 dated 31st January 1978 under section 620 of the Companies Act, 1956.

12 ऋण प्रतिभूतियों के परिशोधन के आधार पर:-

ऋण प्रतिभूतियों का परिशोधन परिपक्वता के तारीख तक अवशिष्ट दिनों की संख्या के आधार पर किया जाता है। परिशोधन की गणना करते समय पुट/कॉल के विकल्प पर विचार नहीं किया जाता। बहरहाल, आंशिक शोधन, यदि कोई हो, पर विचार किया जाता है।

12. Basis of Amortization of Debt Securities:-

Debt Securities are amortized on the basis of residual number of days up to the date of maturity. While working out amortization put/call option is not considered. However, partial redemption, if any, is taken into account.

13 उपार्जन के लंबित रहते, 'उचित मूल्य परिवर्तन खाता' में ऋण शेष वितरण के लिए उपलब्ध नहीं है।

13. Pending realization, the credit balance in the 'Fair value change Account' is not available for distribution.



14. निवेश संपदा का उचित मूल्य एवं उसका आधार

आईआरडीएआई (बीमा कंपनियों का वित्तीय विवरण एवं लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट तैयार करना), विनियमन, 2002 के अंतर्गत आवश्यक निवेश संपदा (रीयल एस्टेट) का मूल्य ऐतिहासिक लागत में से संचयी मूल्यह्रास एवं हानि, यदि कोई हो, पर आंका गया है।

14. Fair value of Investment Property and basis thereof

As required under the IRDAI (Preparation of Financial Statements and Auditor's Report of Insurance Companies) Regulations, 2002, the value of Investment Property (Real Estate) has been valued at historical cost less accumulated depreciation and impairment loss, if any.

(₹ in lacs)

| | | 31.03.2015 (लाख रूपए में) As at 31.03.2015 | 31.03.2014 (लाख रूपए में) As at 31.03.2014 |
|-----|--|--|--|
| 15. | तुलन पत्र की तिथि को निस्तारित दावे तथा 6 माह से अधिक समय से गैर चुकता शेष Claims settled and remaining unpaid for more than 6 months as on the Balance Sheet date | 5.30 | 6.18 |

(₹ in lacs)

| 16. | सांविधिक अपेक्षाओं के अनुरूप किए गए निवेश Investments made in accordance with statutory requirements | 31.03.2015 (लाख रूपए में) As at 31.03.2015 | 31.03.2014 (लाख रूपए में) As at 31.03.2014 |
|-----|---|--|--|
| | क. बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 7 के अनुरूप केंद्र सरकार की 6.01 प्रतिशत प्रतिभूतियां 2028 एचडीएफसी बैंक के पास जमा a. 6.01% Central Government Securities 2028 deposited with HDFC Bank in accordance with Section 7 of Insurance Act, 1938 | 1711.07 F.V.1700.00 | 1711.92 F.V.1700.00 |
| | ख. स्थानीय कानूनों के अंतर्गत सांविधिक जमा के रूप में भारत से बाहर किए गए निवेश b. Investments made outside India by way of Statutory Deposits under local laws | 10470.54 | 9044.64 |
| | ग. सेबी के निर्देशों के अनुरूप संस्थागत व्यापार के लिए मार्जिन के रूप में सावधि जमा c. Fixed Deposits as margins for Institutional Trades as per SEBI directives | 500.00 | 500.00 |



(₹ in lacs)

| | | | |
|--------------------|---|--|--|
| 17. | लेखाकरण नीति संख्या 10.8 के अनुरूप आय की स्वीकृति के उद्देश्य से ऋण सहित सक्रिय एवं गैर सक्रिय* निवेश का विवरण नीचे दिए गए विवरण के अनुसार है: Performing* and non-performing* investments including loans for the purpose of income recognition as per Accounting Policy No. 10.8 are as under: | | |
| | | 31.03.2015 (लाख रूपए में) As at 31.03.2015 | 31.03.2014 (लाख रूपए में) As at 31.03.2014 |
| | क. सक्रिय निवेश a. Performing Investments | 863873.32 | 786713.15 |
| | ख. गैर-सक्रिय निवेश b. Non-Performing Investments | 6775.01 | 5405.24 |
| ग. कुल c. Total | 869540.00 | 792118.39 | |

* Excluding mutual fund, venture fund, equity and preference shares.

* Excluding mutual fund, venture fund, equity and preference shares.

18. पिछले पांच वर्षों के लिए वित्तीय विवरणों का सार:

पिछले पांच वर्षों के लिए वित्तीय विवरणों का सार निम्नानुसार है:

18. Summary of financial statements for the last 5 years:

The summary of financial statements of the Company for the last five years are as under:

(₹ in lacs)

| वित्तीय विवरणों का सार Summary of Financial Statements | | | | | | |
|---|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| क्र. सं. Sl. No. | विवरण प्रचालन परिणाम Particulars OPERATING RESULTS | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2011-12 | 2010-11 |
| 1 | सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम Gross Direct Premium | 756193 | 728254 | 673766 | 619460 | 556988 |
| 2 | निवल प्रीमियम Net Premium | 647238 | 638147 | 554524 | 523665 | 461158 |
| 3 | निवेश से आय (निवल) Income from Investment (net) | 210054 | 191740 | 185032 | 161920 | 178772 |
| 4 | अन्य आय Other Income | 4894 | 3325 | 357 | 2453 | 967 |
| 5 | कुल आय Total Income | 862186 | 833212 | 739913 | 688038 | 640897 |
| 6 | कमीशन (निवल) (दलाली सहित) Commission(Net)(Including Brokerage) | 34782 | 35744 | 30467 | 32453 | 28590 |



| वित्तीय विवरणों का सार Summary of Financial Statements | | | | | | |
|---|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| क्र. सं. Sl. No. | विवरण Particulars OPERATING RESULTS | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2011-12 | 2010-11 |
| 7 | प्रचालन व्यय Operating Expenses | 234798 | 177543 | 174870 | 135446 | 157254 |
| 8 | निवल उपगत दावे Net Incurred Claims | 526150 | 511102 | 439285 | 489306 | 406536 |
| 9 | निवल असमाप्त जोखिम रिजर्व में परिवर्तन Change in Unexpired Risk Reserve | 4722 | 42750 | 15817 | -5801 | 30476 |
| 10 | प्रचालन लाभ/हानि Operating Profit/Loss | 61734 | 66073 | 79474 | 36634 | 18041 |
| | गैर-प्रचालन परिणाम NON OPERATING RESULT | | | | | |
| 11 | शेयरधारक लेखा के तहत कुल आय Total Income under Shareholder"s account | | | | | |
| 12 | कर पूर्व लाभ/(हानि) (घटाएं: पूर्वावधि मदें) Profit/(loss) before tax (less: Prior period items) | 62035 | 65381 | 79520 | 36241 | 17939 |
| 13 | कर के लिए प्रावधान (पूर्ववर्ती वर्षों तथा डीटीए/डीटीएल के लिए प्रावधान सहित) Provision for tax (including provision for earlier years and DTA/DTL) | 22825 | 19352 | 26131 | 10902 | 12477 |
| 14 | कर पश्चात लाभ/(हानि) Profit/(loss) after tax | 39210 | 46029 | 53389 | 25339 | 5462 |
| 15 | पॉलिसी धारक का लेखा: Policyholder"s Account: | | | | | |
| | कुल निधि Total funds | 1053979 | 1031090 | 925275 | 831309 | 716955 |
| | कुल निवेश Total Investments | 1609782 | 899955 | 827144 | 726184 | 643420 |
| | निवेश पर आय Yield on Investments | 9.12% | 8.92% | 8.95% | 9.24% | 8.95% |



| वित्तीय विवरणों का सार Summary of Financial Statements | | | | | | |
|---|---|----------|----------|----------|---------|---------|
| क्र. सं. Sl. No. | विवरण Particulars OPERATING RESULTS | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2011-12 | 2010-11 |
| 16 | शेयर धारकों की लेखा Shareholder"s Account | | | | | |
| | कुल निधि Total funds | 318183 | 292174 | 258780 | 217852 | 198402 |
| | कुल निवेश Total Investments | 456160 | 251766 | 231335 | 190303 | 178053 |
| | निवेश पर आय Yield on Investments | 9.12% | 8.92% | 8.95% | 9.24% | 8.95% |
| 17 | प्रदत्त इक्विटी पूंजी Paid up Equity Capital | 20000 | 15000 | 15000 | 10000 | 10000 |
| 18 | निवल मूल्य Net Worth | 318183 | 289202 | 252838 | 217852 | 198402 |
| 19 | कुल परिसंपत्तियां Total Assets | 2628486 | 2390805 | 2187937 | 1997121 | 1938831 |
| 20 | कुल निवेश पर लाभ Yield on total investments | 9.12% | 8.92% | 8.95% | 9.24% | 8.95% |
| 21 | प्रति शेयर उपार्जन (रुपए) Earning per share (Rs.) | 19.60 | 30.69 | 35.59 | 25.34 | 5.46 |
| 22 | प्रति शेयर बही मूल्य (रुपए) Book Value per share (Rs.) | 159.09 | 192.80 | 168.56 | 217.85 | 198.40 |
| 23 | कुल लाभांश Total Dividend | 11000.00 | 10800.00 | 10650.00 | 5067.00 | 0.00 |
| 24 | प्रति शेयर लाभांश (रुपए) Dividend per share (Rs.) | 5.50 | 7.20 | 7.10 | 5.07 | 0.00 |

19. लेखाकरण अनुपात:

वित्त वर्ष 2014-15 के लिए महत्वपूर्ण लेखाकरण अनुपात नीचे दिए गए अनुसार हैं:

19. Accounting Ratios:

The important accounting ratios for the FY 2014-15 are as under:

| गैर-जीवन बीमा कम्पनियों के लिए विश्लेषणात्मक अनुपात % Analytical Ratios for Non-Life companies % | | | |
|---|--|------------|------------|
| क्र. सं. Sl. No. | विवरण Particulars | 31.03.2015 | 31.03.2014 |
| 1 | सकल मूल्य प्रीमियम वृद्धि दर (प्रतिशत) Gross Direct Premium Growth Rate | 3.84 | 8.09 |
| 2 | निवल मूल्य के संबंध में सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम अनुपात (प्रतिशत) Gross Direct Premium to Net Worth ratio | 237.65 | 251.81 |



| गैर-जीवन बीमा कम्पनियों के लिए विश्लेषणात्मक अनुपात % Analytical Ratios for Non-Life companies % | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|
| क्र. सं. Sl. No. | विवरण Particulars | 31.03.2015 | 31.03.2014 |
| 3 | निवल मूल्य की वृद्धि दर Growth rate of Net Worth | 10.02 | 14.38 |
| 4 | निवल प्रतिधारण अनुपात Net Retention Ratio | 82.19 | 82.48 |
| 5 | निवल कमीशन अनुपात Net Commission Ratio | 5.37 | 5.60 |
| 6 | सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम के संबंध में प्रबंधन व्यय अनुपात Expense of Management to Gross Direct Premium Ratio | 37.24 | 30.62 |
| 7 | निवल लिखित प्रीमियम के संबंध में प्रबंधन व्यय अनुपात Expenses of Management to Net Written Premium Ratio | 43.50 | 34.94 |
| 8 | निवल अर्जित प्रीमियम के संबंध में निवल उपगत दावे Net Incurred Claims to Net Earned Premium | 81.89 | 85.84 |
| 9 | संयुक्त अनुपात Combined Ratio | 123.54 | 119.26 |
| 10 | निवल प्रीमियम के संबंध में तकनीकी आरक्षित अनुपात Technical Reserves to Net Premium Ratio | 1.63 | 1.62 |
| 11 | जोखिम अंकन शेष अनुपात Underwriting balance ratio | (-)0.24 | (-)0.22 |
| 12 | प्रचालन लाभ अनुपात Operating profit ratio | 8.56 | 10.54 |
| 13 | देयताओं के संबंध में अर्थसुलभ परिसंपत्तियों का अनुपात Liquid Assets to liabilities ratio | 0.30 | 0.30 |
| 14 | निवल उपार्जन अनुपात Net Earnings ratio | 6.05 | 7.21 |
| 15 | निवल मूल्य पर लाभ अनुपात Return on net worth ratio | 12.32 | 15.92 |
| 16 | अपेक्षित ऋण शोधन क्षमता के अंतर (आरएसएम) के संबंध में उपलब्ध ऋण शोधन क्षमता के अंतर (एएसएम) का अनुपात Available Solvency Margin(ASM) to Required Solvency Margin(RSM) ratio | 1.68 | 1.64 |
| 17 | सकल एनपीए अनुपात-पॉलिसी धारकों का फंड: शेयरधारक फंड Gross NPA Ratio-Policy holders funds ; Shareholder funds सकल एनपीए अनुपात Net NPA Ratio | 0.35 : 0.10 0 : 0 | 0.42 : 0.12 0 : 0 |

20. राजस्व लेखा तथा लाभ एवं हानि लेखा के बीच ब्याज, लाभांश एवं किराए के आवंटन का आधार

कंपनी की लेखाकरण नीतियों की क्रम संख्या ए4(5) के अनुरूप ब्याज, लाभांश तथा किराए के रूप में प्राप्त आय को वर्ष के आरंभ में पॉलिसीधारक निधि एवं शेयरधारक निधि के आधार पर राजस्व लेखा तथा लाभ एवं हानि लेखा के बीच आवंटित किया जाता है।



20. Basis of allocation of interest, dividends and rent between Revenue Accounts and Profit & Loss account.

As per sl. no. A 4 (5) of Accounting policies of the Company, income by way of Interest, Dividend and Rent are allocated between Revenue accounts and Profit & Loss account on the basis of Policyholders' Fund and Shareholders' Fund as at the beginning of the year.

(₹ in lacs)

| 21. भारतीय प्रत्यक्ष प्रीमियम का क्षेत्रवार ब्यौरा Sector-wise break-up of Indian Direct Premium | | As at 31.03.2015 | As at 31.03.2014 |
|---|--|---------------------|---------------------|
| क. ग्रामीण क्षेत्र a. Rural Sector | | 100990.51 | 82877.93 |
| ख. सामाजिक क्षेत्र b. Social Sector | | 161319.85 | 74191.86 |
| ग. अन्य c. Others | | 478485.34 | 555714.21 |
| घ. कुल d. Total | | 740795.70 | 712784.00 |

22. पुनःसंरचना के अधीन निवेशों का ब्यौरा:

विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत पुनः संरचित कुल परिसंपत्तियों के आंकड़ों को संकलित किया जा रहा है। संबंधित श्रेणियों के अंतर्गत वर्ष के दौरान तथा पिछले वर्ष में पुनः संरचित एवं क्रियान्वित की गई परिसंपत्तियों को नीचे दर्शाया गया है:

22. Break-up of investments subjected to restructuring

The figures of total assets restructured under various categories are being compiled. The assets restructured and implemented during the year and during previous year, under respective categories, are given below:

(₹ in lacs)

| क्र.सं. Sr. No. | परिसंपत्ति की श्रेणी Category of Asset | पुनःसंरचना के अधीन तथा कार्यान्वित की गई (वर्ष के दौरान) परिसंपत्तियां Assets subjected to Restructuring and implemented (during the year) | |
|--------------------|---|---|-----------|
| | | 2014-15 | 2013-2014 |
| 1 | मानक Standard | 0.00 | 0.00 |
| 2 | मानक से निम्नतर Sub Standard | 0.00 | 0.00 |
| 3 | संदिग्ध Doubtful | 554.11 | 924.16 |
| 4 | हानि Loss | 0.00 | 0.00 |
| | कुल Total | 554.11 | 924.16 |



23. व्यवसाय अधिग्रहण लागत का ब्यौरा

भारतीय प्रत्यक्ष व्यवसाय के संबंध में वर्ष 2014-15 के दौरान उपगत कमीशन/दलाली का विवरण नीचे दिया गया है:

23. Break up of Business Acquisition Cost

The Commission/Brokerage incurred during the year 2014-15 in respect of Indian Direct Business is given below:

| क्र.सं. Sr. No. | श्रेणी Category | 2014-15 | 2013-14 |
|--------------------|--|----------|----------|
| 1 | अभिकर्ता Agents | 34094.45 | 33344.40 |
| 2 | दलाल Brokers | 9698.67 | 9304.73 |
| 3 | कारपोरेट एजेंसी Corporate Agency | 2980.37 | 2766.46 |
| 4 | रेफरल व्यवस्था Referral Arrangement | 0 | 0 |
| | कुल Total | 46773.49 | 45415.59 |

(₹ in lacs)

24. निवेश

24.1 4.23 लाख रुपए के क्रय मूल्य (गत वर्ष 4.23 लाख रुपए) वाले 29.39 लाख रुपए के बही मूल्य (उचित मूल्य) (गत वर्ष 20.27 लाख रुपए) के शेयरों को कंपनी के नाम पंजीकृत नहीं किया गया है क्योंकि इसका अंतरण 1998 से पहले की अवधि के लिए आपत्ति के अधीन है।

24.2 कंपनी के बहीखातों के अनुसार भारतीय स्टॉक होल्डिंग कारपोरेशन (कस्टोडियन) द्वारा जारी प्रमाणपत्रों की दृष्टि से निवेश में विसंगति पाई गई है। बही मूल्य में यह अंतर 0.09 लाख रुपए एसएचसीआईएल की बही में कम तथा 3.06 लाख रुपए एसएचसीआईएल की बही में ज्यादा (पिछले वर्ष क्रमशः 1.31 लाख रुपए और 6.18 लाख रुपए) है। इस अंतर का समाधान किया जा रहा है।

24.3 ऋणों के एकमुश्त समाधान/पुनःसंरचना शोधन के संबंध में 540.28 लाख रुपए (गत वर्ष 11.25 लाख रुपए की निवल निर्गत राशि) के अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधानों में निवल निर्गम राशि समाहित की गई है।

24.4 तुलन पत्र की तिथि को गैर क्रियाशील परिसंपत्तियों

24. Investments

24.1 Shares of the book value (fair value) of Rs 29.39 lacs (Previous year Rs20.27lacs) having purchase value of Rs.4.23 lacs (Previous year Rs.4.23 lacs) have not been registered in the name of the company, as the transfers are under objection for the period prior to 1998.

24.2 There are discrepancies in investments as per company's books with the certificates issued by Stock Holding Corporation of India (custodian) of book value (fair value) of Rs0.09 lacs (Short) in SHCIL books) and Rs.3.06 lacs (Excess) in SHCIL books (Previous year Rs. 1.31lacs and Rs6.18lacs respectively). The differences are under reconciliation.

24.3 There is a net release in provisions for bad & doubtful debts of Rs 540.28 lacs (Previous year net release Rs11.25lacs) on account of One Time Settlements/ Restructuring/ Redemption of debts.

24.4 Loans/investments under non-performing assets as on the date of Balance Sheet have



के अंतर्गत ऋण/निवेश को दीर्घकालीन श्रेणी के तहत वर्गीकृत किया गया है क्योंकि इनकी वसूली निश्चित नहीं है।

24.5 निवेशों पर आईआरडीएआई के मानकों के अनुरूप सूचीबद्ध इक्विटी/म्युचुअल फंड के उचित मूल्य में परिवर्तन के कारण उत्पन्न 972913.78 लाख रुपए (गत वर्ष 857011.36 लाख रुपए) के अप्राप्त लाभ/हानि को निवेश में लाया गया है और उसके लिए 'उचित मूल्य परिवर्तन लेखा' में तदनु रूप समान आरक्षित राशि की व्यवस्था की गई है। लाभ एवं हानि पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है और इस तरह की आरक्षित राशि वितरण के लिए उपलब्ध नहीं है।

24.6 दीर्घकालीन निवेशों की बिक्री पर को 31.03.2015 समाप्त वित्त वर्ष के दौरान 87937.75 लाख रुपए (गत वर्ष 85995.45 लाख रुपए) का लाभ हुआ।

25 अचल संपत्तियां

अचल परिसंपत्तियों में 2432.59 लाख रुपए (गत वर्ष 2432.59 लाख रुपए) की लागत की कतिपय संपत्तियां शामिल हैं जिनके लिए या तो स्वामित्व विलेख रिकॉर्ड में नहीं है या पंजीकरण लंबित है। इनके पंजीकरण/स्टांप शुल्क प्रभारों को अब तक लेखाबद्ध नहीं किया गया है और उसको पंजीकरण के समय परिकलित किया जाएगा।

26. निम्नलिखित शीर्षों के अधीन शेष समाधान/अभिपुष्टि के लिए लंबित हैं

- एजेंटों की शेष राशि निवल
- प्रीमियम जमा राशि एवं एजेंटों के प्रीमियम को वर्तमान देनदारियों में सम्मिलित किया गया है।
- बंद कंपनियों के पास आरक्षित जमा
- बीमा व्यवसाय करने वाले अन्य व्यक्तियों अथवा निकायों पर/को बकाया राशि
- कर्मचारियों पर/को बकाया राशि
- फुटकर देनदार
- फुटकर लेनदार
- अग्रिम

उपर्युक्त के संबंध में यदि कोई समायोजन होना है तो उसे अभिपुष्टि/विश्लेषण/समाधान के बाद ही किया जाएगा।

27. मूल्यहास/ऋण परिशोधन

(i) मूर्त स्थायी परिसंपत्तियों पर मूल्यहास का प्रावधान करने

been classified under long term category as their realisability is not certain.

24.5 In accordance with IRDAI norms on investments, unrealized gains/ loss of Rs 972913.78 lacs (Previous year Rs.857011.36 lacs) arising due to change in fair value of listed equities and mutual funds are taken to investment and corresponding equal reserve created for the same as 'Fair Value Change Account'. There is no effect on Profit and Loss account and such reserve is not available for distribution.

24.6 Profit on sale of long term investments amounted to Rs.87937.75 lacs (Previous year Rs. 85995.45lacs) during the financial year ended 31.03.2015.

25. Immovable Properties

Fixed assets include certain properties costing Rs. 2432.59lacs (previous year Rs2432.59 lacs) for which either title deeds are not on record or registration is pending. The registration/stamp duty charges, to the extent not accounted, will be accounted for at the time of registration.

26. Balances under the following heads are pending reconciliation / confirmation

- Agents" Balances (Net)
- Premium Deposits and Agents" Premium, included in Current Liabilities.
- Reserve Deposits with ceding companies.
- Amounts due to /from other persons or bodies carrying on Insurance Business.
- Amounts due to/ from employees.
- Sundry Debtors
- Sundry Creditors
- Advances

The adjustments, if any, in respect of above will be made upon confirmation/analysis/reconciliation.

27. Depreciation/Amortization

(i) There is a change in Accounting Policy of the Company for providing depreciation on tangible Fixed Assets. The Company was earlier charging the depreciation on WDV method at higher of



के लिए कंपनी की लेखाकरण नीति में बदलाव आया है। पहले कंपनी, कंपनी अधिनियम, 1956 और आयकर अधिनियम, 1961 में उल्लिखित दरों में से उच्चतर दरों पर डब्ल्यूडीवी तरीके से मूल्यह्रास प्रभारित कर रही थी। कंपनी अधिनियम में परिवर्तन की वजह से, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के भाग ग में दिए गए तरीके के अनुसार सरल रेखा आधार मूर्त स्थायी परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास प्रभारित करने का निर्णय किया है। लेखाकरण नीति में परिवर्तन के कारण, वित्त वर्ष 2014-15 का मूल्यह्रास प्रभार उस प्रभार की तुलना में 136.44 लाख रुपए कम है जो पिछली लेखाकरण नीति का उपयोग करके प्राप्त होता। चालू वर्ष के लिए लाभ में समतुल्य राशि जितनी वृद्धि हुई है।

28. असमाप्त जोखिम के लिए आरक्षित राशि

वर्ष के दौरान भारत में अर्जित प्रत्यक्ष प्रीमियम जो आगामी लेखाकरण अवधि में योगदान देने वाला तथा उसमें आवंटित होने वाला है वह बीमा अधिनियम, की धारा 64वी (1)(ii) (ख) में वर्णित प्रतिशत स्तर से कम है और इसलिए पुनर्बीमा के सकल प्रीमियम पर असमाप्त जोखिमों के लिए रिजर्व का निर्माण केवल विविध व्यवसाय को छोड़कर सभी संवर्गों में आईआरडीएआई के विनियमों के अनुरूप धारा में वर्णित प्रतिशत स्तर पर तथा आईआरडीएआई के विनियमों के अनुसार धारा 64 वी(1)(ii) (ख) में वर्णित प्रतिशत स्तर पर तथा आईआरडीएआई के वित्तीय विवरण तैयार करना – सामान्य बीमा के संबंध में अक्टूबर, 2012 में जारी मास्टर परिपत्र के अनुसार और बीमा अध्यादेश 2014 के अनुसार किया गया है। (देखें लेखाकरण नीति 4.1)

29. आय कर एवं सेवा कर आकलन की स्थिति

- आकलन वर्ष 2012-13 हेतु एवं उस वर्ष तक आय कर तथा वित्तीय वर्ष 2002-03 के लिए/तक एवं वित्तीय वर्ष 2008-09 से 2010-11 तक के लिए सेवा कर का आकलन पूरा कर लिया गया है। पूर्ववर्ती वर्षों के लिए आय कर तथा सेवा कर से संबंधित कतिपय अपीलें लंबित हैं। आकलन/अपील के पूरा होने के बाद आवश्यक समायोजन किए जाए।
- ऐसे मामलों में, जहां कंपनी ने सक्षम प्राधिकरण के पास अपील कर रखी है या इसकी प्रक्रिया में है, वहां जहां कहीं उपयुक्त समझा गया, आय कर अधिकारियों द्वारा

the rates mentioned in the Companies Act,1956 and Income Tax Act, 1961. Due to change in the Companies Act, the Company has decided to charge depreciation on tangible Fixed Assets in accordance with the methodology provided in Part C of Schedule II to the Companies Act,2013, on Straight Line basis. Due to this change in Accounting Policy, the depreciation charge for the F.Y.2014-15 is less by Rs.136.44 lacs as compared to the charge which would have been arrived by using the previous accounting policy .The profit for the current year has increased by an equivalent amount.

28. Reserve for Unexpired Risk

Direct Premium written in India during the year attributable to and to be allocated to succeeding accounting periods is less than the percentages laid down in Sec 64V(1)(ii)(b) of the Insurance Act, 1938 and hence Reserve for Unexpired Risks on Premium net of Reinsurance is created at the percentages laid down in Sec 64V(1)(ii) (b) in accordance with IRDAI Regulations in all segments (Refer Accounting Policy No. 4.1, as per IRDAI Master Circular on preparation of Financial Statements-General Insurance- issued in October"2012 and as per Insurance Ordinance 2014.

29. Status of income tax and service tax assessments

- The income tax assessment for and up to the assessment year 2012-13 and service tax assessment for and up to financial year 2002-03 and for the financial years 2008-09 to 2010-11 have been completed. Certain appeals pertaining to Income Tax and Service Tax are pending for the earlier years. The necessary adjustments shall be carried out after completion of assessments/appeals.
- Demands raised by Income Tax authorities have been fully provided for, wherever considered appropriate, in cases where the company has filed or is in the process of filing an appeal with the appropriate authority.



उठाई गई मांगों का पूरी तरह निपटारा कर दिया गया है।

- (iii) माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश पर आधारित आय कर वापसी की रकम 2461 लाख रुपए तथा उस पर ब्याज की राशि 8283 लाख रुपए का लेखा जोखा वित्त वर्ष 2004-05 के अनुमानित आधार पर किया गया है। लेकिन आय कर विभाग द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल की गई अपील को ध्यान में रख कर तथा सीओडी द्वारा स्वीकृति दिए जाने के बाद आकलन वर्ष 1974-75, 1976-77, 1977-78 और 1979-80 से संबंधित अप्राप्त ब्याज के लिए 6518 लाख रुपए का प्रावधान वर्ष 2005-06 में सृजित किया गया था। यद्यपि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपील का फैसला हमारे पक्ष में दिया है लेकिन फिर भी कंपनी ने अभी तक सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के प्रभाव को मान्यता नहीं दी है, क्योंकि ब्याज की वापसी के लिए आय कर विभाग से मिलने वाली सूचना अभी प्रतीक्षित है।
- (iv) आय कर विभाग की ओर से आकलन वर्ष 1978-79 के लिए 61.74 करोड़ रुपए के रिफंड आदेश के आधार पर वर्ष के दौरान 19.14 करोड़ रुपए की ब्याज की आय बही में डाली गई है।
- (v) कर हेतु प्रावधान में चालू वर्ष 2014-15 के लिए 22820 लाख रुपए और गत वर्ष 2013-14 के लिए 5 लाख रुपए शामिल है।

30. बकाया दावों के लिए प्रावधान:

अक्टूबर 2012 में जारी आईआरडीएआई के मास्टर परिपत्र के अनुसरण में, नियुक्त बीमांकिक/मुहररर ने चालू वर्ष 2014-15 के लिए स्वास्थ्य सेगमेंट के अधीन फ्री लुक अवधि के प्रावधान का मूल्यांकन 0.71 लाख रुपए (गत वर्ष 0.51 लाख रुपए) के रूप में किया है।

31. प्रीमियम में कमी

अग्नि, मैरीन एवं विविध राजस्व लेखा में प्रीमियम में कोई कमी नहीं है और इसलिए वर्तमान वित्तीय वर्ष में किसी प्रीमियम की कमी के लिए प्रावधान नहीं किया गया है। तथापि, विविध के अंतर्गत आने वाले आठ संवर्गों में से विमानन में लाख रुपए गत 362 वर्ष लाख रुपए (गत वर्ष 543 लाख रुपए) की प्रीमियम की कमी दर्ज की गई। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य संवर्ग (प्रीमियम जोखिम अंकन में 10 प्रतिशत से अधिक का योगदान करने वाला एक

- (iii) Based upon Hon"ble Delhi High Court Order, Income Tax refund and interest thereon of Rs.2461 lacs and Rs. 8283 lacs respectively were accounted for on an estimated basis in the FY 2004-05. However in view of the appeal filed by the I.T. Department in Hon"ble Supreme Court and clearance given by COD, a provision of Rs. 6518 lacs towards unrealised interest relating to assessment years 1974-75, 1976-77, 1977-78 and 1979-80 was created in 2005-06. Though the appeal has been decided by Hon"ble Supreme Court in our favour, the Company has not yet recognized the effect of Supreme Court order, as intimation from IT department for refund of interest is still awaited.
- (iv) An interest income of Rs.19.14 crores has been booked during the year on the basis of intimation of refund order of Rs.61.74 crores received from the Income Tax Department for the Assessment Year 1978-79.
- (v) Provision for tax includes Rs.22820 lacs for the current year 2014-15 and Rs 5 lacs for the previous year 2013-14 .

30. Provisions For Outstanding Claims:

In pursuance to IRDAI Master Circular issued in October" 2012 ,the Appointed Actuary has valued the provision for Free Look Period under the Health Segment as Rs.0.71 lacs for the current year 2014-15 (Previous year Rs.0.51 lacs)

31. Premium Deficiency

Overall there is no Premium Deficiency in Fire, Marine and Miscellaneous Revenue Accounts put together and hence no premium deficiency has been provided in the current financial year. However, under the 8 segments falling under Miscellaneous, there is Premium Deficiency of Rs. 362 lacs (Previous year Rs543 lacs) in Aviation. In addition, in Health segment (a reportable segment which contributes to more than 10% of the Premium underwritten), the Premium Deficiency works out to Rs.15873 lacs (previous year Rs. 4096 lacs).

The Premium deficiency is recognized if the sum of expected claims cost, related expenses and



महत्वपूर्ण संवर्ग है) में 15873 लाख रुपए (गत वर्ष 4096 लाख रुपए) की प्रीमियम की कमी दर्ज की गई है।

यदि प्रत्याशित दावों की राशि, संबंधित व्यय और दावों क निपटान से संबंधित रख-रखाव लागत व्यवसाय के संबंधित वर्ग के लिए अप्राप्त प्रीमियम से अधिक होती है, तो प्रीमियम कमी को स्वीकृत किया जाता है।

32. निम्नलिखित शीर्षों के अधीन किया गया व्यय

- आउटसोर्सिंग व्यय: रुपए 12560.95 लाख रुपए
- विपणन सहयोग: शून्य रुपए

33. एमएसीटी मामलों में स्रोत पर कर कटौती में विफलता हेतु आय कर की मांग के मद में आय कर (अपीलों) के लिए चुकाए गए 289.40 लाख रुपए सहित 5558.84 लाख रुपए की फुटकर देनदारी, जो अब तक बकाया है और इसलिए उसे पूरी राशि प्रदान की गई है।

34. तकनीकी विभागों के समूह जोखिम अंकन प्रकोष्ठों (जीयूसी) एवं पुनर्बीमा खातों द्वारा अनुरक्षित खातों के बीच सौंपे गए संभागीय प्रीमियम तथा संभागीय दावे की चुकता वापसी की राशि का पुनर्मिलान नहीं हुआ है।

31.03.2015 को संभागीय प्रीमियम के लिए निवल अंतर 11937.70 लाख रुपए (गत वर्ष 6749.67 लाख रुपए) तथा भुगतान के सापेक्ष वापसी का अंतर 1330.68 लाख रुपए (गत वर्ष 4676.26 लाख रुपए) बैठता है।

35. लेखाकरण मानक 3: नकद प्रवाह विवरण

कंपनी का नकद प्रवाह विवरण प्रत्यक्ष विधि के तहत तैयार किया गया है।

36. लेखाकरण मानक 5: पूर्वावधि मदें:-

क) पूर्वावधि अवधि मदों में निम्नलिखित शामिल हैं:

maintenance costs related to claims handling exceeds the unearned premium for the related class of business.

32. Expenses Incurred Under Following Heads

- Outsourcing Expenses Rs.12560.95 lacs
- Marketing Support Rs. NIL

33. Sundry debtors of Rs5558.84 lacs includes Rs. 289.40 lacs paid to income tax(appeals) on account of income tax demand for failure to deduct tax at source in MACT cases, which remains outstanding and so has been provided fully.

34. There is non reconciliation of amount of facultative premium ceded and facultative claims paid recoveries between the accounts maintained by the reinsurance accounts and the group underwriting cells (GUC) of technical departments.

As on 31.03.2015 the net difference for facultative premium ceded comes to Rs 11937.70 lacs (previous year Rs. 6749.67 lacs) and for recoveries it comes to Rs 1330.68 lacs (previous year Rs 4676.26 lacs).

35. Accounting Standard 3: Cash Flow Statement

The Cash Flow statement of the Company has been prepared under the direct method

36. Accounting Standard 5: Prior Period items :-

a) Prior period items consist of the following:

(Rs. In Lacs)

| क्र.सं. Sr. No. | विवरण Particulars | 2014-15 | 2013-14 |
|--------------------|---|---------|-----------|
| 1 | पूर्वावधि आय Prior Period Income | 12.08 | 29.48 |
| 2 | पूर्वावधि व्यय Prior period expenses | 289.26 | (-)721.27 |
| | निवल आय Net Income | 301.34 | (-)691.79 |



‘कर पूर्व लाभ’ के बाद लाभ हानि लेखा में राशियां अलग से दर्शाई गई हैं।

The amounts are shown separately in profit and loss account after ‘profit before tax’

ख) लेखाकरण अनुमानों में परिवर्तन

लेखाकरण नीति 5.1क की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें विशेष रूप से कहा गया है कि वर्ष के अंत में बकाया दावों के लिए अनुमानित दायित्व (देनदारियों) सर्वेक्षण की रिपोर्ट, ग्राहकों द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना, नेताओं के परामर्श तथा अंतिम रूप देने की तारीख तक के अन्य स्रोतों, पिछले अनुभव तथा लागू होने वाले अन्य कानूनों पर आधारित होता है। अनुमानों की निरंतर समीक्षा की जाती है और तदनुसार प्रावधान किए जाते हैं। लेकिन फिर भी अंतिम देयता (देनदारी) उपलब्ध राशि से अधिक या कम हो सकती है जिसके लिए किसी प्रकार के समायोजन को उस अवधि में दिखाया जाएगा जिसमें उसकी पहचान की गई है। ‘बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 25 मई, 2004 के अपने पत्र के माध्यम से यह भी स्पष्ट किया गया है कि अनुमानों में इस तरह के परिवर्तनों के प्रभाव को तब तक प्रकट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, जब तक बकाया दावों के लिए प्रावधान निर्माण की विधि में कोई बदलाव न किया जाए। चूंकि चालू वर्ष में बकाया दावों के लिए प्रावधान निर्माण के तरीके में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है इसलिए अलग से कोई प्रकटन नहीं किया गया है।

ग) मुकदमेबाजी का निपटान

31.03.2015 दिनांक को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए मुकदमेबाजी के मद में 132854.07 लाख रुपए (गत वर्ष 129939.41 लाख रुपए) की राशि का निपटान किया गया है।

घ) स्थायी परिसंपत्तियों का निपटान

वर्ष के दौरान स्थायी परिसंपत्तियों की बिक्री पर निवल रूप से 297.77 लाख रुपए (गत वर्ष 468.99 लाख रुपए) की राशि अर्जित की गई और अचल परिसंपत्तियों की बिक्री पर निवल लाभ की राशि 32.78 लाख रुपए (गत वर्ष 94.51 लाख रुपए) रही।

37. लेखाकरण मानक 15 (संशोधित)

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2007–2008 के दौरान लेखाकरण मानक एएस-15 (संशोधित 2005) कर्मचारियों के लिए लाभ को अपनाया है।

परिभाषित कर्मचारी योजनाएं निम्नानुसार हैं:

b) Changes in Accounting Estimates

Attention is drawn to Accounting Policy 5.1.a, wherein it has been specifically stated that ‘Estimated liability for outstanding claims at the year end are based on survey reports, information provided by clients, advices of the leader and other sources upto the date of finalization, past experience and other applicable laws. The estimates are continuously reviewed and provisions made accordingly. However, the final liability may be in excess of, or less than, the amount provided, for which any adjustments will be reflected in the periods in which they become known.’ It has also been clarified by the Insurance Regulatory and Development Authority vide letter dated 25th May 2004 that impact of such changes in estimates, do not call for disclosure so long as there is no change in the method of provisioning for outstanding claims. As there has been no change in the method of provisioning for outstanding claims in the current year, no disclosure has been separately made.

c) Litigation Settlements

The settlements made on account of litigations for the financial year ended on 31.03.2015 amounted to Rs.132854.07 lacs (previous year Rs 129939.41 lacs).

d) Disposal of Fixed Assets

The net proceeds on sale of fixed assets during the year amounted to Rs.297.77 lacs (previous year Rs. 468.99 lacs) and the net loss on sale of fixed assets amounted to Rs.32.78 lacs (previous year Rs. 94.51 lacs).

37. Accounting Standard 15 (Revised)

The Company has adopted Accounting Standard, AS-15 (Revised 2005) ‘Employee Benefits’ during the financial year 2007-2008.

The defined Employees benefits schemes are as under:



सेवाकाल के दौरान कर्मचारियों के लाभ

बीमारी अवकाश एवं एलटीएस के लिए दायित्व की पहचान बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर की जाती है।

(क) वर्ष के दौरान एलटीएस देनदारी में 339 लाख रुपए की कमी (गत वर्ष 25.81 लाख रुपए) की कमी हुई है और इसे लाभ एवं हानि खाता में क्रेडिट/डेबिट कर दिया गया है। 31.03.2015 को एलटीएस की कुल देयता 745.32 लाख रुपए (गत वर्ष 1084.20 लाख रुपए) है।

(ख) चालू वर्ष के लिए बीमारी अवकाश हेतु दायित्व में 610.13 लाख रुपए (गत वर्ष 2356.99 लाख रुपए) की वृद्धि हुई है और इसे लाभ एवं हानि खाता में डेबिट किया गया है। 31.03.2015 को बीमारी अवकाश के लिए कुल दायित्व 17588.87 लाख रुपए (गत वर्ष 16978.75 लाख रुपए) है।

अनुमान:- बकाया बीमारी अवकाश के 70% प्रतिशत (गत वर्ष 75%) का लाभ उठाया गया। यह अनुमान सेवा निवृत्ति के समय कर्मचारियों के खाते में अप्राप्त बीमारी अवकाश पर आधारित है जिसे प्राप्त नहीं करने पर सेवा निवृत्ति पर समाप्त माना जाता है।

2. कर्मचारी सेवानिवृत्ति लाभ:

इसमें पेंशन, उपदान एवं अवकाश नकदीकरण शामिल हैं।

पेंशन:

कंपनी की एक परिभाषित पेंशन योजना है। इस योजना के अंतर्गत उन कर्मचारियों को पेंशन दी जाती है जिन्होंने पेंशन योजना का विकल्प चुना है। कंपनी ने इस योजना के लिए अलग निधि बनाई है जिसका वित्तपोषण कंपनी द्वारा किया जाता है। इसके लिए दायित्व की पहचान बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर की जाती है।

तथापि, ऐसे कर्मचारियों के मामले में, जिनहोंने 1 जनवरी 2004 के बाद से कंपनी में नौकरी की शुरुआत की है, पेंशन अंशदायी लाभ योजना है, जिसमें कंपनी का दायित्व केवल आवधिक अंशदानों तक ही सीमित है। 31.03.15 तक इस योजना के अंतर्गत संचयी कोष की कुल राशि 3200.50 लाख रुपए है जिसमें इसकी स्थापना से अब तक का 572.55 लाख रुपए का ब्याज (वित्त वर्ष 2014-15 के लिए 227.94 लाख रुपए का ब्याज) शामिल है जिसकी गणना निवेश पोर्टफोलियो पर औसत प्राप्ति के आधार पर की गई है और जो पेंशन नियामक एवं विकास

1. EMPLOYEES BENEFITS DURING SERVICE PERIOD

The liability for Sick Leave and LTS is recognized based on Actuarial Valuation.

(a) LTS Liability has decreased by Rs.339 lacs during the year (previous year decreased by Rs. 25.81 lacs) and has been credited/debited to Profit & Loss Account respectively. Total liability for LTS as on 31.03.2015 is Rs. 745.32 lacs (previous year Rs. 1084.20 lacs).

(b) Liability for sick leave for the current year has increased by Rs. 610.13 lacs (previous year increased by Rs.2356.99 lacs) and has been debited to Profit and Loss Account. Total liability for sick leave as on 31-03-2015 is Rs. 17588.87 lacs (previous year Rs.16978.75 lacs).

Assumption:- Availment of 70 % of outstanding sick leave (previous year 75%). The assumption is based on un-availed sick leave to the credit of employees at the time of retirement, which, being not vesting, lapses on retirement.

2. EMPLOYEES RETIREMENT BENEFITS ;

This includes Pension, Gratuity and Leave Encashment.

Pension:

Company has a Defined Pension Scheme. Under this scheme, Pension is payable to Employees who have opted for Pension Scheme. Company has created separate Fund for the Scheme which is funded by the Company and managed by separate Trust. The liability for the same is recognized on the basis of actuarial valuation.

However, in case of employees who joined service from 1st January 2004 onwards, Pension is Contributory benefit scheme wherein Company"s obligation is restricted only to the periodic contributions. Total funds accumulated under this scheme as on 31.03.15 amounting to Rs.3200.50 lacs including interest of Rs. 572.55lacs since



प्राधिकरण को भेजे जाने के लिए लंबित है।

उपदान:

कंपनी की सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए अपनी परिभाषित लाभ उपदान योजना मौजूद है। पांच वर्ष की निरंतर सेवा के बाद उपदान का भुगतान किया जाता है। इसके लिए कंपनी ने पृथक कोष का निर्माण किया है जिसके लिए धन की व्यवस्था कंपनी द्वारा और इसकी देख रेख एक पृथक न्यास द्वारा की जाती है। बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर इसके दायित्व की पहचान की जाती है।

उपदान दायित्व का ऋण शोधन:

वर्ष 2010-11 के दौरान कंपनी द्वारा अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन की समीक्षा की गई है। इसके अलावा भारत सरकार ने दिनांक 24 मई, 2010 को जारी राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से "उपदान भुगतान अधिनियम 1972" के अंतर्गत उपदान के लिए उच्चतम सीमा की उर्ध्वमुखी समीक्षा करके इसे 3.50 लाख रुपए से बढ़ाकर 10.00 लाख रुपए निर्धारित किया है। इसके परिणामस्वरूप उपदान दायित्व में 17122.76 लाख रुपए की बढ़ोतरी हो गई है।

कर्मचारी लाभ पर लेखाकरण मानक 15 (संशोधित) की अपेक्षाओं के दृष्टिकोण से वित्त वर्ष 2010-11 में 17122.76 लाख रुपए के संपूर्ण दायित्व को लाभ एवं हानि खाता में प्रभारित करना अपेक्षित था।

आईआरडीए ने दिनांक 18 अप्रैल, 2011 के अपने परिपत्र संख्या आईआरडीए/एफएंडए/सीआईआर/एसीटी/069/04/2011 के माध्यम से बीमाकर्ताओं को उपदान के मामले में पांच वर्ष की अवधि तक अतिरिक्त दायित्व के शोधन की अनुमति प्रदान की गई है। आईआरडीए के परिपत्र के आलोक में सेवारत कर्मचारियों से संबंधित उपदान की मद में अतिरिक्त दायित्व की राशि 14856.73 लाख रुपए बैठती है जिसे पांच वर्ष की अवधि में शोधित किया जा रहा है जिसकी शुरुआत 2010-11 से हो चुकी है। वर्ष 2013-14 के दौरान कुल 14856.73 लाख रुपए की देयता से 1/5 भाग की राशि 2971.35 लाख रुपए को राजस्व/लाभ एवं हानि लेखा में प्रभारित कर दिया गया है। दिनांक 31.03.2015 की स्थिति के अनुसार शेष अपरिशोधित देयता शून्य है।

inception (Rs. 227.94 lacs interest for the FY 2014-15), calculated on the basis of average yield on Investment portfolio, are pending remittance to Pension Regulatory and Development Authority.

Gratuity:

Company has Defined Benefit Gratuity Plan for all categories of employees. Gratuity is payable after 5 years of continuous service. Company has created separate Fund which is funded by the Company and managed by separate trust. The liability for same is recognized on the basis of actuarial valuation.

Amortization of Gratuity Liability:

During the year 2010-11, pay revision of the officers and employees have been carried out by the Company. Further, Government of India, vide Gazette Notification dated May 24th 2010, has revised upward maximum limit for Gratuity under 'Payment of Gratuity Act 1972' from Rs. 3.50 lacs to Rs. 10.00 lacs which resulted in increase in Gratuity Liability by Rs 17122.76 lacs.

In terms of the requirements of Accounting Standard 15 (Revised) on employees" benefits, entire liability of Rs 17122.76 lacs was required to be charged to profit and loss account in the FY 2010-11.

IRDAI, vide Circular No IRDAI/F&A/CIR/ACT/069/04/2011 dated 18th April 2011, has permitted insurers to amortize the additional liability on account of Gratuity over a period of five years. In pursuance of IRDAI Circular, the additional liability on account of Gratuity relating to employees in service amounting to Rs 14856.73 lacs, is being amortized over a period of five years commencing from 2010-11. During the year 2014-15, 1/5th of the liability of Rs. 14856.73 lacs amounting to Rs. 2971.35 lacs has been charged to Revenue / Profit and Loss Account. The balance unamortized liability as on 31.03.2015 is NIL.



छुट्टी नकदीकरण:

सेवाकाल के दौरान एवं सेवा निवृत्ति पर, दोनों अवधि में कर्मचारियों के सभी वर्गों के लिए प्रीविलेज लीव (पीएल) के नकदीकरण की अनुमति दी गई है। सेवा काल के दौरान 2 वर्ष में एक बार 15 दिन के लिए नकदीकरण की अनुमति होती है और सेवानिवृत्ति पर पीएल की सीमा 240 दिनों तक नियत रखी है। इसके लिए कोष नहीं होता है और इसकी पहचान बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर की जाती है।

लाभ एवं हानि लेखा तथा तुलनपत्र में स्वीकृत कर्मचारियों के उपर्युक्त लाभ की संक्षिप्त स्थिति नीचे दिए गए अनुसार है:

वर्गित लाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन

Leave Encashment:

Encashment of Privilege Leave (PL) is allowed to all class of employees, both during service period and on retirement. During service period, encashment is allowed for 15 days PL once in 2 years and on retirement, it is restricted to 240 days PL. This is unfunded and recognized on the basis of actuarial valuation.

The summarized position of the above Employees benefits recognized in the Profit and Loss Account and Balance Sheet are as under:

CHANGE IN THE PRESENT VALUE OF THE DEFINED BENEFIT OBLIGATIONS

(₹ in lacs)

| विवरण PARTICULARS | पेंशन PENSION | | | | ग्रेच्युटी GRATUITY | | | | अवकाश नकदीकरण LEAVE ENCASHMENT | | | |
|--|------------------|---------|---------|---------|------------------------|--------|--------|--------|-----------------------------------|--------|--------|--------|
| | 14-15 | 13-14 | 12-13 | 11-12 | 14-15 | 13-14 | 12-13 | 11-12 | 14-15 | 13-14 | 12-13 | 11-12 |
| 1 अप्रैल 2014 को वर्गित लाभ दायित्व Defined benefit obligations as at 1 st April, 2014 | 171743 | 128098 | 117693 | | 62082 | 60693 | 54464* | 50835 | 30619 | 26474 | 22119 | 19914 |
| वर्तमान सेवा लागत Current Service Cost | 11838 | 21380 | 11036 | 9799 | 3843 | 3322 | 2799 | 2642 | 5510 | 4754 | 4593 | 3480 |
| ब्याज लागत Interest Cost | 12651 | 12875 | 9519 | 9454 | 4723 | 5315 | 4310 | 4233 | 2275 | 2222 | 1699 | 1615 |
| दायित्व पर वास्तविक (लाभ)/ हानि Actuarial (gain) / loss on obligation | 35001 | 8618 | 26520 | 2782 | 2521 | (3962) | 2521 | (1275) | 394 | 738 | 606 | (1073) |
| प्रदत्त लाभ Benefits paid | (23190) | (23689) | (22614) | (11630) | (4593) | (3286) | (3392) | (2067) | (3647) | (3569) | (2543) | (1817) |
| 31 मार्च 2014 को वर्गित लाभ दायित्व Defined benefit obligation as at 31 st March, 2015 | 208043 | 171743 | 152559 | 128098 | 8576 | 62082 | 60693 | 54368 | 35151 | 30619 | 26474 | 22119 |



**योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन
CHANGE IN FAIR VALUE OF PLAN ASSETS**

(₹ in lacs)

| विवरण PARTICULARS | पेंशन PENSION | | | | ग्रेच्युटी GRATUITY | | | |
|--|------------------|---------|---------|---------|------------------------|--------|--------|--------|
| | 14-15 | 13-14 | 12-13 | 11-12 | 14-15 | 13-14 | 12-13 | 11-12 |
| 1 अप्रैल 2014 को योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य Fair value of plan assets as at 1 st April, 2014 | 44680 | 119166 | 116651 | 117693 | 62906 | 56277 | 52524* | 50835 |
| योजना परिसंपत्ति पर वास्तविक लाभ Actual return on plan assets | 3123 | 11123 | 10063 | 7083 | 5332 | 5025 | 4689 | 3682 |
| कर्मचारियों का योगदान Employer's contribution | 2871 | 3270 | 3250 | 3505 | - | - | - | - |
| अतिरिक्त योगदान Additional contribution | 27179 | 33170 | 11447 | 0 | 43 | 4415 | 2456 | 0 |
| प्रदत्त लाभ Benefits paid | (23190) | (23689) | (22614) | (11630) | (4593) | (3286) | (3392) | (2067) |
| वास्तविक लाभ/हानि Actuarial Gain/Loss | 244 | 1640 | 369 | - | 443 | 475 | - | - |
| 31 मार्च, 2015 को योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य Fair value of plan assets as at 31 st March, 2015 | 164906 | 144680 | 119166 | 116651 | 64131 | 62906 | 56277 | 52450 |

लाभ एवं हानि खाता में स्वीकृत व्यय

EXPENSES RECOGNISED IN PROFIT AND LOSS ACCOUNT

(₹ in lacs)

| विवरण PARTICULARS | पेंशन PENSION | | | | ग्रेच्युटी GRATUITY | | | |
|---|------------------|---------|---------|--------|------------------------|--------|--------|--------|
| | 14-15 | 13-14 | 12-13 | 11-12 | 14-15 | 13-14 | 12-13 | 11-12 |
| वर्तमान सेवा लागत Current Service Cost | 11838 | 21380 | 11036 | 9799 | 3843 | 3322 | 2799 | 2642 |
| ब्याज लागत Interest Cost | 12652 | 12875 | 9518 | 9454 | 4723 | 5315 | 4301 | 4233 |
| योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक लाभ Actual return on plan assets | (13123) | (11123) | (10063) | (8032) | (5333) | (5498) | (4689) | (3682) |



| | | | | | | | | |
|--|-------|-------|-------|--------|-----------|--------------|--------------|-----------|
| निवल वास्तविक (लाभ) / हानि Net Actuarial (Gain)/ Loss | 34757 | 6978 | 26152 | (3721) | (2079) | (4435) | 2006 | (1275) |
| निवल आवधिक लागत अस्वीकृत ऋण शेष वर्तमान वर्ष में स्वीकृत Net Periodic Cost Unrecognized credit balance Recognized in current year | 46124 | 30110 | 36643 | 14952 | 4430 - | 1379 2972 | 4416 5942 | 1918 - |
| अशोधित शेष Unamortized balance | | | | | | | | |

राशि तुलन पत्र में मान्यता
AMOUNT RECOGNISED IN BALANCE SHEET

(₹ in lacs)

| विवरण PARTICULARS | पेंशन PENSION | | | | ग्रेच्युटी GRATUITY | | | | अवकाश नकदीकरण LEAVE ENCASHMENT | | | |
|---|------------------|--------|--------|--------|------------------------|-------|-------|-------|-----------------------------------|-------|-------|-------|
| | 14-15 | 13-14 | 12-13 | 11-12 | 14-15 | 13-14 | 12-13 | 11-12 | 14-15 | 13-14 | 12-13 | 11-12 |
| 31 मार्च 2015 को वर्णित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य Present value of defined benefit obligations as at 31 st March, 2015 | 208043 | 163864 | 152559 | 128098 | 68576 | 62082 | 60694 | 54368 | 35151 | 30619 | 26474 | 22119 |
| 31 मार्च 2015 को योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य (वर्तमान वर्ष में कंपनी को योगदान सहित) Fair value of plan assets as at 31 st March, 2015 (including current year Company's contribution) | 164906 | 144680 | 119166 | 128098 | 64131 | 62906 | 56278 | 52450 | - | - | - | - |
| तुलन पत्र में स्वीकृत देयता Liability recognized in Balance Sheet | 43137 | 19184 | 33393 | NIL | 5302 | (824) | 4416 | 1918 | 35151 | 30619 | 26474 | 2205 |

नोट: उपर्युक्त तालिकाओं में आंकड़ों को निकटतम लाख रुपए में रखा गया है।

Note: The figures in the above tables are rounded off to nearest Rupees in Lacs.



बीमांकिक अनुमान

बीमांकिक मूल्यांकन के लिए इस्तेमाल होने वाले प्रमुख अनुमान इस प्रकार हैं:

ACTUARIAL ASSUMPTION

The Principal Assumptions used for Actuarial Valuation are:

(₹ in lacs)

| विवरण PARTICULARS | पेंशन PENSION | | | | ग्रेच्युटी GRATUITY | | | | अवकाश नकदीकरण LEAVE ENCASHMENT | | | |
|--|---|-------|-------|-------|---|-------|-------|-------|---|-------|-------|-------|
| (i) प्रयुक्त विधि (i) Method used | अनुमानित इकाई ऋण विधि Projected Unit Credit Method | | | | अनुमानित इकाई ऋण विधि Projected Unit Credit Method | | | | अनुमानित इकाई ऋण विधि Projected Unit Credit Method | | | |
| | 14-15 | 13-14 | 12-13 | 11-12 | 14-15 | 13-14 | 12-13 | 11-12 | 14-15 | 13-14 | 12-13 | 11-12 |
| (ii) छूट दर % (ii) Discount rate % | 7.90 | 9.15 | 8.45 | 8.45 | | 9.00 | 8.15 | 8.5 | 7.90 | 9.00 | 8.15 | 8.5 |
| (iii) परिसंपत्तियों पर लाभ की संभावित दर* % (iii) Expected rate of return on assets* % | 8.86 | 8.86 | 8.43 | 8.44 | | 8.84 | 9.05 | 8.5 | | | | |
| (iv) भविष्य में वेतन वृद्धि# % (iv) Future Salary Increase # % | 7 | 7 | 5 | 5 | | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 |
| (v) मृत्युदर (v) Mortality | ..LIC (1996-98).. ..LIC (1994-96).. | | | | ..IAL(2006-08).. ..LIC (1994-96).. | | | | ..IAL(2006-08).. ..LIC (1994-96).. | | | |
| vi) कर्मचारियों का कारोबार vi) Employees Turnover | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| vii) सेवा के शेष वर्ष vii) Remaining working life years | 11.69 | 9.57 | 10.27 | 11.00 | 10.71 | 11.42 | 11.21 | 11.39 | 10.71 | 11.42 | 11.21 | 11.39 |

* योजना परिसंपत्तियों पर वापसी की अनुमानित दर बाजार की संभावना पर आधारित है जो वर्ष के आरंभ में संबंधित दायित्व की संपूर्ण जीवनावधि हेतु प्रतिफल के लिए है।

बीमांकिक ने दायित्व का अनुमान लगाने के क्रम में मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति एवं अन्य संबंधित घटकों का ध्यान रखा है।

* Expected rate of return on plan assets is based on market expectation, at the beginning of the year, for return over the entire life of the related obligation.

Actuary, while estimating liability has taken into consideration inflation, seniority, promotion and other relevant factors.



31 मार्च, 2015 को न्यास द्वारा अनुरक्षित योजना परिसंपत्तियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:
Details of Plan Assets maintained by the trust as on 31st March, 2015 are as follows:

(प्रतिशत में) / (In Percentage)

| विवरण PARTICULARS | पेंशन PENSION | | | | ग्रेच्युटी GRATUITY | | | |
|--|------------------|-------|-------|-------|------------------------|-------|-------|-------|
| | 14-15 | 13-14 | 12-13 | 11-12 | 14-15 | 13-14 | 12-13 | 11-12 |
| (i) विशेष जमा राशियां (i) Special Deposits | 0.00 | 4.42 | 10.01 | 10.23 | 6.66 | 6.92 | 7.43 | 8.01 |
| (ii) सरकारी प्रतिभूतियां (ii) Government Securities | 54.54 | 51.38 | 47.01 | 44.70 | 35.76 | 36.18 | 37.86 | 38.45 |
| (iii) बंधपत्र / डिबेंचर (iii) Bonds/debentures | 39.69 | 37.33 | 38.66 | 39.00 | 35.76 | 36.18 | 37.86 | 38.45 |
| (iv) बैंक में जमा राशियां (iv) Deposits in Banks | 0.79 | 2.20 | - | 0.38 | 0.48 | 0.68 | - | 0.90 |
| (v) अन्य (v) Others | 4.98 | 4.67 | 4.32 | 5.79 | 1.13 | 1.39 | 1.65 | 2.60 |

*गैर-लेखापरीक्षित

*unaudited

सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ:

कंपनी से सेवानिवृत्ति के पश्चात चिकित्सा लाभ की कोई योजना नहीं है। तथापि, कंपनी के पूर्णकालिक निदेशकों (जो कि कंपनी के पूर्णकालिक कर्मचारी होते हैं) द्वारा स्वयं और परिवार के लिए चिकित्सा व्यय (अस्पताल में भर्ती एवं ओपीडी व्यय दोनों) को कंपनी द्वारा उस समय भी वहन किया जाता है जब निदेशक कंपनी के निदेशकों/कार्मिकों की श्रेणी से हट जाते हैं बशर्ते कंपनी ऐसे पूर्व कार्मिकों की मूल कंपनी रही हो। इस लाभ के लिए संबंधित पूर्व अधिकारियों से कोई प्रीमियम प्रभारित नहीं किया जा रहा है।

कंपनी वर्ष 2014 से लागू नई सामूहिक चिकित्सा दावा नीति के उपबंध 09.2.1 और 09.2.2 के अनुसार सेवानिवृत्त कर्मचारी और उसकी पत्नी/पति के संबंध में उसके अनुमानतः समायोजित मूल वेतन के आधार पर कर्मचारियों के लिए लागू पात्र बीमित राशि के आधार पर गणना किए गए देय चिकित्सा दावा प्रीमियम के 75 प्रतिशत हिस्से का वहन करेगी।

पारिश्रमिक संशोधन के लिए प्रावधान:

31.03.2015 की स्थिति के अनुसार कर्मचारियों को 1 अगस्त 2012 से देय पारिश्रमिक संशोधन संबंधी प्रावधान 38143.06 लाख रुपए है और इसमें वर्ष 2014-15 के लिए प्रावधान की गई 235 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि शामिल है।

Post Retirement Medical Benefits:

Company does not have any Post Retirement Medical Benefit Scheme. However medical expenses (both hospitalization and OP expenses) incurred by full time directors of the Company (who are full time employees of the company) for self and family are met by the Company even after the directors cease to be directors/employees of the Company, provided the Company is the Parent Company of such ex-employees. No premium is being charged from the ex-executives concerned for this benefit.

The Company shall bear 75% of the mediclaim premium payable computed on the basis of eligible Sum Insured applicable for the employee based on his notionally adjusted Basic Pay in respect of retired employee and spouse as per clause 09.2.1 and 09.2.2 of the New Group Mediclaim policy which is effective from 2014

Provision for wage revision:

Provision for wage revision due to employees w.e.f 1st August 2012 stood at Rs.38143.06 lacs as at 31.03.2015 and it includes Rs.235 crores additional amount provided in the year 2014-15



38. लेखाकरण मानक 17 संवर्ग रिपोर्टिंग:

तुलनपत्र की अनुसूची 1,2 और 3 के अनुरूप संवर्गीय रिपोर्टिंग पर आईआरडीएआई (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरण एवं लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट तैयार करना) विनियम 2002 द्वारा निर्धारित निम्नलिखित प्रारूप में संवर्गीय सूचना उपलब्ध कराई गई है:

38. Accounting Standard 17 Segment Reporting:

Segmental information has been given in the following format prescribed by IRDAI (Preparation of Financial Statements and Auditor's Report of Insurance Companies) Regulations, 2002 on Segmental Reporting, as per Schedules 1, 2 and 3 of Balance Sheet.

(₹ in lacs)

| संवर्ग Segment | सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम वित्त वर्ष 2014-15 Gross Direct Premium FY 2014-15 | कुल व्यवसाय का प्रतिशत Percentage to Total Business | सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम वित्त वर्ष 2013-14 Gross Direct Premium FY 2013-14 | कुल व्यवसाय का प्रतिशत Percentage to Total Business |
|--|--|--|--|--|
| अग्नि Fire | 101277.67 | 13.39 | 103977.09 | 14.28 |
| मैरीन कार्गो Marine Cargo | 24757.89 | 3.27 | 27257.21 | 3.74 |
| मैरीन हल Marine Hull | 17389.04 | 2.30 | 21032.98 | 2.89 |
| मोटर ओडी Motor OD | 126133.83 | 16.68 | 119819.94 | 16.45 |
| मोटर टीपी (नॉन-पूल) Motor TP(Non- Pool) | 160572.25 | 21.23 | 138363.26 | 19.00 |
| मोटर टीपी (पूल) एवं डीआर पूल Motor TP(Pool) & D.R. Pool | 4739.28 | 0.63 | 10628.01 | 1.46 |
| अभियांत्रिकी Engineering | 35597.77 | 4.71 | 37477.16 | 5.15 |
| उड़डयन Aviation | 10093.90 | 1.33 | 11161.04 | 1.53 |
| कामगार क्षतिपूर्ति Workmen Compensation | 8024.56 | 1.06 | 8164.60 | 1.12 |
| व्यक्तिगत दुर्घटना Personal Accident | 14936.71 | 1.98 | 14241.27 | 1.96 |
| स्वास्थ्य Health | 205385.25 | 27.16 | 189875.15 | 26.07 |
| दायित्व Liability | 5089.26 | 0.67 | 4513.80 | 0.62 |
| अन्य विविध Other Miscellaneous | 42195.38 | 5.58 | 41742.41 | 5.73 |
| कुल सकल प्रीमियम Total Gross Premium | 756192.79 | 100 | 728253.93 | 100 |



39. लेखाकरण मानक 18: संबंधित पक्ष प्रकटन:

1. लेखाकरण मानक 18 के अनुसार संबंधित पक्ष प्रकटन

क. सहायक कंपनियां

दि इंडस्ट्रियल क्रेडिट कंपनी लिमिटेड

ख. सहयोगी कंपनियां

इंडिया इंटरनेशनल इश्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर
हेल्थ इश्योरेंस टीपीए ऑफ इंडिया

ग. निकाय, जिन पर नियंत्रण बरकरार है

- ओआईसीएल कर्मचारी भविष्य निधि
- ओआईसीएल पेंशन निधि
- ओआईसीएल कर्मचारी उपदान निधि

प्रमुख प्रबंधन कार्मिक:

- डॉ. ए.के. सक्सेना, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (12.06.2012 से)
- सुश्री रश्मि बाजपेयी, कंपनी सचिव (20.08.2007 से)
- सुश्री के रमादेवी, महाप्रबंधक एवं सीएफओ (23.06.2014 से)

संबंधित पक्षों के साथ संव्यवहार:

39. Accounting Standard 18: Related Party Disclosure:

1. Related party disclosures as per Accounting Standard 18

a. Subsidiaries

The Industrial Credit Company Limited.

b. Associates

India International Insurance Pvt. Ltd., Singapore
Health Insurance TPA of India

c. Entities over which control exists

- OICL Staff Provident Fund
- OICL Pension Fund
- OICL Employees Gratuity Fund

Key Management Personnel:

- Dr. A.K. Saxena, Chairman-cum-Managing Director (from 12.06.2012)
- Ms.Rashmi Bajpai, Company Secretary (from 20.08.2007)
- Ms.K.Ramadevi, General Manager & CFO (from 23.06.2014)

Transactions with related parties :

(₹ in lacs)

| क्र.सं. Sr. No. | संबंध की प्रकृति Nature of Relationship | कारोबार की प्रकृति Nature of Transaction | 2014-15 | 2013-14 |
|--------------------|--|--|----------------------------|----------------------------|
| i) | सहायक कंपनियां Subsidiary | अन्य देय राशि Other Amount Due | 5.83 | 5.44 |
| ii) | सहयोगी कंपनियां Associates | क) इंडिया इंटरनेशनल इश्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर:- प्राप्त लाभांश आय शेयरों में निवेश a) India International Insurance Pvt. Ltd., Singapore :- Dividend Income received Investment in shares ख) हेल्थ इश्योरेंस टीपीए ऑफ इंडिया:- b) Health Insurance TPA of India :- शेयरों में निवेश Investment in shares | 356.80 391.10 475.00 | 233.64 391.10 237.50 |



40. पट्टे

कंपनी के कार्यालय परिसर एवं कर्मचारियों के लिए आवासीय फ्लैट पट्टे पर लिए गए हैं और आपसी सहमति से नवीकरण/निरस्तीकरण किया जा सकता है। पट्टा करारों द्वारा कोई बंदिश नहीं लगाई गई है। पट्टे के नियम अलग-अलग करारों पर आधारित हैं। महत्वपूर्ण पट्टाजन्य समझौते परिसरों के लिए पट्टे के संबंध में हैं। पट्टे के अंतर्गत दायित्व के संबंध में कुल पट्टा किराया की राशि 6214.21 लाख रुपए (गत वर्ष 5991.44 लाख रुपए) को चालू वर्ष में राजस्व लेखा में प्रभारित किया गया है।

41. लेखाकरण मानक 20 – प्रति शेयर आय:

| | 31.03.2015 को | 31.03.2014 को |
|--|---------------|---------------|
| शेयरधारकों से संबद्ध निवल लाभ (लाख रुपए में) | 39209.52 | 46028.73 |
| जारी इक्विटी शेयरों की भारत औसत संख्या | 20,00,00,000 | 15,00,00,000 |
| रुपए प्रत्येक वाले शेयरों की प्रति शेयर मूल और विरलित आय | 19.60 | 30.69 |

42. लेखाकरण मानक 22

पिछली हानियों को आगे लाए जाने के कारण आस्थगित कर परिसंपत्ति बढ़ रही है जिस पर भावी लाभ की अनिश्चितता के कारण कंपनी द्वारा विचार नहीं किया गया है।

43. लेखाकरण मानक 28

लेखाकरण मानक-28 के अनुसार, प्रबंधन ने परिसम्पत्तियों की हानि की संभावना का आकलन किया है और मिश्रित परिसम्पत्तियों के मूल्य में कोई हानि नहीं हुई है।

44. पुनर्बीमा स्वीकृति से संबंधित बकाया दावा प्रावधानों (देखें लेखाकरण नीति संख्या 5.1.क.ii) के संबंध में वर्ष के दौरान निम्नलिखित तिथियों को अपनाया गया:

- भारतीय व्यवसाय के संबंध में वित्तीय विवरणों को अंतिम रूप देने की तारीख (लेखाकरण नीति 4.2)
- विदेशी कारोबार के संबंध में:
 - वर्ष के अंत तक हुए समस्त नुकसान एवं उसके

40. Leases

The company's office premises and residential flats for employees are obtained on lease and are renewable/ cancellable at mutual consent. There are no restrictions imposed by lease agreements. Lease terms are based on individual agreements. Significant leasing arrangements are in respect of lease for premises. Aggregate lease rentals amounting to Rs.6214.21 lacs in the current year (previous year Rs.5991.44 lacs) in respect of obligation under lease are charged to Revenue Account in the current year.

41. Accounting Standard 20 – Earnings Per Share':

(₹ in lacs)

| | As at 31.03.2015 | As at 31.03.2014 |
|---|---------------------|---------------------|
| Net Profit attributable to Shareholders (Rs. in Lacs) | 39209.52 | 46028.73 |
| Weighted Average Number of Equity Shares issued | 20,00,00,000 | 15,00,00,000 |
| Basic & Diluted Earnings per Share of Rs. 10/- each | 19.60 | 30.69 |

42. Accounting Standard 22

In view of brought forward Losses, the Deferred Tax Assets is emerging which has not been considered by the company due to uncertainty of future profits.

43. Accounting Standard 28

In accordance with Accounting Standard-28, the Management has assessed the possibility of impairment of assets and there is no impairment in the value of fixed assets.

44. In respect of outstanding claim provisions relating to reinsurance acceptances (Refer Accounting Policy no.5.1.a.ii), the following dates were adopted during the year:

- In respect on Indian business up to the date of finalization of financial statement (Accounting Policy 4.2.)



तत्काल बाद आने वाले वर्ष में 30 अप्रैल तक प्राप्त सूचना।

(ii) निरस्त संधियों के मामले में, 15 मई अथवा लेखाओं को अंतिम रूप देने की तिथि जो भी पहले हो, तक प्राप्त पुनर्बीमा वापसी में यथा सूचित विदेशी कम्पनियों द्वारा निपटाए गए दावों को बकाया दावे माना गया।

45. कंपनी ने बीमा अधिनियम की धारा 3 क के साथ पठित धारा 3 और बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम, 2015 के अधीन 23 मार्च 2015 की अधिसूचना के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

46. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत आपूर्तिकर्ताओं को देय राशि से संबंधित सूचना कंपनी के पास तैयार रूप से उपलब्ध नहीं है और इसलिए उक्त अधिनियम के तहत आवश्यक भुगतान/ भुगतान योग्य ब्याज के साथ-साथ वर्ष के अंत में गैर चुकता राशि, यदि कोई हो, के संबंध में कोई प्रकटन नहीं किया गया है।

47. वर्ष के दौरान विभिन्न सरकारी प्राधिकरणों द्वारा की गई दंडात्मक कार्रवाई का विवरण नीचे दिया गया है:

2. In respect on Foreign business:

(i) All losses incurred up to the year-end and communications received up to 30th April of the immediately succeeding year.

(ii) In the case of cancelled treaties, claims paid by the foreign companies as reported in reinsurance returns received up to 15th May or finalization of accounts which ever is earlier, was considered as outstanding claims.

45. The Company has complied with the provisions of Section 3 read with Section 3A of the Insurance Act, 1938, and the notification dated 23 rd March, 2015 under the Insurance Laws (Amendment) Act, 2015.

46. The information as to amount due to suppliers under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act 2006 is not readily available with the company and hence disclosures, if any, relating to amounts unpaid as at the year end together with interest paid/ payable as required under the said Act have not been given.

47. Details of penal actions taken by the various Government Authorities during the year are as under:

(₹ in lacs)

| क्र.सं. Sl. No. | प्राधिकरण Authority | गैर-अनुपालन / उल्लंघन Non Compliance/ Violation | लगाया गया दंड Penalty Awarded 2014-15 2013-14 | | चुकता दंड Penalty Paid 2014-15 2013-14 | | दंड माफी / कमी Penalty waived/ reduced 2014-15 2013-14 | |
|--------------------|--|---|---|-----|--|-----|---|-----|
| 1 | आईआरडीएआई IRDAI | गैर-अनुपालन Non Compliance | NIL | 5 | NIL | 5 | NIL | NIL |
| 2 | सेवा कर प्राधिकरण Service Tax Authorities | सेवा कर विभाग की लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर आधारित विभाग द्वारा की गई सेवा कर की मांग Service Tax demand raised by Dept based on Audit Report of Service Tax Dept | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL |



| क्र.सं. Sl. No. | प्राधिकरण Authority | गैर-अनुपालन / उल्लंघन Non Compliance/ Violation | लगाया गया दंड Penalty Awarded 2014-15 2013-14 | | चुकता दंड Penalty Paid 2014-15 2013-14 | | दंड माफी / कमी Penalty waived/ reduced 2014-15 2013-14 | |
|--------------------|--|--|---|----------|--|----------|---|-----|
| 3 | आयकर प्राधिकरण Income Tax Authorities | आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 271(1)(ग) के तहत जुर्माना Penalty under Section 271(1)(c) of I. Tax Act, 1961 | 19.60 | 17396.03 | 9289.30# | 6304.62* | NIL | NIL |
| 4 | कोई अन्य कर प्राधिकरण Any other Tax Authorities | | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL |
| 5 | प्रवर्तन निदेशालय / अधिनिर्णय प्राधिकरण / अथवा एफईएमए अर्थात् फेमा के अंतर्गत कोई प्राधिकरण Enforcement Directorate/ Adjudicating Authority/ Tribunal or any Authority under FEMA | | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL |
| 6 | आरओसी / सीएलबी / एमसीए ROC/CLB/MCA | वैधानिक सीमा में भुगतान योग्य पूंजी नहीं बढ़ाई गई Not raising Paid up Capital to Statutory limit | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL |
| 7 | दावा निपटान सहित लेकिन क्षतिपूर्ति को छोड़ते हुए किसी मामले के संबंध में किसी न्यायालय / अधिकरण द्वारा लगाया गया दंड Penalty awarded by any Court/Tribunal for any matter including claim settlement but excluding compensation | | NIL | 9 | NIL | 9 | NIL | NIL |



| क्र.सं. Sl. No. | प्राधिकरण Authority | गैर-अनुपालन / उल्लंघन Non Compliance/ Violation | लगाया गया दंड Penalty Awarded 2014-15 2013-14 | | चुकता दंड Penalty Paid 2014-15 2013-14 | | दंड माफी / कमी Penalty waived/ reduced 2014-15 2013-14 | |
|--------------------|--|--|---|-----|--|-----|---|-----|
| 8 | भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड Securities and Exchange Board of India | | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL |
| 9 | भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग Competition Commission of India | | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL |
| 10 | कोई अन्य केंद्रीय / राज्य / स्थानीय सरकार / सांविधिक प्राधिकरण Any other Central/State/ Local Government/ Statutory Authority | | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL |

* 6304.62 लाख रुपए में आय कर प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा देय कर वापसी से वसूल किए गए 5099 लाख रुपए शामिल हैं और कंपनी ने इसका विरोध किया है। इसमें कंपनी द्वारा आईटीएटी के स्थगनादेश के संबंध में भुगतान किए गए 12 करोड़ रुपए भी शामिल हैं।

9289.30 लाख रुपए में पिछले वर्ष 2013-14 में लगाए गए जुर्माने के 9281.31 लाख रुपए शामिल हैं जो आकलन वर्ष 2005-06 के लिए 8916.28 लाख रुपए और आकलन वर्ष 2004-05 के लिए 365.03 लाख रुपए बनता है।

* Rs.6304.62 lacs includes Rs.5099 lacs recovered by the Income Tax Authority, New Delhi, from tax refunds due and has been protested by the Company. It also includes Rs.12 crores paid by the Company against stay order by ITAT.

Rs.9289.30 lacs includes Rs.9281.31 lacs penalty awarded in the previous year 2013-14 amounting to Rs.8916.28 lacs for the A.Y. 2005-06 and Rs.365.03 lacs for the A.Y 2004-05.



48. पॉलिसीधारकों का बकाया:

पॉलिसी धारकों का उम्र-वार विश्लेषण नीचे दिया गया है:

48. Policyholders dues:

Age wise analysis of Policyholders dues is given hereunder:

बकाया

Outstanding

(₹ in lacs)

| विवरण Particulars | 3 माह तक Upto 3 months | 4-12 माह 4-12 months | 13-18 माह 13-18 months | 19-24 माह 19-24 months | 25-30 माह 25-30 months | 31-36 माह 31-36 months | > 36 माह > 36 months | कुल Total |
|--|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------|
| क. दावे का निपटान मगर पॉलिसी धारकों/बीमितों को किसी कारण से भुगतान नहीं जिसमें बीमितों/पॉलिसी धारकों से मुकदमेबाजी के तहत कारण शामिल नहीं हैं। A. Claim settled but not paid to the Policyholders / insured due to any reasons except under litigation from the insured / policyholders. | 12.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.54 | 33.74 |
| ख. प्रीमियम कर या किसी अन्य शुल्क की कोई अधिक वसूली जो पॉलिसी धारकों को या तो पॉलिसी के नियमों-शर्तों के अनुरूप या कानून के मुताबिक अथवा प्राधिकरण के निर्देश के तहत लौटाने योग्य है मगर अब तक लौटाई नहीं गई है B. Any excess collection of premium / tax or any other charges which is refundable to the policyholder/s either as per term of conditions of the policy or as per law or as per the direction of the Authority but not refundable so far. | 184.19 | 162.54 | 147.61 | 141.18 | 140.00 | 139.48 | 1570.38 | 2485.38 |



| | | | | | | | | |
|--|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| ग. पॉलिसी की समयावधि पूरी होने या किसी अन्य आधार पर बीमित व्यक्तियों/ पॉलिसीधारकों को देय/ भुगतये कोई अन्य राशि C. Any other sum due / payable to the insured / policyholders on completion of the policy terms or otherwise. | 13.81 | 6.18 | 1.96 | 2.51 | 1.88 | 0.66 | 17.56 | 44.56 |
| ड़. 'क', 'ख' या 'ग' के अंतर्गत कंपनी द्वारा चेक जारी किए गए लेकिन पॉलिसी धारकों/बीमित व्यक्तियों द्वारा उन चेकों को नहीं भुनाया गया है D. Cheques issued by the company under 'A', 'B' or 'C' and cheques have not been encashed by the policyholders/ insured. | 1064.44 | 232.52 | 152.30 | 124.70 | 129.70 | 141.47 | 1651.70 | 3496.83 |
| कुल Total | 1274.64 | 401.24 | 301.87 | 268.39 | 271.58 | 281.61 | 3261.18 | 6060.51 |

टिप्पणियाः—

- पॉलिसी धाकरों को जारी किए गए ऐसे चेक जिन्हें 3 महीने के भीतर नहीं भुनाया गया, उन्हें पॉलिसी धारकों के बकाए हेतु स्थानांतरित नहीं किया जाता है क्योंकि वे चेक पुराने नहीं हुए हैं। लेकिन उनकी राशि उपर्युक्त विवरण में दर्शाई गई है।
- निपटाए गए दावे के तहत भुगतान नहीं होने के मामले पॉलिसीधारकों के बकाए में स्थानांतरित नहीं किए गए हैं क्योंकि इन दावों के लिए बकाया दावे के तौर पर ही प्रावधान किया गया है। लेकिन इनकी राशियां उपर्युक्त विवरण में दर्शाई गई है।
- प्रभागीय कार्यालयों में से एक में से निधि के दुर्विनियोजन के संबंध में 31.03.2015 की स्थिति के अनुसार शीर्ष "अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए आरक्षित" के अंतर्गत प्रधान कार्यालय में 327 लाख रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है।

Notes:-

- Cheques issued to policyholders and not encashed for less than 3 months are not transferred to policyholders dues as these cheques have not become stale. However, the amounts are shown in the above statement.
- Claims settled but not paid are not transferred to policyholders dues as these claims have been provided for as outstanding claims. However, the amounts are shown in the above statement.
- A provision for a sum of Rs.327 lacs has been made at HO under the head 'Reserve for bad and doubtful debts' as on 31.03.2015 towards misappropriation of funds in one of the Divisional Offices.
- The Company has introduced Integrated Non Life Insurance Application Software (INLIAS) which has not been fully implemented as



50. कंपनी द्वारा एकीकृत नॉन लाइफ इंश्योरेंस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर (इनलियास) आरंभ किया गया है किंतु इसे अभी तक पूरी तरह क्रियान्वित नहीं किया जा सका है क्योंकि कुछ मॉड्यूल जैसे हेड ऑफिस एकाउंट्स कंसोलिडेशन मॉड्यूल, जीयूएस मॉड्यूल और पुनर्बीमा खात मॉड्यूल अभी विकास/परीक्षण के दौर में हैं। कंपनी इनलियास में शेष मॉड्यूल के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक कदम उठा रही है।
51. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों के अनुसार, 7.92 करोड़ रुपए की धनराशि को लाभ एवं हानि खाते में 'सीएसआर व्यय' नामक पृथक लाइन आइटम के रूप में दर्ज किया गया है। 7.92 करोड़ रुपए की राशि में से सीएसआर व्यय की कुल राशि 4.59 करोड़ रुपए है और शेष 3.33 करोड़ रुपए को वर्ष 2014-15 के दौरान कंपनी द्वारा चलाई गई सीएसआर गतिविधि के रूप में दर्ज किया गया है।

some Modules, such as Head Office Accounts Consolidation Module, GUC Module and Re- insurance Accounts Module which are under development/testing. Company is taking necessary steps for implementation of remaining Modules in INLIAS.

- 51.As per the provisions of Section 135 of the Companies Act,2013, an amount of Rs. 7.92 crores has been recognized as a separate line item 'CSR Expenditure" in the Profit & Loss Account. Out of Rs.7.92 crores actual amount of CSR spent Rs.4.59 crores and the balance of Rs.3.33 crores has been recognized as liability towards CSR activity already undertaken by the Company during the year 2014-15.

हमारी संलग्न लेखा परीक्षक रिपोर्ट के अनुसार
As per our auditors report attached

कृते केपीएमआर एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट
एफआरएन सं. 02504N
For KPMR & Associates
Chartered Accountants
FRN No. 02504N

कृते एस.मान एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट
एफआरएन सं.000075N
For S.MANN & CO.
Chartered Accountants
FRN No.000075N

(डॉ. ए.के. सक्सेना)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
DR. A.K. SAXENA
Chairman-cum-Managing Director

सी.ए. एस.एम.वाई कुरैशी
भागीदार
सदस्यता संख्या 081750
CA. S.M.Y. Qureshi
Partner
M. No. 081750

सी.ए. सुभाष मान
भागीदार
सदस्यता संख्या 080500
CA. Subhash Mann
Partner
M. No. 080500

एन. श्रीनिवास राव
निदेशक
N. Srinivasa Rao
Director

कुलदीप सिंह
निदेशक
Kuldip Singh
Director

के. रमादेवी
महाप्रबंधक एवं मुख्य वित्तीय
अधिकारी
K.Ramadevi
GM & Chief Financial Officer

रश्मि बाजपेयी
कंपनी सचिव
Rashmi Bajpai
Company Secretary

सुजय बनर्जी
निदेशक
Sujay Banarji
Director

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 15.05.2015

Place: New Delhi
Dated: 15.05.2015



गैर जीवन-बीमा विश्लेषणात्मक अनुपात

NON LIFE ANALYTICAL RATIOS

(₹ in lacs)

| क्र. सं. Sl. No. | विवरण Particulars | सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम 31.03.2015 Gross Direct Premium 31.03.2015 | सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम 31.03.2014 Gross Direct Premium 31.03.2014 | सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम 31.03.2013 Gross Direct Premium 31.03.2013 | 31.03.2015 को समाप्त वर्ष के लिए वृद्धि Growth for Yr ending 31.03.2015 | 31.03.2014 को समाप्त वर्ष के लिए वृद्धि Growth for Yr ending 31.03.2014 |
|------------------|--|--|--|--|---|---|
| 1 | सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम वृद्धि दर (कुल) Gross Direct Premium Growth Rate (Total) | | | | % | % |
| | अग्नि Fire | 101278 | 103978 | 96221 | -2.6 | 8.06 |
| | मरीन कार्गो Marine Cargo | 24758 | 27257 | 28155 | -9.17 | -3.19 |
| | मरीन हल Marine Hull | 17389 | 21033 | 21605 | -17.32 | -2.65 |
| | मोटर ओडी Motor OD | 126134 | 119820 | 120651 | 5.27 | -0.69 |
| | मोटर टीपी (गैर-पूल) Motor TP(Non- Pool) | 160572 | 138363 | 114888 | 16.05 | 20.43 |
| | मोटर टीपी (पूल) Motor TP(Pool) | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |
| | मोटर टीपी (डीआर पूल) Motor TP(D.R. Pool) | 4739 | 10628 | 13578 | -55.41 | -21.73 |
| | अभियांत्रिकी Engineering | 35598 | 37478 | 38141 | -5.02 | -1.74 |
| | विमानन Aviation | 10094 | 11161 | 10457 | -9.56 | 6.73 |
| | कामगार क्षतिपूर्ति Workmen Compensation | 8025 | 8165 | 8207 | -1.72 | -0.51 |
| | व्यक्तिगत दुर्घटना Personal Accident | 14937 | 14241 | 15678 | 4.88 | -9.16 |
| | स्वास्थ्य Health | 205385 | 189875 | 163528 | 8.17 | 16.11 |
| | देयता Liability | 5089 | 4514 | 4120 | 12.75 | 9.56 |
| | अन्य विविध Other Miscellaneous | 42195 | 41741 | 38536 | 1.09 | 8.32 |
| | कुल Total | 756193 | 728254 | 673766 | 3.84 | 8.09 |



| क्र. सं. Sl. No. | विवरण Particulars | सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम 31.03.2015 Gross Direct Premium 31.03.2015 | सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम 31.03.2014 Gross Direct Premium 31.03.2014 | सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम 31.03.2013 Gross Direct Premium 31.03.2013 | 31.03.2015 को समाप्त वर्ष के लिए वृद्धि Growth for Yr ending 31.03.2015 | 31.03.2014 को समाप्त वर्ष के लिए वृद्धि Growth for Yr ending 31.03.2014 |
|------------------|---|---|---|---|---|---|
| 1a | सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम वृद्धि दर (केवल भारत) Gross Direct Premium Growth Rate (Indian Only) | | | | % | % |
| | अग्नि Fire | 96161 | 98447 | 91575 | -2.32 | 7.5 |
| | मरीन कार्गो Marine Cargo | 22482 | 24943 | 25924 | -9.87 | -3.78 |
| | मरीन हल Marine Hull | 17311 | 20913 | 21481 | -17.23 | -2.64 |
| | मोटर ओडी Motor OD | 121775 | 116198 | 113684 | 4.8 | 2.21 |
| | मोटर टीपी (गैर-पूल) Motor TP(Non- Pool) | 159656 | 137037 | 113111 | 16.51 | 21.15 |
| | मोटर टीपी (पूल) Motor TP(Pool) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | मोटर टीपी (डीआर पूल) Motor TP(D.R. Pool) | 4739 | 10628 | 13578 | -55.41 | -21.73 |
| | अभियांत्रिकी Engineering | 34755 | 36709 | 37325 | -5.32 | -1.65 |
| | विमानन Aviation | 10094 | 10887 | 10166 | -7.28 | 7.09 |
| | कामगार क्षतिपूर्ति Workmen Compensation | 7410 | 7817 | 7563 | -5.2 | 3.36 |
| | व्यक्तिगत दुर्घटना Personal Accident | 14752 | 14074 | 15530 | 4.82 | -9.37 |
| | स्वास्थ्य Health | 205270 | 189776 | 163414 | 8.16 | 16.13 |
| | देयता Liability | 4795 | 4258 | 3976 | 12.62 | 7.1 |
| | अन्य विविध Other Miscellaneous | 41594 | 41098 | 37913 | 1.21 | 8.4 |
| | कुल Total | 740796 | 712784 | 655240 | 3.93 | 8.78 |
| 1b | सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम वृद्धि दर (केवल विदेश) Gross Direct Premium Growth Rate (Foreign Only) | | | | % | % |



| क्र. सं. SI. No. | विवरण Particulars | सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम 31.03.2015 Gross Direct Premium 31.03.2015 | सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम 31.03.2014 Gross Direct Premium 31.03.2014 | सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम 31.03.2013 Gross Direct Premium 31.03.2013 | 31.03.2015 को समाप्त वर्ष के लिए वृद्धि Growth for Yr ending 31.03.2015 | 31.03.2014 को समाप्त वर्ष के लिए वृद्धि Growth for Yr ending 31.03.2014 |
|------------------|---|--|--|--|---|---|
| | अग्नि Fire | 5116 | 5531 | 4646 | -7.49 | 19.05 |
| | मरीन कार्गो Marine Cargo | 2276 | 2314 | 2231 | -1.66 | 3.72 |
| | मरीन हल Marine Hull | 78 | 120 | 124 | -34.54 | -3.33 |
| | मोटर ओडी Motor OD | 4359 | 3622 | 6967 | 20.33 | -48.01 |
| | मोटर टीपी (गैर-पूल) Motor TP(Non- Pool) | 916 | 1326 | 1777 | -30.91 | -25.37 |
| | मोटर टीपी (पूल) Motor TP(Pool) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | मोटर टीपी (डीआर पूल) Motor TP(D.R. Pool) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | अभियांत्रिकी Engineering | 842 | 769 | 817 | 9.59 | -5.87 |
| | विमानन Aviation | 0 | 274 | 291 | -100 | -5.68 |
| | कामगार क्षतिपूर्ति Workmen Compensation | 614 | 348 | 644 | 76.65 | -45.98 |
| | व्यक्तिगत दुर्घटना Personal Accident | 184 | 167 | 148 | 10.24 | 12.82 |
| | स्वास्थ्य Health | 115 | 99 | 114 | 16.09 | -12.8 |
| | देयता Liability | 294 | 256 | 144 | 14.86 | 77.69 |
| | अन्य विविध Other Miscellaneous | 601 | 643 | 624 | -6.52 | 3.09 |
| | कुल Total | 15397 | 15470 | 18526 | -0.47 | -16.5 |
| 2 | सकल लिखित प्रीमियम वृद्धि दर (कुल) Gross Written Premium Growth Rate (Total) | | | | % | % |
| | अग्नि Fire | 114109 | 118171 | 111581 | -3.44 | 5.91 |
| | मरीन कार्गो Marine Cargo | 24931 | 27274 | 28355 | -8.59 | -3.81 |



| क्र. सं. Sl. No. | विवरण Particulars | सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम 31.03.2015 Gross Direct Premium 31.03.2015 | सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम 31.03.2014 Gross Direct Premium 31.03.2014 | सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम 31.03.2013 Gross Direct Premium 31.03.2013 | 31.03.2015 को समाप्त वर्ष के लिए वृद्धि Growth for Yr ending 31.03.2015 | 31.03.2014 को समाप्त वर्ष के लिए वृद्धि Growth for Yr ending 31.03.2014 |
|------------------|--|--|--|--|---|---|
| | मरीन हल Marine Hull | 19936 | 23230 | 24711 | -14.18 | -5.99 |
| | मोटर ओडी Motor OD | 126157 | 119925 | 120751 | 5.2 | -0.68 |
| | मोटर टीपी (गैर-पूल) Motor TP(Non- Pool) | 160578 | 138366 | 114888 | 16.05 | 20.44 |
| | मोटर टीपी (पूल) Motor TP(Pool) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | मोटर टीपी (डीआर पूल) Motor TP(D.R. Pool) | 7663 | 14395 | 17848 | -46.77 | -19.35 |
| | अभियांत्रिकी Engineering | 38492 | 43007 | 43872 | -10.5 | -1.97 |
| | विमानन Aviation | 12627 | 13522 | 15377 | -6.62 | -12.06 |
| | कामगार क्षतिपूर्ति Workmen Compensation | 8025 | 8165 | 8207 | -1.72 | -0.52 |
| | व्यक्तिगत दुर्घटना Personal Accident | 14944 | 14754 | 16139 | 1.29 | -8.58 |
| | स्वास्थ्य Health | 205409 | 189875 | 163528 | 8.18 | 16.11 |
| | देयता Liability | 5094 | 4519 | 4276 | 12.73 | 5.67 |
| | अन्य विविध Other Miscellaneous | 49571 | 58521 | 43628 | -15.29 | 34.14 |
| | कुल Total | 787535 | 773725 | 713162 | 1.78 | 8.49 |
| 2a | सकल लिखित प्रीमियम वृद्धि दर (केवल भारतीय) Gross Written Premium Growth Rate (Indian Only) | | | | % | % |
| | अग्नि Fire | 104759 | 107678 | 102070 | -2.71 | 5.49 |
| | मरीन कार्गो Marine Cargo | 22525 | 24943 | 25935 | -9.69 | -3.82 |



| क्र. सं. SI. No. | विवरण Particulars | सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम 31.03.2015 Gross Direct Premium 31.03.2015 | सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम 31.03.2014 Gross Direct Premium 31.03.2014 | सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम 31.03.2013 Gross Direct Premium 31.03.2013 | 31.03.2015 को समाप्त वर्ष के लिए वृद्धि Growth for Yr ending 31.03.2015 | 31.03.2014 को समाप्त वर्ष के लिए वृद्धि Growth for Yr ending 31.03.2014 |
|------------------|---|--|--|--|---|---|
| | मरीन हल Marine Hull | 19446 | 21918 | 23639 | -11.28 | -7.28 |
| | मोटर ओडी Motor OD | 121775 | 116198 | 113684 | 4.8 | 2.21 |
| | मोटर टीपी (गैर-पूल) Motor TP(Non- Pool) | 159656 | 137037 | 113111 | 16.51 | 21.15 |
| | मोटर टीपी (पूल) Motor TP(Pool) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | मोटर टीपी (डीआर पूल) Motor TP(D.R. Pool) | 7663 | 14395 | 17848 | -46.77 | -19.35 |
| | अभियांत्रिकी Engineering | 38913 | 41551 | 42213 | -6.35 | -1.57 |
| | विमानन Aviation | 11364 | 11019 | 11279 | 3.13 | -2.3 |
| | कामगार क्षतिपूर्ति Workmen Compensation | 7410 | 7817 | 7563 | -5.2 | 3.36 |
| | व्यक्तिगत दुर्घटना Personal Accident | 14758 | 14074 | 15990 | 4.86 | -11.98 |
| | स्वास्थ्य Health | 205270 | 189776 | 163414 | 8.16 | 16.13 |
| | देयता Liability | 4795 | 4258 | 4131 | 12.62 | 3.06 |
| | अन्य विविध Other Miscellaneous | 48802 | 57807 | 41393 | -15.58 | 39.65 |
| | कुल Total | 767136 | 748470 | 682271 | 2.49 | 9.7 |
| 2b | सकल लिखित प्रीमियम वृद्धि दर (केवल विदेशी) Gross Written Premium Growth Rate (Foreign Only) | | | | % | % |
| | अग्नि Fire | 9351 | 10493 | 9511 | -10.89 | 10.32 |
| | मरीन कार्गो Marine Cargo | 2406 | 2331 | 2420 | 3.2 | -3.67 |
| | मरीन हल Marine Hull | 490 | 1313 | 1072 | -62.66 | 22.49 |



| क्र. सं. Sl. No. | विवरण Particulars | सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम 31.03.2015 Gross Direct Premium 31.03.2015 | सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम 31.03.2014 Gross Direct Premium 31.03.2014 | सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम 31.03.2013 Gross Direct Premium 31.03.2013 | 31.03.2015 को समाप्त वर्ष के लिए वृद्धि Growth for Yr ending 31.03.2015 | 31.03.2014 को समाप्त वर्ष के लिए वृद्धि Growth for Yr ending 31.03.2014 |
|------------------|---|--|--|--|--|--|
| | मोटर ओडी Motor OD | 4382 | 3727 | 7066 | 17.59 | -47.26 |
| | मोटर टीपी (गैर-पूल) Motor TP(Non- Pool) | 922 | 1330 | 1777 | -30.68 | -25.19 |
| | मोटर टीपी (पूल) Motor TP(Pool) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | मोटर टीपी (डीआर पूल) Motor TP(D.R. Pool) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | अभियांत्रिकी Engineering | -421 | 1456 | 1658 | -128.9 | -12.19 |
| | विमानन Aviation | 1263 | 2503 | 4099 | -49.56 | -38.93 |
| | कामगार क्षतिपूर्ति Workmen Compensation | 614 | 348 | 644 | 76.65 | -46 |
| | व्यक्तिगत दुर्घटना Personal Accident | 186 | 680 | 149 | -72.66 | 356.68 |
| | स्वास्थ्य Health | 139 | 99 | 114 | 39.84 | -12.79 |
| | देयता Liability | 299 | 261 | 145 | 14.5 | 79.89 |
| | अन्य विविध Other Miscellaneous | 769 | 714 | 2235 | 7.7 | -68.05 |
| | कुल Total | 20399 | 25255 | 30891 | -19.23 | -18.24 |



| | | | | | | |
|----------|--|---|---|---|--|--|
| 3 | निवल मूल्य के लिए सकल प्रीमियम का अनुपात Gross Direct Premium to Net Worth Ratio | 31.03.2015 को समाप्त वर्ष Year ending 31.03.2015 | 31.03.2014 को समाप्त वर्ष Year ending 31.03.2014 | 31.03.2013 को समाप्त वर्ष Year ending 31.03.2013 | | |
| | सकल प्रीमियम Gross Premium | 756193 | 728254 | 673766 | | |
| | निवल मूल्य Net Worth | 318183 | 289202 | 252838 | | |
| | सकल प्रीमियम का निवल मूल्य के सापेक्ष अनुपात (गुणा) Ratio of Gross Premium to Net Worth (times) | 2.38 | 2.52 | 2.66 | | |
| 4 | निवल मूल्य की वृद्धि दर Growth rate of Net Worth | 31.03.2015 को समाप्त वर्ष Year ending 31.03.2015 | 31.03.2014 को समाप्त वर्ष Year ending 31.03.2014 | 31.03.2013 को समाप्त वर्ष Year ending 31.03.2013 | % | % |
| | चालू वर्ष/अवधि के अंत में निवल मूल्य Net Worth at the end of current year/period | 318183 | 289202 | 252838 | | |
| | गत वर्ष/अवधि के अंत में निवल मूल्य Net Worth at the end of previous year/period | 289202 | 252838 | 208938 | | |
| | वृद्धि और वृद्धि दर (%) Growth and Growth rate (%) | 28981 | 36364 | 43900 | 10.02 | 14.38 |
| 5 | निवल प्रतिधारण अनुपात (कुल) Net Retention Ratio (Total) | निवल प्रीमियम Net Premium 31.03.2015 | निवल प्रीमियम Net Premium 31.03.2014 | निवल प्रीमियम Net Premium 31.03.2013 | प्रतिधारण अनुपात (%) Retention Ratio(%) | प्रतिधारण अनुपात (%) Retention Ratio(%) |
| | अग्नि Fire | 50678 | 67326 | 64761 | 44.41 | 56.97 |
| | मरीन कार्गो Marine Cargo | 21492 | 23658 | 22310 | 86.21 | 86.74 |
| | मरीन हल Marine Hull | 7796 | 7443 | 5566 | 39.11 | 32.04 |
| | मोटर ओडी Motor OD | 119235 | 113661 | 109163 | 94.51 | 94.78 |
| | मोटर टीपी (गैर-पूल) Motor TP(Non- Pool) | 152496 | 131332 | 103324 | 94.97 | 94.92 |
| | मोटर टीपी (पूल) Motor TP(Pool) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| | | | | | |
|---|---|---|---|--|--|
| मोटर टीपी (डीआर पूल) Motor TP(D.R. Pool) | 3871 | 5892 | 6986 | 50.52 | 40.93 |
| अभियांत्रिकी Engineering | 24714 | 29932 | 30517 | 64.21 | 69.6 |
| विमानन Aviation | 2614 | 2742 | 5124 | 20.7 | 20.28 |
| कामगार क्षतिपूर्ति Workmen Compensation | 7573 | 7746 | 7351 | 94.38 | 94.87 |
| व्यक्तिगत दुर्घटना Personal Accident | 13224 | 12837 | 14568 | 88.49 | 87 |
| स्वास्थ्य Health | 195147 | 179612 | 146364 | 95 | 94.6 |
| देयता Liability | 4249 | 2758 | 3493 | 83.4 | 61.04 |
| अन्य विविध Other Miscellaneous | 44148 | 53206 | 35000 | 89.06 | 90.92 |
| सभी विभाग All Departments | 647239 | 638147 | 554524 | 82.19 | 82.48 |
| 5a निवल प्रतिधारण अनुपात (केवल भारतीय) Net Retention Ratio (Indian Only) | निवल प्रीमियम Net Premium 31.03.2015 | निवल प्रीमियम Net Premium 31.03.2014 | निवल प्रीमियम Net Premium 31.03.2013 | प्रतिधारण अनुपात (%) Retention Ratio(%) | प्रतिधारण अनुपात (%) Retention Ratio(%) |
| अग्नि Fire | 44290 | 60214 | 58696 | 42.28 | 55.92 |
| मरीन कार्गो Marine Cargo | 19278 | 21861 | 20304 | 85.58 | 87.65 |
| मरीन हल Marine Hull | 7314 | 6154 | 4525 | 37.62 | 28.08 |
| मोटर ओडी Motor OD | 115082 | 109977 | 102316 | 94.5 | 94.65 |
| मोटर टीपी (गैर-पूल) Motor TP(Non- Pool) | 151673 | 130185 | 101546 | 95 | 95 |
| मोटर टीपी (पूल) Motor TP(Pool) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| मोटर टीपी (डीआर पूल) Motor TP(D.R. Pool) | 3871 | 5892 | 6986 | 50.52 | 40.93 |
| अभियांत्रिकी Engineering | 25494 | 29002 | 29472 | 65.51 | 69.8 |
| विमानन Aviation | 1371 | 158 | 766 | 12.06 | 1.44 |
| कामगार क्षतिपूर्ति Workmen Compensation | 7040 | 7425 | 6807 | 95 | 94.99 |



| | | | | | | |
|-----------|---|---|---|---|--|--|
| | व्यक्तिगत दुर्घटना Personal Accident | 13090 | 12173 | 14551 | 88.7 | 86.49 |
| | स्वास्थ्य Health | 195008 | 179513 | 146251 | 95 | 94.59 |
| | देयता Liability | 3989 | 2559 | 3357 | 83.18 | 60.11 |
| | अन्य विविध Other Miscellaneous | 43579 | 52696 | 33082 | 89.3 | 91.16 |
| | सभी विभाग All Departments | 631078 | 617810 | 528659 | 82.26 | 82.54 |
| 5b | निवल प्रतिधारण अनुपात (केवल विदेशी) Net Retention Ratio (Foreign Only) | निवल प्रीमियम Net Premium 31.03.2015 | निवल प्रीमियम Net Premium 31.03.2014 | निवल प्रीमियम Net Premium 31.03.2013 | प्रतिधारण अनुपात (%) Retention Ratio(%) | प्रतिधारण अनुपात (%) Retention Ratio(%) |
| | अग्नि Fire | 6388 | 7112 | 6065 | 68.32 | 67.78 |
| | मरीन कार्गो Marine Cargo | 2214 | 1797 | 2006 | 92.05 | 77.09 |
| | मरीन हल Marine Hull | 482 | 1289 | 1041 | 98.25 | 98.22 |
| | मोटर ओडी Motor OD | 4153 | 3685 | 6847 | 94.78 | 98.87 |
| | मोटर टीपी (गैर-पूल) Motor TP(Non- Pool) | 823 | 1146 | 1777 | 89.33 | 86.22 |
| | मोटर टीपी (पूल) Motor TP(Pool) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | मोटर टीपी (डीआर पूल) Motor TP(D.R. Pool) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | अभियांत्रिकी Engineering | -780 | 930 | 1045 | 185.26 | 63.87 |
| | विमानन Aviation | 1244 | 2583 | 4357 | 98.49 | 103.21 |
| | कामगार क्षतिपूर्ति Workmen Compensation | 534 | 321 | 544 | 86.88 | 92.18 |
| | व्यक्तिगत दुर्घटना Personal Accident | 134 | 664 | 17 | 72.24 | 97.65 |
| | स्वास्थ्य Health | 139 | 99 | 114 | 100 | 100 |
| | देयता Liability | 260 | 199 | 136 | 86.9 | 76.17 |
| | अन्य विविध Other Miscellaneous | 569 | 510 | 1917 | 74.01 | 71.42 |
| | सभी विभाग All Departments | 16161 | 20336 | 25865 | 79.22 | 80.52 |



| 6 | निवल कमीशन अनुपात कुल (%) NET COMMISSION RATIO - TOTAL (%) | निवल कमीशन Net Commission 31.03.2015 | निवल कमीशन Net Commission 31.03.2014 | निवल कमीशन Net Commission 31.03.2013 | निवल कमीशन अनुपात (%) Net Commission Ratio(%) | निवल कमीशन अनुपात (%) Net Commission Ratio (%) |
|---|---|--|--|--|--|---|
| | अग्नि Fire | 2623 | 2062 | 2212 | 5.18 | 3.06 |
| | मरीन कार्गो Marine Cargo | 2820 | 3030 | 2853 | 13.12 | 12.81 |
| | मरीन हल Marine Hull | -70 | -181 | -189 | -0.9 | -2.43 |
| | मोटर ओडी Motor OD | 10472 | 10298 | 10654 | 8.78 | 9.06 |
| | मोटर टीपी (गैर-पूल) Motor TP(Non- Pool) | -261 | -157 | -1357 | -0.17 | -0.12 |
| | मोटर टीपी (पूल) Motor TP(Pool) | 0 | 0 | -124 | 0 | 0 |
| | मोटर टीपी (डीआर पूल) Motor TP(D.R. Pool) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | अभियांत्रिकी Engineering | -517 | 1912 | 1205 | -2.09 | 6.39 |
| | विमानन Aviation | 109 | -929 | 376 | 4.18 | -33.89 |
| | कामगार क्षतिपूर्ति Workmen Compensation | 802 | 763 | 668 | 10.6 | 9.85 |
| | व्यक्तिगत दुर्घटना Personal Accident | 1056 | 833 | 1146 | 7.99 | 6.49 |
| | स्वास्थ्य Health | 12364 | 10616 | 8484 | 6.34 | 5.91 |
| | देयता Liability | 635 | 339 | 431 | 14.94 | 12.28 |
| | अन्य विविध Other Miscellaneous | 4748 | 7159 | 4108 | 10.75 | 13.45 |
| | सभी विभाग All Departments | 34782 | 35744 | 30467 | 5.37 | 5.6 |



| 6a | निवल कमीशन अनुपात - केवल भारतीय (%) NET COMMISSION RATIO - Indian Only (%) | निवल कमीशन Net Commission 31.03.2015 | निवल कमीशन Net Commission 31.03.2014 | निवल कमीशन Net Commission 31.03.2013 | निवल कमीशन अनुपात (%) Net Commission Ratio(%) | निवल कमीशन अनुपात (%) Net Commission Ratio (%) |
|----|--|--|--|--|--|---|
| | अग्नि Fire | 262 | -489 | -274 | 0.59 | -0.81 |
| | मरीन कार्गो Marine Cargo | 2366 | 2651 | 2391 | 12.28 | 12.13 |
| | मरीन हल Marine Hull | -171 | -556 | -481 | -2.33 | -9.03 |
| | मोटर ओडी Motor OD | 9343 | 9322 | 8407 | 8.12 | 8.48 |
| | मोटर टीपी (गैर-पूल) Motor TP(Non- Pool) | -435 | -422 | -1859 | -0.29 | -0.32 |
| | मोटर टीपी (पूल) Motor TP(Pool) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | मोटर टीपी (डीआर पूल) Motor TP(D.R. Pool) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | अभियांत्रिकी Engineering | 147 | 1649 | 845 | 0.58 | 5.69 |
| | विमानन Aviation | -83 | -1310 | -244 | -6.04 | -827.74 |
| | कामगार क्षतिपूर्ति Workmen Compensation | 650 | 676 | 589 | 9.24 | 9.11 |
| | व्यक्तिगत दुर्घटना Personal Accident | 1029 | 805 | 1128 | 7.86 | 6.61 |
| | स्वास्थ्य Health | 12355 | 10610 | 8478 | 6.34 | 5.91 |
| | देयता Liability | 549 | 275 | 388 | 13.77 | 10.73 |
| | अन्य विविध Other Miscellaneous | 4563 | 6848 | 3581 | 10.47 | 13 |
| | सभी विभाग All Departments | 30578 | 30059 | 22949 | 4.85 | 4.87 |



| 6b | निवल कमीशन अनुपात - केवल विदेशी (%) NET COMMISSION RATIO - Foreign Only (%) | निवल कमीशन Net Commission 31.03.2015 | निवल कमीशन Net Commission 31.03.2014 | निवल कमीशन Net Commission 31.03.2013 | निवल कमीशन अनुपात (%) Net Commission Ratio(%) | निवल कमीशन अनुपात (%) Net Commission Ratio (%) |
|----|--|---|---|--------------------------------------|---|--|
| | अग्नि Fire | 2361 | 2551 | 2486 | 36.96 | 35.87 |
| | मरीन कार्गो Marine Cargo | 453 | 379 | 463 | 20.47 | 21.07 |
| | मरीन हल Marine Hull | 101 | 374 | 292 | 20.87 | 29.04 |
| | मोटर ओडी Motor OD | 1129 | 977 | 2247 | 27.18 | 26.5 |
| | मोटर टीपी (गैर-पूल) Motor TP(Non-Pool) | 174 | 265 | 377 | 21.14 | 23.12 |
| | मोटर टीपी (पूल) Motor TP(Pool) | 0 | 0 | 0 | | |
| | मोटर टीपी (डीआर पूल) Motor TP(D.R. Pool) | 0 | 0 | 0 | | |
| | अभियांत्रिकी Engineering | -664 | 263 | 359 | 85.21 | 28.24 |
| | विमानन Aviation | 192 | 381 | 620 | 15.44 | 14.76 |
| | कामगार क्षतिपूर्ति Workmen Compensation | 152 | 87 | 79 | 28.51 | 27.15 |
| | व्यक्तिगत दुर्घटना Personal Accident | 27 | 29 | 19 | 19.95 | 4.29 |
| | स्वास्थ्य Health | 9 | 6 | 6 | 6.36 | 6.16 |
| | देयता Liability | 86 | 64 | 43 | 33.03 | 32.15 |
| | अन्य विविध Other Miscellaneous | 184 | 311 | 527 | 32.37 | 60.88 |
| | सभी विभाग All Departments | 4203 | 5686 | 7518 | 26.01 | 27.96 |
| 7 | सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम के सापेक्ष प्रबंधन के खर्च का अनुपात Expense of Management to Gross Direct Premium Ratio | 31.03.2015 को समाप्त वर्ष Year ending 31.03.2015 | 31.03.2014 को समाप्त वर्ष Year ending 31.03.2014 | | | |
| | प्रबंधन के खर्च (प्रत्यक्ष कमीशन सहित) Expenses of Management (incl. Direct Commission) | 281571 | 222959 | | | |



| | | | | | |
|--|---|---|--|---|---|
| निवल लिखित प्रीमियम आय Net Written Premium Income | 756193 | 728254 | | | |
| अनुपात (%) Ratio(%) | 37.24 | 30.62 | | | |
| 8 निवल लिखित प्रीमियम के सापेक्ष प्रबंधन के खर्च का अनुपात Expense of Management to Net Written Premium Ratio | 31.03.2015 को समाप्त वर्ष Year ending 31.03.2015 | 31.03.2014 को समाप्त वर्ष Year ending 31.03.2014 | | | |
| प्रबंधन के खर्च (प्रत्यक्ष कमीशन सहित) Expenses of Management (incl. Direct Commission) | 281571 | 222959 | | | |
| निवल लिखित प्रीमियम आय Net Written Premium Income | 647239 | 638147 | | | |
| अनुपात (%) Ratio(%) | 43.5 | 34.94 | | | |
| 9 निवल उपगत दावा अनुपात (%) NET INCURRED CLAIMS RATIO (%) | निवल उपगत दावे Net Incurred Claims 31.03.2015 | निवल अर्जित प्रीमियम Net Earned Premium 31.03.2015 | निवल उपगत दावे Net Incurred Claims 31.03.2014 | निवल अर्जित प्रीमियम Net Earned Premium 31.03.2014 | 31.03.15 को निवल आईसीआर (%) Net ICR as at 31.03.15 (%) |
| अग्नि Fire | 42506 | 59002 | 55525 | 66044 | 72.04 |
| मरीन कार्गो Marine Cargo | 8711 | 22575 | 11512 | 22984 | 38.59 |
| मरीन हल Marine Hull | 3418 | 7443 | 5148 | 5566 | 45.92 |
| मोटर ओडी Motor OD | 59961 | 116448 | 52345 | 111412 | 51.49 |
| मोटर टीपी (गैर-पूल) Motor TP(Non- Pool) | 134156 | 141914 | 104787 | 117328 | 94.53 |
| मोटर टीपी (पूल) Motor TP(Pool) | 5496 | 0 | 2674 | 0 | #DIV/0! |
| मोटर टीपी (डीआर पूल) Motor TP(D.R. Pool) | 4237 | 4882 | 25611 | 6439 | 86.79 |
| अभियांत्रिकी Engineering | 10613 | 27323 | 22743 | 30225 | 38.84 |
| विमानन Aviation | 3338 | 2678 | 3827 | 3933 | 124.67 |
| कामगार क्षतिपूर्ति Workmen Compensation | 1372 | 7660 | 1669 | 7548 | 17.92 |
| व्यक्तिगत दुर्घटना Personal Accident | 7625 | 13031 | 9765 | 13702 | 58.52 |



| | | | | | | |
|-----------|---|---|---|---|---|---|
| | स्वास्थ्य Health | 226892 | 187380 | 187804 | 162988 | 121.09 |
| | देयता Liability | 684 | 3503 | 81 | 3125 | 19.53 |
| | अन्य विविध Other Miscellaneous | 17141 | 48677 | 27610 | 44103 | 35.21 |
| | सभी विभाग All Departments | 526150 | 642516 | 511102 | 595397 | 81.89 |
| 10 | संयुक्त अनुपात Combined Ratio | कुल Total 31.03.2015 | कुल Total 31.03.2014 | भारतीय Indian 31.03.2015 | भारतीय Indian 31.03.2014 | विदेश Foreign 31.03.2015 |
| | निवल उपगत दावे Net Incurred Claims | 526150 | 511102 | 520000 | 487625 | 6150 |
| | निवल अर्जित प्रीमियम Net Earned Premium | 642516 | 595397 | 623863 | 572416 | 18653 |
| | निवल उपगत दावा अनुपात (%) Net Incurred Claims Ratio (%) | 81.89 | 85.84 | 83.35 | 85.19 | 32.97 |
| | निवल चुकता कमीशन Net Commission Paid | 34782 | 35744 | 30577 | 30059 | 4205 |
| | प्रचालनिक प्रबंधन खर्च Operating Management Expenses | 234798 | 177543 | 232947 | 175928 | 1851 |
| | निवल लिखित प्रीमियम Net Written Premium | 647239 | 638147 | 631078 | 617810 | 16161 |
| | निवल प्रचालनिक खर्च अनुपात (%) Net Operating Expenses Ratio (%) | 41.65 | 33.42 | 41.76 | 33.34 | 37.47 |
| | संयुक्त अनुपात (%) Combined Ratio (%) | 123.54 | 119.26 | 125.11 | 118.53 | 70.44 |
| 11 | निवल प्रीमियम अनुपात के सापेक्ष तकनीकी आरक्षितियों का अनुपात Technical Reserves to Net Premium Ratio | 31.03.2015 को समाप्त वर्ष Year ending 31.03.2015 | 31.03.2014 को समाप्त वर्ष Year ending 31.03.2014 | | | |
| | असमाप्त जोखिमों के लिए आरक्षित Reserve for Unexpired Risks | 327517 | 322795 | | | |
| | प्रीमियम में कमी हेतु आरक्षित Premium Deficiency Reserve | 0 | 0 | | | |
| | बकाया दावों के लिए आरक्षित Reserve for Outstanding Claims | 726461 | 708295 | | | |



| | | | | | |
|--|---|---|--|--|--|
| कुल Total | 1053978 | 1031090 | | | |
| निवल प्रीयिम Net Premium | 647239 | 638147 | | | |
| अनुपात (गुणा) Ratio (Times) | 1.63 | 1.62 | | | |
| 12 जोखिम अंकन शेष अनुपात Underwriting Balance Ratio | 31.03.2015 को समाप्त वर्ष Year ending 31.03.2015 | 31.03.2014 को समाप्त वर्ष Year ending 31.03.2014 | | जोखिम अंकन तुलन अनुपात (गुणा) U/W Balance Ratio (Times) | जोखिम अंकन तुलन अनुपात (गुणा) U/W Balance Ratio (Times) |
| अग्नि Fire | -20595 | -19065 | | -0.35 | -0.29 |
| मरीन कार्गो Marine Cargo | 5397 | 3679 | | 0.24 | 0.16 |
| मरीन हल Marine Hull | -420 | -3458 | | -0.06 | -0.62 |
| मोटर ओडी Motor OD | 7847 | 20782 | | 0.07 | 0.19 |
| मोटर टीपी (गैर-पूल) Motor TP(Non- Pool) | -40563 | -19593 | | -0.29 | -0.17 |
| मोटर टीपी (पूल) Motor TP(Pool) | -5496 | -2674 | | #DIV/0! | #DIV/0! |
| मोटर टीपी (डीआर पूल) Motor TP(D.R. Pool) | -1655 | -22501 | | -0.34 | -3.49 |
| अभियांत्रिकी Engineering | 5582 | -4467 | | 0.2 | -0.15 |
| विमानन Aviation | -4590 | -2121 | | -1.71 | -0.54 |
| कामगार क्षतिपूर्ति Workmen Compensation | 3057 | 3211 | | 0.4 | 0.43 |
| व्यक्तिगत दुर्घटना Personal Accident | -172 | -339 | | -0.01 | -0.02 |
| स्वास्थ्य Health | -114021 | -79743 | | -0.61 | -0.49 |
| देयता Liability | 643 | 1651 | | 0.18 | 0.53 |
| अन्य विविध Other Miscellaneous | 11772 | -4354 | | 0.24 | -0.1 |
| कुल TOTAL | -153213 | -128992 | | -0.24 | -0.22 |



| | | | | | |
|-----------|---|---|---|--|--|
| 13 | प्रचालनिक लाभ अनुपात Operating Profit Ratio | 31.03.2015 को समाप्त वर्ष Year Ending 31.03.2015 | 31.03.2014 को समाप्त वर्ष Year Ending 31.03.2014 | | |
| | जोखिम अंकन लाभ Underwriting Profit | -153213 | -128992 | | |
| | निवेशों से आय Investment Income | 208223 | 191740 | | |
| | प्रचालनिक लाभ Operating Profits | 55010 | 62747 | | |
| | निवल अर्जित प्रीमियम Net Earned Premium | 642516 | 595397 | | |
| | अनुपात (%) Ratio(%) | 8.56 | 10.54 | | |
| 14 | देयताओं के सापेक्ष नकद परिसम्पत्तियों का अनुपात Liquid Assets to Liabilities Ratio | 31.03.2015 को समाप्त वर्ष Year Ending 31.03.2015 | 31.03.2014 को समाप्त वर्ष Year Ending 31.03.2014 | | |
| | नकद परिसम्पत्तियां Liquid Assets | 320126 | 314186 | | |
| | पॉलिसीधारकों की देयताएं Policyholders' Liabilities | 1058948 | 1035810 | | |
| | अनुपात (गुणा) Ratio (Times) | 0.3 | 0.3 | | |
| 15 | निवल आय अनुपात Net Earnings Ratio | 31.03.2015 को समाप्त वर्ष Year Ending 31.03.2015 | 31.03.2014 को समाप्त वर्ष Year Ending 31.03.2014 | | |
| | कर पश्चात लाभ Profit after Tax | 39210 | 46029 | | |
| | निवल प्रीमियम Net Premium | 647239 | 638147 | | |
| | अनुपात (%) Ratio (%) | 6.06 | 7.21 | | |
| 16 | Return on Net Worth | 31.03.2015 को समाप्त वर्ष Year Ending 31.03.2015 | 31.03.2014 को समाप्त वर्ष Year Ending 31.03.2014 | | |
| | कर पश्चात लाभ Profit after Tax | 39210 | 46029 | | |



| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| निवल मूल्य Network | 318183 | 289202 | | | |
| अनुपात (%) Ratio (%) | 12.32 | 15.92 | | | |
| 17 अपेक्षित ऋण शोधन मार्जिन के लिए उपलब्ध ऋण शोधन मार्जिन Available Solvency Margin to required Solvency Margin Ratio | 31.03.2015 को समाप्त वर्ष Year Ending 31.03.2015 | 31.03.2014 को समाप्त वर्ष Year Ending 31.03.2014 | | | |
| उपलब्ध ऋण शोधन मार्जिन Available Solvency Margin | 286407 | 262142 | | | |
| अपेक्षित ऋण शोधन मार्जिन Required Solvency Margin | 170947 | 160284 | | | |
| ऋण शोधन मार्जिन अनुपात (गुणा) Solvency Margin Ratio (Times) | 1.68 | 1.64 | | | |
| 18 एनपीए अनुपात (%) NPA Ratio (%) | 31.03.2015 को समाप्त वर्ष Year Ending 31.03.2015 | 31.03.2014 को समाप्त वर्ष Year Ending 31.03.2014 | | | |
| सकल एनपीए अनुपात— पॉलिसीधारकों की निधियां Gross NPA Ratio - Policyholders' funds | 0.35 | 0.42 | | | |
| सकल एनपीए अनुपात— शेयरधारकों की निधियां Gross NPA Ratio - Shareholders' Funds | 0.1 | 0.12 | | | |
| निवल एनपीए अनुपात— पॉलिसीधारकों की निधियां Net NPA Ratio - Policyholders' Funds | 0 | 0 | | | |
| निवल एनपीए अनुपात— शेयरधारकों की निधियां Net NPA Ratio - Shareholders' Funds | 0 | 0 | | | |



आईआरडीएआई के विनियमों के अनुसार वित्तीय विवरणिकाओं पर प्रबंधन का प्रतिवेदन

1. हम पुष्टि करते हैं कि आईआरडीएआई द्वारा प्रदान किए गए पंजीकरण का वर्ष 2015-16 के लिए उनके पंजीकरण संख्या 556 द्वारा नवीकरण किया जा चुका है।
2. सांविधिक प्राधिकारियों को देय सभी देयताओं का विधिवत भुगतान किया जा चुका है।
3. वर्ष 2014-15 के दौरान शेयरधारिता का स्वरूप और शेयरों के सभी अंतरण सांविधिक और विनियामक अपेक्षाओं के अनुसार हैं।
4. वर्ष 2014-15 के दौरान प्रबंधन ने भारत में पॉलिसीधारकों की निधियों का भारत से बाहर प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः निवेश नहीं किया है।
5. हम पुष्टि करते हैं कि अपेक्षित ऋण शोधन क्षमता मार्जिन का अनुरक्षण किया गया है।
6. हम प्रमाणित करते हैं कि तुलन पत्र में उल्लिखित सभी परिसम्पत्तियों के मूल्य आईआरडीएआई के विनियमों के अनुरूप हैं और हमारे विश्वास के अनुसार ये बाजार मूल्य या निष्पाद्य मूल्य से अधिक नहीं हैं।
7. बीमा कम्पनी बीमित राशि के अत्यधिक उच्च मूल्य वाले बीमा के सापेक्ष बीमा-सुरक्षा प्रदान करने की शपथ लेती है। इसके अतिरिक्त कम्पनी बड़ी संख्या में अल्प राशि के बीमित, किंतु मलिन बस्तियों में स्थित, मूल्यों वाले जोखिमों को बीमा सुरक्षा मुहैया कराती है और यह किसी आपदा की घटना में प्रभावित हो सकती है जिसके परिणामस्वरूप कम्पनी को भारी संचित हानि हो सकती है। ये वे जोखिम हैं जिनका प्रबंधन बीमा कम्पनी द्वारा अपनी जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया के भाग के रूप में किया जाता है।

पुनर्बीमा कार्यक्रम वह विवरण होता है जिसमें विभिन्न जोखिमों – उच्च मूल्य वाले/संचित – का पोर्टफोलियो आधार पर प्रबंधन करने की पद्धतियों का ब्यौरा दिया गया है।

पुनर्बीमा कार्यक्रम कारोबार का सहायक होता है क्योंकि यह कम्पनी को उस सीमा की पहचान करने में सक्षम बनाता है जहां तक कम्पनी अपनी खुद की पूंजी के साथ-साथ पुनर्बीमाकारों से उधार ली गई पूंजी से अपना कारोबार कर सकती है। विनियमों में प्रावधान है कि

MANAGEMENT REPORT ON FINANCIAL STATEMENTS AS PER IRDAI REGULATIONS

1. We confirm that the registration granted by IRDAI has been renewed for the year 2015-16 vide their Registration no. 556
2. All dues payable to statutory authorities have been duly paid.
3. The shareholding pattern and all transfers of shares during 2014-15 are in accordance with statutory and regulatory requirements.
4. During 2014-15, the management has not directly or indirectly invested outside India, the funds of the holders of policies in India.
5. We confirm that the required solvency margin has been maintained.
6. We certify that the values of all assets stated in the Balance Sheet are in accordance with IRDAI Regulations and in our belief do not exceed the realizable or market value.
7. Insurance Company undertakes to provide coverage against insurance risk having very high values of Sum Insured. Further the company provides coverage to a large number of risks having moderate Sum Insured values but located in a cluster and can get affected by a Catastrophic Event resulting in cumulatively large loss to the company. These are risks which are to be managed by the Insurance Company as part of its risk management process.

Reinsurance Programme is a statement detailing methods of management of the various risks – high valued/accumulated, on a portfolio basis.

The Reinsurance Programme is an enabler of business as it enables the company to identify the extent to which the company can do its business on own capital as well as on the borrowed capital from the Reinsurers. Regulations provide that Reinsurance should aim at twin objectives of maximum retention and maximum capacity. The programme for 2014-15 was designed to provide impetus to Company's growth as well as achieve the regulator's objective to retain



पुनर्बीमा अधिकतम प्रतिधारण और अधिकतम क्षमता के दोहरे उद्देश्यों पर लक्षित होता है। वर्ष 2014-15 के लिए कार्यक्रम को कम्पनी की वृद्धि को आवेग प्रदान करने के साथ साथ देश के भीतर अधिकतम प्रतिधारण के विनियामक के उद्देश्य को हासिल करने के लिए तैयार किया गया था।

प्रत्यक्ष प्रीमियम निरंतर स्व-विनियम और मालिक के हस्तक्षेप के कारण स्थिर बना रहा। कम्पनी जोखिम अंकन और दावों, दोनों पर नियंत्रण में सुधार करती रही और यह तथ्य कम्पनी के वित्तीय निष्पादन में सुधार द्वारा परिलक्षित होता है।

आनुपातिक संधि क्षमता उपलब्ध थी, हालांकि अपेक्षाकृत अधिक कठोर शर्तों/निबंधनों के साथ उपलब्ध थी, जिसमें जीआईसी अग्रणी है। मरीन हल अधिशेष संधि क्षमता को एचएंडएम पोर्टफोलियो द्वारा निरंतर खराब निष्पादन की वजह से नवीकृत नहीं किया जा सका। इसलिए आनुपातिक दृढ़ता न होने की वजह से, इस पोर्टफोलियो को मरीन एक्सओएल संधि कवर करती है। गैर-आनुपातिक संधियां समान व्यक्तिपरकता और स्थितियों के साथ उपलब्ध थी और वर्ष 2014-15 के लिए हमारी अगुआ जीआईसी थी। आनुपातिक और गैर-आनुपातिक दोनों प्रकार की संधियों का नियोजन आईआरडीएआई के विनियम द्वारा अनुमत्त मूल्यांकित प्रतिभूतियों सहित सफलतापूर्वक किया गया।

वर्ष 2015-16 के लिए, प्रतिधारण को अधिकतम करने और क्षमता को अधिकतम करने के दोहरे उद्देश्य को प्राप्त करने के लक्ष्य से, समाप्त होने वाली सीमाओं के साथ स्वचालित क्षमता मुहैया कराने के लिए आरई कार्यक्रम तैयार किया गया है। वृद्धि और बाजार की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए विविध विभाग के अंतर्गत कुछ उत्पादों की प्रतिधारण सीमाओं में वृद्धि देखी गई।

वृद्धि की संभावना होने के बावजूद क्षमता की कमी देनदारी पोर्टफोलियो में वृद्धि के समक्ष बड़ी रुकावट थी और वर्ष 2015-16 में इसका समाधान किया जा चुका है, चूंकि देनदारी पोर्टफोलियो के लिए क्षमता सृजित की जा चुकी है।

विमानन उद्योग में वृद्धि की संभावना को देखते हुए आशातीत अधिक बड़े आकार के बाजार का लाभ उठाने के लिए क्षमता में इजाफा किया गया है।

the maximum within the country.

Direct premium continued to stabilize on account of self regulation and owner's intervention. Company continued to improve the controls both on underwriting and claims and the same is reflected by the improvement in the financial performance of the Company.

Proportional Treaty capacity was available, albeit with stricter terms/conditions, with GIC as Leader. Marine Hull Surplus treaty capacity could not be renewed due to continuous poor performance by the H & M Portfolio. Therefore in the absence of proportional capacity, the Marine XOL treaty covers the portfolio. Non-Proportional treaties were available with similar subjectivities and conditions and GIC was our leader for 2014-15. Placement of both Proportional & Non Proportional treaties were successfully completed with rated securities permitted by IRDAI Regulation.

For the year 2015-16 with an aim to achieve the twin objectives of maximization of retention and maximization of capacity, the RI programme is designed to provide Automatic Capacity with expiring limits. A few of the products under Miscellaneous department saw increase in retention limits looking into the growth and market potential.

Lack of capacity was a major hurdle for growth in Liability portfolio despite having a growth potential and the same stands addressed in 2015 16 as Capacity has been created for Liability portfolio.

In view of the growth potential in Aviation industry capacity has been enhanced to take advantage of expected larger sized market.

Based on the results of Catastrophe models, protection against Earthquake Risk has been enhanced.

The international markets in 2015 have been characterized by availability of capacity and relative softening of rates. Despite the effect



आपदा मॉडलों के परिणामों के आधार पर, भूकम्प जोखिम के सापेक्ष संरक्षण में वृद्धि की गई है।

वर्ष 2015 में अंतरराष्ट्रीय बाजारों की विशेषताएं क्षमता की उपलब्धता और इसके सापेक्ष दरों का कम होना रही। एक्सओएल कवरों के लिए पुनर्बीमा द्वारा मांगी गई उच्चतर कटौती राशियों के रूप में सम्पत्ति वर्ग के लिए भारतीय बाजार नवीकरणों पर उत्तराखंड की बाढ़ के कारण हानियों के प्रभाव के बावजूद, समाप्त होने वाली कटौती राशियों पर सभी संधियां सफलतापूर्वक नियोजित की गई हैं।

कुछ आनुपातिक और एक्सओएल संधियों को छोड़कर, वर्ष 2014-15 के लिए ऐसी सभी संधियों का नवीकरण किया जा चुका है, जिनमें जीआईसी अग्रणी रहा, और विनियामक अपेक्षाओं को पूरा करने वाली प्रतिभूतियों के साथ नियोजन प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है।

8. कम्पनी के वर्तमान विदेशी प्रचालन दुबई, कुवैत और नेपाल में हैं। कतर में कार्यालय खोलने की प्रक्रिया अभी भी चल रही है। कतर में कार्यालय खोलने के लिए अनुमोदन जनवरी 2014 में प्राप्त किया गया और कतर में कार्यालय खोलने के लिए अपेक्षित औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। कम्पनी की सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम आय उल्लेखनीय नहीं है। इसलिए विदेशी प्रचालनों के कारण जोखिम अरक्षितता अत्यंत मामूली है।
9. दावों का परिपक्वण और दावों के समाधान की प्रवृत्तियां: भारत में बकाया दावों का आयु-वार विश्लेषण अनुबंध 1 में दिया गया है।
10. स्टॉक और शेयरों सहित सभी निवेशों के मूल्य की गणना आईआरडीएआई के विनियमों के अनुसार की गई है। भारत में सक्रिय रूप से कारोबार किए गए इक्विटी शेयरों का मूल्य निर्धारण मार्च महीने में एनएसई में व्यक्त अंतिम मूल्य पर किया गया है जिसका चयन प्रमुख एक्सचेंज के तौर पर किया गया है और यदि ऐसी प्रतिभूति प्रमुख एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं है/कारोबार नहीं किया जाता है, तो इसका मूल्य-निर्धारण मार्च महीने में बीएसई में व्यक्त अंतिम मूल्य पर किया गया है जिसका चयन द्वितीयक एक्सचेंज के तौर पर किया गया है।
11. पोर्टफोलियो की दृष्टि से परिसम्पत्तियों की गुणवत्ता और निवेश के निष्पादन की समीक्षा निम्नानुसार की गई है:

of Uttarakhand flood losses on Indian market renewals for the property class in form of higher deductibles sought by Reinsurers for XOL covers, all the treaties have been successfully placed at expiring deductibles.

All the Proportional and XOL treaties have been renewed for 2014-15 with GIC as leader except a few and placement completed with the securities meeting the Regulatory requirements.

8. The present overseas operations of the Company are in Dubai, Kuwait and Nepal. The process of opening an office at Qatar is still under way. The approval from IRDAI for opening an office in Qatar was obtained in January 2014 and steps are in process to complete the formalities required to open the office at Qatar. The Foreign offices' contribution to the Gross Direct Premium Income of the Company is not substantial. Therefore the risk exposure on account of the foreign operations is very minimal.
9. Ageing of claims and trends in settlement of claims: Age-wise analysis of Outstanding Claims in India is given in Annexure 1.
10. The values of all investments including stock and shares have been arrived at in accordance with IRDAI Regulations. The actively traded Equity shares in India, are valued at the last quoted closing price at NSE in the month of March which is selected as the Primary Exchange and in case such security is not listed/not traded on the Primary Exchange, the same are valued at the last quoted closing price at BSE in the month of March which is selected as the Secondary Exchange.
11. A review of asset quality and performance of investment in terms of portfolios are given below:



| पोर्टफोलियो Portfolio | निवेश करोड़ रूपए में Investments Rs. in Crores | कुल निवेश का % % to total Investments | अर्जन % वित्त वर्ष 2014-15 Yield % FY 2014-15 | अर्जन % वित्त वर्ष 2013-14 Yield % FY 2013-14 |
|--|---|---|--|--|
| सरकारी प्रतिभूतियां Government Securities | 4411.52 | 35.37 | 8.64 | 8.24 |
| बांड और डिबेंचर Bonds and Debentures | 4195.82 | 33.64 | 9.44 | 9.37 |
| म्यूचुअल फंड/उद्यम निधि Mutual Funds/Venture Fund | 140.49 | 1.13 | 0.00 | 0.00 |
| ऋण Loans | 81.87 | 0.66 | 12.29 | 16.63 |
| अधिमान्य शेयर Preference Shares | 9.92 | 0.08 | 2.60 | 2.37 |
| इक्विटी शेयर Equity Shares | 2186.70 | 17.53 | 9.34 | 9.78 |
| निधि बाजार लिखत Money Market Instruments | 1441.03 | 11.55 | 10.40 | 9.15 |
| अल्पावधि ऋण Short Term Loans | 6.20 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| ऋणों/शेयरों के लिए आवेदन शुल्क Application Money for debts/shares | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| कुल Total | 12473.55 | 100.00 | 9.12 | 8.92 |

| पोर्टफोलियो Portfolio | अर्जन % वित्त वर्ष 2012-13 Yield % FY 2012-13 | अर्जन % वित्त वर्ष 2011-12 Yield % FY 2011-12 | अर्जन % वित्त वर्ष 2010-11 Yield % FY 2010-11 |
|--|--|--|--|
| सरकारी प्रतिभूतियां Government Securities | 8.28 | 8.32 | 8.28 |
| बांड और डिबेंचर Bonds and Debentures | 9.17 | 9.26 | 8.68 |
| म्यूचुअल फंड/उद्यम निधि Mutual Funds/Venture Fund | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ऋण Loans | 12.69 | 22.55 | 11.53 |
| अधिमान्य शेयर Preference Shares | 2.24 | 2.27 | 1.36 |
| इक्विटी शेयर Equity Shares | 9.29 | 10.47 | 11.80 |
| निधि बाजार लिखत Money Market Instruments | 11.17 | 9.87 | 7.65 |



| | | | |
|--|-------------|------|------|
| अल्पावधि ऋण Short Term Loans | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ऋणों/शेयरों के लिए आवेदन शुल्क Application Money for debts/shares | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| कुल Total | 8.95 | 9.24 | 8.95 |

उचित मूल्य बदलें खाते में इक्विटी-म्युचुअल फंड में नहीं माना जाता है।
Fair Value Change Account is not considered in Equity/Mutual Funds.

12 निदेशकों की रिपोर्ट "जिम्मेदारी वक्तव्य निदेशकों के हिस्से के रूप में प्रस्तुत किया गया है"।
12 The Directors" Responsibility Statement has been furnished as part of Directors" Report.

13 आवश्यक जानकारी नहीं के बराबर है।
13 The required information is Nil.

डॉ. ए.के. सक्सेना

अध्यक्ष एवं प्रबंधन निदेशक

Dr. A.K. Saxena

Chairman-cum-Managing Director

एन. श्रीनिवास राव

निदेशक

N. Srinivasa Rao

Director

के. रमादेवी

वित्तीय सलाहकार एवं सीएफओ

K.Ramadevi

Financial Advisor & CFO

सुजाय बनर्जी

निदेशक

Sujoy Banerji

Director

कुलदीप सिंह

निदेशक

Kuldip Singh

Director

रश्मि बाजपेयी

कम्पनी सचिव

Rashmi Bajpai

Company Secretary

स्थान: नई दिल्ली

Place: New Delhi

दिनांक: 15.05.2015

Dated: 15.05.2015



THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED
AGEWISE ANALYSIS OF CLAIMS OUTSTANDING IN INDIA AS AT 31/03/2015

(₹ in lacs)

| जितनी अवधि से दावे बकाया हैं | 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष/Year Ending 31st March 2015 | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | अग्नि/FIRE | | मरीन/MARINE | | विविध/MISC. | | अग्नि/FIRE | | मरीन/MARINE | | विविध/MISC. | |
| | संख्या/NO. | राशि/AMOUNT | संख्या/NO. | राशि/AMOUNT | संख्या/NO. | राशि/AMOUNT | संख्या/NO. | राशि/AMOUNT | संख्या/NO. | राशि/AMOUNT | संख्या/NO. | राशि/AMOUNT |
| 30 दिन से कम Less than 30 days | 11 | 62.25 | 3 | 13 | 4451 | 1170.94 | 520 | 10213.89 | 705 | 2126.5 | 33072 | 46100.91 |
| 30 दिन से 6 महीने 30 Days to 6 Months | 3 | 8.38 | 7 | 33 | 12318 | 30566.83 | 1094 | 42166.4 | 1612 | 10800 | 37118 | 46161.45 |
| 6 महीने से 1 वर्ष 6 Months to 1 Year | 19 | 294.45 | 10 | 32.7 | 14947 | 35026.33 | 803 | 54971.02 | 990 | 4844 | 17815 | 40541.08 |
| 1 वर्ष 5 वर्ष 1 Year to 5 Years | 146 | 418.86 | 64 | 329 | 68061 | 160259.7 | 637 | 49627.54 | 600 | 11070 | 11936 | 38832.79 |
| 5 वर्ष और इससे अधिक 5 years and above | 133 | 16621.28 | 64 | 5852.28 | 49393 | 94081.2 | 95 | 2393.79 | 48 | 1067 | 1186 | 2099.31 |
| आवक सहबीमा Incoming Coinsurance | 0 | 0 | 5 | 139 | 406 | 827.83 | 150 | 13486.81 | 97 | 7152 | 519 | -52137.2 |
| सर्वेक्षण/विधिक शुल्क Survey / Legal Fee | | 320 | | 84 | 0 | 5604.7 | | 445.98 | | 18844 | 0 | 10680.7 |
| कुल TOTAL | 312 | 17725.22 | 153 | 6482.98 | 149576 | 337537.6 | 3299 | 173305.4 | 4052 | 55903.5 | 101646 | 132279 |
| कुल योग GRAND TOTAL | 3611 | 191030.65 | 4205 | 62386.48 | 251222 | 469816.59 | | | | | | |

(₹ in lacs)

| जितनी अवधि से दावे बकाया हैं Claims O/s for | 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष/Year Ending 31st March 2014 | | | | 31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष/Year Ending 31st March 2013 | | | | | | | |
|--|--|-----------------|----------------|-----------------|--|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| | अग्नि/FIRE | | मरीन/MARINE | | विविध/MISC. | | अग्नि/FIRE | | मरीन/MARINE | | विविध/MISC. | |
| | संख्या/ NO. | राशि/ AMOUNT | संख्या/ NO. | राशि/ AMOUNT | संख्या/ NO. | राशि/ AMOUNT | संख्या/ NO. | राशि/ AMOUNT | संख्या/ NO. | राशि/ AMOUNT | संख्या/ NO. | राशि/ AMOUNT |
| 30 दिन से कम Less than 30 days | 4 | 0.22 | 4 | 1.95 | 3794 | 12233.97 | 7 | 31.00 | 3 | 9.05 | 5744 | 11873.02 |
| 30 दिन से 6 महीने 30 Days to 6 Months | 453 | 8683.34 | 663 | 2626.52 | 31936 | 30955.12 | 493 | 6260.92 | 649 | 4332.15 | 17446 | 16196.82 |
| 6 महीने से 1 वर्ष 6 Months to 1 Year | 4 | 7.63 | 4 | 12.27 | 14154 | 29125.01 | 16 | 355.70 | 10 | 37.63 | 13954 | 27517.42 |
| 1 वर्ष 5 वर्ष 1 Year to 5 Years | 1017 | 27453.20 | 1295 | 6539.03 | 56599 | 69491.79 | 945 | 29890.26 | 1188 | 4182.72 | 27304 | 27246.36 |
| 5 वर्ष और इससे अधिक 5 years and above | 23 | 273.78 | 5 | 3.07 | 19961 | 41705.83 | 10 | 86.36 | 6 | 8.05 | 17865 | 34426.93 |
| आवक सहबीमा Incoming Coinsurance | 768 | 44495.49 | 962 | 3922.35 | 22487 | 66264.67 | 754 | 17362.83 | 954 | 5164.94 | 15384 | 30992.57 |
| सर्वेक्षण / विधिक शुल्क Survey / Legal Fee | 111 | 462.41 | 68 | 297.56 | 73781 | 141920.12 | 99 | 424.03 | 44 | 92.55 | 81801 | 146327.80 |
| कुल TOTAL | 733 | 36573.02 | 719 | 12605.07 | 16209 | 81486.38 | 844 | 32376.90 | 738 | 11668.98 | 10546 | 38532.85 |
| कुल योग GRAND TOTAL | 109 | 15060.87 | 41 | 4705.28 | 52851 | 104160.96 | 186 | 14274.97 | 61 | 4401.30 | 53756 | 78175.58 |
| | 61 | 1054.21 | 72 | 2047.38 | 1445 | 15566.89 | 63 | 982.16 | 53 | 1310.61 | 1289 | 5033.32 |
| | 2 | 6.18 | 5 | 138.95 | 729 | 3440.22 | 0 | 0.00 | 8 | 1118.80 | 155 | 225.44 |
| | 129 | 26080.76 | 70 | 9767.44 | 508 | 41532.15 | 209 | 17841.64 | 92 | 17800.57 | 274 | 4564.76 |
| | | 195.04 | | 17806.77 | | 21733.50 | | 161.72 | | 17010.65 | | 3207.94 |
| | | 330.91 | | 393.35 | | 1793.54 | | 450.70 | | 376.73 | | 957.33 |
| | 253 | 16006.13 | 127 | 22965.84 | 165270 | 354319.61 | 318 | 15333.78 | 132 | 22678.03 | 173275 | 301754.13 |
| | 3161 | 144670.93 | 3781 | 37901.14 | 129184 | 307090.54 | 3308 | 105165.41 | 3674 | 44836.70 | 72243 | 123524.01 |
| | 3414 | 160677.06 | 3908 | 60866.99 | 294454 | 661410.15 | 3626 | 120499.19 | 3806 | 67514.73 | 245518 | 425278.14 |





AGEWISE ANALYSIS OF CLAIMS OUTSTANDING IN INDIA AS AT 31/03/2012

(₹ in lacs)

| जितनी अवधि से दावे बकाया हैं Claims O/s for | 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष/Year Ending 31st March 2012 | | | | 31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष/Year Ending 31st March 2011 | | | | |
|--|--|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|--|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------|
| | अग्नि/FIRE संख्या/ NO. | राशि/ AMOUNT | मरीन/MARINE संख्या/ NO. | विविध/MISC. संख्या/ NO. | अग्नि/FIRE संख्या/ NO. | राशि/ AMOUNT | मरीन/MARINE संख्या/ NO. | विविध/MISC. संख्या/ NO. | राशि/ AMOUNT |
| 30 दिन से कम Less than 30 days | 4 | 0.11 | 0 | 4972 | 5 | 0.85 | 21 | 6106 | 9384.48 |
| गैर-वाद Nonsuit | | | | | | | | | |
| 30 दिन से 6 महीने 30 Days to 6 Months | 340 | 7323.49 | 758 | 70206 | 330 | 6173.49 | 776 | 2122.10 | 11227.15 |
| गैर-वाद Nonsuit | | | | | | | | | |
| 6 महीने से 1 वर्ष 6 Months to 1 Year | 3 | 1.00 | 4 | 17398 | 14 | 170.10 | 0 | 0.00 | 18989 |
| गैर-वाद Nonsuit | | | | | | | | | |
| 6 महीने से 1 वर्ष 6 Months to 1 Year | 1408 | 24951.97 | 1662 | 39037 | 981 | 15781.77 | 1844 | 6400.83 | 37306.44 |
| गैर-वाद Nonsuit | | | | | | | | | |
| 1 वर्ष 5 वर्ष 1 Year to 5 Years | 7 | 5.03 | 12 | 24626 | 17 | 12.40 | 1 | 0.01 | 21753 |
| गैर-वाद Nonsuit | | | | | | | | | |
| 1 वर्ष 5 वर्ष 1 Year to 5 Years | 948 | 23152.34 | 1511 | 19333 | 931 | 17167.01 | 1348 | 9097.84 | 33100.48 |
| गैर-वाद Nonsuit | | | | | | | | | |
| 1 वर्ष 5 वर्ष 1 Year to 5 Years | 87 | 121.95 | 20 | 87218 | 84 | 898.18 | 28 | 101.17 | 134973.97 |
| गैर-वाद Nonsuit | | | | | | | | | |
| 5 वर्ष और इससे अधिक 5 years and above | 873 | 25216.42 | 1107 | 12911 | 770 | 34202.25 | 959 | 20440.43 | 31858.26 |
| गैर-वाद Nonsuit | | | | | | | | | |
| 5 वर्ष और इससे अधिक 5 years and above | 165 | 14354.66 | 56 | 49357 | 98 | 1255.78 | 61 | 4296.22 | 52927 |
| गैर-वाद Nonsuit | | | | | | | | | |
| 5 वर्ष और इससे अधिक 5 years and above | 63 | 917.00 | 79 | 1163 | 125 | 1501.47 | 52 | 768.90 | 2702.69 |
| गैर-वाद Nonsuit | | | | | | | | | |
| आवक सहबीमा Incoming Coinsurance | 0 | 0.00 | 5 | 248 | 1 | 6633.75 | 6 | 136.05 | 352.51 |
| गैर-वाद Nonsuit | | | | | | | | | |
| आवक सहबीमा Incoming Coinsurance | 110 | 17745.48 | 48 | 94 | 111 | 9178.52 | 61 | 7905.08 | 370.42 |
| गैर-वाद Nonsuit | | | | | | | | | |
| सर्वेक्षण / विधिक शुल्क Survey / Legal Fee | 0 | 18.75 | 0.00 | 0 | 0 | 6692.44 | 0 | 15428.95 | 0 |
| गैर-वाद Nonsuit | | | | | | | | | |
| सर्वेक्षण / विधिक शुल्क Survey / Legal Fee | 0 | 525.31 | 0 | 0 | 0 | 267.52 | 0 | 543.21 | 0 |
| गैर-वाद Nonsuit | | | | | | | | | |
| कुल TOTAL | 266 | 14501.51 | 97 | 183820 | 219 | 15663.5 | 117 | 19974.15 | 273822.03 |
| गैर-वाद Nonsuit | | | | | | | | | |
| कुल योग GRAND TOTAL | 3742 | 99832.01 | 5165 | 142744 | 3248 | 84272 | 5040 | 42278.39 | 117550.13 |
| गैर-वाद Nonsuit | | | | | | | | | |
| कुल योग GRAND TOTAL | 4008 | 114333.52 | 5262 | 326564 | 3467 | 99935.5 | 5157 | 67252.54 | 391372.16 |



दि ओरिएण्टल इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड
31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्त एवं भुगतान लेखा (अर्थात् नकद प्रवाह विवरणी)

| | 31.03.2015 को समाप्त वर्ष ('000' रूप में) | 31.03.2014 को समाप्त वर्ष ('000' रूप में) |
|--|---|---|
| क प्रचालनिक गतिविधियों से नकद प्रवाह | | |
| 1. पॉलिसीधारकों से प्राप्त प्रीमियम, अग्रिम प्राप्तियों सहित | 79947241 | 76997799 |
| 2. अन्य प्राप्तियां (निवल) | 5543652 | 5780394 |
| 3. पुनर्बीमाकर्ताओं को भुगतान, कमीशनों और दावों से निवल | -3822448 | -2659670 |
| 4. सहबीमाकर्ताओं को भुगतान, दावों की वसूली से निवल | -1210782 | -11986032 |
| 5. दावों का भुगतान | -58607119 | -54652862 |
| 6. कमीशन और ब्रोकरेज का भुगतान | -5105835 | -5377584 |
| 7. अन्य प्रचालनिक खर्चों का भुगतान | -20459697 | -15538516 |
| 8. प्रारंभिक और प्रचालन-पूर्व खर्च | 0 | 0 |
| 9. जमा राशियां, अग्रिम और कर्मचारी ऋण | -254016 | 578920 |
| 10. चुकता आय कर (निवल) | -3190975 | -2204596 |
| 11. एकत्रित/चुकता सेवा कर (निवल) | 829052 | 1141018 |
| 12. अन्य भुगतान (निवल) | 0 | 0 |
| 13. असाधारण मदों से पूर्व नकद प्रवाह | -6330917 | -7921129 |
| 14. असाधारण प्रचालनों से नकद प्रवाह | 0 | 0 |
| 15. प्रचालनिक गतिविधियों से निवल नकद प्रवाह | -6330917 | -7921129 |
| ख निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह | | |
| 1. स्थायी परिसम्पत्तियों की खरीद (निवल) | -483537 | -565495 |
| 2. स्थायी परिसम्पत्तियों की बिक्री से आगम | 29777 | 46699 |
| 3. निवेशों की खरीद | -82121405 | -13005969 |
| 4. वितरित ऋण | 0 | 0 |
| 5. निवेशों की बिक्री | 11175154 | 10984596 |
| 6. प्राप्त पुनःभुगतान | 70647222 | 3037343 |
| 7. प्राप्त किराये/ब्याज/लाभांश | 10387854 | 10530389 |
| 8. धन बाजार लिखतों और नकद म्युचुअल निधियों में निवेश (निवल) | 0 | -458900 |
| 9. निवेशों से संबंधित खर्च | -40369 | -32551 |
| 10. निवेश गतिविधियों से निवल नकद प्रवाह | 9594696 | 11236312 |
| ग वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह | | |
| 1. शेयर पूंजी के निर्गम से आगम | 0 | 0 |
| 2. उधार राशि से आगम | 0 | 0 |
| 3. उधार राशि की चुकौती | 0 | 0 |
| 4. चुकता ब्याज/लाभांश (वितरण कर सहित) | -1263546 | -1246000 |
| 5. वित्तीय गतिविधियों से निवल नकद प्रवाह | -1263546 | -1246000 |
| घ नकद और नकद समतुल्यों पर विदेशी मुद्रा का प्रभाव(निवल) | -147 | 105824 |
| ड. नकद और नकद समतुल्यों में निवल वृद्धि(+)/कमी(-) | 2000086 | 2175007 |
| 1. वर्ष के प्रारंभ में नकद और नकद समतुल्य | 22269889 | 20094882 |
| 2. वर्ष के अंत में नकद और नकद समतुल्य | 24269975 | 22269889 |

टिप्पणियां: 1. आकृति (+)अंतः प्रवाह को और आकृति (-) बहिर्प्रवाह को दर्शाती हैं।

2. इरेडा के दिनांक 01.04.2013 से लागू दिनांक 05.10.2012 के मास्टर परिपत्र के दृष्टिगत गत वर्ष के आंकड़ों को आवश्यकतानुसार पुनःसमूहबद्ध किया गया है।

हमारी संलग्न लेखा परीक्षक रिपोर्ट के अनुसार

कृते केपीएमआर एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन सं. 02504N

सी.ए. एस.एम.वाई कुंदेशी
भागीदार
सदस्यता संख्या 081750

के. रमादेवी
महाप्रबंधक एवं मुख्य वित्तीय
अधिकारी

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 15.05.2015

कृते एस.मान एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन सं.000075N

सी.ए. सुभाष मान
भागीदार
सदस्यता संख्या 080500

रश्मि बाजपेयी
कंपनी सचिव

(डॉ. ए.के. सक्सेना)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

डॉ. एन. श्रीनिवास राव
निदेशक

कुलदीप सिंह
निदेशक

सुजय बनर्जी
निदेशक



The Oriental Insurance Company Limited
Receipts and Payments Account (i.e. Cash Flow Statement) for the year ending 31st March, 2015

| | Year ending 31.03.2015 (Rs. in '000s) | Year ending 31.03.2014 (Rs. in '000s) |
|---|--|--|
| A. Cash Flow from the operating activities | | |
| 1. Premium received from policyholders, including advance receipts | 79947241 | 76997799 |
| 2. Other receipts (net) | 5543652 | 5780394 |
| 3. Payments to reinsurers, net of commissions and claims | -3822448 | -2659670 |
| 4. Payments to coinsurers, net of claims recovery | -1210782 | -11986032 |
| 5. Payments of claims | -58607119 | -54652862 |
| 6. Payments of commission and brokerage | -5105835 | -5377584 |
| 7. Payments of other operating expenses | -20459697 | -15538516 |
| 8. Preliminary and pre-operative expenses | 0 | 0 |
| 9. Deposits, advances and staff loans | -254016 | 578920 |
| 10. Income taxes paid (net) | -3190975 | -2204596 |
| 11. Service tax collected/paid (net) | 829062 | 1141018 |
| 12. Other payments (Net) | | 0 |
| 13. Cash flow before extraordinary items | -6330917 | -7921129 |
| 14. Cash flow from extraordinary operations | | 0 |
| 15. Net cash flow from operating activities | -6330917 | -7921129 |
| B. Cash Flow from investing activities | | |
| 1. Purchase of fixed assets (net) | -483537 | -565495 |
| 2. Proceeds from sale of fixed assets | 29777 | 46899 |
| 3. Purchase of investments | -82121405 | -13005969 |
| 4. Loans disbursed | 0 | 0 |
| 5. Sales of investments | 11175154 | 10984596 |
| 6. Repayments received | 70647222 | 3737343 |
| 7. Rents/Interests/Dividends received | 10387854 | 10530389 |
| 8. Investments in money market instruments & liquid mutual funds (net) | 0 | -458900 |
| 9. Expenses relating to investments | -40369 | -32551 |
| 10. Net cash flow from the investing activities | 9594696 | 11236312 |
| C. Cash Flow from financing activities | | |
| 1. Proceeds from issuance of share capital | | 0 |
| 2. Proceeds from borrowing | | 0 |
| 3. Repayments of borrowing | | 0 |
| 4. Interest/dividends (including distribution tax) paid | -1263546 | -1246000 |
| 5. Net cash flow from the financing activities | -1263546 | -1246000 |
| D. Effect of foreign exchange rates on cash and cash equivalents (net) | -147 | 105824 |
| E. Net increase(+)/decrease(-) in cash and cash equivalents | 2000086 | 2175007 |
| 1. Cash and cash equivalents at the beginning of the year | 22269889 | 20094882 |
| 2. Cash and cash equivalents at the end of the year | 24269975 | 22269889 |

Notes: 1. (+) figure represents inflow and (-) figure represents outflow

2. Figures of previous year have been regrouped wherever necessary, in view of change in the format as per IRDA Master Circular dated 05.10.2012 effective from 01.04.2013.

For KPMR & Associates
Chartered Accountants

For S. MANN & Co.
Chartered Accountants

Dr. A.K. SAXENA
Chairman-cum-Managing Director

CA S.M.Y. QURESHI
Partner
Membership No. 081750

CA SUBHASH MANN
Partner
Membership No. 080500

N. SRINIVASA RAO
Director

KULDIP SINGH
Director

K. RAMADEVI
G.M. & C.F.O

RASHMI BAJPAI
Company Secretary

SUJAY BANARJI
DIRECTOR

New Delhi
Dated : 15.05.2015



दि ओरिएण्टल इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड
तुलन पत्र के उद्घरण और कम्पनी की सामान्य रूपरेखा
THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED
BALANCE SHEET ABSTRACT AND COMPANY'S GENERAL PROFILE

I. पंजीकरण का ब्यौरा

I. REGISTRATION DETAILS

| | | | |
|---------------------|------------|------------|----|
| पंजीकरण संख्या | | | |
| Registration Number | 00556 | State Code | 55 |
| तुलन पत्र की तारीख | | | |
| Balance Sheet Date | 31.03.2015 | | |

II. वर्ष के दौरान जुटाई गई पूंजी (राशि हजार रूप में)

II. CAPITAL RAISED DURING THE YEAR (AMOUNT IN RS. THOUSANDS)

| | | | |
|------------------|------------|--------------------|-------|
| सार्वजनिक निर्गम | सही मुद्दा | शून्य | शून्य |
| Public Issue | NIL | Right Issue | NIL |
| बोनस निर्गम | शून्य | प्राइवेट प्लेसमेंट | शून्य |
| Bonus Issue | NIL | Private Placement | NIL |

III. निधियों के संचलन और नियोजना की स्थिति (राशि हजार रूप में)

III. POSITION OF MOBILISATION AND DEPLOYMENT OF FUNDS (AMOUNT IN RUPEES THOUSANDS)

| | | | |
|---------------------------------|-----------|-----------------------|-----------|
| कुल देनदारियां | | कुल सपत्तियाँ | |
| Total Liabilities | 129109725 | Total Assets | 129109725 |
| निधियों के स्रोत | | | |
| Source of Funds | | | |
| प्रदत्त पूंजी | | रिजर्व और अधिशेष | |
| Paid up Capital | 2000000 | Reserve & Surplus | |
| चालू देनदारियां और स्थिति | | और उचित मूल्य बदलें | |
| Current Liabilities & Provision | 133738917 | and Fair Value Change | 127109725 |

निधियों की प्रयोज्यता

Application of Funds

| | | | |
|----------------------------|----------|-------------------|-----------|
| निवल स्थायी परिसम्पत्तियां | | निवेश | |
| Net Fixed Assets | 1580295 | Investments | 208490369 |
| निवल चालू परिसम्पत्तियां | | विविध खर्च | |
| Net Current Assets | 52777978 | Misc. Expenditure | 0 |
| संचित हानियां | | | |
| Accumulated Losses | Nil | | |



IV. कम्पनी का निष्पादन (राशि हजार रुपए में)

IV. PERFORMANCE OF COMPANY (AMOUNT IN Rs. THOUSANDS)

| | | | |
|------------------------|----------|-----------------------|----------|
| टर्नओवर | | कुल खर्च | |
| Turnover | 64723871 | Total Expenditure | 79572970 |
| कर पूर्व लाभ/हानि | | कर पश्चात लाभ/हानि | |
| Profit/Loss before Tax | 6173373 | Profit/Loss after Tax | 3920952 |
| लाभांश | | | |
| Dividend | 1100000 | | |

V. कम्पनी के तीन प्रमुख उत्पादों/सेवाओं के सामान्य (जेनरिक) नाम (मौद्रिक शब्दावली के अनुसार)

V. GENERIC NAMES OF THREE PRINCIPAL PRODUCTS/SERVICES OF CO. (AS PER MONETARY TERMS)

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| मद कोड संख्या | शून्य |
| Items Code No. | NIL |
| उत्पाद का विवरण | गैर-जीवन बीमा कारोबार |
| Product Description | Non Life Insurance Business |

स्थान: नई दिल्ली

Place: New Delhi

दिनांक: 15.05.2015

Dated: 15.05.2015

डा. ए.के. सक्सेना

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

Dr. A. K. Saxena

(Chairman cum managing Director)

एन. श्रीनिवास राव

N.SRINIVASA RAO

कुलदीप सिंह

KULDIP SINGH

सुजय बनर्जी

SUJAY BANARJI

(निदेशक)

(Directors)



समेकित
वित्तीय
विवरणिका
**CONSOLIDATED
FINANCIAL
STATEMENTS**





दिनांक 31मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड की वित्तीय विवरणिकाओं पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (4) के साथ पठित धारा 143 (6) (ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (बीमा कम्पनियों की वित्तीय विवरणिका और लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की तैयारी) विनियमावली, 2002 और कम्पनी अधिनियम, 2013 के साथ पठित बीमा अधिनियम, 1938 के अधीन निर्धारित किए गए वित्तीय प्रतिवेदन प्रारूप के अनुसार दिनांक 31मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड की वित्तीय विवरणिकाओं को तैयार करना कम्पनी के प्रबंधन का दायित्व है। अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 139(5) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा 143(10) के अधीन निर्धारित लेखा परीक्षण पर मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित 143 के अंतर्गत वित्तीय विवरणिकाओं पर मत व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। यह कार्य उनके द्वारा दिनांक 15 मई 2015 के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के द्वारा किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित 143(6)(क) के अंतर्गत दिनांक 31मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड की वित्तीय विवरणिकाओं की अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। हमने दिनांक 31मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड की वित्तीय विवरणिकाओं की अनुपूरक लेखापरीक्षा की है, किंतु उस तारीख का समाप्त वर्ष के लिए दि इंडस्ट्रियल क्रेडिट कम्पनी लिमिटेड और हैल्थ इंश्योरेंस टीपीए ऑफ इंडिया लिमिटेड की वित्तीय विवरणिकाओं की अनुपूरक लेखा परीक्षा नहीं की है। यह अनुपूरक लेखा परीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षक के कार्यशील दस्तावेजों तक पहुँच के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और यह मुख्यतः सांविधिक लेखा परीक्षकों और कम्पनी कार्मिकों की जांचों और कुछ लेखाकरण अभिलेखों की चुनी हुई जांच तक सीमित है।

अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर, मेरी जानकारी में ऐसा कुछ उल्लेखनीय नहीं आया है जिससे सांविधिक लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन पर या इसके अनुपूरण में कोई टिप्पणी उत्पन्न होती हो।

कृते और
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से

(सुपर्ण देव)

प्रधान वाणिज्यिक लेखापरीक्षा निदेशक
एवं पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड—।।
नई दिल्ली

स्थान: नई दिल्ली
तारीख: 15.07.2015



COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6)(b) READ WITH SECTION 129(4) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS OF THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2015.

The preparation of consolidated financial statements of The Oriental Insurance Company Limited for the year ended 31 March 2015 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Insurance Act, 1938 read with the Insurance Regulatory and Development Authority (Preparation of Financial Statement and Auditor's Report of Insurance Companies) Regulations, 2002 and the Companies Act, 2013 is the responsibility of the management of the company. The statutory auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India under section 139(5) read with section 129(4) of the Act are responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 read with section 129(4) of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 15 May 2015.

I, on the behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit under section 143(6)(a) read with section 129(4) of the Act of the consolidated financial statements of The Oriental Insurance Company Limited for the year ended 31 March 2015. We conducted a supplementary audit of the financial statements of The Oriental Insurance Company Limited, but did not conduct supplementary audit of the financial statements of The Industrial Credit Company Limited and Health Insurance TPA of India Limited for the year ended on that date. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

On the basis of my audit nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to statutory auditors' report.

**For and on the behalf of the
Comptroller & Auditor General of India**

**(Suparna Deb)
Principal Director of Commercial Audit
& Ex-officio Member, Audit Board-II,
New Delhi**

**Place: New Delhi
Date: 15.07.2015**



दि ओरिएण्टल इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड

पंजीकरण संख्या 556 दिनांक 25.02.2014

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए संचित लाभ हानि लेखा

THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED

REGISTRATION NO. 556 DATED 25.02.2014

CONSOLIDATED PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2015

(₹ in '000')

| क्र. सं. S. No. | विवरण Particulars | 31.03.15 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.15 | 31.03.14 को समाप्त वर्ष Year ended 31.03.14 |
|--------------------|--|--|--|
| 1 | प्रचालनिक लाभ / (हानि) OPERATING PROFIT /(LOSS) | | |
| | (क) अग्नि बीमा (a) Fire Insurance | (248236) | (208531) |
| | (ख) मरीन बीमा (b) Marine Insurance | 1171286 | 690470 |
| | (ग) विविध बीमा (c) Miscellaneous Insurance | (4737) | 1559671 |
| 2 | निवेशों से आय INCOME FROM INVESTMENTS | | |
| | (क) ब्याज, लाभांश और किराया . सकल (a) Interest, Dividend & Rent - Gross | 2599542 | 2291116 |
| | (ख) निवेश की बिक्री / शोधन पर लाभ (b) Profit on sale/redemption of investment | 2038418 | 1968962 |
| | घटाएं: निवेश की बिक्री / शोधन पर हानि Less: Loss on sale/redemption of investment | 0 | 0 |
| 3 | अन्य आय OTHER INCOME | | |
| | स्थायी परिसम्पत्तियों की बिक्री पर लाभ / (हानि) Profit/(Loss) on sale of fixed assets | (3276) | 9965 |
| | विविध आय Miscellaneous Income | 66244 | 27943 |
| | प्रतिलेखित पुराना / बेदावा शेष Old/Unclaimed Balance Written Back | 68180 | 45443 |
| | मुद्रा लाभ / (हानि) Exchange Gain/(Loss) | (161625) | 148381 |
| | आय कर रिफंड पर ब्याज Interest on income-tax refunds | 226050 | 292790 |
| | कुल (क) TOTAL (A) | 5751846 | 6826210 |
| 4 | प्रावधान (कराधान से भिन्न) PROVISIONS (Other than taxation) | | |



| | | |
|--|-----------|-----------|
| (क) निवेशों के मूल्य में ह्रास के लिए (a) For diminution in the value of investments | (5099) | 14390 |
| (ख) अशोध्य और संदिग्ध ऋणों/निवेश के लिए (b) For bad and doubtful debts\Investment | (606723) | 148386 |
| (ग) ऋणशोधन खर्चे (c) Amortisation Expenses | 25078 | 23599 |
| घ) बट्टे खाते डाले गए पुराने/अशोध्य शेष d)Old/Irrecoverable balances written off | 406 | 1016 |
| ड़) मानक परिसम्पत्तियों/एनपीए पर प्रावधान e) Provision on Standard Assets/NPA | (8191) | 2507 |
| च) बट्टे खाते डाले गए निवेश (निवल) f) Investments written off (Net) | 28654 | 29028 |
| छ) सीएसआर व्यय g) CSR Expendiure | 79200 | 0 |
| ज) प्रदत्त आयकर पर ब्याज h) Interest on income-tax paid | 65148 | 0 |
| कुल (ख) TOTAL (B) | (421527) | 218926 |
| कर पूर्व लाभ Profit Before Tax | 6173373 | 6607284 |
| कर पूर्व लाभ – आईसीसीएल Profit Before Tax - ICCL | (7) | (22) |
| कर पूर्व लाभ –एचआईटीपीए Profit Before Tax - HITPA | (12322) | (12145) |
| जोड़ें/(घटाएं): पूर्वावधि आय Add/(Less): Prior Period Income | 1208 | 2948 |
| जोड़ें/(घटाएं): पूर्वावधि खर्चे Add/(Less): Prior Period Expenses | 28926 | (72127) |
| जोड़ें/(घटाएं) अनुषंगी लाभ कर के लिए प्रावधान Add/(Less): Provision for Fringe Benefit Tax | 0 | 0 |
| जोड़ें/(घटाएं): कराधान के लिए प्रावधान – चालू वर्ष Add/(Less): Provision for taxation - Current Year | (2282028) | (1998005) |
| जोड़ें/(घटाएं): आस्थगित कर के लिए प्रावधान Add/(Less): Provision for Deferred Taxation | 0 | 0 |
| जोड़ें/(घटाएं): पूर्ववर्ती वर्षों में कर के लिए प्रावधान Add/(Less):Provision for tax in respect of earlier years | (527) | 62774 |
| कर पश्चात लाभ Profit after Tax | 3908623 | 4590706 |
| विनियोजन APPROPRIATIONS | | 0 |
| (क) वर्ष के प्रारंभ में शेष (a) Balance at the beginning of the year | 0 | 0 |



| | | |
|---|-----------|-----------|
| (ख) वर्ष के दौरान प्रदत्त अंतरिम लाभांश (b) Interim dividends paid during the year | 0 | 0 |
| (ग) प्रस्तावित अंतिम लाभांश (c) Proposed final dividend | (1100000) | (1080000) |
| (घ) लाभांश वितरण कर (d) Dividend distribution tax | (219972) | (183546) |
| (ङ) आरक्षितियों/अन्य खातों में अंतरण (e) Transfer to reserves/ other accounts: | | 0 |
| (i) सामान्य आरक्षिति (i) General Reserves | 2588651 | 3327160 |
| (ii) असमाप्त जोखिमों के लिए आकस्मिक आरक्षिति (ii) Contingency Reserve for Unexpired Risks | | |
| पिछले वर्ष से आगे लाए गए लाभ/हानि का शेष Balance of profit/loss brought forward from last year | 0 | |
| तुलन पत्र में आगे ले जाया गया शेष Balance carried forward to Balance Sheet | 0 | 0 |
| मूल/विरलित आय प्रति शेयर (ईपीएस) रूप में Basic/Diluted Earning Per Share (EPS) in Rs. | 19.54 | 30.60 |

उल्लेखनीय लेखाकरण नीतियां और लेखाओं पर टिप्पणियां . अनुसूची 16
Significant Accounting Policies and Notes to Accounts - Schedule 16

उपर संदर्भित अनुसूचियां तुलन पत्र का अभिन्न अंग हैं

The Schedules referred to above form integral part of the Balance Sheet

हमारी संलग्न लेखा परीक्षक रिपोर्ट के अनुसार
As per our auditors report attached

कृते केपीएमआर एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट
एफआरएन सं. 02504N
For KPMR & Associates
Chartered Accountants
FRN No. 02504N

कृते एस.मान एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट
एफआरएन सं.000075N
For S.MANN & CO.
Chartered Accountants
FRN No.000075N

(डॉ. ए.के. सक्सेना)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
DR. A.K. SAXENA
Chairman-cum-Managing Director

सी.ए. एस.एम.वाई कुरैशी
भागीदार
सदस्यता संख्या 081750
CA. S.M.Y. Qureshi
Partner
M. No. 081750

सी.ए. सुभाष मान
भागीदार
सदस्यता संख्या 080500
CA. Subhash Mann
Partner
M. No. 080500

एन. श्रीनिवास राव
निदेशक
N. Srinivasa Rao
Director

कुलदीप सिंह
निदेशक
Kuldip Singh
Director

के. रमादेवी
महाप्रबंधक एवं मुख्य वित्तीय
अधिकारी
K.Ramadevi
GM & Chief Financial Officer

रश्मि बाजपेयी
कंपनी सचिव
Rashmi Bajpai
Company Secretary

सुजय बनर्जी
निदेशक
Sujay Banarji
Director

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 15.05.2015

Place: New Delhi
Dated: 15.05.2015



बीमाकर्ता का नाम: दि ओरिएण्टल इंड्योरेंस कम्पनी लिमिटेड

पंजीकरण संख्या 556 दिनांक 25.02.2014

31 मार्च 2015 के अनुसार समेकित तुलन पत्र

NAME OF INSURER: THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED

REGISTRATION NO. 556 DATED 25.02.2014

CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH 2015

(₹ in '000')

| विवरण PARTICULARS | अनुसूची Notes | 31.03.15 को As at 31.03.2015 | 31.03.14 को As at 31.03.2014 |
|---|-------------------------|--|--|
| निधियों के स्रोत SOURCES OF FUNDS | | | |
| शेयर पूंजी SHARE CAPITAL | | 2000000 | 1500000 |
| आरक्षितियां और अधिशेष RESERVES AND SURPLUS | 1 | 29793221 | 27704570 |
| आस्थगित कर देयता Deferred Tax Liability | | 0 | 0 |
| उचित मूल्य परिवर्तन लेखा FAIR VALUE CHANGE ACCOUNT | | 97291378 | 85701136 |
| उधार BORROWINGS | | 0 | |
| कुल TOTAL | | 129084599 | 114905706 |
| निधियों का अनुप्रयोग APPLICATION OF FUNDS | | | |
| निवेश INVESTMENTS | 2 | 206546242 | 187646378 |
| ऋण LOANS | | 1896127 | 2044084 |
| स्थायी परिसम्पत्तियां FIXED ASSETS | 3 | 957277 | 898707 |
| चालू पूंजीगत कार्य Capital Work In Progress | | 623563 | 403996 |
| आस्थगित कर परिसम्पत्तियां Deferred Tax Assets | | 0 | 0 |
| चालू परिसम्पत्तियां: CURRENT ASSETS: | | | |
| नकद व बैंक शेष Cash and Bank Balances | 4 | 24294126 | 22281050 |
| अग्रिम और अन्य परिसम्पत्तियां Advances and Other Assets | 5 | 28509564 | 25794839 |
| उप-योग (क) Sub-Total (A) | | 52803690 | 48075889 |



| | | | |
|---|---|------------------|------------------|
| चालू देयताएं CURRENT LIABILITIES | 6 | 88121785 | 81529710 |
| प्रावधान PROVISIONS | 7 | 45620515 | 42930773 |
| उप-योग (ख) Sub-Total (B) | | 133742300 | 124460483 |
| निवल चालू परिसम्पत्तियां त्र (क-ख) NET CURRENT ASSETS = (A-B) | | (80938610) | (76384594) |
| विविध व्यय MISCELLANEOUS EXPENDITURE | | | |
| (बट्टे खाते न डाले जाने या समायोजित न किए जाने की सीमा तक) (to the extent not written off or adjusted) | | | 297135 |
| लाभ हानि खाते में नामे शेष DEBIT BALANCE IN PROFIT AND LOSS ACCOUNT | | | 0 |
| कुल TOTAL | | 129084599 | 114905706 |

हमारी संलग्न लेखा परीक्षक रिपोर्ट के अनुसार
As per our auditors report attached

कृते केपीएमआर एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन सं. 02504N
For KPMR & Associates
Chartered Accountants
FRN No. 02504N

कृते एस.मान एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन सं.000075N
For S.MANN & CO.
Chartered Accountants
FRN No.000075N

(डॉ. ए.के. सक्सेना)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
DR. A.K. SAXENA
Chairman-cum-Managing Director

सी.ए. एस.एम.वाई कुरैशी
भागीदार
सदस्यता संख्या 081750
CA. S.M.Y. Qureshi
Partner
M. No. 081750

सी.ए. सुभाष मान
भागीदार
सदस्यता संख्या 080500
CA. Subhash Mann
Partner
M. No. 080500

एन. श्रीनिवास राव
निदेशक
N. Srinivasa Rao
Director

कुलदीप सिंह
निदेशक
Kuldip Singh
Director

के. रमादेवी
महाप्रबंधक एवं मुख्य वित्तीय
अधिकारी
K.Ramadevi
GM & Chief Financial Officer

रश्मि बाजपेयी
कंपनी सचिव
Rashmi Bajpai
Company Secretary

सुजय बनर्जी
निदेशक
Sujay Banarji
Director

Place: New Delhi
Dated: 15.05.2015



टिप्पणियां: 1 वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न टिप्पणियां:

I. महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

क. वित्तीय विवरणों को तैयार करने का आधार:

ये वित्तीय विवरण प्राप्त आधार पर ऐतिहासिक लागत अभिसमय के अधीन भारत में सामान्य तौर पर स्वीकृत सिद्धांतों के अनुसार तैयार किए जाते हैं, ऐसी कतिपय मूर्त परिसंपत्तियों को छोड़कर, जिन्हें विवरण पुनःमूल्यांकित अलेखों पर तैयार किए जा रहे हैं। कंपनी अधिनियम (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठनीय कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अनुसरण में, केंद्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय वित्तीय सूचना प्राधिकरण के परामर्श और सिफारिशों पर कोई परिशिष्ट या लेखा मानक निर्धारित किए जाने तक, कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन अधिसूचित मौजूदा लेखा मानक लागू होते रहेंगे।

परिणामस्वरूप, ये वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 211(3ग) (कंपनी (लेखाकरण मानक) नियम, 2006, यथा संशोधित, तथा अन्य संबंधित प्रावधानों के अधीन अधिसूचित लेखाकरण मानकों का सभी महत्वपूर्ण पहलुओं की दृष्टि से अनुपालन करने के लिए तैयार किए गए हैं।

सभी परिसंपत्तियों और देयताओं को कंपनी के सामान्य प्रचालन चक्र और कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में निर्धारित अन्य मापदंडों के अनुसार चालू या गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उत्पादों के प्रकृति और उन्हें संसाधित करके नकद और नकद समतुल्य के रूप में नकदीकरण किया जाने के लिए इनके अधिग्रहण के बीच अवधि के आधार पर, कंपनी ने परिसंपत्तियों और देयताओं के चालू-गैर-चालू में वर्गीकरण के उद्देश्य के लिए अपना प्रचालन चक्र 12 महीने के रूप में निश्चित किया है।

ख. राजस्व की स्वीकृति:

सावधि जमा पर ब्याज को प्राप्त आधार पर स्वीकृति दी गई है और इन्हें प्राप्त किया जाना निश्चित है।

ग. कराधान:

क) चालू कर

चालू कर के लिए प्रावधान आय कर अधिनियम, 1961 के अधीन अनुमेय लाभों को ध्यान में रखते हुए अनुमानित कर देयता के आधार पर किया गया है।

NOTES: 1 ACCOMPANYING NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS:

I. Significant accounting policies

a. Basis of preparation of Financial Statements:

These Financial statements have been prepared in accordance with the generally accepted accounting principles in India under the historical cost convention on accrual basis, except for certain tangible assets which are being carried at revalued amounts. Pursuant to section 133 of the Companies Act, 2013 read with rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014, till the standard of accounting or any addendum thereto are prescribed by Central government in consultation and recommendation of the National Financial Reporting Authority, the existing accounting standards notified under the Companies Act, 1956 shall continue to apply.

Consequently, these financial statements have been prepared to comply in all material aspects with the accounting standards notified under Section 211(3C) [Companies (Accounting Standards) Rules, 2006, as amended] and the other relevant provisions of the Companies Act, 2013.

All assets and liabilities have been classified as current or non-current as per the Company's normal operating cycle and other criteria set out in the Schedule III to the Companies Act, 2013. Based on the nature of products and the time between the acquisition of assets for processing and their realization in cash and cash equivalents, the Company has ascertained its operating cycle as 12 months for the purpose of current-non-current classification of assets and liabilities.

B. Revenue Recognition:

Interest on term deposit is recognised on the accrual basis and certain to received.

c. Taxation:

a) Current Tax

Provision for current tax is made on the



ख) आस्थगित कर

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान द्वारा जारी लेखाकरण मानक 22 – आय पर करों के लिए लेखाकरण के अनुसार, वर्ष के लिए बही और कर लाभों के बीच कालांतरों के लिए आस्थगित कर का लेखाकरण उन कर दरों और विधियों का इस्तेमाल करके किया जाता है जिन्हें तुलनपत्र की तारीख का अधिनियमित या वस्तुतः अधिनियमित किया जा चुका हो।

अस्थायी कालांतरों से उत्पन्न होने वाली आस्थगित कर परिसंपत्तियों को उस सीमा तक स्वीकृति दी जाती है जहां तक इस बात की औचित्यपूर्ण निश्चितता हो कि परिसंपत्तियों का भविष्य में नकदीकरण कर दिया जाएगा।

घ. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां

जिन प्रावधानों के मापन में उल्लेखनीय स्तर तक अनुमान निहित हो, उन्हें तब स्वीकृति दी जाती है जब गत घटनाओं के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान बाध्यता हो और यह संभावना हो कि संसाधनों का बहिर्प्रवाह होगा।

ङ. आय प्रति शेयर

कंपनी की ईपीएस के लिए जिस आय पर विचार किया जाता है उसमें इक्विटी शेयरधारकों को अभिदेय कर-पश्चात निवल लाभ शामिल होता है (और किसी भी अतिरिक्त मद का कर-पश्चात प्रभाव) शामिल होता है। मूल ईपीएस की गणना में प्रयुक्त शेयरों की संख्या वर्ष के दौरान बकाया शेयरों की औसत भारित संख्या होती है। विरलित ईपीएस की गणना, संभावित विरलक इक्विटी शेयरों के समायोजन के पश्चात, मूल ईपीएस के समान की जाती है।

II. लेखाकरण पर टिप्पणियां

क. आकस्मिक देयताएं

1. कंपनी के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण नहीं माना गया रु.91,28,631/- (गत वर्ष रु. 8727900/-)

टिप्पणी: एक पूर्व पार्टी मध्यस्थता निर्णय दिनांक 06 मई, 1999 को मैसर्स सरस्वती वार्षेय (सुपुत्री स्वर्गीय श्रीमती रमा देवी वार्षेय) के पक्ष में पारित किया गया था जो

basis of the estimated tax liability after considering benefits admissible under Income Tax Act, 1961

b) Deferred Taxes

In accordance with Accounting Standard 22 - Accounting for Taxes on Income, issued by The Institute of Chartered Accountants of India, the deferred tax for timing differences between the book and tax profits for the year is accounted by using the tax rates and laws that have been enacted or substantially enacted as of the balance sheet date.

Deferred Tax Assets arising from temporary timing differences are recognized to the extent there is reasonable certainty that the assets can be realized in future.

d. Provision, Contingent Liabilities and Contingent Assets

Provisions involving substantial degree of estimation in measurement are recognized when there is a present obligation as a result of past events and are probable that there will be an outflow of resources.

e. Earning Per Share

The earning considered in ascertaining the Company EPS comprises the net profit after tax (and include the post-tax effect of any extra items) attributable to equity shareholders. The number of shares used in computing Basic EPS is the weighted average number of shares outstanding during the year. The diluted EPS is calculated on the same as basic EPS, after adjusting for the effect of potential dilutive equity shares.

II. Notes to Account

a. Contingent Liabilities:

1. Claims against the Company not acknowledged as debts Rs. 91,28,631/- (Previous year Rs. 8727900/-)

Note: An ex-party arbitration award dated May 06, 1999 was passed in favour of M/s Saraswati 1999 (vide original order suit no. 277/71 of ex-



कि 20 अगस्त, 1999 को न्यायालय का नियम (पूर्व पार्टी स्वर्गीय रमा देवी वार्षीय के मूल आदेश मुकदमा संख्या 277/71 के अंतर्गत) बन गया और कंपनी के विरुद्ध 30,82,541.82 रुपए के लिए एक आधिकारिक आदेश अर्थात डिक्री जारी किया गया था। डिक्री धारक ने 03 मार्च, 2000 के पश्चात निर्णीत राशि पर 13% वार्षिक की दर से भावी ब्याज के साथ उपर्युक्त राशि की वसूली के लिए एक निष्पादन मामला संख्या 11/2000 दायर कर दिया। इसके बाद कंपनी ने इस मांग का विरोध किया और वर्तमान समय में यह मामला द्वितीय अतिरिक्त दीवानी न्यायाधीश, अलीगढ़ के समक्ष लंबित है।

(₹ in '000')

| विवरण | 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए | 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए |
|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| (i) लेखा परीक्षा शुल्क | 12,000* | 12,000 |

*सेवा कर को छोड़कर

ग. संबंधित पक्ष संव्यवहार

धारक कंपनी: ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

(₹ in '000')

| विवरण | 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए | 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. संव्यवहार | | |
| धारक कंपनी से ऋण किये गए व्यय धारक कंपनी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा वहन किए जाएंगे | 38,705 | 26,296 |
| 2. अंत शेष | 5,82,587 | 5,43,882 |

party Late Smt. Rama Devi Varshney) and a decree for Rs. 30,82,541.82 was passed against the Company. An execution case bearing no. 11/2000 has been filed by the decree holder for recovery of the aforesaid amount along with future interest @ 13% p.a. on the awarded amount after March 03, 2000. Further, the company has contested the demand and at present the case is pending before IInd additional Civil Judge, Aligarh.

b. Payment to Auditors

(₹ in '000')

| Particulars | For the year ended March 31, 2015 | For the year ended March 31, 2014 |
|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| (i) Audit Fee | 12,000* | 12,000 |

*Exclusive of service tax

c. Related Party Transaction

Holding Company: The Oriental Insurance Co. Ltd.

(₹ in '000')

| Particulars | For the year ended March 31, 2015 | For the year ended March 31, 2014 |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Transactions | | |
| Loan from Holding Company expenses incurred are borne by the holding Company "the Oriental Insurance Co. Ltd." | 38,705 | 26,296 |
| 2. Closing balance | 5,82,587 | 5,43,882 |



घ. प्रति शेयर आय (ईपीएस)

(₹ in '000')

| विवरण | 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए | 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए |
|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| वर्ष के लिए लाभ / (हानि) (क) | (6827) | (21,562) |
| इक्विटी शेयरों की संख्या (ख) | 5000 | 5000 |
| लाभ प्रति शेयर (क/ख) | (1.36) | (4.31) |

- ड. निदेशकों द्वारा बोर्ड की बैठक में उपस्थित होने के लिए उपस्थिति शुल्क का दावा छोड़ दिया गया है।
- च. कर्जदार पर 37,973 रुपए की बकाया राशि पर ब्याज का हिसाब नहीं दिया गया है क्योंकि बकाया राशि को संदिग्ध कर्ज के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- छ. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार, कम्पनी द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2005 के अंतर्गत पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं को कोई राशि देय नहीं है।
- ज. गत वर्ष के आंकड़ों को आवश्यकतानुसार पुनःसमूहबद्ध, पुनः व्यवस्थित और पुनःवर्गीकृत किया गया है।

d. Earning per Share (EPS)

(₹ in '000')

| Particulars | For the year ended March 31, 2015 | For the year ended March 31, 2014 |
|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Profit/(Loss) for the year (A) | (6827) | (21,562) |
| Number of Equity Shares (B) | 5000 | 5000 |
| Profit Per Share (A.B) | (1.36) | (4.31) |

- e. The directors have waived the sitting fee for attending the Board Meeting.
- f. Interest on outstanding amount fo Rs. 37,973 with the debtor has not been accounted for since the outstanding amount has been classified as doubtful debt.
- g. According to the information and explanations given to us, the Company has no amount due to suppliers registered under Micro, Small and Medium Enterprises Dvelopment act, 2005.
- h. Previous year's figure have been regrouped, rearranged and reclassified wherever necessary.



दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणिकाओं पर टिप्पणियां

THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED

NOTES ON CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2015

1. आरक्षितियां और अधिशेष

1. RESERVES AND SURPLUS

(₹ in '000')

| क्र. सं. Sl. No. | विवरण PARTICULARS | 31.03.15 को As at 31.03.2015 | 31.03.14 को As at 31.03.2014 |
|------------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|
| क A | दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED | | |
| 1 | पूंजी आरक्षित Capital Reserve | 2565 | 2565 |
| 2 | पूंजी शोधन आरक्षित Capital Redemption Reserve | | |
| 3 | शेयर प्रीमियम Share Premium | | |
| 4 | सामान्य आरक्षित General Reserves | 29815782 | 27714802 |
| | घटाएं: लाभ हानि खाते में नामे शेष Less: Debit Balance in Profit & Loss Account | | |
| | घटाएं: पुनः क्रय के लिए प्रयुक्त राशि Less: Amount Utilised for Buy-Back | | |
| 5 | आपदा आरक्षित Catastrophe Reserve | | |
| 6 | असमाप्त जोखिमों के लिए आकस्मिक आरक्षित Contingency Reserve for Unexpired Risks | 0 | 0 |
| 7 | लाभ हानि खाते में लाभ का शेष Balance of Profit in Profit & Loss Account | 0 | 0 |
| | उप-योग SUB - TOTAL | 29818347 | 27717367 |
| B | दि इंडस्ट्रीयल क्रेडिट कम्पनी लिमिटेड की 100% हिस्सेदारी 100% Share of THE INDUSTRIAL CREDIT COMPANY LTD. | -659 | -652 |
| C | हेल्थ इंश्योरेंस टीपीए ऑफ इंडिया लिमिटेड की 23.75% हिस्सेदारी 23.75% Share of HEALTH INSURANCE TPA OF INDIA LTD. | -24467 | -12145 |
| | कुल Total | 29793221 | 27704570 |



2. निवेश

2. INVESTMENTS

(₹ in '000')

| क्र. सं. Sl. No. | विवरण PARTICULARS | 31.03.15 को As at 31.03.2015 | 31.03.14 को As at 31.03.2014 |
|------------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|
| क A | दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED | | |
| | दीर्घावधि निवेश Long Term Investments | | |
| 1 | सरकारी प्रतिभूतियां और सरकार द्वारा गारंटीकृत बांड जिसमें राजकोष बिल भी शामिल हैं Government Securities and Government Guaranteed Bonds including Treasury Bills | 42462962 | 39214858 |
| 2 | अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां Other Approved Securities | | |
| | क) बांड/डिबेंचर जहां ब्याज केंद्रीय/राज्य सरकारों द्वारा गारंटीकृत है a) Bonds/Debentures where interest is guaranteed by Central/State Govt. | 17951 | 233885 |
| | ख) भारत सरकार के पास विशेष जमा राशियां b) Special Deposits with Government of India. | 0 | 0 |
| 3 | अन्य निवेश Other Investments | | |
| | क) शेयर a) Shares | | |
| | (कक) इक्विटी (aa) Equity | 102912793 | 95232858 |
| | (खख) अधिमान्य शेयर (bb) Preference shares | 74820 | 69323 |
| | ख) म्युचुअल फंड b) Mutual Funds | 0 | 0 |
| | ग) व्युत्पन्न निवेश c) Derivative Instruments | 0 | 0 |
| | घ) डिबेंचर/बांड d) Debentures / Bonds | 22895867 | 17375456 |
| | ङ) अन्य प्रतिभूतियां e) Other Securities | 0 | 0 |
| | च) अनुषंगी कम्पनियों f) Subsidiaries | 0 | 0 |
| | छ) निवेश सम्पत्तियां – रीयल एस्टेट g) Investment Properties - Real Estate | 0 | 0 |



| क्र. सं. Sl. No. | विवरण PARTICULARS | 31.03.15 को As at 31.03.2015 | 31.03.14 को As at 31.03.2014 |
|------------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|
| 4 | अवसंरचना और सामाजिक क्षेत्र में निवेश Investment in Infrastructure & Social Sector | | |
| | क) बांड / डिबेंचर जहां ब्याज गारंटीकृत है a) Bonds/Debentures where interest is guaranteed | 0 | 0 |
| | ख) बांड / डिबेंचर (अन्य) b) Debentures / Bonds(others) | 13172198 | 12760143 |
| | ग) इक्विटी c) Equity | 14130483 | 11252584 |
| 5 | अनुमोदित निवेशों के अतिरिक्त Other than Approved Investments | | |
| | क) डिबेंचर a) Debentures | 474869 | 758188 |
| | ख) बांड / डिबेंचर जहां ब्याज गारंटीकृत है b) Bonds/Debentures where interest is guaranteed | 0 | 3980 |
| | ग) इक्विटी c) Equity | 2069601 | 981263 |
| | घ) अधिमान्य शेयर d) Preference Shares | 23769 | 38353 |
| | ङ) म्युचुअल फंड e) Mutual Funds | 0 | 0 |
| | च) अनुषंगी कम्पनियां f) Subsidiaries | 500 | 500 |
| | छ) उद्यम पूंजी निधि g) Venture Capital Fund | 675857 | 669514 |
| | अल्पाधिक निवेश Short Term Investments | | |
| 1 | सरकारी प्रतिभूतियां और सरकार द्वारा गारंटीकृत बांड जिसमें राजकोष बिल भी शामिल हैं Government Securities and Government Guaranteed Bonds including Treasury Bills | 2124101 | 1796167 |
| 2 | अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां Other Approved Securities | | |
| | क) बांड / डिबेंचर जहां ब्याज केंद्रीय / राज्य सरकारों द्वारा गारंटीकृत है a) Bonds/Debentures where interest is guaranteed by Central/State Govt. | 19914 | 0 |
| | ख) भारत सरकार के पास विशेष जमा राशियां b) Special Deposits with Government of India. | 0 | 0 |



| क्र. सं. Sl. No. | विवरण PARTICULARS | 31.03.15 को As at 31.03.2015 | 31.03.14 को As at 31.03.2014 |
|------------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|
| 3 | अन्य निवेश Other Investments | | |
| | क) शेयर a) Shares | | |
| | (कक) इक्विटी (aa) Equity | 0 | 0 |
| | (खख) अधिमान्य शेयर (bb) Preference shares | 0 | 0 |
| | ख) म्युचुअल फंड b) Mutual Funds | 787135 | 1360192 |
| | ग) व्युत्पन्न निवेश c) Derivative Instruments | 0 | 0 |
| | घ) डिबेंचर/बांड d) Debentures / Bonds | 2398206 | 5207117 |
| | ङ) अन्य प्रतिभूतियां e) Other Securities | 0 | 0 |
| | च) अनुषंगी कम्पनियां f) Subsidiaries | 0 | 0 |
| | छ) निवेश सम्पत्तियां – रीयल एस्टेट g) Investment Properties - Real Estate | 0 | 0 |
| 4 | अवसंरचना और सामाजिक क्षेत्र में निवेश Investment in Infrastructure & Social Sector | | |
| | क) बांड/डिबेंचर जहां ब्याज गारंटीकृत है a) Bonds/Debentures where interest is guaranteed | 0 | 0 |
| | ख) बांड/डिबेंचर (अन्य) b) Debentures / Bonds(others) | 2187590 | 615733 |
| 5 | अनुमोदित निवेशों के अतिरिक्त Other than Approved Investments | | |
| | क) डिबेंचर a) Debentures | 165000 | 100000 |
| | ख) बांड/डिबेंचर जहां ब्याज गारंटीकृत है b) Bonds/Debentures where interest is guaranteed | 0 | 0 |
| | ग) इक्विटी c) Equity | 0 | 0 |
| | घ) अधिमान्य शेयर d) Preference Shares | 626 | 514 |
| | ङ) म्युचुअल फंड e) Mutual Funds | 0 | 0 |
| | च) अनुषंगी कम्पनियां f) Subsidiaries | 0 | 0 |



| क्र. सं. Sl. No. | विवरण PARTICULARS | 31.03.15 को As at 31.03.2015 | 31.03.14 को As at 31.03.2014 |
|------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|
| | छ) उद्यम पूंजी निधि g) Venture Capital Fund | 0 | 0 |
| | उप-योग SUB - TOTAL | 206594242 | 187670628 |
| ख B | घटाएं: दि इंडस्ट्रीयल क्रेडिट कम्पनी लिमिटेड की 100% हिस्सेदारी Less : 100% Share of THE INDUSTRIAL CREDIT COMPANY LTD. | 500 | 500 |
| ग C | घटाएं: हैल्थ इश्योरेंस टीपीए ऑफ इंडिया लिमिटेड की 23.75% हिस्सेदारी Less : 23.75% Share of HEALTH INSURANCE TPA OF INDIA LTD. | 47500 | 23750 |
| | कुल Total | 206546242 | 187646378 |

3. स्थायी परिसम्पत्तियां और चल रहे पूंजीगत कार्य

3. FIXED ASSETS AND CAPITAL WORK IN PROGRESS

(₹ in '000')

| क्र. सं. Sl. No. | विवरण PARTICULARS | 31.03.15 को As at 31.03.2015 | 31.03.14 को As at 31.03.2014 |
|------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|
| क A | दि ओरिएण्टल इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED | As at 31.03.2015 | As at 31.03.2014 |
| | मूर्त परिसम्पत्तियां Tangible Assets | (Rs. '000) | (Rs. '000) |
| | पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि Land Freehold | 1109 | 1109 |
| | पट्टे पर ली गई सम्पत्ति Leasehold Property | 21005 | 29310 |
| | पूर्ण स्वामित्व वाली सम्पत्ति Buildings(Freehold) | 276133 | 191734 |
| | फर्नीचर और फिटिंग्स Furniture & Fittings | 69602 | 75727 |
| | सूचना प्रौद्योगिकी उपस्कर Information & Technology Equipment | 71690 | 87812 |
| | वाहन Vehicles | 372537 | 336940 |
| | कार्यालय उपस्कर Office Equipment | 22850 | 40548 |
| | अन्य Others | 79908 | 102228 |
| | कुल स्थायी परिसम्पत्तियां Total Fixed Assets | 914834 | 865408 |



| क्र. सं. Sl. No. | विवरण PARTICULARS | 31.03.15 को As at 31.03.2015 | 31.03.14 को As at 31.03.2014 |
|------------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|
| | अमूर्त परिसम्पत्तियां (सॉफ्टवेयर) Intangible Assets (Software) | 41899 | 32597 |
| | उप योग Sub Total | 956733 | 898005 |
| | चल रहे पूंजी कार्य Capital Work in Progress | 623563 | 403996 |
| | कुल Total | 1580296 | 1302001 |
| ख B | दि इंडस्ट्रीयल क्रेडिट कम्पनी लिमिटेड की 100% हिस्सेदारी 100% Share of THE INDUSTRIAL CREDIT COMPANY LTD. | 0 | 0 |
| ग C | हेल्थ इंश्योरेंस टीपीए ऑफ इंडिया लिमिटेड की 23.75% हिस्सेदारी 23.75% Share of HEALTH INSURANCE TPA OF INDIA LTD. | 545 | 702 |
| | कुल Total | 1580841 | 1302703 |

4. नकद और बैंक शेष

4. CASH AND BANK BALANCES

(₹ in '000')

| क्र. सं. Sl. No. | विवरण PARTICULARS | 31.03.15 को As at 31.03.2015 | 31.03.14 को As at 31.03.2014 |
|------------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|
| क A | दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED | | |
| 1 | 1 नकद (चैकों, ड्राफ्टों और स्टाम्पों सहित) Cash (including cheques, drafts and stamps) | 890850 | 1410117 |
| 2 | 2 बैंक शेष Bank Balances | | |
| | (क) जमा खाते (a) Deposit Accounts | | |
| | (कक) अल्पावधिक (12 महीने के भीतर देय) (aa) Short-term (due within 12 months) | 18061509 | 15566941 |
| | (खख) अन्य (bb) others | 0 | 0 |
| | (ख) चालू खाते (b) Current Accounts | 5317616 | 5292831 |
| | (ग) अन्य (c) Others | 0 | 0 |
| 3 | 3 मांग और अल्पावधिक सूचना पर धनराशि Money at Call and Short Notice | | |
| | (क) बैंकों के साथ (a) With Banks | 0 | 0 |



| क्र. सं. SI. No. | विवरण PARTICULARS | 31.03.15 को As at 31.03.2015 | 31.03.14 को As at 31.03.2014 |
|------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|
| | (ख) अन्य संस्थानों के साथ (b) With other Institutions | 0 | 0 |
| 4 | अन्य Others | 0 | 0 |
| | कुल TOTAL | 24269975 | 22269889 |
| ख B | दि इंडस्ट्रीयल क्रेडिट कम्पनी लिमिटेड की 100% हिस्सेदारी 100% Share of THE INDUSTRIAL CREDIT COMPANY LTD. | 433 | 402 |
| ग C | हेल्थ इश्योरेंस टीपीए ऑफ इंडिया लिमिटेड की 23.75% हिस्सेदारी 23.75% Share of HEALTH INSURANCE TPA OF INDIA LTD. | 23718 | 10759 |
| | कुल Total | 24294126 | 22281050 |

5. 31.03.2015 को अग्रिम और अन्य परिसम्पत्तियां

5. ADVANCES AND OTHER ASSETS AS AT 31.03.2015

(₹ in '000')

| क्र. सं. SI. No. | विवरण PARTICULARS | 31.03.15 को As at 31.03.2015 | 31.03.14 को As at 31.03.2014 |
|------------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|
| A | दि ओरिएण्टल इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED | | |
| | अग्रिम Advances | | |
| 1 | अभ्यर्पित कम्पनियों के पास जमा राशियां Reserve deposits with ceding companies | 157625 | 190459 |
| 2 | निवेशों के लिए आवेदन राशि Application money for investments | 0 | 0 |
| 3 | पूर्व-भुगतान Prepayments | 42996 | 4365 |
| 4 | निदेशकों/अधिकारियों को अग्रिम Advances to Directors/Officers | 467711 | 455867 |
| 5 | चुकता अग्रिम कर और स्रोत पर कर की कटौती (कराधान संबंधी प्रावधान को घटाते हुए)/कर विभाग से वसूली योग्य राशि Advance tax paid and taxes deducted at source, (Net of Provision for Taxation)/Amount Recoverable from Tax Deptt. | 3057626 | 1849154 |
| 6 | अन्य Others | 209055 | 149068 |
| | कुल (क) Total (A) | 3935013 | 2648913 |
| 1 | निवेशों पर उपचित आय Income accrued on investments | 3829027 | 3344607 |



| क्र. सं. Sl. No. | विवरण PARTICULARS | 31.03.15 को As at 31.03.2015 | 31.03.14 को As at 31.03.2014 |
|------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|
| 2 | बकाया प्रीमियम Outstanding Premiums | 568087 | 1152690 |
| 3 | एजेंटों के शेष Agents' Balances | 0 | 0 |
| 4 | विदेशी एजेंसियों के शेष Foreign Agencies' Balances | 153588 | 138898 |
| 5 | बीमा कारोबार करने वाले अन्य निकायों (पुनर्बीमाकर्ताओं सहित) से देय Due from other entities carrying on insurance business (including reinsurers) | 15451938 | 14106902 |
| 6 | अनुषंगी कम्पनियों/धारक कम्पनी से देय Due from subsidiaries/holding company | 583 | 544 |
| 7 | भारतीय रिजर्व बैंक में जमा राशि, [बीमा अधिनियम 1938 की धारा 7 के अनुसरण में]* Deposit with Reserve Bank of India, [Pursuant to section 7 of Insurance Act, 1938]* | 171107 | 171192 |
| 8 | अन्य # Others # | 4398660 | 4231204 |
| | कुल (ख) Total (B) | 24572990 | 23146037 |
| | कुल (क+ख) TOTAL (A + B) | 28508003 | 25794950 |
| ख B | दि इंडस्ट्रीयल क्रेडिट कम्पनी लिमिटेड की 100% हिस्सेदारी 100% Share of THE INDUSTRIAL CREDIT COMPANY LTD. | 9 | 3 |
| ग C | हेल्थ इश्योरेंस टीपीए ऑफ इंडिया लिमिटेड की 23.75% हिस्सेदारी 23.75% Share of HEALTH INSURANCE TPA OF INDIA LTD. | 1552 | 430 |
| | कुल Total | 28509564 | 25795383 |



6. 31.03.2015 को चालू देयताए

6. CURRENT LIABILITIES AS AT 31.03.2015

(₹ in '000')

| क्र. सं. Sl. No. | विवरण PARTICULARS | 31.03.15 को As at 31.03.2015 | 31.03.14 को As at 31.03.2014 |
|------------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|
| क A | दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED | | |
| 1 | एजेंटों के शेष (निवल) Agents Balances (Net) | 362390 | 319251 |
| 2 | अन्य बीमा कम्पनियों को देय शेष Balances due to other insurance companies | 205343 | 79321 |
| 3 | अभ्यर्पित पुनर्बीमा पर धारित जमा राशियां Deposits held on reinsurance ceded | 1155668 | 460846 |
| 4 | अग्रिम रूप से प्राप्त प्रीमियम Premium received in advance | 1612940 | 831667 |
| 5 | अनावंटित प्रीमियम Unallocated Premium | 0 | 0 |
| 6 | छोटे लेनदार # Sundry Creditors # | 11095926 | 8256464 |
| 7 | अनभंगी कम्पनियों/धारक कम्पनी को देय Due to subsidiaries/holding company | 0 | 0 |
| 8 | बकाया दावे Claims Outstanding | 72646137 | 70829480 |
| 9 | अधिकारियों/निदेशकों को देय Due to Officers / Directors | 0 | 0 |
| 10 | पॉलिसीधारकों को देय Due to Policy Holders | 496969 | 471962 |
| 11 | नई पेंशन योजना पर देयता Liability on New Pension Scheme | 320050 | 202615 |
| 12 | अन्य Others | 224173 | 76712 |
| | कुल Total | 88119596 | 81528318 |
| ख B | दि इंडस्ट्रीयल क्रेडिट कम्पनी लिमिटेड की 100% हिस्सेदारी 100% Share of THE INDUSTRIAL CREDIT COMPANY LTD. | 601 | 13 |
| ग C | हेल्थ इंश्योरेंस टीपीए ऑफ इंडिया लिमिटेड की 23.75% हिस्सेदारी 23.75% Share of HEALTH INSURANCE TPA OF INDIA LTD. | 1588 | 1379 |
| | कुल Total | 88121785 | 81529710 |



7. 31.03.2015 को प्रावधान

7. Provisions as at 31.03.2015

(₹ in '000')

| क्र. सं. Sl. No. | विवरण PARTICULARS | 31.03.15 को As at 31.03.2015 | 31.03.14 को As at 31.03.2014 |
|------------------------|--|------------------------------------|------------------------------------|
| क A | दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED | | |
| 1 | असमाप्त जोखिम के लिए आरक्षिति Reserve for Unexpired Risk | 32751739 | 32279521 |
| 2 | कराधान के लिए (चुकता अग्रिम कर और स्रोत पर कर को घटाते हुए) For taxation (less advance tax paid and tax deducted at source) | 0 | 0 |
| 3 | प्रस्तावित लाभांशों के लिए For proposed dividends | 1100000 | 1080000 |
| 4 | लाभांश वितरण कर के लिए For dividend distribution tax | 219982 | 183546 |
| 5 | अन्य Others | | |
| | (क) छुट्टी नकदीकरण/एलटीसी/बीमारी अवकाश हेतु प्रावधान (a) Provision for Leave Encashment/ LTS/Sick Leave | 5375075 | 4893859 |
| | (ख) परिलब्धि संशोधन के लिए प्रावधान (b) Provision for Wage revision | 3814306 | 1464306 |
| | (ग) अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान (c) Provision for Bad & Doubtful Debts | 2032364 | 2693115 |
| | (घ) मानक परिसम्पत्तियों के लिए प्रावधान (d) Provision for Standard Assets | 166561 | 149632 |
| | (ङ) शेयरों के मूल्य में ह्रास के लिए प्रावधान (e) Provision for Diminution in Value of Shares | 159294 | 182388 |
| | (च) ब्याज उचंत (f) Interest Suspense | 0 | 4406 |
| 6 | प्रीमियम में कमी के लिए आरक्षिति Reserve for Premium Deficiency | 0 | 0 |
| | कुल Total | 45619321 | 42930773 |
| ख B | दि इंडस्ट्रीयल क्रेडिट कम्पनी लिमिटेड की 100% हिस्सेदारी 100% Share of THE INDUSTRIAL CREDIT COMPANY LTD. | 0 | 0 |
| ग C | हेल्थ इंश्योरेंस टीपीए ऑफ इंडिया लिमिटेड की 23.75% हिस्सेदारी 23.75% Share of HEALTH INSURANCE TPA OF INDIA LTD. | 1194 | 0 |
| | कुल Total | 45620515 | 42930773 |



ब. आईआरडीएआई द्वारा यथोपेक्षित विवरणों के लेखों के प्रकटीकरण के भाग को बनाती हुई टिप्पणियां

| क्र. सं. | विवरण | 31.03.15 को | 31.03.14 को |
|----------|--|-------------|-------------|
| 1. | आकस्मिक देनदारियां | Rs. In lacs | Rs. In lacs |
| क | अंशतः चुकता निवेश | 2292.67 | 1912.69 |
| ख | बकाया जोखिम अंकन प्रतिबद्धता | शून्य | शून्य |
| ग | पॉलिसियों से इतर अन्य दावे, जिन्हें ऋण नहीं माना गया | 175.15 | 153.40 |
| घ | कम्पनी द्वारा या इसकी ओर से दी गई गारंटी | शून्य | शून्य |
| ङ | विवादास्पद साविधि ाक मांगें/देनदारियां, जिनके लिए प्रावधान नहीं किया गया है। | 5671.12# | 35554.48* |
| च | उस सीमा तक पुनर्बीमा दायित्व जिसके लिए लेखाओं में प्रावधान नहीं किया गया। | शून्य | शून्य |
| छ | अन्य | 118.01 | 132.15 |

- * 35554.48 लाख रुपए में नई दिल्ली में आयकर प्राधिकारियों द्वारा दंड के रूप में लगाए गए 17388.50 लाख रुपए और 18128.94 लाख रुपए (क्रमशः आकलन वर्ष 2005-06 और 2004-05 के लिए) जम्मू में सेवा कर प्राधिकरण द्वारा सेवा कर के लिए वसूले गए ब्याज के 4.90 लाख रुपए, हैदराबाद में आयकर प्राधिकारियों द्वारा एमएसीटी ब्याज पर टीडीएस के लिए वसूले गए 23.14 लाख रुपए और उच्च न्यायालय, हैदराबाद में पूर्व कर्मचारी द्वारा दायर मुकदमें (2013-14) के लिए 9 लाख रुपए शामिल हैं।
- # 5671.12 लाख रुपए में नई दिल्ली में आयकर प्राधिकारियों द्वारा दंड के रूप में लगाए गए 5628.48 लाख रुपए और 5.60 लाख रुपए (क्रमशः आकलन वर्ष 2005-06 और 2004-05 के लिए) जम्मू में सेवा कर प्राधिकरण द्वारा सेवा कर के लिए वसूले गए ब्याज के 4.90 लाख रुपए, हैदराबाद

**B. Notes forming part of Accounts
Disclosures of particulars as required by IRDAI.**

| Sl. No. | Particulars | As at 31.03.2015 | As at 31.03.2014 |
|---------|--|------------------|------------------|
| 1. | Contingent Liabilities | Rs. In lacs | Rs. In lacs |
| a. | Partly Paid Investments | 2292.67 | 1912.69 |
| b. | Underwriting Commitment Outstanding | NIL | NIL |
| c. | Claims, other than those under policies, not acknowledged as Debt | 175.15 | 153.40 |
| d. | Guarantee given by or on behalf of the Company | NIL | NIL |
| e. | Statutory demands/ liabilities, in dispute, not provided for | 5671.12# | 35554.48* |
| f. | Reinsurance obligations to the extent not provided for in Accounts | NIL | NIL |
| g. | Others | 118.01 | 132.15 |

- * Rs.35554.48 lacs comprises of Rs. 17388.50lacs and Rs. 18128.94 lacs, being Penalty (for the AYs 2005-06 and 2004-05 respectively) imposed by Income Tax Authorities in New Delhi ,Rs.4.90 lacs being interest on Service tax 2007-08 levied by Service tax Authority in Jammu, Rs.23.14 lacs towards TDS on MACT interest levied by Income tax Authorities in Hyderabad and Rs.9 lacs towards case filed by ex-employee in the High Court,Hyderabad (2013-14).
- # Rs.5671.12 lacs comprises of Rs.5628.48 lacs and Rs.5.60 lacs,being Penalty (for A.Ys 2005-06 and 2010-11 respectively) imposed by Income Tax Authorities in New Delhi, Rs.4.90 lacs being interest on Service tax 2007-08 levied by



में आयकर प्राधिकारियों द्वारा एमएसीटी ब्याज पर टीडीएस के लिए वसूले गए 23.14 लाख रुपए और उच्च न्यायालय, हैदराबाद में पूर्व कर्मचारी द्वारा दायर मुकदमें (2013-14) के लिए 9 लाख रुपए शामिल हैं।

Service tax Authority in Jammu, Rs.23.14 lacs towards TDS on MACT interest levied by Income tax Authorities in Hyderabad and Rs.9 lacs towards case filed by ex-employee in the High Court, Hyderabad (2013-14).

| 2. भारत में तथा भारत से बाहर कंपनी की परिसंपत्तियों पर ऋण भार | | |
|--|-------------|-------------|
| | 31.03.15 को | 31.03.14 को |
| क. न्यायालय के आदेशों से सील हुए बैंक खाते | 60.78lacs | 49.36 lacs |
| ख. सरकार की ओर से पर्यावरण राहत कोष के अंतर्गत रोकी गई जमा राशियां | शून्य | शून्य |

| 2. Encumbrances to assets of the Company in and outside India | | |
|--|------------------|------------------|
| | As at 31.03.2015 | As at 31.03.2014 |
| a. Bank Accounts frozen as per Court Orders | 60.78lacs | 49.36 lacs |
| b. Deposits held under Environment Relief fund on behalf of the Government | NIL | NIL |

| 3. ऋणों, निवेशों एवं स्थायी परिसंपत्तियों के वचनबद्धताएं एवं बकाया (लाख रुपए में) | | |
|--|-------------|-------------|
| | 31.03.15 को | 31.03.14 को |
| क. ऋण | 1.80 | 1.80 |
| ख. आंशिक चुकता शेयर | 15.13 | 15.13 |
| ग. अग्रिम घटाते हुए पूंजी प्रतिबद्धताएं | 25388.10 | 5408.30 |

| 3. Commitments made and outstanding for loans, investments and Fixed Assets (Rs. in lacs) | | |
|--|------------------|------------------|
| | As at 31.03.2015 | As at 31.03.2014 |
| a. Loans | 1.80 | 1.80 |
| b. Partly Paid Shares | 15.13 | 15.13 |
| c. Capital Commitments Net of Advances | 25388.10 | 5408.30 |

| 4. पुनर्बीमा घटाते हुए चुकता दावे (लाख रुपए में) | | |
|---|-------------|-------------|
| | 31.03.15 को | 31.03.14 को |
| क. भारत में दावेदार | 498875.11 | 429833.99 |
| ख. भारत से बाहर दावेदार | 9108.70 | 18202.85 |
| ग. कुल | 507983.81 | 448036.84 |

| 4. Claims less Reinsurance, paid to (Rs. in lacs) | | |
|--|------------------|------------------|
| | As at 31.03.2015 | As at 31.03.2014 |
| a. Claimants in India | 498875.11 | 429833.99 |
| b. Claimants outside India | 9108.70 | 18202.85 |
| c. Total | 507983.81 | 448036.84 |

5. जिन दावों के भुगतान को चार वर्ष से अधिक का समय हो गया है उन दावों के मामले में दावा देनदारियों के निर्धारण के लिए बीमांकिक अनुमान।

5. Actuarial assumptions for the determination of claim liabilities in the case of claims where the claim payment period exceed four years.

जहां दावा भुगतान की अवधि चार वर्ष से अधिक हो गई है वहां कंपनी ने कोई पॉलिसी जारी नहीं की है।

The Company has not issued any policy where claim payment period exceeds four years.



6. दावों की अवधि (आईबीएनआर को छोड़कर प्रत्यक्ष)

क) भारत के भीतर

6. Ageing of claims (Direct excluding IBNR)

a) Within India

(₹ in lacs)

| व्यवसाय का वर्ग Class of Business | वर्ष Year | बकाया दावे Claims outstanding for | | | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|--|----------------|--------------------------------------|----------------|------------------|----------------|
| | | छह माह से ज्यादा More than six months | | छह माह से कम Less than six months | | कुल Total | |
| | | संख्या Number | राशि Amount | संख्या Number | राशि Amount | संख्या Number | राशि Amount |
| अग्नि Fire | 31.3.2015 को As at 31.3.2015 | 1983 | 137813.20 | 1628 | 53217.45 | 3611 | 191030.65 |
| | 31.3.2014 को As at 31.3.2014 | 1936 | 124529.42 | 1478 | 36147.65 | 3414 | 160677.07 |
| मरीन Marine | 31.3.2015 को As at 31.3.2015 | 1878 | 30487.59 | 2327 | 31898.89 | 4205 | 62386.48 |
| | 31.3.2014 को As at 31.3.2014 | 1942 | 51687.22 | 1966 | 9179.76 | 3908 | 60866.98 |
| विविध Misc | 31.3.2015 को As at 31.3.2015 | 164263 | 319195.79 | 86959 | 150620.80 | 251222 | 469816.59 |
| | 31.3.2014 को As at 31.3.2014 | 220383 | 343384.35 | 103039 | 96481.74 | 323422 | 439866.09 |
| कुल Total | 31.3.2015 को As at 31.3.2015 | 168124 | 487496.58 | 90914 | 235737.14 | 259038 | 723233.72 |
| | 31.3.2014 को As at 31.3.2014 | 224261 | 519600.99 | 106483 | 141809.15 | 330744 | 661410.15 |

ख) भारत से बाहर

b) Outside India

(₹ in lacs)

| व्यवसाय का वर्ग Class of Business | वर्ष Year | बकाया दावे Claims outstanding for | | | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|--|----------------|--------------------------------------|----------------|------------------|----------------|
| | | छह माह से ज्यादा More than six months | | छह माह से कम Less than six months | | कुल Total | |
| | | संख्या Number | राशि Amount | संख्या Number | राशि Amount | संख्या Number | राशि Amount |
| अग्नि Fire | 31.3.2015 को As at 31.3.2015 | 42 | 2013.67 | 40 | 325.27 | 82 | 2338.94 |
| | 31.3.2014 को As at 31.3.2014 | 67 | 292.53 | 52 | 2126.85 | 119 | 2419.38 |
| मरीन Marine | 31.3.2015 को As at 31.3.2015 | 57 | 318.07 | 75 | 218.54 | 132 | 536.61 |
| | 31.3.2014 को As at 31.3.2014 | 79 | 212.97 | 60 | 228.82 | 139 | 441.79 |



| व्यवसाय का वर्ग Class of Business | वर्ष Year | बकाया दावे Claims outstanding for | | | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|--|----------------|--------------------------------------|----------------|------------------|----------------|
| | | छह माह से ज्यादा More than six months | | छह माह से कम Less than six months | | कुल Total | |
| | | संख्या Number | राशि Amount | संख्या Number | राशि Amount | संख्या Number | राशि Amount |
| विविध Misc | 31.3.2015 को As at 31.3.2015 | 2488 | 4503.80 | 1339 | 1776.63 | 3827 | 6280.43 |
| | 31.3.2014 को As at 31.3.2014 | 1566 | 1736.58 | 2774 | 6298.04 | 4340 | 8034.62 |
| कुल Total | 31.3.2015 को As at 31.3.2015 | 2587 | 6835.54 | 1454 | 2320.44 | 4041 | 9155.98 |
| | 31.3.2014 को As at 31.3.2014 | 1712 | 2242.08 | 2886 | 8653.71 | 4598 | 10895.79 |

ग) कुल
c) Total

(₹ in lacs)

| व्यवसाय का वर्ग Class of Business | वर्ष Year | बकाया दावे Claims outstanding for | | | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|--|----------------|--------------------------------------|----------------|------------------|----------------|
| | | छह माह से ज्यादा More than six months | | छह माह से कम Less than six months | | कुल Total | |
| | | संख्या Number | राशि Amount | संख्या Number | राशि Amount | संख्या Number | राशि Amount |
| अग्नि Fire | 31.3.2015 को As at 31.3.2015 | 2025 | 139826.87 | 1668 | 53542.72 | 3693 | 193369.59 |
| | 31.3.2014 को As at 31.3.2014 | 2003 | 124821.95 | 1530 | 38274.50 | 3533 | 163096.45 |
| मरीन Marine | 31.3.2015 को As at 31.3.2015 | 1935 | 30805.66 | 2402 | 32117.43 | 4337 | 62923.09 |
| | 31.3.2014 को As at 31.3.2014 | 2021 | 51900.19 | 2026 | 9408.58 | 4047 | 61308.78 |
| विविध Misc | 31.3.2015 को As at 31.3.2015 | 166751 | 323699.59 | 88298 | 152397.43 | 255049 | 476097.02 |
| | 31.3.2014 को As at 31.3.2014 | 221949 | 345120.93 | 105813 | 102779.78 | 327762 | 447900.71 |
| कुल Total | 31.3.2015 को As at 31.3.2015 | 170711 | 494332.12 | 92368 | 238057.58 | 263079 | 732389.70 |
| | 31.3.2014 को As at 31.3.2014 | 225973 | 521843.07 | 109369 | 150462.86 | 335342 | 672305.94 |



7. पुनर्बीमा जोखिम अंकन घटाते हुए प्रीमियम

(लाख रुपए में)

| | 31.03.15 को | 31.03.14 को |
|-------------------------|-------------|-------------|
| क. भारत में कारोबार | 631078.21 | 617810.43 |
| ख. भारत से बाहर कारोबार | 16160.50 | 20336.45 |
| ग. कुल | 647238.71 | 638146.88 |

8. क्या बाह्य प्रमाणों पर विश्वास किया गया है अथवा नहीं, इस तथ्य सहित आधार और उसके प्रमाणन के साथ श्रेणीवार विभिन्न जाखिम प्रणाली के आधार पर प्रीमियम आय की मात्रा स्वीकृत की जाती है:

प्रत्येक संबंधित राजस्व लेखा में जोखिमों के अनुमान के आधार पर पुनर्बीमा को घटाते हुए प्रीमियमों को स्वीकृत किया जाता है और असमाप्त जोखिमों के लिए राजस्व उसकी प्रतिशतता पर आधारित होता है, जो कि बीमा अधिनियम, 1938 के अनुसार अग्नि, मैरीन कार्गो और विविध व्यवसाय के मामले में 50 प्रतिशत और मैरीन हल व्यवसाय के मामले में 100 प्रतिशत होता है

9. निवेशों के संबंध में अनुबंधों का मूल्य

(लाख रुपए में)

| | 31.03.15 को | 31.03.14 को |
|----------------------------------|-------------|-------------|
| क. खरीद जहां आपूर्ति लंबित है | शून्य | शून्य |
| ख. बिक्री, जहां भुगतान अतिदेय है | शून्य | शून्य |

(लाख रुपए में)

| | 31.03.15 को | 31.03.14 को |
|---|-------------|-------------|
| 10. उचित मूल्य आधार पर मूल्यांकित इक्विटी शेयरों / म्यूचुअल फंडों की इकाइयों की ऐतिहासिक लागत | 218379.10 | 223086.92 |

11. प्रबंधकीय पारिश्रमिक की गणना कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के प्रावधानों के अनुसार, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों और निदेशकों को अदा

7. Premium less Reinsurance underwritten from

(₹ in lacs)

| | As at 31.03.2015 | As at 31.03.2014 |
|---------------------------|------------------|------------------|
| a. Business in India | 631078.21 | 617810.43 |
| b. Business outside India | 16160.50 | 20336.45 |
| c. Total | 647238.71 | 638146.88 |

8. Extent of premium income recognized, based on varying risk pattern, category wise, with basis and certification thereof, including whether reliance has been placed on external evidence:

Premiums are recognized, net of reinsurance, based on assumption of risks in each related Revenue account and Reserve for Unexpired Risks is based on a percentage thereof, being 50% in case of Fire, Marine Cargo and Miscellaneous business and 100% in case of Marine Hull business as per Insurance Act, 1938.

9. Value of contracts in relation to investments for

(Rs. in lacs)

| | As at 31.03.2015 | As at 31.03.2014 |
|---|------------------|------------------|
| a. Purchases where deliveries are pending | NIL | NIL |
| b. Sales where payments are overdue | NIL | NIL |

(Rs. in lacs)

| | As at 31.03.2015 | As at 31.03.2014 |
|--|------------------|------------------|
| 10. Historical cost of Equity Shares/ Units of Mutual Funds valued on Fair Value Basis | 218379.10 | 223086.92 |

11. Computation of managerial remuneration

As per provisions of section 197 of the Companies Act, 2013, remuneration



क्रिए जाने वाले पारिश्रमिक की गणना धारा 198 में निध र्णित तरीके से की जाती है और यह कंपनी के निवल लाभों के 11 प्रतिशत से अधिक नहीं होती। गत वर्ष तक, कंपनी को सरकारी कंपनी होने की वजह से कंपनी अधिनियम की धारा 620 के अंतर्गत दिनांक 31 जनवरी 1978 की अधिसूचना जीएसआर 235 के द्वारा छूट प्राप्त थी।

12. ऋण प्रतिभूतियों के परिशोधन का आधार:—
 ऋण प्रतिभूतियों का परिशोधन परिपक्वता के तारीख तक अवशिष्ट दिनों की संख्या के आधार पर किया जाता है। परिशोधन की गणना करते समय पुट/कॉल के विकल्प पर विचार नहीं किया जाता। बहरहाल, आंशिक शोधन, यदि कोई हो, पर विचार किया जाता है।
13. उपार्जन के लंबित रहते, “उचित मूल्य परिवर्तन खाता” में ऋण शेष वितरण के लिए उपलब्ध नहीं है।
14. निवेश संपदा का उचित मूल्य एवं उसका आधार: आईआरडीए (बीमा कंपनियों का वित्तीय विवरण एवं लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट तैयार करना), विनियमन, 2002 के अंतर्गत आवश्यक निवेश संपदा (रीयल एस्टेट) का मूल्य ऐतिहासिक लागत में से संचयी मूल्यह्रास एवं हानि, यदि कोई हो, पर आंका गया है।

(लाख रुपए में)

| | | 31.03.15 को | 31.03.14 को |
|-----|--|-------------|-------------|
| 15. | तुलन पत्र की तिथि को निस्तारित दावे तथा 6 माह से अधिक समय से गैर चुकता शेष | 5.30 | 6.18 |

paid to Key Managerial Personnel and directors has been computed in the manner

laid down in Section 198 and does not exceed 11% of the net profits of the Company.

Till previous year, the company being a Government Company was exempted vide

notification GSR 235 dated 31st January 1978 under section 620 of the Companies Act, 1956.

12. Basis of Amortization of Debt Securities:-

Debt Securities are amortized on the basis of residual number of days up to the date of maturity. While working out amortization put/call option is not considered. However, partial redemption, if any, is taken into account.

13. Pending realization, the credit balance in the “Fair value change Account” is not available for distribution.

14. Fair value of Investment Property and basis thereof As required under the IRDAI (Preparation of Financial Statements and Auditor’s Report of Insurance Companies) Regulations, 2002, the value of Investment Property (Real Estate) has been valued at historical cost less accumulated depreciation and impairment loss, if any.

(Rs. in lacs)

| | | As at 31.03.2015 | As at 31.03.2014 |
|-----|---|------------------|------------------|
| 15. | Claims settled and remaining unpaid for more than 6 months as on the Balance Sheet date | 5.30 | 6.18 |



16. सांविधिक अपेक्षाओं के अनुरूप किए गए निवेश
(लाख रुपए में)

| | 31.03.15 को | 31.03.14 को |
|---|------------------------|------------------------|
| क. बीमा अधिनियम, 1983 की धारा 7 के अनुरूप केंद्र सरकार की 6.01 प्रतिशत प्रतिभूतियां 2028 एचडीएफसी बैंक के पास जमा | 1711.07 F.V.1700.00 | 1711.92 F.V.1700.00 |
| ख. स्थानीय कानूनों के अंतर्गत सांविधिक जमा के रूप में भारत से बाहर किए गए निवेश | 10470.54 | 9044.64 |
| ग. सेबी के निर्देशों के अनुरूप संस्थागत व्यापार के लिए मार्जिन के रूप में सावधि जमा | 500.00 | 500.00 |

17. लेखाकरण नीति संख्या 10.8 के अनुरूप आय की स्वीकृति के उद्देश्य से 'ऋण सहित सक्रिय' एवं 'गैर सक्रिय' निवेश का विवरण नीचे दिए गए विवरण के अनुसार है:
(लाख रुपए में)

| | 31.03.15 को | 31.03.14 को |
|---------------------|-------------|-------------|
| क. सक्रिय निवेश | 863873.32 | 786713.15 |
| ख. गैर-सक्रिय निवेश | 6775.01 | 5405.24 |
| ग. कुल | 869540.00 | 792118.39 |

*म्यूचुअल फंड, वेंचर फंड, इक्विटी एवं अधिमानी शेयरों को छोड़कर

18. पिछले पांच वर्षों के लिए वित्तीय विवरणों का सार:
पिछले पांच वर्षों के लिए वित्तीय विवरणों का सार निम्नानुसार है:

16. Investments made in accordance with statutory requirements

(₹ in lacs)

| | As at 31.03.2015 | As at 31.03.2014 |
|--|------------------------|------------------------|
| a. 6.01% Central Government Securities 2028 deposited with HDFC Bank in accordance with Section 7 of Insurance Act, 1938 | 1711.07 F.V.1700.00 | 1711.92 F.V.1700.00 |
| b. Investments made outside India by way of Statutory Deposits under local laws | 10470.54 | 9044.64 |
| c. Fixed Deposits as margins for Institutional Trades as per SEBI directives | 500.00 | 500.00 |

17. Performing* and non-performing* investments including loans for the purpose of income recognition as per Accounting Policy No. 10.8 are as under:

(₹ in lacs)

| | As at 31.03.2015 | As at 31.03.2014 |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| a. Performing Investments | 863873.32 | 786713.15 |
| b. Non-Performing Investments | 6775.01 | 5405.24 |
| c. Total | 869540.00 | 792118.39 |

*Excluding mutual fund, venture fund, equity and preference shares.

18. Summary of financial statements for the last 5 years:

The summary of financial statements of the Company for the last five years are as under:



| वित्तीय विवरणों का सार Summary of Financial Statements | | | | | | |
|---|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| क्र. सं. Sl. No. | विवरण प्रचालन परिणाम Particulars OPERATING RESULTS | 2014-15 | 2013-14 | 2012-13 | 2011-12 | 2010-11 |
| 1 | सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम Gross Direct Premium | 756193 | 728254 | 673766 | 619460 | 556988 |
| 2 | निवल प्रीमियम Net Premium | 647238 | 638147 | 554524 | 523665 | 461158 |
| 3 | निवेश से आय (निवल) क Income from Investment (net) | 210054 | 191740 | 185032 | 161920 | 178772 |
| 4 | अन्य आय Other Income | 4894 | 3325 | 357 | 2453 | 967 |
| 5 | कुल आय Total Income | 862186 | 833212 | 739913 | 688038 | 40897 |
| 6 | कमीशन (निवल) (दलाली सहित) Commission(Net) (Including Brokerage) | 34782 | 35744 | 30467 | 32453 | 28590 |
| 7 | प्रचालन व्यय Operating Expenses | 234798 | 177543 | 174870 | 135446 | 157254 |
| 8 | निवल उपगत दावे Net Incurred Claims | 526150 | 511102 | 439285 | 489306 | 406536 |
| 9 | निवल असमाप्त जोखिम रिजर्व में परिवर्तन Change in Unexpired Risk Reserve | 4722 | 42750 | 15817 | -5801 | 30476 |
| 10 | प्रचालन लाभ/हानि Operating Profit/Loss | 61734 | 66073 | 79474 | 36634 | 18041 |
| | गैर-प्रचालन परिणाम NON OPERATING RESULT | | | | | |
| 11 | शेयरधारक लेखा के तहत कुल आय Total Income under Shareholder's account | | | | | |
| 12 | कर पूर्व लाभ/(हानि) (घटाएं: पूर्वावधि मदें) Profit/(loss) before tax (less: Prior period items) | 62035 | 65381 | 79520 | 36241 | 17939 |



| | | | | | | |
|----|---|----------|----------|----------|---------|---------|
| 13 | कर के लिए प्रावधान (पूर्ववर्ती वर्षों तथा डीटीए/डीटीएल के लिए प्रावधान सहित) Provision for tax (including provision for earlier years and DTA/DTL) | 22825 | 19352 | 26131 | 10902 | 12477 |
| 14 | कर पश्चात लाभ/(हानि) Profit/(loss) after tax | 39210 | 46029 | 53389 | 25339 | 5462 |
| 15 | पॉलिसी धारक का लेखा: Policyholder's Account: | | | | | |
| | कुल निधि Total funds | 1053979 | 1031090 | 925275 | 831309 | 716955 |
| | कुल निवेश Total Investments | 1609782 | 899955 | 827144 | 726184 | 643420 |
| | निवेश पर आय Yield on Investments | 9.12% | 8.92% | 8.95% | 9.24% | 8.95% |
| 16 | शेयर धारकों की लेखा Shareholder's Account | | | | | |
| | कुल निधि Total funds | 318183 | 292174 | 258780 | 217852 | 198402 |
| | कुल निवेश Total Investments | 456160 | 251766 | 231335 | 190303 | 178053 |
| | निवेश पर आय Yield on Investments | 9.12% | 8.92% | 8.95% | 9.24% | 8.95% |
| 17 | प्रदत्त इक्विटी पूंजी Paid up Equity Capital | 20000 | 15000 | 15000 | 10000 | 10000 |
| 18 | निवल मूल्य Net Worth | 318183 | 289202 | 252838 | 217852 | 198402 |
| 19 | कुल परिसंपत्तियां Total Assets | 2628486 | 2390805 | 2187937 | 1997121 | 1938831 |
| 20 | कुल निवेश पर लाभ Yield on total investments | 9.12% | 8.92% | 8.95% | 9.24% | 8.95% |
| 21 | प्रति शेयर उपार्जन (रुपए) Earning per share (Rs.) | 19.60 | 30.69 | 35.59 | 25.34 | 5.46 |
| 22 | प्रति शेयर बही मूल्य (रुपए) Book Value per share (Rs.) | 159.09 | 192.80 | 168.56 | 217.85 | 198.40 |
| 23 | कुल लाभांश Total Dividend | 11000.00 | 10800.00 | 10650.00 | 5067.00 | 0.00 |
| 24 | प्रति शेयर लाभांश (रुपए) Dividend per share (Rs.) | 5.50 | 7.20 | 7.10 | 5.07 | 0.00 |



19. लेखाकरण अनुपात:

वित्त वर्ष 2014-15 के लिए महत्वपूर्ण लेखाकरण अनुपात नीचे दिए गए अनुसार हैं:

19. Accounting Ratios:

The important accounting ratios for the FY 2014-15 are as under:

| गैर-जीवन बीमा कम्पनियों के लिए विश्लेषणात्मक अनुपात % | | % | % |
|---|--|----------------------|----------------------|
| Analytical Ratios for Non-Life companies | | | |
| क्र. सं. Sl. No. | विवरण Particulars | 31.03.2015 | 31.03.2014 |
| 1 | सकल मूल्य प्रीमियम वृद्धि दर (प्रतिशत) Gross Direct Premium Growth Rate | 3.84 | 8.09 |
| 2 | निवल मूल्य के संबंध में सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम अनुपात (प्रतिशत) Gross Direct Premium to Net Worth ratio | 237.65 | 251.81 |
| 3 | निवल मूल्य की वृद्धि दर (प्रतिशत) Growth rate of Net Worth | 10.02 | 14.38 |
| 4 | निवल प्रतिधारण अनुपात (प्रतिशत) Net Retention Ratio | 82.19 | 82.48 |
| 5 | निवल कमीशन अनुपात (प्रतिशत) Net Commission Ratio | 5.37 | 5.60 |
| 6 | सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम के संबंध में प्रबंधन व्यय अनुपात (प्रतिशत) Expense of Management to Gross Direct Premium Ratio | 37.24 | 30.62 |
| 7 | निवल लिखित प्रीमियम के संबंध में प्रबंधन व्यय अनुपात (प्रतिशत) Expenses of Management to Net Written Premium Ratio | 43.50 | 34.94 |
| 8 | निवल अर्जित प्रीमियम के संबंध में निवल उपगत दावे (प्रतिशत) Net Incurred Claims to Net Earned Premium | 81.89 | 85.84 |
| 9 | संयुक्त अनुपात (प्रतिशत) Combined Ratio | 123.54 | 119.26 |
| 10 | निवल प्रीमियम के संबंध में तकनीकी आरक्षित अनुपात (गुणा) Technical Reserves to Net Premium Ratio | 1.63 | 1.62 |
| 11 | जोखिम अंकन शेष अनुपात (गुणा) Underwriting balance ratio | (-)-0.24 | (-)-0.22 |
| 12 | प्रचालन लाभ अनुपात (प्रतिशत) Operating profit ratio | 8.56 | 10.54 |
| 13 | Liquid Assets to liabilities ratio | 0.30 | 0.30 |
| 14 | देयताओं के संबंध में अर्थसुलभ परिसंपत्तियों का अनुपात (गुणा) Net Earnings ratio | 6.05 | 7.21 |
| 15 | निवल मूल्य पर लाभ अनुपात (प्रतिशत) Return on net worth ratio | 12.32 | 15.92 |
| 16 | अपेक्षित ऋण शोधन क्षमता के अंतर (आरएसएम) के संबंध में उपलब्ध ऋण शोधन क्षमता के अंतर (एसएसएम) का अनुपात (गुणा) Available Solvency Margin(ASM) to Required Solvency Margin(RSM) ratio | 1.68 | 1.64 |
| 17 | सकल एनपीए अनुपात (प्रतिशत) Gross NPA Ratio-Policy holders funds; Shareholder funds Net NPA Ratio | 0.35 : 0.10 0 : 0 | 0.42 : 0.12 0 : 0 |



20. राजस्व लेखा तथा लाभ एवं हानि लेखा के बीच ब्याज, लाभांश एवं किराए के आवंटन का आधार

कंपनी की लेखाकरण नीतियों की क्रम संख्या ए 4(5) के अनुरूप ब्याज, लाभांश तथा किराए के रूप में प्राप्त आय को वर्ष के आरंभ में पॉलिसीधारक निधि एवं शेयरधारक निधि के आधार पर राजस्व लेखा तथा लाभ एवं हानि लेखा के बीच आवंटित किया जाता है।

21. भारतीय प्रत्यक्ष प्रीमियम का क्षेत्रवार ब्योरा

(लाख रुपए में)

| | 31.03.15 को | 31.03.14 को |
|--------------------|-------------|-------------|
| क. ग्रामीण क्षेत्र | 100990.51 | 82877.93 |
| ख. सामाजिक क्षेत्र | 161319.85 | 74191.86 |
| ग. अन्य | 478485.34 | 555714.21 |
| घ. कुल | 740795.70 | 712784.00 |

22. पुनःसंरचना के अधीन निवेशों का ब्योरा:

विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत पुनः संरचित कुल परिसंपत्तियों के आंकड़ों को संकलित किया जा रहा है। संबंधित श्रेणियों के अंतर्गत वर्ष के दौरान तथा पिछले वर्ष में पुनः संरचित एवं क्रियान्वित की गई परिसंपत्तियों को नीचे दर्शाया गया है:

(लाख रुपए में)

| क्र.सं. | परिसंपत्ति की श्रेणी | पुनःसंरचना के अधीन तथा कार्यान्वित की गई (वर्ष के दौरान) परिसंपत्तियां | |
|---------|----------------------|--|-----------|
| | | 2014-15 | 2013-2014 |
| 1 | मानक | 0.00 | 0.00 |
| 2 | मानक से निम्नतर | 0.00 | 0.00 |
| 3 | संदिग्ध | 554.11 | 924.16 |
| 4 | हानि | 0.00 | 0.00 |
| | कुल | 554.11 | 924.16 |

20. Basis of allocation of interest, dividends and rent between Revenue Accounts and Profit & Loss account.

As per sl. no. A 4 (5) of Accounting policies of the Company, income by way of Interest, Dividend and Rent are allocated between Revenue accounts and Profit & Loss account on the basis of Policyholders' Fund and Shareholders' Fund as at the beginning of the year.

21. Sector-wise break-up of Indian Direct Premium

(Rs. in lacs)

| | As at 31.03.2015 | As at 31.03.2014 |
|------------------|------------------|------------------|
| a. Rural Sector | 100990.51 | 82877.93 |
| b. Social Sector | 161319.85 | 74191.86 |
| c. Others | 478485.34 | 555714.21 |
| d. Total | 740795.70 | 712784.00 |

22. Break-up of investments subjected to restructuring

The figures of total assets restructured under various categories are being compiled. The assets restructured and implemented during the year and during previous year, under respective categories, are given below:

(Rs. in lacs)

| Sr. No. | Category of Asset | Assets subjected to Restructuring and implemented (during the year) | |
|---------|-------------------|---|-----------|
| | | 2014-15 | 2013-2014 |
| 1 | Standard | 0.00 | 0.00 |
| 2 | Sub Standard | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Doubtful | 554.11 | 924.16 |
| 4 | Loss | 0.00 | 0.00 |
| | Total | 554.11 | 924.16 |



23. व्यवसाय अधिग्रहण लागत का ब्यौरा

भारतीय प्रत्यक्ष व्यवसाय के संबंध में वर्ष 2014-15 के दौरान उपगत कमीशन/दलाली का विवरण नीचे दिया गया है:

| (लाख रुपए में) | | | |
|----------------|-----------------|----------|----------|
| क्र.सं. | श्रेणी | 2014-15 | 2013-14 |
| 1 | अभिकर्ता | 34094.45 | 33344.40 |
| 2 | दलाल | 9698.67 | 9304.73 |
| 3 | कारपोरेट एजेंसी | 2980.37 | 2766.46 |
| 4 | रेफरल व्यवस्था | 0 | 0 |
| | कुल | 46773.49 | 45415.59 |

24. निवेश

- 24.1 4.23 लाख रुपए के क्रय मूल्य (गत वर्ष 4.23 लाख रुपए) वाले 29.39 लाख रुपए के बही मूल्य (उचित मूल्य) (गत वर्ष 20.27 लाख रुपए) के शेयरों को कंपनी के नाम पंजीकृत नहीं किया गया है क्योंकि इसका अंतरण 1998 से पहले की अवधि के लिए आपत्ति के अधीन है।
- 24.2 कंपनी के बहीखातों के अनुसार भारतीय स्टॉक होल्डिंग कारपोरेशन (कस्टोडियन) द्वारा जारी प्रमाणपत्रों की दृष्टि से निवेश में विसंगति पाई गई है। बही मूल्य में यह अंतर 0.09 लाख रुपए एसएचसीआईएल की बही में कम तथा 3.06 लाख रुपए एसएचसीआईएल की बही में ज्यादा (पिछले वर्ष क्रमशः 1.31लाख रुपए और 6.18लाख रुपए) है। इस अंतर का समाधान किया जा रहा है।
- 24.3 ऋणों के एकमुश्त समाधान/पुनःसंरचना शोधन के संबंध में 540.28 लाख रुपए (गत वर्ष 11.25 लाख रुपए की निवल निर्गत राशि) के अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधानों में निवल निर्गत राशि समाहित की गई है।
- 24.4 तुलन पत्र की तिथि को गैर क्रियाशील परिसंपत्तियों के अंतर्गत ऋण/निवेश को दीर्घकालीन श्रेणी के तहत वर्गीकृत किया गया है क्योंकि इनकी वसूली निश्चित नहीं है।
- 24.5 निवेशों पर आईआरडीए के मानकों के अनुरूप सूचीबद्ध इक्विटी/म्युचुअल फंड के उचित मूल्य में परिवर्तन के कारण उत्पन्न 972913.78 लाख रुपए (गत वर्ष 857011.36 लाख रुपए) के अप्राप्त लाभ/हानि को निवेश में

23. Break up of Business Acquisition Cost

The Commission/Brokerage incurred during the year 2014-15 in respect of Indian Direct Business is given below:

| (Rs. in lacs) | | | |
|---------------|----------------------|----------|----------|
| Sr. No. | Category | 2014-15 | 2013-14 |
| 1 | Agents | 34094.45 | 33344.40 |
| 2 | Brokers | 9698.67 | 9304.73 |
| 3 | Corporate Agency | 2980.37 | 2766.46 |
| 4 | Referral Arrangement | 0 | 0 |
| | Total | 46773.49 | 45415.59 |

24. Investments

- 24.1 Shares of the book value (fair value) of Rs 29.39 lacs (Previous year Rs20.27lacs) having purchase value of Rs.4.23 lacs (Previous year Rs.4.23 lacs) have not been registered in the name of the company, as the transfers are under objection for the period prior to 1998.
- 24.2 There are discrepancies in investments as per company's books with the certificates issued by Stock Holding Corporation of India (custodian) of book value (fair value) of Rs0.09 lacs (Short) in SHCIL books and Rs.3.06 lacs (Excess) in SHCIL books (Previous year Rs. 1.31lacs and Rs6.18lacs respectively). The differences are under reconciliation.
- 24.3 There is a net release in provisions for bad & doubtful debts of Rs 540.28 lacs (Previous year net release Rs11.25lacs) on account of One Time Settlements/ Restructuring/ Redemption of debts.
- 24.4 Loans/investments under non-performing assets as on the date of Balance Sheet have been classified under long term category as their realisability is not certain.
- 24.5 In accordance with IRDAI norms on investments, unrealized gains/ loss of Rs



लाया गया है और उसके लिए "उचित मूल्य परिवर्तन लेखा" में तदनु रूप समान आरक्षित राशि की व्यवस्था की गई है। लाभ एवं हानि पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है और इस तरह की आरक्षित राशि वितरण के लिए उपलब्ध नहीं है।

24.6 दीर्घकालीन निवेशों की बिक्री पर को 31.03.2015 समाप्त वित्त वर्ष के दौरान 87937.75 लाख रुपए (गत वर्ष 85995.45 लाख रुपए) का लाभ हुआ।

25. अचल संपत्तियां

अचल परिसंपत्तियों में 2432.59 लाख रुपए (गत वर्ष 2432.59 लाख रुपए) की लागत की कतिपय संपत्तियां शामिल हैं जिनके लिए या तो स्वामित्व विलेख रिकॉर्ड में नहीं है या पंजीकरण लंबित है। इनके पंजीकरण/स्टॉप शुल्क प्रभारों को अब तक लेखाब) नहीं किया गया है और उसको पंजीकरण के समय परिकलित किया जाएगा।

26. निम्नलिखित शीर्षों के अधीन शेष समाधान/अभिपुष्टि के लिए लंबित हैं

- एजेंटों की शेष राशि निवल
- प्रीमियम जमा राशि एवं एजेंटों के प्रीमियम को वर्तमान देनदारियों में सम्मिलित किया गया है।
- बंद कंपनियों के पास आरक्षित जमा
- बीमा व्यवसाय करने वाले अन्य व्यक्तियों अथवा निकायों पर/को बकाया राशि
- कर्मचारियों पर/को बकाया राशि
- फुटकर देनदार
- फुटकर लेनदार
- अग्रिम

उपर्युक्त के संबंध में यदि कोई समायोजन होना है तो उसे अभिपुष्टि/विश्लेषण/समाधान के बाद ही किया जाएगा।

27. मूल्यहास/ऋण परिशोधन

(i) मूर्त स्थायी परिसंपत्तियों पर मूल्यहास का प्रावधान करने के लिए कंपनी की लेखाकरण नीति में बदलाव आया है। पहले कंपनी, कंपनी अधिनियम, 1956 और आयकर अधिनियम 1961 में उल्लिखित दरों में से उच्चतर दरों पर डब्ल्यूडीवी तरीके से मूल्यहास प्रभारित कर रही थी। कंपनी अधिनियम में परिवर्तन की वजह से, कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013

972913.78 lacs (Previous year Rs. 857011.36 lacs) arising due to change in fair value of listed equities and mutual funds are taken to investment and corresponding equal reserve created for the same as "Fair Value Change Account". There is no effect on Profit and Loss account and such reserve is not available for distribution.

24.6 Profit on sale of long term investments amounted to Rs.87937.75 lacs (Previous year Rs. 85995.45lacs) during the financial year ended 31.03.2015.

25. Immovable Properties

Fixed assets include certain properties costing Rs. 2432.59lacs (previous year Rs2432.59 lacs) for which either title deeds are not on record or registration is pending. The registration/stamp duty charges, to the extent not accounted, will be accounted for at the time of registration.

26. Balances under the following heads are pending reconciliation / confirmation

- Agents' Balances (Net)
- Premium Deposits and Agents' Premium, included in Current Liabilities.
- Reserve Deposits with ceding companies.
- Amounts due to /from other persons or bodies carrying on Insurance Business.
- Amounts due to/ from employees.
- Sundry Debtors
- Sundry Creditors
- Advances

The adjustments, if any, in respect of above will be made upon confirmation/analysis/reconciliation.

27. Depreciation/Amortization

(i) There is a change in Accounting Policy of the Company for providing depreciation on tangible Fixed Assets. The Company was earlier charging the depreciation on WDV method at higher of the rates mentioned in the Companies Act, 1956 and Income Tax Act, 1961. Due to change in the Companies



की अनुसूची 11 के भाग ग में दिए गए तरीके के अनुसार सरल रेखा आधार मूल्य स्थायी परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास प्रभारित करने का निर्णय किया है। लेखाकरण नीति में परिवर्तन के कारण, वित्त वर्ष 2014-15 का मूल्यह्रास प्रभार उस प्रभार की तुलना में 136.44 लाख रुपए कम है जो पिछली लेखाकरण नीति का उपयोग करके प्राप्त होता। चालू वर्ष के लिए लाभ में समतुल्य राशि जितनी वृद्धि हुई है।

28. असमाप्त जोखिम के लिए आरक्षित राशि

वर्ष के दौरान भारत में अर्जित प्रत्यक्ष प्रीमियम जो आगामी लेखाकरण अवधि में योगदान देने वाला तथा उसमें आवंटित होने वाला है वह बीमा अधिनियम, की धारा 64वी (1)(ii) (b) में वर्णित प्रतिशत स्तर से कम है और इसलिए पुनर्बीमा के सकल प्रीमियम पर असमाप्त जोखिमों के लिए रिजर्व का निर्माण केवल विविध व्यवसाय को छोड़कर सभी संवर्गों में आईआरडीए के विनियमों के अनुरूप धारा में वर्णित प्रतिशत स्तर पर तथा आईआरडीए के विनियमों के अनुसार धारा 64 वी(1)(ii)(b) में वर्णित प्रतिशत स्तर पर तथा आईआरडीए के वित्तीय विवरण तैयार करना – सामान्य बीमा के संबंध में अक्टूबर, 2012 में जारी मास्टर परिपत्र के अनुसार और बीमा अध्यादेश 2014 के अनुसार किया गया है। (देखें लेखाकरण नीति 4.1)

29. आय कर एवं सेवा कर आकलन की स्थिति

- आकलन वर्ष 2012-13 हेतु एवं उस वर्ष तक आय कर तथा वित्तीय वर्ष 2002-03 के लिए/तक एवं वित्तीय वर्ष 2008-09 से 2010-11 तक के लिए सेवा कर का आकलन पूरा कर लिया गया है। पूर्ववर्ती वर्षों के लिए आय कर तथा सेवा कर से संबंधित कतिपय अपीलें लंबित हैं। आकलन/अपील के पूरा होने के बाद आवश्यक समायोजन किए जाए।
- ऐसे मामलों में, जहां कंपनी ने सक्षम प्राधिकरण के पास अपील कर रखी है या इसकी प्रक्रिया में है, वहां जहां कहीं उपयुक्त समझा गया, आय कर अधिकाधिकारियों द्वारा उठाई गई मांगों का पूरी तरह निपटारा कर दिया गया है।
- माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश पर आधारित आय कर वापसी की रकम 2461 लाख रुपए तथा उस पर ब्याज की राशि 8283 लाख रुपए का लेखा जोखा वित्त

Act, the Company has decided to charge depreciation On tangible Fixed Assets in accordance with the methodology provided in Part C of Schedule II to the Companies Act,2013, on Straight Line basis.

Due to this change in Accounting Policy, the depreciation charge for the F.Y.2014-15 is less by Rs.136.44 lacs as compared to the charge which would have been arrived by using the previous accounting policy .The profit for the current year has increased by an equivalent amount.

28. Reserve for Unexpired Risk

Direct Premium written in India during the year attributable to and to be allocated to succeeding accounting periods is less than the percentages laid down in Sec 64V(1)(ii)(b) of the Insurance Act, 1938 and hence Reserve for Unexpired Risks on Premium net of Reinsurance is created at the percentages laid down in Sec 64V(1)(ii) (b) in accordance with IRDAI Regulations in all segments (Refer Accounting Policy No. 4.1, as per IRDAI Master Circular on preparation of Financial Statements-General Insurance- issued in October'2012 and as per Insurance Ordinance 2014.

29. Status of income tax and service tax assessments

- The income tax assessment for and up to the assessment year 2012-13 and service tax assessment for and up to financial year 2002-03 and for the financial years 2008-09 to 2010-11 have been completed. Certain appeals pertaining to Income Tax and Service Tax are pending for the earlier years. The necessary adjustments shall be carried out after completion of assessments/appeals.
- Demands raised by Income Tax authorities have been fully provided for, wherever considered appropriate, in cases where the company has filed or is in the process of filing an appeal with the appropriate authority.



वर्ष 2004-05 के अनुमानित आधार पर किया गया है। लेकिन आय कर विभाग द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल की गई अपील को ध्यान में रख कर तथा सीओडी द्वारा स्वीकृति दिए जाने के बाद आकलन वर्ष 1974.75, 1976.77, 1977.78 और 1979.80 से संबंधित अप्राप्त ब्याज के लिए 6518 लाख रुपए का प्रावधान वर्ष 2005-06 में सृजित किया गया था। यद्यपि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपील का फ़ैसला हमारे पक्ष में दिया है लेकिन फिर भी कंपनी ने अभी तक सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के प्रभाव को मान्यता नहीं दी है, क्योंकि ब्याज की वापसी के लिए आय कर विभाग से मिलने वाली सूचना अभी प्रतीक्षित है।

- (iv) आय कर विभाग की ओर से आकलन वर्ष 1978.79 के लिए 61.74 करोड़ रुपए के रिफंड आदेश के आधार पर वर्ष के दौरान 19.14 करोड़ रुपए की ब्याज की आय बही में डाली गई है।
- (v) कर हेतु प्रावधान में चालू वर्ष 2014-15 के लिए 22820 लाख रुपए और गत वर्ष 2013-14 के लिए 5 लाख रुपए शामिल है।

30. बकाया दावों के लिए प्रावधान:

अक्टूबर 2012 में जारी आईआरडीए के मास्टर परिपत्र के अनुसरण में, नियुक्त बीमाकिक/मुहरर ने चालू वर्ष 2014-15 के लिए स्वास्थ्य सेगमेंट के अधीन फ्री लुक अवधि के प्रावधान का मूल्यांकन 0.71 लाख रुपए (गत वर्ष 0.51 लाख रुपए) के रूप में किया है।

31. प्रीमियम में कमी

अग्नि, मैरीन एवं विविध राजस्व लेखा में प्रीमियम में कोई कमी नहीं है और इसलिए वर्तमान वित्तीय वर्ष में किसी प्रीमियम की कमी के लिए प्रावधान नहीं किया गया है। तथापि, विविध के अंतर्गत आने वाले आठ संवर्गों में से विमानन में लाख रुपए गत 362 वर्ष लाख रुपए (गत वर्ष 543 लाख रुपए) की प्रीमियम की कमी दर्ज की गई। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य संवर्ग (प्रीमियम जोखिम अंकन में 10 प्रतिशत से अधिक का योगदान करने वाला एक महत्वपूर्ण संवर्ग है) में 15873 लाख रुपए (गत वर्ष 4096 लाख रुपए) की प्रीमियम की कमी दर्ज की गई है।

यदि प्रत्याशित दावों की राशि, संबंधित व्यय और दावों के निपटान से संबंधित रख-रखाव लागत व्यवसाय के

(iii) Based upon Hon'ble Delhi High Court Order, Income Tax refund and interest thereon of Rs.2461 lacs and Rs. 8283 lacs respectively were accounted for on an estimated basis in the FY 2004-05. However in view of the appeal filed by the I.T. Department in Hon'ble Supreme Court and clearance given by COD, a provision of Rs. 6518 lacs towards unrealised interest relating to assessment years 1974-75, 1976-77, 1977-78 and 1979-80 was created in 2005-06. Though the appeal has been decided by Hon'ble Supreme Court in our favour, the Company has not yet recognized the effect of Supreme Court order, as intimation from IT department for refund of interest is still awaited.

- (iv) An interest income of Rs.19.14 crores has been booked during the year on the basis of intimation of refund order of Rs.61.74 crores received from the Income Tax Department for the Assessment Year 1978-79.
- (v) Provision for tax includes Rs.22820 lacs for the current year 2014-15 and Rs 5 lacs for the previous year 2013-14 .

30. PROVISIONS FOR OUTSTANDING CLAIMS:

In pursuance to IRDAI Master Circular issued in October' 2012 ,the Appointed Actuary has valued the provision for Free Look Period under the Health Segment as Rs.0.71 lacs for the current year 2014-15 (Previous year Rs.0.51 lacs)

31. Premium Deficiency

Overall there is no Premium Deficiency in Fire, Marine and Miscellaneous Revenue Accounts put together and hence no premium deficiency has been provided in the current financial year. However, under the 8 segments falling under Miscellaneous, there is Premium Deficiency of Rs. 362 lacs (Previous year Rs.543 lacs) in Aviation. In addition, in Health segment (a reportable segment which contributes to more than 10% of the Premium underwritten), the Premium Deficiency works out to Rs.15873 lacs (previous year Rs. 4096 lacs).

The Premium deficiency is recognized if the sum



संबंधित वर्ग के लिए अप्राप्त प्रीमियम से अधिक होती है, तो प्रीमियम कमी को स्वीकृत किया जाता है।

32. निम्नलिखित शीर्षों के अधीन किया गया व्यय

- i. आउटसोर्सिंग व्यय: रुपए 12560.95 लाख रुपए
- ii. विपणन सहयोग: शून्य रुपए

33. एमएसीटी मामलों में स्रोत पर कर कटौती में विफलता हेतु आय कर की मांग के मद में आय कर (अपीलों) के लिए चुकाए गए 289.40 लाख रुपए सहित 5558.84 लाख रुपए की फुटकर देनदारी, जो अब तक बकाया है और इसलिए उसे पूरी राशि प्रदान की गई है।

34. तकनीकी विभागों के समूह जोखिम अंकन प्रकोष्ठों (जीयूसी) एवं पुनर्बीमा खातों द्वारा अनुरक्षित खातों के बीच सौंपे गए संभागीय प्रीमियम तथा संभागीय दावे की चुकता वापसी की राशि का पुनर्मिलान नहीं हुआ है।

31.03.2015 को संभागीय प्रीमियम के लिए निवल अंतर 11937.70 लाख रुपए (गत वर्ष 6749.67 लाख रुपए) तथा भुगतान के सापेक्ष वापसी का अंतर 1330.68 लाख रुपए (गत वर्ष 4676.26 लाख रुपए) बैठता है।

35. लेखाकरण मानक 3: नकद प्रवाह विवरण

कंपनी का नकद प्रवाह विवरण प्रत्यक्ष विधि के तहत तैयार किया गया है।

36. लेखाकरण मानक 5: पूर्वावधि मदें:-

क) पूर्वावधि अवधि मदों में निम्नलिखित शामिल हैं:

| क्र.सं. | विवरण | 2014-15 | 2013-14 |
|---------|----------------|---------|-----------|
| 1 | पूर्वावधि आय | 12.08 | 29.48 |
| 2 | पूर्वावधि व्यय | 289.26 | (-721.27) |
| | निवल आय | 301.34 | (-691.79) |

“कर पूर्व लाभ” के बाद लाभ हानि लेखा में राशियां अलग से दर्शाई गई हैं।

ख) लेखाकरण अनुमानों में परिवर्तन

लेखाकरण नीति 5.1क की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें विशेष रूप से कहा गया है कि ‘वर्ष के अंत में बकाया दावों के लिए अनुमानित दायित्व

of expected claims cost, related expenses and maintenance costs related to claims handling exceeds the unearned premium for the related class of business.

32. Expenses Incurred Under Following Heads

- i. Outsourcing Expenses Rs. 12560.95 lacs
- ii. Marketing Support Rs. NIL

33. Sundry debtors of Rs5558.84 lacs includes Rs. 289.40 lacs paid to income tax(appeals) on account of income tax demand for failure to deduct tax at source in MACT cases, which remains outstanding and so has been provided fully.

34. There is non reconciliation of amount of facultative premium ceded and facultative claims paid recoveries between the accounts maintained by the reinsurance accounts and the group underwriting cells (GUC) of technical departments.

As on 31.03.2015 the net difference for facultative premium ceded comes to Rs 11937.70 lacs (previous year Rs. 6749.67 lacs) and for recoveries it comes to Rs 1330.68 lacs (previous year Rs 4676.26 lacs).

35. Accounting Standard 3: Cash Flow Statement

The Cash Flow statement of the Company has been prepared under the direct method

36. Accounting Standard 5: Prior Period items :-

a) Prior period items consist of the following:

(Rs. in lacs)

| Sr. No. | Particulars | 2014-15 | 2013-14 |
|---------|-----------------------|---------|-----------|
| 1 | Prior Period Income | 12.08 | 29.48 |
| 2 | Prior period expenses | 289.26 | (-721.27) |
| | Net Income | 301.34 | (-691.79) |

The amounts are shown separately in profit and loss account after ‘profit before tax’

b) Changes in Accounting Estimates



(देनदारियां) सर्वेक्षण की रिपोर्ट, ग्राहकों द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना, नेताओं के परामर्श तथा अंतिम रूप देने की तारीख तक के अन्य स्रोतों, पिछले अनुभव तथा लागू होने वाले अन्य कानूनों पर आधारित होता है। अनुमानों की निरंतर समीक्षा की जाती है और तदनुसार प्रावधान किए जाते हैं। लेकिन फिर भी अंतिम देयता (देनदारी) उपलब्ध राशि से अधिक या कम हो सकती है जिसके लिए किसी प्रकार के समायोजन को उस अवधि में दिखाया जाएगा जिसमें उसकी पहचान की गई है।

बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा दिनांक 25 मई, 2004 के अपने पत्र के माध्यम से यह भी स्पष्ट किया गया है कि अनुमानों में इस तरह के परिवर्तनों के प्रभाव को तब तक प्रकट करने की जरूरत नहीं पड़ती है जब तक बकाया दावों के लिए प्रावधान निर्माण की विधि में कोई बदलाव न किया जाए। चूंकि चालू वर्ष में बकाया दावों के लिए प्रावधान निर्माण के तरीके में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है इसलिए अलग से कोई प्रकटन नहीं किया गया है।

ग) मुकदमेबाजी का निपटान

31.03.2015 दिनांक को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए मुकदमेबाजी के मद में 132854.07 लाख रुपए (गत वर्ष 129939.41 लाख रुपए) की राशि का निपटान किया गया है।

घ) स्थायी परिसंपत्तियों का निपटान

वर्ष के दौरान स्थायी परिसंपत्तियों की बिक्री पर निवल रूप से 297.77 लाख रुपए (गत वर्ष 468.99 लाख रुपए) की राशि अर्जित की गई और अचल परिसंपत्तियों की बिक्री पर निवल लाभ की राशि 32.78 लाख रुपए (गत वर्ष 94.51 लाख रुपए) रही।

37. लेखाकरण मानक 15 (संशोधित)

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2007-2008 के दौरान लेखाकरण मानक एएस-15 (संशोधित 2005) कर्मचारियों के लिए लाभ को अपनाया है।

परिभाषित कर्मचारी योजनाएं निम्नानुसार हैं:

1. सेवाकाल के दौरान कर्मचारियों के लाभ

बीमारी अवकाश एवं एलटीएस के लिए दायित्व की पहचान बीमाकिक मूल्यांकन के आधार पर की जाती है।

Attention is drawn to Accounting Policy 5.1.a, wherein it has been specifically stated that *“Estimated liability for outstanding claims at the year end are based on survey reports, information provided by clients, advices of the leader and other sources upto the date of finalization, past experience and other applicable laws. The estimates are continuously reviewed and provisions made accordingly. However, the final liability may be in excess of, or less than, the amount provided, for which any adjustments will be reflected in the periods in which they become known.”*

It has also been clarified by the Insurance Regulatory and Development Authority vide letter dated 25th May 2004 that impact of such changes in estimates, do not call for disclosure so long as there is no change in the method of provisioning for outstanding claims. As there has been no change in the method of provisioning for outstanding claims in the current year, no disclosure has been separately made.

c) Litigation Settlements

The settlements made on account of litigations for the financial year ended on 31.03.2015 amounted to Rs.132854.07 lacs (previous year Rs 129939.41 lacs).

d) Disposal of Fixed Assets

The net proceeds on sale of fixed assets during the year amounted to Rs.297.77 lacs (previous year Rs. 468.99 lacs) and the net loss on sale of fixed assets amounted to Rs.32.78 lacs (previous year Rs. 94.51 lacs).

37. Accounting Standard 15 (Revised)

The Company has adopted Accounting Standard, AS-15 (Revised 2005) ‘Employee Benefits’ during the financial year 2007-2008.

The defined Employees benefits schemes are as under:

1. EMPLOYEES BENEFITS DURING SERVICE



(क) वर्ष के दौरान एलटीएस देनदारी में 339 लाख रुपए की कमी (गत वर्ष 25.81 लाख रुपए) की कमी हुई है और इसे लाभ एवं हानि खाता में क्रेडिट/डेबिट कर दिया गया है। 31.03.2015 को एलटीएस की कुल देयता 745.32 लाख रुपए (गत वर्ष 1084.20 लाख रुपए) है।

(ख) चालू वर्ष के लिए बीमारी अवकाश हेतु दायित्व में 610.13 लाख रुपए (गत वर्ष 2356.99 लाख रुपए) की वृद्धि हुई है और इसे लाभ एवं हानि खाता में डेबिट किया गया है। 31.03.2015 को बीमारी अवकाश के लिए कुल दायित्व 17588.87 लाख रुपए (गत वर्ष 16978.75 लाख रुपए) है।

अनुमान:- बकाया बीमारी अवकाश के 70% प्रतिशत (गत वर्ष 75%) का लाभ उठाया गया। यह अनुमान सेवा निवृत्ति के समय कर्मचारियों के खाते में अप्राप्त बीमारी अवकाश पर आधारित है जिसे प्राप्त नहीं करने पर सेवा निवृत्ति पर समाप्त माना जाता है।

2. कर्मचारी सेवानिवृत्ति लाभ:

इसमें पेंशन, उपदान एवं अवकाश नकदीकरण शामिल हैं।

पेंशन:

कंपनी की एक परिभाषित पेंशन योजना है। इस योजना के अंतर्गत उन कर्मचारियों को पेंशन दी जाती है जिन्होंने पेंशन योजना का विकल्प चुना है। कंपनी ने इस योजना के लिए अलग निधि बनाई है जिसका वित्तपोषण कंपनी द्वारा किया जाता है। इसके लिए दायित्व की पहचान बीमांकि मूल्यांकन के आधार पर की जाती है।

तथापि, ऐसे कर्मचारियों के मामले में, जिन्होंने 1 जनवरी 2004 के बाद से कंपनी में नौकरी की शुरुआत की है, पेंशन अंशदायी लाभ योजना है, जिसमें कंपनी का दायित्व केवल आवधिक अंशदानों तक ही सीमित है। 31.03.15 तक इस योजना के अंतर्गत संचयी कोष की कुल राशि 3200.50 लाख रुपए है जिसमें इसकी स्थापना से अब तक का 572.55 लाख रुपए का ब्याज (वित्त वर्ष 2014-15 के लिए 227.94 लाख रुपए का ब्याज) शामिल है जिसकी गणना निवेश पोर्टफोलियो पर औसत प्राप्ति के आधार पर की गई है और जो पेंशन नियामक एवं विकास प्राधिकरण को भेजे जाने के

PERIOD

The liability for Sick Leave and LTS is recognized based on Actuarial Valuation.

(a) LTS Liability has decreased by Rs.339 lacs during the year (previous year decreased by Rs. 25.81 lacs) and has been credited/debited to Profit & Loss Account respectively. Total liability for LTS as on 31.03.2015 is Rs. 745.32 lacs (previous year Rs. 1084.20 lacs).

(b) Liability for sick leave for the current year has increased by Rs. 610.13 lacs (previous year increased by Rs.2356.99 lacs) and has been debited to Profit and Loss Account. Total liability for sick leave as on 31-03-2015 is Rs. 17588.87 lacs (previous year Rs.16978.75 lacs).

Assumption:- Availment of 70 % of outstanding sick leave (previous year 75%). The assumption is based on un-availed sick leave to the credit of employees at the time of retirement, which, being not vesting, lapses on retirement.

2. EMPLOYEES RETIREMENT BENEFITS:

This includes Pension, Gratuity and Leave Encashment.

Pension:

Company has a Defined Pension Scheme. Under this scheme, Pension is payable to Employees who have opted for Pension Scheme. Company has created separate Fund for the Scheme which is funded by the Company and managed by separate Trust. The liability for the same is recognized on the basis of actuarial valuation.

However, in case of employees who joined service from 1st January 2004 onwards, Pension is Contributory benefit scheme wherein Company's obligation is restricted only to the periodic contributions. Total funds accumulated under this scheme as on 31.03.15 amounting to Rs.3200.50 lacs



लिए लंबित है।

उपदान:

कंपनी की सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए अपनी परिभाषित लाभ उपदान योजना मौजूद है। पांच वर्ष की निरंतर सेवा के बाद उपदान का भुगतान किया जाता है। इसके लिए कंपनी ने पृथक कोष का निर्माण किया है जिसके लिए धन की व्यवस्था कंपनी द्वारा और इसकी देख रेख एक पृथक न्यास द्वारा की जाती है। बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर इसके दायित्व की पहचान की जाती है।

उपदान दायित्व का ऋण शोधन:

वर्ष 2010-11 के दौरान कंपनी द्वारा अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन की समीक्षा की गई है। इसके अलावा भारत सरकार ने दिनांक 24 मई, 2010 को जारी राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से "उपदान भुगतान अधिनियम 1972" के अंतर्गत उपदान के लिए उच्चतम सीमा की उर्ध्वमुखी समीक्षा करके इसे 3.50 लाख रुपए से बढ़ाकर 10.00 लाख रुपए निर्धारित किया है। इसके परिणामस्वरूप उपदान दायित्व में 17122.76 लाख रुपए की बढ़ौतरी हो गई है।

कर्मचारी लाभ पर लेखाकरण मानक 15 (संशोधित) की अपेक्षाओं के दृष्टिकोण से वित्त वित्त वर्ष 2010-11 में 17122.76 लाख रुपए के संपूर्ण दायित्व को लाभ एवं हानि खाता में प्रभारित करना अपेक्षित था।

आईआरडीए ने दिनांक 18 अप्रैल, 2011 के अपने परिपत्र संख्या आईआरडीए/एफएंडए/सीआईआर/एसीटी/069/04/2011 के माध्यम से बीमाकर्ताओं को उपदान के मामले में पांच वर्ष की अवधि तक अतिरिक्त दायित्व के शोधन की अनुमति प्रदान की गई है। आईआरडीए के परिपत्र के आलोक में सेवारत कर्मचारियों से संबंधित उपदान की मद में अतिरिक्त दायित्व की राशि 14856.73 लाख रुपए बैठती है जिसे पांच वर्ष की अवधि में शोधित किया जा रहा है जिसकी शुरुआत 2010-11 से हो चुकी है। वर्ष 2013-14 के दौरान कुल 14856.73 लाख रुपए की देयता से 1/5 भाग की राशि 2971.35 लाख रुपए को राजस्व/लाभ एवं हानि लेखा में प्रभारित कर दिया गया है। 31.03.2014 को गैर शोधित देयता की शेष बची राशि 2971.34 लाख रुपए को "विविध व्यय लेखा"

including interest of Rs. 572.55lacs since inception (Rs. 227.94 lacs interest for the FY 2014-15), calculated on the basis of average yield on Investment portfolio, are pending remittance to Pension Regulatory and Development Authority.

Gratuity:

Company has Defined Benefit Gratuity Plan for all categories of employees. Gratuity is payable after 5 years of continuous service. Company has created separate Fund which is funded by the Company and managed by separate trust. The liability for same is recognized on the basis of actuarial valuation.

Amortization of Gratuity Liability:

During the year 2010-11, pay revision of the officers and employees have been carried out by the Company. Further, Government of India, vide Gazette Notification dated May 24th 2010, has revised upward maximum limit for Gratuity under "Payment of Gratuity Act 1972" from Rs. 3.50 lacs to Rs. 10.00 lacs which resulted in increase in Gratuity Liability by Rs 17122.76 lacs.

In terms of the requirements of Accounting Standard 15 (Revised) on employees' benefits, entire liability of Rs 17122.76 lacs was required to be charged to profit and loss account in the FY 2010-11.

IRDAI, vide Circular No IRDAI/F&A/CIR/ACT/069/04/2011 dated 18th April 2011, has permitted insurers to amortize the additional liability on account of Gratuity over a period of five years. In pursuance of IRDAI Circular, the additional liability on account of Gratuity relating to employees in service amounting to Rs 14856.73 lacs, is being amortized over a period of five years commencing from 2010-11. During the year 2014-15, 1/5th of the liability of Rs. 14856.73 lacs amounting to Rs. 2971.35 lacs has been charged to Revenue / Profit and Loss



में रखा गया है और अगले दो वर्ष में समान किस्तों में इसका शोधन किया जाएगा।

अवकाश नकदीकरण:

सेवाकाल के दौरान एवं सेवा निवृत्ति पर, दोनों अवधि में कर्मचारियों के सभी वर्गों के लिए प्रीविलेज लीव (पीएल) के नकदीकरण की अनुमति दी गई है। सेवा काल के दौरान 2 वर्ष में एक बार 15 दिन के लिए नकदीकरण की अनुमति होती है और सेवानिवृत्ति पर पीएल की सीमा 240 दिनों तक नियत रखी है। इसके लिए कोष नहीं होता है और इसकी पहचान बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर की जाती है।

लाभ एवं हानि लेखा तथा तुलनपत्र में स्वीकृत कर्मचारियों के उपर्युक्त लाभ की संक्षिप्त स्थिति नीचे दिए गए अनुसार है:

वर्णित लाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन

Account. The balance unamortized liability as on 31.03.2015 is NIL.

Leave Encashment:

Encashment of Privilege Leave (PL) is allowed to all class of employees, both during service period and on retirement. During service period, encashment is allowed for 15 days PL once in 2 years and on retirement, it is restricted to 240 days PL. This is unfunded and recognized on the basis of actuarial valuation.

The summarized position of the above Employees benefits recognized in the Profit and Loss Account and Balance Sheet are as under:

CHANGE IN THE PRESENT VALUE OF THE DEFINED BENEFIT OBLIGATIONS

(Rs. in lacs)

| विवरण PARTICULARS | पेंशन PENSION | | | | ग्रेच्युटी GRATUITY | | | | अवकाश नकदीकरण LEAVE ENCASHMENT | | | |
|--|------------------|---------|---------|---------|------------------------|--------|--------|--------|-----------------------------------|--------|--------|--------|
| | 14-15 | 13-14 | 12-13 | 11-12 | 14-15 | 13-14 | 12-13 | 11-12 | 14-15 | 13-14 | 12-13 | 11-12 |
| 1 अप्रैल 2014 को वर्णित लाभ दायित्व Defined benefit obligations as at 1st April, 2014 | 171743 | 152559 | 128098 | 117693 | 62082 | 60693 | 54464* | 50835 | 30619 | 26474 | 22119 | 19914 |
| वर्तमान सेवा लागत Current Service Cost | 11838 | 21380 | 11036 | 9799 | 3843 | 3322 | 2799 | 2642 | 5510 | 4754 | 4593 | 3480 |
| ब्याज लागत Interest Cost | 12651 | 12875 | 9519 | 9454 | 4723 | 5315 | 4310 | 4233 | 2275 | 2222 | 1699 | 1615 |
| दायित्व पर वास्तविक (लाभ) / हानि Actuarial (gain) / loss on obligation | 35001 | 8618 | 26520 | 2782 | 2521 | (3962) | 2521 | (1275) | 394 | 738 | 606 | (1073) |
| प्रदत्त लाभ Benefits paid | (23190) | (23689) | (22614) | (11630) | (4593) | (3286) | (3392) | (2067) | (3647) | (3569) | (2543) | (1817) |



| विवरण PARTICULARS | पेंशन PENSION | | | | ग्रेच्युटी GRATUITY | | | | अवकाश नकदीकरण LEAVE ENCASHMENT | | | |
|---|------------------|--------|--------|--------|------------------------|-------|-------|-------|-----------------------------------|-------|-------|-------|
| | 14-15 | 13-14 | 12-13 | 11-12 | 14-15 | 13-14 | 12-13 | 11-12 | 14-15 | 13-14 | 12-13 | 11-12 |
| 31 मार्च 2014 को वर्णित लाभ दायित्व Defined benefit obligation as at 31st March,2015 | 208043 | 171743 | 152559 | 128098 | 68576 | 62082 | 60693 | 54368 | 35151 | 30619 | 26474 | 22119 |

**योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन
CHANGE IN FAIR VALUE OF PLAN ASSETS**

(Rs. in lacs)

| विवरण PARTICULARS | पेंशन PENSION | | | | ग्रेच्युटी GRATUITY | | | |
|---|------------------|---------|---------|---------|------------------------|--------|--------|--------|
| | 14-15 | 13-14 | 12-13 | 11-12 | 14-15 | 13-14 | 12-13 | 11-12 |
| 1अप्रैल 2015 को योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य Fair value of plan assets as at 1st April,2014 | 144680 | 119166 | 116651 | 117693 | 62906 | 56277 | 52524* | 50835 |
| योजना परिसंपत्ति पर वास्तविक लाभ Actual return on plan assets | 13123 | 11123 | 10063 | 7083 | 5332 | 5025 | 4689 | 3682 |
| कर्मचारियों का योगदान Employer's contribution | 2871 | 3270 | 3250 | 3505 | -- | -- | -- | -- |
| अतिरिक्त योगदान Additional contribution | 27179 | 33170 | 11447 | 0 | 43 | 4415 | 2456 | 0 |
| प्रदत्त लाभ Benefits paid | (23190) | (23689) | (22614) | (11630) | (4593) | (3286) | (3392) | (2067) |
| 31 मार्च, 2015 को योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य Fair value of plan assets as at 31st March, 2015 | 164906 | 144680 | 119166 | 116651 | 64131 | 62906 | 56277 | 52450 |



लाभ एवं हानि खाता में स्वीकृत व्यय

EXPENSES RECOGNISED IN PROFIT AND LOSS ACCOUNT

(Rs. in lacs)

| विवरण PARTICULARS | पेंशन PENSION | | | | ग्रेच्युटी GRATUITY | | | |
|---|------------------|---------|---------|--------|------------------------|--------|--------|--------|
| | 14-15 | 13-14 | 12-13 | 11-12 | 14-15 | 13-14 | 12-13 | 11-12 |
| वर्तमान सेवा लागत Current Service Cost | 11838 | 21380 | 11036 | 9799 | 3843 | 3322 | 2799 | 2642 |
| ब्याज लागत Interest Cost | 11838 | 21380 | 11036 | 9799 | 4723 | 5315 | 4301 | 4233 |
| योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक लाभ Actual return on plan assets | (13123) | (11123) | (10063) | (8032) | (5333) | (5498) | (4689) | (3682) |
| निवल वास्तविक (लाभ)/ हानि Net Actuarial (Gain)/ Loss | 34757 | 6978 | 26152 | (3721) | (2079) | (4435) | 2006 | (1275) |
| निवल आवधिक लागत Net Periodic Cost | 46124 | 30110 | 36643 | 14952 | 4430 | 1379 | 4416 | 1918 |
| अस्वीकृत ऋण शेष Unrecognized credit balance | | | | | - | 2972 | 5942 | - |
| वर्तमान वर्ष में स्वीकृत अशोधित शेष Recognized in current year | | | | | 2972 | 2972 | 2972 | 2972 |
| Unamortized balance | | | | | | | | |



तुलन पत्र में स्वीकृत राशि
AMOUNT RECOGNISED IN BALANCE SHEET

(Rs. in lacs)

| विवरण PARTICULARS | पेंशन PENSION | | | | ग्रेच्युटी GRATUITY | | | | अवकाश नकदीकरण LEAVE ENCASHMENT | | | |
|--|------------------|--------|--------|--------|------------------------|-------|-------|-------|-----------------------------------|-------|-------|-------|
| | 14-15 | 13-14 | 12-13 | 11-12 | 14-15 | 13-14 | 12-13 | 11-12 | 14-15 | 13-14 | 12-13 | 11-12 |
| 31 मार्च 2015 को वर्णित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य Present value of defined benefit obligations as at 31 st March, 2015 | 208043 | 163864 | 152559 | 128098 | 68576 | 62082 | 60694 | 54368 | 35151 | 30619 | 26474 | 22119 |
| 31 मार्च 2014 को योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य (वर्तमान वर्ष में कंपनी को योगदान सहित) Fair value of plan assets as at 31 st March, 2015 (including current year Company's contribution) | 164906 | 144680 | 119166 | 128098 | 64131 | 62906 | 56278 | 52450 | - | - | - | - |
| तुलन पत्र में स्वीकृत देयता Liability recognized in Balance Sheet | 43137 | 19184 | 33393 | NIL | 5302 | (824) | 4416 | 1918 | 35151 | 30619 | 26474 | 2205 |

नोट: उपर्युक्त तालिकाओं में आंकड़ों को निकटतम लाख रुपए में रखा गया है।

Note: The figures in the above tables are rounded off to nearest Rupees in Lacs.



बीमांकिक अनुमान

ACTUARIAL ASSUMPTION

बीकाकिक मूल्यांकन के लिए इस्तेमाल होने वाले प्रमुख अनुमान इस प्रकार हैं:

The Principal Assumptions used for Actuarial Valuation are:

| विवरण PARTICULARS | पेंशन PENSION | | | | उपदान GRATUITY | | | | अवकाश नकदीकरण LEAVE ENCASHMENT | | | |
|---|--|-------|-------|-------|---|-------|-------|-------|---|-------|-------|-------|
| | 14-15 | 13-14 | 12-13 | 11-12 | 14-15 | 13-14 | 12-13 | 11-12 | 14-15 | 13-14 | 12-13 | 11-12 |
| (ii) छूट दर % (ii) Discount rate % | 7.90 | 9.15 | 8.45 | 8.45 | | 9.00 | 8.15 | 8.5 | 7.90 | 9.00 | 8.15 | 8.5 |
| (iii) परिसंपत्तियों पर लाभ की संभावित दर* % (iii) Expected rate of return on assets* % | 8.86 | 8.86 | 8.43 | 8.44 | | 8.84 | 9.05 | 8.5 | 7.90 | 9.00 | 8.15 | 8.5 |
| (iv) भविष्य में वेतन वृद्धि # % (iv) Future Salary Increase # % | 7 | 7 | 5 | 5 | | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 |
| (v) मृत्युदर (v) Mortality | ..LIC (1996-98).. ..LIC (1994-96).. Table Table | | | | ..IAL(2006-08).. ..LIC (1994-96).. Ultimate Table Table | | | | ..IAL(2006-08).. ..LIC (1994-96).. Ultimate Table Table | | | |
| vi) कर्मचारियों का कारोबार vi) Employees Turnover | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| vii) सेवा के शेष वर्ष vii) Remaining working life years | 11.69 | 9.57 | 10.27 | 11.00 | 10.71 | 11.42 | 11.21 | 11.39 | 10.71 | 11.42 | 11.21 | 11.39 |

* योजना परिसंपत्तियों पर वापसी की अनुमानित दर बाजार की संभावना पर आधारित है जो वर्ष के आरंभ में संबंधित दायित्व की संपूर्ण जीवनावधि हेतु प्रतिफल के लिए है।

बीकाकिक ने दायित्व का अनुमान लगाने के क्रम में मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति एवं अन्य संबंधित घटकों का ध्यान रखा है।

* Expected rate of return on plan assets is based on market expectation, at the beginning of the year, for return over the entire life of the related obligation.

Actuary, while estimating liability has taken into consideration inflation, seniority, promotion and other relevant factors.



31 मार्च, 2015 को न्यास द्वारा अनुरक्षित योजना परिसंपत्तियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:
Details of Plan Assets maintained by the trust as on 31st March, 2015 are as follows:

(प्रतिशत में / In Percentage)

| विवरण PARTICULARS | पेंशन PENSION | | | | उपदान GRATUITY | | | |
|--|------------------|-------|-------|-------|-------------------|-------|-------|-------|
| | 14-15 | 13-14 | 12-13 | 11-12 | 14-15 | 13-14 | 12-13 | 11-12 |
| (i) विशेष जमा (i) Special Deposits | 0.00 | 4.42 | 10.01 | 10.23 | 6.66 | 6.92 | 7.43 | 8.01 |
| (ii) सरकारी प्रतिभूतियां (ii) Government Securities | 54.54 | 51.38 | 47.01 | 44.70 | 35.76 | 36.18 | 37.86 | 38.45 |
| (iii) बंध पत्र / ऋण पत्र (iii) Bonds/debentures | 39.69 | 37.33 | 38.66 | 39.00 | 35.76 | 36.18 | 37.86 | 38.45 |
| (iv) बैंकों में जमा (iv) Deposits in Banks | 0.79 | 2.20 | - | 0.38 | 0.48 | 0.68 | - | 0.90 |
| (v) अन्य (v) Others | 4.98 | 4.67 | 4.32 | 5.79 | 1.13 | 1.39 | 1.65 | 2.60 |

*गैर-लेखापरीक्षित

*unaudited

सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ:

कंपनी से सेवानिवृत्ति के पश्चात चिकित्सा लाभ की कोई योजना नहीं है। तथापि, कंपनी के पूर्णकालिक निदेशकों (जो कि कंपनी के पूर्णकालिक कर्मचारी होते हैं) द्वारा स्वयं और परिवार के लिए चिकित्सा व्यय (अस्पताल में भर्ती एवं ओपीडी व्यय दोनों) को कंपनी द्वारा उस समय भी वहन किया जाता है जब निदेशक कंपनी के निदेशकों/कार्मिकों की श्रेणी से हट जाते हैं बशर्ते कंपनी ऐसे पूर्व कार्मिकों की मूल कंपनी रही हो। इस लाभ के लिए संबंधित पूर्व अधिकारियों से कोई प्रीमियम प्रभारित नहीं किया जा रहा है।

कंपनी वर्ष 2014 से लागू नई सामूहिक चिकित्सा दावा नीति के उपबंध 09.2.1 और 09.2.2 के अनुसार सेवानिवृत्त कर्मचारी और उसकी पत्नी/पति के संबंध में उसके अनुमानतः समायोजित मूल वेतन के आधार पर कर्मचारियों के लिए लागू पात्र बीमित राशि के आधार पर गणना किए गए देय चिकित्सा दावा प्रीमियम के 75 प्रतिशत हिस्से का वहन करेगी।

पारिश्रमिक संशोधन के लिए प्रावधान:

31.03.2015 की स्थिति के अनुसार कर्मचारियों को 1 अगस्त 2012 से देय पारिश्रमिक संशोधन संबंध

Post Retirement Medical Benefits:

Company does not have any Post Retirement Medical Benefit Scheme. However medical expenses (both hospitalization and OP expenses) incurred by full time directors of the Company (who are full time employees of the company) for self and family are met by the Company even after the directors cease to be directors/employees of the Company, provided the Company is the Parent Company of such ex-employees. No premium is being charged from the ex-executives concerned for this benefit.

The Company shall bear 75% of the mediclaim premium payable computed on the basis of eligible Sum Insured applicable for the employee based on his notionally adjusted Basic Pay in respect of retired employee and spouse as per clause 09.2.1 and 09.2.2 of the New Group Mediclaim policy which is effective from 2014

Provision for wage revision:

Provision for wage revision due to employees



ी प्रावधान 38143.06 लाख रुपए है और इसमें वर्ष 2014-15 के लिए प्रावधान की गई 235 करोड़ रुपए की अतिरिक्त धनराशि शामिल है।

w.e.f 1st August 2012 stood at Rs.38143.06 lacs as at 31.03.2015 and it includes Rs.235 crores additional amount provided in the year 2014-15

38. लेखाकरण मानक 17 संवर्ग रिपोर्टिंग:

तुलनपत्र की अनुसूची 1,2 और 3 के अनुरूप संवर्गीय रिपोर्टिंग पर आईआरडीए (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरण एवं लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट तैयार करना) विनियम 2002 द्वारा निर्धारित निम्नलिखित प्रारूप में संवर्गीय सूचना उपलब्ध कराई गई है:

38. Accounting Standard 17 Segment Reporting:

Segmental information has been given in the following format prescribed by IRDAI (Preparation of Financial Statements and Auditor's Report of Insurance Companies) Regulations, 2002 on Segmental Reporting, as per Schedules 1, 2 and 3 of Balance Sheet.

(Rs. in lacs)

| संवर्ग Segment | सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम वित्त वर्ष 2014-15 Gross Direct Premium FY 2014-15 | कुल व्यवसाय का प्रतिशत Percentage to Total Business | सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम वित्त वर्ष 2014-15 Gross Direct Premium FY 2013-14 | कुल व्यवसाय का प्रतिशत Percentage to Total Business |
|---|--|--|--|--|
| अग्नि Fire | 101277.67 | 13.39 | 103977.09 | 14.28 |
| मैरीन कार्गो Marine Cargo | 24757.89 | 3.27 | 27257.21 | 3.74 |
| मैरीन हल Marine Hull | 17389.04 | 2.30 | 21032.98 | 2.89 |
| मोटर ओडी Motor OD | 126133.83 | 16.68 | 119819.94 | 16.45 |
| मोटर टीपी (नॉन-पूल) Motor TP (Non- Pool) | 160572.25 | 21.23 | 138363.26 | 19.00 |
| मोटर टीपी (पूल) एवं डीआर पूल Motor TP (Pool) & D.R. Pool | 4739.28 | 0.63 | 10628.01 | 1.46 |
| अभियांत्रिकी Engineering | 35597.77 | 4.71 | 37477.16 | 5.15 |
| उड़डयन Aviation | 10093.90 | 1.33 | 11161.04 | 1.53 |
| कामगार क्षतिपूर्ति Workmen Compensation | 8024.56 | 1.06 | 8164.60 | 1.12 |
| व्यक्तिगत दुर्घटना Personal Accident | 14936.71 | 1.98 | 14241.27 | 1.96 |
| स्वास्थ्य Health | 205385.25 | 27.16 | 189875.15 | 26.07 |



| संवर्ग Segment | सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम वित्त वर्ष 2014-15 Gross Direct Premium FY 2014-15 | कुल व्यवसाय का प्रतिशत Percentage to Total Business | सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम वित्त वर्ष 2014-15 Gross Direct Premium FY 2013-14 | कुल व्यवसाय का प्रतिशत Percentage to Total Business |
|---|--|--|--|--|
| दायित्व Liability | 5089.26 | 0.67 | 4513.80 | 0.62 |
| अन्य विविध Other Miscellaneous | 42195.38 | 5.58 | 41742.41 | 5.73 |
| कुल सकल प्रीमियम Total Gross Premium | 756192.79 | 100 | 728253.93 | 100 |

39. लेखाकरण मानक 18: संबंधित पक्ष प्रकटन:

1. लेखाकरण मानक 18 के अनुसार संबंधित पक्ष प्रकटन

- क. सहायक कंपनियां
दि इंडस्ट्रियल क्रेडिट कंपनी लिमिटेड
- ख. सहयोगी कंपनियां
इंडिया इंटरनेशनल इश्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड,
सिंगापुर
हेल्थ इश्योरेंस टीपीए ऑफ इंडिया
- ग. निकाय, जिन पर नियंत्रण बरकरार है
 - i. ओआईसीएल कर्मचारी भविष्य निधि
 - ii. ओआईसीएल पेंशन निधि
 - iii. ओआईसीएल कर्मचारी उपदान निधि

प्रमुख प्रबंधन कार्मिक:

1. डॉ. ए.के. सक्सेना, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
(12.06.2012 से)
2. सुश्री रश्मि बाजपेयी, कंपनी सचिव (20.08.2007 से)
3. सुश्री के रमादेवी, महाप्रबंधक एवं सीएफओ (23.06.2014 से)

39. Accounting Standard 18: Related Party Disclosure:

1. Related party disclosures as per Accounting Standard 18

a. Subsidiaries

The Industrial Credit Company Limited.

b. Associates

India International Insurance Pvt. Ltd.,
Singapore
Health Insurance TPA of India

c. Entities over which control exists

- i. OICL Staff Provident Fund
- ii. OICL Pension Fund
- iii. OICL Employees Gratuity Fund

Key Management Personnel:

1. Dr. A.K. Saxena, Chairman-cum-
Managing Director (from 12.06.2012)
2. Ms.Rashmi Bajpai, Company Secretary (from 20.08.2007)
3. Ms.K.Ramadevi, General Manager & CFO
(from 23.06.2014)



संबंधित पक्षों के साथ संव्यवहार:

Transactions with related parties :

(Rs. in lacs)

| क्र.सं. Sr. No. | संबंध की प्रकृति Nature of Relationship | कारोबार की प्रकृति Nature of Transaction | 2014-15 | 2013-14 |
|--------------------|--|---|---|---|
| i) | सहायक कंपनियां Subsidiary | अन्य देय राशि Other Amount Due | 5.83 | 5.44 |
| ii) | सहयोगी कंपनियां Associates | <p>क) इंडिया इंटरनेशनल इंश्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड, सिंगापुर:- प्राप्त लाभांश आय शेयरों में निवेश a) India International Insurance Pvt. Ltd., Singapore :- Dividend Income received Investment in shares</p> <p>ख) हेल्थ इंश्योरेंस टीपीए ऑफ इंडिया:- शेयरों में निवेश b) Health Insurance TPA of India :- Investment in shares</p> | <p>356.80</p> <p>391.10</p> <p>475.00</p> | <p>233.64</p> <p>391.10</p> <p>237.50</p> |

40. पट्टे

कंपनी के कार्यालय परिसर एवं कर्मचारियों के लिए आवासीय फ्लैट पट्टे पर लिए गए हैं और आपसी सहमति से नवीकरण/निरस्तीकरण किया जा सकता है। पट्टा करारों द्वारा कोई बंदिश नहीं लगाई गई है। पट्टे के नियम अलग-अलग करारों पर आधारित हैं। महत्वपूर्ण पट्टाजन्य समझौते परिसरों के लिए पट्टे के संबंध में हैं। पट्टे के अंतर्गत दायित्व के संबंध में कुल पट्टा किराया की राशि 6214.21 लाख रुपए (गत वर्ष 5991.44 लाख रुपए) को चालू वर्ष में राजस्व लेखा में प्रभारित किया गया है।

40. Leases

The company's office premises and residential flats for employees are obtained on lease and are renewable/ cancellable at mutual consent. There are no restrictions imposed by lease agreements. Lease terms are based on individual agreements. Significant leasing arrangements are in respect of lease for premises. Aggregate lease rentals amounting to Rs.6214.21 lacs in the current year (previous year Rs.5991.44 lacs) in respect of obligation under lease are charged to Revenue Account in the current year.



41. लेखाकरण मानक 20- “प्रति शेयर आय”:

(लाख रुपए में)

| | 31.03.15 को | 31.03.14 को |
|---|--------------|--------------|
| Net Profit attributable to Shareholders (Rs. in Lacs) | 39209.52 | 46028.73 |
| Weighted Average Number of Equity Shares issued | 20,00,00,000 | 15,00,00,000 |
| Basic & Diluted Earnings per Share of Rs. 10/- each | 19.60 | 30.69 |

42. लेखाकरण मानक 22

पिछली हानियों को आगे लाए जाने के कारण आस्थगित कर परिसंपत्ति बढ़ रही है जिस पर भावी लाभ की अनिश्चितता के कारण कंपनी द्वारा विचार नहीं किया गया है।

43. लेखाकरण मानक 28

लेखाकरण मानक 28 के अनुसार प्रबंधन ने परिसंपत्तियों की हानि की संभावना का आकलन किया है और स्थायी परिसंपत्तियों के मूल्य में कोई विसंगति नहीं पाई गई है।

44. पुनर्बीमा स्वीकृति से संबंधित (लेखाकरण नीति संख्या 5.1 क ii में देखें) बकाया दावा प्रावधानों के संबंध में वर्ष के दौरान निम्नलिखित तिथियों को अपनाया गया:

- भारतीय व्यवसाय के संबंध में वित्तीय विवरणों को अंतिम रूप देने की तिथि तक (लेखाकरण नीति 4.2.)
- विदेशी व्यवसाय के संबंध में:
 - वर्ष के अंत तक हुए समस्त नुकसान एवं उसके तत्काल बाद आने वाले वर्ष में 30 अप्रैल तक प्राप्त सूचना।
 - निरस्त संधियों के मामले में 15 मई अथवा लेखों को अंतिम रूप देने की तिथि जो भी पहल हो, तक प्राप्त पुनर्बीमा वापसी में यथा सूचित विदेशी कंपनियों द्वारा निपटाए गए दावों को बकाया दावों के रूप में माना जाएगा।

45. कंपनी बीमा अधिनियम की धारा 3 क के साथ पठनीय

41. Accounting Standard 20 – “Earnings Per Share”:

(Rs. in lacs)

| | As at 31.03.2015 | As at 31.03.2014 |
|---|------------------|------------------|
| Net Profit attributable to Shareholders (Rs. in Lacs) | 39209.52 | 46028.73 |
| Weighted Average Number of Equity Shares issued | 20,00,00,000 | 15,00,00,000 |
| Basic & Diluted Earnings per Share of Rs. 10/- each | 19.60 | 30.69 |

42. Accounting Standard 22

In view of brought forward Losses, the Deferred Tax Assets is emerging which has not been considered by the company due to uncertainty of future profits.

43. Accounting Standard 28

In accordance with Accounting Standard-28, the Management has assessed the possibility of impairment of assets and there is no impairment in the value of fixed assets.

44. In respect of outstanding claim provisions relating to reinsurance acceptances (Refer Accounting

Policy no.5.1.a.ii), the following dates were adopted during the year:

- In respect on Indian business up to the date of finalization of financial statement (Accounting Policy 4.2.)
- In respect on Foreign business:
 - All losses incurred up to the year-end and communications received up to 30th April of the immediately succeeding year.
 - In the case of cancelled treaties, claims paid by the foreign companies as reported in reinsurance returns received up to 15th May or finalization of accounts



धारा 3 और बीमा कानून (संशोधन) अधिनियम, 2015 के अधीन 23 मार्च 2015 की अधिसूचना के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

46. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत आपूर्तिकर्ताओं को देय राशि से संबंधित सूचना कंपनी के पास तैयार रूप से उपलब्ध नहीं है और इसलिए उक्त अधिनियम के तहत आवश्यक भुगतान/ भुगतान योग्य ब्याज के साथ-साथ वर्ष के अंत में गैर चुकता राशि, यदि कोई हो, के संबंध में कोई प्रकटन नहीं किया गया है।
47. वर्ष के दौरान विभिन्न सरकारी प्राधिकरणों द्वारा की गई दंडात्मक कार्रवाई का विवरण नीचे दिया गया है:

which ever is earlier, was considered as outstanding claims.

45. The Company has complied with the provisions of Section 3 read with Section 3A of the Insurance Act, 1938, and the notification dated 23 rd March, 2015 under the Insurance Laws (Amendment) Act,2015.

46. The information as to amount due to suppliers under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act 2006 is not readily available with the company and hence disclosures, if any, relating to amounts unpaid as at the year end together with interest paid/ payable as required under the said Act have not been given.

47. Details of penal actions taken by the various Government Authorities during the year are as under:

| क्र.सं. Sl. No. | प्राधिकरण Authority | गैर-अनुपालन/ उल्लंघन Non Compliance/ Violation | लगाया गया दंड Penalty Awarded | | चुकता दंड Penalty Paid | | दंड माफी/कमी Penalty waived/reduced | |
|-----------------------|---|--|----------------------------------|--------------|---------------------------|---------------|---|--------------|
| | | | 2014-15 | 2013-14 | 2014-15 | 2013-14 | 2014-15 | 2013-14 |
| 1 | आईआरडीए IRDAI | टननुपालन Non Compliance | शून्य NIL | 5 | शून्य NIL | 5 | शून्य NIL | शून्य NIL |
| 2 | सेवा कर प्राधिकरण Service Tax Authorities | सेवा कर विभाग की लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर आधारित विभाग द्वारा की गई सेवा कर की मांग Service Tax demand raised by Dept based on Audit Report of Service Tax Dept | शून्य NIL | शून्य NIL | शून्य NIL | शून्य NIL | शून्य NIL | शून्य NIL |
| 3 | सेवा कर प्राधिकरण Income Tax Authorities | आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 271(1)(ग) के तहत जुर्माना Penalty under Section 271(1)(c) of I.. Tax Act, 1961 | 19.60 | 17396.03 | 9289.30 | 6304.62* # | शून्य NIL | शून्य NIL |



| क्र.सं. Sl. No. | प्राधिकरण Authority | गैर-अनुपालन / उल्लंघन Non Compliance/ Violation | लगाया गया दंड Penalty Awarded | | चुकता दंड Penalty Paid | | दंड माफी / कमी Penalty waived/reduced | |
|-----------------------|---|---|----------------------------------|--------------|---------------------------|--------------|---|--------------|
| | | | 2014-15 | 2013-14 | 2014-15 | 2013-14 | 2014-15 | 2013-14 |
| 4 | कोई अन्य कर प्राधिकरण Any other Tax Authorities | | शून्य NIL | शून्य NIL | शून्य NIL | शून्य NIL | शून्य NIL | शून्य NIL |
| 5 | प्रवर्तन निदेशालय / अधिनिर्णय प्राधिकरण / अथवा एफईएमए अर्थात फेमा के अंतर्गत कोई प्राधिकरण Enforcement Directorate/ Adjudicating Authority/ Tribunal or any Authority under FEMA | | शून्य NIL | शून्य NIL | शून्य NIL | शून्य NIL | शून्य NIL | शून्य NIL |
| 6 | आरओसी / सीएलबी / एमसीए ROC/CLB/MCA | वैधानिक सीमा तक चुकता पूँजी नहीं जुटाना Not raising Paid up Capital to Statutory limit | शून्य NIL | शून्य NIL | शून्य NIL | शून्य NIL | शून्य NIL | शून्य NIL |



| क्र.सं. Sl. No. | प्राधिकरण Authority | गैर-अनुपालन / उल्लंघन Non Compliance/ Violation | लगाया गया दंड Penalty Awarded | | चुकता दंड Penalty Paid | | दंड माफी / कमी Penalty waived/reduced | |
|--------------------|---|--|----------------------------------|--------------|---------------------------|--------------|---|--------------|
| | | | 2014-15 | 2013-14 | 2014-15 | 2013-14 | 2014-15 | 2013-14 |
| 7 | दावा निपटान सहित लेकिन क्षतिपूर्ति को छोड़ते हुए किसी मामले के संबंध में किसी न्यायालय / अधिकरण द्वारा लगाया गया दंड Penalty awarded by any Court/ Tribunal for any matter including claim settlement but excluding compensation | | NIL | 9 | NIL | 9 | NIL | NIL |
| 8 | भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड Securities and Exchange Board of India | | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL | NIL |
| 9 | भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग Competition Commission of India | | NIL | NIL | | NIL | NIL | NIL |
| 10 | कोई अन्य केंद्रीय / राज्य / स्थानीय सरकार / सांविधिक प्राधिकरण Any other Central/State/ Local Government/ Statutory Authority | | शून्य NIL | शून्य NIL | शून्य NIL | शून्य NIL | शून्य NIL | शून्य NIL |

* 6304.62 लाख रुपए में आय कर प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा देय कर वापसी से वसूल किए गए 5099 लाख रुपए शामिल हैं और कंपनी ने इसका विरोध किया है। इसमें कंपनी द्वारा आईटीएटी के स्थगनादेश के संबंध में भुगतान किए गए 12 करोड़ रुपए भी शामिल हैं।

#9289.30 लाख रुपए में पिछले वर्ष 2013-14 में लगाए गए जुर्माने के 9281.31 लाख रुपए शामिल हैं जो आकलन वर्ष 2005-06 के लिए 8916.28 लाख रुपए और आकलन वर्ष 2004-05 के लिए 365.03 लाख रुपए बनता है।



* Rs.6304.62 lacs includes Rs.5099 lacs recovered by the Income Tax Authority, New Delhi, from tax refunds due and has been protested by the Company. It also includes Rs.12 crores paid by the Company against stay order by ITAT.

Rs.9289.30 lacs includes Rs.9281.31 lacs penalty awarded in the previous year 2013-14 amounting to Rs,8916.28 lacs for the A.Y. 2005-06 and Rs.365.03 lacs for the A.Y 2004-05.

48. पॉलिसीधारकों का बकाया:

पॉलिसी धारकों का उम्र-वार विश्लेषण नीचे दिया गया है
बकाया

48. Policyholders dues:

Age wise analysis of Policyholders dues is given hereunder:

Outstanding

(Rs. in lacs)

| विवरण Particulars | 3 माह तक Upto 3 months | 4-12 माह 4-12 months | 13-18 माह 13-18 months | 19-24 माह 19-24 months | 25-30 माह 25-30 months | 31-36 माह 31-36 months | > 36 माह > 36 months | कुल Total |
|--|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| क. दावे का निपटान मगर पॉलिसी धारकों / बीमितों को किसी कारण से भुगतान नहीं जिसमें बीमितों / पॉलिसी धारकों से मुकदमेबाजी के तहत कारण शामिल नहीं हैं। A. Claim settled but not paid to the Policyholders / insured due to any reasons except under litigation from the insured / policyholders. | 12.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.54 | 33.74 |
| ख. प्रीमियम कर या किसी अन्य शुल्क की कोई अधिक वसूली जो पॉलिसी धारकों को या तो पॉलिसी के नियमों-शर्तों के अनुरूप या कानून के मुताबिक अथवा प्राधिकरण के निर्देश के तहत लौटाने योग्य है मगर अब तक लौटाई नहीं गई है B. Any excess collection of premium / tax or any other charges which is refundable to the policyholder/s either as per term of conditions of the policy or as per law or as per the direction of the Authority but not refundable so far. | 184.19 | 162.54 | 147.61 | 141.18 | 140.00 | 139.48 | 1570.38 | 2485.38 |



| | | | | | | | | |
|--|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| ग. पॉलिसी की समयावधि पूरी होने या किसी अन्य आधार पर बीमित व्यक्तियों / पॉलिसीधारकों को देय / भुगतये कोई अन्य राशि C. Any other sum due / payable to the insured / policyholders on completion of the policy terms or otherwise. | 13.81 | 6.18 | 1.96 | 2.51 | 1.88 | 0.66 | 17.56 | 44.56 |
| 'क', 'ख' या 'ग' के अंतर्गत कंपनी द्वारा चेक जारी किए गए लेकिन पॉलिसी धारकों / बीमित व्यक्तियों द्वारा उन चेकों को नहीं भुनाया गया है D. Cheques issued by the company under "A", "B" or "C" and cheques have not been encashed by the policyholders/ insured. | 1064.44 | 232.52 | 152.30 | 124.70 | 129.70 | 141.47 | 1651.70 | 3496.83 |
| Total | 1274.64 | 401.24 | 301.87 | 268.39 | 271.58 | 281.61 | 3261.18 | 6060.51 |

Notes:-

टिप्पणियां:-

1. पॉलिसी धारकों को जारी किए गए ऐसे चेक जिन्हें 3 महीने के भीतर नहीं भुनाया गया, उन्हें पॉलिसी धारकों के बकाए हेतु स्थानांतरित नहीं किया जाता है क्योंकि वे चेक पुराने नहीं हुए हैं। लेकिन उनकी राशि उपर्युक्त विवरण में दर्शाई गई है।
2. निपटाए गए दावे के तहत भुगतान नहीं होने के मामले पॉलिसीधारकों के बकाए में स्थानांतरित नहीं किए गए हैं क्योंकि इन दावों के लिए बकाया दावे के तौर पर ही प्रावधान किया गया है। लेकिन इनकी राशियां उपर्युक्त विवरण में दर्शाई गई है।
49. प्रभागीय कार्यालयों में से एक में से निधि के दुर्विनियोजन के संबंध में 31.03.2015 की स्थिति के अनुसार शीर्ष "अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए आरक्षित" के अंतर्गत प्रधान कार्यालय में 327 लाख रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है।
50. कंपनी द्वारा एकीकृत नॉन लाइफ इश्योरेंस एप्लीकेशन

1. Cheques issued to policyholders and not encashed for less than 3 months are not transferred to policyholders dues as these cheques have not become stale. However, the amounts are shown in the above statement.
2. Claims settled but not paid are not transferred to policyholders dues as these claims have been provided for as outstanding claims. However, the amounts are shown in the above statement.

49. A provision for a sum of Rs.327 lacs has been made at HO under the head "Reserve for bad and doubtful debts" as on 31.03.2015 towards misappropriation of funds in one of the Divisional Offices.

50. The Company has introduced Integrated Non Life Insurance Application Software (INLIAS) which has not been fully implemented as some Modules, such as Head Office Accounts Consolidation Module, GUC Module and



सॉफ्टवेयर (इनलियास) आरंभ किया गया है किंतु इसे अभी तक पूरी तरह क्रियान्वित नहीं किया जा सका है क्योंकि कुछ मॉड्यूल जैसे हेड ऑफिस एकाउंट्स कंसोलिडेशन मॉड्यूल, जीयूएस मॉड्यूल और पुनर्बीमा खात मॉड्यूल अभी विकास/परीक्षण के दौर में हैं। कंपनी इनलियास में शेष मॉड्यूल के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक कद उठा रही है।

51. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों के अनुसार, 7.92 करोड़ रुपए की धनराशि को लाभ एवं हानि खाते में 'सीएसआर व्यय' नामक पृथक लाइन आइटम के रूप में दर्ज किया गया है। 7.92 करोड़ रुपए की राशि में से सीएसआर व्यय की कुल राशि 4.59 करोड़ रुपए है और शेष 3.33 करोड़ रुपए को वर्ष 2014-15 के दौरान कंपनी द्वारा चलाई गई सीएसआर गतिविधि के रूप में दर्ज किया गया है।

हमारी संलग्न लेखा परीक्षक रिपोर्ट के अनुसार
As per our auditors report attached

कृते केपीएमआर एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट
एफआरएन सं. 02504N
For KPMR & Associates
Chartered Accountants
FRN No. 02504N

कृते एस.मान एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट
एफआरएन सं.000075N
For S.MANN & CO.
Chartered Accountants
FRN No.000075N

सी.ए. एस.एम.वाई कुरेशी
भागीदार
सदस्यता संख्या 081750
CA. S.M.Y. Qureshi
Partner
M. No. 081750

सी.ए. सुभाष मान
भागीदार
सदस्यता संख्या 080500
CA. Subhash Mann
Partner
M. No. 080500

के. रमादेवी
महाप्रबंधक एवं मुख्य वित्तीय
अधिकारी
K.Ramadevi
GM & Chief Financial Officer

रश्मि बाजपेयी
कंपनी सचिव
Rashmi Bajpai
Company Secretary

Re- insurance Accounts Module which are under development/testing. Company is taking necessary steps for implementation of remaining Modules in INLIAS.

51. As per the provisions of Section 135 of the Companies Act, 2013, an amount of Rs. 7.92 crores has been recognized as a separate line item 'CSR Expenditure' in the Profit & Loss Account. Out of Rs.7.92 crores actual amount of CSR spent Rs.4.59 crores and the balance of Rs.3.33 crores has been recognized as liability towards CSR activity already undertaken by the Company during the year 2014-15.

(डॉ. ए.के. सक्सेना)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
DR. A.K. SAXENA
Chairman-cum-Managing Director

एन. श्रीनिवास राव
निदेशक
N. Srinivasa Rao
Director

कुलदीप सिंह
निदेशक
Kuldip Singh
Director

सुजय बनर्जी
निदेशक
Sujay Banarji
Director

Place: New Delhi
Dated: 15.05.2015



दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित प्राप्ति एवं भुगतान लेखा (अर्थात् नकद प्रवाह विवरणी)

THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED

CONSOLIDATED RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT (I.E. CASH FLOW STATEMENT)

FOR THE YEAR ENDING 31ST MARCH, 2015

(Rs. in lacs)

| | 31.03.2015 को समाप्त वर्ष Year ending 31.03.2015 | 31.03.2014 को समाप्त वर्ष Year ending 31.03.2014 |
|---|---|---|
| क. प्रचालनिक गतिविधियों से नकद प्रवाह A. Cash Flow from the operating activities | | |
| 1. पॉलिसीधारकों से प्राप्त प्रीमियम, अग्रिम प्राप्तियों सहित Premium received from policyholders, including advance receipts | 79947241 | 76997799 |
| 2. अन्य प्राप्तियां (निवल) Other receipts (net) | 5543652 | 5780394 |
| 3. पुनर्बीमाकर्ताओं को भुगतान, कमीशनों और दावों से निवल Payments to reinsurers, net of commissions and claims | -3822448 | -2659670 |
| 4. सहबीमाकर्ताओं को भुगतान, दावों की वसूली से निवल Payments to coinsurers, net of claims recovery | -1210782 | -11986032 |
| 5. दावों का भुगतान Payments of claims | ' -58607119 | -54652862 |
| 6. कमीशन और ब्रोकरेज का भुगतान Payments of commission and brokerage | -5105835 | -5377584 |
| 7. अन्य प्रचालनिक खर्चों का भुगतान Payments of other operating expenses | -20470300 | -15549634 |
| 8. प्रारंभिक और प्रचालन-पूर्व खर्च Preliminary and pre-operative expenses | 0 | 0 |
| 9. जमा राशियां, अग्रिम और कर्मचारी ऋण Deposits, advances and staff loans | -254016 | 577826 |
| 10. चुकता आय कर (निवल) Income taxes paid (net) | -3190982 | -2204596 |
| 11: एकत्रित/चुकता सेवा कर (निवल) Service tax collected/paid (net) | 829062 | 1141018 |
| 12. अन्य भुगतान (निवल) Other payments (Net) | 0 | 0 |



| | | 31.03.2015 को समाप्त वर्ष Year ending 31.03.2015 | 31.03.2014 को समाप्त वर्ष Year ending 31.03.2014 |
|--|--|---|---|
| 13. | असाधारण मदों से पूर्व नकद प्रवाह Cash flow before extraordinary items | -6341527 | -7933341 |
| 14. | असाधारण प्रचालनों से नकद प्रवाह Cash flow from extraordinary operations | | |
| 15. | प्रचालनिक गतिविधियों से निवल नकद प्रवाह Net cash flow from operating activities | -6341527 | -.7933341 |
| ख निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह ' B. Cash Flow from investing activities | | | |
| 1. | स्थायी परिसम्पत्तियों की खरीद (निवल) Purchase of fixed assets(net) | -483794 | -566274 |
| 2. | स्थायी परिसम्पत्तियों की बिक्री से आगम Proceeds from sale of fixed assets | 29845 | 46899 |
| 3. | निवेशों की खरीद Purchase of investments | -82121405 | -13005969 |
| 4. | वितरित ऋण Loans disbursed | 0 | 0 |
| 5. | निवेशों की बिक्री Sales of investments | 11175154 | 10984596 |
| 6. | प्राप्त पुनःभुगतान Repayments received | 70647222 | 3737343 |
| 7. | प्राप्त किराये/ब्याज/लाभांश Rents/Interests/Dividends received | 10387854 | 10530389 |
| 8. | धन बाजार लिखतों और नकद म्युचुअल निधियों में निवेश (निवल) Investments in money market instruments & liquid n | 0 | -458900 |
| 9. | निवेशों से संबंधित खर्चे Expenses relating to investments | -40369 | -32551 |
| 10. | निवेश गतिविधियों से निवल नकद प्रवाह Net cashflow from the investing activities | 9594507 | 11235533 |
| ग वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह C. Cash Flow from financing activities | | | |
| 1. | शेयर पूंजी के निर्गम से आगम Proceeds from issuance of share capital | 23750 | 23750 |
| 2. | उधार राशि से आगम Proceeds from borrowing | 0 | 0 |
| 3. | उधार राशि की चुकौती Repayments of borrowing | 0 | 0 |
| 4. | चुकता ब्याज/लाभांश (वितरण कर सहित) Interest/dividends (including distribution tax) paid | -1263507 | -1246000 |



| | | 31.03.2015 को समाप्त वर्ष Year ending 31.03.2015 | 31.03.2014 को समाप्त वर्ष Year ending 31.03.2014 |
|---------|---|---|---|
| 5. | वित्तीय गतिविधियों से निवल नकद प्रवाह Net cash flow from the financing activities | -1239757 | -1222250 |
| घ D. | नकद और नकद समतुल्यों पर विदेशी मुद्रा का प्रभाव (निवल) Effect of foreign exchange rates on cash and Cc | | |
| ङ E. | नकद और नकद समतुल्यों में निवल वृद्धि(+)/कमी(-) Net increase(+)/decrease(-) in cash and cash eq | 2013076 | 2185766 |
| 1. | वर्ष के प्रारंभ में नकद और नकद समतुल्य Cash and cash equivalents at the beginning of the > | 22281050 | 20095284 |
| 2. | वर्ष के अंत में नकद और नकद समतुल्य Cash and cash equivalents at the end of the year | 24294126 | 22281050 |

टिप्पणियां:

1. आकृति (+) अंत: प्रवाह को और आकृति (-) बहिर्प्रवाह को दर्शाती हैं।
2. आईआरडीएआई के दिनांक 01.04.2013 से लागू दिनांक 05.10.2012 के मास्टर परिपत्र के दृष्टिगत गत वर्ष के आंकड़ों को आवश्यकतानुसार पुनःसमूहबद्ध किया गया है।

Notes:

1. (+) figure represents inflow and (-) figure represents outflow
2. Figures of previous year have been regrouped wherever necessary, in view of change in the format as per IRDAI Master Circular date 05.10.2012 effective from 01.04.2013.

हमारी संलग्न लेखा परीक्षक रिपोर्ट के अनुसार
As per our auditors report attached

कृते केपीएमआर एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट
एफआरएन सं. 02504N
For KPMR & Associates
Chartered Accountants
FRN No. 02504N

कृते एस.मान एंड कंपनी
चार्टर्ड एकाउंटेंट
एफआरएन सं.000075N
For S.MANN & CO.
Chartered Accountants
FRN No.000075N

(डॉ. ए.के. सक्सेना)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
DR. A.K. SAXENA
Chairman-cum-Managing Director

सी.ए. एस.एम.वाई कुरेशी
भागीदार
सदस्यता संख्या 081750
CA. S.M.Y. Qureshi
Partner
M. No. 081750

सी.ए. सुभाष मान
भागीदार
सदस्यता संख्या 080500
CA. Subhash Mann
Partner
M. No. 080500

एन. श्रीनिवास राव
निदेशक
N. Srinivasa Rao
Director

कुलदीप सिंह
निदेशक
Kuldip Singh
Director

के. रमादेवी
महाप्रबंधक एवं मुख्य वित्तीय
अधिकारी
K.Ramadevi
GM & Chief Financial Officer

रश्मि बाजपेयी
कंपनी सचिव
Rashmi Bajpai
Company Secretary

सुजय बनर्जी
निदेशक
Sujay Banarji
Director

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 15.05.2015

Place: New Delhi
Dated: 15.05.2015



दि ओरिएण्टल इंड्योरेंस कम्पनी लिमिटेड

तुलन पत्र के उद्घरण और कम्पनी की सामान्य रूपरेखा

THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED

BALANCE SHEET ABSTRACT AND COMPANY'S GENERAL PROFILE

I. पंजीकरण का ब्यौरा

I. REGISTRATION DETAILS

| | | | |
|---------------------|------------|------------|----|
| पंजीकरण संख्या | | राज्य कोड | |
| Registration Number | 00556 | State Code | 55 |
| तुलन पत्र की तारीख | | | |
| Balance Sheet Date | 31.03.2015 | | |

II. वर्ष के दौरान जुटाई गई पूंजी (राशि हजार रूप में)

II. CAPITAL RAISED DURING THE YEAR (AMOUNT IN Rs. THOUSANDS)

| | | | |
|------------------|-------|-------------------|-------|
| सार्वजनिक निर्गम | शून्य | राइट निर्गम | शून्य |
| Public Issue | NIL | Right Issue | NIL |
| बोनस निर्गम | शून्य | निजी नियोजन | शून्य |
| Bonus Issue | NIL | Private Placement | NIL |

III. निधियों के संचलन और नियोजना की स्थिति (राशि हजार रूप में)

III. POSITION OF MOBILISATION AND DEPLOYMENT OF FUNDS (AMOUNT IN Rs. THOUSANDS)

| | | | |
|-------------------|-----------|--------------------|-----------|
| कुल देनदारियां | | कुल परिसम्पत्तियां | |
| Total Liabilities | 129084599 | Total Assets | 129084599 |

निधियों के स्रोत

Source of Funds

| | | | |
|---------------------------------|-----------|------------------------|-----------|
| प्रदत्त पूंजी | | आरक्षितियां और अधिशेष | |
| Paid up Capital | 2000000 | Reserve & Surplus | |
| चालू देनदारियां और स्थिति | | और उचित मूल्य परिवर्तन | |
| Current Liabilities & Provision | 133742300 | and Fair Value Change | 127084599 |

निधियों की प्रयोज्यता

Application of Funds

| | | | |
|----------------------------|----------|-------------------|-----------|
| निवल स्थायी परिसम्पत्तियां | | निवेश | |
| Net Fixed Assets | 1580840 | Investments | 208442369 |
| निवल चालू परिसम्पत्तियां | | विविध व्यय | |
| Net Current Assets | 52803690 | Misc. Expenditure | 0 |
| Accumulated Losses | Nil | | |



IV. कम्पनी का निष्पादन (राशि हजार रुपए में)

IV. PERFORMANCE OF COMPANY (AMOUNT IN Rs. THOUSANDS)

| | | | |
|------------------------|----------|-----------------------|----------|
| टर्नओवर | | कुल व्यय | |
| Turnover | 64723871 | Total Expenditure | 79585299 |
| कर पूर्व लाभ/हानि | | कर पश्चात लाभ/हानि | |
| Profit/Loss before Tax | 6173373 | Profit/Loss after Tax | 3908623 |
| लाभांश | | | |
| Dividend | 1100000 | | |

V. कम्पनी के तीन प्रमुख उत्पादों/सेवाओं के सामान्य (जेनरिक नाम (मौद्रिक शब्दावली के अनुसार)

V. GENERIC NAMES OF THREE PRINCIPAL PRODUCTS/SERVICES OF CO. (AS PER MONETARY TERMS)

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| मद कोड संख्या | शून्य |
| Items Code No. | NIL |
| उत्पाद का विवरण | गैर-जीवन बीमा कारोबार |
| Product Description | Non Life Insurance Business |

स्थान: नई दिल्ली

Place: New Delhi

दिनांक: 15.05.2015

Dated: 15.05.2015

डा. ए.के. सक्सेना

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

Dr. A. K. Saxena

(Chairman cum managing Director)

एन. श्रीनिवास राव

N.SRINIVASA RAO

कुलदीप सिंह

KULDIP SINGH

सुजय बनर्जी

SUJAY BANARJI

(निदेशक)

(Directors)



दि इंडस्ट्रीयल
क्रेडिट कम्पनी लिमिटेड
**THE INDUSTRIAL
CREDIT COMPANY
LIMITED**





दि इंडस्ट्रीय क्रेडिट कम्पनी लिमिटेड के निदेशकों का प्रतिवेदन

सज्जनों,

निदेशक दिनांक 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए अपना 85वां प्रतिवेदन और लेखा परीक्षित लेखे और तुलन पत्र प्रस्तुत करते हैं।

वित्तीय परिणाम और प्रचालनिक समीक्षा

कम्पनी ने वर्ष के दौरान कोई कारोबार नहीं किया। लाभ हानि लेखे के अनुसार समीक्षाधीन वर्ष के लिए हानि रु. 6,827/- है और वर्ष के अंत में आगे ले जाई गई कुल हानि रु. 6,58,787/- है।

आरक्षितियां

चूंकि वर्ष के दौरान कोई कारोबार नहीं किया गया अतः आरक्षिति में कोई धनराशि अंतरित नहीं की गई है।

लाभांश

आगे ले जाई गई हानियों को देखते हुए, आपके निदेशकदिनांक 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए किसी भी लाभांश के भुगतान या किसी निधि के अंतरण की सिफारिश नहीं करते हैं।

शेयर पूंजी

दिनांक 31 मार्च 2015 को प्रदत्त इक्विटी पूंजी रु. 5,00,000/- (मात्र पांच लाख रुपए) थी जो रु. 100/- प्रत्येक के 5000 इक्विटी शेयरों में विभाजित थी। कम्पनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोई नए शेयर जारी नहीं किए।

वित्त

दिनांक 31 मार्च, 2015 को नकद और नकद समतुल्य रु. 433,225/- थे।

स्थायी जमा

कम्पनी ने जनता से कोई जमा राशि प्राप्त नहीं की है, अतः ऐसी कोई अदावी या अदत्त जमा नहीं है।

कम्पनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं, यदि कोई हों, जो उस कम्पनी के वित्त वर्ष के अंत और प्रतिवेदन की तारीख के बीच घटित हुए हों जिससे ये वित्तीय विवरणिकाएं संबंधित हैं

शून्य

उल्लेखनीय और महत्वपूर्ण आदेशों का ब्यौरा

REPORT OF THE DIRECTORS OF THE INDUSTRIAL CREDIT COMPANY LTD. Gentlemen,

The Directors present their 85th Annual Report and the Audited Accounts and the Balance Sheet for the year ended 31st March, 2015.

FINANCIAL RESULTS & OPERATIONAL REVIEW

The Company did not transact any business during the year. The loss for the year under review as per the Profit & Loss account is Rs. 6,827/- and the total carried forward loss at the end of the year is Rs.6,58,787/-.

RESERVES

As there was no business undertaken during the year no amount has been transferred to Reserve.

DIVIDEND

In view of carry forward losses, your Directors do not recommend payment of any dividend or transfer of any funds to reserves for the year ended on 31st March, 2015.

SHARE CAPITAL

The paid up equity capital as on 31st March, 2015, was Rs. 5,00,000/- (Rs. Five lakhs only) divided into 5000 Equity shares of Rs. 100/- each. The Company did not issue any fresh shares during the year under review.

FINANCE

Cash and cash equivalents as at 31st March, 2015, was Rs. 433,225/-.

FIXED DEPOSITS

The Company has not accepted any deposits from the public, hence there is no such unclaimed or unpaid deposit.

MATERIAL CHANGES AND COMMITMENTS, IF ANY, AFFECTING THE FINANCIAL POSITION OF THE COMPANY WHICH HAVE OCCURRED BETWEEN THE END OF THE FINANCIAL YEAR OF THE COMPANY TO WHICH THE FINANCIAL STATEMENTS RELATE AND THE DATE OF THE REPORT

NIL

DETAILS OF SIGNIFICANT AND MATERIAL ORDERS



विनियामकों या न्यायालयों या न्यायाधिकरणों द्वारा कम्पनी के लाभकारी कारोबार वाले संस्थान के दर्ज और भविष्य में कम्पनी के प्रचालनों को प्रभावित करने वाले उल्लेखनीय और महत्वपूर्ण आदेशों का ब्यौरा

कोई नहीं

ऋणों, गारंटियों या निवेशों का विवरण

कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 186 के प्रावधानों के अंतर्गत कोई ऋण या गारंटी प्रदान नहीं की है।

कम्पनी द्वारा किए गए निवेशों का ब्यौरा वित्तीय विवरणिकाओं में दिया गया है।

आंतरिक नियंत्रण, प्रणालियां और पर्याप्तता

आंतरिक नियंत्रण, प्रणालियां और पर्याप्तता से संबंधित कम्पनी अधिनियम के प्रावधान कम्पनी 2013 पर लागू नहीं होते क्योंकि कम्पनी कोई सक्रिय कारोबार नहीं कर रही है।

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व संबंधी पहलें

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व से संबंधित कम्पनी अधिनियम के प्रावधान कम्पनी 2013 पर लागू नहीं होते।

उर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन

उर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन से संबंधित कम्पनी अधिनियम के प्रावधान कम्पनी 2013 पर लागू नहीं होते क्योंकि यह एक वित्तीय कम्पनी है और कोई सक्रिय कारोबार भी नहीं कर रही है।

विदेशी मुद्रा अर्जन एवं परिव्यय

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोई विदेशी मुद्रा अर्जनया परिव्यय नहीं हुआ।

कम्पनी का प्रबंधन

कम्पनी का प्रबंधन उन निदेशकों द्वारा किया जाता है जो दि ओरिएण्टल इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड (धारक कम्पनी) द्वारा नामांकित होते हैं। प्रशासनिक सेवाएं ओरिएण्टल इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड द्वारा प्रदान की जाती हैं।

निदेशक

श्री पी. सेंथिलकुमार, निदेशक आगामी वार्षिक आम सभा से रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त हो रहे हैं। श्री पी. सेंथिलकुमार ने

PASSED BY THE REGULATORS OR COURTS OR TRIBUNALS IMPACTING THE GOING CONCERN STATUS AND COMPANY'S OPERATIONS IN FUTURE

NIL

PARTICULARS OF LOANS, GUARANTEES OR INVESTMENTS

The Company has not given any loans or guarantees under the provisions of Section 186 of the Companies Act, 2013.

The details of the investments made by the Company are given in the financial statements

INTERNAL CONTROL, SYSTEMS AND THEIR ADEQUACY

The provisions of the Companies Act, 2013 regarding Internal Control, Systems and Adequacy are not applicable to the Company as the Company is not doing any active business.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY INITIATIVES

The provisions of the Companies Act, 2013 regarding Corporate Social Responsibility are not applicable to the Company.

CONSERVATION OF ENERGY, TECHNOLOGY ABSORPTION

The provisions of the Companies Act, 2013 regarding conservation of energy, technology absorption are not applicable to the Company, as it is a finance company and not doing any active business also.

FOREIGN EXCHANGE EARNINGS AND OUTGO

During the year under review there was no foreign exchange earnings or out flow.

MANAGEMENT OF THE COMPANY

The Company was managed by the Directors who are nominees of The Oriental Insurance Company Limited (Holding Company). The administrative services are lent by The Oriental Insurance Company Limited.

DIRECTORS

Shri P.Senthilkumar, Director retires by rotation at the forthcoming Annual General Meeting. Mr. Senthilkumar has expressed his unwillingness to be re



कम्पनी के निदेशक के तौर पर पुनः नियुक्त किए जाने पर अपनी अनिच्छा जताई है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान दिनांक 08.05.2014, 22.07.2014, 05.11.2014 और 05.02.2015 को निदेशक मंडल की चार बैठकें आयोजित की गईं। बैठकों के बीच का अंतराल कम्पनी अधिनियम 2013 के अधीन निर्धारित अवधि के भीतर था।

निदेशकों के उत्तरदायित्व संबंधी वक्तव्य:

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (5) के प्रावधानों के अनुसरण में, निदेशक एतद्वारा उल्लेख करते हैं:-

- (क) कि वार्षिक लेखों की तैयारी में, महत्वपूर्ण विचलनों के संबंध में उपयुक्त स्पष्टीकरण सहित प्रयोज्य लेखाकरण मानदंडों का अनुसरण किया गया है;
- (ख) कि निदेशकों ने निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियां चुनी हैं और उन्हें सतत रूप से लागू किया और ऐसे निर्णय तथा अनुमान लगाए जो कि उचित और न्यायसंगत थे ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के कामकाज की स्थिति और वित्त वर्ष की समाप्ति पर कंपनी के कामकाज को लेकर और कंपनी लाभ हानि की एक यथार्थ और निष्पक्ष स्थिति प्रस्तुत की जा सके;
- (ग) कि निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की अभिरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताएं रोकने और अभिज्ञात करने के उद्देश्य से इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त लेखांकन रिकॉर्ड रखने के संबंध में उपयुक्त और समीचीन ध्यान रखा है;
- (घ) कि निदेशकों ने वित्तीय वर्ष हेतु सुनाम-प्रतिष्ठान आधार पर वार्षिक लेखे तैयार किए हैं और
- (ङ) कि निदेशकों ने सभी प्रयोज्य विधियों के प्रावधान का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त प्रणालियां तैयार की हैं और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त हैं और प्रभावी रूप से काम कर रही हैं।

संबंधित पक्षकार संव्यवहार

कम्पनी और इसकी धारक कम्पनी के बीच संव्यवहारों का ब्यौरा निदेशकों के प्रतिवेदन के अनुबंध क के रूप में एतदसहित प्रपत्र एओसी 2 में संलग्न है।

अनुषंगी कम्पनियां

कम्पनी की कोई अनुषंगी कम्पनी नहीं है।

appointed as Director of the Company.

During the year under review four meetings of the Board of Directors were convened and held on 08.05.2014, 22.07.2014, 05.11.2014 and 05.02.2015. The intervening gap between the Meetings was within the period prescribed under the Companies Act, 2013.

DIRECTORS RESPONSIBILITY STATEMENTS:

Pursuant to provisions of Sec. 134 (5) of the Companies Act, 2013, the Directors hereby state:-

- (a) That in the preparation of the annual accounts, the applicable accounting standards have been followed along with proper explanation relating to material departures;
- (b) That the directors had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that were reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the company at the end of the financial year and of the profit and loss of the company for year under review;
- (c) That the directors have taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of this Act for safeguarding the assets of the company and for preventing and detecting fraud and other irregularities;
- (d) That the directors had prepared the annual accounts on a going concern basis.
- (e) The directors had devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

RELATED PARTY TRANSACTIONS

The details of transactions between the Company with its Holding Company are attached herewith in Form AOC 2 as Annexure A to the Directors Report.

SUBSIDIARY COMPANIES

The Company does not have any subsidiary.



लेखा परीक्षक

दिनांक 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नई दिल्ली-110 002 द्वारा मैसर्स चतुर्वेदी एंड पार्टनर्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स को कम्पनी के लेखा परीक्षकों के तौर पर नियुक्त किया गया था। उनका प्रतिवेदन वित्तीय विवरणिकाओं के साथ संलग्न है और उनके अवलोकन स्वतः स्पष्ट हैं।

वित्तीय विवरणी का उद्धरण

वित्तीय विवरणी के उद्धरण के भाग को बनाने वाला विवरण प्रपत्र एमजीटी-9 में बोर्ड के प्रतिवेदन के साथ अनुबंध 'ख' के तौर पर संलग्न है।

कर्मचारियों का विवरण

चूंकि प्रशासनिक सेवाएं दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड द्वारा प्रदान की जाती हैं, अतः कम्पनी की कर्मचारी सूची में कोई कर्मचारी नहीं है।

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date attached.

कृते चतुर्वेदी एंड पार्टनर्स

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

कंपनी पंजीकरण संख्या 307068E

For CHATURVEDI & PARTNERS.

Chartered Accountants

Firm Registration No. 307068E

स्थान: नई दिल्ली

Place: New Delhi

दिनांक: 11.05.2015

Date: 11.05.2015

AUDITORS

M/s Chaturvedi & Partners, Chartered Accountants were appointed as Auditors of the Company for the year ended 31st March, 2015 by the Comptroller and Auditor General of India, New Delhi-110 002. Their report is annexed to the financial statements and their observations are self explanatory.

EXTRACT OF ANNUAL RETURN

The details forming part of the extract of the Annual Return in form MGT-9 is annexed to the Board's Report as Annexure 'B'.

PARTICULARS OF EMPLOYEES

Since the administrative services are lent by The Oriental Insurance Company Limited, there is no employee on the rolls of the company.

बोर्ड की ओर से

FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD

कुलदीप सिंह

निदेशक

Kuldip Singh

Director

पी. सेंथिल कुमार

निदेशक

P. Senthil Kumar

Director

ए.के. मित्रल

निदेशक

A.K. Mittal

Director



**अनुबंध 'क'
फॉर्म संख्या एओसी.2**

(अधिनियमकी धारा 134 की उप-धारा (3) के खंड और कम्पनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 8(2) के अनुसरण में)

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 188 की उप-धारा (1) में संदर्भित संबंधित पक्षकारों के साथ कम्पनी द्वारा की गई संविदाओं/करारों के ब्यौरे के प्रकटीकरण के लिए प्रपत्र जिसमें इस अधिनियम के तीसरे परंतुक के अंतर्गत कतिपय दूरी रखकर किए जाने वाले धारित संव्यवहार शामिल हैं

1. जो संविदाएं या समझौते या संव्यवहार निश्चित दूरी रखकर (आर्म्स लैथ बेसिसपर) नहीं की गई हैं, उनका ब्यौरा-कोई नहीं

- क. संबंधित पक्ष का (के) नाम और संबंध की प्रकृति
- ख. संविदाओं/समझौतों/संव्यवहारों की प्रकृति
- ग. संविदाओं/समझौतों/संव्यवहारों की अवधि
- घ. संविदाओं या समझौतों या संव्यवहारों की मुख्य शर्तें जिनमें मूल्य, यदि कोई हो, भी शामिल है
- ङ. ऐसी संविदाओं या समझौतों या संव्यवहारों के लिए औचित्य
- च. बोर्ड द्वारा अनुमोदन, यदि कोई हो, की तारीख (तारीखें)
- छ. अग्रिम के रूप में अदा की गई राशि, यदि कोई हो
- ज. वे तारीखें जिन पर आम बैठक में विशेष संकल्प पारित किए गए थे, जैसा कि धारा 188 के प्रथम परन्तु के अधीन अपेक्षित है

2. जो महत्वपूर्ण संविदाएं या समझौते या संव्यवहार निश्चित दूरी रखकर (आर्म्स लैथ बेसिस पर) किए गए हैं, उनका ब्यौरा

- क. संबंधित पक्षकार का (के) नाम और संबंध की प्रकृति-दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड (ओआईसी - धारक कम्पनी)
- ख. संविदाओं/समझौतों/संव्यवहारों की प्रकृति- कम्पनी द्वारा उपगत सभी खर्चे ओआईसी द्वारा वहन किए जाते हैं।
- ख. संविदाओं/समझौतों/संव्यवहारों की अवधि-1973 से
- ग. संविदाओं या समझौतों या संव्यवहारों की मुख्य शर्तें जिनमें मूल्य, यदि कोई हो, भी शामिल है: धारक और

ANNEXURE 'A'

Form No. AOC-2

(Pursuant to clause (h) of sub-section (3) of section 134 of the Act and Rule 8(2) of the Companies (Accounts) Rules, 2014)

Form for disclosure of particulars of contracts/ arrangements entered into by the company with related parties referred to in sub-section (1) of section 188 of the Companies Act, 2013 including certain arms length transactions under third proviso thereto

1. Details of contracts or arrangements or transactions not at arm's length basis - NONE

- (a) Name(s) of the related party and nature of relationship
- (b) Nature of contracts/arrangements/ transactions
- (c) Duration of the contracts / arrangements/ transactions
- (d) Salient terms of the contracts or arrangements or transactions including the value, if any
- (e) Justification for entering into such contracts or arrangements or transactions
- (f) date(s) of approval by the Board
- (g) Amount paid as advances, if any:
- (h) Date on which the special resolution was passed in general meeting as required under first proviso to section 188

2. Details of material contracts or arrangement or transactions at arm's length basis -

- (a) Name(s) of the related party and nature of relationship - THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED, NEW DELHI (OIC -HOLDING COMPANY)
- (b) Nature of contracts/arrangements/ transactions - All the expenses incurred by the Company are borne by OIC
- (c) Duration of the contracts / arrangements/ transactions - SINCE 1973.
- (d) Salient terms of the contracts or



अनुषंगी कम्पनी के बीच संव्यवहार

घ. बोर्ड द्वारा अनुमोदन, यदि कोई हो, की तारीख (खें) :
कोई नहीं

ड. अग्रिम के रूप में अदा की गई राशि, यदि कोई हो:
शून्य। ओआईसी ने दिनांक 31.3.2015 तक खर्चों के
खाते में रु. 5,82,587/- उपगत किए हैं – लेखाओं
पर टिप्पणियों के अनुसार

arrangements or transactions including
the value, if any: TRANSACTIONS BETWEEN
HOLDING & SUBSIDIARY COMPANY

(e) Date(s) of approval by the Board, if any:
NONE

(f) Amount paid as advances, if any: NIL. OIC
has incurred Rs. 5,82,587/- on account of
expenses till 31.3.2015- AS PER NOTES TO
THE ACCOUNTS



फॉर्म संख्या एमजीटी-9

वार्षिक रिटर्न का उद्घरण

दिनांक 31 मार्च, 2015 को समाप्त वित्त वर्ष के अनुसार
(कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 92(3) और कम्पनी
(प्रबंधन और प्रशासन) नियमावलीए 2014 के नियम 12(1)2,

Form No. MGT-9

EXTRACT OF ANNUAL RETURN

as on the financial year ended

on....31/03/2015

[Pursuant to section92(3) of the Companies Act
2013 and rule 12(1) of the
Companies (Management and Administration)
Rules, 2014]

I. पंजीकरण और अन्य विवरणरू

I. REGISTRATION AND OTHER DETAILS:

| | | | |
|------|--|---------------------|--|
| i) | सीआईएन:- CIN :- | | U65921DL1930GOI000216 |
| ii) | पंजीकरण की तारीख Registration Date | | 5/7/1930 |
| iii) | कम्पनी का नाम Name Of The Company | | दि इंडस्ट्रीय क्रेडिट कम्पनी लिमिटेड THE INDUSTRIAL CREDIT COMPANY LIMITED |
| iv) | कम्पनी की श्रेणी/उप-श्रेणी Category/Sub-Category of The Company | | सरकारी कम्पनी GOVERNMENT COMPANY |
| v) | पंजीकृत कार्यालय का पता और सम्पर्क विवरण Address of the Registered office and contact details | | 'ओरिएण्टल हाउस', A-25/27 आसफ अली रोड, दिल्ली-110002 Oriental House, A-25/27 Asaf Ali Road, New Delhi 110002 |
| vi) | क्या सूचीबद्ध कम्पनी है Whether listed company | हां/ नहीं Yes/No | नहीं NO |
| vii) | पंजीयक और अंतरण अभिकर्ता, यदि कोई हो, का नाम, पता और सम्पर्क विवरण Name , Address and Contact details of Registrar and Transfer Agent, if any | | शून्य NIL |

II. कम्पनी की प्रमुख कारोबारी गतिविधियां

कम्पनी की कुल टर्नओवर में 10% या इससे अधिक का योगदान देने वाली सभी कारोबारी गतिविधियों का उल्लेख किया जाएगा।

II. PRINCIPAL BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY

All the business activities contributing 10% or more of the total turnover of the company shall be stated:-

| क्र.सं. Sl No. | मुख्य उत्पादों/सेवाओं का नाम और विवरण Name and Description of main products/services | उत्पाद/सेवा का एनआईसी कोड NIC Code of the Product/service | कम्पनी के कुल टर्नओवर में % % to total turnover of the company |
|----------------------|--|--|---|
| 1 | वित्तीय सेवाएं Financial Services | 6499 | शून्य NIL |



III. धारित, अनुषंगी और सहयोगी कम्पनियों का विवरण .

III. PARTICULARS OF HOLDING, SUBSIDIARY AND ASSOCIATE COMPANIES-

| क्र. सं. S. No. | कम्पनी का नाम और पता Name and Address of The Company | सीआईएन/जीएलएन CIN/GLN | धारित/ अनुषंगी/ सहयोगी Holding/ Subsidiary/ Associate | धारित शेयरों का % % of Shares Held | प्रयोज्य धारा Applicable Section |
|-----------------------|---|--------------------------|--|---|--|
| 1 | दि ओरिएण्टल इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED | U66010DL1947GOI007158 | धारक HOLDING | 100% | धारा 2(46) Sec 2(46) |

IV. शेयर धारिता पद्धति

(कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी का ब्यौरा)

i) श्रेणी-वार शेयर धारिता

IV. SHARE HOLDING PATTERN

(Equity Share Capital Breakup as percentage of Total Equity)

i) Category-wise Share Holding

| शेयरधारकों की श्रेणी Category of Shareholders | वर्ष के प्रारंभ में धारित शेयरों की संख्या No. of Shares held at the beginning of the year | | | | वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या No. of shares held at the end of the year | | | | वर्ष के दौरान परिवर्तन % %Change during the year |
|---|---|----------------------|--------------|-------------------------------------|---|----------------------|--------------|-------------------------------------|--|
| | डीमेट Demat | वास्तविक physical | कुल Total | कुल शेयरों का % % of Total Share | डीमेट Demat | वास्तविक physical | कुल Total | कुल शेयरों का % % of Total Share | |
| क. प्रमोटर A. Promoters | | | | | | | | | |
| (1) भारतीय (1) Indian | | | | | | | | | |
| क) एकल / एचयूएफ a) Individual/HUF | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| ख) केंद्रीय सरकार b) Central Govt. | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| ग) राज्य सरकार (सरकारें) c) State Govt(s) | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| घ) निगमित निकाय d) Bodies Corp. | | 5000 | 5000 | 100 | | 5000 | 5000 | 100 | 0 |



| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|------|------|-----|---|------|------|-----|---|
| ड) बैंक / वित्तीय संस्थान | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| e) Banks/ FI | | | | | | | | | |
| च) कोई अन्य | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| f) Any Other | | | | | | | | | |
| उप-योग (क)(1):- | | 5000 | 5000 | 100 | 0 | 5000 | 5000 | 100 | 0 |
| Sub-total (A) (1):- | | | | | | | | | |
| (2) विदेशी | | | | | | | | | |
| (2) Foreign | | | | | | | | | |
| क) एनआरआई. एकल | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) NRIs- Individuals | | | | | | | | | |
| ख) अन्य-एकल | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) Other-Individuals | | | | | | | | | |
| ग) निगमित निकाय | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) Bodies Corp. | | | | | | | | | |
| घ) बैंक / वित्तीय संस्थान | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d) Banks/ FI | | | | | | | | | |
| ड) कोई अन्य | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e) Any Other.. | | | | | | | | | |
| उप-योग (क)(2):- | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sub-total (A) (2):- | | | | | | | | | |
| प्रमोटरों की कुल शेयरधारिता | | | | | | | | | |
| Total Shareholding of Promoter | | | | | | | | | |
| क = (क) (1)+(क)(2) | | | 5000 | 100 | 0 | 5000 | 5000 | 100 | 0 |
| A= (A) (1)+(A)(2) | | | | | | | | | |
| ख. सार्वजनिक शेयरधारिता | | | | | | | | | |
| B. Public Shareholding | | | | | | | | | |
| 1. संस्थाएं | | | | | | | | | |
| 1. Institutions | | | | | | | | | |
| क) म्युचुअल फंड | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) Mutual Funds | | | | | | | | | |
| ख) बैंक / वित्तीय संस्थान | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) Banks/ FI | | | | | | | | | |
| ग) केंद्रीय सरकार | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) Central Govt | | | | | | | | | |
| घ) राज्य सरकार (सरकारें) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d) State Govt(s) | | | | | | | | | |
| ड) उद्यम पूंजी निधियां | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e) Venture Capital Funds | | | | | | | | | |
| च) बीमा कम्पनियां | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f) Insurance Companies | | | | | | | | | |
| छ) एफआईआई | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g) FII's | | | | | | | | | |
| ज) विदेशी उद्यम पूंजी निधियां | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h) Foreign Venture Capital Funds | | | | | | | | | |
| i) अन्य (विनिर्दिष्ट करें) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i) Others (Specify) | | | | | | | | | |
| उप-योग (ख)(1):- | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sub-total (B) (1):- | | | | | | | | | |
| 2. गैर-संस्थाएं | | | | | | | | | |
| 2. Non-Institutions | | | | | | | | | |



| | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|------|-----|---|------|------|-----|---|
| क) निगमित निकाय | | | | | | | | | | |
| a) Bodies Corp. | | | | | | | | | | |
| i) भारतीय | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i) Indian | | | | | | | | | | |
| ii) पारसमुद्री | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ii) Overseas | | | | | | | | | | |
| | | | 0 | | | | | | | |
| ख) व्यक्तिगत | | | 0 | | | | | | | |
| b) Individuals | | | | | | | | | | |
| | | | 0 | | | | | | | |
| i) रु. 1 लाख तक की सांकेतिक शेयर पूंजी धारित करने वाले एकल शेयरधारक | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i) Individual Shareholders holding nominal share capital upto Rs. 1 Lakh | | | | | | | | | | |
| ii) रु. 1 लाख से अधिक सांकेतिक शेयर पूंजी धारित करने वाले एकल शेयरधारक | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ii) Individual Shareholders holding nominal share capital in excess of Rs. 1 Lakh | | | | | | | | | | |
| | | | 0 | | | | | | | |
| ब) अन्य (विनिर्दिष्ट करें) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) Others (specify) | | | | | | | | | | |
| उप-योग (ख) (2):- | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sub-total (B) (2):- | | | | | | | | | | |
| कुल सार्वजनिक शेयरधारिता | | | | | | | | | | |
| Total Public Shareholding | | | | | | | | | | |
| ख = (ख)(1)+(ख)(2) | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B = (B)(1)+(B)(2) | | | | | | | | | | |
| ग. जीडीआर और एडीआर के लिए कस्टोडियनों द्वारा धारित शेयर | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. SHARES HELD BY CUSTODIAN FOR GDRs & ADRs | | | | | | | | | | |
| कुल योग | | | | | | | | | | |
| GRAND TOTAL | | | | | | | | | | |
| (क+ख+ग) | | | 0 | 5000 | 100 | 0 | 5000 | 5000 | 100 | 0 |
| (A+B+C) | | | | | | | | | | |

ii) Shareholding of Promoters



| | | शेयरों की संख्या No. of Shares | कम्पनी के कुल शेयरों का % % of total Shares of the company | कुल शेयरों में से प्रतिभूत/ ऋणग्रस्त शेयरों का % % of shares Pledged/ encumbered to total shares | शेयरों की संख्या No. of Shares | कम्पनी के कुल शेयरों का % % of total Shares of the company | कुल शेयरों में से प्रतिभूत/ ऋणग्रस्त शेयरों का % % of shares Pledged/ encumbered to total shares | |
|---|---|-----------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|---|---|
| 1 | दि ओरिएण्टल इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड The Oriental Insurance Co Ltd | 5000 | 100 | | 5000 | 100 | | 0 |
| 2 | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| | कुल Total | | | | | | | |

iii) Change in Promoters' Shareholding (Please Specify, if there is no change)

| क्र. सं. SI No. | | वर्ष की शुरुआत में शेयरधारिता Shareholding at the beginning of the year | | वर्ष के दौरान संचित शेयरधारिता Cumulative Shareholding during the year | |
|--------------------|--|--|---|---|---|
| | | शेयरों की संख्या No. of Shares | कम्पनी के कुल शेयरों का % % of Total shares of the company | शेयरों की संख्या No. of Shares | कम्पनी के कुल शेयरों का % % of Total shares of the company |
| | वर्ष की शुरुआत में At the beginning of the year | 5000 | 100% | 5000 | 100% |
| | वृद्धि/कमी के कारणों (अर्थात् आवंटन/अंतरण/बोनस/स्वैट इक्विटी आदि) को विशेष तौर पर दर्शाते हुए वर्ष के दौरान प्रमोटरों की शेयरधारिता में तारीख-वार वृद्धि/कमीरू Date wise increase/Decrease in Promoters Shareholding during the year specifying the reasons for increase/ decrease (e.g. allotment/ transfer/bonus/sweat equity etc): | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | वर्ष के अंत में At the End of the year | 5000 | 100% | 5000 | 100% |



iv) शीर्ष दस शेयरधारकों की शेयरधारिता पद्धति (निदेशकों, प्रमोटर्स और जीडीआर और एडीआर के धारकों को छोड़कर):

iv) Shareholding Pattern of top ten Shareholders (Other than Directors, Promoters and Holders of GDRs and ADRs):

| क्र. सं. SI No. | प्रत्येक 10 शीर्ष शेयरधारकों के लिए For Each of the TOP 10 Shareholders | वर्ष की शुरुआत में शेयरधारिता Shareholding at the beginning of the year | | वर्ष के दौरान संचित शेयरधारिता Cumulative Shareholding during the year | |
|-----------------|---|---|--|--|--|
| | | शेयरों की संख्या No. Of Shares | कम्पनी के कुल शेयरों का % %of total shares of the company | शेयरों की संख्या No. Of Shares | कम्पनी के कुल शेयरों का % %of total shares of the company |
| 1 | नाम Name | दि ओरिएण्टल इंड्योरेंस कम्पनी लिमिटेड THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED | | | |
| | वर्ष की शुरुआत में At the beginning of the year | 5000 | 100 | 5000 | 100 |
| | वृद्धि/कमी के कारणों (अर्थात् आवंटन/अंतरण/बोनस/स्वैट इक्विटी आदि) को विशेष तौर पर दर्शाते हुए वर्ष के दौरान प्रमोटर्स की शेयरधारिता में तारीख-वार वृद्धि/कमी: Date wise Increase/Decrease in Share holding during the year specifying the reasons for increase/decrease(e.g. allotment/transfer/bonus/sweat equity etc): | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | वर्ष के अंत में (या पृथक्करण की तारीख पर, यदि पृथक्करण वर्ष के दौरान हुआ हो) At the End of the year (Or on the date of seperation, if seperated during the year) | 5000 | 100 | 5000 | 100 |

v) निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों (केएमपी) की शेयरधारिता:

v) Shareholding of Directors and Key Managerial Personnel:

| क्र. सं. SI No. | प्रत्येक निदेशक और केएमपी के लिए For Each of the Directors and KMP | वर्ष की शुरुआत में शेयरधारिता Shareholding at the beginning of the year | | Cumulative Shareholding during the year | |
|-----------------|---|---|--|---|--|
| | | शेयरों की संख्या No. Of Shares | कम्पनी के कुल शेयरों का % %of total shares of the company | शेयरों की संख्या No. Of Shares | कम्पनी के कुल शेयरों का % %of total shares of the company |
| | वर्ष की शुरुआत में At the beginning of the year | | | | |



| | | | | |
|--|---|---|---|---|
| वृद्धि/कमी के कारणों (अर्थात् आवंटन/अंतरण/बोनस/स्वैट इक्विटी आदि) को विशेष तौर पर दर्शाते हुए वर्ष के दौरान प्रमोटर्स की शेयरधारिता में तारीख-वार वृद्धि/कमी: Date wise Increase/Decrease in Share holding during the year specifying the reasons for increase/decrease (e.g. allotment/transfer/bonus/sweat equity etc): | 0 | 0 | 0 | 0 |
| वर्ष के अंत में (या पृथक्करण की तारीख पर, यदि पृथक्करण वर्ष के दौरान हुआ हो) At the End of the year (Or on the date of separation, if separated during the year) | | | | |

ऋणग्रस्तता

बकाया/उपचित किंतु भुगतान के लिए अदेय ब्याज सहित कम्पनी की ऋणग्रस्तता

INDEBTEDNESS

Indebtedness of the Company including interest outstanding/ accrued but not due for payment

| | जमा राशियों को छोड़कर प्रत्याभूत ऋण Secured Loans excluding deposits | अप्रत्याभूत ऋण Unsecured Loans | जमा राशियां Deposits | कुल ऋणग्रस्तता Total Indebtedness |
|---|---|---|-------------------------|---|
| वित्त वर्ष के प्रारम्भ में ऋणग्रस्तता Indebtedness at the beginning of the financial year | | | | |
| i) मूल धनराशि i) Principal Amount | | | | 0 |
| ii) देय किंतु अदा न किया गया ब्याज ii) Interest due but not paid | | | | 0 |
| iii) उपचित किंतु अदेय ब्याज iii) Interest accrued but not due | | | | 0 |
| कुल (i+ii+iii) Total (i+ii+iii) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| वित्त वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन Change in indebtedness during the financial year | | | | |
| * जमा * Addition | | | | 0 |
| * घटा * Reduction | | | | 0 |
| निवल परिवर्तन Net Change | 0 | 0 | 0 | 0 |
| वित्त वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता Indebtedness at the end of the financial year | | | | |
| i) मूल धनराशि i) Principal Amount | | | | 0 |
| ii) देय किंतु अदा न किया गया ब्याज ii) Interest due but not paid | | | | 0 |
| iii) उपचित किंतु अदेय ब्याज iii) Interest accrued but not due | | | | 0 |
| कुल (i+ii+iii) Total (i+ii+iii) | 0 | 0 | 0 | 0 |



निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों और/या प्रबंधक का पारिश्रमिक:

REMUNERATION OF DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL

A. Remuneration to Managing Director, Whole-time Directors and/or Manager:

| क्र. सं. SI No. | पारिश्रमिक का विवरण Particulars of Remuneration | प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/प्रबंधक का नाम Name of MD/WTD/Manager | | | | | कुल राशि Total Amount | |
|--------------------|---|---|---|---|---|---|--------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| 1 | सकल वेतन Gross salary | | | | | | | |
| | (क) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन (a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income Tax Act 1961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | (ख) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(2) के अधीन पूर्वापेक्षाओं का मूल्य (b) Value of perquisites u/s 17(2) of the Income Tax Act 1961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | (ग) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(3) के अधीन वेतन के बदले लाभ (c) Profits in lieu of salary u/s 17(3) of the Income Tax Act 1961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | स्टॉक विकल्प Stock Option | | | | | | 0 | |
| 3 | स्वेट इक्विटी Sweat Equity | | | | | | 0 | |
| 4 | कमीशन Commission | | | | | | | |
| | —लाभ के : के तौर पर - as % of Profit | | | | | | 0 | |
| | —अन्य, विनिर्दिष्ट करें - others, specify | | | | | | 0 | |
| 5 | अन्य, कृपया विनिर्दिष्ट करें Others, please specify | | | | | | 0 | |
| | कुल (क) Total (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |



V. अधिनियम के अनुसार सीमा

ख. अन्य निदेशकों का पारिश्रमिक:

V. Ceiling as per the Act

B. Remuneration to Other Directors:

| क्र. सं. SI No. | पारिश्रमिक का विवरण Particulars of Remuneration | प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/प्रबंधक का नाम Name of MD/WTD/Manager | | | | | कुल राशि Total Amount |
|--------------------|---|--|---|---|---|---|--------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | स्वतंत्र निदेशक Independent Directors | | | | | | |
| | 'बोर्ड की समितियों की बैठक में उपस्थित होने के लिए शुल्क *Fee for attending Board committee meetings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *कमीशन *Commission | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 'अन्य, कृपया विनिर्दिष्ट करें *Others, please specify | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | कुल (1) Total (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | अन्य गैर-कार्यपालक निदेशक Other Non-Executive Directors | | | | | | |
| | *बोर्ड की समितियों की बैठक में उपस्थित होने के लिए शुल्क *Fee for attending Board committee meetings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *कमीशन *Commission | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | *अन्य, कृपया विनिर्दिष्ट करें *Others, please specify | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | कुल (2) Total (2) | | | | | | 0 |
| | कुल (ख)=(1+2) Total (B)=(1+2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक Total Managerial Remuneration | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | अधिनियम के अनुसार सीमा Ceiling as per the Act | | | | | | |



VI. ग. प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/प्रबंधक से अन्य प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को पारिश्रमिक
VI. C. Remuneration to Key Managerial Personnel other than MD/Manager/WTD

| क्र. सं. Sl. No. | पारिश्रमिक का विवरण Particulars of Remuneration | प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक Key Managerial Personnel | | | कुल Total |
|---------------------|---|--|-------------------------------------|--------------|--------------|
| | | सीईओ CEO | कम्पनी सचिव COMPANY SECRETARY | सीएफओ CFO | |
| 1 | सकल वेतन Gross salary | | | | |
| | (क) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन (a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income Tax Act 1961 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (ख) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(2) के अधीन पूर्वापेक्षाओं का मूल्य (b) Value of perquisites u/s 17(2) of the Income Tax Act 1961 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (ग) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(3) के अधीन वेतन के बदले लाभ (c) Profits in lieu of salary u/s 17(3) of the Income Tax Act 1961 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | स्टॉक विकल्प Stock Option | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | स्वैट इक्विटी Sweat Equity | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | कमीशन Commission | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | —लाभ के : के तौर पर - as % of Profit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | —अन्य, विनिर्दिष्ट करें - others, specify | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | अन्य, कृपया विनिर्दिष्ट करें Others, please specify | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | कुल (क) Total (A) | 0 | 0 | 0 | 0 |



अधिकारियों की शास्तियां/दंड/कम्पाउंड:

PENALTIES/ PUNISHMENT/ COMPOUNDING OF OFFENCES:

| प्रकार Type | कम्पनी अधिनियम की धारा Section of the Companies Act | संक्षिप्त विवरण Brief Description | लगाई गई शास्तियों/ दंड/ कम्पाउंड शुल्क का ब्यौरा Details of Penalty/ Punishment/ Compounding fee imposed | प्राधिकरण (आरडी/ एनसीएलटी/ न्यायालय) Authority [RD/ NCLT/COURT] | की गई अपील, यदि कोई हो (ब्यौरा दें) Appeal made if any (give Details) |
|---|---|---|--|--|--|
| क. कम्पनी | | | | | |
| A. COMPANY | | | | | |
| शास्ति Penalty | शून्य NIL | शून्य NIL | शून्य NIL | शून्य NIL | शून्य NIL |
| दंड Punishment | शून्य NIL | शून्य NIL | शून्य NIL | शून्य NIL | शून्य NIL |
| जब्ती Compounding | शून्य NIL | शून्य NIL | शून्य NIL | शून्य NIL | शून्य NIL |
| खण निदेशक | | | | | |
| B. DIRECTORS | | | | | |
| शास्ति Penalty | शून्य NIL | शून्य NIL | शून्य NIL | शून्य NIL | शून्य NIL |
| दण्ड Punishment | शून्य NIL | शून्य NIL | शून्य NIL | शून्य NIL | शून्य NIL |
| कम्पाउंडिंग Compounding | शून्य NIL | शून्य NIL | शून्य NIL | शून्य NIL | शून्य NIL |
| ग) अन्य चूककर्ता अधिकारी | | | | | |
| C. OTHER OFFICERS IN DEFAULT | | | | | |
| शास्ति Penalty | शून्य NIL | शून्य NIL | शून्य NIL | शून्य NIL | शून्य NIL |
| दंड Punishment | शून्य NIL | शून्य NIL | शून्य NIL | शून्य NIL | शून्य NIL |
| जब्ती Compounding | शून्य NIL | शून्य NIL | शून्य NIL | शून्य NIL | शून्य NIL |



स्वतंत्र लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन दि इंडस्ट्रियल क्रेडिट कम्पनी लिमिटेड के सदस्यगण वित्तीय विवरणों पर प्रतिवेदन

हमने 'दि इंडस्ट्रियल क्रेडिट कम्पनी लिमिटेड के संलग्न वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षण किया है जिसमें 31 मार्च, 2015 तक का तुलन पत्र और उस समय समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि का विवरण और नकद प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां और अन्य व्याख्यात्मक सूचना का सारांश शामिल है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का दायित्व

कम्पनी का निदेशक मंडल कम्पनी (लेखे) नियमावलीए 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अधीन लेखा मानकों सहित भारत में सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार कम्पनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन और नकद प्रवाहों का सत्य और न्यायोचित अवलोकन देने वाली इन पृथक वित्तीय विवरणिकाओं को तैयार करने के संबंध में समय समय पर यथा संशोधित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5), बीमा अधिनियम, 1938, आईआरडीएआई विनियमावली, 2002 में उल्लिखित मामलों के लिए उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में कम्पनी की परिसम्पत्तियों के संरक्षण के लिए और धोखाधड़ियों तथा अन्य अनियमितताओं के निवारण और पहचान करने; समीचीन लेखाकरण नीतियों के चयन और इन्हें लागू करने; ऐसे निर्णय और प्राक्कलन करने जो कि औचित्यपूर्ण और विवेकपूर्ण हों; और पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों का आरेखन, कार्यान्वयन और अनुरक्षण करने के लिए, जो लेखाकरण अभिलेखों की सटीकता और सक्षमता को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से काम कर रही हों, अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखाकरण अभिलेखों का अनुरक्षण भी शामिल है, जो सत्य और न्यायोचित अवलोकन प्रदान करने वाली वित्तीय विवरणिकाओं की तैयारी और प्रस्तुतिकरण के लिए प्रासंगिक हों और किसी उल्लेखनीय मिथ्या कथन से मुक्त हों, चाहे वह धोखे की वजह से हो या त्रुटि की वजह से हुआ हो।

लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उत्तरदायित्व अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर इन पृथक वित्तीय विवरणिकाओं पर एक मत व्यक्त करना है। हमने अधिनियम के प्रावधानों, और ऐसे लेखाकरण तथा लेखा परीक्षा मानकों का ध्यान रखा है जिन्हें अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत लेखा परीक्षा

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT THE MEMBERS OF THE INDUSTRIAL CREDIT COMPANY LIMITED REPORT ON THE FINANCIAL STATEMENTS

We have audited the accompanying financial statements of The Industrial Credit Company Limited ("the Company"), which comprise the Balance sheet as at March 31, 2015, the Statement of profit and loss account and cash flow statement for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management's Responsibility for the Financial Statements

The Company's Board of Directors is responsible for the matters stated in Section 134(5) of the Companies Act, 2013 ("the Act") with respect to the preparation and presentation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Company in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding the assets of the Company and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We have taken into account the provisions of the Act, the accounting and auditing standards and matters which are required to be included in the audit report under the provisions of the Act and the Rules made thereunder.



प्रतिवेदन में भामिल किया जाना अपेक्षित है।

हमने अपनी लेखा परीक्षा अधिनियम की धारा 143(10) के अधीन विनिर्दिष्ट लेखा परीक्षा संबंधी मानकों के अनुसार की है। इन मानकों में अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं और योजना का अनुपालन करें और यह औचित्यपूर्ण आश्वस्त प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षा निष्पादित करें कि क्या ये वित्तीय विवरणिकाएं महत्वपूर्ण मिथ्या कथन से मुक्त हैं।

एक लेखा परीक्षा में वित्तीय विवरणिकाओं में निहित राशि और प्रकटीकरणों के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रियाएं निष्पादित करना भामिल होता है। चुनी गई प्रक्रियाएं लेखा परीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिनमें वित्तीय विवरणिकाओं में उल्लेखनीय मिथ्या कथन का आकलन किया जाना भामिल है, चाहे वह धोखे की वजह से हो या त्रुटि की वजह से हुआ हो। वे जोखिम आकलन करते समय, लेखा परीक्षक कम्पनी की सत्य और न्यायोचित अवलोकन देने वाली वित्तीय विवरणिकाओं की तैयारी से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर विचार करता है ताकि ऐसी लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं तैयार की जा सकें जो उन परिस्थितियों में समीचीन हों। एक लेखा परीक्षा में कम्पनी के निदेशकों द्वारा प्रयुक्त लेखाकरण नीतियों की उपयुक्तता तथा तैयार किए गए लेखाकरण प्राक्कलों के औचित्य का मूल्यांकन करने के साथ साथ वित्तीय विवरणिकाओं के समग्र प्रस्तुतिकरण का मूल्यांकन किया जाना भी भामिल होता है।

हमारा विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त किया गया लेखा परीक्षा साक्ष्य पृथक वित्तीय विवरणिकाओं पर हमारे लेखा परीक्षा मत के लिए आधार मुहैया कराने के लिए पर्याप्त और समीचीन है।

मत

हमारे मत में और हमारी सर्वोत्तम सूचना में और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपरोक्तलिखित पृथक वित्तीय विवरणिकाएं अधिनियमद्वारा अपेक्षित दिनांक 31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार कम्पनी की हालत और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए इसके नकद प्रवाह के बारे में सूचना इस प्रकार अपेक्षित तरीके से और भारत में सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुरूप प्रदान करती हैं।

महत्वपूर्ण मामले

वित्तीय विवरणों की टिप्पणी II (क) (2) जिसमें इंगित किया गया है कि कम्पनी को संचित हानियां हुई हैं और इसके निवल मूल्य का पूर्णतया क्षय हो चुका है, कम्पनी को चालू और विगत वर्ष (वर्षों) के दौरान निवल हानि/निवल नकद हानि हुई है,

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing specified under Section 143(10) of the Act. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and the disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal financial control relevant to the Company's preparation of the financial statements that give a true and fair view in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on whether the Company has in place an adequate internal financial controls system over financial reporting and the operating effectiveness of such controls. An audit also included evaluating the appropriateness of the accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by the Company's Directors, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the financial statements.

Opinion

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid financial statements give the information required by the Act in the manner so required and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India, of the state of affairs of the Company as at 31 March 2015 and its loss and its cash flows for the year ended on that date.

Emphasis of Matters

Note II (a) (2) in the financial statements which indicate that the Company has accumulated losses and its



कम्पनी की चालू देनदारियां तुलन पत्र में दिए अनुसार इसकी चालू परिसम्पत्तियों से अधिक हो चुकी हैं। ये स्थितियां एक ठोस अनिश्चितता की ओर इंगित करती हैं जो कम्पनी की एक सुनाम प्रतिष्ठान के रूप में जारी रहने की क्षमता पर अत्यधिक संदेह उत्पन्न करती है। बहरहाल, कम्पनी के वित्तीय विवरण उक्त टिप्पणी में दिए गए कारणों के आधार पर एक सुनाम प्रतिष्ठान के आधार पर तैयार किए गए हैं। हमारा मत इसके लिए अर्हत नहीं है।

अन्य विधिक और विनियामक अपेक्षाओं पर प्रतिवेदन

1. जैसा कि अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (11) के अनुसार केंद्रीय सरकार द्वारा जारी कम्पनी (लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन) आदेश 2015 ('आदेश') द्वारा अपेक्षित है, हम प्रयोज्य सीमा तक उक्त आदेश के पैरा 3 और 4 में विनिर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण संलग्न में दे रहे हैं।
2. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने कम्पनी अधिनियम की धारा 143 (5) के अधीन निदेश/उप निदेश जारी किए हैं, जिनका विवरण अनुबंध I और II में दिया गया है।
3. जैसा कि अधिनियम की धारा 143 (3) द्वारा अपेक्षित है, हम सूचित करते हैं कि:
 - क. हमने वह सब सूचना और स्पष्टीकरण मांगे हैं और प्राप्त किए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजनों हेतु आवश्यक थे
 - ख. हमारे मत में, विधि द्वारा यथोपेक्षित उपयुक्त लेखा पुस्तिकाएं कम्पनी द्वारा रखी गई हैं जहां तक उन पुस्तिकाओं की हमारी जांच से प्रतीत होता है;
 - ग. इस प्रतिवेदन में जिन तुलन पत्र और लाभ हानि विवरणिका का उपयोग किया गया है वे लेखा पुस्तिकाओं के अनुरूप हैं;
 - घ. हमारे मतानुसार, उपर्युक्त पृथक वित्तीय विवरणिकाएं कम्पनी (लेखे) नियमावली 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 का अनुपालन करती हैं;
 - ड. उपर्युक्त पैरा 'महत्वपूर्ण मामले' के तहत सुनाम प्रतिष्ठान वाले मामले का, हमारे मतानुसार, कम्पनी के कामकाज पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं हो सकता।

net worth has been fully eroded, the Company has incurred a net loss/net cash loss during the current and previous year(s) and, the Company's current liabilities exceeded its current assets as at the balance sheet date. These conditions indicate the existence of a material uncertainty that may cast significant doubt about the Company's ability to continue as a going concern. However, the financial statements of the Company have been prepared on a going concern basis for the reasons stated in the said Note. Our opinion is not qualified for the same.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

1. As required by the Companies (Auditor's Report) Order, 2015 ("the Order") issued by the Central Government of India in terms of sub-section (11) of section 143 of the Act, we give in the Annexure a statement on the matters specified in the paragraph 3 and 4 of the Order, to the extent applicable.
2. The C & A G of India has issued directions/ sub directions under section 143 (5) of the Companies Act, compliance of which are set out in Annexure I and II.
3. As required by section 143 (3) of the Act, we report that:
 - a. we have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit.
 - b. in our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Company so far as appears from our examination of those books.
 - c. the Balance Sheet and the Statement of Profit and Loss dealt with by this report are in agreement with the books of account.
 - d. In our opinion, the aforesaid financial statements comply with the Accounting Standards specified under section 133 of the Act, read with Rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014;



च. दिनांक 31मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार निदेशक मंडल द्वारा रिकॉर्ड में लिए गए निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यावेदनों के आधार पर, कोई भी निदेशक 31मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार अधिनियम की धारा 164 (2) के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए अयोग्य नहीं है;

छ. जहां तक कम्पनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षकद्वारा नियम 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों का संबंध है, हमारे मतानुसार और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:

- i. कम्पनी ने अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकद्दमेबाजियों के प्रभाव का प्रकटीकरण अपने वित्तीय विवरणों में कर दिया है – कृपया वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी II (क) (2) देखें।
- ii. कम्पनी ने महत्वपूर्ण अनुमान्य हानियों के लिए प्रयोज्य विधि या लेखाकरण मानकों के अधीन यथोपेक्षित, प्रावधान किए हैं। कम्पनी की व्युत्पन्न संविदाओं सहित दीर्घावधिक संविदाओं पर कोई महत्वपूर्ण अनुमान्य हानि नहीं थी, जिनके लिए कोई कोई महत्वपूर्ण अनुमान्य हानियां थीं।
- iii. ऐसी कोई धनराशियां नहीं थीं जिन्हें कम्पनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि में अंतरित किया जाना अपेक्षित हो।

कृते **चतुर्वेदी एंड पार्टनर्स**

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

कम्पनी पंजीकरण संख्या छवण 307068E

अनुज महानसरिया

भागीदार

सदस्यता संख्या 500819

e. The going concern matter described under the Emphasis of Matters paragraph above, in our opinion, may not have an adverse effect on the functioning of the Company.

f. on the basis of the written representations received from the directors as on 31 March 2015 taken on record by the Board of Directors, none of the directors is disqualified as on 31 March 2015 from being appointed as a director in terms of Section 164 (2) of the Act;

g. with respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us:

- i. the Company has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in its financial statements - Refer Note II (a) (1) to the financial statements;
- ii. the Company has made provision, as required under the applicable law or accounting standards for material foreseeable losses. The Company did not have any long-term contracts including derivative contracts for which there were any material foreseeable losses
- iii. there were no amounts which were required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund by the Company.

For **Chaturvedi & Partners**

Chartered Accountants

Firm Registration No. 307068E

Anuj Mahansaria

Partner

membership No. 500819



दिनांक 31मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए द ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड की वित्तीय विवरणिकाओं पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (4) के साथ पठित धारा 143 (6) (ख) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां

विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (बीमा कम्पनियों की वित्तीय विवरणिका और लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की तैयारी) विनियमावली, 2002 और कम्पनी अधिनियम, 2013 के साथ पठित बीमा अधिनियम, 1938 के अधीन निर्धारित किए गए वित्तीय प्रतिवेदन प्रारूप के अनुसार दिनांक 31मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए द ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड की वित्तीय विवरणिकाओं को तैयार करना कम्पनी के प्रबंधन का दायित्व है। अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 139(5) के अधीन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा 143(10) के अधीन निर्धारित लेखा परीक्षण पर मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित 143 के अंतर्गत वित्तीय विवरणिकाओं पर मत व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी हैं। यह कार्य उनके द्वारा दिनांक 15 मई 2015 के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के द्वारा किया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 129(4) के साथ पठित 143(6)(क) के अंतर्गत दिनांक 31मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड की वित्तीय विवरणिकाओं की अनुपूरक लेखापरीक्षा की है। हमने दिनांक 31मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड की वित्तीय विवरणिकाओं की अनुपूरक लेखापरीक्षा की है, किंतु उस तारीख का समाप्त वर्ष के लिए दि इंडस्ट्रियल क्रेडिट कम्पनी लिमिटेड और हैल्थ इंश्योरेंस टीपीए ऑफ इंडिया लिमिटेड की वित्तीय विवरणिकाओं की अनुपूरक लेखा परीक्षा नहीं की है। यह अनुपूरक लेखा परीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षक के कार्यशील दस्तावेजों तक पहुँच के बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और यह मुख्यतः सांविधिक लेखा परीक्षकों और कम्पनी कार्मिकों की जांचों और कुछ लेखाकरण अभिलेखों की चुनी हुई जांच तक सीमित है।

अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर, मेरी जानकारी में ऐसा कुछ उल्लेखनीय नहीं आया है जिससे सांविधिक लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन पर या इसके अनुपूरण में कोई टिप्पणी उत्पन्न होती हो।

कृते और

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की ओर से

(सुपर्णा देव)

प्रधान वाणिज्यिक लेखापरीक्षा निदेशक
एवं पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड—।।
नई दिल्ली

स्थान: नई दिल्ली
तारीख: 15.07.2015



COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6) (b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF THE INDUSTRIAL CREDIT COMPANY LIMITED FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2015.

The preparation of financial statements of The Industrial Credit Company Limited for the year ended 31 March 2015 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 is the responsibility of the management of the Company. The statutory auditor appointed by the Comptroller and Auditor General of India under Section 139(5) of the Act is responsible for expressing opinion on the financial statements under section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 08 June 2015.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India have decided not to conduct the supplementary audit of the financial statements of The Industrial Credit Company Limited for the year ended 31 March 2015 and as such have no comments to make under section 143(6)(b) of the Act.

**For and on the behalf of the
Comptroller & Auditor General of India**

**(Suparna Deb)
Principal Director of Commercial Audit
& Ex-officio Member, Audit Board-II,
New Delhi**

**Place: New Delhi
Date: 13.07.2015**



31 मार्च, 2015 को तुलनपत्र
द इन्डस्ट्रियल क्रेडिट कम्पनी लिमिटेड
THE INDUSTRIAL CREDIT COMPANY LIMITED
BALANCE SHEET AS AT MARCH 31, 2015

(वास्तविक / Actual)

| | विवरण Particulars | टिप्पणी सं. Note No. | 31 मार्च, 2015 को As at March 31, 2015 | 31 मार्च, 2014 को As at March 31, 2014 |
|-----|---|-------------------------|--|--|
| I | इक्विटी एवं देयताएं EQUITY AND LIABILITIES | | | |
| 1 | शेयरधारकों की निधियां Shareholders' Funds | | | |
| | (क) शेयर पूंजी (a) Share Capital | 2 | 500,000 | 500,000 |
| | (ख) आरक्षितियां और अधिशेष (b) Reserves and Surplus | 3 | (667,849) | (651,960) |
| 3 | चालू देयताएं Current Liabilities | | | |
| | (क) अल्पावधिक उधार (a) Short-term Borrowings | 4 | 582,587 | 543,882 |
| | (ख) अन्य चालू देयताएं (b) Other Current Liabilities | 5 | 18,487 | 13,485 |
| | कुल Total | | 433,225 | 405,407 |
| II. | परिसंपत्तियां Assets | | | |
| 2 | चालू परिसंपत्तियां Current Assets | | | |
| | (क) कारोबार प्राप्य (a) Trade Receivables | 6 | - | - |
| | (ख) नकद एवं नकद समतुल्य (b) Cash and Cash Equivalents | 7 | 433,225 | 402,125 |
| | (ग) अन्य चालू परिसंपत्तियां (c) Other Current Assets | 8 | - | 3,282 |
| | कुल Total | | 433,225 | 405,407 |
| | वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न टिप्पणियां Accompanying notes on the Financial Satatments | 1 | | |



| विवरण Particulars | टिप्पणी सं. Note No. | 31 मार्च, 2015 को As at March 31, 2015 | 31 मार्च, 2014 को As at March 31, 2014 |
|---|-------------------------|--|--|
| हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार As per our report of even date attached. | | | |
| वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न टिप्पणियां Accompanying notes on the Financial Satatments | 1 | | |

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date attached.

कृते चतुर्वेदी एंड पार्टनर्स

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

कंपनी पंजीकरण संख्या 307068E

For CHATURVEDI & PARTNERS.

Chartered Accountants

Firm Registration No. 307068E

स्थान: नई दिल्ली

Place: New Delhi

दिनांक: 11.05.2015

Date: 11.05.2015

बोर्ड की ओर से

FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD

कुलदीप सिंह

निदेशक

Kuldip Singh

Director

पी. सेंथिल कुमार

निदेशक

P. Senthil Kumar

Director

ए.के. मित्तल

निदेशक

A.K. Mittal

Director



31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि विवरण

द इंडस्ट्रियल क्रेडिट कम्पनी लिमिटेड

THE INDUSTRIAL CREDIT COMPANY LIMITED

STATEMENT OF PROFIT AND LOSS FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2015

(वास्तविक / Actual)

| | विवरण Particulars | टिप्पणी सं. Note No. | 31 मार्च, 2015 को As at March 31, 2015 | 31 मार्च, 2014 को As at March 31, 2014 |
|-----|---|-------------------------|---|---|
| I | आय Income | 8 | 27,818 | 7,283 |
| II | व्यय: Expenses: | | | |
| | अन्य व्यय Other Expenses | 9 | 43,707 | 28,845 |
| | कुल व्यय Total Expenses | | 43,707 | 28,845 |
| III | असाधारण मदों से पूर्व लाभ / (हानि), पूर्वावधि की मदें और कर Profit/(Loss) before Extraordinary items, Prior Period Items and Tax | | (15,889) | (21,562) |
| | जोड़ें / (घटाएं): असाधारण मदें, पूर्वावधि की मदें और कर और व्यय Add/ (Less): Extra ordinary items, Prior Period Item and Tax Expenses | | - | - |
| IV | कर पूर्व लाभ / (हानि) Profit/ (Loss) before tax | | (15,889) | (21,562) |
| V | कर व्यय Tax Expense | | | |
| | निवल चालू कर Net Current Tax | | - | - |



| विवरण Particulars | टिप्पणी सं. Note No. | 31 मार्च, 2015 को As at March 31, 2015 | 31 मार्च, 2014 को As at March 31, 2014 |
|---|-------------------------|---|---|
| VI वर्ष के लिए लाभ/(हानि) Profit/(Loss) for the year | | (15,889) | (21,562) |
| आय प्रति इक्विटी शेयर: Earning per equity share: | | | |
| मूल Basic | | (3.18) | (4.31) |
| विरलित Diluted | | (3.18) | (4.31) |
| वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न टिप्पणियां Accompanying notes on the Financial Statements | 1 | | |

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date attached.

कृते चतुर्वेदी एंड पार्टनर्स

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स

कंपनी पंजीकरण संख्या 307068E

For CHATURVEDI & PARTNERS.

Chartered Accountants

Firm Registration No. 307068E

स्थान: नई दिल्ली

Place: New Delhi

दिनांक: 11.05.2015

Date: 11.05.2015

बोर्ड की ओर से

FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD

कुलदीप सिंह

निदेशक

Kuldip Singh

Director

पी. सेंथिल कुमार

निदेशक

P. Senthil Kumar

Director

ए.के. मित्रल

निदेशक

A.K. Mittal

Director



टिप्पणियां: 1 वित्तीय विवरणों के साथ संलग्न टिप्पणियां:

I. महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां

क. वित्तीय विवरणों को तैयार करने का आधार:

ये वित्तीय विवरण प्राप्ति आधार पर ऐतिहासिक लागत अभिसमय के अधीन भारत में सामान्य तौर पर स्वीकृत सिद्धांतों के अनुसार तैयार किए जाते हैं, ऐसी कतिपय मूर्त परिसंपत्तियों को छोड़कर, जिने विवरण पुनःमूल्यांकित अलेखों पर तैयार किए जा रहे हैं। कंपनी अधिनियम (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठनीय कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अनुसरण में, केंद्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय वित्तीय सूचना प्राधिकरण के परामर्श और सिफारिशों पर कोई परिशिष्ट या लेखा मानक निर्धारित किए जाने तक, कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन अधिसूचित मौजूदा लेखा मानक लागू होते रहेंगे।

परिणामस्वरूप, ये वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 211(3ग) खकंपनी (लेखाकरण मानक) नियम, 2006, यथा संशोधित, तथा अन्य संबंधित प्रावधानों के अधीन अधिसूचित लेखाकरण मानकों का सभी महत्वपूर्ण पहलुओं की दृष्टि से अनुपालन करने के लिए तैयार किए गए हैं।

सभी परिसंपत्तियों और देयताओं को कंपनी के सामान्य प्रचालन चक्र और कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 111 में निर्धारित अन्य मापदंडों के अनुसार चालू या गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है। उत्पादों के प्रकृति और उन्हें संसाधित करके नकद और नकद समतुल्य के रूप में नकदीकरण किया जाने के लिए इनके अधिग्रहण के बीच अवधि के आधार पर, कंपनी ने परिसंपत्तियों और देयताओं के चालू-गैर-चालू में वर्गीकरण के उद्देश्य के लिए अपना प्रचालन चक्र 12 महीने के रूप में निश्चित किया है।

ख. राजस्व की स्वीकृति:

सवधि जमा पर ब्याज को प्राप्ति आधार पर स्वीकृति दी गई है और इन्हें प्राप्त किया जाना निश्चित है।

ग. कराधान:

क) चालू कर

चालू कर के लिए प्रावधान आय कर अधिनियम, 1961 के अधीन अनुमेय लाभों को ध्यान में रखते हुए अनुमानित कर देयता के आधार पर किया गया है।

ख) आस्थगित कर

भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान द्वारा जारी लेखाकरण

NOTES: 1 ACCOMPANYING NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS:

I. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Basis of preparation of Financial Statements:

These financial statements have been prepared in accordance with the generally accepted accounting principles in India under the historical cost convention on accrual basis, except for certain tangible assets which are being carried at revalued amounts. Pursuant to section 133 of the Companies Act, 2013 read with rule 7 of the Companies (Accounts) Rules, 2014, till the standard of accounting or any addendum thereto are prescribed by Central Government in consultation and recommendation of the National Financial Reporting Authority, the existing accounting standards notified under the Companies Act, 1956 shall continue to apply.

Consequently, these financial statements have been prepared to comply in all material aspects with the accounting standards notified under Section 211(3C) [Companies (Accounting Standards) Rules, 2006, as amended] and the other relevant provisions of the Companies Act, 2013.

All assets and liabilities have been classified as current or non-current as per the Company's normal operating cycle and other criteria set out in the Schedule III to the Companies Act, 2013. Based on the nature of products and the time between the acquisition of assets for processing and their realization in cash and cash equivalents, the Company has ascertained its operating cycle as 12 months for the purpose of current – non-current classification of assets and liabilities.

b. Revenue Recognition:

Interest on term deposit is recognised on the accrual basis and certain to received.

c. Taxation:

a) Current Tax

Provision for current tax is made on the basis of the estimated tax liability after considering benefits admissible under



मानक 22 – आय पर करों के लिए लेखाकरण के अनुसार, वर्ष के लिए बही और कर लाभों के बीच कालांतरों के लिए आस्थगित कर का लेखाकरण उन कर दरों और विधियों का इस्तेमाल करके किया जाता है जिन्हें तुलनपत्र की तारीख का अधिनियमित या वस्तुतः अधिनियमित किया जा चुका हो।

अस्थायी कालांतरों से उत्पन्न होने वाली आस्थगित कर परिसंपत्तियों को उस सीमा तक स्वीकृति दी जाती है जहां तक इस बात की औचित्यपूर्ण निश्चितता हो कि परिसंपत्तियों का भविष्य में नकदीकरण कद दिया जाएगा।

घ. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां

जिन प्रावधानों के मापन में उल्लेखनीय स्तर तक अनुमान निहित हो, उन्हें तब स्वीकृति दी जाती है जब गत घटनाओं के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान बाध्यता हो और यह संभावना हो कि संसाधनों का बहिर्प्रवाह होगा।

ङ. आय प्रति शेयर – ईपीएस

कंपनी की ईपीएस के लिए जिस आय पर विचार किया जाता है उसमें इक्विटी शेयरधारकों को अभिदेय कर-पश्चात निवल लाभ शामिल होता है (और किसी भी अतिरिक्त मद का कर-पश्चात प्रभाव) शामिल होता है। मूल ईपीएस की गणना में प्रयुक्त शेयरों की संख्या वर्ष के दौरान बकाया शेयरों की औसत भारित संख्या होती है। विरलित ईपीएस की गणना, संभावित विरलक इक्विटी शेयरों के समायोजन के पश्चात, मूल ईपीएस के समान की जाती है।

I. लेखाकरण पर टिप्पणियां

क. आकस्मिक देयताएं:

1. कंपनी के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण नहीं माना गया रु. 91,28,631/- (गत वर्ष रु. 8727900/-)

टिप्पणी: एक पूर्व पार्टी मध्यस्थता निर्णय दिनांक 6 मई, 1999 को मैसर्स सरस्वती वार्षेय (सुपुत्री स्वर्गीय श्रीमती रमा देवी वार्षेय) के पक्ष में पारित किया गया था जो कि 20 अगस्त, 1999 को न्यायालय का नियम (पूर्व पार्टी स्वर्गीय रमा देवी वार्षेय के मूल आदेश मुकदमा संख्या 277/71 के अंतर्गत) बन गया और कंपनी के विरुद्ध 30,82,541.82 रुपए के लिए एक आधिकारिक आदेश

Income Tax Act, 1961

b) Deferred Taxes

In accordance with Accounting Standard 22- Accounting for Taxes on Income, issued by The Institute of Chartered Accountants of India, the deferred tax for timing differences between the book and tax profits for the year is accounted by using the tax rates and laws that have been enacted or substantially enacted as of the balance sheet date.

Deferred Tax Assets arising from temporary timing differences are recognized to the extent there is reasonable certainty that the assets can be realized in future.

d. Provisions , Contingent liabilities and Contingent assets

Provisions involving substantial degree of estimation in measurement are recognized when there is a present obligation as a result of past events and are probable that there will be an outflow of resources.

e. Earning Per Share

The earning considered in ascertaining the Company EPS comprises the net profit after tax (and include the post-tax effect of any extra ordinary items) attributable to equity shareholders. The number of shares used in computing Basic EPS is the weighted average number of shares outstanding during the year. The diluted EPS is calculated on the same as basic EPS, after adjusting for the effect of potential dilutive equity shares.

I. NOTES TO ACCOUNT

a. Contingent Liabilities:

1. Claims against the Company not acknowledged as debts Rs. 91,28,631/- (Previous year Rs. 8727900/-).

Note: An ex-party arbitration award dated May 06, 1999 was passed in favour of M/s Saraswati Varshney (daughter of Late Smt. Rama Devi Varshney), which made a rule of court on August 20, 1999 (vide original order suit no. 277/71 of ex-party Late Smt. Rama Devi Varshney) and a



अर्थात् डिग्री जारी किया गया था। डिग्री धारक ने 3 मार्च, 2000 के पश्चात निर्णीत राशि पर 13 प्रतिशत वार्षिक की दर से भावी ब्याज के साथ उपर्युक्त राशि की वसूली के लिए एक निष्पादन मामला संख्या 11/2000 दायर कर दिया। इसके बाद कंपनी ने इस मांग का विरोध किया और वर्तमान समय में यह मामला द्वितीय अतिरिक्त दीवानी न्यायाधीश, अलीगढ़ के समक्ष लंबित है।

decree for Rs. 30,82,541.82 was passed against the Company. An execution case bearing no. 11/2000 has filed by the decree holder for recovery of the aforesaid amount along with future interest @ 13% p.a. on the awarded amount after March 03, 2000. Further, the company has contested the demand and at present the case is pending before IInd Additional Civil Judge, Aligarh.

ख. लेखा परीक्षकों को भुगतान

(वास्तविक)

| विवरण | मार्च 31, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए | मार्च 31, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| (i) लेखापरीक्षा शुल्क | 12,000* | 12,000 |

*सेवा कर के अतिरिक्त

ग. संबंधित पक्ष संव्यवहार

धारक कंपनी: दि ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

(वास्तविक)

| विवरण | मार्च 31, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए | मार्च 31, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 संव्यवहार धारक कंपनी से ऋण उपगत व्ययों का वहन धारक कंपनी "दि ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड" द्वारा किया जाता है | 38,705 | 26,296 |
| 2 अंतिम शेष | 5,82,587 | 5,43,882 |

घ. प्रति शेयर आय (ईपीएस)

(वास्तविक)

| विवरण | मार्च 31, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए | मार्च 31, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए |
|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| वर्ष के लिए लाभ/(हानि) (क) | (15889) | (21,562) |
| इक्विटी शेयरों की संख्या (ख) | 5000 | 5000 |
| लाभ प्रति शेयर (क/ख) | 3.18 | (4.31) |

b. Payment to Auditors

(Actual)

| Particulars | For the year ended March 31, 2015 | For the year ended March 31, 2014 |
|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| (i) Audit Fee | 12,000* | 12,000 |

*Exclusive of service tax

C. Related Party Transaction

Holding Company: The Oriental Insurance Co. Ltd

(Actual)

| Particulars | For the year ended March 31, 2015 | For the year ended March 31, 2014 |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 Loan from Holding Company Expenses Incurred are borne by the holding Company "The Oriental Insurance Co. Ltd." | 38,705 | 26,296 |
| 2 Closing balance; | 5,82,587 | 5,43,882 |

d. Earning Per Share (EPS)

(Actual)

| Particulars | For the year ended March 31, 2015 | For the year ended March 31, 2014 |
|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Profit/(Loss) for the year(A) | (15889) | (21,562) |
| Number of Equity Shares (B) | 5000 | 5000 |
| Profit Per Share (A/B) | 3.18 | (4.31) |



- ड. निदेशकों द्वारा बोर्ड की बैठक में उपस्थित होने के लिए उपस्थिति शुल्क का दावा छोड़ दिया गया है।
- च. कर्जदार पर 37,973 करोड़ रुपए की बकाया राशि पर ब्याज का हिसाब नहीं दिया गया है क्योंकि बकाया राशि को संदिग्ध कर्ज के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- छ. हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम के अधीन पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं के प्रति कंपनी की कोई देयता नहीं है।
- ज. जहां कहीं आवश्यक हुआ है, गत वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूह, पुनः व्यवस्थित और पुनःवर्गीकृत किया गया है।
- e. The directors have waived the sitting fee for attending the Board Meeting.
- f. Interest on outstanding amount of Rs. 37,973 with the debtor has not been accounted for since the outstanding amount has been classified as doubtful debt.
- g. According to the information and explanations given to us, the Company has no due to suppliers registered under Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006.
- h. Previous year's figure have been regrouped, rearranged and reclassified wherever necessary.

हमारी इसी तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date attached.

कृते चतुर्वेदी एंड पार्टनर्स
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
कंपनी पंजीकरण संख्या 307068E
For CHATURVEDI & PARTNERS.
Chartered Accountants
Firm Registration No. 307068E

बोर्ड की ओर से
FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD

कुलदीप सिंह
निदेशक
Kuldip Singh
Director

पी. सेंथिल कुमार
निदेशक
P. Senthil Kumar
Director

ए.के. मित्रल
निदेशक
A.K. Mittal
Director

स्थान: नई दिल्ली
Place: New Delhi
दिनांक: 11.05.2015
Date: 11.05.2015



द इन्डस्ट्रियल क्रेडिट कम्पनी लिमिटेड
तुलन पत्र मार्च 31, 2015 का हिस्सा बनने वाले नोट्स
THE INDUSTRIAL CREDIT COMPANY LIMITED

NOTES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT MARCH 31,2015

(वास्तविक / Actual)

| | 31 मार्च, 2015 को As at March 31,2015 | 31 मार्च, 2014 को As at March 31,2014 |
|--|---|---|
| टिप्पणी - 2 शेयर पूंजी Note-2 Share Capital | | |
| प्राधिकृत Authorised | | |
| 100 / - रुपए प्रत्येक के 10000 (गत वर्ष 10000) इक्विटी शेयर 10000 (Previous Year 10000) Equity Shares of ₹100/- each | 1,000,000 | 1,000,000 |
| जारी किए गए Issued | | |
| 100 / - रुपए प्रत्येक के 5050 (5050) इक्विटी शेयर 5050(5050) Equity Shares of Rs. 100/- | 505,000 | 505,000 |
| अभिदत्त एवं प्रदत्त Subscribed and Paid-up | | |
| 100 / - रुपए प्रत्येक के 5000 (5000) इक्विटी शेयर 5000(5000) Equity Shares of Rs. 100/- | | |
| प्रत्येक पूर्णतः प्रदत्त शेयर (उपर्युक्त शेयरों में से 5000 (5000) धारक कंपनी तथा इसके नामांकित निदेशकों द्वारा धारित किए जाते हैं each fully paid up (of the above Shares, 5000 (5000) Equity Shares are held by Holding Company & its nominee Directors) | 500,000 | 500,000 |
| कुल Total | 500,000 | 500,000 |



(वास्तविक / Actual)

| शेयरों की संख्या का समाधान Reconciliation of Number of Shares | | |
|--|---|---|
| | 31 मार्च, 2015 को As at March 31,2015 | 31 मार्च, 2014 को As at March 31,2014 |
| इक्विटी शेयर: Equity Shares: | | |
| वर्ष के प्रारंभ में शेष Balance at the beginning of the year | 5,000 | 5,000 |
| जोड़ें: जारी किए गए शेयरों की संख्या Add: Number of Shares Issued | - | - |
| वर्ष के अंत में शेष Balance at the end of the year | 5,000 | 5,000 |
| कंपनी के पूर्णयोग शेयरों के 5 प्रतिशत से अधिक धारित करने वाले शेयरधारकों के धारित शेयरों का ब्यौरा Details of shares held of shareholders holding more than 5% of the aggregate shares in the Company | | |

(वास्तविक / Actual)

| नाम Name | 31 मार्च, 2015 को As at March 31,2015 | 31 मार्च, 2014 को As at March 31,2014 |
|---|---|---|
| इक्विटी शेयर: Equity Shares: | | |
| दि ओरिएण्टल इश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड (धारक कंपनी) और इसके नामांकित निदेशक The Oriental Insurance Company Limited (Holding Company) & its nominee directors | 5000 (100%) | 5000 (100%) |
| टिप्पणी:3: आरक्षितियां एवं अधिशेष Note-3: Reserves & Surplus | | |
| लाभ हानि विवरण में अधिशेष / (न्यूनता) Surplus/(Deficit) in Statement of Profit & Loss | | |
| वर्ष के प्रारंभ में as at the beginning of the year | (651,960) | (630,398) |
| जोड़ें: वर्ष के लिए निवल हानि Add: Net Loss for the year | (15,889) | (21,562) |
| वर्ष के अंत में शेष Balance as at the end of the year | (667,849) | (651,960) |
| कुल Total | (667,849) | (651,960) |

कुलदीप सिंह
निदेशक
Kuldip Singh
Director

पी. सेंथिल कुमार
निदेशक
P. Senthil Kumar
Director

ए.के. मित्रल
निदेशक
A.K. Mittal
Director



दि इंडस्ट्रीयल क्रेडिट कंपनी लिमिटेड
31 मार्च 2015 को तुलनपत्र का भाग बनाने वाली टिप्पणियां
THE INDUSTRIAL CREDIT COMPANY LIMITED
NOTES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT MARCH 31,2015

| | (वास्तविक / Actual) | |
|---|---|---|
| | 31 मार्च, 2015 को As at March 31,2015 | 31 मार्च, 2014 को As at March 31,2014 |
| टिप्पणी-4: अल्पावधिक उधार Note-4 : Short Term Borrowings | | |
| अप्रत्याभूत ऋण: Unsecured Loan: | | |
| - 'धारक कंपनी "द ओरिएंटल इंड्योरेंस कंपनी लिमिटेड" - From the Holding Company " The Oriental Insurance Company" | 582,587 | 543,882 |
| कुल Total | 582,587 | 543,882 |
| टिप्पणी-5: अन्य चालू देयताएं Note-5 : Other Current Liabilities | | |
| अन्य देय Other payables | 18,487 | 13,485 |
| | 18,487 | 13,485 |

दि इंडस्ट्रीयल क्रेडिट कंपनी लिमिटेड
31 मार्च 2015 को तुलनपत्र का भाग बनाने वाली टिप्पणियां
THE INDUSTRIAL CREDIT COMPANY LIMITED
NOTES FORMING PART OF THE BALANCE SHEET AS AT MARCH 31,2015

| | (वास्तविक / Actual) | |
|---|---|---|
| | 31 मार्च, 2015 को As at March 31,2015 | 31 मार्च, 2014 को As at March 31,2014 |
| टिप्पणी-6 : कारोबार प्राप्य Note - 6 : Trade Receivables | | |
| अप्रत्याभूत, संदिग्ध समझे गए Unsecured, Considered doubtful | | |
| तिथि से छह महीने के अधिक की अवधि से बकाया Outstanding for a period exceeding six months from the date | | |
| ये भुगतान हेतु देय हैं they are due for payment | 37,973 | 37,973 |
| घटाएं : संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान Less : Provision for doubtful debts | 37,973 | 37,973 |
| कुल Total | - | - |



| | | |
|---|---------|---------|
| टिप्पणी-7 नकद एवं नकद समतुल्य Note - 7 Cash and Cash Equivalents | | |
| नकद एवं नकद समतुल्य Cash and Cash Equivalents | | |
| बैंक में शेष Bank balances | | |
| . चालू खाते में - In Current Account | 33,225 | 12,125 |
| बैंक में सावधि जमा Fixed deposit with bank | 400,000 | 390,000 |
| कुल Total | 433,225 | 402,125 |
| टिप्पणी . 8 अन्य चालू परिसंपत्तियां Note -8 Other Current Assets | | |
| (घ) ब्याज प्राप्य (d)Interst Receivables | - | 2,954 |
| (ङ) टीडीएस प्राप्य (e)TDS Receivables | - | 328 |
| | - | 3,282 |

कुलदीप सिंह
निदेशक
Kuldip Singh
Director

पी. सेंथिल कुमार
निदेशक
P. Senthil Kumar
Director

ए.के. मित्तल
निदेशक
A.K. Mittal
Director



दि इंडस्ट्रियल क्रेडिट कंपनी लिमिटेड

31 मार्च, 2015 को लाभ हानि लेखा का भाग बनाने वाली टिप्पणियां

THE INDUSTRIAL CREDIT COMPANY LIMITED

NOTES FORMING PART OF PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2015

(वास्तविक / Actual)

| | 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए For the Year Ended March 31,2015 | 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए For the Year Ended March 31,2014 |
|---|--|--|
| टिप्पणी-8: अन्य आय Note -8 : Other Income | | |
| सावधि जमा पर ब्याज Interest On F.D. | 27,818 | |
| सावधि जमा पर उपगत ब्याज Interest Accrud On F.D. | | 3,282 |
| बट्टे खाते डाला गया अधिशेष प्रावधान Excess provision written off | | 4,001 |
| उप-योग Sub Total | 27,818 | 7,283 |

(वास्तविक / Actual)

| | 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए For the Year Ended March 31,2015 | 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए For the Year Ended March 31,2014 |
|--|--|--|
| टिप्पणी-9: अन्य व्यय Note -9 : Other Expenses | | |
| प्रावधान Provisions | 5,000 | |
| दरें और कर Rates and Taxes | | - |
| परामर्श प्रभार Consultancy Charges | 25,222 | 15,060 |
| लेखा परीक्षा शुल्क Audit fee | 13,485 | 13,485 |
| बैंक प्रभार Bank Charge | | 300 |
| उप-योग Sub Total | 43,707 | 28,845 |



दि इंडस्ट्रीयल क्रेडिट कंपनी लिमिटेड

31 मार्च, 2015 को नकद प्रवाह विवरण का भाग बनाने वाली टिप्पणियां

THE INDUSTRIAL CREDIT COMPANY LIMITED

CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED MARCH 31, 2015

(वास्तविक / Actual)

| | 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के लिए Year Ended March 31, 2015 | 31 मार्च, 2014 को समाप्त वर्ष के लिए Year Ended March 31, 2014 |
|--|---|---|
| प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES | | |
| कराधान पूर्व वर्ष के लिए लाभ Profit for the year before Taxation | (15,889) | (21,562) |
| के लिए समायोजन Adjustments for | | |
| जोड़ें / (घटाएं) कराधान Add/(Less) Taxation | - | - |
| कार्यशील पूंजी से पूर्व प्रचालन लाभ Operating profit before Working Capital changes | (15,889) | (21,562) |
| अन्य देय देयताओं में वृद्धि / (कमी) Increase/ (Decrease) in Other Liabilities Payable | 5,002 | 4,000 |
| अन्य चालू परिसंपत्तियों में वृद्धि / (कमी) Increase/ (Decrease) in Other Current assets | (3,282) | |
| प्रचालन गतिविधियों द्वारा प्रदान किया गया निवल नकद Net cash provided by Operating Activities | (14,169) | (17,562) |
| वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES | | |
| कार्यशील पूंजी में आवागमन और अन्य उधार Movement in Working Capital & Other borrowings | 38,705 | 21,116 |
| वित्तीय गतिविधियों द्वारा प्रदान किया गया निवल नकद Net cash provided by Financing Activities | 38,705 | 21,116 |
| वर्ष के दौरान नकद और नकद समतुल्य में निवल वृद्धि / (कमी) NET (DECREASE)/ INCREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS DURING THE YEAR | 24,536 | 3,554 |
| वर्ष के प्रारंभ में नकद और नकद समतुल्य Cash and Cash Equivalents at the beginning of the year | 402,425 | 402,725 |
| वर्ष के अंत में नकद और नकद समतुल्य Cash and cash equivalents at the end of the year | 426,961 | 406,279 |
| अंतिम नकद और नकद समतुल्य Closing Cash and Cash Equivalents | 433,225 | 402,425 |



टिप्पणी:

1. नकद प्रवाह विवरण कंपनी लेखाकरण मानक नियम, 2006 के अंतर्गत जारी नकद प्रवाह विवरण पर लेखाकरण मानक (एएस-3) में यथावर्णित अप्रत्यक्ष विधि के अनुरूप है।
2. नकद एवं नकद समतुल्य में निम्नलिखित शामिल हैं:

Note :

1. The Cash Flow Statement has been as per the indirect method as set out in the Accounting Standard (AS-3) on cash Flow Statement issued under the Companies Accounting Standards Rules, 2006
2. The Cash and Cash equivalents comprise of the followings :

(वास्तविक / Actual)

| Particulars | 31 मार्च, 2015 को राशि Amount as at March 31, 2015 | 31 मार्च, 2014 को राशि Amount as at March 31, 2014 |
|------------------------------|--|--|
| बैंक में नकद Cash In Bank | 433,225 | 402,125 |
| | 433,225 | 402,125 |

कुलदीप सिंह
निदेशक
Kuldip Singh
Director

पी. सेंथिल कुमार
निदेशक
P. Senthil Kumar
Director

ए.के. मित्रल
निदेशक
A.K. Mittal
Director

स्थान: नई दिल्ली
Place: New Delhi
दिनांक: 11.05.2015
Date: 11.05.2015



दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड

तुलन पत्र के उद्घरण और कम्पनी की सामान्य रूपरेखा

THE ORIENTAL INSURANCE COMPANY LIMITED

BALANCE SHEET ABSTRACT AND COMPANY'S GENERAL PROFILE

I. पंजीकरण का ब्योरा

I. REGISTRATION DETAILS

| | | | |
|--|--------------------|------------|----|
| पंजीकरण संख्या Registration Number | राज्य कोड 00216 | State Code | 55 |
| तुलन पत्र की तारीख Balance Sheet Date | 31.03.2015 | | |

II. वर्ष के दौरान जुटाई गई पूंजी (राशि हजार रूपए में)

II. CAPITAL RAISED DURING THE YEAR (AMOUNT IN RS. THOUSANDS)

| | | | |
|----------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------|
| सार्वजनिक निर्गम Public Issue | शून्य NIL | राइट निर्गम Right Issue | शून्य NIL |
| बोनस निर्गम Bonus Issue | शून्य NIL | निजी नियोजन Private Placement | शून्य NIL |

III. निधियों के संचलन और नियोजना की स्थिति (राशि हजार रूपए में)

III. POSITION OF MOBILISATION AND DEPLOYMENT OF FUNDS (AMOUNT IN RUPEES THOUSANDS)

| | | | |
|-------------------------------------|-----|------------------------------------|-----|
| कुल देनदारियां Total Liabilities | 433 | कुल परिसम्पत्तियां Total Assets | 433 |
|-------------------------------------|-----|------------------------------------|-----|

निधियों के स्रोत

Source of Funds

| | |
|--|--------------|
| प्रदत्त पूंजी Paid up Capital | 500 |
| आरक्षितियां और अधिशेष Reserve & Surplus | 668 |
| सुरक्षित ऋण Secured Loans | शून्य NIL |
| सुरक्षित ऋण Unsecured Loans | 582 |

निधियों की प्रयोज्यता

Application of Funds

| | | |
|--|----------------------|--------------|
| निवल स्थायी परिसम्पत्तियां Net Fixed Assets | निवेश Investments | शून्य NIL |
| निवल चालू परिसम्पत्तियां Net Current Assets | 433 | |
| विविध व्यय Misc. Expenditure | शून्य NIL | |
| संचित घाटा Accumulated Losses | 668 | |



IV. कम्पनी के प्रदर्शन (राशि हजार रूपए में)

IV. PERFORMANCE OF COMPANY (AMOUNT IN Rs. THOUSANDS)

| | | | |
|-----------------|----------------|-------------------|------|
| टर्नओवर | शून्य | कुल व्यय | |
| Turnover | NIL | Total Expenditure | 44 |
| कर पूर्व घाटा | कर पश्चात घाटा | | |
| Loss before Tax | 15.8 | Loss after Tax | 15.8 |
| लाभांश | शून्य | | |
| Dividend | NIL | | |

कम्पनी के तीन प्रमुख उत्पादों/सेवाओं का नाम (प्रति मौद्रिक संदर्भ के रूप में)

V. GENERIC NAMES OF THREE PRINCIPAL PRODUCTS/SERVICES OF CO. (AS PER MONETARY TERMS)

| | |
|---------------------|-----------------------|
| आइटम कोड नं. | शून्य |
| Items Code No. | NIL |
| Product Description | Hire Purchase Finance |

कुलदीप सिंह
निदेशक
Kuldip Singh
Director

पी. सेंथिल कुमार
निदेशक
P. Senthil Kumar
Director

ए.के. मित्रल
निदेशक
A.K. Mittal
Director

स्थान: नई दिल्ली
Place: New Delhi
दिनांक: 11.05.2015
Date: 11.05.2015



प्रपत्र एओसी-1

Form AOC-1

(कम्पनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 5 के साथ पठित धारा 129 की उप-धारा (3) के प्रथम परंतुक के अनुसरण में) **अनुषंगी कम्पनियों/सहयोगी कम्पनियों/संयुक्त उपक्रमों की वित्तीय विवरणिका की मुख्य विशेषताओं को सम्मिलित करने वाला विवरण**

(Pursuant to first proviso to sub-section (3) of section 129 read with rule 5 of Companies (Accounts) Rules, 2014)

Statement containing salient features of the financial statement of subsidiaries/associate companies/joint ventures

भाग “क”: अनुषंगी कम्पनियां

(प्रत्येक अनुषंगी कम्पनी के संबंध में सूचना रु. में राशि सहित प्रस्तुत की जानी है)

Part 'A': Subsidiaries

(Information in respect of each subsidiary to be presented with amounts in Rs.)

| क्र.सं. Sl. No. | विवरण Particulars | ब्यौरा Details |
|--------------------|---|------------------------------------|
| 1. | अनुषंगी कम्पनी का नाम Name of the subsidiary | THE INDUSTRIAL CREDIT COMPANY LTD. |
| 2. | संबंधित अनुषंगी के लिए प्रतिवेदन अवधि, यदि धारक कम्पनी की प्रतिवेदन अवधि से भिन्न हो Reporting period for the subsidiary concerned, if different from the holding company's reporting period | |
| 3. | विदेशी अनुषंगियों के मामले में अंतिम तिथि को प्रतिवेदन मुद्रा और विनिमय दर Reporting currency and Exchange rate as on the last date of the relevant Financial year in the case of foreign subsidiaries | N.A. |
| 4. | शेयर पूंजी Share capital | 500000 |
| 5. | आरक्षितियां एवं अधिशेष Reserves & surplus | (667849) |
| 6. | कुल परिसम्पत्तियां Total assets | 433225 |
| 7. | कुल देनदारियां Total Liabilities | 601074 |
| 8. | निवेश Investments | NIL |
| 9. | टर्नओवर Turnover | NIL |
| 10. | कराधान के पूर्व लाभ Profit before taxation | NIL |
| 11. | कराधान के लिए प्रावधान Provision for taxation | NIL |
| 12. | कराधान के बाद लाभ Profit after taxation | NIL |
| 13. | प्रस्तावित लाभांश Proposed Dividend | NIL |
| 14. | शेयरधारिता का % % of shareholding | 100 % |



टिप्पणियां: निम्नलिखित सूचना विवरण के अंत में प्रस्तुत की जाएगी:

1. उन अनुषंगियों का नाम जिनके प्रचालन अभी आरंभ होने हैं
2. उन अनुषंगियों का नाम जिनका वर्ष के दौरान नकदीकरण या विक्रय किया जा चुका है।

Notes: The following information shall be furnished at the end of the statement:

1. Names of subsidiaries which are yet to commence operations
2. Names of subsidiaries which have been liquidated or sold during the year.

भाग इखररु सहयोगी कम्पनियां और संयुक्त उपक्रम
Part 'B': Associates and Joint Ventures

सहयोगी कम्पनियों और संयुक्त उपक्रम से संबंधित कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 129 (3) के अनुसरण में विवरण
Statement pursuant to Section 129 (3) of the Companies Act, 2013 related to Associate Companies and Joint Ventures

| सहयोगी कम्पनी/संयुक्त उपक्रम का नाम Name of associates/Joint Ventures | हेल्थ टीपीए ऑफ इंडिया Health TPA of India |
|---|---|
| 1. अंतिम लेखा परीखित तुलन पत्र की तारीख 1. Latest audited Balance Sheet Date | 31/03/2015 |
| 2. कम्पनी द्वारा धारित सहयोगी कम्पनी/संयुक्त उपक्रम के शेयर 2. Shares of Associate/Joint Ventures held by the company on the year end | |
| संख्या No. | 4750000 |
| कम्पनी/संयुक्त उपक्रम में निवेश की राशि Amount of Investment in Associates/Joint Venture | 47500000 |
| धारिता की सीमा : Extend of Holding% | 23.75% |
| 3. इस बारे में विवरण कि कैसे उल्लेखनीय प्रभाव है 3. Description of how there is significant influence | हमारी शेयरधारिता our shareholding |
| 3. इसका कारण कि क्यों सहयोगी कम्पनी/संयुक्त उपक्रम समेकित नहीं है 4. Reason why the associate/joint venture is not consolidated | |
| 5. अंतिम लेखा परीखित तुलन पत्र के अनुसार शेयरधारिता में रोप्य निवल मूल्य 5. Net worth attributable to shareholding as per latest audited Balance Sheet | 96982640 |
| 6. वर्ष के लिए लाभ/हानि 6. Profit/Loss for the year | -51882607 |
| i. समेकन में विचार किया गया i. Considered in Consolidation | -12322119 |
| ii. समेकन में विचार नहीं किया गया ii. Not Considered in Consolidation | -39560488 |

1. उन सहयोगी कम्पनियों/संयुक्त उपक्रमों का नाम जिनके प्रचालन अभी आरंभ होने हैं
2. उन सहयोगी कम्पनियों/संयुक्त उपक्रमों का नाम जिनका वर्ष के दौरान नकदीकरण या विक्रय किया जा चुका है।
1. Names of associates or joint ventures which are yet to commence operations.
2. Names of associates or joint ventures which have been liquidated or sold during the year.

टिप्पणी: यह प्रपत्र इस तरीके से प्रमाणित किया जाना है जिसमें तुलन पत्र को प्रमाणित किया जाना है।

Note: This Form is to be certified in the same manner in which the Balance Sheet is to be certified.



दि ओरिएण्टल इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड The Oriental Insurance Company Limited

Registered Office:

'Oriental House' A-25/27, Asaf Ali Road, New Delhi-110022 Ph.: 011-23279221

CIN No. : U66010DL1947GO1007158

Visit us at : www.orientalinsurance.org.in

पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश । सबकी सुरक्षा हमारे पास ।
Prithvi, Agni, Jal, Aakash, Sab ki Suraksha hamare pass.